राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के अष्टम् सत्र का 46वां दिवस [संख्या 28

गुरुवार

दिनांक 19 अप्रेल, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री छीतरलाल आर्य।

ग्रामपंचायत खुरी के सरपंच का प्रकरण

759 श्री छीतरलाल आर्य : (अटरू) क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अटरू तहसील, जिला कोटा की खुरी ग्राम पंचायत के सरपंच को चोरी के आरोप में तीन महीने की सजा हुई थी ? यदि हां, तो सरकार सरपंच को कब तक निलम्बित करेगी ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री पंचायत (श्री शीशराम ओला) : जी हां। सरपंच खुरी को एम जे एम प्रथम वर्ग बारां के कोर्ट से दिनांक 23-6-80 को तीन माह की सजा व 200) रुपये अर्थ दण्ड की सजा हुई थी। जिसके विरुद्ध श्री कन्हैया लाल ने उक्त केस की अपील अपर जिला एवं सैशन न्यायालय बारां में की जिसके निर्णय दिनांक 4-12-80 में दोषी ठहराते हुए उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर इस शर्त के साथ छोड़ा गया कि 1000) रुपया का बन्धक पत्र व इतनी ही राशि की प्रतिभूति पेश करेगा तथा वह सदाचारी बना रहेगा एवं शान्ति बनाये रखेगा। यह मामला सरपंच के चुनाव के पहले का है अतः कानूनी राय ली जा रही है।

श्री छीतरलाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि कानूनी राय ली जा रही है, यह बात गलत है। उस सरपंच को बचाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा चार्ज

(2)

(श्री छीतर मल आर्य)

है। मेरा प्रश्न है कि इस प्रकार से मंत्री महोदय पंचायत विभाग के ऐसे दोषी सरपंचों को × × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया गया। आर्डर आर्डर। अंकित न हो।

श्री छीतरलाल अटरू : × × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ।

अगला प्रश्न।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री हीरालाल आर्य : एक प्रश्न।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री दाऊ दयाल जोशी : तीन महीने की सजा हुई है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला उसके सरपंच चुने जाने के पहले का है। जिस वक्त सरपंच ने चुनाव लड़ा उस वक्त यह एतराज उठाना चाहिये था कि यह सरपंच के इलेक्शन लड़ने के योग्य नहीं है, यह इनके खिलाफ सबूत है। फिर भी जिलाधीश कोटा से जानकारी मंगाई। जिलाधीश कोटा से जो जानकारी प्राप्त हुई वह मैंने आपके समक्ष बताई। फिर भी हम लॉ डिपार्टमेंट से यह सलाह ले रहे हैं कि सरपंच बनने के पूर्व का उनके खिलाफ कोई मामला हो तो मौजूदा सरपंच के खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है या नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : 7–1–84 को।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊ दयाल जोशी : × × × ×

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, इजाजत नहीं दे रहा हूँ।

श्री छीतरलाल आर्य : × × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री दाऊ दयाल जोशी : × × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

× × × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बलचन्द्र आर्यवीर : × × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य व्यर्थ में समय ले रहे हैं।

श्री छीतरलाल आर्य : × × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री छीतरलाल आर्य : × × × ×

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : कहां से माला पहना दी। × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री छीतरलाल आर्य : × × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। भाषा का संयम बरतें। बैठ जायं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

भूमिहीन कृषि मजदूर

760. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने भूमिहीन कृषि मजदूर हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा ? कृपया सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इन भूमिहीन कृषि मजदूरों को रोजगार देने की क्या कोई योजना है ?

(3) क्या कृषि मजदूरों की मजदूरी, अवकाश, कल्याण, विवाद आदि के निपटारे के लिए औद्योगिक मजदूरों की भांति ही कानून व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(2) जी हां।

(3) न्यूनतम वेतन मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन मजदूरी की दरें निर्धारित की गई हैं। जो कृषि मजदूरों पर भी लागू होती हैं।

औद्योगिक मजदूरों की भांति कृषि मजदूरों के विवाद को निपटाने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कितने भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, इसका सर्वेक्षण, जैसी उन्होंने जानकारी दी, नहीं कराया गया है। क्या राज्य सरकार के इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने की योजना विचाराधीन है ? राज्य में कितने कृषि मजदूर हैं उनका सर्वेक्षण नहीं होने से सही आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाये हैं तो जो बीस सूत्री कार्यक्रम की हमारी मन्शा है वह भी क्रियान्वित नहीं हो पायेगी।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।
× × × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(५)

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इनका अभी तो सर्वेक्षण नहीं कराया है। जहां तक भविष्य में सर्वेक्षण कराने की बात है, सरकार ने भूमिहीन व्यक्तियों, जो कृषि मजदूरी करते हैं, के लिये दो योजनायें बनाई हैं, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में और दूसरी ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस प्रकार के लोगों को गांवों के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जो भूमिहीन मजदूर कृषि का काम करते हैं, अस्थाई काम करते हैं, उनका सर्वेक्षण कराया जाना कठिन है। बहरहाल जो मजदूरी करते हैं उनके लिये नई योजनायें बनी हैं जिन्हें स्पेशल स्कीम आर्गेनाइजेशन देखता है। पंचायत समितियों के माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त की जा रही है कि किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने भूमिहीन मजदूर हैं ताकि उनको रोजगार दिया जा सके। जो समय-समय पर अलग-अलग जगह मजदूरी करते हैं, एक बार यहां, दूसरी बार वहां, तीसरी बार कहीं और उनका सर्वेक्षण कराना डिफीकल्ट है, संभव भी नहीं है। जो कुछ योजनायें बनाई हैं, उनका गांवों में कृषि मजदूरों को आधार रखा गया है। उनका सर्वेक्षण पंचायत समितियों के माध्यम से स्पेशल स्कीम आर्गेनाइजेशन, जो सरकार का है, द्वारा अब करना प्रारम्भ किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या प्रत्येक प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछना आवश्यक है। अगला प्रश्न।

श्री अमीन खां, श्री हेमाराम चौधरी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन लोगों को मजदूरी तो मिलनी चाहिये।

मंत्री महोदय जांच करायें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, बैठ जायं।

विकास अधिकारियों का चयन

761. श्री अमीन खां (शिव) **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विकास अधिकारियों के चयन हेतु अभ्यर्थियों का किस आधार पर साक्षात्कार किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि सभी योग्यताएँ होते हुए भी कुछ व्यक्तियों को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को बुलाया गया जो योग्यताएँ नहीं रखते थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों को बिना साक्षात्कार का चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया ऐसे लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री शीशराम ओला) : अध्यक्ष महोदय, मैं

(राज्य मंत्री पंचायती राज)

इसको स्थगित करने के लिए निवेदन करता हूँ।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है। मेरे पूरे सत्र में दो ही प्रश्न आये हैं। इसको भी स्थगित किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को जान बूझकर टालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घपला है और भारी अनियमिततायें हुई हैं। कल विधान सभा सत्र समाप्त हो जायेगा इसलिये इसमें राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जानबूझकर टालना चाहते हैं....

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वह शिड्यूल्ड कास्ट् के लोगों से ताल्लुक रखता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को मैं अवसर देता हूँ।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो शिड्यूल्ड कास्ट का जो बी. डी. ओ. काम कर रहा है विकास समिति में उसको हटा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो योग्यता नहीं रखते थे और फेल हुए हैं उनको बी. डी. ओ. बनाया गया है। इसमें बड़ा भारी घपला हुआ है और अनियमिततायें हुई हैं इसलिये इसको स्थगित नहीं किया जाय। मेरे दो ही प्रश्न पूरे सत्र में आये हैं। एक पहले आया है, वह भी स्थगित कर दिया और एक आज, इसको स्थगित कर रहे हैं।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को आपसे स्थगित करने की आज्ञा चाही है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कहीं से लेनी हो। यह गड़बड़ का मामला है। इसमें अनियमितताओं के कारण काफी गड़बड़ियां हुई हैं। मन्त्री महोदय, जवाब देना चाहते हैं लेकिन चूंकि गड़बड़ में फंसे हुए हैं और अनियमिततायें हो गई हैं इसलिये सदन के सामने नहीं रखना चाहते हैं। आप जो कुछ जैसी भी स्थिति है और जो अनियमिततायें हुई हैं, वह बता दें। विकास अधिकारी का जो काम कर रहा था उसको नहीं लिया और केवल दो-तीन साल के एक्सपीरियेन्स वाले आदमी को पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पद पर लगा दिया गया है। पंचायत में विकास की योजनाओं का प्रश्न है। गलत आदमी को हमारे ऊपर चढ़ा दिया गया है। अब असेम्बली कल तक है इसलिये आप अपने अधिकार का उपयोग करके राहत पहुंचायें।

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसी कौनसी जानकारी है, जो लेनी है ?

श्री शीशराम ओला : आपका आदेश होगा तो कल उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

उदयपुर जिले में की गई समान परीक्षा व्यवस्था

762. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में समान परीक्षा व्यवस्था कब से प्रारम्भ की गई ? प्रारम्भ करने के कारण क्या थे एवं किस अधिकारी ने इसे प्रारम्भ कराया ?

(2) वर्ष 1980–81, 1981–82 व 1982–83 में परीक्षा समय चक्र में कितनी बार रद्दो-बदल करना पड़ा ? कृपया प्रत्येक समय चक्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समय पर प्रश्न पत्र नहीं आने से जिले के प्रत्येक विद्यालय के अध्यापक को जिला केन्द्र या परीक्षा केन्द्र पर आने-जाने का टी. ए., डी. ए. देना पड़ा ? यदि हां, तो सम्पूर्ण जिले में परीक्षा हेतु आने-जाने का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता वर्ष 1980–81, 1981–82 व 1982–83 एवं 1983–84 में कितना-कितना दिया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : 1. उदयपुर जिले में समान परीक्षा व्यवस्था वर्ष 1980–81 से आरम्भ की गई। इस व्यवस्था को आरम्भ करने के निम्न कारण हैं :—

(1) विद्यालयों को सस्ते प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराना,

(2) सम्पूर्ण जिले में विभिन्न विषय के प्रश्न पत्रों का समान स्तर रखाना,

(3) प्रश्न पत्रों के गुणात्मक स्तर में वृद्धि करना।

उदयपुर जिले में समान परीक्षा व्यवस्था तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर द्वारा आरम्भ की गई थी।

2. वर्ष 1980–81 से 1982–83 तक परीक्षा समय विभाग चक्र में कुल तीन बार संशोधन करना पड़ा। परीक्षा समय विभाग चक्र की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

3. जी हां। वर्षवार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते पर हुए अतिरिक्त व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1980–81	कुछ नहीं
वर्ष 1981–82	कुछ नहीं
वर्ष 1982–83	3,000 रुपये
वर्ष 1983–84	2,000 रुपये।

(परीक्षा समय विभाग चक्र के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि समान परीक्षा व्यवस्था के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अन्तर्गत प्रश्न पत्रों के समय पर नहीं आने के कारण तीन बार....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तीन बार प्रश्न पत्र समय पर नहीं आने के कारण समय विभाग चक्र में संशोधन करना पड़ा। श्रीमन्, यही नहीं है। मंत्री महोदय, आपके ध्यान में एक बात और ला रहा हूँ, तीन बार के लिये तो आपने माना है लेकिन 5 बार परिवर्तन हुए हैं। पहले कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1981–82 में परीक्षा 22–11–81 से 5–12–82 तक घोषित थी लेकिन समय पर प्रश्न पत्र नहीं आने के कारण समय विभाग चक्र में संशोधन करना पड़ा। उदयपुर जिले के एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र, किसी में 135 किलोमीटर, किसी में 150 किलोमीटर और किसी में 160 किलोमीटर से प्रश्न पत्र ले जाते हैं। समय पर प्रश्न पत्र नहीं आने से 5 बार उनको वहां आना पड़ा और प्रश्न पत्र ले जाने पड़े। 22–11–81 से 5–12–82 तक का जो कार्यक्रम था उसके बाद 23–1–82 तक लगभग एक महीने और एक दिन परीक्षायें चली थी। यह तो वर्ष 81–82 का मामला है और वर्ष 83–84 में चार बार प्रश्न पत्र बदलने पड़े। मेरठ से जो पेपर आने थे वह समय पर नहीं आ पाये और विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह गये। क्या यह सही है कि सलुम्बर में कई बच्चों ने परीक्षा इसलिये नहीं दी कि परीक्षा का क्रम बार-बार बदल गया और उसकी उनको ठीक समय पर सूचना नहीं मिली? 12 तारीख से प्रारम्भ हुई और विभिन्न जिलों को 11 दिसम्बर को सूचना दी और 12 तारीख से ही शुरू करवा दी। दूसरा प्रश्न पत्र का पेपर नहीं आने से परीक्षा 18 तारीख से शुरू हुई।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे कागजात सदन के पटल पर रखे हैं उनका संक्षिप्त मूल सार जो निकलता है तब्दीली का वह इस प्रकार है वर्ष 80–81 में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। 81–82 में 29–12–81 से प्रारम्भ होने वाली परीक्षायें 11–1–82 से प्रारम्भ की गई। कक्षा 6, 7 व 8 की परीक्षायें 22–12–81 से 13–1–82 तक चली। इसी तरह वार्षिक परीक्षा 23 अप्रेल से होने वाली थी लेकिन राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 5 मई, 82 से 15 मई, 82 तक परिवर्तित की गई। वर्ष 82–83 से सलूम्बर, कुरावड, राजसमन्द, उदयपुर नगर व वल्लभनगर के अलग-अलग केन्द्र बनाये गये उनमें जो परिवर्तन हुआ, सलूम्बर, अर्द्धवार्षिक परीक्षा 82–83 में प्रेस से प्रश्न पत्र समय पर नहीं पहुँचने से केवल तीन दिन दिनांक 9, 10 व 11 दिसम्बर, 82 को होने वाली परीक्षायें क्रमश: 1, 3 व 4 जनवरी, 83 को रखी गई। अन्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुरावड, सत्र 82–83 की अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र समय पर नहीं पहुँचने से केवल एक बार परिवर्तन करना पड़ा अर्थात् 9, 10 व 11 को जो परीक्षा होनी

(श्रीमती कमला)

थी, वह 13–12–82 से प्रारम्भ की गई। कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा जो दिनांक 11–12–82 से प्रारम्भ होने वाली थी वह 15–12–82 से प्रारम्भ की गई। केवल दो-तीन दिन आगे पीछे हुई हैं। राजसमन्द उदयपुर नगर और वल्लभ नगर की परीक्षायें जो निर्धारित कार्यक्रम था उसी के अनुसार हो गईं। जो परिवर्तन हुआ है वह मैंने निवेदन कर दिया।

आपने जो बात कही है कि बहुत थोड़े समय से परिवर्तन किया गया इसलिये बहुत से बच्चे बिना परीक्षा के रह गये। इसकी सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है और न ही हमारे पास कोई शिकायत आई है। हमारी जानकारी में भी नहीं हैं। आपने जो बात कही है उसके सन्दर्भ में आपको कोई जानकारी है तो आप मुझे बता दें। मैं भी अपने स्तर पर जानकारी करने की कोशिश करूंगी कि कोई बच्चा इस तरह से परीक्षा देने से रह गया है तो यह एक विचारणीय बात है। आइन्दा गलती न हो इसके लिये भी बार-बार तकाजा कर दिया गया है। व्यवस्था को और अधिक माकूल बनाने की भी व्यवस्था की गई है। फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सभी जानते हैं बहुत बड़े पैमाने पर यह सारा कार्यक्रम किया जाना पड़ा। किसी-किसी सेन्टर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। प्रश्न पत्र आउट हो गये, आज भी आया था अखबार में। कभी प्रश्न पत्र केन्द्र पर समय पर नहीं आते हैं तो बदलना पड़ता है। ये सब मानवीय कमजोरियां हैं। मानवीय कमजोरी के कारण कभी-कभी ऐसा हो जाता है। असम्भव चीज तो नहीं है कि सेन्ट-परसेन्ट सही न कर सकें लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से कमी रह जाता है जिसको सुधारने के लिये हम प्रयत्नशील हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न है। जो बच्चे अर्द्धवार्षिक परीक्षा 1983–84 में नहीं बैठ सके उनके परीक्षा परिणामों को कैसे तय करेंगी, कोई रियायत करके करेंगी या यह सुविधा देंगी ताकि वह पास गिन लिये जायं ?

दूसरा—क्या यह सच है कि मेरठ में जो प्रश्न पत्र छपाये थे जो एक महीने में छापकर देते। लेकिन 24 नवम्बर और 29 नवम्बर को आपने छापने के लिए दिये और 12–12 को परीक्षा शुरू हुई थी, इस कारण वह प्रश्न पत्र छपकर नहीं पहुंचे थे ?

श्रीमती कमला : यह तो मैंने पहले कहा है कि कुछ गलतियां रह गयी हैं। इसी कारण व आधार पर परीक्षा की तारीखों में परिवर्तन करना पड़ा। बच्चों, स्टाफ, और पेरेन्ट्स को इससे परेशानी हुई है। आगे से यह नहीं हो, इसके लिए ही तो तकाजा कर रहे हैं।

दूसरे कहा कि जो बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ सके उसके लिए क्या करेंगे। किस-किस बच्चे की क्या-क्या कैसी मैरिट्स हैं, डीमैरिट्स हैं यह सब देखने के उपरान्त

(श्रीमती कमला)

ही कहा जा सकता है। इसको देखे बिना कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो बच्चे अर्द्धवार्षिक परीक्षा नहीं दे सके उसको माइनस करके जो टैस्ट दिये हैं उसी के आधार पर रिजल्ट देंगे या इन टोटल रिजल्ट देंगे जिसके कारण उन बच्चों को नुकसान हुआ है।

श्रीमती कमला : जैसा कि मैंने पहले कहा इसके बारे में अभी कुछ भी कहना सम्भव नहीं है कि क्या पद्धति इस मामले में लागू की जायेगी। जो पद्धति लागू की जाती रही है उसी के मुताबिक किसी बच्चे की मैरिट-डिमैरिट का निर्णय किया जा सकता है। आज मैं कैसे कह दूं कि इसको ऐसे पास कर देंगे, इसको पास कर देंगे। आज की तारीख में यह कहना किसी के लिए भी सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल।

अजमेर नगर में खुली शराब की बिक्री

763. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक वैध बिक्री दिवस पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही देशी व विदेशी शराब की बिक्री करने वाली दुकानों पर शराब बन्द रखना व बेचना जरूरी है और लाइसेन्स-धारी बोतल खोल कर या खुली शराब न तो रख सकेगा और न बेच सकेगा?

(2) यदि हां, तो क्या इस नियम की पालना अजमेर नगर परिषद् की सीमा में हो रही है? यदि नहीं, तो दिनांक 1-4-1983 से इन नियमों की अवहेलना करने की शिकायत कब-कब किस-किसने की और उन पर क्या कार्यवाही की? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस नियम के पालनार्थ अजमेर नगर हेतु आबकारी विभाग के कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी अधिकार रखते हैं और कहां पर तैनात हैं? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन नियमों की पालना के अधिकार जिलाधीश, नगर दण्डनायक एवं पुलिस अधिकारियों को भी है? यदि हां, तो कृपया तत्सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां।

(2) इन नियमों की पालना अजमेर नगर परिषद् सीमा में हो रही है। इन नियमों की अवहेलना करना पाया जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1-4-83 से अब तक इन नियमों की अवहेलना करने

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

को कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अन्य किसी भी माध्यम से सूचना मिलने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार 20 अभियोग दर्ज किये गये। जिनकी सूची व कार्यवाही विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) इन नियमों की पालनार्थ एवं कार्यवाही हेतु आबकारी विभाग के अजमेर नगर हेतु आबकारी निरीक्षक (उत्तर), आबकारी निरीक्षक (दक्षिण), प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल एवं जिला अधिकारी आबकारी अजमेर अधिकार रखते हैं, जो वहां तैनात हैं।

(4) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत इन नियमों की पालना के अधिकार जिलाधीश, नगर दण्डनायक एवं पुलिस अधिकारियों को नहीं दिये गये हैं।

(सूची व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 2–3 सवाल माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ। यह प्रश्न केवल अजमेर का ही नहीं है, अजमेर तो आधार बनाकर रखा है अन्यथा 10 बजे के बाद आपको शराब की दुकान चाहे देशी हो या विदेशी हो, हर जगह खुली मिल जायेगी। न केवल खुली मिलेगी बल्कि जब भी रात को 10 बजे बाद सड़कों पर जाते हैं जहां शराब की दुकान हो वहां सार्वजनिक लोगों को कठिनाई होती है। लोग कहते हैं कि पी रहे हैं। तो कहते हैं, आप सिटी मजिस्ट्रेट को टेलीफोन करो। उन्हें टेलीफोन करते हैं तो सुनते नहीं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करो तो सुनवाई नहीं होती। पुलिस वालों से तो कहे कौन। यह सारी कार्यवाही आबकारी विभाग ने करवा रखी है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शराब की दुकान रात को बहुत देर तक खुलने से अपराधों और अपराजकता की स्थिति पैदा होती है।

(व्यवधान)

यों तो आप और हम लोग साथ हैं। लोग ज्यादा पिलायें तो मैं क्या करूंगा।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूँ कि आप पुलिस तो छोड़ दीजिए लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो ऐसा अधिकार दीजिए जिससे वह कम से कम शिकायतें सुनकर व्यवस्था कर सकें। 10 बजे के बाद दुकान खुली रखने से और अनियमित रूप से दुकानों पर, हर दुकान पर आपको लोग पीते हुए मिल जायेंगे। यह निषिद्ध है। वह शराब दुकान से ले जा सकते हैं, खोलकर पीना निषिद्ध है। लेकिन यह सामान्य प्रवृत्ति बन गयी है जिसकी वजह से अराजकता और अपराध बढ़ रहे हैं। 50 परसेन्ट अपराध इस वजह से हो रहे हैं कि शराब की दुकानें 10 बजे बाद खुली रहती हैं। वहीं पर अपराधों का प्लान बनाया जाता है। क्या नगर दण्डनायक को और सिटी मजिस्ट्रेट को तो ऐसे अपराधों की सूचना मिलने पर कोई

(श्री कैलाश मेघवाल)

कार्यवाही करने का अधिकार देंगे ? आपकी मशीनरी उनके साथ मिली हुई है। आप कहते हैं कि इससे आमद होती है। इसका बहाना आप करते हैं। जो लोग शराब की दुकान पर पीते हुए मिलेंगे उनकी इस तरह की शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट को की जा सकती है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जहां तक नियमों का सवाल है और लाइसेंस की शर्तों का सम्बन्ध है उसमें यह प्रावधान है कि 10 बजे बाद दुकान नहीं खुलेगी। अगर 10 बजे बाद भी दुकान खुली रहती है तो उसका चालान होता है। इस तरह के साल भर में 20 चालान हुए।

जैसा आपने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इसको देखने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। लेकिन क्या विचार करेंगे, जो कॅम्पलेनेन्ट है फिर उसको इस आधार पर वहां जाना पड़ेगा।...

श्री रामसिंह विश्नोई : अगर कोई आधी बोतल लेना चाहता है तो फिर उसका इलाज क्या है, वह खोलकर ही तो देगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, क्या पीना और पिलाना बुरा है या पीना और बहकना बुरा है ?

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : मेरा निवेदन है, एक्साइज एक्ट में ऐसा है कि कि पुलिस गिरफ्तार भी कर ले लेकिन उस ठेकेदार का चालान पुलिस नहीं कर सकती। उसको आबकारी इन्सपैक्टर को सौंपना पड़ता है तो वह 2–4–5 रुपये में कम्पाउन्ड कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बजाय पुलिस को ही पूरे अधिकार दे देने चाहिए कि नाजायज काम करें तो....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह होता है इसकी व्यवस्था तो करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भरोसी लाल।

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा नीतिगत प्रश्न है अब उस पर भी गौर नहीं फरमायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। कृपया।

प्रश्न संख्या 764 :

श्री भरोसी लाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री रतन लाल ताम्बी :

बागोलाई ढाणी मजरा का ग्राम पण्डेर (भीलवाड़ा) में विलय

765. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रतन लाल ताम्बी)

(1) क्या यह सही है कि राजस्व ग्राम पण्डेर जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत जागोलाई नामक ढाणी मजरा है जिसकी जनसंख्या तथा खसरा गिरदावरी पण्डेर ग्राम में सम्मिलित है ?

(2) क्या यह सही है कि नियम के अनुसार किसी राजस्व ग्राम के ढाणी मजरा को उस ग्राम से अलग नहीं किया जा सकता ? क्या मजरा ढाणी पण्डेर राजस्व ग्राम के साथ पंचायत पण्डेर से अलग पंचायत बिहाड़ा में मिलाया हुआ है ? यदि हां, तो क्या दोनों पंचायतों का गठन एवं चुनाव वैद्य है ? क्या इस बारे में ग्रामवासी तथा जन प्रतिनिधियों ने सरकार का समय-समय पर ध्यान आकृष्ट किया था ? सरकार ने क्या कार्यवाही की एवं क्या निर्णय किया ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामवासी अपने मूल ग्राम जिसकी राजस्व सीमा में जागोलाई मजरा ढाणी स्थित होने से अपने राजस्व पटवारी सम्बन्धी काम एवं अन्य कार्य हेतु पण्डेर से सम्बन्धित होने से पण्डेर के साथ रहना चाहते हैं ? क्या सरकार अधिसूचना द्वारा जागोलाई मजरे को पण्डेर के साथ सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, पंचायती राज (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। राजस्थान पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार किसी एक ग्राम या ग्राम के भाग या कई ग्रामों को मिलाकर पंचायत का गठन कर सकती है। साथ ही किसी भी क्षेत्र को किसी पंचायत में शामिल कर सकती है तथा अलग भी कर सकती है। यह सही है मजरा ढाणी पण्डेर राजस्व ग्राम पण्डेर से अलग पंचायत बिहाड़ा में मिलाया हुआ है। ग्राम पंचायत बिहाड़ा व पण्डेर का गठन एवं चुनाव वैद्य है। ग्रामवासी तथा जन प्रतिनिधियों की तरफ से प्रार्थना पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही भी की गयी है। अब जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गयी है। रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) जी हां। इस मामले में रिपोर्ट जिलाधीश से मंगाई गयी है रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जावेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा, सिद्धान्ततः राजस्व ग्राम, जिसकी एक ही सीमा और एक ही खसरा नम्बर गिरदावरी के साथ है, एक हिस्से को अन्य पंचायत में मिलाना कानूनन ठीक है या नहीं ? एक प्रश्न।

गांव वाले बराबर यह मांग करते आ रहे हैं, जिलाधीश से कब रिपोर्ट मांगी और कब तक इसका निस्तारण हो जायेगा ? दूसरा सवाल।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या एक राजस्व गांव के हिस्से को दूसरी पंचायत

(श्री रतनलाल ताम्बी)

में मिलाने के बाद दोनों का गठन होने के बाद उसका चुनाव वैधानिक है ?

श्री शीशराम ओला : जनता क्या चाहती है, क्या उसकी मांग है वह स्पष्ट है। जिलाधीश से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगाई है। यदि आप चाहते हैं जागोलाई मजरे को पण्डेर में मिलाया जाय तो सरकार मिला देगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रंगजी मीणा। श्री कैलाश मेघवाल।

एकीकृत खनन एवं बेनिफिसियेशन परियोजना

766. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) एवं श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा एकीकृत खनन एवं बेनिफिसियेशन परियोजना की वित्तीय जीवन क्षमता की रिपोर्ट तैयार करने हेतु टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब ? किस किसने ये टेन्डर दिये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस परियोजना के परीक्षण के तौर पर लगाये गये पाइलेट संयंत्र ने नवम्बर 1982 में काम करना चालू कर दिया था ? यदि हां, तो उसके संस्थापन पर कुल कितनी लागत आई ? अब तक उस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है तथा उसके क्या परिणाम रहे हैं ? कृपया इस प्लांट की कार्यक्षमता का प्रत्येक माह का अब तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

खनिज मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां। टेण्डर्स, मई, 1982 में आमन्त्रित किये गये थे। जिन पार्टियों ने निविदाएं प्रस्तुत की थीं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

उक्त पार्टियों में से मै० सोपरा माइन्स, फ्रांस, मै० बी. आर. जी. एम. फ्रांस व इंजीनियर्स इण्डिया लि०, नई दिल्ली को संयुक्त रूप से रिपोर्ट तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया है। इस ग्रुप ने अपना कार्य शुरू कर दिया है।

(2) जी हां। इस प्लांट के संस्थापन पर लगभग 1,83,62,000 रुपये की लागत आई है। अब तक इस परिशोधन संयंत्र पर कुल 3.849 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। अब तक प्राप्त प्रयोगात्मक परिणामों से ज्ञात हुआ है कि निम्न श्रेणी के फास्फेट को उच्च श्रेणी में बदलने की तकनीकी विधि पूर्णतया सफल रही है। इस प्लांट के प्रयोगात्मक कार्य का माहवार ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची एवं ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा रखा है 15 महीने का, उसमें बताया है कि 21004.97 मैट्रिक टन निम्न श्रेणी का राक फास्फेट इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

पायलट प्लांट द्वारा काम में लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था है पायलट प्लांट की, इसमें बिजली का खर्चा लगता है, दूसरा खर्चा लगता है. विभिन्न प्रकार के खर्चे लगते हैं। इस 21004.97 मैट्रिक टन राक फास्फेट, जो निम्न श्रेणी का काम में लिया है, से 8203.65 मैट्रिक टन उच्च श्रेणी का राक फास्फेट प्राप्त किया है। यह ब्यौरा आपने रखा है। क्या आर्थिक दृष्टि से यह पता लगा लिया है कि यह जो राक फास्फेट का उत्पादन चल रहा है, इसकी वजह से घाटे में गये हैं ? यह प्लांट इकानामिकली वाइबल है या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, राक फास्फेट आज जो निकल रहा है, 11 प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक राक फास्फेट उपलब्ध हो रहा है। मार्केट में जो जाता है 30 से 31 प्रतिशत तक परिशोधित राक फास्फेट है, वह जा सकता है जो हायर लेबल का फास्फेटिक एसिड बनाना है, राक फास्फेट के अन्दर जो सिंगल टाइप फर्टिलाइजर है उसको डबल टाइप फर्टिलाइजर बनाने के लिये 33 से 34 प्रतिशत तक की हमें आवश्यकता है चूंकि उसमें 34 पर्सेन्ट और 34 परसेंन्ट से ऊपर यह मिलता नहीं है। जो दूसरा है उसमें 15–15 का एवरेज आता है, उसका उपयोग करना है। आज जो पायलट प्लांट है उस प्लांट से जो निकाला है, जैसा आपने बताया 8203.65 मैट्रिक टन उच्च श्रेणी का उत्पादन हुआ। तो आज यह प्राइमाफेसी हमने वेनिफिशियेशन प्लांट, लगा रखा है। यह हमने एक्सपेरीमेंट किया है। झामर कोटड़ा से जो उपलब्ध हुआ, इन सबको देखते हुए हम इस प्लांट को बड़ा रूप देकर 5000 टन प्रति वर्ष निकालना चाहते हैं। जो एक्सपेरीमेंट किया है उस एक्सपेरीमेंट के आधार पर झामर कोटड़ा की माइन्स का हम उपयोग कर सकेंगे। वह सारी रिपोर्ट आई है। आज मैं कह सकता हूँ जो हमने पायलट प्लांट लगा रखा है, वह सक्सेसफुल है। जो 11 से 18 पर्सेन्ट के बीच का है उसको अलग-अलग हिसाब से बेनिफिसियेशन प्लांट थ्रू प्रोसेस किया है। 34 पर्सेन्ट तक उत्पादन मिला है। जो भी हमने वर्क आउट किया है उसको देखते हुए यह प्लांट सक्सेसफुल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। टैक्निकल प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल : पायलट प्लांट जो लगा हुआ है उसमें 5 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होने वाला था। इसको देखते हुए आपने इस प्लांट से कोई कनक्लूजन निकाला है या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पायलट प्लांट के आधार पर हमने जो वर्क आउट किया है, उसको देखते हुए वह सक्सेसफुल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न संख्या 767

अगला प्रश्न : श्री सुरजा राम टाक.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री अमरा राम चौधरी।

768. **श्री अमरा राम चौधरी** (पचपदरा) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बालोतरा आवासीय योजना में अभी तक कुल कितने व किस-किस श्रेणी के मकानों का निर्माण हो चुका है ?

(2) क्या नव निर्मित आवासीय योजना में लोगों के पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था करा दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक करा दी जायेगी ?

(3) क्या आवासीय मकानों के गन्दे पानी की निकासी के लिये कोई नाला बनाया गया है ? यदि हां, तो उस गन्दे पानी के नाले के पानी का निकास आवासीय मकानों से कितना दूर होगा ?

आवासन मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) बालोतरा आवासीय योजना में अभी आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 198, अल्प आय वर्ग के 31, मध्यम आय वर्ग "अ" के 55 व मध्यम आय वर्ग "ब" के 22, कुल 306 मकानों का निर्माण कार्य चालू है।

(2) इसके लिये आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है एवं मकान पूर्ण होने के पश्चात् बिजली एवं पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जावेगी।

(3) आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आपने चर्चा मांगी है, आर्डर प्लीज। मैंने आपको इजाजत दे दी। कल जो आपका प्रस्ताव आया था.....

श्री अमराराम चौधरी : उसमें वह नहीं है.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दौगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न-कर्ता। अंकित न हो।

श्री दाऊ दयाल जोशी : × × ×

श्री अमराराम चौधरी : मैं अलग निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से........

श्री अध्यक्ष : वह कल वाला है। आपने उसमें चर्चा के लिये समय मांगा है, मैंने दिया है।

प्रश्न संख्या 769

अगला प्रश्न : श्री भगवान दास शास्त्री।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य, श्री दाऊदयाल जोशी।

इटावा कस्बे में हरे वृक्ष की कटाई का प्रकरण

770. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीरालाल आर्य)

एवं **श्री बाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के इटावा कस्बे में दिनांक 28-12-1983 को हल्का पटवारी ने हरे वृक्ष काट कर ले जाने वाले ट्रेक्टर को पकड़ा था जिसकी सूचना पुलिस थाना इटावा तथा तहसीलदार पीपल्दा को दी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि थानेदार इटावा तथा तहसीलदार पीपल्दा की मिली भगत से उक्त मामले को रफा-दफा किया जा रहा है।

(3) यदि नहीं, तो इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई तथा की जा रही है ? थानेदार इटावा व तहसीलदार पीपल्दा के एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जब्त की गई लकड़ी के सम्बन्ध में कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह मामला दिसम्बर का है और अभी तक इस पर मंत्री महोदय ने कार्यवाही नहीं की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो लकड़ी पकड़ी वह इस वक्त किसके पास है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह लकड़ी दुर्गाशंकर रामचन्द्र सुनार के सुपुर्द की गई है, जमानत पर।

श्री हीरालाल आर्य : आप कह रहे हैं कि दुर्गाशंकर के सुपुर्द की है। इस लकड़ी को पटवारी ने तहसील में रखा। 8–10 लोग रात को लकड़ी को जबरन ले जाने के लिये तहसील में आये। वहां पर चपरासी था उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि 8–10 लोग जबरन लकड़ी ले जाने के लिये आ रहे हैं। वह चिल्लाया। लेकिन थानेदार ने उसको भगा दिया। ये जो 8–10 लोग हैं ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये थानों और तहसीलों के एजेन्ट हैं। सवेरे जब इसकी सूचना मिली, गांव वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने उनको रोक लिया। फिर तहसीलदार से रिपोर्ट की। तहसीलदार ने उन लकड़ियों को उन्हीं व्यक्तियों को दे दिया जो रात को जबरन उठा लाये। अभी तक लकड़ी सुरक्षित नहीं है, अभी तक कार्यवाही नहीं की है। क्या आपने रिपोर्ट दर्ज की है ? क्या आपने उन लोगों का, उन अपराधियों का चालान पेश किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, लकड़ी जमानत पर सुपुर्द की गई है, सुरक्षित है। जिसको लकड़ी दी है उसकी जिम्मेदारी है। पटवारी ने ट्रेक्टर पकड़ा, पकड़कर तहसील में पेश किया। तहसीलदार ने लकड़ी जब्त करके कार्यवाही जारी की है और कार्यवाही हो रही है। अब तक इसमें जो समय लगा, उसकी जांच करके इस

(श्री हीरालाल देवपुरा)...
प्रकरण को समाप्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां।

समय न लें। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां।

तहसील कामां के गांवों को बिजली

771. **श्री चाव खां** (कामां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला भरतपुर की तहसील कामां में वर्ष 1982–83 तथा 83–84 में अब तक किन-किन गांवों को बिजली दी गई है एवं किन-किन गांवों को दिया जाना शेष है ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : वर्ष 1982–83 तथा वर्ष 1983–84 में तहसील कामां में कोई ग्राम विद्युतीकृत नहीं किया गया है। अभी तहसील कामां के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कोई योजना चालू नहीं है, परन्तु इस क्षेत्र की एक योजना तैयार करने हेतु सर्वे किया जा रहा है।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, पिछले 2–3 साल से इस क्षेत्र से क्या दुश्मनी है, किसी भी गांव में बिजली नहीं दी जा रही है जब कि बार-बार सवाल किया गया है ? गांव वाले बिजली का खर्चा बरदाश्त करने को तैयार हैं फिर भी सरकार बिजली देने की स्वीकृति नहीं दे रही है। हम तो कृषि के लिये बिजली चाहते हैं इसके लिये व्यवस्था करें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछले 2 वर्ष में कोई गांव विद्युतीकृत नहीं हुआ और........

श्री अध्यक्ष : इसमें क्षेत्रीय विधायक की हालत बहुत बुरी हो जाती है।

श्रीमती कमला : इनके क्षेत्र में विद्युतीकरण का प्रतिशत इसलिये कम है, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि विद्युत स्टेशन से गांव काफी दूरी पर हैं। कोशिश हमने यह की कि नगर में 132 के. वी. का स्टेशन कायम किया जाय। इसके पश्चात् सीकरी पट्टी में स्टेशन बनने के पश्चात् योजना का काम सरलता से कर सकेंगे। इसलिये योजना तैयार हो रही है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन इनके पड़ौस के निर्वाचन क्षेत्र में सब जगह बिजली आ गई है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, 11 के. वी. का स्टेशन बन चुका है। शायद आने वाले 2–1 महीने में योजना तैयार होकर जो गांव बाकी है वहां के काश्तकारों को लिया जावेगा।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, बिजली वहां पर पहुंच चुकी है पर हमारे 2–3 गांव ऐसे हैं जिनके चारों तरफ बिजली घूमी हुई है फिर भी बिजली नहीं

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री चाव खां)

दी जाती है। विपक्ष के साथ यह वैर-भाव वरता जा रहा है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि कहीं कोई राजनैतिक वैर-भाव की बात नहीं है। 79–80 से जो योजनाएं तैयार हुई। उनको अब लागू किया जा रहा है। 83 में दिसम्बर, जनवरी, फरवरी तक 40–45 योजनाएं राज्य में स्वीकृति हुई। जिनको 84–85 में जारी करेंगे। बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं कि सारे राजस्थान में स्कीमें बना कर रखें, चाहे स्कीम वहां पर हों या नहीं, जिसमे लोअर पर्सेन्टेज आफ इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिये स्कीम हाथ में तैयार रहें, तो लागू कर सकें लेकिन अभी हमारे पास स्कीम तैयार नहीं है इसलिये यह मजबूरी हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

प्रश्न संख्या 772

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

(**अनुपस्थित** : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 773

श्री बिहारी लाल।

(**अनुपस्थित** : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 774

श्री राम प्रसाद।

(**अनुपस्थित** : कृपया आगे देखें)

श्री हेमाराम चौधरी।

बायतू ग्रामीण विद्युतीकरण योजना उपखण्ड में रिक्त पद

775. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बायतू ग्रामीण विद्युतीकरण योजना उपखण्ड में सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता का पद जुलाई, 1983 से खाली है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उपखण्ड के अधीन बालोतरा व सिणधरी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का अतिरिक्त कार्य है?

(3) बालोतरा व सिणधरी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के उपखण्ड पंचायत समिति मुख्यालय पर कब खोलने का प्रस्ताव है?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) बायतू उपखण्ड में सहायक अभियन्ता के पद पर श्री के. एस. मेड़तिया का पदस्थापन आदेश संख्या 843 दि. 4–1–84 द्वारा किया गया था परन्तु श्री मेड़तिया ने अभी तक इस पद पर कार्य-भार ग्रहण नहीं किया है। अतः पुनः दिनांक 16–4–84 को एक अन्य सहायक अभियन्ता को वहां पद स्थापित करने के आदेश

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(ऊर्जा मंत्री)

जारी कर दिये गये हैं। इस उपखण्ड में 3 कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों में से दो पदों पर तो वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हैं एवं एक पद जुलाई, 83 से रिक्त है।

(2) जी नहीं, बालोतरा एवं सिणधरी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का कार्य भी ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड वायतू के कार्यक्षेत्र में आता है। कार्य को शीघ्र सम्पादित करने की दृष्टि से वर्तमान में इन योजनाओं के कुछ निर्माण कार्य परिचालन एवं संधारण उपखण्ड बालोतरा एवं ग्रा. वि. उपखण्ड सिवाना को सौंपे गये हैं।

(3) चूंकि बालोतरा व सिणधरी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का कार्य ग्रा. वि. उपखण्ड बायतू के कार्यक्षेत्र में आता है तथा इन योजनाओं के कुछ कार्यों को दो उपखण्डों को सौंप दिया है अतः बालोतरा व सिणधरी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्य हेतु पृथक से उपखण्ड खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बालोतरा व सिणधरी के काश्तकारों को केवल कनेक्शन के लिये वायतू जाना पड़ता है लेकिन वहां ए. ई. एन. रहता नहीं। सिणधरी, बायतू में ए. ई. एन. के पद सृजित करें नहीं तो काश्तकार वहां चक्कर काटते फिरेंगे। जब अलग-अलग स्कीम स्वीकार की हैं तो अलग-अलग ए. ई. एन. पद स्थापित करें तो काश्तकारों को योजना का लाभ मिलेगा नहीं तो 60–70 किलोमीटर का चक्कर काट कर बाड़मेर होते हुए वायतू जाते हैं। इसी तरह से सिणधरी की स्कीम 81–82 में हुई और आज तक काश्तकार चक्कर काटते फिर रहे हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि आप यहां पद सृजित करावें।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जिन ए. ई. एन., जे. ई. एन. ने आदेशों की पालना नहीं की, जोइन नहीं किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को छुट्टी लेने के और किसी ग्राउण्ड पर कार्य-भार ग्रहण नहीं करने के कानूनी अधिकार हमने दे रखे हैं इसलिये इसमें कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं हैं।

जहां तक हेमाराम जी ने कहा कि काश्तकारों को चक्कर काटने पड़ते हैं ए. ई. एन. रहता नहीं है तो मैंने 2–3 बार बदल-बदल कर वहां ए. ई. एन. लगाया। अगर माननीय सदस्य की निगाह में कोई हो जो वहां रह सके तो उसको पद स्थापित करने की चेष्टा करेंगे। बाकी दूसरी जगह ए. ई. एन. तभी लगेंगे जब वहां इतना वर्क लोड बने। बाकी जे. ई. एन. उनके कार्य का फंकशन करते हैं, ए. ई. एन. तो सिर्फ उसी जगह बनेगा जहां कार्यभार बढ़ जायेगा इससे पहले करना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : केवल एक प्रश्न।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महो-

(श्री हेमाराम चौधरी)

दय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया. जे. ई. एन. तो सिणधरी में रहता है। चार साल से मैं बराबर महीने में 1–2 बार तो सिणधरी जाता ही हूँ लेकिन मैंने तो कभी वहां जे. ई. एन. को देखा नहीं। इसी तरह से गुड़ा में भी जे. ई. एन. नहीं रहता, जोधपुर में ही रहता है, कोई वहां जाता नहीं।

श्री अध्यक्ष : कोई दुखी आदमी हो तो जा सकता है।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। बायतू के अन्दर, सिणधरी के अन्दर सहायक अभियन्ता की आवश्यकता है। सिणधरी का सैशन कोर्ट बालोतरा लगता है, डी. वाई. एस. पी. बालोतरा है। बालोतरा का एरिया बहुत लम्बा है। बायतू ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए वहां विद्युतीकरण के लिए ए. ई. एन. की पोस्ट क्रिएट होना जरूरी है। आप एक पोस्ट वहां क्रिएट करें ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्रीमती कमला : वित्तीय स्थिति घाटे में चल रही है। सुपरवाइजरी पोस्ट क्रिएट वर्क लोड के हिसाब से होती है। समय-समय पर माप दण्ड के हिसाब से क्रिएट की जाती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हेमाराम चौधरी : एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यर्थ में समय ले रहे हैं।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री हेमाराम चौधरी : × × ×

श्री महाराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

प्रश्न संख्या 776

श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 777

अगला प्रश्न।

श्री सुखलाल सैंणचा, श्री शिवदानसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़।

उदयपुर में ब्रह्मपोल के बाहर कब्रिस्तान की भूमि

778. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर ब्रह्मपोल के बाहर कब्रिस्तान की कितनी भूमि है और कब अलाट की गई थी ?

× × × माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया

(श्री मेघराज तावड़)

(2) क्या यह सही है कि लम्बे समय से इस कब्रिस्तान भूमि के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल बनाने की स्वीकृति चाही गई थी? यदि हां, तो क्या स्वीकृति दे दी गई? नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब भी उक्त भूमि पर बाउन्ड्रीवाल बनाने की स्वीकृति देने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि इस भूमि में जहां कब्रिस्तान है एक मन्दिर की स्थापना कर दी गई है और दोनों पक्षों में झगड़े हुए व केस भी दर्ज किये गये?

राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध वक्फ मंत्री से है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

अगला प्रश्न। श्री मानसिंह देवड़ा। श्री रामसिंह विश्नोई।

ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता देना

779. **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा), **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद हैं?

(2) क्या शिक्षकों के उक्त पद निश्चित मापदण्ड के अनुसार हैं? यदि नहीं, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है।

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) शिक्षा विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के अध्यापकों की सूचना पृथक से नहीं रखी जाती है। राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के द्वितीय वेतन श्रृंखला एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के पद निम्न प्रकार हैं :—

	द्वितीय श्रेणी	**तृतीय श्रेणी**
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत	24877	633374
पंचायत विभाग के अन्तर्गत (ग्रामीण क्षेत्रों में)	298	40268

(2) निश्चित मापदण्ड के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता, छात्रों की संख्या के अनुसार बदलती रहती है। शिक्षकों के पद मांग एवं राज्य के वित्तीय साधनों के अनुसार सृजित किये जाते हैं।

(3) यह प्रश्न समस्त कर्मचारियों से सम्बन्धित है। केवल शिक्षकों से ही नहीं। अतः शिक्षा विभाग द्वारा इस पर अलग से कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय, 20वीं वार सदन के अन्दर यह मामला विचारार्थ आया है। ग्रामीण

(श्री रामसिंह विश्नोई)

क्षेत्रों में अध्यापक लम्बे समय से नहीं हैं। उनको कुछ अट्रेक्शन देकर, ग्रामीण भत्ता देकर ग्रामीण शिक्षा की समस्या को दूर करने का प्रयत्न करें। कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत समस्या दूर की जा सके? सब्जेक्ट के अलग-अलग टीचर भरने के लिए क्या योजना बनायी है ?

श्रीमती कमला : पदों के रिक्त रहने के दो कारण रहे........

श्री अध्यक्ष : इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। कृपया संक्षेप में।

श्रीमती कमला : पद रिक्त रहे हैं। सर्विस सलेक्शन कमीशन नहीं बना इसलिए सारी समस्या रही है। कुल मिलाकर 0.7 पर्सेन्ट पद रिक्त हैं इनके कारण भी अलग-अलग रहे हैं। कई सब्जेक्ट के टीचर उपलब्ध नही हुए, कोई कोर्ट आदेश ले आया, कोई जोइन नहीं करता है तो दूसरे को लगाया जाता है। इतना बड़ा विभाग है, हर रोज सैंकड़ों पद रिटायरमेन्ट पर महीने के आखिर में खाली होते रहते हैं। पांच-सात दिन उनको भरने में लग जाते हैं। ये जो भी पद रिक्त हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : 0·7 प्रतिशत से 1000 पद राजस्थान मे रिक्त हुए।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 787। श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

बस्सी पंचायत समिति में कृषि विद्युत संबंध।

787. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने नये कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने पर माह फरवरी, 1984 से रोक लगा दी है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के लिए कटिबद्ध है ? यदि हां, तो जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति के लिये वर्ष 1983-84 में 193 कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने का जो लक्ष्य था उसमें केवल 40 कृषि विद्युत कनेक्शन ही क्यों दिये गये ?

(2) क्या राज्य सरकार पंचायत समिति बस्सी में शेष विद्युत कनेक्शन देकर 20 सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक लक्ष्य के मुताबिक किसानों को कनेक्शन दे दिये जायेंगे। यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने नये कृषि कनेक्शन दिये जाने पर माह फरवरी,

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुशार अंकित नहीं किया गया।

(ऊर्जा मंत्री)

1984 से कोई रोक नहीं लगाई थी। लक्ष्यों की पूर्ति के उपरान्त बिना पूर्व स्वीकृति के के अतिरिक्त कनेक्शन न दें उस निर्देश का यह स्पष्ट आशय था। फरवरी, 84 तक लक्ष्य पूर्ण करलें यह उसमें निर्देश थे। इन निर्देशों से कुछ गलतफहमी हुई उसे मार्च प्रथम सप्ताह में संबधित वृत अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया था।

(2) जी हां। वर्ष 1983–84 में बस्सी पंचायत समिति के अन्तर्गत 8 गांव एवं 19.1 कुओं को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके अन्तर्गत वर्ष 83–84 में 8 गांव एवं 42 कुओं को ऊर्जीकृत किया गया। बस्सी पं. सं. के अन्तर्गत 21–3–84 तक कुल 518 कुओं के ऊर्जीकरण हेतु आवेदन पत्र विचाराधीन थे। वर्तमान में कुल 115 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा है एवं इन 115 आवेदकों में से केवल 16 आवेदकों ने "एल फार्म" प्रस्तुत किये जिन पर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। भविष्य में जैसे-जैसे "एल फार्म" आवेदकों द्वारा दिये जावेंगे उन्हें लक्ष्यों के अनुरूप कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) विचाराधीन वर्ष के लक्ष्यों के अन्तर्गत जो कृषक वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करते रहेंगे उन्हें कनेक्शन दिये जाते रहेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक इस प्रकार का जवाब दिया है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इस बस्सी पंचायत क्षेत्र में आपने डिमाण्ड नोटिस कब जारी किए ? किसानों के आवेदन पत्र कब प्राप्त हुए हैं और डिमाण्ड नोटिस जारी होने के कितने दिन बाद किसानों ने पैसे जमा करवा दिये। आप डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं करें, आप एस्टीमेट नहीं बनायें और फिर दोष यह देते हैं कि उनका "एल फार्म" जमा नहीं हुआ। जब डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं हुआ तो "एल फार्म" कहां से जमा हो जायेगा, पैसे कहां से जमा हो जायेंगे ? मैं यह प्रश्न पूछता हूँ कि बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे, कब से थे, और उनके डिमाण्ड नोटिस कब आपने जारी किए और उनके पैसे कब प्राप्त किए ? एक बात।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए, आप ऊर्जा मंत्री हैं और आप 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति समिति के प्रभारी मंत्री हैं, आपके पास समय-समय पर रिपोर्ट आयी है। जब यह देखा कि वहाँ प्रगति नहीं हो रही है तो आपने किस अधिकारी को क्या-क्या निर्देश दिये ?

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि आप जब वहां पधारी थीं तो उस समय एक विज्ञापन दिया था, किसानों के द्वारा विज्ञापन के सन्दर्भ में यही शिकायत की गई थी कि यहां पर कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, तो आपने उस समय क्या कार्यवाही की ?

एक प्रश्न मेरा यह है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में किस जादू के द्वारा लक्ष्य पूरे कर लिये गये, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किस कारण से लक्ष्य पूरे नहीं किए गये ? इसे स्पष्ट करें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन चार सवाल किये हैं। कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे, वह तो मैंने मुख्य प्रश्न के जवाब में बता दिया कितने-कितने आवेदन पत्र किन-किन तारीखों को आये, इसकी विस्तृत सूची तो मेरे पास नहीं है लेकिन काफी समय से होंगे, यह मान लेती हूँ। 115 लोगों को डिमांड नोटिस जारी किये गये हैं, यह सही है कि अधिकारियों ने अपनी गलती से, लापरवाही से बहुत आखिर में डिमान्ड नोटिस जारी किये हैं जो कि बहुत पहले जारी करने चाहिए थे। माननीय सदस्य को पता है उनके समक्ष यह आया था। उस वक्त सम्बन्धित अधिकारियों को, एडीशनल चीफ इंजीनियर और एस. ई. को मैंने बहुत सख्त हिदायत दी कि समय के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, मार्च, 84 तक कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, तेजी से काम करें। उस जगह पर अधिकारी बार-बार तकाजा करने पर भी नहीं कर पाये तो उनको बदलना पड़ा लेकिन लेट, काफी बदला गया इसलिए बहुत सारे काम पिछड़ गये इसमें कोई शंका नहीं है काम तकाजे से किया जा सकता था सरकारी अधिकारी एफीसियेंएटली काम करते तो पूर्ति हो सकती थी।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि आपके यहां तो किस जादू से पूरे हो गये और किस जादू के बिना मेरे यहां रह गये। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यह जादू बोर्ड के अधिकारियों ने कई जगह किया है। बोर्ड और बोर्ड के अधिकारियों के जिस तरह के संस्कार हैं, शायद निर्धारित चीजों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार और निर्धारित समय पर पूर्ण करने में शायद थोड़ा बहुत आगा पीछा करना अपना अधिकार समझ कर ऐसा करते हैं। इस का कुछ थोड़ा बहुत असर इस साल भी रहा, ज्यादा तो नहीं रहा, क्योंकि बार-बार बीच-बीच में कोशिश की गयी। लेकिन राजस्थान भर के आंकड़े उठाकर देखें तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य तो ऐसा समझते हैं कि शायद मेरी कोई दुर्भावना थी इस काम में, जो मेरे क्षेत्र में ज्यादा हुआ, किन्तु ऐसी कतई स्थिति नहीं है। आपने खुद ने भी कल जब आप मिले तो यह कहा कि आपकी तरफ से कुछ हिदायत नहीं थी। लेकिन मेरे अधिकारियों ने काम नहीं किया। बहुत सी जगह पर काम ज्यादा हो गया है बहुत जगह कम। सरकार ने बोर्ड को निर्धारित लक्ष्य देकर कहा, उनको पंचायत वाइज, पंचायत समिति वाइज, जिला वाइज किताब छपवाकर दी कि ये लक्ष्य है, ये गांव हैं यह पंचायत समिति है। इसके मुताबिक पूरे करने हैं। समय-समय पर चैयरमैन के माध्यम से इसका तकाजा किया गया कि आपने कितने-कितने लक्ष्यों की पूर्ति की, एक भी लक्ष्य में कमी नहीं रहनी चाहिए। निर्धारित लक्ष्य पूरे होने चाहिए। किसी जगह ज्यादा हो जाय तो ठीक है लेकिन निर्धारित लक्ष्य से कम नहीं रहें। बार-बार कहते रहे, बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन जो रिपोर्ट स्टेट भर की मंगायी है उसमें कम से कम 1/3 या उससे भी ज्यादा कहीं पर एक्सेस और कहीं माइनस किया है। उदाहरण के तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अलवर का बता दूं। उन्होंने तिजारा के अन्दर 39 के पेटे 95 कर दिये। इसी प्रकार राजगढ़ के

(श्रीमती कमला)

अन्दर 67 के पेटे 16 का एडीशन कर दिया। इसी तरह लक्ष्मणगढ़ में किया कि माइनस कर दिये। धानागार्जी में 127 के के पेटे 22 माइनस कर दिये। इसी तरह से किसी जगह पर ज्यादा किये और किसी जगह पर कम किये। 354 का लक्ष्य था, 324 किये चित्तौडगढ़ में किसी जिले में कहीं दो बढ़ा दिये, कहीं किसी पंचायत समिति में 16 बढ़ा दिये, कहीं 15 कम कर दिये, किसी में 20 कम कर दिये और किसी में 15 बढ़ा दिये। इस तरह कई जिलों के अन्दर और कई पंचायत समितियों के अन्दर जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे इनमें ज्यादा या कम हुए। यह सारा देखकर चेयरमैन से इस तरह का जवाब तलब किया है कि आप मुझे बराबर कहते रहे कि लक्ष्यों के मुताबिक काम हो रहा है लेकिन आंकड़ों को देखने से लगता है कि आपके अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार काम नहीं किया है। जिन-जिन अधिकारियों ने जिन तथ्यों की पूर्ति नहीं की, जिन्होंने उल्लघंन किया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके इस तौर तरीके को दृष्टिगत रखते हुए ही मैंने इस बार विशेष तौर पर प्रोफार्मा तैयार कराया है और वोर्ड को पाबंद किया है कि जो काम जिस पंचायत समिति में करने का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा उसकी पूर्ति नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम और भी सख्त कार्यवाही करेंगे। लेकिन वर्षों से चल रहे तौर तरीके बदलने में समय लगता है। वोर्ड आटोनोमस का बिल्ला लगाये हुए हैं इस कारण से कुछ और सोचने और विभाग के, राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लघंन करने की आदत है तो उसको लाइन पर लाने में समय लगता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): Shame for the Government and the Board.

बोर्ड के लिए और सरकार के लिये शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष : आपकी राय की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ही कह दिया है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि, अधिकारियों की गलती रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पष्ट करना चाहूंगा कि अधिकारी का दोष किसानों को भुगतना होगा। इसलिए जो पिछले वर्ष के लक्ष्य हैं और इस वर्ष के लक्ष्य हैं उनको इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करायें।

श्रीमती कमला : 84–85 का कार्यक्रम तैयार करते समय इस बात को विचारार्थ रखा जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्री रहने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

हिण्डौन नगर की आवासीय योजना

764. श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(26)

(श्री भरोसीलाल)

(1) सवाई माधोपुर जिले के किन-किन शहरों में आवासीय योजना मंजूर हुई थी ? उनमें से अब तक किन-किन स्थानों पर योजना लागू की जा चुकी है ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

(2) हिन्डौन शहर में आवासीय योजना के तहत कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ?

(3) आवासन मंडल द्वारा हिन्डौन में योजना आरम्भ करने के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये ?

(4) क्या वर्ष 1984–85 में यह योजना प्रारम्भ हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या तत्सम्बन्ध में भूमि का चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो किन किन खसरा नम्वरों की भूमि ? यदि नहीं, तो भूमि कब तक अवाप्त कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में किसी भी शहर में आवासीय योजना मंजूर नहीं हुई तथा कहीं भी योजना लागू नहीं हुई । केवल सवाई माधोपुर शहर में मकानों के निर्माण की योजना बनाकर हुडको को स्वीकृति हेतु भेजी गई है । शेष स्थानों पर अभी मकान निर्माण हेतु भूमि का चयन एवं भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(3) आवासीय योजना हेतु उपयुक्त भूमि लेने का प्रयास किया जा रहा है ।

(4) भूमि के उपलब्ध होने के तुरन्त बाद योजना प्रारम्भ करने के लिए प्रयत्न करेंगे ।

(5) भूमि का चयन करने की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है ।

तहसील नोखा के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण

767. श्री सुरजा राम टांक (नोखा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील नोखा जिला बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांव हैं ?

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ होने के बाद कितने नये गांवों का विद्युतीकरण वर्ष 1981–82, 1982–83 एवं 1983–84 में किया गया ? इन गांवों के कितने कृषि कुओं पर बिजली पहुंचाई गई ?

(3) इस चालू वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत नोखा तहसील के कितने गांवों को लिया गया और इन गांवों के कितने कृषि सिंचाई कुओं को लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नोखा की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत 80 ग्राम सम्मिलित हैं ।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत अब तक 43 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । योजना में कृषि कनेक्शनों हेतु कोई लक्ष्य नहीं है ।

(श्री ऊर्जा मंत्री)

वर्षवार विद्युतीकरण गांवों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1.	1980–81	25
2.	1981–82	14
3.	1982–83	—
4.	1983–84	4
	कुल ग्राम	43

(3) वर्ष 1983–84 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में पंचायत समिति नोखा के 7 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष 4 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। योजना में कृषि कुओं के ऊर्जीकरण का प्रावधान नहीं है।

पंचायत राज कर्मचारियों को बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देना

769. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सही है कि विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पंचायत राज कर्मचारियों का वेतन बेरी वेतन आयोग के सिफारिशों के आधार पर वर्तमान में जिला स्तर पर ही किया जावेगा ? यदि हां, तो अब तक राज्य के कितने जिलों में उपरोक्त कर्मचारियों को बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दे दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि भविष्य में बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सुविधाएँ समस्त पंचायत राज कर्मचारियों को प्रदान की जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक 27 जिलों में 23, 119 कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले निपटाये गये हैं।

(2) बेरी वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान की सुविधायें जिन्हें नहीं मिल रही हैं उन्हें बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन निर्धारण की सुविधायें वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित होने पर दी जावेंगी।

सवाई माधोपुर की आवासीय योजना

772. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर ज़िला मुख्यालय में आवासन मण्डल द्वारा आवासीय भवन बनाने की योजना किस सन् में बनाई गई थी ? नगर में आवासीय भवनों के लिए सन् 1982–83 व 1983–84 में कितने व्यक्तियों द्वारा कितनी धनराशि जमा कराई गई ? क्या उक्त व्यक्तियों को आवासीय भवन दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) यदि उक्त व्यक्तियों को अब तक आवासीय भवन नहीं दिए गए हैं तो कब तक दे दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) योजना प्रथमतः सन् 1979 में प्रारम्भ की थी। वर्ष 82–83 में 155 आवेदकों द्वारा 4,14,750/- रु० जमा करवाये गये तथा वर्ष 83–84 में पंजीकरण नहीं दिया गया भवन नहीं दिये गये। क्योंकि निर्माण नहीं हुआ।

(2) भवन शुरू कर दिये जावेंगे भवन बनने के तुरन्त बाद आवंटन कर दिया जावेगा।

विकास अधिकारी मांडल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

773. श्री बिहारी लाल पारीक (मांडल) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मांडल विकास अधिकारी श्री शांतीलाल पाटनी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

शांतीलाल पाटनी, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मांडल के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएँ करने की एक शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच जिलाधीश, भीलवाड़ा से करवाई जा रही है।

तहसील रूपवास के बेरोजगारों को ऋण देना

774. श्री रामप्रसाद (रूपवास) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) तहसील रूपवास में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ?

(2) इन बेरोजगार व्यक्तियों को रूपवास क्षेत्र में छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित करने के लिए क्या सरकार ऋण देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील रूपवास के कुल 1957 बेरोजगार व्यक्ति नियोजन कार्यालय, भरतपुर में पंजीकृत हैं।

(2) तहसील रूपवास में भी राज्य के अन्य भागों के समान ही उद्यमियों द्वारा छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग, बैंकों एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण दिलाने की सुविधा पहिले से ही उपलब्ध है।

बाल रश्मि सोसायटी जयपुर द्वारा संचालित आश्रम स्कूल

776. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित बाल रश्मि सोसायटी द्वारा एक आश्रम स्कूल जयपुर में वर्ष 1973 से चलाया जा रहा है ?

(2) आश्रम स्कूल स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार की क्या शर्तें हैं ? क्या यह स्कूल उन सभी शर्तों की पूर्ति करता है ?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(4) राज्य सरकार द्वारा उक्त स्कूल के लिये क्या-क्या सुविधायें व सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1972–73

(2) आश्रम स्कूल स्वीकृत करने की शर्तें प्रपत्र "क" में सदन के पटल पर रख दी गई हैं। जांच जारी की जा रही है।

(3) उक्त स्कूल के लिये जिस आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है वह प्रपत्र "ख" में सदन के पटल पर रख दी गई है। सहायता मान्य व्यय का 90% दी जाती है।

(शर्तों के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

रायपुर मारवाड़ जिला पाली में स्कूल के लिये सामान की खरीद

777. **श्री सुखलाल सेंणचा** (रायपुर) : **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जेतारण) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रायपुर–मारवाड़ जिला पाली में स्कूलों के लिये सामान की खरीद के झूठे बिल बनाकर (दरियां खरीद) भूतपूर्व शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं प्रधान ने मिलकर घोटाला किया है ?

(2) क्या शिक्षक संघ, रायपुर ने जिलाधीश पाली को इस बारे में शिकायत प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो कृपया प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश पाली ने उक्त सम्बन्ध का रेकार्ड सीज किया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नही।

(3) जी नहीं। कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कस्बा नोखा में हरिजन श्री नन्दराम की खातेदारी भूमि का विक्रय

982. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर के कस्बा नोखा में श्री नन्द राम पुत्र जैसाराम हरिजन के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित है खातेदारी खेत खसरा नं. 145 तादादी 361/2 बीघा कृषि भूमि में से कितने बीघा भूमि किन-किन सवर्ण व्यक्तियों को विक्रय की गई है ? सूची मय नाम, पता व दिनांक सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त हरिजन नन्दराम की खातेदारी कृषि भूमि सवर्ण जाति के लोगों द्वारा किन नियमों के अन्तर्गत खरीद की गई है ?

(3) क्या सही है कि उक्त हरिजन नन्दराम की खातेदारी भूमि के विक्रय

(श्री देवीसिंह भाटी)
का पंजीयन हो गया है ? क्या यह पंजीयन नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) श्री नन्दराम पुत्र जैसाराम नायक निवासी बोछासर को भूमि ख. नं. 145 तादादी 37 बीघा 12 बिस्वा में से 16 बिस्वा श्री किशन राठी नोखा के नाम दिनांक 5–6–78 को लघु उद्योग स्थापना हेतु लीज पर पंजीबद्ध होकर विक्रय की गई है ।

(2) खरीद नियम होने के कारण राज. काश्त, अधिनियम 1955 की धारा 175 की कार्यवाही जेरकार है।

(3) जी हां, । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है।

ग्राम पीपल्दा खुर्द के श्री धूलीलाल की सीलिंग भूमि का प्रकरण

983. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बांरा) : **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि शासन सचिव राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 3 नवम्बर 1981, केस नम्बर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 5281 पालसिंह बनाम स्टेट के आधार पर कोटा जिले की तहसील पीपल्दा के ग्राम पीपल्दा खुर्द के किसान धूलीलाल आत्मज कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण की सीलिंग प्रकरण रिओपन करने की कार्यवाही को समाप्त कर दिया ?

(2) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार के सिलिंग प्रकरण में रिओपन करने के एक अन्य मामले केस नम्बर 2827/79 सरकार बनाम हीरा, मोहन जाति धाकड़ दिनांक 22–2–83 के निर्णय में राजस्व सचिव ने राजस्थान उच्च न्यायलय के उक्त निर्णय को न मानते हुए प्रकरण रिओपन कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां यह सच है, कि धूलीलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल धाकड़ निवासी पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा का सीलिंग प्रकरण पालसिंह बनाम स्टेट जो आर. आर. डी. 1982 के पृष्ठ 55 पर उद्धृत है, के आधार पर प्रकरण को रिओपन किए जाने की कार्यवाही समाप्त कर दी गई ।

(2) हां यह सच है कि सरकार बनाम हीरा, मोहन जाति धाकड़ का सीलिंग प्रकरण दिनांक 22·2·83 को रिओपन कर दिया है । इस प्रकरण में तथ्य यह हैं कि श्री हीरा व मोहन के प्रकरण में विद्वान अभिभावक श्री जगदीश मन्दवाना ने दिनांक 21·2·82 को जो जवाब प्रस्तुत किया है इसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय सरकार बनाम पालसिंह द्वारा अपने जवाब अथवा किस स्थान को पुष्टि में प्रस्तुत किया है, इसका जिक्र नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त इस विद्वान अभिवाषक ने दिनांक 15·5·82 को जो बहस की हैं उसमें यह अंकित करवाया है कि

(श्री राजस्व मंत्री)

"Case was not pending in 1. 1. 73. Hence no proceedings can be initiate under the old Act Feb, 82 WL NUC Feb issue justice G. M. Loodha.

इसके पश्चात् दिनांक 22-5-82 को विभाग में एक प्रार्थना पत्र डाक द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें वकील अप्रार्थी ने यह निवेदन किया है कि वहस के दौरान उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया था जिसकी फोटो प्रति (आर. आर. डी 1982 पृष्ठ 55) प्रार्थना पत्र के साथ भेजी जा रही है इस प्रकार वकील अप्रार्थी ने वहस के दौरान जो नजीर उद्धत कारवाई वह माननीय न्यायमूर्ति राज. उच्च न्यायालय श्री जी. एम. लोढ़ा की हैं और दिनांक 22-5-82 को प्राप्त हुए पत्र के साथ जो नजीर भिजवाई वह माननीय न्यायमूर्ति रा. उ. श्री डी. पी. गुप्ता की हैं। चूंकि दोनों नजीरे पेश करके विद्वान अभिभाषक किस स्थिति को स्पष्ट करना चाहते थे यह स्पष्ट नहीं हो सका ये दोनों नजीरें परस्पर विरोधाभाषी हैं और जबकि ऐसी परिस्थिति में प्रकरण की स्थिति अस्पष्ट होने से पूर्व रिओपन कर अतिरिक्त जिलाधीश कोटा को पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर पुनः जांच करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया था। यह विधि मान्य हैं कि रिओपनिंग कार्यवाही के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय परिवर्तित नहीं होता है जब तक कि सक्षम न्यायालय का अन्य निर्णय न हो जाए।

इसके अतिरिक्त यदि इस मामले में यह समझा जाता है कि रिओपन की इस कार्यवाही से ही संबंधित काश्तकार के विरुद्ध कोई अन्तिम निर्णय पारित हो गया है ऐसा बिल्कुल नहीं हैं क्योंकि अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा पुनः जांच करते समय काश्तकार की सुनवाई व उनका पक्ष प्रकरण का अवसर दिया जाता है जहाँ वह स्पष्ट रूप से उनके हक में पक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण की स्थिति को अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी इस बात के लिए भी वाध्य नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा रिओपन निर्देश के विन्दुओं के अतिरिक्त वह प्रकरण से संबंधित अन्य मुद्दों के पक्ष को नहीं सुने वल्कि पूर्व परीक्षण पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी (अतिरिक्त जिलाधीश) इस वारे में पक्षकारों की पूरी सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय दें।

सीकर के बंजड़ जोहड़ों को जिलाधीश द्वारा चारागाह भूमि में परिवर्तन

984. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के बंजड़ जोहड़ों को जिलाधीश सीकर ने अपने आदेश से चारागाह में बदलकर पंचायतों को सौंप दिया था? यदि हां, तो कब? कृपया चारागाहों की सूची मय पंचायत के नाम एवं खसरा नम्बर सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आदेश में से कुछ गांवों के जोहड़ा नम्बर एवं ग्राम पंचायत का नाम तथा खसरा नम्बर गायब कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब तथा किस किस गांव के?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति पिपराली ग्राम हर्ष की पंचायत के एक जोहड़े का आदेश भी गायब है और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस आदेश के अभाव में कुछ लोग इस जोहड़े पर कब्जा कर रहे हैं ?

(4) यदि हां, तो जिला प्रशासन इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ, राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 4 (132) राजस्व/ख/62 दिनांक 5·2·65 के द्वारा जिलाधीश सीकर ने अपने सारे जिले में प्रत्येक गांव में चारागाह घोषित करने के आदेश दिनांक 10.2.65 को जारी किये थे। प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3 व 4) पंचायत समिति पीपराली के ग्राम हर्ष के जोहड़े को चारागाह में परिवर्तित करने के आदेश जिलाधीश द्वारा प्रसारित नहीं किये गये। अतः ऐसी स्थिति में आदेश गायब करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। जोहड़ पर नाजायज कब्जा करने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है। अलबत्ता पंचायत समिति पीपराली ग्राम हर्ष में जोहड़ को चारागाह में परिवर्तित करने का फाइनल आदेश तहसीलदार ने अपने स्तर पर दिया जिनको यह आदेश देने का अधिकार नहीं था इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधीश को आदेश दिये गये हैं। अतिक्रमण की रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

गनेशपुरा के अनु. जनजाति के व्यक्ति को भू–आवंटन

985. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री बैजनाथ पुत्र पन्नालाल भील निवासी गणेशपुरा तहसील पीपल्दा को ख. न. 649 की 2 बीघा कुछ बिस्वा जमीन एलाट हुई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त जमीन पर उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का कब्जा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उक्त जमीन का कब्जा दिलाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को उक्त जमीन पर कब्जा दिया जा चुका है।

सीमेन्ट वर्क्स ब्यापार का निर्माणाधीन भवन

986. **श्री छीतर लाल आर्य** (अटरू) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्री सीमेन्ट वर्क्स ब्यावर जिला

(श्री छीतरलाल आर्य)

अजमेर के निर्माणधीन भवन, आवासीय कालोनी, वाउन्ड्री, सड़कों आदि के निर्माण कार्यों में प्रयोग लाई जा रही है खनिज सामग्री पर अब तक विभाग को कितनी कितनी रायल्टी कब कब प्राप्त हुई है ? कृपया माहवरी विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस सीमेन्ट फैक्ट्री से रायल्टी की वसूली हेतु विभाग की ओर से कोई नोटिस भी जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कब कब कितनी कितनी राशि वसूली हेतु और उनकी अनुपालना में कितनी वसूली की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) सर्वश्री सीमेन्ट वर्क्स, प्रा० लि० ब्यावर जिला अजमेर द्वारा निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से व कुछ स्वयं के स्तर से कराया जा रहा है जिसमें प्रयोग में लाई जा रही खनिज सामग्री पर विभाग को रुपये 1,2?,597.50 रायल्टी प्राप्त हुई है । विस्तृत सूचना परिशिष्ट "क" व "ख" के अनुसार है ।

(2) सर्व श्री सीमेन्ट वर्क्स प्रा० लि० ब्यावर जिला अजमेर द्वारा स्वतः ही उपयोग में आने वाले खनिज मात्राओं की अग्रिम रायल्टी जमा करा कर समय-समय पर परमिट प्राप्त करते रहने के कारण कभी रायल्टी की वसूली हेतु नोटिस देने की आवश्यकता नहीं हुई है । परन्तु उनके द्वारा समय-समय पर जो अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये गये उसका रेकार्ड देखने पर जो कमियां पाई गई हैं उसकी पूर्ति 10 गुना रायल्टी राशि में किये जाने तथा राशि 10260/–रुपया जमा कराने हेतु सहायक खनिज अभियन्ता, सोजत द्वारा पत्र क्रमांक 539 दिनांक 27–1–84 को लिखा गया है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

नीम-का थाना में अनियमित रूप से हथियाये खनन पट्टे

987. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1978 व 1979 में तहसील नीम-का-थाना के कोई खनिज के पट्टा धारियों को राज्य सरकार ने अनियमित रूप से हथियाये खनन पट्टों को निरस्त करने के नोटिस जारी किये थे ?

(2) यदि हां, तो किन-किन को उक्त नोटिस जारी किये गये थे और नोटिस देने के बाद अब तक उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) खनन पट्टे राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा ही जारी किये जाते हैं, अतः किसी

(श्री खनिज मंत्री)

पट्टाधारी द्वारा पट्टा हथियाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बांसवाड़ा के ग्राम सल्लोपाट के निकट राकफास्फेट के भण्डार

988. श्री चुन्नी लाल (खण्डार) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में सल्लोपाट गांव के निकट किये गये विस्तृत अध्ययन से रॉक फास्फेट के विशाल भण्डारों का पता लगा है ?

(2) यदि हां, तो यह पता कब लगा और इस सर्वेक्षण के आधार पर यहाँ पर कितने-कितने रॉक फास्फेट का भण्डार अनुमानित है व कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने रॉक फास्फेट के वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं आर्थिक हितों के आधार पर कोई योजना तैयार कर इन भण्डारों के दोहन का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

(2) इस क्षेत्र का प्राथमिक सर्वेक्षण भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1969–70 तथा वर्ष 1974–75 में किया गया था, जिसके अनुसार लगभग 25900 मी.ट. निम्न श्रेणी के भण्डार होना अनुमानित किया गया था। सन् 1982 से इस क्षेत्र में पूर्वेक्षण व खनन का कार्य राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। अब तक हुए पिटिंग, ट्रेंचिंग व ड्रिलिंग कार्य के परिणामों के अनुसार लगभग 10,000 मी. ट. के निम्न श्रेणी के भण्डार का पता चल सका है, जो एक बड़ी मात्रा नहीं है। यह क्षेत्र कई लेन्सेज (Lense) में लगभग 1.2 कि. मी. लम्बे तथा 120–280 मीटर चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इन फोसफेटस के क्षेत्रों के बीच में डोलोमाइट है।

(3) इस तथ्य के आधार पर निगम के अधीन निकट भविष्य में इन भण्डारों पर आधारित उद्योग लगाने की कोई योजना नहीं है। वर्तमान में यहां उत्पादित खनिजों का निगम द्वारा विपणन किया जाता है। भविष्य में गन्वेषण के परिणाम के आधार पर बड़े भण्डारों की जानकारी प्राप्त होने पर ही राक फास्फेट पर आधारित उद्योग लगाने की योजना बनाई जा सकती है।

एस. डी. एम. सवाई माधोपुर द्वारा निपटाये गये मामले

990. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान एस. डी. एम. सवाई माधोपुर द्वारा चार्ज लेने के बाद फरवरी, 84 तक कितने मामले निपटाये गये हैं ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि एस. डी. एम. के खिलाफ बार एसोसियेशन सवाई माधोपुर द्वारा निन्दा प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा गया था ? यदि हां, तो प्रस्ताव में एस. डी. एम. के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) 103 राजस्व एवं 94 फौजदारी मामले निपटाये गये ।

(2) जी हाँ । आरोप सही नहीं पाये गये। इसलिये कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

मेहन्दवास में नदी भूमि के अलाटमेंट की उद्घोषणा

991. **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेहन्दवास (पं. स. टौंक) में नदी भूमि के अलाटमेंट हेतु कब उद्घोषणा जारी की गई थी और अलाटमेन्ट हेतु कौनसी तारीख निश्चित हुई थी ? उद्घोषणा की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पंचायतों के चुनाव नजदीक होने के कारण भूमि का अलाटमेंट नहीं किया गया एवं काश्तकारों को यह कह दिया गया कि जो पहले से काश्त करते आ रहे हैं वो काश्त करते रहें ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का आवंटन आज तक भी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्तियों से भारी पेनेल्टी लगाकर वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन से कितनी-कितनी राशि पेनेल्टी की वसूली की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) तहसील टौंक की पंचायत मेहन्दवास की नदी भूमि के अस्थाई आवंटन हेतु उद्घोषणा दिनांक 24–10–81 एवं 4–10–82 को जारी की गई थी । (प्रति संलग्न है)

(2) ग्राम पंचायत मेंहदवास में नदी भूमि अस्थाई आवंटन हेतु दिनांक 19–11–81 निर्धारित की गई थी । उपखण्ड अधिकारी, टौंक द्वारा दिनांक 22–11–81 की पंचायत चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण पेटा काश्त आवंटन के शेष रहे सभी प्रार्थना पत्रों के लिए निर्धारित कार्यक्रम स्थगित किये गये । काश्तकारों को यह नहीं कहा गया कि जो पहले से काश्त करते आ रहे हैं, वो काश्त करते रहें ।

(3) ग्राम मेंहदवास में नदी पेटा काश्त भूमि का अस्थाई आवंटन दिनांक 14–10–82 को किया गया था ।

(राजस्व मंत्री)

(4) संवत 2038 में 53 काश्तकारों द्वारा पेटा नदी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। इन अतिक्रमियों पर मात्र दो गुना पेनेल्टी कायम की गई है। सूची संलग्न है।

(उद्घोषणा व सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राज्य में वित्तीय वर्ष 1983-84 में निर्धारित विद्युत् लक्ष्य

992. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

राज्य में वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये कितने गांवों में बिजली पहुंचाने व कितने कुओं पर पम्प सैटों को बिजली देने का लक्ष्य था एवं अब तक कितने लक्ष्य की पूर्ति की जा चुकी है? कृपया जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1983-84 के लिये 1155 गांवों में बिजली पहुँचाने तथा 11000 कृषि कुओं का ऊर्जीकरण करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 1284 गांवों का विद्युतीकरण तथा 12691 कृषि कुओं का ऊर्जीकरण किया जा चुका है। जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

टौंक से झराना तक विद्युतलाइन

993. श्री महावीर प्रसाद (टौंक): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि टौंक से झराना एक विद्युत् लाइन खींची जावेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण की दो स्कीमें स्वीकृत हुई हैं उनमें अत्यधिक पानी के स्त्रोतों वाले बनास एवं सोहदरा नदी के बीच पड़ने वाले गलोद, डोडवाडी और पासरोटिया ग्राम पंचायतों के गांवों को स्वीकृत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और इनकी स्वीकृति नहीं होने का क्या कारण एवं औचित्य है?

(3) क्या सरकार उक्त पंचायतों के अधिक जल क्षमता वाले ग्रामों का विद्युतीकरण करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक और इनके विद्युतीकरण पर कितनी राशि व्यय होगी?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति टौंक--पार्ट प्रथम योजना के अन्तर्गत टौंक से झारना तक 33 के०वी० की लाइन का निर्माण प्रस्तावित है।

(2) जी हाँ। पंचायत समिति टौंक की दो स्वीकृत योजनाओं में पंचायत समिति के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। चूँकि ग्राम गलोद, ग्राम डोडवाडी, ग्राम पासरोडिया पंचायत समिति के पश्चिम क्षेत्र में स्थित हैं अतः इनको स्वीकृत योजनाओं में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति टौंक की अभी कोई और योजना विचाराधीन

(ऊर्जा मंत्री)

नहीं है। अतः उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण पर अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

राज. राज्य विद्युत् मण्डल, जयपुर में चोरी हुई कूलर मोटरें

994. श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर जिला सर्किल में कुछ कूलर की मोटरें चोरी चली गई थीं ? यदि हां, तो कब व कितनी ?

(2) क्या इन मोटरों की चोरियों के सम्बन्ध में लेखाधिकारी, जयपुर जिला सर्किल के द्वारा पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई विभागीय जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस संबंध में दोषी पाये गये कर्मचारी या अधिकारी को कोई दण्ड दिया गया है ? यदि नहीं, तो और अब उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, माह मई, 1983 में एक कूलर की मोटर चोरी चली गई थी।

(2) लेखाधिकारी (जयपुर जिला वृत) जयपुर द्वारा इस बारे में पुलिस में कोई प्रथम सूचना दर्ज नहीं करवाई गई। प्रथम सूचना दर्ज नहीं कराये जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, विद्युत विभाग के सतर्कता अनुभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई थी। चूँकि इस प्रारम्भिक जांच के अनुसार दोषी पाये गये अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है अतः इस समय इस प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

(4) दोषी पाये गये अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। दोनों कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं व लेखाधिकारी को आरोप पत्र जारी किया जा रहा है।

वर्ष 1984–85 में संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय खोलने की सरकार की योजना

995. श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार को आगामी वर्ष 1984–85 में संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री व आचार्य विद्यालय खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कितने-कितने ?

(2) क्या प्रदेश में ऐसे जिले भी हैं जिनमें एक भी संस्कृत विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो कौन कौन से, और उनमें संस्कृत

(श्री शिवराम शर्मा)

शिक्षा प्रसार की वर्ष 1984–85 की क्या योजना है ?

(3) क्या यह भी सही है कि संस्कृत शिक्षा के प्रचार में अब तक क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया ? यदि हां, तो इसको मिटाने तथा संस्कृत शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में यह सुविधा कैसे कैसे और कब तक उपलब्ध कराई जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । वित्तीय साधनों की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय मांग को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत शिक्षा में भी विभिन्न स्तरों के विद्यालय खोलने व क्रमोन्नत करने का विचार है परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि किस-किस स्तर के कितने-कितने विद्यालय खोले जायेंगे ।

(2) जी हां । पाली जिले में एक भी संस्कृत विद्यालय नहीं है । वर्ष 1984–85 में नये स्कूल खोलते समय इस जिले की आवश्यकताओं पर विचार किया जावेगा।

(3) जी नहीं । उपलब्ध सीमित साधनों संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत भी गत वर्षों में स्कूल खोले जाकर क्षेत्रीय आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है एवं वर्ष 1984–85 में भी संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत स्कूल खोलने व क्रमोन्नत करते समय स्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विचार किया जावेगा ।

केन्द्र द्वारा प्रदेश में निर्धारित पाठ्य-पुस्तक एवं कापियों के लिये उपलब्ध कागज

996. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1982–83 व 1983–84 में केन्द्र द्वारा प्रदेश में निर्धारित पाठय पुस्तक एवं कापियों के लिए कितनी मात्रा में कागज उपलब्ध कराया गया है ?

(2) उक्त अवधि में कितनी मात्रा की राज्य सरकार द्वारा मांग की गई और कितनी मात्रा में केन्द्र ने कागज भेजा ? यदि कम भेजा गया, तो क्यों ? कृपया सरकार द्वारा की गई मांग व केन्द्र द्वारा उपलब्ध प्रमात्रा का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1982–83 एवं 83–84 में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कागज का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	वर्ष	मद	आवंटन कागज की तादाद (टनों में)	वास्तविक सप्लाई (टनों में)
1.	1982–83	पाठ्यपुस्तक	510	510
		अभ्यास पुस्तिकाएँ (कापियां)	800	–
				–

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4	5
2.	1983–84	पाठ्यपुस्तक	2431	1941
		अभ्यास पुस्तिकायें (कापियां)	2133	1267

(2) वर्ष 1982–83 एवं 83–84 में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित मांग व केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित कागज का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित किया जा रहा है :—

क्र. सं.	वर्ष	मद (टनों में)	मांग (टनों में)	आवंटन (टनों में)	वास्तविक सप्लाई (टनों में)
1	2	3	4	5	6
1.	1982–83	पाठ्यपुस्तक	4266	518	518
		अभ्यास पुस्तिकायें	6553	888	—
		परीक्षा उत्तर पुस्तिकायें	696	88	—
		निजी प्रकाशक	523	35	—
		प्रौढ़ शिक्षा	302	15	—
		योग	12348	1448	518
1	2	3	4	5	6
2.	1983–84	पाठ्यपुस्तक	4400	2431	1941
		अभ्यास पुस्तिकायें	6750	2133	1267
		परीक्षा उत्तर-पुस्तिकायें	750	195	80
		निजी प्रकाशक	500	—	—
		प्रौढ़ शिक्षा	300	28	20
		योग	12700	4779	3308

(2) केन्द्र द्वारा कागज की सप्लाई कम करने के निम्नलिखित कारण रहे :—

1. भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र हेतु रियायती दर का कागज आवंटन प्रान्त की छात्र संख्या व कागज की उपलब्धी के आधार पर किया जाता है। कम आवंटन का मुख्य कारण कागज की कमी है।

2. आवंटन के पेटे कागज कम प्राप्त होने के कारण रियायती दर के कागज की दर बाबत मिलों द्वारा विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त स्थगन आदेश तथा दिनांक 11–4–83 की दर बाबत लिये गये निर्णय में पुरानी सप्लाई हेतु मिलों का बाध्य न होना रहा है।

(शिक्षा मंत्री)

अतिरिक्त अन्य कारणों में मिलों में ताला-बन्दी तथा नयी मिलों जैसे रोहित, रोहतास, शेषानाई पर पेपर कन्ट्रोल आर्डर प्रभावशील न होना, कागज का उत्पादन उपलब्ध कच्चे माल से आई. एस. आई. मापदण्ड का सम्भव न होने, भारत सरकार द्वारा सफेद मुद्रण कागज की सप्लाई से मुक्ति हेतु अभ्यावेदन पर निर्णय न होने तक सप्लाई से इन्कार कर देना रहा है। भारत सरकार को समय-समय पर सूचित करने के उपरान्त भी प्रकरणों पर निर्णय विचाराधीन है।

राज. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा विषय नामिका समितियों का गठन

998. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों के चयन हेतु विषय नामिका समितियों का गठन किया हुआ है? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1982 से अब तक इन समितियों की बैठक कब हुई।

(2) अकादमी ने 1 जनवरी, 1982 से अब तक कितनी पुस्तकें किस-किस विषय की छपाई हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन पुस्तकों के लिए विषय नामिका समितियों की सिफारिश आवश्यक है? यदि हां, तो क्या इन पुस्तकों के लिए विषय नामिका समितियों ने सिफारिश की है?

उत्तर

(1) अकादमी की शाषी परिषद के नियमानुसार विषय नामिका समितियों का का गठन तीन वर्ष के लिये किया गया था। जिनका कार्यकाल मार्च, 1982 में समाप्त हो जाने के कारण आगे बैठक करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) विषय नामिकाओं के अभाव में वर्ष 1982 एवं 1983 में प्रकाशित पुस्तकों के प्रकाशन से सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों द्वारा उनकी उपयोगिता एवं आवश्यकता सम्बन्धी सिफारिश से करायी गयी है। (सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

वर्ष 1983–84 में राजस्थान में प्रधानाचार्य के कुल रिक्त पद

999. श्री देवेन्द्र कुमार मीना (सराडा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1983–84 में राजस्थान में प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल कितने पद रिक्त हुए? क्या इन रिक्त पदों की विभाग द्वारा पूर्ति कर दी गई? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति के आशार्थियों को भी पदोन्नत किया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्ष 1983–84 में राजस्थान में प्रधा-

(शिक्षा मंत्री)

नाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष पदों की कुल 11 रिक्तियां आंकी गई थीं। इन पदों पर नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी आशार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया क्योंकि नियमानुसार चयन के लिए बनाये गये पात्रता क्षेत्र में, जो रिक्तियों का पांच गुणा होता है कोई भी आशार्थी अनुसूचित जाति जनजाति का उपलब्ध नहीं था।

संस्कृत विभाग के एस. टी. सी. स्कूल का वेतनमान

1000. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या संस्कृत विभाग के एस. टी. सी. स्कूल के प्राचार्य का वेतनमान स्केल नं. 21 का है तथा प्रिंसिपल डिग्री कालेज तथा प्रोफेसर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज का वेतनमान उससे तीन या दो स्टेज नीचे क्रमश: 18 और 19 का है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विसंगति दूर करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसमें कोई विसंगति नहीं है। एस. टी. सी. के प्राचार्य व प्रिंसिपल डिग्री कालेज तथा प्रोफेसर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज का कार्यक्षेत्र एवं योग्यता आदि भिन्न-भिन्न है।

टोंक जिले के विद्यालयों में भवन की कमी

1001. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के कौन-कौन से कहां-कहां पर ऐसे विद्यालय हैं जिनमें भवन की कमी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन विद्यालयों में भवन की कमी को दूर करने हेतु क्या और कब-कब प्रयास किये गये ?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवनों की कमी को दूर करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कैसे और कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य जन सहयोग द्वारा ही किया जाना है। जन सयोग प्राप्त होने पर ही कमी को दूर किया जाना सम्भव है।

(3) खण्ड दो के अनुसार।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम उदयपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

1003. **श्री गुलाबचन्द (कटारिया** (उदयपुर) : **श्री बालचन्द आर्य** (डग) : **श्री अनंग कुमार जैन** : (झालरापाटन) क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम उदयपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पत्र स्थानीय जनता से प्राप्त हुये हैं ?

(2) क्या सरकार को निगम द्वारा 7-11-82 को महुआ विक्रय, ग्राहकों की वाडियां बनवाने, मछली पकड़ाई, लेम्पस में गबन घोटाले, अनाज क्रय, नियुक्तियां आदि में की गई अनियमितताओं का ब्यौरा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार का उक्त अनियमितताओं में लिप्त कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कोर्ट में चालान प्रस्तुत करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जनवरी, 84 में एक जन सेवक का गुमनाम आरोप-पत्र प्राप्त हुआ।

(2) जी नहीं।

(3) 7–11–82 के अनुसार कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों को आवंटित धनराशि

1004. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों की आर्थिक दशा सुधारने के निमित्त उनके खाते की जमीन को विकसित करने के लिये धनराशि का आवंटन किया जाता है ?

(2) वर्ष 1980–81 से 1983–84 तक इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गई और जिलेवार कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) यदि उक्त आवंटन नहीं किया गया तो राज्य सरकार आदिवासी कृषकों को अपनी जमीन विकसित करने के लिये राशि आवंटन का प्रावधान वर्ष 1984-85 में करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वृहद्, माध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से तथा कृषि, सहकारिता आदि विभागों के माध्यम से ही आदिवासी खातेदारों की जमीन की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

केन्द्र सरकार की समन्वित बाल विकास योजनायें

1005. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सरकार की समन्वित बाल विकास योजनाएं राजस्थान में वर्तमान में कितने ब्लोकस में चलाई जा रही हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इन योजनाओं को और अधिक व्यापक बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किन-किन ब्लोक्स में ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम अजमेर द्वारा निर्मित दुकानें

1007. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि. द्वारा अजमेर नगर न्यास से बनवाई गई 50 दुकानों को आवंटन करने हेतु तत्सम्बन्धी अतिरिक्त जिलाधीश अजमेर द्वारा नियमानुसार 75 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की सूची सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कृपया यह सूची, नाम, पिता का नाम, जाति, आयु, व्यवसाय, निवास मोहल्ला एवं आय के सम्पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इन नामों का चयन किस प्रक्रिया से किसके द्वारा कब किया गया ? कृपया पत्र संख्या 4510–36 दिनांक 26–10–83 की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ठ 'क' में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन नामों का चयन नगर परिषद अजमेर द्वारा प्रशासन शहरों की ओर अभियान के दौरान मजमें आम में किया गया। पत्र संख्या 4510–36 दिनांक 26–10–83 की प्रति परिशिष्ठ "ख" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

नायब तहसील इन्द्रगढ़ में अ.जा./जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास

1008. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ में अनुसूचित जाति व जन-जाति

(श्री हीरालाल आर्य)

के छात्रों के लिए कोई छात्रावास नहीं है ? क्या यह भी सही है कि इस हेतु राज्य सरकार से समय-समय पर मांग की जाती रही है ?

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र में छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । नायब तहसील में छात्रावास नहीं है । केवल अध्यक्ष, नगर पालिका इन्द्रगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 3567 दिनांक 26/10/83 द्वारा एक छात्रावास खोलने के लिये पत्र लिखा था ।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है ।

हिन्डौन पं. स. क्षेत्र के व्यक्तियों को पेन्शन

1009. श्री भरोसी लाल (हिन्डौन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हिन्डौन पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितने व्यक्तियों को अपाहिज, वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन मिल रही है ?

(2) क्या यह शिकायत है कि उक्त पेंशन प्राप्त करने वालों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच की गई ? जांच के फलस्वरूप कौन दोषी पाया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) तहसीलदार, हिण्डौन की सूचना के अनुसार हिण्डौन पंचायत समिति क्षेत्र के 671 व्यक्तियों को वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन तथा 56 व्यक्तियों को अपाहिज पेंशन दी जा रही है ।

(2) जी नहीं ।

किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल रेस्ट हाउस सोसायटी, अजमेर द्वारा होस्टल बनाने की योजना

1010. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल रेस्ट हाउस सोसाइटी, अजमेर द्वारा 1971-72 में केन्द्र सरकार की कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल बनाने की योजना के तहत निर्मित होस्टल में कुल कितने कमरे हैं ?

(2) इस भवन को भारतीय बाल कल्याण परिषद् को कब कितने रुपये माहवार किराये पर दिया गया यह किराया कौन वसूल करता है तथा किराये की राशि का क्या उपयोग किया जाता है ?

(3) भारतीय बाल कल्याण परिषद् को कौन चलाता है और इसके संचालक मण्डल में कौन-कौन हैं ?

उत्तर

(1) किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल रेस्ट हाऊस सोसायटी, अजमेर द्वारा निर्मित कामकाजी महिलाओं के छात्रावास भवन में 8 कमरे हैं।

(2) इस भवन को भारतीय कल्याण परिषद अजमेर शाखा को 7–9–81 से 500/–रुपये माहवार किराये पर दिया गया। किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल रेस्ट हाऊस सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। यह राशि सेनेटरी उपकरण, विद्युत उपकरण विद्युत एवं पानी के बिल के भुगतान के उपयोग में ली गई।

(3) भारतीय बाल कल्याण परिषद अजमेर शाखा के संचालक मण्डल में (i) श्री सत्य प्रसन्न सिंह भण्डारी अध्यक्ष एवं (ii) स्वर्गीय श्री कृष्ण गोपाल गर्ग सचिव थे।

कम्पीटीशन स्कीम केशोपुरा कोटा का निर्माणाधीन भवन

1011. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा स्थित राजस्थान आवासन मण्डल डिवीजन सैकिन्ड में कम्पीटीशन स्कीम केशोपुरा कोटा के भवन निर्माण हेतु क्या लिमेंट (हाइड्रोलिक लाइम वाइन्डर) के लिए विभाग ने टेंडर आमंत्रित किये थे ?

(2) यदि हां, तो किन-किन पार्टियों के टेंडर प्राप्त हुये ? कृपया नाम सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या प्राप्त टेंडरों में से किसी पार्टी को लिमेंट सप्लाई करने के टेंडर दिए गए ? यदि हां, तो किनको ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विवरण तालिका "अ" पर संलग्न है।

(3) किसी को नहीं दिये गये क्योंकि लिमेंट की सप्लाई मापदण्ड के अनुसार नहीं थी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

आवासन मण्डल कोटा द्वारा निर्मित लिमेंट की पहली खेप

1012. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आवासन मण्डल के कोटा स्थित संभाग द्वारा निर्मित लिमेंट की पहली खेप किस तारीख को तैयार हुई वह कब गोदाम पर पहुंची ?

(2) लिमेंट निर्माण हेतु रा-मेटिरियल चूना, जिप्सम, चाइना क्ले कब-कब किस-किस तारीखों में खरीदा गया ?

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(3) निर्माण कार्य आरम्भ होने के पश्चात् अब तक कुल कितना सिमेंट निर्मित किया गया ? वजन व बैग्स की संख्या सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(4) यह सिमेंट विभाग को किस भाव पड़ा ?

(5) क्या यह सही है कि यह सिमेंट बाजार में प्राप्त सिमेंट से महंगा पड़ा ?

उत्तर

(1) 15–7–82 को ही तैयार होकर गोदाम पर पहुँची।

(2) तालिका "अ" संलग्न है। चाइना क्ले नहीं खरीदी गई। प्रोजालाना खरीदी गई।

(3) कुल वजन 1771.475 एम.टी. 44936 बोरियों में भरा गया।

(4) विभाग को सिमेन्ट 340/-प्रति टन के भाव पड़ा।

(5) जी नहीं। स्टेण्डर्ड सिमेन्ट बाजार में 17/- प्रति बोरी 38.7 किलो के हिसाब थी, जबकि मण्डल द्वारा निर्मित रुपये 12.15 प्रति बोरी के हिसाब से पड़ी।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राज. राज्य पथ परिवहन निगम के परिचालकों का निलम्बन

1013. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत परिचालकों में से गत दो वर्षों में किन-किन परिचालकों को निलम्बित किया गया ? वर्ष वार व डिपोवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त परिचालकों को कुछ समय बाद पुनः ड्यूटी पर ले लिया गया ? यदि हां, तो किन-किन लोगों को किन कारणों के आधार पर ?

(3) क्या उक्त निलंबित परिचालकों में से किन्हीं परिचालकों को सेवा मुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कितनों को तथा कितनों की जांच विचाराधीन है ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन निगम में वर्ष 1982 व 1983 में निलम्बित किये गये परिचालकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिन परिचालकों को जांच के दौरान या जांच पश्चात् पुनः बहाल किया गया उनकी सूची परिशिष्ट "अ" के कालम 3 में दर्शा दी गई है। इन परिचालकों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी से प्रतिवेदन के बाद सेवा पृथक करने से छोटा दण्ड दिये जाने की स्थिति में या जांच के दौरान यह पाया जाने पर कि जांच पश्चात्

(परिवहन मंत्री)

इनको सेवा पृथक करने जैसा दण्ड मिलने क संभावना नहीं है, बहाल कर पुनः सेवा का अवसर दिया गया था।

(3) जी हां। निलम्बित परिचालकों में से वर्ष 1982 में 701 परिचालकों को व वर्ष 1983 में 252 परिचालकों को सेवा मुक्त किया है तथा वर्ष 1982 में 524 व 1983 में 519 परिचालकों की जांच विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राज. राज्य पथ परिवहन निगम में अ. जा./जनजाति के व्यक्तियों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण

1014. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाता है ?

(2) यदि हां, तो निगम में इन जातियों के कर्मचारियों की संख्या नगण्य होने के क्या कारण है ? कृपया (1) अधिकारी वर्ग, (2) लेखा वर्ग, (3) मन्त्रालय वर्ग, (4) यातायात वर्ग एवं (5) तकनीकी वर्ग में कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न होने के कारण इनकी संख्या कम है तथा वर्ष 1981 से निगम में मितव्ययता बरतने के लिए मुख्या/प्रशा/सा०/ग्रुप–6/148/82/106 दिनांक 20–5–82 के द्वारा नियुक्ति/पदोन्नति पर (परिचालक व वाहन चालक के अलावा) प्रतिबन्ध लगा होने के कारण किसी भी पद पर नियुक्ति/पदोन्नति नहीं की गई है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनु० जाति/जनजाति के कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों की वांछित वर्गवार सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

राज. परिवहन निगम अजमेर, जयपुर केन्द्रीय कार्यशालाओं में टूल्स आदि की चोरी

1015. श्री मालाराम (खेतड़ी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले तीन सालों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अजमेर एवं जयपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशालाओं में से टूल्स, माइलोमीटर घड़ियां आदि गायब होने की अनेकों शिकायतें हुई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नियमानुसार इन कार्यशालाओं का भौतिक सत्यापन एवं चैकिंग कराया

(श्री मालाराम)

गया है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 के सत्यापन एवं चैकिंग की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की जयपुर एवं अजमेर स्थित केन्द्रीय कार्यशालाओं में से टूल्स, माईलोमीटर घड़िया गायब होने की गत तीन वर्षों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 22–8–83 को श्री रामेश्वर प्रसाद जांगीड़ बोडी फीटर द्वारा ग्राइन्डर व्हील स्टोनपीस ले जाते हुवे पकड़ा गया जिसकी जांच की जाकर निम्न दण्ड दिया गया है :—निलम्बन काल का वेतन जब्त करते हुवे सेवाभिलेख चेतावनी दी गई।

(2) वर्ष 1982–83 की अवधि के लिये केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर के सभी ग्रुप तथा अजमेर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला के टूल रूम का भौतिक सत्यापन कराया गया जिनके प्रतिवेदनों की प्रतियां संलग्न है।

वर्ष 1983–84 के लिये भौतिक सत्यापन कार्य किया जा रहा है जिनके पूर्ण होने पर ही रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगी।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

ग्राम पं. गुरला (भीलवाड़ा) द्वारा आबादी भूमि को दुकानों के भूखण्डों में आवंटित करना

1016. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा तहसील की गुरला ग्राम पंचायत ने हरसी पिता हजारी गाडरी, नन्दराम पिता मगनीराम माली तथा सचिव ग्राम पंचायत गुरला तथा अन्यों को आ. नं. 239 व 382 बिलानाम भूमि को बिना आबादी में लिये कैसे नियमों के विपरीत आबादी के नाम से दुकानों के भू-खण्ड आवंटित किये ? आवंटन किस-किस तिथि को हुआ ?

(2) उक्त भू-खण्ड आवंटन के बाद किन नियमों के अन्तर्गत भूमि को किस अधिकारी ने आबादी में कनवर्ट किया ? राजस्व विभाग ने 91की कार्यवाही कब की ?

(3) सरपंच ने यदि नियमों की अवहेलना की, तो उसके विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत गुरला द्वारा आराजी नं० 23/382 बिला नाम बिना आबादी में दिनांक 6–2–83 को 15 × 15 फीट नाप के प्रति भूखण्ड 500/ रु० की दर से निम्न प्रकार से विक्रय किये गये हैं :—

(1) श्री नन्दलाल पिता श्री मगनीराम माली नि० गुरला

(श्री पंचायत राज मंत्री)

(2) श्री हरजी पिता हजारी गाडरी नि० गुरला

(3) श्री घीसुलाल पिता श्री जगन्नाथ पासी निवासी गुरला।

(4) श्री भगवती प्रसाद पिता श्री मोहनलाल त्रिपाठी नि० गुरला।

(5) श्री गोविन्दराम पिता श्री मदनलाल सैनी नि० गुरला।

(6) पंचायत के लिये सुरक्षित (मुसाफिरखाना के लिये) सचिव को कोई भू-खण्ड नहीं दिया गया।

(2) उक्त भूखण्ड आंवटन के बाद राजस्व नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार जिलाधीश, भीलवाड़ा के आदेश सं० एफ 12–3 (83/320 दिनांक 29–4–83 के द्वारा आराजी नं०231/382 का रकवा 53 विस्वा आबादी भूमि में नियमन किया गया। तहसील भीलवाड़ा के द्वारा पंचायत गुरला को 91 आर०टी० ए० को नोटिस दिनांक 28–2–83 को दिया गया है।

(3) यह मामला राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन है। अतः सरपंच के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

पं. स. डीडवाना जिला नागौर के प्रधान द्वारा भू.पू. सरपंचों के विरुद्ध बकाया

1017. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना जिला नागौर के प्रधान ने भूतपूर्व सरपंचों के खिलाफ बकाया निकाली है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में किसी प्रकार की बकाया नहीं निकालने के बावजूद उनके मामले पी. डी. आर. में देकर वसूली करवाई जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना ने एक जांच आयोग बैठाया था ? इस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया ? बकाया निकालने का आधार क्या था ? किन-किन सरपंचों के खिलाफ कौन-कौन से कार्य में कितनी-कितनी रकम बकाया निकाली गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आडिट रिपोर्ट के आधार पर बकाया नहीं निकाली गई है, बल्कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्य मूल्यांकन के माप के अनुसार अधिक भुगतान की वसूली की जा रही है।

(3) पंचायत समिति द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष प्रधान को बनाया गया था। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य मूल्यांकन के अनुसार अधिक किये गये भुगतान की राशि बकाया निकाली गई है। जिन-जिन सरपंचों के खिलाफ जिन-जिन कार्यों में राशि बकाया निकाली

(पंचायत राज मंत्री)

गई है, उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

पं. स. सिकराय के विकास अधिकारी द्वारा बुलाई साधारण सभा

1018. श्री रामकिशोर मीना (सिकराय) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी द्वारा प्रधान की पूर्व अनुमति के बगैर दिनांक 23-1-83 को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह सही है कि इस बैठक की सूचना प्रधान तथा स्थानीय विधायक को नहीं दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के भी हस्ताक्षर नहीं हैं ? यदि हां, तो इस बैठक को क्यों नहीं अवैध किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) दिनांक 23-1-83 को पंचायत समिति सिकराय की साधारण सभा की बैठक अवश्य बुलाई गई थी । बैठक प्रधान की अनुमति से बुलाई गई थी या बिना अनुमति के, इस सम्बन्ध में उप-खण्ड अधिकारी, दौसा से जांच करवाई जा रही है ।

(2) इस सम्बन्ध में भी उप-खण्ड अधिकारी, दौसा से जांच करवाई जा रही है ।

(3) यह सही है कि इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले श्री रामसहाय मीना, उप प्रधान के कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर नहीं है । बैठक को अवैध करने के सम्बन्ध में निर्णय उपखण्ड अधिकारी की जांच होने के पश्चात् ही लिया जा सकता है ।

सरपंच आजंदा, पं. स. केशवरायपाटन के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

1019. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच आजंदा पंचायत स. केशवरायपाटन, जिला बून्दी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर जाँच आरम्भ की गई थी ? यदि हाँ, तो कब ?

(2) उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, । सरपंच ग्राम पंचायत आजन्दा के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 29-5-81 से प्रारम्भिक जाँच प्रारम्भ की गई ।

(2) प्रारम्भिक जाँच के आधार पर सरपंच को दिनांक 12-11-82 को आरोप पत्र देकर स्पष्टीकरण माँगा गया । सरपंच ने आरोपों का उत्तर दिनांक 4-12-82

(पंचायतराज -मंत्री)

को प्रस्तुत करते हुये आरोपों का खण्डन किया। तत्पश्चात दिनांक 3-2-83 को उप जिलाधीश बून्दी को विस्तृत जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। अभी विस्तृत जाँच चल रही है। सरपंच के विरुद्ध गम्भीर आरोप होने के कारण दिनांक 5-4-84 को पुलिस थाना कापरेन में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई जिस पर मुकदमा नम्बर 17/84 जुर्म दफा 406,420, आई. पी. सी. दर्ज होकर तफतीस जारी है।

पं. स. केशवरायपाटन जिला बून्दी की ग्राम पंचायतों को अनुदान

1021. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति केशवराय पाटन जिला बून्दी की ग्राम पंचायतों को सन् 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में कितना-कितना अनुदान दिया गया? पंचायत वार सूची सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) क्या ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि खर्च कर दी गई है? यदि हाँ, तो किन-किन कार्यों पर?

उत्तर

(1) पंचायत समिति केशवरायपाटन की ग्राम पंचायतों को वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक दिये गये अनुदान की पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि वर्ष 80-81 से 1982-83 तक की लगभग व्यय की जा चुकी है और वर्ष 1983-84 की अनुदान राशि मार्च, 1984 में प्राप्त होने के कारण 30 जून, 1984 तक व्यय की जा सकेगी। यह राशि जिन कार्यों पर व्यय की गई है, उसका विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

बीकानेर की पं. स. नोखा का वर्ष 1982-83 का आडिट

1024. श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) :

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या पंचायत, राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, नोखा जिला बीकानेर की वर्ष 1982-83 का आडिट हो चुका है? यदि हाँ, तो आडिट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, नोखा के प्रधान व विकास अधिकारी ने बिना किसी टेन्डर के लाखों रुपयों का सामान खरीद लिया है? यदि हाँ, तो बिना टेन्डर लाखों रुपयों के सामान खरीदने के क्या कारण रहे हैं? समिति ने क्या-क्या सामान किस-किस फर्म से कितना-कितना

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)

किन-किन दरों से खरीद किया है ? कृपया आदेश की प्रति मय विवरण सूची व प्राप्ति तिथि सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या समिति ने वर्ष 1982-83 में हड्डी का ठेका किसी बेनामी फर्म को दिया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारी के प्रति कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि समिति ने स्कूलों में देने के लिए सामान खरीदा था ? यदि हां, तो क्या वह सामान स्कूलों में दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, नोखा का वर्ष 1982-83 का ऑडिट अभी हाल ही में हुआ है । ऑडिट रिपोर्ट अभी अंकेक्षण विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। अतः सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है ।

(2) पंचायत समिति, नोखा में कोई भी सामान बिना टेण्डर के किसी भी फर्म से नहीं खरीदा गया ।

(3) वर्ष 1982-83 का हड्डी ठेका पंचायत समिति, नोखा ने किसी भी बेनामी फर्म को नहीं दिया है।

(4) समिति में शालाओं के लिये जो भी सामान खरीदा गया है, वह शालाओं को दे दिया गया है ।

पर्यटक विकास निगम में प्रति-नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को देय पेंशन व अंशदानों का भुगतान

1025. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राजस्थान सरकार के प्रति-नियुक्ति पर रहे समस्त कर्मचारियों के संबंध में देय पेंशन एवं अन्य नियमानुसार अंशदानों का भुगतान राज्य सरकार को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) क्या पर्यटन विभाग की स्थापना से आज तक पर्यटक अधिकारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूचियां बनायी हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें

(3) क्या सरकार पर्यटक अधिकारियों को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत करने का इरादा रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? वर्तमान में कुल कितने सहायक निदेशक के पद रिक्त हैं और अब कितने पर्यटक अधिकारियों को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । मामला विचाराधीन है ।

(2) जी हाँ । विभाग द्वारा वर्ष 1980 में अन्तिम वरिष्ठता सूची बनाई गई थी

(पर्यटन राज्य मन्त्री)

जिसे राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24-9-82 द्वारा निरस्त कर दिया है। अतः सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हाँ। पर्यटक अधिकारियों की पदोन्नति-नियमों के अन्तर्गत नवीन वरिष्ठता सूची के जारी होने पर ही की जा सकेगी। वर्तमान में विभाग में सहायक निदेशक के दो पद रिक्त हैं और अब तक एक पर्यटक अधिकारी को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

ग्राम भोज्याडा के तालाब की खुदाई

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19 मार्च, 1984)

103. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भोज्याड़ा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में एक छोटा तालाव है ?

(2) क्या यह सही है कि इस तालाव की भराई क्षमता बहुत कम है ?

(3) क्या यह सही है कि आज तक इस तालाव की खुदाई नहीं की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि इस तालाव की खुदाई होने पर गांव वालों को और जानवरों को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सकेगा ?

(5) क्या सरकार इस तालाव की खुदाई करवाकर गांव वालों को राहत देने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ।

(3) इस तालाब पर पंचायत समिति द्वारा मरम्मत एवं गहराई हेतु काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत वर्ष 1979-80 में 5100/रु. गेहूँ के रूप में व्यय किये गये हैं।

(4) जी हाँ।

(5) यदि इस तालाब की और खुदाई कराने की आवश्यकता हुई तो राशि उपलब्ध होने पर खुदाई कार्य पूरा कराये जाने का प्रयास किया जावेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) **श्री छीतरलाल आर्य**—केन्द्रीय सहकारी बैंक, सवाई माधोपुर की शाखा चौथ

(श्री अध्यक्ष)

का वरवाड़ा के कार्यवाहक ब्रांच मैनेजर द्वारा 10 हजार रुपये के गबन के विषय में,

(2) **श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया**—पंचायत समिति टोडा भीम तथा नादोती में सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री अकाल राहत कोष के नाम से बिना रसीद लाखों रुपये वसूल करने के विषय में,

(3) **श्री बंशीलाल पटवा**—जिला ट्रेजरी भीलवाड़ा के कार्यालय से कुछ विभागों के बिल अन्य फर्जी व्यक्तियों द्वारा उठा लेने के विषय में,

(4) **सर्व श्री दाऊदयाल जोशी—बालचन्द्र आर्यवीर, हीरालाल आर्य**—राज्य में पिछले कुछ दिनों से अश्लील एवं नग्न फिल्मों के प्रदर्शन के विषय में,

(5) **श्री गोपाल पचरेवाल**—केशवराय पाटन, जिला,-बूंदी में पूर्णसिंचाई न होने पर भी सिंचाई की पूरी दरें वसूल करने के विषय में,

(6) **हाजी चाव खां**—कस्बा पहाड़ी चैक, पोस्ट जिला–भरतपुर, से हरियाणा बोर्डर तक दो किलोमीटर सड़क को ठेका जो अक्टूबर, 83 में पूरा हो जाना चाहिए था अभी तक पूरा न होने के विषय में,

(7) **श्रीमती उजला अरोड़ा**—मुरलीपुरा। विद्याधर नगर स्कीम जयपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिये आवंटित मकानों की कीमत 8 हजार रु० से बढ़ाकर 17 हजार रुपये करने और निर्माण कार्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार न होने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(8) **श्री मेघराज तावड़**—बीमा विभाग से 7 महिला कर्मचारियों का स्थानान्तरण शिक्षा विभाग में करने पर उच्च न्यायालय द्वारा उसे निरस्त कर देने के निर्णय पर सरकार द्वारा अमल न करने की आंशका के विषय में।

यह एक न्यायिक प्रक्रिया का प्रश्न है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(9) **श्री गुलाबचन्द कटारिया**—उदयपुर नगर के महिला मण्डल के छात्रावास में जहर खाने से एक छात्रा की मृत्यु व तीन छात्राओं को बचा लेने के विषय में।

इस विषय में सरकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(10) **श्री हरीश शर्मा**—रामगंज मण्डी एवं लाडपुरा तहसीलों में हैंडपम्प खराब होने के विषय में।

इस विषय में पूर्व में चर्चा हो चुकी है। इस प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही हेतु सरकार को भेजा जा रहा है। अतः इस पर चर्चा की अनुमति नहीं होगी।

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व में प्राप्त कुछ स्थगन प्रस्तावों पर मेरा निर्णय इस प्रकार है :

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा**—खेरथल निवासी ठाकुरदास सिंधी की लड़की को उसके ससुराल वालों द्वारा जयपुर से गायब कर देना।

मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(2) जयपुर नगर परिषद द्वारा पकड़े गये आवारा पशुओं को कसाइयों को बेच देना।

सरकार ने सूचित किया है कि नगर परिषद द्वारा किसी भी कसाई को कोई जानवर नहीं बेचा गया है और नियमानुसार पशुओं को सात दिन से पंद्रह दिन तक नहीं छुड़वाने पर नीलामी की जाती है।

(3) **श्री रामकिशोर मीणा**—पोद्दार स्पिनिंग मिल जयपुर द्वारा बिजली की चोरी

सरकार ने सूचित किया है कि गत 23 फरवरी को चेकिंग के समय मीटर के पावर की सील टूटी हुई पाई गयी, जिसके आधार पर बिजली का कनेक्शन काटा गया किन्तु जांच करने पर चोरी की सम्भावना नहीं पायी गयी और मजदूरों के बेरोजगार होने की आशंका के कारण सक्षम आदेशों द्वारा बिजली का कनेक्शन पुनः चालू किया गया।

(4) **श्री महाराम चौधरी**—नागौर जिले में प्राईवेट बस आपरेटरों द्वारा स्पेशल रोड टैक्स के विरोध में बसें बंद करना।

सरकार ने सूचित किया है यह मामला उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच में विचाराधीन है।

(5) **सर्व श्री हरीश शर्मा, बालचन्द्र, आर्यवीर, गोपाल पचेरवाल**—कोटा स्थित गोदावरी धाम मंदिर के पास गटर का पानी छोड़ने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि गटर का पानी पाइप लाईन से चम्बल तक ले जाने का कार्य प्रगति पर है और आर. ए. सी. के क्षेत्र से आगे ले जाने हेतु वार्ता जारी है।

(6) **श्री छीतरलाल आर्य**—अटरू पंचायत समिति जिला—कोटा के मुख्यालय को खुरी से हटाकर देवाली में ले जाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि यह निर्णय पंचायत समिति द्वारा गत 24 मई को डाकघर, मिडिल स्कूल आदि अन्य समस्त सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है जिनका खुरी में अभाव है, और इस पर पुनर्सीमा निर्धारण समिति की 22 जुलाई 83 की बैठक में पुनः पुष्टि की गयी है।

(7) **श्री हरीश शर्मा, श्री छीतरलाल आर्य श्री हीरालाल आर्य**—बूंदी के खनिज अभियंता द्वारा अनियमित तरीके से एक मंत्री के पुत्र को खनिज लीज देना।

सरकार ने सूचित किया है कि चूँकि

(श्री हरीश शर्मा)

आवेदन ने क्षेत्र लेने हेतु न तो कोई रूचि जाहिर की है न ही औपचारिकताएं पूरी की। अतः स्वीकृति 15 फरवरी को निरस्त कर दी गयी है।

(8) **श्री हरीश शर्मा**—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद करना।

सरकार ने सूचित किया है कि अनुसूचित जन जाति के 5 छात्रों की नवीनीकरण छात्रवृत्ति जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गयी है और शीघ्र ही उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हो जायेगी। अनुसूचित जाति के छात्र को 1984–85 से छात्रवृत्ति स्वीकार कर दी जायेगी क्योंकि पूर्व में उसे छात्रवृत्ति नहीं दी गयी थी।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अब श्री छीतर लाल आर्य, केन्द्रीय सहकारी बैंक के बारे में....

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): पीपल्दा तहसील में 15-20 बच्चों की मृत्यु हो गयी। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से से....

श्री अध्यक्षः ऐसा है, कि मैंने निवेदन किया जिनको अस्वीकार करने की मैंने व्यवस्था दे दी है उस पर दो दो मिनट बोलने को माननीय सदस्यों की यदि इच्छा हो तब तो मैं दे दूँगा अवसर अन्यथा आपने किस दिन कौन सा स्थगन प्रस्ताव दिया, नहीं दिया, जवाब आया, नहीं आया उसके बारे में प्रश्नोत्तर काल यहां पर दुबारा नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन्होंने पूर्व में कोई स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और उस पर सरकार की ओर से उत्तर नहीं आया है तो माननीय सदस्य मुझसे चैम्बर में मिलने का कष्ट करें। सबको अस्वीकार करके एक दिन मैं अवसर नहीं दे सकता। चार पांच ऐसे माननी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव हैं उनको मैं अस्वीकृत कर दूँगा और उन पर वे कल बोल सकेंगे। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से चाहूँगा कि समय की बचत करें।

नियमों के अन्दर प्रावधान है कि एक दिन के अन्दर एक ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अधिक से अधिक एक वक्तव्य रखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि सत्रावसान होने को है इसलिये माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु मैंने नियमों में ढील दे करके अधिक से अधिक समय देने की कोशिश की है। इसलिये में माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे समय की बचत करें।

उनको किसी स्थगन प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अन्य किसी तरीके के प्रस्ताव के बारे में जानकारी लेनी है तो कृपया उस चर्चा को यहां न उठायें, मुझसे अलग से मिलें उसकी उपयोगिता, उसके महत्व, उसके औचित्य सबको अवसर देख करके कल जो अन्तिम दिन है मैं माननीय सदस्यों को प्रदान कर सकता हूँ। यह मेरी व्यवस्था है।

(व्यवधान)

अब फिर वही बात। मैं इस पर वाद विवाद में....

श्री मेघराव तावड़ (गोगुंदा) : वाद विवाद नहीं

श्री अध्यक्ष : समय न लें। आप एक बार शुरू करेंगे तो अन्य माननीय सदस्यों को उसी तरह से दूसरी बात उठाने का····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। सदन के समक्ष जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम है उसके अलावा यदि किसी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर चाहिये तो उसके लिये नियम 295 है यानि उसके मायने यह है उसमें जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम है सिर्फ बाधा पैदा की जा सकती है या उसमें रूकावट डाली जा सकती है तो एक तो है व्यवस्था का प्रश्न और दूसरा है नियम 295 में उठाया जाने वाला। उसके अलावा माननीय सदस्य बोलते हैं बीच में तो वे नियमों का उल्लंघन करते हैं। नियमों के उल्लंघन को भी जब सत्र लम्बा हो तो माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अभी समय का अभाव है इसलिये संभव होगा नहीं। जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारु वे यदि बोलना चाहें तो दो दो मिनट बोलने का कष्ट करें अन्यथा मेरे पास काफी कार्यसूची लम्बी है, मैं वह कार्य हाथ में ले लूंगा····

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : व्यवस्था का प्रश्न····

श्री अध्यक्ष : पहले मैंने जो निवेदन किया है वह काम शून्य काल में, शून्य की स्थिति में कोई व्यवस्था का प्रश्न होता है?

श्री मेघराज तावड़ : मैं कोई आर्गू नहीं कर रहा हूँ। केवल व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर, सभी माननीय सदस्य कहेंगे। आप बाद में मिल लें। मैं अवसर दे दूंगा, आप मुझे,

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। समय जा रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा, केवल एक मिनट व्यवस्था का प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य। व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

(व्यवधान)

ऑर्डर-ऑर्डर बैठ जाये। यदि आपको कोई कठिनाई है तो इसके बाद में मैं आपको अवसर दे दूंगा। आप जानते हैं, लेकिन बाधा पैदा न करें····

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन यह है—

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। बैठ जाय। मैंने कह दिया उसके बाद चर्चा नहीं होगी।

मेघराज तावड़ × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर, मैं उसका अवसर दे दूंगा। आप फर्मा दीजिये। मैं आपका नाम पुकार लूंगा। मैंने गलती से भी सबजुडिस का कह दिया तो उसका कोई

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

इलाज नहीं हैं। नियमों के अन्दर कोई उसकी कोई अपील होती नहीं, पुनर्विचार होता नहीं। मैं आपको अवसर दे दूँगा। उस वक्त आप अपना विचार सदन के समक्ष प्रकट कर दें।

श्री छीतर लाल आर्य।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। इसके सिवाय मेरे पास कुछ····

(व्यवधान)

मैं नाम पुकारूंगा, उनके नाम से बोलते रहिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : मैं नहीं बैठूँगा आप जो कुछ करना हो·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जांय।

श्री हरीश शर्मा : वहां सब कुछ हो गया····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरीश शर्मा : ये धोखा दे रहे हैं। I am Hindu, मैं तैयार हूँ····

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं ये ?

श्री हरीश शर्मा : गोदावरी····

श्री अध्यक्ष : आवेश में आने की जरूरत नहीं है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर मैं नाम से सम्बोधित करता हूँ। कृपया, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जांय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : इन्होंने गोदावरी के प्रश्न को ले करके कई दिन पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था। पर आपने कल यह कहा था कि मैं उसके कारण औचित्य सुन करके····

श्री अध्यक्ष : आपने सुना ही नहीं। मैंने व्यवस्था ये दी है, मैंने इनको यह निवेदन किया था कि मैं कल दस बजे तक सूचना मंगवा लूँगा। सूचना मैंने मंगवा ली उस पर विस्तृत व्यवस्था यहाँ पर दे दी।

अगर माननीय सदस्य सुनें नहीं तो उसमें मेरा क्या दोष है। मैंने यह निवेदन किया है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही कि वहाँ से सीवरेज लाइन जाय, लेकिन बीच में आर. ए. सी. का है आर. ए. सी. वाले बाधा डाल रहे है····

श्री हरीश शर्मा : आर. ए. सी. वाले नहीं, पुलिस के····

श्री अध्यक्ष : कृपया सदन से बाहर चले जाइये। यह कोई बात हुई। पधार जाइये बाहर। पधार जाइये। अब मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं वे बोलें। श्री छोतरलाल आर्य ?

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सहकारी बैंक का बैंक मैनेजर श्री रामजीलाल वर्मा है, जो ऑडिट पार्टी वहाँ गयी, वहाँ मौजूद राशि में 10 हजार रुपए कैश की कमी पाई गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी को निलंबित नहीं करके दूसरी जगह, ग्राम धोली के अन्दर लगाया गया है जबकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर 10 हजार राशि का गबन सिद्ध हो गया है। उसको निलंबित किया जाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा, श्री चुन्नीलाल जेलिया। माननीय सदस्य, आपने जो प्रश्न उठाया है, वह मान हानिकारक मामला है। इसके अलावा भी आपको नोटिस देना चाहिए था क्योंकि मान हानिकारक है। उचित होगा कि आप इस पर चर्चा नहीं करें। क्यों ? नहीं तो यह नियमों का उल्लंघन होगा ? कृपया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, श्री बंशीलाल पटवा,

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : ट्रेजरी के बारे में ?

श्री अध्यक्ष : हाँ, ट्रेजरी के बारे में,

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में भीलवाड़ा ट्रेजरी जिला केन्द्र से अपने आई. टी. आई. का एक बिल, शिक्षा विभाग का एक बिल और मलेरिया विभाग का एक बिल, इन बिलों को दूसरे व्यक्ति, जो फर्जी व्यक्ति हैं, लेकर चले गये। इसके अतिरिक्त ट्रेजरी का बिल केवल आई. टी. आई. का 422 रुपए का था, जिसको ले जाने वाले व्यक्ति ने 16,422 बनाकर बैंक से पैसा उठा लिया, विथड्रा कर लिया। इसी तरह से शिक्षा विभाग के बिल में हुआ। इसी तरह से मलेरिया विभाग के बिल में हुआ। मैं आप से अर्ज करूं कि जब इस तरह बिल ट्रेजरी से पास होते हैं, और विभागों के बिल गैर सरकारी व्यक्ति इस तरह से ले जायें, मैनिपुलेट करके, हेरा-फेरी करके उन बिलों का अधिक भुगतान बैंक से जाकर वसूल कर ले, ट्रेजरी में बैठा हुआ अधिकारी, व्यक्ति इस तरह के बिलों को दे दे, तो यह बिलकुल साफ रूप से, स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि साज़िश है। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यह एक तरह से करप्ट प्रेक्टिस है, गबन है। इस तरह की ढील बरती रही सरकार तो भविष्य में इस तरह की और भी गलतियां बढ़ सकती हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार आगे इस तरह की इर्रेगुलरिटीज को रोके। फर्जी बिल लेकर चले गये। जिन अधिकारियों ने दिये हैं, जिन कर्मचारियों ने दिये हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो अन्यथा, मैं सोचता हूँ, यह परम्परा और बढ़ती जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक 295 के तहत मैंने नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष : मैं 295 वाले जितने विषय हैं, उनको बाद में लूँगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय।

मेरा पॉइन्ट आफ ऑर्डर यह है कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उस पर आपने व्यवस्था दी कि यह मानहानिकारक है इसलिए इस पर चर्चा नहीं करें। मेरा निवेदन यह है कि पूर्व में आसन से इस प्रकार की व्यवस्था दी हुई है कि जो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हो सकते हैं जो जवाब दे सकते हैं उनके खिलाफ बिना पूर्व नोटिस के भी आरोप लगाये जा सकते हैं। फिर स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से कोई जवाब आये, जवाब देने में वह सक्षम है।

श्री अध्यक्ष : जवाब नहीं आया, माननीय सदस्य। वह आज ही पेश किया है। वह विषय ऐसा है, प्रशासनिक मामला तो है नहीं। यह है केवल, इन्होंने बिना रसीद के किसी से पैसे ले लिये तो ऐसी बात है इसलिए, माननीय सदस्य, यह आयेगा नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनके उन्होंने पैसा जमा करा लिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। वही बात कर रहे हैं जिसके लिये मैंने मना किया था।

(व्यवधान)

ऑर्डर। मैं इस पर इजाजत नहीं दे रहा हूं, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने निरस्त किया है विशेषाधिकार हनन के प्रश्न को।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। इस पर चर्चा नहीं होगी.

नियम काफी सख्त हैं, उन नियमों का जब तक माननीय सदस्य पालन नहीं करते हैं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। इसका कोई प्रशासन से सम्बन्ध नहीं है। एक दिन पहले अभी यह बात हुई उसके बाद फिर यह बात हो गयी। यह तो एक सिलसिला है। मैं इस तरह इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, इसके नियम विस्तार से पढ़ें। मैं उन से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। यदि वह मुझे कन्विन्स कर देते हैं तो मैं इजाजत दे सकता हूं। लेकिन तत्काल कोई इजाजत नहीं दूंगा।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव जो माननीय सदस्य ने दिया उसको अपने सरकार को जानकारी के लिए भेजा····

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए नहीं भेजा। मैंने रिजेक्ट करके आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया सरकार को ऐसी कोई शिकायत आई है। यह तो आसन के ऊपर है। आम तौर से यदि विवादास्पद-विषय नहीं हो, जन हित का कोई प्रश्न हो

(श्री अध्यक्ष)

तो मैं माननीय सदस्यों को अपनी ओर से भी सुविधा दे देता हूं, लेकिन नियमों के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि अस्वीकृत कर दिया तो किसी माननीय सदस्य का उस पर अधिकार बन जाता है। क्योंकि विचार व्यक्त की स्वतन्त्रता है, जन हित के अधिक से अधिक प्रश्न पर, और सरकार की जो कमियां हैं, खामियां हैं उन पर हमारे उस प्रांगण में चर्चा हो सके, इसलिए यह सुविधा दी जाती है। इस तरह के आरोप पहले भी लगाये गये तो सिलसिले के तौर पर मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। फिर मुझे यह देखना होता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप पधार जावें, मैं भी किताबें देख लूंगा, आप भी किताबें देख लें। उसके बाद कल का एक और दिन है। लेकिन आरोप-वारोप यदि लगाने होते हैं, खाली आरोप, किसी मंत्री के प्रशासनिक कार्य कलापों से सम्बन्धित कोई चार्ज नहीं है और अन्य कोई चीज है तो और तरह के प्रस्ताव होते हैं। इस तरह प्रस्ताव नहीं होता है फिर अन्य किसी तरीके का प्रस्ताव होता है उसका अपने नियमों के अन्दर प्रावधान है। किसी मंत्री या मंत्रिमण्डल की केवल निन्दा ही आप करना चाहते हैं तो उस पर यह प्रस्ताव नहीं होता।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, वही की वही बात आई।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर, मैं समझ गया। उस पर चर्चा नहीं होगी।

निरस्त किया गया, समय न लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष, इस पर ऑडिट पैरा बना है विकास अधिकारी के अगेन्स्ट रिपोर्ट दी। उनसे निजी खाते में जमा कराये। यह तो बिलकुल प्रशासनिक मामला है। ऑडिट पैरांज प्रशासनिक नहीं हैं ?. विकास अधिकारी ने निजी खाते की····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या आपके पास अगर ऐसी तैयारी है तो कृपया मुझे बता दें। आज नहीं तो कल कर देंगे। मैं इसको स्थगित कर देता हूँ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह ठीक है, पुर्नविचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी। अश्लील फिल्मों के बारे में। आप गये क्या ऐसी किसी फिल्म में ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : नहीं, नंगे पोस्टर देखे हैं, जयपुर की सड़कों पर लगे हैं। सिनेमा तो मैं देखता ही नहीं।

निवेदन करना यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों के दिन लोक सभा में भी इस बात पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी। यह जो गन्दी फिल्मों की बाढ़ आई है सेंसरशिप के बावजूद, यह चिंता का विषय

62

(श्री दाऊदयाल जोशी)

है सारे देश के लिए। परसों यहां इसी सदन ने सर्वसम्मति से रेलवे स्टेशन की बात को लेकर निर्णय लेकर राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है। मेरे इस स्थगन प्रस्ताव का जो पर्पज है वह यह है कि राज्य सरकार भी एक चिट्ठी लिखे कि तुरन्त इस प्रकार की गंदी फिल्मों को रोका जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्ल्यू फिल्मों की बाढ़ वीडियो के माध्मम से सारे हिन्दुस्तान भर में आई हुई है। उनको फेस करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सिनेमा व्यवसाइयों ने नंगी फिल्में राज्य, में लाकर खड़ी की हैं। अभी 15 दिन पहले प्रेम प्रकाश में मण्डी फिल्म जो एकदम गंदी थी, जिसको परिवार के साथ मिलकर देख नहीं सकते, जो कि फिल्म देखी नहीं जा सकती····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह चली। वह समाप्त हो गयी। आज शालीमार में जो बड़ा पोस्टर लग रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कार से आप कभी जायें तो शायद आप उस महिला का चित्र देखें तो आप भी अपनी····

श्री अध्यक्ष : मैं महिलाओं की तरफ देखता ही नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : यह बात सही है, महिलायें आपकी आई कैच कर ही नहीं पातीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं बस में आता हूँ, बस का रास्ता वही है, तो निगाह पड़ जाती है. शालीमार के बाद आगे चलकर जेम सिनेमा पर आ जायं तो····

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : दाऊदयाल जी जान बूझकर देखते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : पोस्टर ही इतना बड़ा लगा हुआ है कि आपकी निगाह नहीं पड़े तो भी निगाह पड़े।

नंगा चित्र है। महिला को नग्न बताया है, मैक्सी मात्र पहने बताई गयी है। यह लज्जास्पद है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सत्ता पक्ष के कर्णधारों से निवेदन करूंगा कि इस मामले में वह कोई सर्व सम्मत निर्णय लेकर जो ब्ल्यु फिल्में आई हुई हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी :

उनको रुकवाने के लिए राज्य में व्यवस्था करें। निश्चित रूप से अगर इन फिल्मों पर कठोरता से कदम उठाया गया तो जो अपराध प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं उनमें कमी आयेगी, गुण्डागर्दी जो बढ़ रही है उसमें कमी आयेगी, बलात्कार जो बढ़ रहे हैं उन मामलों में कमी आयेगी। आज के इस समाचार-पत्र में है····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : तीन जगह बलात्कार के काण्ड हुये हैं, बाडी में बलात्कार हुआ है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह अलग विषय है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जोधपुर में बलात्कार हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायं। माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं। बैठ जायं। आसन पैरों पर है।

ऐसा है कि तीन माननीय सदस्यों ने यह स्थगन-प्रस्ताव दिया था, जैसा कि कल मैंने व्यवस्था दी थी कि एक ही माननीय सदस्य बोल सकते हैं लेकिन 2 मिनट बोलना चाहें तो बोल लें लेकिन भाषण लम्बा इसमें नहीं होगा, मान हानिकारक, विषय से हटकर बात नहीं कही जायेगी।

माननीय श्री हीरालाल आर्य,

श्री बालचन्द आर्य.

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आये दिन राज्य में इस प्रकार की अश्लील फिल्में चलचित्र चलते रहते हैं। अभी भी मण्डी फिल्म और पेन्टर बाबू आई थी, यह नग्न फिल्में थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन फिल्मों के पोस्टर्स कालेज और स्कूलों के पास तथा सार्वजनिक स्थानों पर अधिकतर लगाये जाते हैं जिससे जनता के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। अभी-अभी शालीमार सिनेमा में 'अर्थ' नाम की फिल्म चली जो कि बिल्कुल नग्न है। महिला का बिल्कुल नग्न चित्र दिखाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के पोस्टर लगाये जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि सैंसर बोर्ड को इस प्रकार के निर्देश दिये जायं कि इस प्रकार की जो फिल्में चलाई जाती हैं उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय ताकि राज्य की जनता के ऊपर कु-प्रभाव नहीं पड़े। जहां स्कूलों और कालेजों के पास पोस्टर्स लगाये जाते हैं नग्न फिल्मों के वह वहां से हटाये जायं। यह प्रतिबन्ध लगाया जाये कि इस प्रकार पोस्टर्स वहां पर नहीं लगाये जायं ताकि जनता कुप्रभाव से बच सके।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट ही बोलना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, सिनेमा से आजकल अपराध प्रवृत्तियां बढ़ रही है। संस्कारों में कमी आई है उसका एक मात्र कारण है, सिनेमा चलचित्र जिस तरह से हल्के ढंग के प्रदर्शित किये जा रहे हैं उससे लोगों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि चलचित्र आज मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह आज जो साधन है वह अश्लील और भद्दे ढंग का है। अध्यक्ष महोदय, जिनके पोस्टर्स आम बाजार में चिपकाये जाते हैं वह इतने भद्दे होते हैं कि देखने पर शर्म आनी चाहिये एक अच्छे व्यक्ति को, बड़े शर्म की बात है। अभी जब हम बस से आ रहे थे तो यहां वहां फिल्म का एक पोस्टर लगा हुआ था, अध्यक्ष महोदय,उसके एक ऐसा गन्दा चित्र था वह कमरे में बन्द हो, तब तो चलेगा। लेकिन खुले बाजार में इस तरह के पोस्टर्स लगें तो आपत्ति जनक है। अध्यक्ष महोदय, कमरे तो जाने क्या चलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिना पर सैंसर

(श्री हीरालाल आर्य)

बोर्ड से छूट मिलती है कि भाई, इतनी आयु सीमा से कम बच्चे इसको देखेंगे नहीं। लेकिन सड़क पर और अन्य भी सभी तरह के युवक देखते हैं जिससे उनके जीवन में गलत संस्कार पड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि युवकों के संस्कार इससे गलत पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : इसलिये ऐसी फिल्मों पर निश्चित रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, केशोराय पाटन निर्वाचन क्षेत्र में फरवरी में सारे विपक्षी दलों की ओर से एक आन्दोलन चलाया गया था कि किसानों को पानी मिलना चाहिए। उस दौरान चम्बल आयुक्त, जिलाधीश, बून्दी व अन्य अधिकारियों ने जाकर यह आश्वासन दिया किसानों को, वहां के नेताओं को कि हम आपके सम्पूर्ण खेतों को पानी देंगे, आप अपना आन्दोलन वापिस ले लीजिये। किसानों ने जिलाधीश और चम्बल आयुक्त के आश्वासन पर वह आन्दोलन वापिस ले लिया। उस आन्दोलन के बाद यह हुआ कि उनको रेलना के लिये पानी दिया गया रेलना के पानी देने के बाद आज दिन तक उन किसानों को पानी नहीं मिला। उनकी सारी फसल सुख गई पिलाई जो सिंचाई विभाग का पटवारी दर्ज करता है, अध्यक्ष महोदय, उसने सम्पूर्ण सिंचाई दर्ज करली और उनसे पूरी सिंचाई की दर वसूल की जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार से जब केवल उनको रेलना के ही लिये पानी दिया गया तो रेलना की दर ही वसूल की जानी चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। ऐसा इसलिये नहीं किया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, 12, 13 और 14 फरवरी को पूरे पाटन क्षेत्र का पानी रोक दिया गया और हमारे माननीय वित्तमंत्री जी के क्षेत्र में निरन्तर 4 दिन तक सिंचाई की गई। जब उनके यहां सारी सिंचाई हो गई तो फिर केशोरायपाटन क्षेत्र को पानी दिया। उससे उत्तेजित होकर किसानों को आंन्दोलन करना पड़ा। आज वह स्थिति पुनः पैदा हो गई कि जब उनको पानी दिया ही नहीं और उनकी सिंचाई वसूली किये जाने की कार्यवाही की जा रही है जिससे किसानों में भारी असंतोष है। किसानों में एक तरह से उग्रता पैदा हो रही है कि उनको पानी मिला नहीं अकाल की स्थिति में केशवराय पाटन पहुंच गया आप के रिकार्ड में सिंचाई विभाग में इसे सिंचित माना जाता है। बून्दी जिले का क्षेत्र है यहां पर पानी मिल रहा है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि उस क्षेत्र छोटे किसान, गरीब किसान, जिनकी कोई राजकीय एप्रोच नहीं है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : उनको पानी नहीं मिल रहा है, अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं मांग करता हूँ कि उनसे सिंचाई की वसूली करने से पहले एक दल सरकार की तरफ से सिंचाई विभाग का भेजा जाय।

(68)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

वह इस बात का सर्वे करें कि किन को पानी मिला है, किन को नहीं मिला, सर्वे के बाद उसकी वसूली की जानी चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हाजी चावखां। सड़क के ठेके के बारे में।

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर !

श्री चाव खां : (कामां) अध्यक्ष महोदय, कामा पहाड़ी से हरियाणा बार्डर तक दो किलो मीटर सड़क अपने राजस्थान की आती है। बड़े दुःख और शर्म की बात है कि पड़ौस में जहां दूसरी सरकार है वहां सड़कें अच्छी हों, बेहतरीन हों और हमारी सड़क ऐसी रद्दी हो जिसके लिये वह लोग हमें बार बार शर्मिन्दा करते हैं। इस सड़क का ठेका एक बार नहीं, अध्यक्ष महोदय, दो बार दिया गया। उसी ठेकेदार को दिया गया जिसको 1981–82 में ठेका दिया था मैंने इस बात के लिये लिखित में शिकायत की। लिखित में शिकायत देकर कहा कि इस सड़क का जिस प्रकार से ठेका सरकार द्वारा दिया गया है उसका काम बिल्कुल ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, उस पर गिट्टी कुटाई 75 एम.एम. यानि "3 कुट्टी हुई और दूसरी 3" मिक्स "इस शर्त पर ठेका दिया गया लेकिन उन्होंने बजाय 3 "के गिट्टयों को सिर्फ 1" या सवा इन्च के करीब डाली। जब यह शिकायत यहां पर आई, मैंने जांच के बारे में कहा तो मेरे पास यहां पर पहुँचे ठेकेदार साहब और मुझसे माफी मांगने लगे। यहां तक मैं सदन को यकीन दिलाता हूँ कि वह मुझे 10 हजार रुपये देने के लिये आमादा हुये लेकिन मैंने कहा कि यहां पैसे की जरुरत नहीं है आप 10–15 दिन बाद वहां पर आइये और मुझे साढ़े तीन इंच के बजाय 2 इन्च नपवा दें तो मुझे संतोष हो जायेगा। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह वहां पर नहीं आये। न मालूम किन लोगों से मिलकर वह काम यों का यों ही रह गया और उस पर कुछ काम नहीं हुआ।

अभी हाल ही में उसके लिये इसी जून में फिर उसको ठेका दे दिया गया उस सड़क का। जब मैंनेप्रश्न किया तो मुझे यह जवाब दिया गया कि उसके द्वारा काम प्रगति पर है। यह अक्टूबर के अन्त तक काम पूरा कर दिया जायेगा। लेकिन आज वह काम अटका पड़ा है। जब विधान सभा शुरु हुई तब थोड़ी सी गिट्टी डालकर के काम शुरु किया लेकिन काम अधूरा है। उसे जो श्री मिक्स का ठेका फिर से दिया गया वह बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिये मेरी मांग है सरकार से कि जब तक वह पूरा नहीं हो जाय और जब तक मैं आपको यकीन नहीं दिला दूं तब तक आप उसका पैमेन्ट नहीं करें। क्योंकि हमेशा आखिर में काम होता है, आखिर में काम शुरु करते हैं, काम पूरा होता नहीं, पैसा ठेकेदार सरकार से लेकर काम अधूरा छोड़ जाते हैं, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। मुरलीपुरा–विद्याधर नगर स्कीम।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

महोदय, 1981 में बाढ़ आई और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बसाने की सरकार ने योजना बनाई कि उन्हें कहीं ऐसी सुरक्षित जगहों पर बसा दें तो वे ठीक ढंग से रह सकेंगे तो लोगों से आवेदन भी लिये और कुछ पहले रकम भी जमा कराई गई लोन के लिए एक पुस्तिका छपवाई गई जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी यहां पर आई थी उसके दौरे के चित्र भी हैं। मेरे पास पुस्तक है जो सरकार ने बेची, लोगों को बांटी। उसमें मुख्य मंत्री जी के भी चित्र है। उसमें लिखा गायत्री····

श्री अध्यक्ष : चित्र इस प्रसंग से सम्बन्धित नहीं है, आप समस्या पर आ जाय दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बता रही थी कि 8 हजार रुपये में मकान देने की बात कही गई जो निर्माण के नये दौर सरकार से छापी गई पुस्तक है। इसमें लिखा है कि 8 हजार में हम मकान देगें। इसके साथ ही इनकी किश्त जो होगी वह 17/–रु. प्रति मास होगी। लेकिन अभी इन्होंने नोटिस दे करके कहा कि इसकी कीमत 17000/–रु. लेंगे। और जो किश्त है वह 66 रुपये महीना लेंगे। एक नोटिस और दिया है कि समय-समय पर जो बढ़ाई जायेगी वह आपको देनी होगी। यह तो योजना रही, गरीब लोगों की, ऐसे लोगों की जिनके घर उजड़ गये, जिनका कुछ नहीं बचा। उन लोगों पर दया करके मकान दिये और उन मकानों की स्थिति मैं बताऊं, मान्यवर, यह नक्शा प्लान है लेकिन नक्शे प्लान के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराया। जो किया है वह इतना घटिया स्तर का है कि पिछली बरसात में मैं गई थी सारे मकान चू रहे थे, मकान बैठ गये, गटर बैठ गये, बुरी हालत हो गई। यह सरकार ने काम किया और काम भी किया तो इस ढंग का किया। अब उन गरीब लोगों से कहा जा रहा है कि आप बढ़ाकर पैसा दो। यह सरासर अन्याय है मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी, मुझे आप अनुमति दें, तो मैं यह पुस्तक सदन पटल पर रख दूं जिसमें सरकार ने वायदे किये हैं कि हम स्कूल, शौचालय सार्वजनिक और उद्यान सार्वजनिक खोलेंगे, चिकित्सालय देंगे। वहां कुछ भी नही है, उजाड़ खण्ड पड़ा हुआ है। सड़कें वहां नहीं है, वहां श्मशान नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है। चांदपोल में 9 मील वापस लेकर आयेंगे जलाने के लिए। जो उन्होंने मन्दिर बनाया, वहां पर आपने पूजास्थल के लिए दिया, तो मैं तो कहूँगी मस्जिद भी बनाने चाहिए। उनके मन्दिर और मस्जिद तुड़वाने पहुंच गये। कहां जायेंगे वह? जहां पर आदमी रहेगा कालोनी होगी वहां पर ये सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये, बिना सुविधा उपलब्ध कराये

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, वहां लोगों को परेशान किया जा रहा है, बसें नहीं जाती, चिट्ठी नहीं जाती, थाना नहीं लगता। कभी कहते हैं कि आप विश्वकर्मा जाओ और कभी कहते हैं दूसरी तरफ जाओ। अध्यक्ष महोदय, जंगल में उन्हें पटक दिया उन्हें लूटने की कोशिश हो रही हैं। एक आदमी ने ठेला लगा दिया वहां आलू का तो उसको उलट दिया। कहने लगे हैं कि यह बाजार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त कीजिये। मुख्य समस्या कह दी आपने।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करती हूँ। वहां आप शापिंग सेन्टर खोल देते, वहां दूकानें अलॉट कर देते। वह भी नहीं किया, अध्यक्ष महोदय, यह तो धोखाधड़ी है, 8000 वताकर किताव में 17 हजार मांगा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह बात आपने कह दी, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप अनुमति दें, तो मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दूं। आप जांच कर लें इन्हें कहें कि जो इन्होंने कहा है वह करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मेघराज तावड़, बीमा विभाग के बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने मुझे दो की और अनुमति दी थी। पीछे बता दीजिये, जैसी आपकी मर्जी, वाद में बोल लूंगी।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी अनुमति से 289 के तहत यह सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ सारी योजना। अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दें।

(योजना की पुस्तिका पटल पर रखी गई)

श्री अध्यक्ष : आपके दो और हैं, एक खैरथल निवासी ठाकुरदास सिन्धी की पुत्री के गायव हो जाने और दूसरा आवारा पशुओं के वारे में। दो-दो मिनट में कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो दो मिनिट में कह दूंगी। वल्कि गाय वाला एक मिनट में और लड़की वाला तीन मिनट में।

अध्यक्ष महोदय, आवारा जो पशु हैं, सड़क पर भैंस तो मैंने कहीं देखी नहीं, पाड़ो मैंने कहीं देखी नहीं, केवल गाय और वछड़े सड़क पर कहीं छूट जाते हैं, कहीं लोग छोड़ भी देते हैं ? गलती भी मैं मानती हूँ इसको, अच्छा नहीं है लेकिन यह नगर परिषद कांजी हाऊस में ले जाते हैं, उन पर जुर्माना करते हैं। जितने दिन भी वहां रखा जाता है उनके लिए चारे के हिसाब से 6 रुपये रोज वसूल करते हैं। ऐसा जयपुर में मैंने पहली बार देखा कि ये गायें वछड़े पकड़े जा रहे हैं, मैं खुद गई कांजी हाउस, मेरे क्षेत्र की एक पाडी गायव हो गयी थी तो वह कोई 15 दिन मिली नहीं, लेकिन वहां जाकर देखा। खैर, वह पाड़ी तो मिल गई वहां पर। लेकिन वहां कई लोग खड़े थे। श्यामजी, नाम नहीं लेना चाहती, जो कमिश्नर हैं उन्होंने कहा हमारे पास रखने की जगह नहीं, इसलिए हम तो कसाइयों को बेच देते हैं। कौन इन्हें रखे और कौन इन्हें खिलायें। तो 6 रुपये तो वह लोगों से वसूल करते है, वह कहां खिलाते हैं, जुर्माना और वसूल करते हैं। मेरा कहना है हमारे कानून के अनुसार भी गायें नहीं काटनी चाहिये। मंत्री महोदय बैठे हैं, जानकारी कर लें। मैंने इसमें असत्य जरा भी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : पाड़ी थी या गाय थी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको काट रहे हैं, मैं ध्यान आकर्षित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष : पाड़ी थी या गाय थी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : गाय और बछड़े, पाड़ी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ इस ओर कि 16 सितम्बर, 1983 को कंवरनगर से एक बरात गई खैरथल। वहां जाकर शादी करके किसी बात पर थोड़ी ऊंची-नीची के ऊपर झगड़ा किया और 17 तारीख को ही सुबह विदा करा लाये जबकि उनको 18 तारीख को वापस आना था। वहां यह कह आये कि हम तुम्हें देख लेंगे। ठाकुरदास सिन्धी, जिसकी लड़की थी, बहुत घबराया। उसने एक दो दिन बाद बच्चे को भेजा देखने के लिए। उस समय तक कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन ठीक बीस दिन के अन्दर ही 3 अक्टूबर को उस लड़की को गायब कर दिया गया। लड़क से मिलने आये दस दिन बाद उसके भाई उनसे मिलने नहीं दिया। यह कहा, अच्छी को है सो रही है। अभी नहीं मिलने देंगे। मान्यवर, बीस दिन बाद 3 अक्टूबर को उस लड़की को गायब कर दिया। इस सिलसिले में थाना माणक चौक में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई 6 को। मैं खुद साथ गई थी रिपोर्ट दर्ज कराने। मैंने पुलिस के महानिरीक्षक महोदय को भी चिट्ठी लिखी और यह कहा कि इसकी जांच करायें। अध्यक्ष महोदय, आज तक उस लड़की का पता नहीं है। इस बीच मुझे यह मालूम पड़ा, ठाकुरदास सिन्धी, जो कई बार मिले हैं, ने खुद कहा, वह बीच में पैसे मांगते थे। पैसा क्योंकि मैं जुटा नहीं पाया इसलिए और थोड़ी ऊंची नीची बात पर भी, अध्यक्ष महोदय, लड़की मिली नहीं,

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लड़की गायब कर दी गई, पुलिस में रिपोर्ट है। मेरा यह कहना है सी. बी. आई. से जांच करायें। गृह राज्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं, यह लड़की का चित्र है, इतनी भोली भाली 19 साल की लड़की है जिसको दहेज की बलि वेदी पर चढ़ा दिया गया। मेरा यह कहना है, गृह राज्य मन्त्रीजी ऐसा कानून लायें कि ऐसे लोगों, जो लड़कियों को सताएं जो लड़कियों के पिता से दहेज मांगे, लड़की की हत्या कर दें, जलादें, कुछ भी कर दें को देखते ही बन्दूक से उड़ा दिया जाय। ऐसा अधिकार चाहें तो मुझे दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दूसरा मैं यह कहना चाहती हूँ, यह बरबादी कब तक चलेगी। अध्यक्ष महोदय, यह अखबार में खबर आई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अखबार नहीं पढ़ा जायेगा, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट, एक पाइन्ट और है।

मैं बता दूं, 31 तारीख को, 29 दिन बाद, यह उन्होंने उजागर किया राजस्थान पत्रिका में कि साहब लड़की की तलाश हमने कर ली है, कहीं गायब हो गई, कहीं गुम हो गई। मेरा यह मानना है, गुम है या कहीं भी भी है, कैसी भी है, मर गई है तो उसकी लाश मिल जाय या फेक्ट मिल जाय कि मर गई। लेकिन अभी तक मालूम नहीं। गृह राज्य मन्त्री जी आप इसका पता लगायें कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा

लड़की गई कहां है ? यह पता नहीं लग रहा इसलिये लोगों में असन्तोष है वह सोचते हैं कि लड़कियों की शादी आगे से करें या लड़कियों की शादी करना बन्द कर दें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या। भाषण समाप्त हुआ।

श्री मेघराज तावड़।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो मिनट का समय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री मेघराज तावड़। बैठ जाय माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त करती हूँ और सरकार से चाहती हूँ कि कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जांय।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से सरकार से एक अपील है। अध्यक्ष महोदय, 7 महिला एल. डी. सी., जो पहले शिक्षा विभाग में थीं, शिक्षा विभाग से राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य बीमा बीमा विभाग में ट्रान्सफर किया और 1981 में फिर से उनको राज्य बीमा विभाग से शिक्षा विभाग में ट्रान्सफर कर दिया, '82 में उन्होंने फिर ट्रान्सफर किया लेकिन राज्य बीमा विभाग ने शिक्षा विभाग में ट्रान्सफर करने से विभाग में वापस लेने से इन्कार कर दिया। अब इन सात महिला एल. डी. सी. का जीवन अधर में लटका हुआ है, अध्यक्ष महोदय, यह ताज्जुब की बात है। यह सात महिलायें हैं अध्यक्ष महोदय, श्रीमती कला कौर, शकुन्तला चुग, मनजीत कौर, बलवन्ती कौर, रीता डाबड़ा, भगवती देवी और शशि मदान और इन्दु अरोड़ा। ये कोर्ट में गईं, अध्यक्ष महोदय, तो हाई कोर्ट की डबल बैंच ने इनके पक्ष में फैसला दिया। इसके बावजूद भी राज्य बीमा विभाग अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है जबकि विधि विभाग ने भी यह राय दी है कि केस अपील का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अपील ही नहीं हो सकती, केस कमजोर है, इनको वापिस डयूटी पर लिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह लिखा है कि इनको नई नियुक्ति दी जाय, फाइनेन्स मंत्री ने लिख दिया इनको नई नियुक्तियां दी जाय। वह तैयार थीं लेकिन राज्य बीमा विभाग हठ पर डटा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वह सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन सात महिला एल. डी. सी. का जीवन अधर में लटका हुआ है। इन पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, हठधर्मी नहीं करें। इनको वापिस डिपार्टमेन्ट में लिया जाय, यही मेरा अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष : गुलाबचन्द कटारिया। आपके प्रस्ताव का जवाब आ गया था। मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है। इसमें कोई व्यवस्था नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही दुःखदायी घटना उदा-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुर नगर के महिला मण्डल विद्यालय के छात्रावास जहां लड़कियाँ रहकर पढ़ती हैं। 12 फरवरी को कुछ कारणों से चार बालिकाओं ने एक साथ जहर खाया। पहली बालिका मन्जू ने जहर खाया दिन के 11 बजे। उसकी मां, जो कि उदयपुर में जनरल अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, दिन में मिलने के लिये आई तो उसको उल्टी हो रही थी, तो वह अपने घर ले गयी। घर ले जाने के बाद दवाई देने पर जब उसको असर नहीं हुआ तो उसको जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया। जनरल अस्पताल में भर्ती होने के बाद पता लग गया कि मन्जू ने जहर खाया है और जहर के कारण से उल्टी की है। उस के ठीक बाद इधर मन्जू मरणासन्न थी और इधर रात्रि को 11 बजे तीन बालिकाओं ने और जहर खाया। उन्हें अस्पताल में रात्रि के ढ़ाई तीन बजे ले जाकर भर्ती करवाया। मन्जू की तो रात्रि को ही मृत्यु हो गयी। श्रीमान्, यह घटना किन कारणों से हुई उसके लिए जो भी फेक्ट्स आपको बताये गये हों कि उनके किसी से सम्बन्ध होने और उनका पता लग जाने के कारण से उन्होंने जहर खाया लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इन चार बालिकाओं के लिए एक साथ जहर खाने की नौबत क्यों आई। अध्यक्ष महोदय, एक बालिका ने दोपहर में 11 बजे जहर खाया। उसको जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता लगा कि यह इकोलीन नाम की कीड़े मारने की दवा की शीशी वहीं पर पड़ी थी। उस बालिका ने होस्टल में 11 बजे जहर खाया तो उसको वहाँ से हटाया क्यों नहीं गया। उसके बाद में रात्रि को 11 बजे तीन बालिकाओं ने उसी शीशी से जहर खाया जो कि उसकी सहपाठी थी। इतने दिन बाद हम इस अन्दाज पर नहीं पहुंच पाये आखिर क्या बात थी केवल मात्र यह कहकर कि उनका कुछ विद्यार्थियों से पत्र व्यवहार चलता था और बदनामी हो जाने के कारण छात्रावास की चार मासूम बालिकाओं जिनको उनके माता पिता वहां पर यह समझकर भेजते है कि शायद उनकी बालिकायें छात्रावास में पढ़ रही है लेकिन वहाँ इस प्रकार सामूहिक जहर खाने से अगर उनकी मृत्यु हो जाय। भगवान की कृपा से तीन को तो किसी प्रकार से बचा लिया गया लेकिन प्रश्न यह आज भी खड़ा है कि उसका डाईंग डिक्लेरेशन लिया तो आखिर वह क्या था। आखिर उन चारों से आपने बयान लिये होंगे। यह तो बताइए, क्या है ? पुलिस ने अब तक उनके अन्दर क्या कार्यवाही की जिन-जिन लोगों पर सन्देह था क्या उनके बयान लिए ? उनके उनके बयान पर से अगर यह होता है कि उन्होंने आत्महत्या भी की तो आत्म हत्या का केस क्या सरकार ने उनके विरुद्ध चलाया ? क्या उसकी कोई कार्यवाही की केवल इसको रफा दफा करने के लिये। मैं तो यह कहता हूँ कि यह एक बहुत ही अच्छी संस्था है इसने अपने जीवन में छात्राओं छात्रों की सेवा की है इसमें दो राय नहीं हो सकती लेकिन इसमें कौनसा आदमी है कौन दोषी है जिसके कारण से इन बालिकाओं को जहर खाने की नौबत आई। आज सारे ही आदिवासी क्षेत्र चाहे वह खेरवाड़ा हो, डूंगरपुर हो। जहां से लड़कियां यहाँ पर पढ़ने आती हैं। अभी यहां पर 85 छात्रायें छात्रावास में पढ़ती है छठी से लेकर 11 वीं कक्षा तक पढ़ती है। सारी की सारी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दसवीं कक्षा की विद्यार्थियों ने आखिर यह क्यों किया ? मैं चाहूंगा सरकार यह बतावे कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हमको यह लगता है कि हमें इन-इन पर संदेह है या इस आदमी को दोषी मानते हैं। क्या ऐसा कारण है या जिन छात्राओं ने आत्म-हत्या का प्रयास किया उन बालिकाओं के बयानों के आधार पर आप किस नतीजे पर पहुंचे यह तो बताइए कम से कम। राज्य सरकार एक महीने में जवाब नहीं दे सकती थी कि हमने इस पर क्या कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : आपके बहुत से स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त करके व्यवस्थाएं दी गई हैं यह आपका प्रस्ताव है, लाडपुरा तहसील में हैण्डपंपों की खराबी। इस पर बोल दीजिये। मैं तो आज ही आया था और इसको अस्वीकार किया है। इसके अलावा आपका गोदावरी धाम के बारे में है जिस पर मैंने निवेदन किया है सदन को किस तरह से क्या जानकारी आई है।

उसके पश्चात् है खनिज अभियन्ता के द्वारा कोई पट्टा दिये जाने के बारे में।

उसके बाद में है अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृति नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

श्री हरीश शर्मा : (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, अगर आप नाराज हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं मुझे कोई नाराजी नहीं आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने तो इतनी मेहनत करके जैसा आपने चाहा सबसे उच्च प्राथमिकता देकर के कार्यवाही की जो। जवाब आया था उससे मुझे स्वयं सन्तोष नहीं था मैंने दुबारा व्यवस्था दी। उस दिन आया नहीं तो फिर दुबारा सरकार को सूचित करके उसका जवाब मंगवाया। उसके बाद अर्जेण्ट करके मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया मैंने इतनी सेवा की उसकी आपने परख नहीं की थी, इसका मुझे दुःख हुआ थोड़ा।

(व्यवधान)

क्योंकि अभी वह विषय खत्म हो गया हो ऐसी बात है नहीं क्योंकि सरकार ने लिखा है वह प्रयत्नशील है। इस पर और विचार करेंगे।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रयत्न करेंगे यह बिलकुल गलत है और एकदम निराधार है।

श्री अध्यक्ष : तो आप ही कह दो सब, सदन का मार्ग दर्शन होगा।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्रीमती इन्दिरा गान्धी को बधाई का तार भेजा कि उन्होंने चूरू की मस्जिद और गुरुद्वारे का निर्माण के लिये धन दिया। यह जो आयुर्वेद का भवन है, कोटा में गोदावरी धाम संकट मोचन हनुमान जी का मन्दिर

(श्री हरीश शर्मा)

है, यह हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है। उसके सामने आर०ए०सी० पुलिस के गटर का पानी छोड़ दिया जिससे सड़ांध होती है अभी हाल ही में वहां पर जगदगुरू शंकराचार्य पधारे थे। हजारों यात्री वहां पर आते हैं वहां पर हनुमानजी की जयन्ती मनायी गयी वहां आने वाले दर्शनार्थियों को पता नहीं रहता कि जो पानी है यह गटर का पानी है। इससे हाथ धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं और कुल्ला कर लेते हैं फिर दर्शन करने जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड के गटर का पाइप आर०ए०सी, भवन के पास लाकर छोड़ दिया। आर०ए०सी० वाले अपने शौचालय, बाथरूम, इस गटर से नहीं जोड़ने देते हैं इसमें उनका क्या बिगड़ता है? कुछ भी बिगड़ता नहीं है, सारा खर्चा हाउसिंग बोर्ड करने को तैयार है पर वह नहीं करने देते हैं। यह हिन्दुओं का स्थान है इस कारण वह नहीं करने देते हैं। अगर यह स्थान किसी दूसरे धर्म का होता तो अब तक अध्यक्ष महोदय, कभी का बन गया होता। यह सरकार अपने को तो धर्म निरपेक्ष कहती है। किन्तु यह धर्म सापेक्ष सरकार है सभी धर्मों के पक्ष में है पर हिन्दुओं के पक्ष में नहीं है। मैं हिन्दू हूँ। इसमें अगर कभी बलिदान देने की जरूरत होगी तो पहला बलिदान मेरा होगा। हम गटर का पानी गोदावरी धाम में नहीं जाने देंगे। मुझे लगता है कि सरकार मुझे वीर सावरकर के पथ पर चलाना चाहती है। पहले पुलिस मेरे नाम से कांपती थी अब फिर कांप जायेगी। हम गटर का पानी वहां नहीं जाने देंगे। आज कोटा में इतना तनाव है कि मुझे डर है, वहां पर कोई उपद्रव खड़ा नहीं हो जाय। अध्यक्ष महोदय, कोटा में तीन सरदारों को तो अभी तक सरकार पकड़ नहीं पा रही हैं आर. ए. सी. पुलिस के जवान वहां पर मन्दिर में बैठकर मक्खियां मारते हैं और जो महिलायें आती हैं उनसे छेड़खानी करते हैं जब उनको रोकते हैं तो वह मानते नहीं है। ऐसी स्थिति में अब अन्तिम रास्ता संघर्ष का ही रह गया है हम लड़ने मरने को तैयार हैं आर०ए०सी० भवन आर०ए०सी० का नहीं है वह कोटा दरबार का है जिस पर उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। उन लोगों से विनम्रता से व्यवहार करने से काम चलने वाला नहीं है। सरकार ने जवाब दिया कि हम वार्ता कर लेंगे। वार्ता क्या करनी है। उनको तो कुछ करना नहीं है, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, आर०ए०सी० के शौचालय को गटर लाईन से हाउसिंग बोर्ड जोड़ने को तैयार है। अब इसमें वार्ता का क्या काम है, आर०ए०सी० का आफिसर नव पन्जाबी है उसने मूछें खींच रखी है तो हम भी आर०ए०सी० के गटर के पानी को गोदावरी धाम में नहीं जाने देंगे। एक बात और है कि नगर परिषद्, कोटा चार पाँच लाख रुपये लगा कर गोदावरी धाम का सौन्दर्य करण कर रही है और आर०ए०सी० अपनी जिद्द पर अड़ी हुई है वह उसको उजाड़ रही है। इसे किसी भी कीमत पर, किसी भी मूल्य पर बर्दाश्त नहीं करेंगे यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है वह कहते हैं कि मैं प्रतिक्रिया वादी हूँ, हां मैं प्रतिक्रियावादी हूँ। न्यूटन ने गति के बारे में कहा है कि Every action creates reach on in opposit direction with Similar force हां, तो मैं प्रतिक्रियावादी हूँ क्योंकि जो चेतन है वह कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा उसकी अभिव्यक्ति के

(श्री हरीश शर्मा)

के कारण। अगर मुझे प्रतिक्रियावादी कहा जाये तो कहा जावे मैं तो हिन्दु हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं वहाँ पर आर०ए०सी०....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य आप बैठ जायें। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर।

श्री राम किशोर मीणा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप भाषण थोप रहे हैं। कृपया विराजिये।

श्री रामकिशोर मीणा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : यह गम्भीर समस्या है।

श्री हरीश शर्मा : एक निवेदन है, मंत्री जी बैठे हैं कुछ तो कहें, गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री को वक्तव्य देने का नहीं था। मामला आसन के भी सामने आ गया। मंत्रीजी ने भी इस विषय का अध्ययन किया है। इस विषय की ओर सरकार का ध्यान और तरीके से आकर्षित कर सकते हैं।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार निवेदन करूंगा कि दो गटर लाइन जोड़ने का क्यों नहीं सोचा। आज भी पड़ी है गटर की लाइन उसको नहीं जोड़ा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस समस्या पर अपन अलग से बैठकर विचार कर लेंगे।

श्री हरीश शर्मा : सारा खर्चा उठाने को हम तैयार हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्यमंत्री, गृह) : मैंने अभी आदेश दिये हैं, एडिशनल आई.जी. को कोटा भेज रहा हूँ। वह मामले को देखकर निर्णय कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : रामकिशोर मीणा, संक्षेप में।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आप पुनः विचार करके वक्तव्य दिलवा दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सम्भव नहीं होगा।

श्री रामकिशोर मीणा : मैंने जानकारी करके पता लगाया है कि पोद्दार मिल का पहले भी दस बार कनेक्शन कट चुका है। फिर भी लगातार बिजली की चोरी एक हेबिचुअल ऑफेंडर के रूप में करते आ रहे हैं। जब जे. ई. एन. ने इसको पकड़ा, इसके मीटर की सील टूटी पाई गई। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चीफ इंजीनियर, चेयरमेन सबकी सलाह ली और सतर्कता विभाग की सलाह और उसका सहयोग लेकर इसका कनेक्शन काटा गया। अच्छा होता, चोरी का केस पुलिस में दर्ज होता। पूर्व में जितने भी कनेक्शन काटे गये हैं सारे मामले कोर्ट में पैंडिंग हैं। इसमें इतनी ताबड़-तोड़ की गई है कनेक्शन जोड़ने में कि तीन रोज पहले 24 फरवरी को कनेक्शन काटा गया और 27 तारीख को इतवार, छुट्टी के दिन, को सतर्कता विभाग को बगैर विश्वास में लिये हुए, जयपुर के चेयरमेन, चीफ इंजीनियर को बिना विश्वास में लिये पता नहीं किस आदेश के तहत उनका ताबड़-तोड़ कनेक्शन जोड़ दिया। इस तरह की घटना ग्रामीण क्षेत्र में हो जाती है, काश्तकार किसी तरह से बिजली की चोरी करते पकड़ लिया जाता है तो उसकी पूरी जिन्दगी खराब हो जाती है, उसको केस में फंसा दिया जाता है। किन्तु एक मिल मालिक है उसने बहाना कर लिया कि श्रमिकों में बड़ा असन्तोष बढ़ रहा था, कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी। एक व्यक्ति चोरी करे और वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बरगलाकर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भय उत्पन्न करके सरकार को डराये और सरकार के डर के मारे सरेंडर कर दे, बड़े शर्म की बात है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा बिजली की चोरी जैसे यहां पकड़ी गई है इस तरह की कई और मिलें हैं जिसमें लगातार व्यापारी वर्ग अधिकारियों और सत्ताधीशों से मिलकर इस तरह की गड़बड़ करते हैं। जबकि ग्रामीण इलाके का कोई व्यक्ति····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, आप यह बात पूर्व में कह चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : इस पर वक्तव्य दिलवा दें तो बेहतर होता····

श्री अध्यक्ष—वक्तव्य आपका भी हो गया, मेरा भी हो गया।

श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जबसे सरकार ने स्पेशल रोड टैक्स लगाया है उस वक्त से यह स्थिति पैदा हुई है। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि स्पेशल रोड टैक्स सरकार ने लगाया उसको तो बस आपरेटर देने के लिए तैयार हैं और वह देते आये हैं, लेकिन सरकार उनको इस बात के लिए बाध्य कर रही है कि जो हम टाइम टेबल दें, उसके अनुसार आप बस रूट पर चलायें और टैक्स दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के जो गाँव हैं उन गाँवों के अन्दर जहाँ राजस्थान पथ परिवहन की बसें नहीं चलती हैं वहाँ आने-जाने के रास्ते बहुत ऊबड़-खाबड़ हैं। बस ऑपरेटर बसों को नागौर

(श्री महाराम चौधरी)

से मकराना तक चलायें वह रास्ता 128 किलोमीटर लम्बा है। 128 किलोमीटर ऊवड़-खाबड़ रास्ते के ऊपर बस आना-जाना करे तो वह एक ट्रिप कर सकता है, लेकिन सरकार कहती है कि तुम तीन ट्रिप करो। तीन दफा आना जाना बहुत मुश्किल है। इससे बस ऑपरेटरों का नुकसान होता है, जहाँ एक महीने के अन्दर 1700 रुपये का टैक्स लगता है, उसके बजाय 3400 रुपये का टैक्स लगेगा। 3400 रुपये का टैक्स देने की उनकी सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य नहीं होने की वजह से बस ऑपरेटरों ने पिछले एक महीने से वहाँ बसें चलाना बन्द कर दिया है।

((1·06 म. प.)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

गाँवों में बसें चलना बन्द होने से सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले किसान हैं, जनता है उसको हो रहा है। इतने दिन किसान लोग खेती-बाड़ी करते रहे, वह काम देखते रहे, अब किसान खाली है, दूसरे अपने राजस्थान के अन्दर जिसे सावा कहते हैं, उसमें किसान लोग शादी-ब्याह करने के लिए इधर-उधर आने जाने के लिए बस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन सरकार अपने आप को जिद्दी समझकर इस समस्या के ऊपर बिलकुल ही पुनर्विचार नहीं करती है और जवाब में कहती है कि बस आपरेटर हाईकोर्ट चले गये हैं। हाई-कोर्ट से सरकार को कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं दिया है कि सरकार किसी तरह से इस मामले में पुनर्विचार नहीं कर सके। मेरी बस आपरेटरों के प्रति इतनी चिन्ता नहीं है जितनी चिन्ता ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए है क्योंकि राजस्थान रोडवेज की कोई बस नहीं जाती है और दूसरा कोई आने-जाने का साधन नहीं है वह भी ऐसे समय में जबकि शादी ब्याह का वक्त होता है। इस कारण वहाँ की जनता के अन्दर इतना भयंकर रोष है कि उसकी कोई नहीं है। बस सेवा बन्द होने से 64-65 बसें बन्द हुई पड़ी हैं, एक-एक बस पर तीन-चार आदमियों का स्टाफ लगा हुआ है वह बेकार बैठे हैं, उनको कोई काम नहीं मिला। मेरा यह स्थगन प्रस्ताव देने का मतलब यह था कि सरकार बातचीत करके उनकी जो समस्या है, स्पेशल रोड टैक्स के साथ-साथ जो समय सारिणी की सरकार उन पर पाबन्दी लगाना चाहती है कि तीन-चार ट्रिप आप दिन में करो, उसके हिसाब से रोड टैक्स दो, स्पेशल रोड टैक्स दो। मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करके इन बस ऑपरेटरों से समझौता करके इस समस्या को सुलझाये और वहाँ बसों को सुचारू रूप में चलाने की व्यवस्था करें, नहीं तो बस ऑपरेटर्स की हड़ताल ही नहीं होगी, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी हड़ताल कर देंगे।

श्री सभापति : अब समाप्त करिये।

श्री महाराम चौधरी : और सरकार को समस्या को सुलझाना मुश्किल हो जायेगा, बड़ी आफत होगी। सरकार की यह आदत पड़ गई है कि समस्या को उलझने के बाद कई दिन तक अटकाये रखती है और सुलझाने का प्रयत्न नहीं करती है।

(श्री महाराम चौधरी)

जिससे समस्या भयंकर रूप धारण कर लेती है। मैं अन्त में मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को जिद्दी नहीं बनना चाहिए और बस आपरेटरों से बात करके समस्या का समाधान करना चाहिये।

श्री सभापति : श्री छीतर लाल आर्य। अटरू पंचायत समिति जिला कोटा के मुख्यालय को खुरी से हटाकर देवाली में ले जाने के विषय में।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, जैसी कि सरकार से जानकारी आई है इस सन्बन्ध में कि मेरी अटरू पंचायत के मुख्यालय को चेन्ज करके देवाली के अन्दर सरपंच द्वारा ले जाया गया है। इस सन्बन्ध में जैसी मुझे जानकारी मिली है मिडिल स्कूल के लिए कहा गया है कि देवाली के अन्दर मिडिल स्कूल है। माननीय सभापति महोदय, वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, कोई किसी प्रकार का मिडिल स्कूल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, खुरी के अन्दर ही मिडिल स्कूल है। सभी प्रकार की सुविधायें पंचायत खुरी के अन्दर मौजूद है। पंचायत समिति मुख्यालय सदैव से ही, माननीय सभापति महोदय, वहाँ था लेकिन सरपंच की राजनैतिक दुर्भावना और उसके व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण पंचायत समिति मुख्यालय चैन्ज करने का मामला सामने आया है। यह सारी राजनीतिक दुर्भावना-वश ही किया गया है। माननीय सभापति महोदय, वहाँ करीब 6-7 ग्राम पड़ते हैं यह पंचायत समिति मुख्यालय सब गावों के मध्य पड़ता है।

(1·11 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अब उसको खुरी से ले जाया जाकर देवाली के अन्दर स्थित किया गया है। उन गाँवों से देवाली का एक तरफ रास्ता पड़ता है 5 किलो मीटर, इससे वहाँ की सारी जनता को असुविधा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है और यह सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो उस पंचायत समिति मुख्यालय को वहाँ जाने से रोका जाना चाहिए वरना यह सरकारी राशि का और जनता के पैसे का दुरुपयोग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर नहीं रोका गया तो वहाँ जन-आन्दोलन की सम्भावना है। इस वजह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करें, पंचायत समिति मुख्यालय सदैव से ही खुरी के अन्दर स्थित था, उसे खुरी में ही रखा जाये जिससे जनता को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह-पेपर आउट होने के बारे में दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : दो मिनट में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, समय दिया आपने।

श्री अध्यक्ष : आप सीधे तथ्यों पर आ जाइये। भूमिका नहीं बांधे।

श्री नाथूसिंह : सीधे तथ्यों पर ही बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान समाचार पत्रों की ओर दिलाना चाहूँगा, आज के समाचार पत्रों की ओर....

श्री अध्यक्ष : सूचना समाचार पत्रों पर आधारित नहीं होनी चाहिये। सूचना अपनी निजी जानकारी पर और अपनी निजी संतुष्टि पर आधारित होनी चाहिए, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पेपर जो आज सुबह हुआ है समाचार पत्रों ने कल शाम को छाप दिया। कोमां, फुलस्टाप सहित राजस्थान पत्रिका ने इस पेपर को 3 पृष्ठ पर यों का यों छाप दिया सुबह इसका इम्तिहान हुआ है। कल पेपर प्रेस में गया होगा....

श्री अध्यक्ष : अखबार भी तो सुबह ही मिला होगा, पेपर के साथ ही अखबार मिला है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह दुर्दशा है शिक्षा की कि पेपर समाचार पत्रों में छप जाये। आठवीं क्लास का इंग्लिश का पेपर है, अध्यक्ष महोदय, वह आउट हुआ इसलिए कि अनरिकगनाइज्ड स्कूल हैं, नियमों के हिसाब से उनको पेपर नहीं देना चाहिए लेकिन इन्होंने दे दिया। जो रिकगनाइज्ड स्कूल हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया तो उनको धमकियां दिलवाई गयी कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका एक आर्गेनाइजेशन बना हुआ है। उस आर्गेनाइजेशन ने इनके पास जाकर कहा कि ऐसे कैसे पेपर दे रहे हैं, आउट हो रहे हैं। इस तरह से जो इन्टेलीजेन्ट हैं वह फैल हो जायेंगे और जिनके पेपर हाथ पड़ गया पास हो जायेंगे। उसकी ऐसी परिस्थिति में सरकार की जिम्मेदारी है। जो पेपर आउट हो रहे हैं, वह इसी क्लास के नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह पेपर विभागीय होते हैं और विभागीय पेपर की रूल्स के हिसाब से पहले जांच करनी पड़ती है, लिस्ट बनती है, कितने रिकगनाइज्ड स्कूल हैं, कितने पेपर छपवाने चाहिए, कितने स्टुडेन्टस हैं लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं रखकर पेपर दे देते हैं और पेपर आउट हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह तो आठवीं क्लास का मामला है जिला शिक्षा अधिकारी के लेवल तक का है लेकिन विश्वविद्यालय के भी कामर्स के 3 क्वेश्चन्स 300 रुपये में बिके। एक क्वेश्चन की कीमत सौ रुपये। यह राजस्थान विश्वविद्यालय की हालत है आज। यह तो नीचे के स्तर की स्कूल की शिक्षा की हालत है कि पेपर समाचार पत्रों में छप जाते हैं पर विश्वविद्यालय स्तर पर, अध्यक्ष महोदय, कामर्स के 3 क्वेश्चन्स 300 रुपये में बिके हैं। जो पेपर आउट करता था वह भी ऐसा था कि 3 क्वेश्चन्स अलग-अलग देता था। एक आदमी को कोई 3 क्वेश्चन्स दे दिये और दूसरे को कोई 3 क्वेश्चन्स दे दिये। तो शिक्षा की इस तरह

(श्री नाथूसिंह)

से अव्यवस्था है। मैं केवल सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था। माननीय मंत्री महोदय हैं नहीं। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से भी बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह की धांधली हो रही है। मैं चाहता हूँ, सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले और इस अव्यवस्था को रोके।

श्री अध्यक्ष : आधा घण्टे की चर्चा। श्री मोहनलाल मोदी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर····

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन मूव किया है। मैं जानना चाहूंगी कि इसके बारे में क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में अभी सुरक्षित है व्यवस्था।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने 295 का एक नोटिस दिया है····

श्री अध्यक्ष : काहे के बारे में ? अनाज के बारे में।

श्री यदुनाथ सिंह : जी हां, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, उसके लिए मैं व्यवस्था करूंगा।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : यही सवाल मैं रख रहा था····

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दे दूँगा। सत्रावसान से पहले अवसर मिल जायेगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर,

श्री महाराम चौधरी : आप तो यों कहो सत्रावसान के पहले गेहूँ को छूट दे दी जायेगी।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : 295 के तहत अनाज के बारे में हमने भी दिया था।

श्री अध्यक्ष : अनाज के बारे में ऐसा है कि कई इस तरह के प्रस्ताव आये हैं इसलिए मैं उस पर विचार कर रहा हूँ। कुछ न कुछ व्यवस्था आपकी कर दूँगा।

आधे घण्टे की चर्चा

पुलिस स्टेशन पाटन (सीकर) में दर्ज मुकदमा

श्री मोहनलाल मोदी

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 700 जो 16-4-84 को पूछा गया, के सन्दर्भ में आधे घण्टे की चर्चा के लिए रखा गया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने समय दिया।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 700 मुकदमा नं. 32/83 थाना पाटन जिला सीकर से सम्बन्धित है। मुकदमें के वाकयात इस प्रकार हैं, गीलाराम पुत्र भूरे खां फकीर मुसलमान हसामपुर, जो नीम का थाना में है, मुन्सिफ कोर्ट नीम का थाना में 156/3 के तहत एक इस्तगासा पेश किया और

(श्री मोहनलाल मोदी)

इस्तगासे में उसने दर्ज किया कि उसकी भाभी मुसमात फातमा से जसवन्तसिंह, बुदसिंह, रामसिंह, मोहनसिंह, पूर्णसिंह ने घर में घुसकर मारपीट की और जसवन्तसिंह ने मुसम्मात फातमा की छाती पर चढ़कर लज्जा भंग करने पर आमादा हो गया तो उसने हल्ला मचाया तब मोहल्ले वालों ने आकर छुड़ाया और उनकी लाठियां छीन ली। इस इस्तगासे को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नीम का थाना ने एस० एचं० ओ० पाटन के पास जांच हेतु भेजा जिस पर मुकदमा नं 32/83 दर्ज करके एस. एच० ओ० ने मौके पर पहुंचकर गीलाराम, उसकी मां उसकी बहिन और दो तीन निष्पक्ष व्यक्ति के बयान लिये बयान लेकर उसने मुकदमे को सही माना सारे बयान हो गए मुकम्मिल हो गए तो ए० पी० पी० सैकिन्ड नीम का थाना के पास इस मुकदमे को राय के लिए भेजा। ए० पी० पी० सैकिण्ड नीम का थाना ने इस मुकदमें में जुर्म साबित होना, काबिल चालान होना बताया और धारा 394 का जुर्म वकूलें में माना बताया। एस०एच० ओ० ने इसके बाद डी० एस०पी नीम का थाना के पास यह फाइल भेजी और सारे हालत बताये। डी० एस० पी० नीम का थाना ने मुलजिमान को गिरफतार करने के आदेश दिये। अध्यक्ष महोदय, मुलजिमान गिरफतार हो गए। मुलजिमान गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट में जमानत के लिए गये। कोर्ट के अन्दर मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत ने मोहनसिंह के खिलाफ 394 का जुर्म मानते हुए उसकी जमानत नामंजूर कर दी, जमानत नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, यह तो वाक्या है इस मुकदमें का। अब आप देखिये, किस तरह से चाल होती है। इनमें से मुलजिम पार्टी हमारे एस० पी० सीकर के पास पहुंचती है मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इतना भ्रष्टाचार एस० पी० महोदय के दिल घुसा हुआ है कि उन्होंने सौदेबाजी की सौदेबाजी करने के बाद उन्होंने जो उनका साला है उसके दामाद, जो, वहां पर ए० एस० पी० ढिल्लो लगे हुए हैं, इस तफतीश के लिए हसमपुर में भेजा। अध्यक्ष महोदय, ढिल्लो सहाब वहां पर पहुचे। वहां पर पहुँचने के बाद उन्होंने उनके बयान लिये। लालराम के बयान लिये,। लालाराम की मां के बयान लिये और उस मुसम्मात फातमा के बयान लिये, उन्होंने जो बयानात एस० एच० ओ० को दिये थे उनकी ताईद की इसके बाद ढिल्लों सहाब ने रिपोर्ट दी कि गवाह नहीं आये। जो मुकदमें में गवाह थे उनको नहीं बुलाया गया और यह झूठ कह दिया कि गवाहात नहीं आये। उनको कोई नोटिस जारी नहीं किये इस तरह की कार्यवाही करके एस० पी० महोदय ने इसके अन्दर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करके मुकदमें में एफ०आर० दे दी।

अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक जाति की स्त्री केसाथ इस प्रकार का व्यवहार, मुकदमा दर्ज हो, मुकदमे की पूरी तकमील हो, डी. वाई. एस. पी. स्वयं आदेश दे गिरफतारी करने के, मुलिजमान गिरफतार हों और उसके बाद पैसा देकर वह छूट जाये, इस तरह से, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी पूरी निष्पक्ष

(श्री मोहन लाल मोदी)

निष्पक्ष जांच करायें, एस. पी. महोदय के खिलाफ कार्यवाही करें और जनता को न्याय दिलायें, यह मेरा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्यमंत्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23-5-83 को श्री गीला-राम पुत्र भूरे खां जाति मुसलमान निवासी हसाम पुर ने थाना पाटन जिला सीकर मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक नीम का थाना के समक्ष एक प्राईवेट इस्तगासा प्रस्तुत किया, जिसमें उसने मोहनसिंह, जसवंतसिंह, बुद्धिसिंह, पूरनसिंह तथा रामसिंह राजपूतान निवासी हसामपुर के विरुद्ध आरोप लगाये कि इन्होंने दिनांक 20-21 की रात को एक राय होकर उसके घर में लाठियां लेकर प्रवेश कर उसके व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की; उसकी भाभी का बुरी नीयत से हाथ मुलजिम जसवंतसिंह ने पकड़ लिया और मारपीट कर 200) रुपये निकाल कर ले गये।

न्यायिक दण्डनायक नीम का थाना द्वारा इस इस्तगासे पर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान करके निर्देश धारा 156 (3) जा. फौ. के अन्तर्गत थाना पाटन पर प्राप्त होने पर अभियोग संख्या 32 दिनांक 9-6-83 धारा 147, 452, 379, 354 ता० हि० पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

अनुसंधान के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी द्वारा लोक अभियोजक द्वितीय से अभियोग में राय प्राप्त की जिन्होंने साक्ष्य के आधार पर मुलजिमान के विरुद्ध 147, 457, 394, 345, 323 ता० हि० का अपराध प्राथमिक रूप से बनना पाये जाने की राय दी जिस पर वृताधिकार नीम का थाना द्वारा मुलजिमान की गिरफतारी अमल में लाये जाने के निर्देश थाना अधिकारी पाटन को दिये गये।

थाना अधिकारी पाटन द्वारा नामजद पांच अभियुक्तों में से जसवन्तसिंह, रामसिंह, मोहनसिंह एवं बुद्धसिंह को दिनांक 16-9-83 को गिरफ्तार किया गया। अगले रोज दिनांक 17-9-83 को इन चारों अभियुक्तों को रिमाण्ड हेतु न्यायिक दण्डनायक नीम का थाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुलजिमान की ओर से जमानत की दरख्वास्त प्रस्तुत होने पर दण्डनायक द्वारा मुलजिम जसवन्तसिंह व बुद्धसिंह को पांच पांच हजार की जमानत पर छोड़े जाने के निर्देश दे दिये गये तथा मुलजिम मोहनसिंह के विरुद्ध धारा 394 ता० हि० का अपराध बनना पाये जाने पर जमानत अस्वीकार की जाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तथा मुलजिम रामसिंह का दिनांक 19-3-83 तक का पुलिस रिमाण्ड रुपयों की बरामदगी हेतु स्वीकृत किया। बाद में इन दोनों अभियुक्तों को भी जमानत पर अदालत द्वारा छोड़ दिया गया।

पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा 5-10-83 को मुलजिमान की ओर से परिवाद प्रस्तुत होने पर ए. एस. पी., सीकर को पुनः अनुसंधान करने के निर्देश दिये गये जिस पर सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

अनुसंधान से सहायक पुलिस अधीक्षक, सीकर ने मुस्तगीस द्वारा उसके भाई मुंशी के विरुद्ध शराब के ठेकेदार विजयकुमार एवं उसके आदमियों के अभियोग सं० 25/83 पंजीवद्ध कराये जाने के विरोध में यह अभियोग झूठा पंजीबद्ध कराना पाया। अतः अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू देने के निर्देश पुलिस अधीक्षक ने दे दिये। डी. आई. जी., जयपुर ने तफतीश अपने रेंज सैल में करवाने के आदेश अभी कुछ दिन पूर्व ही दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था उस वक्त मैंने यह आदेश दिये थे, अभी अदालत में एफ. आर. पेश न की जाये और पत्रावली को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अब यह कालिंग अटेन्शन की सूचना प्राप्त हुई, मेरे आदेश जाने से पूर्व डी. आई. जी. जयपुर ने उस पत्रावली को अपने यहां मंगा लिया है और अपने ही रेंज सैल में उसमें जांच के आदेश दे दिये हैं, श्रीमन्।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ, इसमें उन्होंने कारण क्या लिखे हैं एफ. आर. देने के लिये। मिस्टर ढिल्लो ए. एस. पी. उनके साले के दामाद हैं।

एक 25/83 का जो आपने जिक्र किया, अध्यक्ष महोदय, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था। यह सारे का सारा केस किस प्रकार से बना है वह मैं आपको निवेदन करना चाहता था। यह मुकदमा 5/83 थाने में दर्ज हुआ। एक हरिजन के कुएं से मोटर निकली, वह मोटर चोरी हो गई। उसके लिये मोहनसिंह को मुलजिम करार दिया जिन लोगों ने यह गवाही दी कि हम लोगों ने इसको मोटर ले जाते देखा है उन लोगों पर 25/83 का मुकदमा बना दिया। 25/83 मुकदमों में उन लोगों का चालान कर दिया एस. पी. महोदय ने, क्योंकि वे स्वयं एक बहुत बड़े ठेकेदार के बहनोई हैं। ढिल्लो साहब उसी ठेकेदार के दामाद हैं। तो सीकर जिले के अन्दर इस तरह से अन्याय एस. पी. महोदय और ए. एस. पी. की तरफ से हो रहा है। हर एक थाने से पैसे लेना और इस तरह से....

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने निवेदन

(श्री मोहनलाल मोदी)

किया है सीकर जिले के अन्दर इतना भ्रष्टाचार एस. पी. के द्वारा हो रहा है। मैंने निवेदन किया है मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि एस. पी. के खिलाफ जांच कराके उस पर कार्यवाही करेंगे।

प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, एस. पी. इसके बीच में कहीं आता नहीं है। ए. एस. पी. ने इसकी जांच की। किसके रिश्तेदार हैं किसके नहीं है, अब पुनः जांच हो रही है। हर एक अधिकारी के जांच करने का नजरिया होता है, अपने-अपने तरीके से जांच करते हैं। डी. आई. जी. के पास में आ गया है, उनकी रेंज सैल में जांच हो रही है। जांच के बाद नतीजा आने के बाद ही उसके ऊपर अग्रेत्तर विचार करना संभव हो सकेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कुचामन सिटी में चोरी के आरोपी श्री कमल किशोर शर्मा की पुलिस द्वारा गोली मार कर हत्या

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन तथा श्री रामकिशोर मीणा। कुचामन सिटी में कमल किशोर शर्मा की गोली मारकर हत्या के सम्बन्ध में। संक्षेप में माननीय सदस्य। समय का आज अभाव है।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह संक्षेप में ध्यानाकर्षण करूंगा लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन करता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कई बार जब गम्भीर मसला आता है आप स्वयं अपनी तरफ से क्वेरीज रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिये उस समय की बचत कर लें कम से कम।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूँ, यह आज का मसला ऐसा ही है, इस मसले पर मैं चाहता हूँ ध्यान आकर्षण में जो तथ्य रखे गये हैं उन तथ्यों के आधार पर गृह मंत्री जी जो जवाब दें उसको आप स्वयं देख लें, सब पैरेलल चलेगा। यह 7 मार्च से घटना चलती है और पटापेक्ष हो जाता है 13 मार्च तक। 7 मार्च से 13 मार्च तक पुलिस ही प्रेस को ब्रीफ करती रही है, घटनाएं होती रही हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल के गोदाम से चाय की चोरी हो गई उसने कुचामन सिटी थाने पर रिपोर्ट दे दी, उसमें नाम किसी का नहीं है, अध्यक्ष महोदय, किसी का नाम नहीं है। उसमें कहा है, मेरे गोदाम से चाय चोरी चली गई। 7 मार्च को रिपोर्ट की, 8 मार्च को उस पर कुछ नहीं होता 9 मार्च को कुछ नहीं होता 10 तारीख को थाने से तीन कांस्टेबल बाजार में जाते हैं, शक के आधार पर लाला राम, कमल किशोर और कोई वहां था लाल पुरोहित, इन तीनों को पकड़ते हैं। पुलिस का यह कहना है कि जब उन्होंने कमल किशोर को पकड़ा तो उसने छुड़ाने के लिये चाकू मार दिया। वास्तविक स्थिति माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है जब यह तीनों कान्स्टेबल पकड़ने के लिये गये तो वहीं बाजार में उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद क्या हुआ

(श्री कैलाश मेघवाल)

क्या नहीं हुआ, यह घटनाचक्र मंत्री जी बतायेंगे। 7 बजे कान्स्टेबल पकड़ने को गये जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ा, उसने छुड़ाने के लिये कान्स्टेबल जगदीश को चाकू मार दिया और कान्स्टेबल सरवर खां को चाकू मारा। जगदीश को अजमेर अस्पताल में इन्होंने भर्ती करा दिया 7 बजे यह सारा वृतान्त अधिकारी और दूसरे सारे पुलिस अधिकारियों को दे दिया। 9॥ बजे कुचामन सिटी की पुलिस की पूरी फोर्स आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी घटना 10॥ बजे चालू होती है। 10 बजे उन्होंने कमल किशोर जो मर गया, सारे घर का घेराव कर लिया और नाकेबन्दी कर दी नाकेबन्दी में आर. ए. सी. के तीन व्यक्ति उसके घर के बाहर लगा दिये कि कमल किशोर को पकड़ना है। यहं इन्होंने तैयारी की। 12 बजे उस घर से दो व्यक्ति निकले। पुलिस कहती है, एक का नाम है चम्पालाल दूसरे का नाम गजाधर। गजाधर और चम्पा-लाल जब उस घर से निकले पुलिस का वर्सन यह है कि उनको टोका कि तुम कहां जा रहे हो। जब टोका तो उन्होंने बम फैंक दिया। बम फैंकते ही हमारे खेत सिंह, जो एक कान्स्टेबल है, को लगा और कान्स्टेबल ने गिरते-गिरते उसके गोली मार दी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूँ कि वास्तविक स्थिति यह थी कि पुलिस इस तैयारी में थी, 7-00 बजे की जो घटना हुई उससे क्रोधित थी। जो भी उस घर से निकलता उसको पुलिस परेशान करती वे दोनों निकले तो पुलिस ने ललकारा वह भागे, भागते हुए उन पर गोली चलाई। चम्पा लाल के गोली लगी और चम्पालाल के गोली लगने के बाद दूसरा जो गजाधर था उसको भी लगी इनके वर्सन के अनुसार रेवतसिंह को बम लगा किन्तु वस्तु स्थिति जो है पुलिस ने आज तक कहीं क्लियर नहीं की है रेवतसिंह को लगा, यह सच है या क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे लेकिन रेवतसिंह की बम विस्फोटक सामग्री से मृत्यु होना सामने आया और वह मर गया। उसके जब लगी तो उसको अजमेर अस्पताल में भेज दिया वहां उसकी मृत्यु हो गई। चम्पालाल को जो गोली लगी थी उसको भी अजमेर अस्पताल में भेज दिया। वहां वह बच गया और गजाधर मर गया। यह घटना है 10 तारीख की रात के 12-00 बजे की। इस घटना के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सूचना जाती है सारा पुलिस का अमला, डी० आई० जी, एस० पी० कुचामन सिटी में जाते हैं। 11 तारीख को सारे दिन कुचामन सिटी में आतंक रहा जहां-जहां भी जिन-जिन लोगों की तलाश थी जहां भी वे मिल सकते थे, मैं आपके द्वारा राज्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपकी पुलिस ने 11 तारीख को सारे दिन क्या कार्यवाही की इस कार्यवाही को आप बताइये, क्योंकि आपका वर्सन इस मामले में कुछ नहीं आया। प्रयत्न लगातार एस० पी०, डी० आई० जी० और पुलिस करती रही है पर कुछ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद 11 तारीख को ये घूमते रहे हैं। इन्होंने कई लोगों को पकड़ा। किन्तु पकड़ने की बात छिपाई। जहां जहां ये जा सकते थे उनकी पकड़-पकड़ कर ठुकाई की जहां-जहां उसकी उठ-बैठ थी। उनकी ठुकाई की। इस तरह सारे नगर में आंतक फैला दिया। उनका कोई

(श्री कैलाश मेघवाल)

पता नहीं चला। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख की रात निकली है, 12 तारीख को सवेरे सबसे क्रूसल पाइन्ट आता है, क्रूसल इसलिये निवेदन कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख को सवेरे पुलिस को एक मुखबीर से सूचना मिली। सूचना मिली होगी क्योंकि वहां एक बगीची है हनुमान जी की, जो कुचामन सिटी से तीन मील दूर है एकान्त में, वहां पर पुलिस ने 11 तारीख को मार पीट की या आतंक जमाया, उससे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वहां पर कमल किशोर छिपा हुआ है। 5-00 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के 200 लोगों ने हनुमानजी की बगीची पर घेरा डाल दिया जिसमें आर्म्ड लोग भी थे सब तरह के पुलिस के लोग, सब पुलिस अधिकारी पहुँच गये। उन्होंने जाकर पुजारी से पूछा है। पुजारी ने कहा, भाई यहां तो कोई नहीं है। यहां कोई नहीं है, इसके बाद पुलिस का कहना है कि हमको पता लग गया था कि अन्दर है हमने दरवाजा खटखटाया तो अन्दर से कमल की आवाज आ गई, आवाज पहचान ली। कमल ने कहा, मेरे पास बम है, भाग जाओ नहीं तो मैं फैंक दूंगा, इनका यह कहना है। उसके बाद कमल आधा घंटे बाद भागने को निकला तो उसने बम जैसी चीज कोई फैंकी। उसके हाथ में पाइप था इस कारण से हमारे कान्स्टेबल की जान को खतरा हो गया इसलिये गोली मार दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रूसल पाइन्ट यह है कि उस बगीची में दो आदमी थे, एक तो पुजारी और पुजारी के अलावा कमल किशोर, एक कमरे में छिपा हुआ था। कमल-किशोर यह जानता था कि 200 लोगों का घेरा पड़ चुका है इनका यह कहना है कि उसने धमकी दी है, बम हलांकि कोई बम नहीं मिला है। इसीलये मैं आपके द्वारा माननीय राज्य मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि उसने धमकी दी तो कहीं उसके घर से या बगीची से एक बम भी आपने बरामद किया। इनका यह कहना है कि उसने कुछ फैंका। तो वह फैंकी हुई चीज क्या थी ? मेरा निवेदन करना यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख को घटना 7-00 बजे हो गई, या 12-00 बजे हो गई। 11 तारीख को सारे दिन आतंक चला पुलिस प्रतिरोध लेना चाहती थी मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमल किशोर समर्पण की स्थिति में निकला था सवेरे पांच बजे यह सारी स्थिति देख के बिलकुल समर्पण करते हुए कमरे से बाहर आ गया। उसको पुलिस ने गोली मारी है, उसकी हत्या की है। हो सकता है कि 10 तारीख को कुछ भी हुआ हो अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ और माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ कि आपकी यह स्टोरी भी पेरेलल चलेगी। लेकिन घटना का नतीजा यह सामने आता है, घटना यह संकेत करती है कि पुलिस ने उसको बाहर निकलते ही गोली मार दी। मैं आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि गोली मारी थी श्री नाट श्री। श्री नाट श्री की गोली से आदमी वहीं ढेर हो गया, कमल किशोर वहीं मर गया। सारे गांव में आतंक था और उस आतंक की वजह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको अजमेर हास्पिटल ले गये पुलिस का यह कहना है कि ले जाते-ले जाते रास्ते में मर गया। मैं तथ्यों के आधार पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

घटना की जो वास्तविक स्थिति है, वह रखना चाहता हूँ। क्या आपके पास मेडीकल एवीडेन्स है ? श्री नाट श्री की जहां पर उसको गोली लगी थी क्योंकि इन्टेशनली निशाना करके उसको मारा गया था, पुलिस ने हत्या की थी प्रतिशोध लेने के लिये और अपना आतंक जमाने के लिये। वह वहीं तय हो गया था यह सोच करके कि नहीं, यहां टेन्सन ज्यादा हो सकता है और कोई स्थिति हो सकती है, नगर में कोई तनाव बढ़ सकता है, तनाव था ही, आतंक था ही इसलिये उसको आप अजमेर ले गये और कह दिया कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। अजमेर में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को सारे दिन उसकी लाश पड़ी रही है और 12 तारीख को ही सारे दिन पुलिस कुचामन सिटी में आतंक मचाती रही इसलिये कि उनको मालूम था कि वह मर चुका है, कोई दूसरी घटना न हो जाय 13 तारीख को सवेरे लाश ला करके 7-00 बजे उसके मां-बाप को देकर कहा ले लो। माननीय अध्ययक्ष महोदय, सारे गांव वालों को दाग में जाने से निषेध कर दिया, आप देखिये पुलिस किस सीमा तक निर्दयी हो सकती है, किस सीमा तक नीचे गिर सकती है, सारे गांव वालों को निषेध कर दिया कि इसके दाग में कोई नहीं जायेगा। उसके वृद्ध पिता और 2-3 आदमियों ने मुश्किल से उसकी लाश ले जाकर लाश जलाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव के एक आदमी को उसके दाग में नहीं जाने दिया। यह पृष्ठभूमि बनी थी कि पुलिस ने मार दिया। आतंक फैला दिया, कई लोगों को मार दिया माननीय, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा, बहुत संक्षेप में इसलिये संक्षेप में मैंने जो तथ्य रखे हैं, फ़सल जो पाइंट थे वह मैंने आपके सामने रख दिये है। जो बगीची के बाहर····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा हैं. मंत्री जी का पहले उत्तर आ जाय, उसके बाद में कुछ विचार बिन्दु बन जायेंगे। पहले उत्तर आ जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने तथ्य रख दिये हैं, इतना ही निवेदन है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया तथ्य सामने आ जाय उसके बाद अवसर मैं दूंगा पहले मंत्री जी कह दें····

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : मेरा निवेदन है,····

(व्यवधान)

मेरे क्षेत्र का मामला है, अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन सुन लें ताकि गवर्नमेंट को जवाब देने में आसानी हो जाय।

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दे दूंगा। ऐसा है, पहले सरकार की ओर से वक्तव्य आ जाय, उसके बाद अवसर दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि मेघवाल साहब ने बताया है मैं भी कुछ बता दूं····

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से अधिकृत वक्तव्य आ जाय, उसके बाद आपको मौका दे दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : श्रीमन्, दिनांक 7-3-84 को प्रातः ओम प्रकाश अग्रवाल निवासी कुचामन सिटी ने अपने गोदाम से चाय की पेटियां चोरी हो जाने की रिपोर्ट थाना कुचामन सिटी पर दर्ज करवाई जिस पर अभियोग संख्या 26-84 धारा 457, 380 ता० हि० पंजीबद्ध किया जाकर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया।

अनुसन्धान से इस चोरी का सन्देह कमल किशोर, लाला पुरोहित एवं लालाराम ब्राह्मण निवासी कुचामन सिटी पर होने पर दिनांक 10-3-84 को इन संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी हेतु कान्स्टेबल जगदीश एवं कान्स्टेबल सरवर खां को नियुक्त किया गया। जिन्होंने लाला राम ब्राह्मण को थाने पर लाकर पेश किया जिसे उक्त अभियोग में गिरफ्तार किया गया।

यह दोनों कान्स्टेबिल कमल किशोर एवं लाला पुरोहित की तलाश करते हुए जब सायंकाल 7 बजे कुचामन नगर में हलवाइयों की गली में पहुंचे तो इन्होंने कमल किशोर को एक दुकान पर बैठे पाया। इन दोनों कान्स्टेबिलों ने उसे थाने पर चलने को कहा जिस पर कमल किशोर उनके साथ रवाना हो गया। मगर कुछ ही क्षणों में उसने अपनी जेब से चाकू निकाल कर कान्स्टेबल सरवर खां पर जान से मारने की नीयत से वार किया जिसे कान्स्टेबिल ने हाथ से रोक लिया जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट आई। यह देखकर साथ चल रहे दूसरे कान्स्टेबल जगदीश ने कमल की बाथ भर ली जिस पर मुलजिम कमल ने कान्स्टेबल के पेट में चाकू घुसेड़ दिया और मुक्त होकर भाग गया। गंभीर रूप से घायल कान्स्टेबल जगदीश को कान्स्टेबल सरवरखां ने तत्काल प्राइवेट जीप से अस्पताल पहुँचाया और थाने में आकर इस घटना की सूचना दी।

सूचना प्राप्त होते ही सहायक उप-निरीक्षक अस्पताल पहुँचा। कान्स्टेबिल जगदीश की हालत गंभीर होने पर डाक्टरों की सलाह पर उसे उसी समय इलाज हेतु अजमेर भिजवाया जहां पेट के आपरेशन के पश्चात उसकी हालत में सुधार हुआ और उसकी जान बच सकी।

पुलिस अधीक्षक, नागौर ने इस घटना की सूचना मिलते ही उप अधीक्षक, मकराना एवं उप अधीक्षक, डीडवाना को उसी रात कुचामन सिटी भेजा जिन्होंने रात में ही अभियुक्त कमल किशोर को पकड़ने हेतु विभिन्न मार्गों पर नाकाबन्दी करा कर पुलिस दल रवाना किये। मुलजिम कमल-किशोर के मकान के पास भी सशस्त्र कान्स्टेबिल तैनात कर दिये।

रात्रि को लगभग 12 बजे इन कान्सटेबलों ने दो व्यक्तियों को मुलजिम कमलकिशोर के मकान से संदिग्ध अवस्था में बाहर जाते हुए टोका जिस पर इनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस जवानों की ओर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एक अज्ञात वस्तु फेंकी जो कान्सटेबल रेवत-सिंह की बांयी जांघ से टकरा कर विस्फोट हुई जिससे कान्सटेबल गम्भीर रूप से घायल हो गया। फिर भी उसने जान की परवाह न करते हुए अपनी रायफल से भागते हुए बदमाशान पर गोली चलायी। उसी समय उसके दो अन्य साथी कान्स्टेबलान ने भी इन दोनों बदमाशान पर गोली चलायी जिससे बदमाश चम्पालाल पुत्र बनारसीलाल माली गोली लगने से वहीं गिर गया तथा दूसरे मुलजिम गजाधर को इन कान्सटेबलों ने भाग कर वहीं पकड़ लिया।

सूचना मिलते ही उप अधीक्षक, मकराना एवं थानाधिकारी मय पुलिस दल के तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और गम्भीर रूप से घायल कान्सटेबल रेवतसिंह को तथा मुलजिम चम्पालाल को अस्पताल पहुंचाया, जहां बावजूद डाक्टरी प्रयासों के कान्सटेबल रेवतसिंह की मृत्यु हो गयी। अभियुक्त चम्पालाल को डाक्टरों की सलाह पर अजमेर अस्पताल पहुंचाया गया, समय पर चिकित्सा मिलने के कारण वह अब स्वस्थ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडीकल बोर्ड ने कान्सटेबल रेवतसिंह की मृत्यु विस्फोटक पदार्थ से आयी चोटों से होना बताया है।

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश एवं अपर अधीक्षक पुलिस, नागौर से रात्रि को ही कुचामन सिटी पहुंच गये और स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिये। प्रातःकाल अजमेर से उप-महानिरीक्षक भी वहां पहुंच गये। मृतक कान्सटेबल रेवतसिंह की लाश को जिला सवाई माधोपुर में उसके गांव दौनायचा भिजवाकर अन्तिम संस्कार कर दिया गया।

अभियुक्त कमलकिशोर के मकान तलाशी लिवाई गयी जहां से अवैध कट्टा 303 बोर, कई कटारें, चाकू, बरछी, काफी चांदी के गहने, कपड़े, कार का रेडियो, टेप रिकार्डर, दीवार घड़ी बरामद हुए जिन्हें जब्त किया गया।

दिनांक 12-3-83 को प्रातः लगभग 7 बजे उप-अधीक्षक पुलिस, डीडवाना को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि बदमाश कमलकिशोर कुचामन शहर के बाहर तीन किलोमीटर दूर स्थित हनुमान जी की बगीची में छिपा हुआ है, इस पर पुलिस द्वारा बगीची को चारों ओर से घेर लिया गया।

मन्दिर के भवन के पास एवं बगीची में अभियुक्त की खोज करने पर कमरे का ताला बन्द मिला। पुजारी से कमरे के बारे में पूछा तो उसने किसी भी व्यक्ति का कमरे में ना होना व मन्दिर की सामग्री होना बताया। इसी बीच इस कमरे के पीछे वाले दरवाजे को जब पुलिस कर्म-चारियों ने खटखटाया तो अन्दर से एक व्यक्ति ने पूछा कौन है। इस आवाज को कान्सटेबल सरवर खां ने कमल की होना पहचान लिया जिस पर उसे आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया मगर उसने गाली देते हुए स्वयं के पास बम होना कहते हुए पुलिस दल पर फेंक देने की धमकी दी। इसी बीच उप-अधीक्षक पुलिस, मकराना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एवं अपर अधीक्षक पुलिस, नागौर वहां पहुंच गये और नाकाबन्दी कड़ी कर दी गयी। कुछ देर बाद मुलजिम कमल ने अचानक दरवाजा खोल कर एक कपड़े की पोटली यह कहते हुए कि उसमें बम है, पुलिस दल की ओर फैंकी और फुर्ती से लोहे के पाइप का टुकड़ा हाथ में लिए बाहर निकल कर पास खड़े एक कान्सटेबल पर हमलावर हुआ। कान्सटेबल की जान को खतरा देखकर जान बचाने हेतु यहां खड़े आर. ए. सी. के कान्सटेबल ने कमर पर गोली चलाई जो उसके लगी जिससे वह वहीं घायल होकर गिर गया।

उसी समय उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गये। उन्होंने घायल कमल को अस्पताल भिजवाया। कुचामन अस्पताल में उसके इलाज के पूर्ण साधन न होने कारण डाक्टरों की सलाह पर उसे अजमेर भिजवाया गया पहुंचते-पहुंचते उसने दम तोड़ दिया मृतक का पोस्ट मार्टम एक बोर्ड द्वारा अजमेर में करवाया जाकर लाश को अगले रोज कुचामन लाकर उसके पिता सूरजमल एवं परिवारजनों को सौंप दिया जिन्होंने ही इसका अन्तिम संस्कार किया।

मृतक कमल 13 वर्ष की उम्र से ही अपराधिक जीवन व्यतीत कर रहा था तथा नकबजनी, चाकूबाजी आदि घटनाओं में गिरफ्तार किया जा चुका था। वर्ष 1973 में वह एक नकबजनी के मामले में गिरफ्तार हुआ तथा वर्ष 1977 में चाकू मारने पर उसे एक वर्ष के लिए 1000 रुपये के मुचलकों पर पाबन्द किया गया था। वर्ष 1982 व 1983 में भी उसके विरूद्ध दो अभियोग बलवे व चाकूबाजी के दर्ज हुए थे, जिसमें वह फरार रहा तथा बाद में न्यायालय से जमानत पर आजाद हुआ।

वर्ष 1982 में शांति भंग करने के आरोप में 151 जा. फो. में गिरफ्तार हुआ तथा 1983 में साम्प्रदायिक दंगों में भी उसका सक्रिय हाथ रहा। मृतक की जेब से मिले परचों से इसके विरुद्ध कोतवाली, जयपुर में एक चोरी के अभियोग में चालान होना पाया गया जो विचाराधीन अदालत है।

इस सम्बन्ध में पंजीवद्ध अभियोगों में अन्वेषण जारी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किस्सा 7 तारीख से शुरू होता है और 13 तारीख की सुबह इसका खात्म हो जाता है। निवेदन यह है कि एक ओमप्रकाश गणपतलाल फर्म है, उसके यहां से 4 पेटी चाय की चोरी हुई। जैसे पहले 4–6 महीने से शहर में लगातार चोरियां हो रही थी और पुलिस उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी तो उस वनिये ने अपने सोर्स से यह पता लगाना चाहा कि चोरी किसने की है, किसने नहीं की है। अपने हिसाब से उसने दो आदमियों जो चोरी का माल लिया करते थे, को उसके पास भेजा। उनसे चाय का नमूना मिला तो उसने वताया भई फलां-फलां आदमियों से यह चाय ली है। उस आदमी से पूछा कि तूने यह चाय कहां से ली ? तो उसने बताया कि मैंने लालाराम से 19

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

किलो के भाव से चाय ली है। ओमप्रकाश ने पुलिस थाने में जाकर इत्तला की कि इस तरीके से मेरी 4 पेटियां चोरी हुई थीं उसमें से फलां आदमी ने चोरी का माल लिया है। उस आदमी ने चोरी का माल उसको दिया है। पुलिस ने लालाराम को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उससे आगे पूछताछ शुरू की। यह किस्सा 10 तारीख की दोपहर का है। वह लालाराम पुलिस वालों के साथ आया, उसने नाम बताया कि कमल निशोर जो हमारे गेंग का लीडर है, के संरक्षण में कह सारा काम करते हैं तो पुलिस ने सरवर खां और जगदीश नाम के सिपाही को भेजा। एक कलावन्द गली है कुचामन शहर के अन्दर उसके अन्दर कमलकिशोर बैठा था। सरवर खां ने उससे जाकर कहा कि भई, चल तेरे को थाने में बुलाते हैं। उसने कहा कि भई। मेरा क्या काम है? उसने कहा कि नहीं-नहीं तेरे को थानेदार बुलाते हैं। वह पुलिस का दोष था पहले ही, जो भी चोरियां या जो भी बातें होती थीं तो वह सारी उसके ध्यान में थीं कि ये चोर नहीं है। पुलिस अगर आज तक कार्यवाही करती तो यह घटना ही नहीं होती, मैं तो यह मानता हूं। यहां तक मानता हूं कि अगर पुलिस पहले सतर्क रहती तो न कोई पुलिस का गरीब सिपाही मारा जाता और न यह कमल किशोर मारा जाता, उससे कई बातें मालूम होतीं। श्रीमान्, सिपाही के कहने से कमल किशोर थाने के लिए रवाना नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सरवर खां ने उसको पकड़ना चाहा तो उसने चाकू निकालकर उसके हाथ में मारा। यह बात तो ठीक है जो मन्त्री महोदय ने बतायी, उसके हाथ में लगी। सरवर खां के हाथ में तो जरूर लगी। दूसरा सिपाही जो जगदीश था, उसने उसके पीछे से गप्फी मारी। गप्फी मारते ही उसके हाथ में जो चाकू था, उसने उसके पेट में लगा दिया। पेट में लगाते ही वह वहां से छोड़कर अपने घर भागा। वह तो घर में गायब हो गया और पीछे से थानेदार और 2-3 आदमी आकर के उन सिपाहियों को थाने में ले गये। थाने में लेजाकर मेडीकल के लिए हॉस्पिटल उसको ले गये। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने कहा कि यह सीरियस है इसीलिए इसको अजमेर ले जाओ। जगदीश सिपाही को अजमेर के लिए रवाना कर दिया और सरवर के पट्टी बांध दी। उसके बाद में क्या होता है, पुलिस कुछ एक्टिव हुई डी. एस. पी. को इत्तला की गयी, डी. एस. पी. वहां पर आये, आर. ए. सी. के कुछ जवान आये। यह किस्सा चाकू का तो 7 बजे का है और 10 बजे के करीब 3 आर. ए. सी. के जवानों को डी. एस. पी. ने कमल किशोर के घर के सामने बन्दूकों सहित तैनात कर दिया कि भई जैसे ही निकले कमल बाहर, उसको गिरफ्तार करके लाओ। कमल तो उस घर के अन्दर था। यह चम्पालाल और गजाधर उस गेंग विशेष से सम्बन्धित आदमी थे। वह उसके पास मिलने गये। मैं नाम नहीं बताता अभी क्योंकि फालतू किसी को तकलीफ होगी कि कौन सा गेंग था, कौन सा गेंग नहीं था कमल किशोर है जिस गेंग का यह लीडर था इसने दो साल पहले भी हमारे यहां पहाड़ के अन्दर विस्फोट किया था, उसका प्रदर्शन किया था। गांव में हर साल दो दफा लाठियां लेकर के और एक दफा तलवारें लेकर यह ऐसा प्रदर्शन किया करते हैं। उसके हिसाब से उनकी तरफ से ऐसा टेरर गांव में था कि कोई उनके खिलाफ न पुलिस में

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

रिपोर्ट दर्ज कराता था, न उनके खिलाफ बोलना था ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी—कौन सा गेंग है ?

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : अब यह कोई सा गेंग हो, फालतू में दूसरे चमकेंगे इससे कोई मतलब नहीं । यह बड़े गेंग का टोप लीडर था । इसका काम था चोरियां करना, पुलिस वालों को अपने कब्जे में रखना । यह सारी बातें थीं हमने हर टाइम पर पुलिस वालों के लिये उच्च अधिकारियों से भी कहा, मन्त्री महोदय से भी कहा कि ये ऐसे थानेदार बैठा रखे हैं । इन गुंडों का कोई इलाज नहीं है मगर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमारी बला से, कोई ऐसी बात नहीं है । 10 तारीख को 10 बजे के करीब दो छोरे गजाधर और चम्पा लाल उस कमल से मिलकर उसके घर से निकल रहे थे तो आर. ए. सी. के जवान कलाबन्द गली के अन्दर गश्त लगा रहे थे, उनमें से एक सिपाही ने कहा कि भई हैण्डस अप उनमें से दो छोरे भागे । कमल अपने ही मकान के ऊपर उस माले के अन्दर खड़ा था । उसने वहां से ही कोई विस्फोटक चीज फैंकी, जो अरहर सिंह नाम के सिपाही की जांघ में लगी जांघ में लगते ही, मेरे ख्याल से, मैं भी वहां मौका देखने गया था, एक कदम चला और दूसरे कदम पर जाकर ढेर हो गया । सारा खून उसका वहां पर निकल गया था । चम्पालाल के दूसरे सिपाही ने गोली मारी । एक चम्पालाल के हाथ में लगी और दूसरी उसकी जांघ में लगी चम्पालाल जो ट्रेंड शुदा आदमी था, वह गेंग का ट्रेंड शुदा छोरा था ! वह सिपाही के साथ में आकर लेट गया । दूसरा छोरा गजानन्द था वह भी पास में आकर लेट गया । इतनी देर 10-5 मिनट में, पुलिस थाने से पुलिस आ गई । वह उन मारों को इकट्ठा करके गाड़ी में डाल कर ले गई सिपाही हास्पिटल नहीं पहुंचा होगा कि उससे पहले ही वह मर गया । यहां तक तो यह बात सही है, यह बात हो गई । थाने में जाने की करीब 12 बजे की बात है । 12.30 बजे मेरे पास आये कि आपको डी.एस.पी. साहब ने बुलाया है, एक ऐसा वाकया हो गया है । मैंने भी आकर देखा सिपाही की उसकी लाश पड़ी हुई थी । चम्पालाल को अजमेर भेजने के लिये गाड़ी तैयार कर रहे थे, मैंने कहा, भाई, इसको बचाओ नहीं तो मर न जाये कहीं औरमुश्किल हो जायेगी चम्पालाल को उसी समय करीब 12 साढे बारह बजे अजमेर के लिये रवाना कर दिया । सिपाही मारा गया पुलिस वालों ने एस.पी., डी. आई.जी. और सारे पुलिस वालों को अपनी तरफ से वायरलैस कर दिया, जो भी इत्तला करनी थी वह इत्तला कर दी । 10 तारीख को सुबह चार बजे क्लेक्टर और एस. पी. दोनों वहां पहुँच गये 11 तारीख को डी.आई.जी. भी वहां पहुँच गये । पुलिस की फोर्स और आ.ए.सी. की फोर्स जो भी आनी थी वह आई और सिटी के अन्दर सब जगह घूमी । सारे दिन चहल पहल रही जो असली गुण्डे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था वह तो उस समय वहां से भाग गये । पुलिस ने क्या किया कि जो शरीफ और सम्भ्रान्त आदमी थे उनको रात को करीब 8 बजे थाने में बुलाया । मैं भी डी. आई.जी. से

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

मिला। मैंने कहा, ऐसी बात है आपसे मैं रोज रिक्वेस्ट कर रहा था ऐसी गुण्डागर्दी इस गांव में हो रही है आप कुछ तो व्यवस्था करवाइये ताकि आगे से ऐसा नहीं हो। मगर कोई ध्यान नहीं दिया, उसका नतीजा यह है जो आपके सामने है, हम कोई पुलिस के हिसाब से नहीं हम तो अपने हिसाब से जी रहे हैं वरना हमें ये गुंडे रहने नहीं दें। मगर कोई बात नहीं है। ठीक है, आपकी पुलिस है आपकी मर्जी आये जैसा करो तो रात को 8-9 बजे करीब 10-20 संभ्रांत नागरिकों को बुलाकर थाने में बैठाये रखा। कइयों को पीटा उसमें दो तीन होटल वाले थे, दो तीन ठेले वाले थे जो अपनी दुकान चलाते हैं उनको पीटा। उनके मां बाप मेरे पास आये। उन्होंने कहा, इस तरह से थाने वाले बुला कर ले गये। मैंने कहा, कोई बात नहीं अपना इस चोरी से कोई संबंध तो है नहीं, ले गये तो छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, उसी गैंग का एक छोरा था। उसने बताया कि कमल किशोर और हनुमान की बगीची में छिपा हुआ है। जो तीन किलोमीटर बता रहे हैं गांव से, वहां सिटी का एरिया खतम होता है, उसके साथ ही एक रास्ता साइड से निकल रहा है उसके पास यह बगीची है वह थाने से करीब तीन किलोमीटर होगी, साढ़े तीन किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। उसने बताया कि कमल किशोर वहां छिपा हुआ है वह उस गैंग का आदमी था, उसे हर एक्टिविटी मालूम थी वह ज्यादा नहीं जानता था कि क्या बात है क्या बात नहीं है उसके घर से एक देशी कट्टा बरामद किया, कई तरह के चाकू छुरियां बराबद की वह पुलिस के कागज में होगी जैसे ही पुलिस को मालूम पड़ा पुलिस ने रात को ही घेरा लगा दिया बगीची में। सुबह पांच बजे, डी. एस. पी. का जैसा किस्सा बता रहे हैं, इस तरह से थेला फेंका, उसको बाहर निकाला। हम तो वहां थे नहीं, इसलिये जो पुलिस बता रही है वह सही होगा। मगर जब मुझे 6 बजे मालूम हुआ कि इस तरह कमल किशोर मारा गया है, तो मैं भी मौके पर गया। जैसे ही मैं बगीची में घुसने लगा एस. पी. सामने आ गया। वह बोला, क्या बात है? मैंने कहा, देख तो लें आपने कैसा अच्छा काम किया कोई बात नहीं है अगर पहले से ही ऐसी सतर्कता बरतते तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। एक गरीब सिपाही मारा गया, दूसरे हताहत हुए अगर पहले से ही एक्टिवनेश बरतते तो काहे को यह बीमारी होती, काहे को गांव में यह आतंक होता। जैसे मंत्री महोदय ने बताया, इस तरह से थैला फेंका, वह छड़ लेकर आया, ऐसी ही बात मुझे डी. एस. पी. ने बतायी। मैंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। अगर मान-लो, वहां पर कोई ऐसी बात हो तो हम भी हमारे हिसाब से बतायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट यह थी कि अगर पुलिस शुरू में ही एक्टिव रहती तो आज यह नौबत नहीं आती यह दोष तो मैं सरकार को और पुलिस को देता हूँ। कई तरह के केस हो गये, एक पंडित के छोरे को पीटा गया, उसको मरणासन्न अवस्था में रख दिया गया। वह मुल्जिम मेरे ख्याल से एक या सवा साल के बाद अब जाकर सरेंडर हुआ है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया ऐसी हालत में मेरे भाई के साथ गोलीकाण्ड हुआ जो पुलिस का आपका ए. एस. आई. है, आज ढाई महीने हो गये बराबर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। वह यहीं जयपुर में

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

घूम रहा है। ठीक है। हमें कोई पुलिस से डर नहीं है वह हमें रोज थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि हमें मार देंगे, यह कर देंगे वह कर देंगे है, मरना है तो एक दिन हमने कहा, ठीक है मर जायेंगे कोई बात नहीं है मगर मैं पुलिस की अकर्मण्यता बता रहा हूँ कि पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। वह तो पुलिस का जवान मारा गया इसलिये पुलिस इतनी एक्टिव हो गई। अगर पब्लिक का आदमी मारा जाता तो मैं समझता हूँ पुलिस के कान पर जूं नहीं रेंगती। यह सारी बातें हैं अगर यह पुलिस समय रहते चेतती तो काहे को यह वाकया होता, काहे को यह बीमारी होती रोज पुलिस में लिख कर परेशान हो गये हैं, भाई, इस तरह सारा हो रहा है, कोई चोरी की बरामदगी नहीं हो रही है, कोई चोरी की तफतीश नहीं हो रही है, कोई भी माल की बरामदगी नहीं हो रही है। इसका नतीजा यह हुआ आखिर में जाकर, एक गरीब सिपाही की तो मौत आ गई यह। एलीमेंट था, मैं तो इसको एलीमेंट कहूँगा, गांव के हिसाब से गांव में इसके मरने की खुशी मनायी गई, गुड़ बांटा गया है यह सही है वह किस गेंग का है किस गेंग का नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कइयों को राहत मिली है। यह काम पुलिस से एक तरह से अच्छा हीं किया है मगर समय रहते अगर कर देती तो ऐसी कोई बात नहीं होती, पुलिस का सिपाही नहीं मारा जाता सरकार से मेरा निवेदन है कि उस गरीब सिपाही के परिवार को 2-4-5 हजार रुपया देने से काम नहीं चलेगा 10-20-50 हजार रुपया दो ताकि उसके बाल बच्चे आराम से पल सकें। उसके किसी बच्चे को नौकरी दिला दें तो वह अपना गुजर तो करें आन ड्यूटी मारा गया है बेचारा गरीब सिपाही। यही मेरा निवेदन है,

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पाजी।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है, पुलिस ने जो वर्णन 13 तारीख का बताया उसी तरह का स्टेटमेंट, जो पुलिस ने बना कर दिया राज्य मन्त्री ने सदन में पढ़ दिया। उसी तरह का वर्णन माननीय डीवाई एस. पी. ने माननीय विधायक को जानकारी के बतौर बताया जिसकी सूचना उन्होंने इस सदन को दी। मुझे खुशी होती, माननीय मन्त्री महोदय, अगर इस तरह के गम्भीर केस में बयान देने से पहले आप स्वयं मौके पर जाकर, व्यक्तिगत रूप से पब्लिक के बीच में जाकर इसकी जानकारी करते, उसके बाद अपना बयान देते तो मैं समझती हूँ, ज्यादा बेहतर होता। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य, जो अजमेर से जीत कर आये हैं, ने तथ्य यहां रखें। जो पुलिस के वर्णन से सारी जनता में आये, मैं आभारी हूं कुछ पत्रकारों की, मैं आभारी हूं उन लोगों की भी जिन्होंने इण्डिविजुअल तौर पर स्वतंत्र रूप से मौके पर जाकर सारी सही जानकारी प्राप्त की। वह जानकारी 21 तारीख को समाचार पत्रों के माध्यम से जनता में आयी। कुछ लोग जो जाकर आये उनके माध्यम से आयी। अध्यक्ष महोदय, कमल के खिलाफ कोई चोरी का मुकदमा हो इसलिए यह इतना बड़ा हादसा हो गया हो जिसकी वजह से दो व्यक्तियों की जान चली जाय और कुछ लोग घायल हो जायं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस उससे पहले से रंजिश रखती थी, मैं सबूत के तौर पर बताना चाहूँगी, अध्यक्ष महोदय, कमल के पिता

(सुश्री पुष्पा जैन)

श्री देवीलाल ने एक इस्तगासा पुलिस के खिलाफ कर रखा था, जो सैक्शन 156 (3) सी. आर. पी. सी. में डी. वाई. एस. पी. को जांच के लिये भेजा गया। इस बात की पुलिस को बड़ी पीड़ा थी। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगी कमल के साथी श्री देवीलाल को यनुस नाम के एक व्यक्ति ने गोली मार दी, उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी जैसा माननीय सदस्य कहना नहीं चाह रहे थे, मैं नाम लेकर इस सदन को उत्तेजित नहीं करना चाहूंगी। जिस यूनुस का मैंने नाम लिया, मैं कहना चाहूंगी, उसको पुलिस का प्रोटेक्शन है, राजनैतिक प्रोटेक्शन है। उसने गोली मारी, 307 का मुकदमा दर्ज होकर पुलिस के द्वारा केस चालान पेश किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने एफ. आर. लगा दी, बावजूद इसके इस्तगासा हुआ और लोअर कोर्ट ने इसे पुलिस को सबमिट कर दिया। यह सारे वजूहात थे, जिनकी वजह से पुलिस कमल और उसके परिवार से रंजिश रखती थी जिसके कारण उसको संदिग्ध व्यक्ति मानते हुए चोर के इल्जाम में भरे बाजार में पकड़ने के लिये पुलिस के कर्मचारी गये। उसको थाने में चलने के लिये कहा। स्वाभाविक है, कमल ने कहा, मैंने चोरी नहीं की लिहाजा मैं थाने नहीं चलूंगा। भरे बाजार में, लोग साक्षी है इस बात के, उसकी बुरी तरह से पिटाई की। अध्यक्ष महोदय, पिटाई करने के बाद पुलिस तो वहां से चली आई, उसी दिन रात को पुलिस ने कमल के यहां घेराव किया उसे अरेस्ट करने के लिये दो व्यक्ति, चम्पालाल और गजानन्द, जो रात को वीडियो देख कर आ रहे थे, पुलिस के घेराव से डर गये। चंपालाल भागने लगा। जैसे ही भागने लगा पुलिस ने कहा-हैण्ड्स अप। यह स्थिति वह बेचारा सहन नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है तो पुलिस के डर से भागने के कारण पुलिस ने गोली चला दी। चंपालाल वहीं पर गिर गया, जख्मी हो गया और संयोग की बात कि उसी समय लाइट गुल हो गई।

अध्यक्ष महोदय, घेरा लगा हुआ था पुलिस के दूसरी तरफ जो घेराबन्दी करते हुए कर्मचारी थे आर. ए. सी. के उन्होंने सोचा कि पता नहीं, गोली किसने चला दी। उन्होंने बदले में एक गोली और चला दी। संयोग की बात है गोली रेवत सिंह के जाकर लगी। इसलिये मैं कहना चाहूँगी कि तथ्य यह है कि जो दूसरों की बुराई के लिये काम करते हैं कभी-कभी वह उनके गले में मढ़ जाती है। जो हथगोले की बात आपने की है, जो विस्फोटक पदार्थ की बात आपने की है वह विस्फोटक पदार्थ रेवतसिंह की जेब में था। जैसे ही गोली लगी उसकी जेब में गोली लगी वह गोला छूट गया और उसके बदले में उसके परों के परखचे उड़ गये।

यह सच है, अध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देकर कहती हूँ राज्य मंत्री महोदय से अगर आपमें जरा भी ईमानदारी है, जरा भी आप चाहते हैं कि इस केस की सही स्थिति की जानकारी की जाय तो आप कुचामन जायें और सारी स्थिति की जानकारी जनता से भी प्राप्त करें और वहां के तथ्यों से भी जानकारी करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दूसरे दिन पुलिस इस बात से काफी उत्तेजित हो गई

(सुश्री पुष्पा जैन)

थी, काफी उग्र हो गई थी रेवत सिंह की मौत के बाद पहले से उग्र थी, दूसरे दिन जब पुलिस को मालूम पड़ा कि कमल किशोर एक हनुमानजी की बगीची में छिपा हुआ है पुलिस भागकर गई। सैकड़ों पुलिस ने आर. ए. सी. के कर्मचारियों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ वहां नाकेबन्दी की वहां के पुजारी को बुला कर पूछा गया कि कमल यहां पर है। पुजारी ने जब मना किया तो पुजारी की बुरी तरह से पिटाई की गई। पुजारी ने कहा कि हां, वह यहीं पर है। कमल को पुजारी ने जाकर कहा कि पुलिस यहां आई है, आप अपने आपको सुपुर्द करो। डरता हुआ वह बाहर आया, उसके हाथ दोनों ऊपर थे। अध्यक्ष महोदय, क्या यह संभव है कि सैकड़ों पुलिस कर्मचारी घेरा लगाये हुए हों और एक व्यक्ति यह कह दे कि मेरे पास बम का गोला है, मैं फैंक दूंगा और उसके बदले में पुलिस गोली चला दे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है जो माननीय राज्य मंत्रीजी तथ्य रखे, मैं समझती हूं, उनसे शायद आप भी संतुष्ट नहीं हुए होंगे। उस निहत्थे व्यक्ति, जो बाहर आत्म-समर्पण करने आ रहा था, पर पुलिस ने गोली चला दी और वह व्यक्ति वहीं पर ढेर हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगी जब उसकी लाश नीचे गिर गई, लाश पर इन्होंने दुबारा गोली मारी ताकि कोई भी सम्भावना नहीं रह जाय कि कहीं जिन्दा तो नहीं है। इसके बाद उन्होंने मृतक डिक्लेयर नहीं किया। उसे वहां के अस्पताल में ले जाया गया। डाक्टर की जो रिपोर्ट दर्ज है उसने यह लिखवाया गया कि अजमेर के लिए केस रेफर किया जाय। अजमेर अस्पताल में केस रेफर किया गया, नतीजा क्या होना था। लाश को अजमेर अस्पताल में ले गये। वहां के डाक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, उस लाश को कुचामन लाकर मोहलत नहीं दी जनता को कि वह दाह संस्कार में शरीक हो सकते। जबरदस्ती दो तीन व्यक्तियों को लेकर उन्होंने वहां पर उसका दाह-संस्कार कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूँगी कि पुलिस ने जिस समय कमल पर गोली चलाई, डी. एस. पी. ने मना किया कि गोली मत चलाओ। डी. एस. पी. के मना करने के बाद गोली चलाई गई। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने की बात है, पुलिस के लिये यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, वरना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार कहना चाहूँगी कि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने पत्रकारों के समक्ष इस बात को स्वीकार किया है कि गोली चलाने की आवश्यकता नहीं थी, इसके बावजूद आर. ए. सी. ने गोली चला दी। मैं पूछना चाहूंगी राज्य मंत्री महोदय से, एक मिनट के लिये यह मान भी लिया जाये कि कमल चोर था, संदिग्ध था बड़े से बड़ा अपराधी हो सकता था लेकिन सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों के बीच में उस पर गोली चला दी, तो क्या आपने पुलिस को अधिकार दे दिया हैं कि वह कानून को हाथ में लेकर किसी मुलजिम को अपने आप सजा दे। शायद यह पहला केस नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई हादसे इस विधान सभा में रखे गये हैं तथ्यों के आधार पर कि····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

सुश्री पुष्पा जैन : पुलिस ने मुलजिम को गोली मार दी, या मुलजिमों को मारा चाहे वह मुलजिम थे या नहीं, यह उसी का परिणाम है कि कुचामन पुलिस ने कमल को गोली मारी । यह दुर्भाग्य की बात है कि रेवतसिंह को भी गोली का शिकार होना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप बम का गोला फटा और वह मौत का शिकार हो गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगी मंत्री महोदय से, यदि आप में ईमानदारी है तो आप मौके पर जांय और सारे तथ्यों की जानकारी करें । मैं मांग करूंगी कि पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके केस की जांच करवानी चाहिये । अगर आपमें ईमानदारी थी तो इसकी ज्युडिशियल इन्क्वायरी बिठा देनी चाहिये थी । आखिर वह क्या वजूहात थे कि आपने ज्युडिशल इन्क्वायरी नहीं बैठाई और आपने सुने सुनाये पुलिस के आधार पर इस केस को रफा-दफा कर दिया । तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि मंत्री महोदय पुलिस के दिए गए वर्णन के आधार पर आप को बाध्य नहीं समझें । आप मंत्री हैं, पुलिस पुलिस है । जनता आपसे कुछ उम्मीद करती है । आप वहां जांय, तथ्यों की जानकारी करें यदि आप मेरी बात से संतुष्ट हों और पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके दोषी को दण्ड देने की कोई प्रक्रिया जारी करें ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि तथ्य तो आ गये हैं इसके अलावा कोई बात हो तो कह दें । भाषण तो होगा नहीं ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अलग तथ्य हैं, अध्यक्ष महोदय,

जो ओमप्रकाश और गणपतलाल नाम की फर्म थी उसने जो एफ. आई. आर. दर्ज करवाई है उसमें सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसमें किसी पर सन्देह प्रकट नहीं किये गये हैं और कोई नामजद रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है । जो अभी स्टेटमेंट आया है उसमें और माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं कहीं भी नहीं आया है कि उसका कहीं भी एफ. आई. आर. में नाम था । दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्यवाही पुलिस की लगती है उसका कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, इस बाबत पुलिस ने नटवरलाल पुत्र श्री सुण्डाराम, जिसको एक रोज पहले चोरी के सन्देह में गिरफ्तार किया, गिरफ्तार नहीं, बुलाया था, अध्यक्ष महोदय, को एक घंटे तक बैठाये रखा । जब तक उसने 1500 रुपये नहीं दे दिये तब तक नहीं छोड़ा । इसके बारे में....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य ।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में बुलाया गया ।

श्री अध्यक्ष : इससे जुड़े हुए कई सन्दर्भ हो सकते हैं लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई जब कि वह सरेण्डर करने जा रहा था । इस मुद्दे पर ही बोलें ।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो इसमें तथ्य आये हैं उसमें एक तथ्य, अध्यक्ष महोदय, सन्देह उत्पन्न करता है। मन्त्री जी के वक्तव्य में है कि पुलिस ने उसकी हनुमान जी के मन्दिर में एक गोली मार दी थी और वह गिर गया था। तो पुलिस के लिये खतरा टल गया था, एक गोली लगने के बाद, आदमी के गिरने के बाद पुलिस को खतरा नहीं था कि वह आदमी पुलिस के लिये आगे के लिये खतरा हो सकता था। उसको उसी हालत में अरेस्ट कर सकते थे। जब कि पुलिस ने उसको 2–3 गोलियां लगाई तब वह वहीं का वहीं ढेर हो गया, खतम हो गया। यह पुलिस की बाद की यह कहानी है कि उसको जीवित अवस्था में डाक्टर के पास ले जाया गया था। यदि वह जीवित था तो कुचामन-सिटी में भी तो हॉस्पिटल था, डाक्टर वहां था, वहां उसका प्राथमिक उपचार क्यों नहीं करवाया गया ? इस आधार पर इसकी सी. आई. डी. के उच्च अधिकारियों से जांच करवानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरी तो मान्यता यहां तक है कि इसकी ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये और दोषी जो अधिकारी है उनके विरुद्ध 302 का केस रजिस्टर कर कार्यवाही करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति चोर हो सकता है उसको बचाने का सदन के किसी माननीय सदस्य का इरादा नहीं है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से दुर्भावना से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति को गोली से उड़ादे, कानून के रक्षक यदि कानून को हाथ लेकर ऐसी सीधी कार्यवाही करें, तो फिर अध्यक्ष महोदय, न्यायालयों का औचित्य नहीं है। पुलिस की कार्यवाही यह कदापि नहीं हो सकती कि गोली से उड़ा दे। चाहे वह डकैत हो चाहे चोर हो, उसको अरेस्ट करके न्यायालय के सुपुर्द करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी, संक्षेप में वक्तव्य और दोनों तरफ से चर्चा की गई है उससे संबंधित यदि कोई विशेष बात हो तो।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जी हां, अध्यक्ष महोदय,

वैसे गृह मन्त्री जी ने आपके सम्मुख सारा बयान पढ़ कर सुनाया। और माननीय विपक्ष के नेता, माननीय सदस्य पुष्पा जी ने और नावां-कुचामन से आने वाले माननीय रामेश्वर जी ने सारी जानकारी आपके सम्मुख रखी। मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी है वह में आपके सम्मुख रख कर स्थिति को आपके सम्मुख स्पष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तो सभी मानते हैं कि कमल बहुत अच्छा आदमी नहीं था, असामाजिक तत्व था। उसने इतना भय वहां पैदा कर रखा था कि उसके नाम से उसके गली में गुजर जाने के नाम से लोग घबराते थे वह एक तरह से लोगों को टैक्स करता था, जो मर्जी आये चीज ले लेता, लोग उससे पैसा वसूल नहीं कर सकते थे इस तरह क्षेत्र में उस लोगों को टैरराइज कर रखा था, लोग उससे भय खाते थे। यह घटना जो हुई है इससे संबंधित घटना के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें तीन मुख्य आदमी हैं। चम्पालाल गज धर और कमल। गज धर शर्मा के परिवार के कुछ रिश्तेदार मुझे मिले उन्होंने व्यक्तिगत तौर से यह चाहा था कि मैं

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उनका इस मामले में कोई मदद करूं उन्होंने मुझे यह वाकिया बताया। तो मैंने कहा, मैं मदद जब कर सकता हूँ जब पुलिस ने उसके साथ नाजायज हरकत की हो या इस तरह के आदमी के साथ कोई हरकत की हो या जो बहुत अच्छे आदमी हो, जिसका समाज में कुछ स्थान हो, उसे गोली मार दी हो। मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई, अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद भी है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने गृह विभाग की डिमाण्ड पर निवेदन किया था, आपसे मैंने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि विपक्ष के महानुभाव और विशेष करके बी. जे. पी. का कोई भी सदस्य इस मामले के संबंध में नहीं बोला, मेरे सामने नहीं बोले, पीछे से कोई बोला हो तो मुझे जानकारी नहीं।

(2.11. म. प.)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति, पदासीन)

यह बहुत अच्छी बात है कि कोई भी एक रद्दी किस्म का आदमी, चाहे वह किसी भी विशेष ग्रुप से संबंध रखता हो, अगर पुलिस की गोली से मारा गया तो उस गांव का आतंक खत्म हो गया है जो असामाजिक तत्व और साम्प्रदायिक तत्व घटनाएं पैदा करता था वह हमेशा के के लिए समाप्त हो गया, अपने ही कुकृत्य से समाप्त हो गया। लेकिन आज इस विषय को यहां पर पेश किया देख कर मुझे समझ में नहीं आता, क्या उस व्यक्ति की तारीफ की जाय? वह एक बहुत अच्छा व्यक्ति था और पुलिस की गोली से मारा गया, उसका अफसोस किया जाय। या यह घटना जो हुई पुलिस ने जानबूझ कर घड़ी है उसके खिलाफ में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी।

इसके सम्बन्ध में मुझे जो जानकारी है मैं यों ही प्रस्तुत करना चाहता हूं। कमल के पिता को पुलिस पूछताछ के लिए ले गयी। कमल उपलब्ध नहीं था, उसके विरुद्ध कई मामले थे। जब पूछताछ के लिए पुलिस उसको ले गयी तो मुझे गजाधर शर्मा से संबंधित लोगों ने यह बताया गजाधर शर्मा से संबंधित कि गजाधर और चम्पालाल दोनों कमल के घर पर उसकी मां से मिलने के लिए गये थे और हमदर्दी जाहिर करने के लिए गये थे कि पुलिस आपके पति को, या कमल के पिता को पकड़ कर, बुलाकर क्यों ले गयी हैं। ये जब वापस घर से बाहर निकल रहे थे तब पुलिस ने दौरान गश्त इन लोगों को वहां देखा तो निश्चित तौर से, माननीय सभापति महोदय, कोई आदमी, जो इस तरह का क्रिमिनल हो, के घर से अगर कोई आदमी बाहर निकलेगा तो उस पर संदेह किया जा सकता है। संदेह करके पुलिस ने उनको हैण्डस अप हाथ खड़ा करने के लिए कहा, उन्होंने अब हाथ खड़े नहीं किए, मुझे उन्होंने जो बताया, मुझे जो जानकारी है मैं उसका नाम लेना उचित नहीं समझता सदन में, मुझे जानकारी है कि उसी वक्त वह हथ-गोला, या जो भी रहा हो विस्फोटक पदार्थ फेंका गया जो पुलिस के सिपाही के पांव के ऊपर सीधा आकर टकराया। उसके पांव, चिथड़े-चिथड़े उड़ गये, बिल्कुल साफ हो गया उसका पांव। वह एक आध कदम चल कर गिर गया। इस दौरान इस स्थिति को देख करके कि यह इन लोगों के साथ

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मिले जुले लोग हैं, उन्होंने उसके ऊपर गोली चलायी जो गोली चम्पालाल को लगी। अभी माननीय सदस्या ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि गोली उन्हीं लोगों ने चलायी। वहां पुलिस के बहुत से लोग थे, घेरा डाले हुए थे; यह गलत बात है। उस दिन कोई घेरा नहीं डाला हुआ था, पुलिस की गश्त जरूर थी। पुलिस के सिपाही रेवतसिंह को गोली लगी है। यह कहीं भी साबित नहीं होता। उसके जो कुछ लगा, उससे उसका पांव उड़ा है, विस्फोटक पदार्थ से पांव उड़ा है। फिर यह कहते हैं कि विस्फोटक पदार्थ उसके पास में था। अगर विस्फोटक पदार्थ उसके पास होता तो कमर के बंधा होता, उसकी जेब में होता, उसके हाथ में होता, अगर उसके पास विस्फोटक था तो निश्चित तौर से उस पूरे सिपाही का पता ही नहीं लगता, न उसके हाथ का पता लगता, न पेट का पता लगता। वह तो उसके पांव के हिट किया वहीं से उसका पांव उड़ गया, उस पांव के चिथड़े-चिथड़े हो गये। इसलिए इस घटना को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर अगर हमदर्दी पैदा की जाय और पुलिस पर लांछन लगाया जाय, माननीय सभापति महोदय, यह कतई गलत बात है। उन लोगों ने इतनी बेदर्दी पूर्ण तरीके से पुलिस के सिपाही को मारा और जो कुकृत्य किया यह वास्तव में घिनौना कृत्य था।

उसके बाद जो घटना हुई वह बता दी। उसके बाद 12 तारीख की यह घटना बतायी कि कमल वहां पर था मुझे जानकारी मिली तो मैंने भी चाहा था कि रामेश्वर जी से मिलूं और पता लगाऊं। मेरे आने जाने का रास्ता उधर से ही है। मैं जब वहां गया और लोगों से जब संबंध स्थापित किया तो मुझे जानकारी मिली कि कमल वहां से भाग कर उस कोठरी में बन्द हो गया था, यह सारी घटना सही है। उसके बाद जब पुलिस ने उसको बाहर निकलने के लिए मजबूर किया तो उसके हाथ में थैला था, गोला था, जैसा माननीय सदस्या खुद भी कह रही हैं तो आप मुझे बतायें कि जब एक घटना हो चुकी और गोला फेंक कर, विस्फोटक पदार्थ फेंक कर सिपाही को मार दिया तो क्या उसकी पुनरावृति की जाती? ऐसा मौका उसको दिया जाता कि फिर वह फेंक कर 2–4–5 सिपाहियों को और मार देता। वह तो क्रिमिनल था, उसने ऐसे अपराध निरन्तर कई किए हुए थे। उसने वहां की जनता को डरा धमका रखा था। वह तो वहां से टैक्स वसूल करता था जिस तरह से कि सरकार, कर विभाग नियमानुसार टैक्स वसूल कर रही हो। इसलिए उसको तो पहले पकड़ा जाना चाहिए था, आजीवन कारावास ही नहीं उस आदमी को फांसी होनी चाहिए थी। जब उसने गोला फेंकने को कहा तो निश्चित तौर से चूंकि पहले घटना घट चुकी थी, पुलिस ने उस पर गोली चलायी, उसकी हत्या हो गई या मारा गया मर्डर हुआ उसका तो कोई घिनौना काम नहीं हुआ है। यह एक शुभ काम हुआ, जिसके लिए वहां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे वहां के लोगों ने मिठाइयां बांटी है, वहा के लोगों ने गुड़ बांटा है और इस बात की खुशी मनायी कि आज हमारे यहां पर शांति और अमन चैन हो रहा है। इस पुलिस का भला हो जो इस तरह से घिनौने, क्रिमिनल, कुकृत्य करने वाले आदमी को मार करके

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

हमारे यहां अच्छी व्यवस्था की है सरकार धन्यवाद की पात्र है। विपक्ष ने जो भी मोड़-तोड़ कर यह मामला आपके समक्ष पेश किया है वह सरासर झूठा और बना बनाया है।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि पुलिस के पक्ष को समर्थन देने के लिए गृह राज्य मन्त्री जी और उन्हीं के दल के दो विधायकों ने एक बात रखी है कि कोई खराब है, असामाजिक है, उसके खिलाफ शिकायत है, उसने बदमाशी कर रखी है, उसने गुण्डागर्दी फैला रखी है, वह टैक्स लेता है तो उसको पुलिस गोली मार सकती है। अगर यह देश का कानून है तो क्या गृह राज्य मन्त्री इस स्थिति को स्वीकार करेंगे ? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, गृह राज्य मन्त्री जी ने बयान दिया और उस क्षेत्र के जो विधायक है माननीय रामेश्वर जी, जो उस घटना के सही तथ्यों की जानकारी रखते हैं, उन्होंने जो बातें कही वह मैंने सुनी है। माननीय गृह राज्य मंत्री, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विधायक ने बोल करके यहां यह बात स्पष्ट कर दी है कि पुलिस ने कमल किशोर की हत्या की है। बाटी होगी मिठाई किसी ने जो उससे दुश्मनी रखता होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ खुशियां मनायी होंगी।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : पुलिस ने हत्या कर दी है, ठीक है यह कम सुनते होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि हत्या कर दी पुलिस ने समझे या नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं स्थिति····

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : यह तो सारा किस्सा कोई सुना सुनाया····

श्री कैलाश मेघवाल : आपको मैं कह रहा हूँ।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : मुझे मालूम हैं, वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ।

श्री सभापति : आप कृपया बिराजें, बिराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : आप देखिये, माननीय सभापति महोदय, मैंने तो यहां बोलने के पहले स्वयं उनसे बातचीत की और उनसे यह तथ्य जानने की कोशिश की जो बताया वही मैं माननीय राज्य मंत्रीजी से कह रहा हूँ। मैंने वहां के माननीय विधायक से बात की, माननीय विधायक ने स्टेटमेंट दिया है व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर दिया कि मैं 6 बजे बगीचे में पहुँच गया था और 6 बजे के पहले माननीय विधायक को सूचना दी थी हॉस्पिटल के दफ्तर से कि इस तरह कमल मारा गया है। तो हास्पिटल के डाक्टर से सूचना मिली, डाक्टर से सूचना मिलने के बाद 6 बजे माननीय विधायक मौके पर पहुँचे उसके पहले यह घटना हो चुकी थी। यह इस बात को साबित करता है, जो माननीय सदस्या पुष्पा जी ने कहा कि सवेरे 5 बजे वह समर्थन के लिए निकला

(श्री कैलाश मेघवाल)

था यह तथ्य सत्य है। मैंने उनसे पूछा है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर दिया है।

यह कहा कि रात को इन लोगों को पकड़ कर पुलिस ने पीटा। उसकी गैंग के लोग थे, उनसे उनको जानकारी हो गयी थी कि कमल कहां छिपा हुआ है। यह उसकी जाति जानकारी है। आपकी पुलिस क्या कहती है। जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसमें पुलिस कहती है कि सात बजे मुखबिर से मालूम पड़ा, सात बजे। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ मैंने यह नहीं कहा है कि आपने ऐसा कहा है। लेकिन जो घटना के तथ्य सामने आये हैं, पुलिस जो स्टोरी लायी है वह सरासर झूठी स्टोरी है, क्योंकि माननीय विधायक ने जो स्टोरी कही है वह दूसरी है और इस बात को साबित करती है। हो सकता है, डेगाना के माननीय विधायक आज इस बात पर खुशी मना लें उनको इससे नाराजगी होगी, उनके किसी आदमी को तंग किया होगा या उसने कुछ भी किया होगा। लेकिन आज जो यह पक्ष समर्थन में विचार रख रहे हैं कि पुलिस ने मार दिया, ठीक किया। माननीय सभापति महोदय, देश की कानून व्यवस्था को यह सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते इस तरह के किसी भी कथन का मैं यहां पुरजोर विरोध करूंगा। हमने देश में एक न्याय व्यवस्था चला रखी है। उसके खिलाफ केस चलता, उसमें उसे फांसी की सजा होती उसकी सुप्रिम कोर्ट तक अपील होती और सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति तक मर्सी पिटीशन होती यह एक न्याय व्यवस्था है। आज कांग्रेस (आई) के विधायक न्याय व्यवस्था को दूर रखकर यह कह करके कि वह आतंकवादी गुण्डा था, पुलिस के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। पुलिस ने उसको गोली मारी है, माननीय गृह राज्य मंत्री, आपके स्टेटमेन्ट को देखकर मैंने शुरु में माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि क्रूसल पॉइन्ट क्या है, यह एक नयी बात लायी गयी है। माननीय रामेश्वर जी ने कहा कि कमल किशोर ने अपने घर के ऊपर से विस्फोटक पदार्थ, बम फैंका था। आप अपना स्टेटमेंट पढ़िए जो रिकार्ड में भी है। आपने कहा है, पुलिस ने कहा है कि उन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने बम फैंका था। सभापति महोदय, इसलिये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, उनकी व्यक्तिगत जानकारी सही है या पुलिस सही है। सारा घटनाचक्र साबित करता है कि निश्चित रूप पुलिस ने गड़बड़ी की है। पुलिस को अधिकार नहीं दिया जा सकता, पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई वह निहत्था बाहर निकला, जैसा पुजारी ने कहा है बाहर आया समर्थन करने के लिये तीन दिन के घटनाचक्र में क्योंकि पुलिस के कान्स्टेबल को गोली मारी जा चुकी थी, क्योंकि पुलिस का कान्स्टेबल मर चुका था, इसलिए प्रतिशोध से पुलिस ने इस तरह से उसकी हत्या की है। आज तथ्यों के आधार पर इस विधान सभा में अगर थोड़ी भी आप में ईमानदारी है, आपके दिल में देश के कानून के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति है, तो माननीय राज्य मंत्री जी घोषणा करें, इसकी न्यायिक जांच करायें। वैसे न्यायिक जांच की जरूरत ही नहीं क्योंकि केस अपने आप में साफ है कि पुलिस ने कमलकिशोर की हत्या की है पुलिस हत्यारी है इसलिये पुलिस के लोगों को 302

(श्री कैलाश मेघवाल)

में मुकदमा चलाकर कठघरे में खड़ा करें। मुझे यही निवेदन करना था, माननीय सभापति महोदय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। व्यवधान न डालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमल के हत्याकांड के संबंध में माननीय गृह राज्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के साथ ही कुचामन से आने वाले माननीय सदस्य एवं डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पुलिस की इस बात के लिये सराहना की है कि एक असामाजिक तत्व था, जिसको फांसी लगनी चाहिए थी पुलिस ने उसको गोली मारकर बहुत अच्छा काम किया।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैंने यह कहा था उसके हाथ में विस्फोटक पदार्थ था वह डरा धमका रहा था और कितने ही आदमियों कोमार सकता था। पुलिस ने जो कुछ भी कार्यवाही की है वह डिफेंस में, अपने बचाव के लिए की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं तो जो आपने बात कही है वही बात कह रहा हूँ। आपने यह कहा कि वह असामाजिक तत्व था, मैं भी इस बात को मान लेता हूँ इस समय इस विवाद के लिये कि वह असामाजिक तत्व था। सभापति महोदय, इस बात को भी आरग्यूमेंट के नाते मैं मान लेता हूँ कि उसके पास विस्फोटक पदार्थ था। जैसा डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मैं इस बात को भी आरग्यूमेंट के लिये स्वीकार कर लेता हूँ कि वह आदमी इतना बदमाश था कि मोहल्ले वाले उससे परेशान थे वह सबसे पैसे वसूल किया करता था। इन सब बातों का आधार यदि इस बात के लिए लिया जाय कि एक बदमाश को न्यायिक तरीके से सजा देने का जो काम न्यायिक व्यवस्था में है वह दण्ड देने का काम क्या पुलिस को दे दिया है? कमल का हत्याकांड हुआ वह मारा गया हत्याकांड में, आप लोगों ने जिस प्रकार से इस मामले को रखा है, इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पुलिस को जहां सुरक्षा का काम दिया हुआ है वहां अब पुलिस को न्याय व्यवस्था का काम दे दिया है। यदि चोर पकड़ा गया, डाकू पकड़ा गया था कोई बदमाश पकड़ा गया, तो अब अदालत में चालान करने की आवश्यकता नहीं है पुलिस चाहे तो इसी प्रकार दण्ड दे सकती है जिस प्रकार से कमल को दिया। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ, इस सदन के सभी माननीय सदस्य मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि न्याय व्यवस्था का काम एक स्वतंत्र व्यवस्था का है। उस स्वतंत्र व्यवस्था का काम यदि हमने पुलिस को दे दिया तो शायद आज कमल मरा है, राम रघुनाथ जी इस बात की चिन्ता नहीं करें पुलिस में जिस प्रकार के तत्व हैं न वह आपके हैं न मेरे हैं। उनको जिस दिन मौका मिलेगा तो रामरघुनाथ जी के साथ भी ऐसा करने से चूकेंगे नहीं। माननीय सदस्य, जो कुचामन से आने वाले हैं, कह रहे थे कि उनके भाई के साथ मारपीट हुई थी उनका मर्डर हुआ उस मर्डर के 2 महीने बाद तक पुलिस चुप रही। उन्होंने पुलिस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निष्क्रियता के बारे में भी सदन को जानकारी दी, पुलिस किसी की नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले तो गवर्नमेंट इस बात को स्पष्ट रूप से कहे। यदि गवर्नमेंट भी माननीय सदस्यों का समर्थन करती है तो मैं समझता हूँ, सभापति महोदय, राजस्थान की कानून और व्यवस्था के लिये, राजस्थान की न्याय व्यवस्था के लिये यह सबसे काला दिन है। सभापति महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि वह बदमाश था या भला था। हम यदि यह भी मान लें कि वह बदमाश था, तो पुलिस को मारने का अधिकार किसने दिया ? बदमाश था तो अदालत में चालान होता यदि इसने विस्फोटक फैंक कर एक कांसटेबल की हत्या की तो हत्या के अपराध में उसका चालान होता। इसी प्रकार यदि उसने दो सिपाहियों को चाकू मारा तो चाकू मारने के मामले में अदालत से सजा होती। उसे सजा होती तो जन मानस पर असर पड़ता कि कोई भी बदमाश कानून के सिकंजे से बच नहीं सकता है।

श्री अमराराम चौधरी : अदालत में वह कैसे जाता ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका राज है, राज को बहुत अधिकार है।

सभापति महोदय, मैं तीन प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य जो कुचामन से आये हैं, जो बात कही उसकी रिपीट की कैलाश मेघवाल ने, जिस कान्स-टेबिल की मृत्यु हुई है, कमल के मकान के सामने उस कान्स्टेबिल के ऊपर कमल ने मकान की खिड़की खोलकर विस्फोटक पदार्थ फैंका। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि पुलिस ने कमल की गिरफ्तारी के लिये उसके मकान का घेराव कर लिया। यह घेराव तो विवादस्पद नहीं है। मैं यह जानकारी करना चाहता हूँ कि जब कमल उस मकान में छुपा हुआ था और जैसा रामेश्वर लाल जी कह रहे हैं कि विस्फोटक पदार्थ इसके पास था तो पुलिस ने घेरा क्यों तोड़ा। पुलिस उस मकान को घेरे हुए रहती कमल तो इसी में है अभी नहीं निकलेगा तो दो घंटे बाद निकलेगा, चार घंटे बाद निकलेगा, तो उसके बाद निकलेगा, सुबह मकान की तलाशी लेंगे।

श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी : तीन आदमी ही थे। मकान बहुत बड़ा था....

श्री सभापति : बीच में अपना भाषण शुरू न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा। मेरा और आपका स्टेटमेंट नहीं है। मंत्री जी ने कहा है कि गिरफ्तारी के लिये उसके मकान का घेराव कर लिया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह मैंने नहीं कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो क्या कहा,

श्री प्रद्युम्नसिंह : पढ़ कर फिर सुनाऊं,

(103)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही पढ़ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन फायदा क्या है? मैंने यह कहा कि पुलिस अधीक्षक, नागौर ने इस घटना की सूचना मिलते ही उप अधीक्षक, मकराना और उप अधीक्षक, डीडवाना को सीधा वहां भेजा, जिन्होंने रात में ही कमल किशोर को पकड़ने हेतु विभिन्न रास्तों की नाकेबंदी करके पुलिश दल रवाना किया। मुलजिम कमलकिशोर के मकान के पास भी सशस्त्र कान्स्टेवल तैनात कर दिये जिनकी संख्या तीन थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया कि कमल की गिरफ्तारी के लिये शहर की नाकेबन्दी कर दी, साथ ही उसके मकान पर भी सशस्त्र पुलिस लगा दी। इस बात को स्वीकार करते हैं जो कुछ उन्होंने कहा उसी को लेकर निवेदन करना चाहता हूँ, क्या माननीय सदस्य, जो कुचामन से आये हैं, ने यह सही बात नहीं कही कि उसने मकान की खिड़की खोलकर पुलिस के कान्स्टेबल के ऊपर विस्फोटक पदार्थ फेंका। सभापति महोदय, या तो वह गलत हैं या सरकार गलत है। अगर सरकार गलत नहीं हैं तो यह सरकार बताये कि जब सरकार को सूचना मिल गयी थी कि कमल मकान के अन्दर बैठा है चाहे वह कान्स्टेबल तीन थे या पांच थे या दस थे उस आदमी को निकलने का किस प्रकार मौका मिला और मौका क्यों दिया? पहला तो प्रश्न यह है जिस का माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात कही कि इस घटना के बाद कई लोगों को थाने में पकड़कर लाया गया, उनको बेइज्जत किया और उनसे मारपीट की गयी। उस मारपीट की जो मुझे जानकारी है उस पुजारी को बुलाया और पुजारी के साथ मारपीट हुयी तो पुजारी ने पुलिस को सूचना दी कि कमल बगीची के अन्दर छुपा हुआ है, पुलिस ने उसी समय उसको घेर लिया। घेर लेने के बाद पुलिस का चारों तरफ पाबंद कर दिया। वहीं से वह निकल नहीं सकता तो एक दूसरा तरीका निकाला। कुचामन शहर में एक कान्स्टेबल और था जिसकी आप बात करते हैं, इस कान्स्टेबल, को भेजा। उसके दो तीन साथियों को बगीचे में बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम कमल को जाकर कह दो कि इस समय पुलिस का घेराव है बचकर वह नहीं जा सकता है इसलिये वह पुलिस के सामने सरेण्डर कर दे। वह कान्स्टेबल जिनको कहकर आया उन्होंने कमल को कहा कि तेरे निकल कर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां 100-125 पुलिस के आदमी खड़े हैं तू पुलिस के सामने सरेण्डर कर दो नहीं तो पुलिस बगीचे को आग लगायेगी या बगीची पर गोली वर्षा होगी उसमें तू मारा जायेगा। ज्यादा अच्छा है सरेण्डर कर दे।

वही दोनों आदमी वापस आते हैं। वापस आकर पुलिस अधिकारियों को कहते हैं कि कमल ने इस बात को स्वीकार कर लिया है वह आपके सामने सरेंडर कर देगा। बात कर रहे थे, इतने में ही कमल बाहर निकला, उसके दोनों ऊंचे हाथ थे, हाथ ऊंचे। जब आगे बढ़ने लगा तो, सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करें या नहीं करें वहां सिविल पुलिस और आर. ए. सी. के बीच में एक प्रकार का द्वंद खड़ा हो गया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि जो आदमी मरा था आर. ए. सी. के लोग उसका बदला लेना चाहते थे। वहां पुलिस अधिकारियों ने कहा, सरेंडर कर रहे है गोली मत चलाओ। इतना कहते ही गोली चली और वहीं गिर गया। दूसरी गोली चली, मरा हुआ खड़ा न हो जाय। वह मरा हुआ था उसके ऊपर दूसरी गोली। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ जिस थैले का आप जिक्र कर रहे हैं क्या उस थैले में विस्फोटक पदार्थ थे? और यदि थैले में विस्फोटक पदार्थ नहीं थे तो क्या कमल इतना पागल था कि सौ सवा सौ सशस्त्र पुलिस वहाँ खड़ी हो और वह एक खाली थैला फेंक कर पुलिस को डरा दे। डराने की उसकी नियत होती तो ऊंचे हाथ करके नहीं निकलता। ऊंचे हाथ करके निकला। सभापति महोदय, मैं पुलिस अधिकारियों के नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन मुझसे खुद पुलिस वालों ने इस बात को स्वीकार किया है कि न तो उसके हाथ में थैला था न उसके हाथ में छड़ थी। आर. ए. सी. के लोग इस बात पर जिद पर डटे हुए थे कि हमारे एक आदमी का खून हुआ है हम इस खून का बदला खून से लेंगे। सिविल पुलिस बैठी रही और आर. ए. सी. ने गोली चला दी।

अब सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय आज इस बात को इन्कार करेंगे लेकिन मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि एक कमल नहीं और कई कमल पैदा होंगे। आज जिस तरह के अधिकार आप पुलिस को देकर चलना चाहते हैं वे अधिकार केवल कमल के लिये उपयोग में नहीं आयेंगे। माननीय सदस्य याद रखें, उनके और उनके परिवारजनों और उनकी पार्टी के साथियों के खिलाफ भी इस प्रकार के हथियारों का दुरुपयोग होगा। इस आधार पर मैं कहता हूँ, सभापति महोदय, केवल यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है उस आदमी को हॉस्पिटल में लाया गया। जिस समय लाया उस आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु हो चुकी तो पुलिस को डर लगा कि यदि हम इस प्रकार की बात कहेंगे कि पुलिस की गोली से मारा गया तो चार आदमी देखने वाले हैं कि वह ऊंचे हाथ करके बाहर निकला, वह शहर में जाकर दूसरी तरह की बात कहेंगे तो शहर में हड़ताल होगी, पुलिस के खिलाफ जुलूस निकलेगा, आंदोलन हो सकता है। इस कारण से उन्होंने यह कोशिश की कि अभी इस बात को प्रकट नहीं किया जाय कि कमल मर चुका है। उसे हास्पिटल में लाए डॉक्टर को मजबूर किया। डॉक्टर ने कहा कि कमल का इलाज अजमेर में हो सकता है। अजमेर ले जाने का प्रोग्राम केवल इसलिये था कि लोगों में दो दिन में, एक दिन में अजमेर से वापिस आने तक किसी प्रकार शांति हो जाय और हम किसी प्रकार से कंट्रोल करने की व्यवस्था करलें। मरे हुए आदमी को अजमेर ले जाया गया। रास्ते में मरना बताया। सभापति महोदय, मर तो पहले ही गया। अब सभापति महोदय, प्रश्न यह आता है कि पुलिस जिसने हत्या की और डॉक्टर्स पर दबाव डाला। यदि दोनों को लिंक करलें तो इन्नोसेन्ट आदमी किस जगह न्याय प्राप्त करेगा, कहाँ उस आदमी को न्याय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ आज मुख्य मंत्री जी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यहां नहीं हैं, मुख्य मन्त्रीजी ने इस सदन में कई बार कहा और कई बार मैंने उनको टोका है, मुख्य मन्त्रीजी ने बार-बार कहा है कि इस प्रकार के मामले को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाय। मैं आज आपको विश्वास से कहता हूँ, न तो पहले किसी मसले को राजनीतिक रूप दिया न इस कमल के मामले को हम राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। इससे किसी को लाभ होने वाला नहीं है। राजनीति में हम दो दिन सभा कर आयें, दो दिन जुलूस निकाल लें और सरकार के खिलाफ एक वातावरण बना दें उससे जनमानस में कोई अच्छी प्रतिक्रिया होगी, यह मैं नहीं मानता। आखिर सरकार के खिलाफ भी अविश्वास होता है, सरकार की मशीनरी के ऊपर भी लोग शंका करने लगते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। लेकिन, सभापति महोदय, जैसा स्टेटमेंट माननीय मंत्री महोदय ने दिया इस प्रकार का स्टेटमेंट सरकार दे तो हमारे सामने कोई चारा नहीं है कि राजनीतिक आधार पर इस सरकार का मुकाबला किया जाय। सभापति महोदय, यह तो संभव नहीं कि लोगों को गोली से मार दिया जाय और लोग यदि अपील करें, उसकी चिन्ता करें तो गोली मारने वालों को प्रोटेक्शन माननीय मंत्री महोदय दें। मुझे खेद है, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके लिये साफ तौर से कहना चाहता हूँ, आप अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं। आप अपने विवेक से काम नहीं लेकर जो सरकारी अधिकारियों ने एक वक्तव्य पकड़ा दिया उस वक्तव्य को सदन में पढ़ते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि कमल को मारने के लिये शायद उस समय किसी का भी इरादा नहीं होगा लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम बना उस घटनाक्रम के आधार पर गोली चल गयी या गोली चला कर उसको मार दिया गया तो, मंत्री महोदय, आपको इतना निर्लज्ज नहीं होना चाहिये कि आप गोली चलाने वाले के प्रोटेक्शन के लिये यहां खड़े हो जायें। सभापति महोदय, मैं सदन के सामने यह विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि माननीय रामेश्वरलाल और रामरघुनाथजी उन दो-तीन सदस्यों को साथ ले लें और वहां जाकर मैं कह रहा हूँ इस बात को झूठा साबित कर दें तो मैं इस सदन में खड़ा होकर माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन, सभापति महोदय, यह नहीं हो सकता कि एक बदमाश को बदमाश कह कर गोली से उड़ा दिया जाय। आप क्या यह कहना चाहेंगे कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप आपके कांग्रेस के सदस्यों ने लगाये हैं उससे ज्यादा आरोप उस कमल के ऊपर थे? जिस तरह से चोरी, डाके और बेईमानी का आरोप कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने एक दूसरे पर लगाये हैं तो क्या भैरूसिंह गुर्जर को इजाजत देंगे कि वे शिवदान सिंहजी को गोली मार दें, क्या शिवदान सिंह जी को इजाजत देंगे कि भैरूसिंह गुर्जर को गोली मार दी जाय। क्या कानून हाथ में लेने की इजाजत यह सदन पुलिस को दे देगा सभापति महोदय; राजस्थान में लॉ एवं ऑर्डर की स्थिति तो खराब होगी ही लेकिन आप यह मान कर चलिये कि इस शासन के प्रति जनता में किसी प्रकार का विश्वास नहीं रहेगा। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूँगा, आपने जो कहा, आप यदि चाहते हैं कि ईमानदारी से इस बात का निष्कर्ष निकले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि किन परिस्थितियों में कमल के ऊपर गोली चली और किसने गोली चलायी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, पुलिस में और जुडिशियरी में कॉन्फिडेंस पब्लिक का बना रहे इस बात के लिये आवश्यक है कि इस मामले की आप जुडिशियल इन्क्वायरी करायें। सभापति महोदय, इस प्रकार का वक्तव्य देने से पुलिस में तो आप वाहवाही लूट लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, जिन अधिकारियों ने गोली चलायी वह भी आपको देखकर कहेंगे, वाह साहब, आप बहुत बढ़िया बोले, आपने विधान सभा में पुलिस को बचा लिया। कोई भी वक्तव्य देकर आफिसर्स गैलरीज की तरफ देखते हैं और वहां बैठे हुए अफसर हंसते हैं। वे हंसते नहीं हैं आपकी अक्लमंदी पर नहीं, वे हंसते हैं इस बात के ऊपर कि आप हमारे टूल के रूप में यहां बैठे हुए हैं। वे आदमी अक्लमंदी और नेकनीयता पर नहीं हंसते। आपकी पीठ वे इसलिये नहीं थपथपाते कि आप जनता के साथ न्याय कर रहे हैं वह आपका प्रोटेक्शन नहीं चाहते बल्कि आपको एन्करेज करते है अपने चेहरे के हाव भाव से यह दिखाना चाहते हैं कि भगवान की कृपा से शिवचरणजी माथुर ने हमको ऐसा टूल पकड़ा दिया कि हम लोगों को मारेंगे, गोली चलायेंगे और विधान सभा में इस टूल का उपयोग करेंगे। मैं माननीय सदस्य, मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस को डीमोरलाइज नहीं करें यह आपका भी लक्ष्य हो सकता है हमारा भी लक्ष्य हो सकता है कि पुलिस किसी घटना या कांड से डीमोरलाइज नहीं हो। लेकिन, सभापति महोदय, यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि पुलिस अपना डीमारलोईजेशन दूर करने के लिये कानून हाथ में ले ले और लोगों पर गोली चला कर उनको मार दे।

मैं अंत में निवेदन करना चाहूँगा, माननीय प्रद्युम्नसिंहजी, जिस तरह का उदाहरण आप सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं, पुलिस ने गोली चलायी, इसमें कोई संदेह नहीं अकारण गोली चलायी, इसमें कोई संदेह नहीं, सभापति महोदय, यह सम्भव हो सकता है कि मान लीजिए विस्फोटक पदार्थ थे, एक आदमी के पास, जैसा कि इन्होंने कहा, नल का टुकड़ा था, मैं दोनों बातें थोड़ी देर के लिये मान लेता हूँ, किन्तु 150 पुलिस के आदमी खड़े हों और एक आदमी को पकड़ नहीं सकें, इससे ज्यादा कायरता पुलिस की नहीं हो सकती, इससे ज्यादा पुलिस का निकम्मापन नहीं हो सकता। सभापति महोदय, किसी को भी आप पूछ लें पुलिस वालों से ईमानदारी से पूछ लें वह इस तरह की बात बतायेंगे। यदि यह छूट दे दी आपने तो अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा। अभी तीन दिन पहले हुई अजमेर की घटना के बारे में मुझे मालूम है। अजमेर में तीन आदमियों को इसलिये पकड़ कर जेल में रख दिया, पिटाई की कि किसी ने जाकर शिकायत कर दी कि पेट्रोल पम्प को लूट लिया। भले घर के आदमी हैं। वह मेरी पार्टी से संबंधित नहीं। वह भी कांग्रेस पार्टी के प्रधान के बड़े भाई हैं लेकिन चोरी व डकैती का नाम लगाया। पेट्रोल पम्प लूट लिया, पेट्रोल पम्प वालों के पास जाकर कह रहे हैं और पेट्रोल पम्प वाला कह रहा है कि पैट्रोल पम्प लुटा ही नहीं। लेकिन मुकदमा बना कर जेल में रख दिया। सभापति महोदय, इस प्रकार की छूट यदि विधान सभा के प्रांगण

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से पुलिस को मिल गयी तो आप यह मान कर चलिये, इस राजस्थान में अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा। यदि अत्याचार रोकना है, तो माननीय मंत्री महोदय, फिर मैं कहना चाहता हूं पुलिस का टूल मत बनिये। थोड़ा बहुत आपकी कांसेंस प्रिक करती हो, यदि कांसेंस आपकी मरी नहीं हो, यदि आप जिन्दा इन्सान हो तो इस प्रकार के मसले में ऊपर उठकर जो न्याय संगत बात हो वह कहो। मैं कमल की कोई वकालत नहीं कर रहा। कमल बदमाश था, बदमाश होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सभापति महोदय, यदि एनकाउंटर में कोई आदमी मारा जाय तो सरकार सुनवाई नहीं करती थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था कर दी एनकाउंटर में मारा जाय, तो हम सुनवाई करेंगे। यह क्यों व्यवस्था कर दी सर्वोच्च न्यायालय ने, यह व्यवस्था इस आधार पर की कि एनकाउंटर झूठे बताये जाते हैं, एनकाउंटर्स के पीछे सही बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू किया है और अभी बिहार में जो एनकाउंटर्स हुए हैं....

बिहार के एनकाउंटर्स के प्रश्न को लेकर बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार कठघरे में खड़ी है, एनकाउंटर्स इस प्रकार हो रहे हैं, जिस प्रकार की पुलिस की स्थिति हो रही है, माननीय मंत्री जी, मैं आप से तो क्या माननीय केबिनेट के दो मिनिस्टर बैठे हैं, बृज सुन्दर जी शर्मा और हीरालाल जी देवपुरा-इन से बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, कमल की हत्या को छिपाने का प्रयास करोगे तो राजस्थान में हत्यारों को इन्वाइट करोगे, राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा हत्यायें होंगी। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, मैंने पुलिस वालों से पूछा, मामला क्या हो गया ? कहने लगे यह तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आर.ए.सी. के लोगों ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, और आप यहां कह रहे हैं कि उसके गोली नहीं लगी, उस कांस्टेबल के, यह बिलकुल, सरासर असत्य है, उस कांस्टेबल के गोली लगी. और गोली लगने का, सभापति महोदय, कारण साफ था, जब एक गोली चली तो पुलिस वालों ने देखा कि कोई दूसरी पार्टी हम पर गोली चला रही है, उन्होंने गोली चलाई, उससे कांस्टेबल मरा, वहां विस्फोटक का नाम लिया गया यह सारा मेडिकल डिपार्टमेण्ट और पुलिस, यह दोनों कोल्यूजन कर लें तो स्टोरी बनाने में किसी प्रकार का रोड़ा नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। इसलिए, सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहकर, विधान सभा के आखिरी दो दिन हैं-आज और कल, यहां पर कई मसलों पर चर्चा हुई, फायरिंग पर चर्चा हुई, चोरी डकैतियों पर चर्चा हुई, बलात्कार पर चर्चा हुई लेकिन सभापति महोदय, कहीं भी मैंने सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा निर्देशन नहीं देखा कि सरकार ब्लैन्केट आर्डर दे दे पुलिस को कि तुम चोरों को, डकैतों को, यदि पकड़े जायें तो गोली मार दो। तो मैं आज कहना चाहता हूँ, मैं धमकी नहीं देना चाहता, यदि आज जो यह भाषण दे रहे हैं इस भाषण का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय,

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने, आमेर से आने वाली,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से डेगाना और कुचामन से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किये, विपक्ष के नेता महोदय ने यहां कुछ उपदेश, कुछ प्रोवोक, कुछ डराने धमकाने की चेष्टा की, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के आधार पर हमको इस केस को देखकर चलना पड़ेगा, न तो भावुकता के आधार पर हम कोई निर्णय ले सकते हैं, न मैं कोई प्रोवोकेशन के आधार पर निर्देश दे सकता हूँ, न डराने धमकाने से परिस्थितियां बदल सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : पुलिस के कहने से तो बदल सकती हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : निश्चित बात यह है, 3 चीजें सामने हैं, लेकिन यहां उन्होंने नीतिगत प्रश्न सामने रखा····

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, यह ऐसा विषय है कि इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य होना चाहिए। एक आदमी की हत्या हुई। पुलिस को एनकाउन्टर की छूट दे दी गयी। तो जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में एनकाउन्टर के नाम पर आदमी मारे गये, राजस्थान में भी मारे जायेंगे। मंत्री महोदय गैर जिम्मेदाराना ढंग से बोलेंगे, मुझे पता है, इसलिए जब तक मुख्य मंत्री जी नहीं आयें तब तक इस पर वक्तव्य रोका जाय।

(व्यवधान)

और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद इस पर वक्तव्य दिलायें, सभापति महोदय। यह बात सही है, कि यह वही वक्तव्य पढ़ेंगे जो पुलिस ने कहा है, सभापति महोदय, यह असेम्बली के टेप रिकार्डर की तरह से बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आने तक इस वक्तव्य को रोका जाना चाहिए, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : कृपया विराजें.

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, इनके मन की बात कह दूं तो बहुत अच्छा वक्तव्य। नहीं दिया, हकीकत यहां प्रस्तुत करूं तब यह बोलेंगे····

श्री यदुनाथ सिंह : अपने कांग्रेस से कहो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह सब हकीकत है या आप जो कह रहे हो वह हकीकत है····

श्री प्रद्युम्न सिंह : तब यह बोलेंगे कि मैं टेप रिकार्डर की तरह बोल रहा हूं····

श्री मेघराज तावड़ : क्या इन तथ्यों से आप संतुष्ट हैं?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात सुनना नहीं चाहें तो आपकी इच्छा है, आपने कुछ प्रश्न पूछे····

श्री सभापति : मंत्री महोदय को सुन लीजिए आप····

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री महोदय की तो मजबूरी है। इसके अलावा यह कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए बोलना बेकार है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, कृपया व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य, सहयोग करें।

(व्यवधान)

सरकार की ओर से उत्तर आ रहा है वह सुन लीजिए आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वही उत्तर देंगे जो पहले कहा या कोई नई बात कह रहे हैं ?

श्री सभापति : आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब दे रहे हैं।

सुन लीजिए आप, सुनिये तो सही।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही उत्तर है, जो आ रहा है ?

श्री सभापति : आप उन्हें पूरा सुन तो लीजिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, पुलिस द्वारा की गयी कई हत्याओं की वकालत इसी सदन में मंत्री महोदय ने की है, इसलिए, मुख्य मंत्री जी आवें, उन्हीं का वक्तव्य दिलवाइये।

श्री सभापति : पहले सरकार की ओर से जो उत्तर मंत्री महोदय दे रहे हैं, वह देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि यहां पर एक नीतिगत प्रश्न विपक्ष के नेता महोदय ने उठाया, मैं इसकी पृष्ठभूमि के अलग से पूछता हूं, क्या कोई आदमी चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो उसको बिना कानून के समक्ष पेश किये पुलिस को उसको मारने का अधिकार है क्या ? इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती....

(व्यवधान)

क्यों बीच-बीच में आप बोलते हैं, यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मत खड़े होइये आप, यह क्या तरीका है ? आपकी कोई कमजोरी है इसलिए सुनना नहीं चाहते हैं आप।

श्री यदुनाथ सिंह : उधर ही नजर जा रही है आपकी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया जान बूझकर व्यवधान नहीं डालें।

श्री यदुनाथ सिंह : बार-बार उधर देखते हैं गैलरी की तरफ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सहयोग करें, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब आप लोग बोल रहे थे तो किसी ने....

श्री सभापति : उन्होंने आपको बड़ी शान्ति से सुना है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपकी बात कहना चाहता हूं तो एक-एक करके व्यवधान पैदा करना चाहते हैं।

श्री सभापति : नहीं, अब आपको शान्ति से सुनेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हकीकत सुनना नहीं चाहते हैं यहां ?

श्री मेघराज तावड़ : पुलिस को हर तरह से जो हत्यारी पुलिस है, उसको बचाने का यहां हमेशा मंत्री महोदय ने प्रयास किया।

श्री बालचन्द आर्यवीर : आप पुलिस की वकालत, पुलिस को बचाने के लिए वकालत करते हो।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आपकी सरकार, माथुर सरकार इस्तीफा दे इस बात को लेकर····

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य, श्री तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : आप चाहते हो पुलिस को बचाना, आप ऐसे लोगों को बचाने की कार्यवाही कर रहे हो और उन्हीं का रटा हुआ वक्तव्य दे रहे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री महोदय जो स्टेटमैण्ट दे चुके हैं उसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं जब तो हम सुनें कि जो पहले वक्तव्य दे दिया गया है उसके अलावा····

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : कोई नई बात, नया वक्तव्य दे रहे हैं क्या ? कोई नई बात कहते हैं क्या वक्तव्य में ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, आपने जो प्रश्न उठाये हैं उनका उत्तर देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : अभी आप पहले सुनिये, मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो वही पूर्व का वक्तव्य देंगे कि जो मैंने कहा है वही सही है, इसके अलावा क्या बोलेंगे यह ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, नीतिगत प्रश्नों के बारे में मैं आप से निवेदन कर रहा था, यह बात सही है कि कानून के समक्ष किसी को प्रस्तुत किए बिना, अदालत का काम है यह सजा देने का, पुलिस का काम सजा देने का नहीं है. लेकिन इस मामले के अन्दर।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मुझे मालूम है आज तक····

(श्री मेघराज तावड़)

(व्यवधान)

फिर असेम्बली खतम हो जायेगी उसके बाद में आपकी सारी बातें खतम हो गयी।

श्री सभापति : आप मंत्री जी को सुनना नहीं चाहते क्या ?

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आदिवासी को मारा उसका क्या किया, उसकी लाश का भी पता चल नहीं पाया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

कृपया बिराजें, सुनना नहीं चाहते हैं क्या ?

क्या चर्चा समाप्त की जाय ?

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, इसका मतलब यह है कि आज भी वही तरीका पुलिस करती है, हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते।

श्री सभापति : क्या चर्चा समाप्त की जाय ?

श्री मेघराज तावड़ : तो हमारी रक्षा करने के लिए पुलिस के मुकाबले में हम खड़े हों, या तो सरकार यह चाहती है····

श्री सभापति : आप सुनना नहीं चाहते हैं, क्या समाप्त करें ? आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री के विभाग के अधिकारी इनको ठीक कर देते हैं····

श्री सभापति : आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो समाप्त करें चर्चा फिर.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनना चाहते हैं, सभापति महोदय, लेकिन जब यह पुलिस को प्रोटेक्शन देते हैं, असेम्बली के टेपरिकार्डर की बात को हम नहीं सुनना चाहते हैं, इस तरह से पुलिस को एनकाउन्टर की छूट नहीं दी जाय। जिस प्रकार से पुलिस ने हत्या की है, उसका प्रोटेक्शन करते हैं····

श्री सभापति : ऐसा कोई नियम बता दीजिए कि आप नहीं बोल सकेंगे तो मुझे एतराज नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ही बोलेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं बताता हूं नियम।

श्री सभापति : ऐसा कोई नियम नहीं है, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला आरोड़ा : बिहार में लोगों को गोली मारकर हत्यायें की····

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : इन मंत्री जी ने जब-जब भी वक्तव्य दिया,····लोगों को मार दिया जायेगा····

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिहार में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गोली मारकर, लोगों की आखें फ़ाड़कर····

(व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे मजबूरन चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी इस विषय पर।

श्री त्रिलोक सिंह : हम क्यों बैठे है यहां ? यहां हम कहने के लिए बैठे हैं, सदन काहे के लिए हैं, पुलिस को प्रोटेक्शन देंगे····

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। कृपया विराजें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, ऑर्डर ऑर्डर. चर्चा समाप्त हुई।

एक माननीय सदस्य : जाँच के आदेश देने पड़ेंगे।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार द्वारा छूट देने के खिलाफ हम विरोध प्रकट करते हैं। हम माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनेंगे····

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, कृपया बिराजें।

श्री त्रिलोक सिंह : हम जनता के प्रतिनिधि हैं, पुलिस को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह लोगों को गोलियों से मारे····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुठभेड़ के नाम से लोगों को गोलियां मार दी।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, कृपया विराजें।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आप नहीं सुनना चाहते हैं,

(व्यवधान)

कृपया सहयोग करें····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर,

(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : आनो भद्राः क्रतवो यन्तुविश्वतो द्रब्धा सो अपरिता स उद्भिदद्धह····नारायण नमस्कृत्य नरंचैव नरोत्तमम देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदरीयेत्, इसको कोई भी स्वीकार नहीं करता, न्याय विभाग अलग है, प्रशासन विभाग अलग है यह बात हमारे····

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उत्तरप्रदेश और बिहार में जिस प्रकार एनकाउन्टर के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नाम पर राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को मारा उसी प्रकार से राजस्थान सरकार राजस्थान में पुलिस के लोगों को एक प्रकार से मारने की छूट दे रही है, सभापति महोदय, हम स्टेटमेन्ट को नहीं सुनना चाहते हैं, हमारी मांग है कि मुख्य मन्त्री जी को बुलाया जाय और सदन में वक्तव्य दें····

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : गृह राज्य मन्त्री जी भी यही कह रहे हैं कि वह स्वयं इस दु:खद घटना से कोई संतुष्ट नहीं है····

श्री दाऊदयाल जोशी : आप कृपा करके इनको सदबुद्धि प्रदान करावें, × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें। माननीय श्री जोशी।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : पुलिस ने लोगों को मारा····

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें, नियमों का ध्यान रखें, आसन पैरों पर है····आर्डर प्लीज····

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मुख्यमन्त्री जी को बुलावें····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज,

(व्यवधान)

कृपया,

श्री दाऊदयाल जोशी : गृह राज्यमंत्री जी का वक्तव्य सुनने के योग्य नहीं है, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्री जी स्वयं आकर वक्तव्य दे, वैसे मुख्य मन्त्री जी से भी कुछ होने वाला नहीं है, हम भुगतभोगी हैं, कोटा में आज तक क्या हुआ गृह राज्य मन्त्री जी बताइए आपकी पुलिस ने क्या व्यवस्था छोड़ी थी जो अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। एक लाख रुपए की घोषणा इसी सदन में, सदन के इतिहास में पहली बार हमने सुनी। कहां गया आपका लाख रुपये से अपराधियों को पकड़ने का तरीका, क्या हुआ आपके अपराधियों को पकड़ने के नये तरीके का ? आज तक नहीं पकड़े गये····

श्री सभापति : अंकित न हो,

श्री दाऊदयाल जोशी : × × × ×

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया बिराजें,

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।
× × × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(174)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : डी. आई. जी के बंगले के बाहर····

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 2·54 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक म. प. 3·10 बजे पुनः प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री मन्त्री जी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर रहा था, एक यहां पर विषय उठाया गया था कि क्या पुलिस को कानून को हाथ में लेने का अधिकार है, क्या वह किसी को मार सकता है ? मेरा निवेदन है कि चाहे पुलिस हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, मैंने पूर्व में निवेदन किया था माननीय सदस्यों को कि न तो पुलिस को इस बात का अधिकार है कानून में किसी की हत्या कर दे और न किसी और को अधिकार है कि वह किसी की हत्या कर दे । लेकिन तथ्य जो मैंने सदन के सामने रखे, अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, जो पुराने हालात थे और उस दिन के हालात थे वह हालात मैंने बनाये ।

आर० ए० सी० के लोगों ने प्रतिशोध की भावना से यह कार्य किया क्योंकि उनका एक आदमी मारा गया था, यह बात भी यहाँ पर कही गयी····

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस पर तो चर्चा समाप्त हो चुकी है । इसके बाद में····

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि चर्चा समाप्त तो चेअरमैन साहब ने की थी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं वह नहीं कहना चाहता हूँ····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये मन्त्री जी कुछ कहना चाहते थे इसलिये मैंने उनको विशेष अनुमति दी है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि हाउस में एक बात खड़ी हो गयी उसके बाद में तथ्य सामने आये····

श्री अध्यक्ष : अब आप, माननीय सदस्य, व्याख्या कर रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : व्याख्या की बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय । मांग यह है कि इन तथ्यों के सामने आने से क्या ज्यूडिशियल इन्क्वायरी मन्त्रीजी कराने को तैयार हैं । क्या आपका मानस बन गया है, ज्युडिशियल इन्क्वायरी आप कराने को तैयार है तब तो आप स्टेटमेन्ट दें वरना बेकार है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । इस पर आगे चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बता दें कि पुलिस ने छुरा बरामद किया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी। बैठ जायें कृपया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि एक कान्सटेवल के चाकू मारा गया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस पर विस्फोटक पदार्थ डाला गया जिससे कि एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुआ, उसकी जांघ पर इतनी जबर्दस्त चोट आई कि हेमरेज हो गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, मैं अपना वक्तव्य शुरू कर रहा था कि माननीय सदस्य ने बीच-बीच में व्यवधान डाल कर मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया। मेरे पास पुलिस का वर्शन भी था और मैंने खुद जानकारी प्राप्त की थी उसके आधार पर मैंने इस सदन में आपके समक्ष तथ्य रखे। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई और जो रिकार्ड मैंने देखा, इन्वेस्टीगेशन की फाइल व पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट मैंने देखी उसके अनुसार मैंने तथ्य को सदन में रखा।

(व्यवधान)

श्री छीतरलाल आर्य : क्या मन्त्री महोदय ज्युडिशियल इनक्वायरी कराने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य बाधा नहीं पहुँचावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय ज्युडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करने को कोम्पीटेन्ट हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, न तो मैं ज्युडिशियल इनक्वायरी कराने जा रहा हूँ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूछ रहा हूँ कि आप ज्युडिशियल इन्क्वायरी कराने की घोषणा करने के लिये काम्पीटेन्ट हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : Yes I am compitent.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप काम्पीटेन्ट नहीं हैं। आप काम्पीटेन्ट कैसे हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से जब कभी कोई उत्तर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि चाहे उप मन्त्री कहे चाहे कोई अन्य स्तर के मन्त्री कहें वह बात सरकार की तरफ से कही जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से जो कुछ कहा जाता है वह पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ कहा जाता है। इसमें कोई यह नहीं माना जा सकता है कि यह उप मन्त्री ने कहा है सरकार की तरफ से या मुख्य मन्त्री ने कहा है सरकार की तरफ से, ऐसा कोई भेद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैन्यूअल के हिसाब से मन्त्री जी के पास इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज नहीं हैं डिपार्टमेन्ट का।

He is subbordinate to the Chief Minister.

श्री अध्यक्ष : अब आप टैक्निकल बात बता रहे हैं। पहले सलाह करके मुख्य मन्त्री जी से बाद में कोई बात करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह काम्पीटैन्ट नहीं है। इन-काम्पीटैन्ट मन्त्री जी से आप जवाब दिला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इन-काम्पीटैन्ट हूँ तो मैं बड़े अदब और आदर के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि विपक्ष के नेता महोदय का यह प्रश्न इर्रेलेवेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूँ कि + + +

श्री प्रद्युम्नसिंह : No

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है आप धौलपुर जाकर आये हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धौलपुर का कर्तव्य है कि इन्नोसेन्ट आदमी जहाँ मिल जाये उसको गोली मार दो।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह धौलपुर को बदनाम कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर माननीय सदस्य, अव्यवस्था न फैलावें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान में सरकार लोगों को मारना चाहती है यह सरकार की नीति है।

(व्यवधान)

इसके विरोध में मैं सदन से वाक् आऊट करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आज तक राजस्थान में जितनी हत्यायें हुई हैं उसमें सरकार अपराधियों को बचा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री त्रिलोकसिंह × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

(प्रतिपक्ष के सदस्यों का बहिर्गमन)

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

निम्बाहेड़ा में रॉयल्टी की चोरी

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भूपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा निम्बाहेड़ा सीमेंट फैक्ट्री में रॉयल्टी की चोरी के विषय में खनिज मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री हीरालाल देवपुरा, राजस्व मंत्री जी एक वक्तव्य देंगे।

संक्षेप में, माननीय सदस्य, समय की बचत करें।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : यह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, शुरू कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था निम्बाहेड़ा सीमेंट फैक्ट्री।

श्री हीरालाल देवपुरा (खनिज मंत्री) : स्थगन प्रस्ताव है या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है?

श्री भूपालसिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

वह फैक्ट्री जहां है वहां दूसरा एरिया और खनिज एरिया सारा का सारा मिला हुआ है, चार-पांच मील का लम्बा-चौड़ा एरिया है। वहां से जो माल निकालते हैं वह बिना किसी नाप-तोल के ले आते हैं। वह माल ट्रैक्टर में, ट्रेलर से ट्रक में भी आता है। जो कुछ पैसा सरकार को जमा कराते हैं, वह करा देते हैं, उसकी चेकिंग नहीं हुई। एक दिन चेकिंग हुई तो माल की क्षमता जो थी उससे अधिक माल आया। हालांकि नियम ऐसा है, निम्बाहेड़ा सब डिवीजन में ऐसे वसूली होती आई है कि जो माल आये वह तुलवाया जाय, अगर तुलवाया नहीं जाय तो उसका पचास प्रतिशत अधिक दें। निम्बाहेड़ा की परिस्थिति ऐसी है कि यहां से 14 किलोमीटर दूर कांटा है। वहां जाकर हर आदमी तुलवा नहीं सकता। फैक्ट्री वालों ने खुद का कांटा लगवा रखा है लेकिन वह उसे खराब बताकर आज तक नहीं तुलवाते। जिस दिन उन्होंने चेकिंग की उस दिन शाम को सात बजे उस ट्रेलर को पकड़ा। सुबह सात बजे तक आफिसर और बाबुओं को तंग किया वह माने नहीं। बड़ी मुश्किल से उसका वजन वगैरह कराया तो वह भार क्षमता से अधिक निकला। अब बचने के लिए यह बात कही गई कि उस दिन माल अधिक इसलिए भरा गया था कि उस ट्रेलर की ट्राईल की जा रही थी। जो रॉयल्टी ली जाती है उसका नियम है कि वह खनिज विभाग को सूचित करें कि हम ट्राइल कर लें, या फिर ट्रांसपोर्ट आफिसर से परमिशन लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब-जब भी उनका रॉयल्टी आफिसर जांच करते हैं उनको ऐसा कहकर टाल दिया जाता है। जिस दिन सीमेंट का प्रस्ताव आया था उस दिन खनिज मंत्री ने कहा था कि साल भर में जो सीमेंट बनता है उसका और जो पत्थर आता है उसका हम मिलान कर लेते हैं। यदि कम होता है तो उनसे और ले लेते हैं और बराबर या अधिक हो तो ठीक है। मेरा अर्ज करना यह है कि जो पत्थर आता है उसमें दो-चार

(श्री भूपालसिंह)

क्वालिटी आती है। लाइम स्टोन और लाल पत्थर होता है, चूना भी मिलता है। यह सब मिलने के बाद बहुत सारा उड़ जाता है जिसकी वहां के लोग शिकायत कर रहे हैं जो मिट्टी उड़ती है उससे वहां के आदमियों के स्वास्थ्य पर असर होता है। उसकी कमेटी बनाकर उसको टाल रखा है, वह विषय अभी नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन जितना माल छन कर अलग होता है उसका जिस प्रकार मिलान किया जाता है वह किसी कायदे-कानून में नहीं है। जैसे पहले राजा-महाराजाओं को छूट थी कि कोई चीज लाओ टैक्स नहीं दो इसी प्रकार से बड़े कारखाने वालों को छूट दे रखी है। साधारण आदमी की जांच करने की हिम्मत ही नहीं होती है। यदि वह हिम्मत करके जांच करे तो भी वह नहीं कर सकता, उसको दबा दिया जाता है।

दूसरा सवाल रहा, टैक्स का, मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि टैक्स सीमेंट फैक्ट्री से साढ़े चार रुपये प्रति टन पर वसूल किया जाता है। वही लाइम स्टोन से चूना बनाने वाले होते हैं उससे साढ़े सात रुपये प्रति टन वसूल किया जाता है। कहने को यह कहा जा रहा है, साढ़े चार रुपये फैक्ट्री से इसलिए वसूल किये जाते हैं कि उसको चार बरस से बढ़ाया जाता है, इससे पहले नहीं बढ़ाया जाता था और बढ़ाने के लिए पहले सेंटर से इजाजत लेना आवश्यक है। वह तो दो-चार महीने बाद आयेगी। साधारण चूना बनाने वालों पर सात प्रतिशत कर दिया गया है, अगर वह वजन नहीं कराये तो साढ़े दस प्रतिशत टेक्स लिया जाता है। खादी बोर्ड द्वारा मदद दी जाकर गरीब आदमियों को खड़ा किया जाता है, कम ब्याज से रुपया दिया जाता है। साढ़े सात रुपये तो वसूल किया जाये साधारण चूना बनाने वालों से और फैक्ट्री से साढ़े चार प्रतिशत किया जाय। यह अभी 23·12 से बढ़ाया गया है। उनका यह कहना है कि बाद में हम सेंटर से इजाजत ले लेंगे, तब बढ़ा देंगे। लाइम स्टोन वालों को जो रियायत थी क्या वह नहीं रोकी जा सकती? इसलिए मेरा अर्ज करना है कि यह गरीबों के साथ अन्याय है, वैसे ही मर रहे हैं। उनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं था उन पर 10 प्रतिशत सेल्स टैक्स लाद दिया, अलग से टैक्स कर दिया जबकि फैक्ट्री वाले पूरा टैक्स भी नहीं देते। पूरा माल लेते हैं और रुपये का आठ आना टैक्स चुकाते हैं। वह भी समय पर नहीं चुकाते हैं। गरीब आदमियों की तो चिट्ठी रखने के बाद गाड़ी निकलती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भूपालसिंह : मैं अर्ज करूं, एक तो समय पर वह टैक्स कहीं चुकाते, दूसरे पचास प्रतिशत अधिक दूसरों से लेते हैं। पकड़े जाने पर भी नहीं लेते हैं। अभी तक उसकी फाइल को दबा रखा है। यह ट्रेलर जो पकड़ा गया, 1983 में पकड़ा गया, अब फरवरी, 84 निकल गई है, लेकिन अभी तक उन पर कायदे-कानून का कोई असर नहीं हुआ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये का रोजाना टैक्स चोरी हो रहा है उसको वसूल किया जाए।

(श्री भूपालसिंह)

इसके अलावा एक बात और रह गई है। उन्होंने क्या किया है, 67 प्रतिशत लेवी का सीमेंट ले लेते हैं और 33 प्रतिशत उनको छूट दी जाती है। उस 33 प्रतिशत के लिए उन्होंने राजस्थान के बाहर 20 दुकानें खोल रखी हैं। अब इसका पता नहीं लगता कि वह 33 प्रतिशत जाता है या 67 प्रतिशत जाता है। वह वहां जाकर बिकता है तो सेल्स टैक्स सारा का सारा बच जाता है। एक फैक्ट्री का टैक्स एक लाख रुपया रोज का होता है, साल में आठ करोड़ रुपये होता है, लेकिन वह टैक्स फैक्ट्री वालों से नहीं लिया जा रहा है, वह नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनसे टैक्स लिया जाये, ज्यों ही खान से पत्थर निकले, वह चैक किया जाये और उन से नियमानुसार टैक्स लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने निम्बाहेड़ा फैक्ट्री के द्वारा लाइम स्टोन पर दी जाने वाली रॉयल्टी के सम्बन्ध में दो बिन्दु प्रस्तुत किये। एक तो यह कि निम्बाहेड़ा सीमेंट फैक्ट्री में जो लाइम स्टोन काम में आ रहा है उस लाइम स्टोन की राज्य सरकार द्वारा पूरी रायल्टी वसूल नहीं की जाती, उसमें काफी चोरी होती है, उसकी कोई जांच नहीं की जाती। दूसरा यह कि लाइम स्टोन पर जो रायल्टी कायम की गई है वह दो तरह की रायल्टी है। सीमेंट फैक्ट्री के काम आने वाले लाइम स्टोन के लिए साढ़े चार रुपये प्रति टन और बर्निंग के काम आने वाले, साधारण चूना जो बनाया जाता है उस पर साढ़े सात प्रतिशत।

अध्यक्ष महोदय, पहले बिन्दु पर मेरा निवेदन है कि इस सदन में पहले भी इस सम्बन्ध में प्रश्नों के माध्यम से और अन्य तरीकों से भी चर्चा हुई थी, बात उठाई गई थी तब भी मैंने निवेदन किया था कि सीमेंट फैक्ट्री में जो लाइम स्टोन काम में आता है चाहे वह सीमेंट फैक्टी निम्बाहेड़ा हो चाहे कोई दूसरी सीमेंट फैक्ट्री हो जितना भी लाइम स्टोन उसमें काम में आता है उस पर पूरी रॉयल्टी राज्य सरकार वसूल कर रही है। कहीं पर भी किसी प्रकार की रियायत या किसी प्रकार की ढिलाई उसमें नहीं बरती जा रही है और कितना लाइम स्टोन काम में आया उसको जांचने के लिए तरीके क्या हैं मैंने इस सदन में पूर्व में भी निवेदन किया था। आज मैं पुनः उनको दोहराना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सीमेंट फैक्ट्री में जो लाइम स्टोन काम में आता है वह कैरियर्स के द्वारा फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, कैरियर्स में ट्रक हो सकती है डम्पर हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, कोई भी साधन हो सकता है, ट्राली हो सकती है कोई भी साधन हो सकता है उसके माध्यम से वह लाइम स्टोन वहां पर पहुंचाया जाता है। उस कैरियर की कैपेसिटी वेट के हिसाब से भी और वाल्युम के हिसाब से भी मुकर्रर हैं। वेट और वाल्युम के हिसाब से उस कैपेसिटी के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना लाइम स्टोन इस फैक्ट्री के अन्दर आया। जिस कैरियर के माध्यम से लाइम स्टोन आता है उसका अकाउन्ट होता है और समय समय पर—रेगुलर तो मैं नहीं कहता कि एवरी डे चैकिंग हो लेकिन समय समय पर उसकी नियमित रूप से चैकिंग होती है जिससे मालुम हो जाता है कि कितना कैरियर के द्वारा लाइम स्टोन फैक्ट्री

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के अन्दर पहुंचा। उसके हिसाब से और वाल्युम की दृष्टि से भी और कैपेसिटी वेट की है उस दृष्टि से भी कितना टोटल टनेज में वेट के अन्दर वह लाइम स्टोन वहां पर पहुंचा और दूसरे उसकी वेरीफाई करने के लिए जो सीमेंट का प्रॉडक्शन होता है उस सीमेंट का रेशो बना हुआ है कि इस सीमेंट में टन सीमेंट बनाने में कितना लाइम स्टोन की आवश्यकता होगी। उस आधार पर उसको केलकुलेट किया जाता है और केलकुलेट करने के वाद जो वेट का आधार हमने केलकुलेट किया उससे अगर ज्यादा लाइम स्टोन की क्वान्टिटी बनती है या जो सीमेंट के आधार पर जो हमने केलकुलेट किया उससे लाइम स्टोन की क्वान्टिटी ज्यादा बनती है याने जिससे भी ज्यादा क्वान्टिटी लाइम स्टोन की बनती है उस लाइम स्टोन पर सीमेंट फैक्ट्री से रॉयल्टी वसूली की जाती रही है और बराबर इसी आधार पर रायल्टी वसूल की जाती है। इसमें कहीं पर भी कोई फर्क नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमेशा लाइम स्टोन की रॉयल्टी जो हमने सीमेन्ट फैक्ट्री के अन्दर जो रेशो के आधार पर केलकुलेट किया है उसकी अपेक्षा जो कैरियर के माध्यम से लाइम स्टोन आया है और उस केरियर की वेट और कैपेसिटी के आधार पर हमने केलकुलेट किया है वह ज्यादा आई है और वही ज्यादा रॉयल्टी हमने हमेशा वसूल की है। माननीय सदस्य का यह कहना कि रायल्टी जहां वेट नहीं करते हैं केरियर की जो कैपेसिटी है उसका डेढ़ गुना मानकर वसूल किया जाना चाहिए। खनिज विभाग के अन्दर इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि ड्योढ़ा मानकर वसूल किया जाये। जो रियल वेट है जो रॉयल्टी हम लेते हैं, जितना माल निकलता है खान से उसका डेढ़ा करके या सवाया करके रॉयल्टी लेने के हम अधिकारी नहीं हैं। तो जितनी कैपेसिटी है उसी आधार पर हम रॉयल्टी लेते हैं। डेढ़ गुना करके रॉयल्टी लेने का प्रावधान खनिज विभाग में नहीं है और न इस तरह की कोई परम्परा ही रही है कि डेढ़ गुना रायल्टी ली जाये। तो यह जो आपका कहना है डेढ़ गुना करके रायल्टी ली जानी चाहिए यह मैं नहीं समझता कि कहां से आपने इस बात को कही है।

डम्पर जो भी सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा काम में लाया जाता है उनका एक तरीका और है वेट केलकुलेट करने का, अध्यक्ष महोदय, यह सारा लाइम स्टोन जो सीमेंट फैक्ट्री में जाता है वह बैल्ट कैरियर के माध्यम से जाता है। मशीन है बेल्ट कैरियर जिस कैरियर के माध्यम से वह फैक्ट्री के अन्दर जाता है उस बेल्ट कैरियर के ऊपर एक बेल्टवेयर नाम की मशीन लगी होती है जो इस बात को बताती है कि इस केरियर के थ्रू आज कितने टन सीमेंट फैक्ट्री के अन्दर पहुंची है। उसकी भी रीडिंग लेते हैं। उससे भी हम केलकुलेट करवा कर देखते हैं और सारी रीडिंग देखकर मिलाते हैं। तो जिस जरिये से लाइम स्टोन की क्वान्टिटी ज्यादा जाती है उसको हम केलकुलेट करके लेते हैं। उसमें कहीं पर भी यह कहना कि रायल्टी की चोरी हो रही है ऐसी कोई स्थिति नहीं है। समय समय पर हम इनका वेट भी करवाते हैं। कभी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अभी जैसा आपने बताया कि फरवरी में वेट कराया। एक डम्पर का वेट कराया उसमें लाइम स्टोन की वेल्यु आई है वह कैपेसिटी से ज्यादा आई है। सभापति महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेल्ट केरियर से भी जो लाइमस्टोन गया तब भी जो डम्पर की वेल्यु आई है वह डिफरेन्ट-डिफरेन्ट टाइप से आई है। वहां पर वेल्यु हमें मिली है एक डम्पर की कभी हमें मिली है 21 समथिंग टन की, कभी मिली है 21. सम टन की और कभी मिली है 20·68। तो जो हाइएस्ट वेल्यु आई है 22·68 की डम्पर के हिसाब से उस 22·68 टन वेट मानकर हम उसको केलकुलेट करके लेते हैं। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि हमने उसमें कहीं कमी की हो।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह सीमेंट फैक्टरी में जो लाइमस्टोन आता है वह यह नहीं है कि सब जगह बढ़िया टार रोड बनी हुई हैं, नेशनल हाइवे की तरह से रोड बनी हुई हैं जिससे हमेशा-हमेशा उन ट्रकों में ओवरलोड करके ही लाया जायेगा। वहां पर तो मिनरल माइन्स से लाना पड़ता है। माइन्स से आएगा तो माइन्स से आने वाले रास्ते कैसे हैं–उस हिसाब से हम देखें तो यह भी प्रैक्टिकल व्यु लेना पड़ता है कि कोई भी कैरियर के अन्दर लोड से ज्यादा कैरी करके ले आये यह सम्भव नहीं हो सकता लेकिन फिर भी हमने सब प्रिकाशन्स लिये हैं। वहां पर उसको चैक करते हैं। फिर भी अगर माननीय सदस्य बताते हैं, कोई शिकायत है तो आप बता दें, मैं चैक करवाकर बता दूंगा। आपको भी तसल्ली हो जायेगी कि इसमें क्या बात है और क्या बात नहीं है।

एक दूसरा पाइन्ट आपने लिया है रायल्टी का कि इसमें साढ़े चार रुपया है और दूसरा जो लाइमस्टोन जो बरनिंग के लिए काम में लाते हैं चूने के लिए उसकी 7 रुपये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह लाइम स्टोन दो तरह के मिनरल्स के रूप में काम आता है। मेजर मिनरल के रूप में काम में आता है और माइनर मिनरल के रूप में काम में आता है। मेजर मिनरल कौन सा है और माइनर मिनरल कौनसा है इसको भारत सरकार ने एक शिड्युल बना रखा है। वह लाइम स्टोन जो किसी कैमिकल इन्डस्ट्री में काम आये, वह लाइम स्टोन जो सीमेन्ट फैक्टरी के काम में आये याने केवल चूना बनाने वाला नहीं है लेकिन केमिकल इन्डस्ट्रियल परपज के लिए इन्डस्ट्री के काम में आता है वह मेजर मिनरल माना गया है, और मेजर मिनरल की रायल्टी भारत सरकार तय करती है। मैंने कभी यह नहीं कहा और न कभी जिक्र किया है कि भारत सरकार से मंजूरी लेकर के हम रायल्टी तबदील नहीं करा सकते। मेजर मिनरल की रायल्टी भारत सरकार तय करती है और उस रायल्टी को तय करने का पीरियड उनको 4 वर्ष का मुकर्रर है। यह रायल्टी सन् 1981 में तय हुई थी और अब 85 में, वापिस तय होगी तब इसमें रिवीजन होगा। माइनर मिनरल की रायल्टी जो कि, चूना बनाने के लिए लाइम स्टोन काम में, आता है बुर्निग में वह माइनर मिनरल की तारीफ में आता है और माइनर मिनरल की रायल्टी राजस्थान सरकार तय करती है। राजस्थान सरकार की रायल्टी तय

(श्री हीरालाल देवपुरा)

किये 4 वर्ष बीत चुके थे इसलिए हमने रिवाइज की और 7 रुपया उसकी रायल्टी की है। रायल्टी तय करने का सीधा तरीका है हम रायल्टी मानते हैं जो क्वान्टिटी कुल निकलती है उसकी 10 पर्सेन्ट रायल्टी हम आधार मानकर चलते हैं। तो आज लाइमस्टोन की जो रेट है, जो लाइम स्टोन बिकता है वह 70-80 रुपया पर टन के हिसाब से बिकता है। उस आधार पर हमने स्वयं उसकी पर टन के हिसाब से रायल्टी कायम की हुई है। रायल्टी कायम करने के बाद आप बता रहे हैं कि लोगों को काफी परेशानी है तो मेरे पास तो लाइम स्टोन की रायल्टी के बारे में कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं आया। जब रायल्टी हमने रिवाइज की थी, कुछ आइटम के संबंध में रायल्टी रिवीजन के ऊपर माइनर मिनरल के रिप्रेजेन्टेशन तो आये थे। उनको हमने कन्सीडर किया था। लेकिन लाइम स्टोन के ऊपर जो रायल्टी रखी है उस पर कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं आया। तो यह कहना कि लोगों को इससे परेशानी हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, मैं समझता हूँ, उचित नहीं है।

मैं यही निवेदन कर सकता हूँ सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा सीमेन्ट फैक्ट्री से जो लाइम स्टोन की रायल्टी ली जा रही है उसमें किसी तरह की कोई रियायत या कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। उनसे जो रायल्टी मिलनी चाहिए वह पूरी सरकार वसूल कर रही है। साथ ही साथ मैंने यह भी कहा है कि माननीय सदस्य कभी चाहेंगे, आपके साथ भी अगर बतायेंगे तो चैकिंग करवाकर बता दूंगा जिससे आपको भी विश्वास हो जाय कि इसमें डिस्कशन की कोई बात नहीं है। दोनों बिन्दु जो माननीय सदस्य ने उठाये उनको मैंने स्पष्ट कर दिया, मैंने जो निवेदन किया है, मैं समझता हूँ, इससे माननीय सदस्य को सन्तुष्ट होना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री भूपालसिंह : मैं इसके लिए तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जांच करवाने का आश्वासन फर्माया लेकिन मेरा अर्ज करना यह है कि बेल्ट सिस्टम तो निम्बाहेड़ा में नहीं है। आता उन्हीं ट्रक और ट्रालियों है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि उनकी जो भार कैपेसिटी है वह कभी आपने जांच करवाकर देखी है या जो फैक्ट्री वाले कहते हैं उसको मान लेते हैं आप ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ कहा है, समय-समय पर चैकिंग भी हुआ उसकी कैपेसिटी कम्पनी की ओर से भी दी हुई है। दोनों ही बातें कह दी मैंने।

श्री भूपालसिंह : अर्ज करना यह है कि कम्पनी की तरफ से जांच नहीं हुई है। वह करोड़पति लोग हैं....

श्री हीरालाल देवपुरा : कम्पनी से मतलब मेरा सीमेन्ट कम्पनी से नहीं है। कम्पनी से मतलब मेरा जो डम्पर बना हुआ है उससे है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भूपालसिंह : एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

आर्डर, आर्डर । कृपया बैठ जायें । चर्चा हो गयी ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय बहुत निकल गया····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, मैंने पूरा अवसर दे दिया ।

श्री भूपालसिंह : एक मिनट ।

वहां तो कांटा लगा हुआ है । कांटे पर नहीं तौलते हैं । आपने आश्वासन दिया कि मैं जांच करूंगा····

श्री अध्यक्ष : भाटों का क्या है । दस, बीस इधर हो जाय या दस बीस उधर हो जाय ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

श्री भूपालसिंह : मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं । 50 पर्सेन्ट जो गरीबों से वसूल कर लिया गया है आपने आर्डर्स भी निकाले हैं, मैं यह नहीं कहता कि आपने आर्डर्स नहीं निकाले, आपने ऐसे आर्डर भी निकाले हैं कि भार क्षमता से अधिक नहीं लिया जाय लेकिन वहां पर लिया जा रहा है । हुकुम की तामील नहीं हो रही है । क्या जो वसूली हो गयी है वह लोगों को आप वापस रिफण्ड करायेंगे या अब उनको सख्त हिदायत देंगे कि वह ज्यादा वसूली नहीं करें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो मैंने स्पष्ट कहा है कि ज्यादा वसूली करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । किसी से ज्यादा वसूली हुई है ऐसी मेरे पास कोई शिकायत भी नहीं आई है । उसके लिए मैं क्या कहूं ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज शाम को 7½ बजे सिसोदिया गार्डन में सभी माननीय सदस्यों का रात्रि भोजन एवं खाना माननीय वित्त मन्त्री जी की ओर से दिया जा रहा है । सभी माननीय सदस्य पधारें । बसों का भी इन्तजाम रहेगा । यहां से रहवास के स्थान पर वहां से सिसोदिया बाग और वहां से वापस रहवास जाएंगी ।

शासकीय वक्तव्य

कोटा जिले के कनवास क्षेत्र में पुलिस एस. एच. ओ. द्वारा भील जाति के एक 18 वर्षीय बालक की पिटाई कर हत्या

सरकार की ओर से वक्तव्य होगा । कोटा जिले के कनवास क्षेत्र में पुलिस एस. एच. ओ. द्वारा भील जाति के एक 18

(श्री अध्यक्ष)

वर्षीय बालक की पिटाई कर हत्या कर देने के संबंध में। माननीय सदस्य बाद में प्रश्न पूछ सकेंगे। अधिक से अधिक इसमें 15 मिनिट का समय।

श्री दाऊदयाल जोशी : आधा घंटा।

श्री अध्यक्ष : नो। आर्डर प्लीज। 15 मिनिट।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, थाना कनवास में पंजीबद्ध संगीन नकबजनी के अभियोग संख्या 141/83 धारा 458/380 ता० हि० में अनुसंधान से लिप्त पाये जाने पर थाना अधिकारी कनवास द्वारा अभियुक्त छीतरलाल पुत्र हीरालाल निवासी मान्दलिया थाना मण्डाना, द्वारकालाल पुत्र देवी राम भील निवास अरना थाना कनवास एवं मोहन पुत्र भूरा भील निवासी दौलतपुरा थाना मण्डाना को दिनांक 28–1–84 को रात्रि 9·30 बजे गिरफ्तार किया जाकर बन्द हवालात किया गया था। यह तीनों मुलजिमान एक ही हवालात में बन्द थे।

दिनांक 29-1-84 को प्रातः 7 बजे ड्यूटी पर तैनात संतरी ने छीतर मुलजिम को आवाज लगाई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अचेतावस्था में पाया। जिस पर उसने इसकी सूचना थानाधिकारी को दी। थानाधिकारी हवालात पर पहुंचे और तत्काल चिकित्साधिकारी, कनवास को थाने पर बुलवाने हेतु कान्स्टेबिल भेजा लेकिन चिकित्सा अधिकारी वहां उपलब्ध नहीं थे। अतः राजकीय अस्पताल में तैनात नर्स पी. जी. गिरेसा को थाना कनवास बुलवा कर छीतर भील को दिखाया गया जिन्होंने उसे कृत्रिम सांस देने का प्रयास किया मगर उसकी हालत में कोई सुधार न होने पर उसे कोटा इलाज हेतु ले जाने की सलाह दी।

थानाधिकारी द्वारा वाहन उपलब्ध करने के प्रयास किये गये। इसी बीच छीतर की लगभग 8 बजे प्रातः मृत्यु हो गई। इस पर थानाधिकारी ने वृत अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी रामगंज मण्डी को सूचना भिजवाई जिस पर यह दोनों अधिकारी उसी सायंकाल थाना कनवास पहुंचे। एस. डी. एम. राजगंज मण्डी ने धारा 176 जा. फौ. के अन्तर्गत जांच प्रारम्भ की। पंचायत नामा तैयार कराया जाकर पोस्ट मार्टम मैडीकल बोर्ड द्वारा करवाया गया।

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से छीतर भील की मृत्यु दम घुटने से होना पाया गया। चूंकि उसकी मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुई थी अतः धारा 176 जा. फौ. के अन्तर्गत इसकी जांच सर्व प्रथम उप खण्ड अधिकारी रामगंज मण्डी द्वारा एवं बाद में जिलाधीश, कोटा के आदेश से उप खण्ड अधिकारी, कोटा ग्रामीण द्वारा सम्पन्न की गई। उसकी जांच से छीतर लाल की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होना पाये जाने पर अभियोग संख्या 13/84 धारा 302 ता. हि. दिनांक 17-2-84 को पंजीबद्ध किया जाकर उप-महानिरीक्षक के रेंज सैल के अधिकारी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

द्वारा अनुसंधान करवाया जा रहा है एवं थानाधिकारी कनवास को दिनांक 30-1-84 से निलम्बित कर दिया गया है। अनुसंधान जारी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन करता हूँ भील और गरासिया, यह सरकार भील और गरासिया के प्राण लेना....

श्री अध्यक्ष : अब राजनीतिपूर्ण चर्चा तो छोड़िये, माननीय सदस्य। तथ्यों पर आ जायें। दूसरी बातें क्यों जोड़ रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : आप फर्मायें तो, एक-एक करके प्रश्न पूछूं उसका जवाब दें, आप फर्मायें तो....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, वक्तव्य के बाद में, अपने नियम में ऐसा प्रावधान है, चर्चा समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिये आपको दो-तीन प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूँ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : लम्बा-चौड़ा वक्तव्य है। 8-10 प्रश्न करूंगा....

श्री अध्यक्ष : और एक दो बढ़ाना हो तो मैं बढ़ाने को तैयार हूँ लेकिन उतने ही होने चाहिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : नकबजनी का जो केस आपके यहां रजिस्टर किया गया, संगीन नकबजनी का, धारा 458, 380 का, वह किस के द्वारा कौनसी तारीख को दर्ज कराया ? यह नकबजनी किस के नाम कौनसी तारीख को हुई थी ? एक....

श्री अध्यक्ष : एक नहीं, यह दो हो गये मेरे अनुसार।

श्री दाऊ दयाल जोशी : एक ही है, साहब।

नम्बर दो। माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि तीन अपराधियों को पकड़ा गया, द्वारकालाल और दूसरा देवीराम दौलतपुरा। इन दोनों अपराधियों को कब पुलिस ने पकड़ा, कौन व्यक्ति इनको गिरफ्तार करके कौन सी तारीख को थाने में लेकर आया ? तीसरा–किशोर भील, आप कह रहे हैं, हमने लाश संभलाई। किशोर भील की मरने वाले छीतर से क्या रिश्तेदारी थी और उसको लाश संभलवाने का क्या कारण था ? क्या यह इसके गांव का रहने वाला था ? चौथा–लाश, आप कह रहे हैं, गांव ले जाकर उसके परिवार वालों को सौंप दी। माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि लाश क्या उसके पिता को सौंपी गई ? यदि नहीं सौंपी गई तो क्यों ? उस लाश को लेकर कौन व्यक्ति गये थे, किस वाहन में वह लाश उस गांव तक पहुँची थी ?

श्री अध्यक्ष : इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछिये न ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित है आगे चल कर बताऊंगा।

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

उपखण्ड अधिकारी ने जब जांच कर ली थी....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल इतना सा है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और....

श्री दाऊ दयाल जोशी : मार डाला।

श्री अध्यक्ष : हां, मार डाला। यही कह दीजिये आप। यही प्रश्न है। अब किस वक्त लाश लाए और कौन सी गाड़ी से गई, यह इससे कोई संबंध नहीं रखते। सम्बन्धित प्रश्न है उसका अनुसंधान हो रहा है, आप इस बारे में कुछ पूछें तो कुछ बताया जा सकता है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप ने जो जवाब दिया है उसी के आधार पर प्रश्न कर रहा हूँ।

उप खण्ड अधिकारी, रामगंज मण्डी ने जब जांच कर ली थी तो क्या कारण थे कि समान स्तर के व्यक्ति कोटा ग्रामीण के उपखण्ड अधिकारी से आपने जांच कराई ? उसके ऊपर के अधिकारी ने इस केस की जांच क्यों नहीं की ? महानिरीक्षक कोटा रेंज के अधिकारी अनुसंधान कर रहे हैं उन्हें पत्रावली कब समर्पित की ? 302 का मामला, आपने बताया, रजिस्टर कर लिया है उसमें कौन-कौन मुल्जिम हैं और गवाह कौन-कौन हैं ? यह और बताने की कृपा करें कि क्या यह सही है कि दो महीने पहले, जैसा बता रहे हैं, 17-2-84 को आपने 302 दफा में केस रजिस्टर किया है इन दो महीनों में आपके केस की क्या प्रगति है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्योंकि स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : कोई नये तथ्य हों आपके पास तो बोलें भाषण नहीं होगा।

श्री हीरालाल आर्य : नये प्रश्न पूछ रहा हूं।

छीतर के साथ जो दूसरे दो व्यक्ति थे, जैसा मन्त्री महोदय ने भी फर्माया कि दो व्यक्ति थे। तो तीनों को एक ही हवालात में बन्द किया था क्या ? क्या उनके भी बयान लिये गये ? यदि उनके बयान लिये गये थे तो वह क्या हैं ? दूसरा, मुकदमा जो दायर किया गया है 302 का, दाऊ जी ने प्रश्न कर लिया, इसमें कौन-कौन से मुल्जिम हैं उनके नाम बताने की कृपा करें। तीसरा है कि मृतक क्योंकि अनुसूचित जन जाति का गरीब व्यक्ति था, उसके परिवार की बहुत ही दयनीय दशा है उसके परिवार को पालन-पोषण के लिये क्या सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी है ? यदि हां, तो कितनी और कब ? और चौथा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो डाक्टरी मुआयना हुआ उसमें कौन-कौन से डॉक्टर थे ? इन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट दी है उसमें क्या चोटों के निशान भी हैं जो उसको पीट-पीट कर उसकी थाने में हत्या की तो जो थानेदार था क्या उसको निलम्बित किया है ? वह हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाये, उसके खिलाफ चालान पेश किया जाय। यह कार्यवाही की है या नहीं ? यह बताने की कृपा करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, एफ० आई० आर० नं० 141/83 मुस्तगिस मुसम्मात पाना बाई वाइफ आफ कालू लाल जी निवासी कीमा बावड़ी, ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है....

एक माननीय सदस्य : कौन सा नाम है....

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण नहीं है। नाम बताया है उन्होंने....

श्री हीरालाल आर्य : उसका नाम तो मालूम पड़े किस तहसील में है। गांव का नाम तो पता पड़े।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोट बावड़ी....

श्री अध्यक्ष : कोट बावड़ी है कोई गांव ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब संदिग्ध अवस्था में उसकी मृत्यु हुई पहले एस० डी० ओ० रामगंज मंडी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर, माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह रिपोर्ट कब कराई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊ दयाल जोशी : रिपोर्ट कब कराई ?

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण नहीं है। बाधा नहीं डालें। उनको उत्तर देने दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एफ० आई० आर० दर्ज हुई। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों एक ही हवालात के अन्दर थे। संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई। सर्वप्रथम उस समय एस० डी० ओ० रामगंज मण्डी ने 176 के अन्दर जांच की।

श्री अध्यक्ष : इसमें एक प्रश्न है....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो पहले इन्होंने सवाल पूछे, उनका उत्तर दे दूं।

उसके बाद कलेक्टर को ऐसा लगा होगा, तफतीश नहीं हो रही है, जांच 176 में सही हो रही है या नहीं हो रही है, तो उन्होंने कोटा ग्रामीण के एस० डी० ओ० मि० रोहित टन्डन, जो आई० ए० एस० केडर के अधिकारी हैं, जांच दी। उन्होंने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

30 पेज की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने लिखा है उसके अन्दर कि संदिग्ध अवस्था में पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई है अतः इसका डिटेल इन्वेस्टीगेशन होना चाहिये। उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेडिकल बोर्ड बैठा जिसमें डॉ० एम० डी० जैन, डॉ० बी० एल० चौरासिया, डॉ० वाई० के० शर्मा मेडिकल जूरिस्ट भी बैठे, पोस्ट मार्टम किया। पोस्ट मार्टम के अन्दर उन्होंने दम घुटने से और गले के ऊपर चोट लगने से उसकी मृत्यु होना पाया है। अब इसके अन्दर उसको दबाने का कहां प्रश्न हो रहा है। बचाने का कहीं कुछ होता, जिसका प्रश्न ही नहीं है, तो केस ही रजिस्टर न करते। अब केस रजिस्टर होने के बाद चूंकि इन्वेस्टीगेशन का मामला है, थानेदार को सस्पेन्ड कर दिया गया है जांच जारी है और वह जांच भी किसके द्वारा, केस का इन्वेस्टीगेशन हो रहा है डी० आई० जी० का जो स्पेशल सैल इन दिनों में नए बने हैं उसके द्वारा तफतीश की जा रही है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मन्त्री जी, दो महीने हो गये इसमें। इस भील की लाश को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : सब चर्चा आ गई इसमें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। अव्यवस्था न फैलायें, माननीय सदस्य।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, व्यर्थ का समय ले रहे हैं, आर्डर, आर्डर। अव्यवस्था न फैलायें। अंकित नहीं हो रहा है, कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य बैठ जायं।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष . आसन पैरों पर है, बैठ जायं ? आर्डर प्लीज।

मैं समझता हूँ, माननीय सदस्यों को अब चर्चा की इजाजत नहीं देनी चाहिये। सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिये विनियोग विधेयक को पारित करने हेतु प्रस्ताव जो हुआ है....

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आप आसन की भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। इसमें सीधा सादा सा प्रश्न यह है, और आपका कहना यह है किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

बाद उसको हवालात में रखा, हवालात में बेहोश स्थिति में पाया गया....

(व्यवधान)

बात तो आप सुनियेगा।

उसके पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई। इसमें दो-तीन मुद्दों पर प्रश्न होता है। एक तो गिरफ्तार किया या नहीं किया ? उसके बारे में पुलिस ने स्वीकार किया है, गिरफ्तार किया था। वह हवालात में था, रात को हवालात में बन्द किया। पहली बात तो यह सिद्ध हो गई कि पुलिस की हिरासत के अन्दर वह व्यक्ति था....

(व्यवधान)

उसके बाद में यही मान कर चलते हैं, पुलिस ने यह नहीं कहा है कि वह बीमार था अथवा और किसी तरीके से उसकी मौत हो गई। सीधी सी बात स्वीकार कर ली, उनकी कस्टडी में होते हुए हुई। आप कहते हैं कि पहले ही मर गया उनका कहना है कि उपचार की कोशिश की फिर मर गया लेकिन यह सत्य निर्विवाद है कि उसकी वहाँ मृत्यु हो गई जब वह पुलिस के संरक्षण में था। दो मुद्दे आ गये। अब तीसरी बात यह है कि स्वाभाविक मृत्यु थी अथवा उसकी मृत्यु किन्हीं अन्य कारणों से, पिटाई से, गला घोंटने से, या और किसी बात से हुई ? यह एक विवाद का विषय है। किसी अपराध को साबित करने के लिये जो हो सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, पोस्ट मार्टम जिसको कहते हैं वह हुआ। उसके अन्दर उन्होंने यह पाया है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, उसकी मृत्यु का कारण गला घुटने या किसी और तरह से हुई है। अब चौथा सवाल यह है कि यदि ऐसा हुआ है तो उसके लिये जिम्मेदार या दोषी कौन है ? उसके लिये थाना अधिकारी को निलम्बित कर दिया। डी० आई० जी० के स्तर का जो सैल है वह सन्तुष्ट नहीं है, एस० पी० सैल से, डी० आई० जी० स्तर की कोई इकाई है वह उसका अनुसंधान कर रही है। जिसके बारे में आपकी शंकायें हैं, पुलिस के थानेदार की जहाँ तक बात हो सकती है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है तो उसको सस्पेण्ड कर दिया....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

अब अनुसंधान हो रहा है तो अनुसंधान होकर इसका कुछ नतीजा निकलेगा। आप और हम कितना ही कुछ कहें, न आपको अनुसंधान करने का अधिकार है, न मन्त्री जी स्वयं को अधिकार है। अनुसंधान हो रहा है। उसका इन्तजार कीजिएगा। लेकिन जो परिस्थितियां सामने आयी हैं उससे ऐसा लगता है कि भई, मामला काफी गम्भीर है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए जो कुछ किया जा सकता था, सरकार ने किया है। प्रश्नों का तो कोई अन्त नहीं होता है। अब ऐसा है कि माननीय सदस्यों से नम्र....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। बैठ जायं। किस मुलजिम के नाम हैं, किसके नहीं हैं, वह तो मैं ठीक समझूंगा तो देख लूंगा।

(130)

श्री दाऊदयाल जोशी : हाँ, हाँ, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। बीच में बाधा न डालें, माननीय सदस्य।

ऐसा है, मैंने माननीय सदस्यों की अधिक से अधिक सन्तुष्टि हो इसलिए नियमों में बहुत कुछ ढील देकर के काफी समय दिया। उसके बाद में यहाँ पर अव्यवस्था इस कारण से फैलायी जाती है तो मेरे लिए सबसे सुगम तरीका है, जो विनियोग विधेयक है उस पर केवल हाँ कहलवानी है मुझे। हाँ कहलवानी है, उसके बाद में जितना यह मेला है बिखर जायेगा। कृपया सहयोग दीजिए। इस केस के बारे में काफी कुछ समझने की कोशिश की, इसको देखते हुए मैं, माननीय सदस्य, आपसे निवेदन कर देता हूँ जहाँ कहीं भी नागरिक पुलिस कस्टडी में गया और उनके हाथ से अप्राकृतिक तौर पर मृत्यु हो गयी तो एक इन्सान के नाते भी आपका हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उस पर चिन्ता व्यक्त करें, उसकी जानकारी लें लेकिन आवेश में आने से, आक्रोश व्यक्त करने से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता, माननीय सदस्य। सभी तथ्य सामने आ गये। इसलिये मैंने चर्चा समाप्त कर दी। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, उनके परिवार को कुछ दिया जाय, इसकी व्यवस्था करने के लिए....

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। उस परिवार के साथ सहानुभूति है, गरीब परिवार खास तौर से अनुसूचित जनजाति का है तो यह मानकर ही चलते हैं कि यह है। यह बात आपने कही, सरकार ने यह बात सुन ली। लेकिन आप इसको कोई कारण बनाकर कहें जितने दूसरा और कोई प्रश्न आ जायेगा।

(व्यवधान)

अब मिनट-मिनट नहीं। मैंने जो व्यवस्था आपको····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

मुलजिमों के नाम जिस दिन यह अनुसंधान पूरा होगा, उस दिन आ जायेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन : एक प्रश्न। किन-किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है?

श्री अध्यक्ष : हाँ एक प्रश्न।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि धारा 302 में किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? उनके नाम बता दें। उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अनुसंधान पूरा होने के बाद ही किसी की गिरफ्तारी का प्रश्न पैदा होगा। मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि मैं अभी जाकर डी. आई. जी. को कहूंगा यह इन्वेस्टीगेशन एक माह के अन्दर कम्पलीट कर दें। मैं आपके द्वारा हाउस को यह आश्वासन देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । बैठ जायें । फिर वह की वह बात ।

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में संशोधन ।

अब प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में संशोधन, संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय परामर्श-दात्रियाँ या कन्सलटेटिव कमेटियों का फंक्शनिंग कई दिनों से रुका हुआ था इसलिए रूल्स में शिथिलता लाना आवश्यक हो गया जिससे कि फंक्शनिंग वापस ठीक तरीके से हो सके । यह रूल्स में अमेण्डमेन्ट लाये जा रहे हैं जिससे आपकी परामर्शदात्रियां ठीक तरीके से कार्य कर सकें । रूल्स में जो अमेण्डमेन्ट है वह नियम समिति ने सजेस्ट किये हैं । वह इस प्रकार हैं, अध्यक्ष महोदय····

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रूल्स में अमेण्डमेन्ट इतनी जल्दी में न करिये । रूल्स में इतना करने की जरूरत क्या है । यह सूचना हमको आज मिली है कि रूल्स में अमेण्डमेन्ट करना चाहते हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका तो आपको लाभ होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लाभ से मतलब नहीं है, परम्पराओं का सवाल है। आप हर चीज को लाभ से ही सोचते हैं, परम्पराओं के हिसाब से सोचें ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि कल इसको करा दिया जायेगा । आप इसका अध्ययन कर लीजिए । इसको स्थगित किया गया कल तक ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनको अध्ययन करने दीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लाभ कमाइये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो अध्ययन करके आया हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट । अभी आसन पैरों पर है पाइन्ट आफ आर्डर आयेगा ही नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं खेतसिंह जी आप तो ।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1984 .

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री जी यानि वित्त मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता····

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें आप, पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री यदुनाथसिंह : अच्छा होता कि नियम 295 के अन्तर्गत इस ओर ध्यान आकर्षित करने का अवसर देते कि गेहूँ पर रोक लगायी है, इस साल जो फसल काटी जा रही है····

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस सम्बन्ध का एक प्रस्ताव है उस पर वक्तव्य दिये जाने का कल प्रबन्ध कर रहा हूं। नियम 295 हो, 50 हो, 121 हो····

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह तो बहुत जरूरी है।

श्री सुजान सिंह : यह तो बहुत जरूरी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा 295 के अन्दर ····

श्री अध्यक्ष : जरूरी है, इतना तो मैं समझता हूं कि कौन सा जरूरी है कौन सा जरूरी नहीं है। यह मैंने स्वतः ही रख दिया, इस पर कई प्रस्ताव आ गये थे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 295 में दो थे जिसमें से एक आपने कर लिया। एक जो खसरे की बीमारी उदयपुर जिले, चित्तौड़ जिले और भीलवाड़ा जिले में फैल रही है लगातार खसरा हो रहा है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर पहले भी प्रस्ताव आये थे सरकार की ओर से उत्तर आ गया था उसके ऊपर अपने····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

उस पर मैंने व्यवस्था दे दी थी लेकिन कल इस पर अनुमति दे दूंगा आपको, खसरे पर बोल देना आप। आज समय बहुत हो गया है इसलिए आज नहीं कल 295 पर आपको अनुमति दे दूंगा।

वित्त मंत्री जी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाय। विपक्ष के नेता महोदय इस पर बोलना चाहेंगे विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव है विनियोग (संख्या–4) विधेयक उस पर चर्चा में हिस्सा लेना चाहेंगे क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1984–85 के जो बजट राजस्थान विधान सभा में, चाहे केन्द्र की लोक सभा में, चाहे अन्य राज्यों की विधान सभाओं में जो पेश किये गये हैं उनको अगर आप देखें तो, अध्यक्ष महोदय, आप पायेंगे कि यह सारे बजट चुनावी बजट के रूप में पेश किये गये हैं। इन बजट में सिर्फ यही व्यवस्था की गयी है कि किस प्रकार से सरकारी धन के ऊपर, सरकारी

(श्री यदुनाथ सिंह)

खर्चे के ऊपर यह लोग चुनाव लड़ सकें। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों आपने देखा भी होगा और समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा, किस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग कर श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके पुत्र श्री राजीव गांधी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बाहर वरिष्ठ व्यक्तियों का नाम अपन नहीं लें।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब वह सार्वजनिक ऋण का वितरण...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब वह लोग...

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : इस देश से ताल्लुक है, इस देश की धरती से ताल्लुक है, अवाम से ताल्लुक है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इसके जो वित्तीय पक्ष हैं उस सम्बन्ध में कहिये, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग इस दल के शीर्ष नेता और राज्यों के नेता कर रहे हैं उससे लगता यही है कि चुनावी बजट पेश किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, अब राजस्थान का घाटा और केन्द्र का घाटा और राज्यों के घाटे की स्थिति पूरी मिला कर देखें तो यह स्थिति सामने आयेगी। अध्यक्ष महोदय, जहां केन्द्र का घाटा 1762 करोड़ रु. का था, आज के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, कल पार्लियामेंट में और छूट देने के बाद वह घाटा 1784 करोड़ रु. का हो गया। पूरे राज्यों का घाटा मिला कर आप देखें तो 266·22 करोड़ रुपया राज्यों का घाटा है। यानि कुल घाटा राज्यों और केन्द्रीय सरकार का मिला कर देश में 2412 करोड़ का होता है। यह इतना बड़ा घाटा छोड़ कर आप नये नोट एक-एक रुपए के छापेंगे। इस प्रकार से जो बढ़ती हुई महंगाई है, आसमान को छूती हुई महंगाई है, इस प्रकार के बड़े-बड़े घाटों के अन्दर किस प्रकार आगे आने वाले समय का निर्माण करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी अनुशासनहीनता देश में अगर किसी राज्य ने की है तो वह राजस्थान ने की है। सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता जहां फाइनेंस के मामले में, वित्त के मामले में की है, इनडिसिप्लीन किया है वह राजस्थान ने किया है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा और जो व्यवस्था दिखाई गई है, उन्होंने माना है 175 करोड़ रु. का घाटा इस वर्ष में होगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह भी एक छलावा और धोखा है। वास्तविक घाटा वित्त मंत्री जी ने बड़ी सफाई से कहा है कि, 57 करोड़ रु. के पिछले साल के घाटे में से और 47 करोड़ रुपया केन्द्रीय अंशदान के रूप में आने से हम उसकी पूर्ति करेंगे और इसके रहते 10 करोड़ रु. जो इस साल का घाटा है वह उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। यानि 167 करोड़ रु. के साथ 10 करोड़ रु. जोड़ा। अगर 147 करोड़ रु. 31 मार्च तक आपके खाते में केन्द्रीय सरकार से आकर जमा हो गया तब तो डिसिप्लीन की बात होगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार पूरे घाटे को अगर आप देखें तो पूरा घाटा 222 करोड़ रु. से अधिक का होता है। अध्यक्ष महो-

(श्री यदुनाथ सिंह)

दय, केन्द्रीय सरकार के करों में जहां तक हिस्सेदारी की बात है, आपने केन्द्रीय सरकार का बजट पढ़ा होगा, देखा होगा, केन्द्रीय सरकार ने जिन मदों में पैसा कम किया है, रिलीफ दी है, वह ऐसे मद हैं जिनमें राज्यों का हिस्सा ज्यादा है। यानि जिन करों में हिस्सा है उन करों में छूट देने का काम केन्द्रीय सरकार ने किया है। तो जो केन्द्रीय करों से अंशदान के रूप में जो ज्यादा आय की बात सोची जा रही है, वह बात भी सही सिद्ध होने वाली नहीं है।

(4.12 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, भारी भरकम रकम को देख कर यह नजर आता है कि इतनी बड़ी रकम से राज्य में बहुत विकास का काम होगा, बहुत बड़ा निर्माण कार्य होगा। बहुत ज्यादा स्कूल खुलेंगे, बहुत ज्यादा अस्पताल बनेंगे, बहुत ज्यादा सड़कें बनेंगी, लेकिन आप बजट की वास्तविक स्थिति देखें तो विपरीत स्थिति नजर आती है। सभापति महोदय, राज्य की कुल आय 228.98 करोड़ रु. है। सभापति महोदय, इनको भी देखें तो पिछले साल और उससे पिछले साल जो आय थी यानि 82–83 में जो आय थी, उस आय से इस साल की आय भी कम दर्शाने का काम किया है। यानि पिछले दोनों साल की आय देखें तो करीब 120 करोड़ रु. की आय राज्य में कम की है। सभापति महोदय, जो राज्य की कुल आय है वह अगर देखें तो आय 218.98 करोड़ रु. की आंकी गई है उसमें 228 करोड़ तो वह है, सभापति महोदय, जो कर्मचारियों का बीमा जमा होगा, बहुत सी ऐसी है, जो 827 करोड़ रु. आप वह घटा दीजिये। यानि 827 करोड़ वह घटायें और 190 करोड़ रु. जो अकाल राहत के लिये रख रहे हैं उसको घटाकर देखते हैं तो आपकी आय सिर्फ 1007 करोड़ रु. होती है। यानि आपकी आय बढ़ी नहीं है। आपकी आय गिरती नजर आ रही है। दूसरी तरफ आपके खर्च अनाप-शनाप बढ़ते चले जा रहे हैं। खर्चों पर कोई रोक नहीं है। खर्चों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, 82 में इसको अगर आप देखें तो 2184.38 करोड़ रु. के व्यय का अनुमान किया है लेकिन इसमें भी 800 करोड़ रु. से अधिक की राशि ऋण व किश्तों के ब्याज में चली जायगी। जो हमारे डैट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, राज्य सरकार के कर्जों का भार आज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है उसके ब्याज और किश्तों की अदायगी में करीब-करीब 800 करोड़ रु. चला जाने वाला है। इसके साथ-साथ मंत्रिमंडल को, राज्यपाल महोदय और अन्य संस्थाओं को पैसा देने में 170 करोड़ रुपया और व्यय हो जायेगा। यानि अगर राज्य का वास्तविक खर्चा देखें तो 2100 करोड़ रु. के करीब नजर आ रहा है, वह वास्तविक खर्चा 1214 करोड़ रु. होता है, यानि जो भुलावा और छलावा आंकड़ों के रूप में, राशि के रूप में दिखाया गया है, वह छलावा भी राज्य सरकार का ठीक नहीं है। सभापति महोदय, यदि केन्द्रीय वित्त मंत्री के ओवर ड्राफ्ट के मामले को देखें तो केन्द्रीय वित्त मंत्री ने जैसी स्पीच पार्लियामेंट में दी, उस पर अगर टिके रहते हैं, जिस तरह का अंकुश ओवर ड्राफ्ट पर

(श्री यदुनाथ सिंह)

राज्यों में लगाना चाहते हैं, उसको देखें तो आपके 222 करोड़ रु. ये और इसमें कम होंगे और वास्तविक खर्चा आपका 992 करोड़ रु. होगा। तो सभापति महोदय, यह सरकार आय में बढ़ोतरी नहीं करे, खर्चों पर कोई रोक नहीं लगाये, तो किस तरह काम करेगी। सभापति महोदय, यह बड़े शर्म की बात है कि सरकार रेवेन्यू अकाउन्ट में घाटा दिखाये, यानि अपना स्वयं का खर्चा अपनी आय से नहीं चला पाये। सभापति महोदय, 88.28 करोड़ रु. का रेवेन्यू अकाउन्ट में घाटा है। मैं जहां तक स्मरण कर पाता हूं, एक बार शायद पार्लियामेंट में सन् 76 में रेवेन्यू अकाउन्ट में घाटा दिखाया गया होगा। लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है यहां पर कभी रेवेन्यू अकाउन्ट में घाटा दिखाया हो। होता तो यही है, जो रेवेन्यू अकाउन्ट में सरप्लस होता है, रेवेन्यू अकाउन्ट में जो हमारी आय होती है, उसको केपीटल अकाउन्ट में बदला जाता है, और उसके भरोसे पर ही विकास और निर्माण के काम राज्य में करते हैं। इसलिये रेवेन्यू अकाउन्ट में घाटा होना सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे ज्यादा फाइनेंसियल इनडिसिप्लीन है। इसलिए सभापति महोदय, यहां तो इसी प्रकार से उल्टा हो रहा है। यानि केपीटल अकाउन्ट से रेवेन्यू अकाउन्ट में खर्चा करेंगे। सभापति महोदय, इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिये नहीं हो सकती। इसी प्रकार से केपीटल अकाउन्ट में देखें, सभापति महोदय, तो आप पायेंगे केपीटल अकाउन्ट की हालत बहुत बुरी है। रेवेन्यू अकाउन्ट से ज्यादातर तो तनख्वाह, सैलेरी वेजेज, रख-रखाव और छोटे-मोटे जो आन गोइंग खर्चे हैं वे चलाए जाते हैं, केपीटल अकाउन्ट से नये विकास और निर्माण के काम किये जाते हैं। केपीटल खाते की स्थिति आज बहुत ही दयनीय बना दी गई है। सभापति महोदय, आप अगर केपीटल एक्सपेंडीचर को देखें, तो आप पायेंगे कि कुल पिछले साल जो केपीटल खर्चा था वह 260.26 करोड़ रु. था वह इस साल हो गया 202 करोड़ रु. यानि 260 करोड़ रु. केपीटल खाते में हम पिछले साल खर्च करें और 202 करोड़ इस वर्ष खर्च करें, यह कौनसे विकास की ओर जा रहे हैं? क्या इंगित करता है यह? यह क्या दिशा आपको देता है? कहां से आप राज्य के विकास की बात करते हैं? जो भी कोई ढांचा हमको नजर आ रहा है इस बजट से, वह बिलकुल प्रतिगामी है जो भी विकास आज हमको नजर आ रहा है इससे दयनीय स्थिति हमारी होने वाली है, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, यही नहीं, जो हमारे परमानेंट टैक्स हैं वह पिछले साल थे 67 करोड़ रु. जो इस साल बढ़ कर 107 करोड़ रु. हो गये। पूरे कर्जे की बात करें, वित्त मंत्री महोदय, आपने जब बजट की जनरल डिबेट का जवाब दिया था तो कहा था 2200-2300 करोड़ रु. हमारे पर कर्जा हो रहा है। यानि कर्जा लिये जाओ, कर्जा लिये जा रहे हैं, अपने खर्चों पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। कैसे, किस तरह से इस राज्य में विकास की बात करते हैं। सभापति महोदय, उधर आप देखते हैं, नान-डवलपमेंट खर्चा है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी विकास खर्च में कमी हो रही है और अविकास व्यय में बढ़ोतरी हो रही है। आप देखिये, सभापति महोदय, नॉन-डवलपमेंट खर्चा जहां 83-84 में 335 करोड़ रु. का है वह इस साल हो गया 415 करोड़ रु.। उधर आप देखें जो राज्य

(श्री यदुनाथ सिंह)

के विकास की गति किस प्रकार आगे बढ़ने वाली है। सरकारी खर्चे, अविकास व्यय अपना बढ़ता चला जाय, आपका खर्चा ज्यादा नजर आता हो, अविकास व्यय ज्यादा करते चले जायं, ज्यादा पूंजी को देख कर ज्यादा बड़े आंकड़ों को देख कर, ज्यादा राशि देख कर इस भ्रम में राज्य के लोगों को, इस सदन को नहीं रहना चाहिये कि यह विकास की गति तेज होने वाली है। सभापति महोदय, नान टैक्स रेवेन्यू एक जरिया होता है सरकार की आमदनी का। नान टैक्स रेवेन्यू से बड़ी अच्छी तरह से आमदनी निकाली जा सकती है। नान टैक्स रेवेन्यू की आमदनी घट रही है। टैक्स रेवेन्यू की आमदनी बढ़ रही है। यानि लोगों की जेब खाली करो। जो ऐसी जगह है, जैसे ब्याज है कोई अंशदान से पैसा आता है उस पैसे का अनुमान भी कम लगा रहे हैं। पिछले साल जो अनुमान था उससे इस साल ये आय का अनुमान कम लगा रहे हैं। यानि जिससे आय हो सकती है उस आय के स्रोत को ये बिलकुल छेड़ना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार की आज स्थिति है, सभापति महोदय, पर कैपिटा टैक्स रेवेन्यू-यह बताऊंगा आपको। एट ए ग्लांस आपको यह साफ नजर आयेगा। सभापति महोदय, पर कैपिटा टैक्स रेवेन्यू जहां पिछले साल 182.17 थी वह इस साल हो गई 194.98। यह जहां 67 करोड़ रु. थी पिछली साल से अबकी साल 73 करोड़ रु. रह गई। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़नी चाहिये थी वह घट रही है। 47 करोड़ रु. थी पिछले साल और इस साल 44 करोड़ रु. रह गई है यानि पर कैपिटा नान-टैक्स रेवन्यू 129.63 पैसे थी वह इस साल 117.54 पैसे रह गई। यह स्थिति, सभापति महोदय, राज्य में बनती जा रही है तो किस प्रकार के विकास की बात करना चाहते हैं यानि डिविडेण्ड और ब्याज से आमदनी होनी चाहिये उसमें पिछले साल अन्दाजा लगाया था 87 करोड़ रु. का और इस साल अन्दाजा लगा रहे हैं 68 करोड़ रु. का। यानि आमदनी के स्रोत पर खुद इनका भरोसा नहीं है, खुद को अनुमान नहीं है। जहां तक जनरल टैक्सेज से आमदनी का सवाल है, वर्ष 83-84 में 84 करोड़ रु. आमदनी थी और 84–85 में अनुमान लगा रहे हैं 64 करोड़ रु. का। यानि 20 करोड़ रु. का सीधा इन्होंने सफाया कर दिया। आमदनी के जो स्रोत हैं जहां से आमदनी होनी चाहिये, आमदनी का जरिया ढूंढने का सरकार काम नहीं कर रही है। नान टैक्स रेवेन्यू में कमी हो रही है टोटल रेवेन्यू का ढांचा देखें तो यह है, सभापति महोदय, लेकिन खर्चों में सरकार की किसी प्रकार की कमी नहीं है।

सभापति महोदय, अगर आप देखें, सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने किसी मामले में किया है तो प्लान के मामले में किया है। प्लान के बारे में सरकार ने हाउस में भी कमिट किया है कि हमारा प्लान 430 करोड़ रुपये का नहीं है, 387 करोड़ रुपये का ही माना है। यह इन्होंने गलत बयानी की है यह, तो एक फाइनेंशियल इंडिसिप्लीन की चरम सीमा है। लेकिन जो प्लान के साथ धोखा इस राज्य में हो रहा है इस तरह की स्थिति और किसी राज्य में नहीं मिलेगी। जहां छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 2025 करोड़ रुपये रखा यानि 3100 करोड़ रु. की हम योजना चाह रहे थे उसमें से कट कटा कर 2025 करोड़ की हमारी

(श्री यदुनाथ सिंह)

योजना हुई । उसमें से आपको देना है, प्रथम तीन सालों में 1005.15 करोड़ रु. का विनियोजन हुआ लेकिन पिछले साल का दे रहे हैं । वर्ष 83-84 की मूल योजना 416.7 करोड़ की हुई लेकिन आपने खुद माना है समरी में कि 416 करोड़ की योजना नहीं थी, वह 386 करोड़ की योजना थी यानि 386 करोड़ और इस साल की वार्षिक योजना भी आपकी 386 करोड़ की है। इसको अगर आप जोड़ें तो यह है 1005 करोड़ और 387 और 387 करोड़ यानि 1779 करोड़, यानि 2025 करोड़ की योजना कट कर रह जाय 1700 करोड़ की, इससे ज्यादा सभापति महोदय, बुरी और दर्दनाक स्थिति राज्य की हो नहीं सकती है, सभापति महोदय, आप पर-कैपिटा एक्सपेंडिचर इस प्लान एक्सपेंडिचर से देख-लीजिये, जनसंख्या वढ़ रही है, उसको छोड़ें, 81 के बाद हर साल जनसंख्या बढ़ रही है उसका अन्दाजा न लें, 2.3 प्र.श. 2.4. प्र. श. जनसंख्या वढ़ रही है इसका अन्दाजा नहीं भी लगाएं उसको इग्नोर भी करें तो भी पर-कैपिटा एक्सपेंडिचर 83 में, लास्ट ईयर था 116.63 और इस साल 113.73 पैसे यानि प्रति व्यक्ति जो प्लान एक्सपेंडिचर है वह भी इस राज्य में कम होने का अनुमान लगातार हो रहा है । इसलिये, सभापति महोदय, राज्य की स्थिति जो बनी है वह वड़ी वुरी वनी है, इससे बुरी स्थिति तो हो नहीं सकती है । क्यों हमारी योजना में कटौती की गई है इसका कोई लोजिक, कोई कारण सरकार बता नहीं सकती । 750 करोड़ के हमें एडीशनल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करना था । सिर्फ 30 करोड़ की कमी हमारे एडीशनल रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन में रही । उसी आधार पर राज्य सरकार 800 करोड़ की इस साल की योजना लेकर केन्द्र सरकार के पास गई । फिर क्या कारण हुआ, क्यों हमारी योजना में कटौती की गई ? 1700 करोड़ की हमारी योजना काटकर कर दी गई जो यह कुठाराघात राज्य के साथ सरकार कर रही है वर्तमान में, इस तरह की नजीर आपको देखने को मिलेगी नहीं ।

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि बजट का ध्येय यह होता है और होना चाहिये कि जितने भी प्रोडक्टिव सोर्सेज हैं उनको मजबूत किया जाय, उनको ताकत दी जाय ताकि उत्पादन राज्य में वढ़े, हमारी नई पूंजी का निर्माण हो और हमारी वित्तीय स्थिति सुधरे । लेकिन यहां पर जो कोर सैक्टर्स हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिये जो कोर सेक्टर हैं उसकी भी कमी करने में सरकार ने कोताही नहीं की है यानि प्रति वर्ष प्राइस एस्कलेशन अगर छोड़ें तो भी पावर और इरिगेशन जैसे सैक्टर में प्रति वर्ष वढ़ोतरी होती जायेगी, प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती चली जायेगी क्योंकि अभी हमारे पावर की, पानी की वुरी तरह से कमी है । हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, उस परिस्थिति में हम बिजली और पानी पर सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम नहीं करेंगे तब तक राज्य का विकास होने का काम नहीं होगा । चूंकि और चीजों के लिये, वाहियात कामों के लिये आपको पैसा जुटाना था इसलिय ऐसे कोर सैक्टर में कमी करने का काम किया यानि 83-84 में जहां बिजली और इरिगेशन पर 266.93 करोड़ खर्च हुआ इस बार कर दिये 255.33 करोड़, यानि पिछले साल के मुकाबले बिजली और

(श्री यदुनाथ सिंह)

पानी के मद में भी पैसा कम करने का काम करेंगे तो किस प्रकार का विकास करना चाहते हैं ? इसका उत्तर तो आप भी देंगे, सभापति महोदय, पावर, इरिगेशन जैसे सैक्टर्स में दस करोड़ की कमी क्यों कर दी गई। राजस्थान कैनाल के लिये पिछले साल 50 करोड़ राज्य सरकार को इस विधान सभा ने दिये थे उसमें से सिर्फ 46 करोड़ खर्च किये थे। इस साल तो राजस्थान केनाल का बजट सिर्फ 44 करोड़ का है, 44 करोड़ दिये जायेंगे। राजस्थान केनाल में बड़ी जल्दी से, बड़ी तेजी से काम करना चाहते हैं, ठीक है लेकिन पिछले साल से इस साल राजस्थान कैनाल के लिये पैसा कम कर रहे हैं तो किस प्रकार से बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता है।

सभापति महोदय, राजस्थान की सबसे बड़ी मूल समस्या जो है वह पेय जल की है। यह बड़े शर्म की बात है कि इतने लंबे समय के बाद भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता हवा के बाद जो भौतिक आवश्यकता है उसमें भी कमी करने में इस सरकार ने कोई कोताही नहीं की है। पेय जल में भी पैसा कम करने का काम किया है तो किस प्रकार से बड़ी-बड़ी योजनाओं को बनाने का काम करेंगे। राज्य में जो पीने के पानी की स्थिति है, "नो-प्रोब्लम" आप तो कह देते हो, लेकिन वस्तु स्थिति इस सदन का हर सदस्य बोला है कि हमारे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। जहां पर रीजनल स्कीम्स हैं वहां पर टेल तक पानी नहीं पहुंचता। यानि बहुत कुछ कहा गया है यहां पर फिर भी राज्य में जहां पेय जल की समस्या को हल करने के लिये कुछ करने की जरूरत है वहां उसमें भी कमी करने में कोताही नहीं की है। फिर किस प्रकार से पानी देंगे ? वर्ष 82-83 में जहां 122.37 करोड़ थे वहां 83-84 में 121.26 करोड़ कर दिये और इस साल घटा कर सिर्फ 117 करोड़ करने का काम इस सरकार ने किया है यानि पानी जैसी भौतिक आवश्यकता पर पैसा कम करके यह शिवचरण माथुर की सरकार राजस्थान के लोगों पर कुठाराघात कर रही है।

पिछले साल की स्थिति हमारे सामने आई है, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि हमारा औद्योगिक उत्पादन इतना बढ़ा। कृषि उत्पादन के बारे में मैं आपको निवेदन थोड़ी देर में करूंगा लेकिन औद्योगिक उत्पादन में टी. वी., रेफ्रिजरेटर के उत्पादन में 362.21 प्र.श. की वृद्धि 1983 में हुई। इस तरह के आइटम इन्होंने लिये हैं। लेकिन बजट स्टडी से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो पन्ना है उसको अगर आप पलट कर देखेंगे तो स्थिति दूसरी नजर आयेगी। यानि इन्होंने उन चीजों को तो अपने अभिभाषण में दिखा दिया है लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वह देखने का काम करें, सभापति महोदय, तो पायेंगे कि बहुत बुरी स्थिति है। वेजीटेबल घी के प्रोडक्शन में कमी 9.10 प्र.श., साल्ट में 82-83 के मुकाबले 17.93 प्रतिशत की कमी रही, फर्टिलाइजर में 7.88 प्रतिशत कमी रही, माइका इंसुलेशन ग्रिच में 7.65 प्रतिशत कमी रही, रेलवे वेगन्स प्रोडक्शन में 32.35 प्रतिशत कमी रही

(139)

(श्री यदुनाथ सिंह)

पिछले साल के मुकाबले में, वाटर मीटर एक तरफ कह रहे थे, सभापति महोदय, नहीं है, बिजली के कनेक्शन के लिये कहते हैं मीटर नहीं है, दूसरी तरफ इसमें कमी हुई 69.34 प्रतिशत। रेडीमेड पार्ट्स में 41.25 प्रतिशत की कमी रही, पालिश्ड स्टान्स में 8.98 प्रतिशत कमी हुई, विद्युत मीटर में 14.40 प्रतिशत कमी रही, नायलोन यार्न में 58.13 प्रतिशत कमी हुई, पोलिएस्टर यार्न में 76 प्रतिशत कमी। इस तरह से, सभापति महोदय, हमारे राज्य की जो भी औद्योगिक स्थिति नजर आ रही है वह आपके मापदण्ड के हिसाब से बहुत डिम और बहुत अन्धकारमय नजर आ रही है, यानि बिजली नहीं है तो उत्पादन निश्चित तौर पर गिरेगा। लेकिन इसमें भी आपने कोताही करने का काम किया।

सभापति महोदय, इस बजट में सबसे ज्यादा जो सेक्टर दिक्कत और परेशानी में आयेगा वह है खेती करने वाले लोगों का, किसान वर्ग का। खेती के मामले में बड़े जोश के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ अपने ऊपर सारा श्रेय लेने के रूप में वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि यहां पर करीब 10 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन राज्य में होने वाला है। जब अच्छा मानसून हो जाता है तो आप उत्पादन बढ़ने का श्रेय अपने सिर ले लेते हो लेकिन जब मानसून खराब होता है तो भगवान पर दोष देने का काम करते हो यह नीति अच्छी नहीं है। जिस प्रकार प्रोडक्शन राज्य में हुआ उन किसानों के प्रोडक्शन को आप किस प्रकार लुटवा रहे हैं इसकी आप तस्वीर देखने का काम करें।

सभापति महोदय, अगर इसकी बजट स्टडी को आप देखें, होलसेल प्राइस इन्डेक्स को देखें तो मालूम होगा कि किसानों की किस प्रकार से लुटायी हो रही है। यह आपको इसमें साफ नजर आने वाली बात है। सभापति महोदय, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इन्डेक्स दे रखा है। पहला है, खेती की पैदावार से सम्बन्धित। अधिकांश 90 प्रतिशत, 95 प्रतिशत खेती की पैदावार से होने वाली चीजें हैं। उधर पहला है फूड आर्टीकल। फूडआर्टीकल का इन्डेक्स देखें, सभापति महोदय किस तरह से, तेजी से लुटा जा रहा है। गांव पूंजी को, गांव के उत्पादन को शहरों को सजाने के काम में लिया जा रहा है। उसकी आपको इसमें तस्वीर नजर आने लगी है, सभापति महोदय, आप देखिये 1971 में फूड आर्टीकल का इन्डेक्स, लास्ट ईयर 1983 में हुआ 664·5 उसमें कुल मिलाकर 416·7 की वृद्धि हुई यह प्रतिशत निकलता है 268·15, यानी 268·15 की पहले बढ़ोतरी हुई। इण्डस्ट्रियल रॉ-मेटीरियल में आपका 71 में 185·2 इन्डेक्स था अब 1983 में हो गया 588·7 यानी 403·5 पर्सेन्ट की उसमें बढ़ोतरी हुई, 317·87 उसका पर्सेन्टेज आता है यानी जो किसान की खेती में जो लगने वाली चीजें हैं उन चीजों का आप इन्डेक्स देखिये किस तेजी से जम्प करता जा रहा है। फ्यूअल पावर इन्डेक्स 1971 में 238 और अब जाकर हो गया 1245·9, उसमें बढ़ोतरी हुई 1007·9, उसमें प्रतिशत निकला तो 530·34। मैन्यूफैक्चर्ड फूड जिसको किसान काम में लेता है उसका इन्डेक्स देखिये उसकी कीमत किस प्रकार से बढ़ रही है यह आप

(श्री यदुनाथ सिंह)

देखिए। 241·8 था 1971 में अब हो गयी 709·9 आदि कुल यानि बढ़ोतरी हुई 368·8 और 268·8 और 293·58 पर्सेन्टेज निकलता है। इन दोनों सैक्टरों को जोड़ कर अगर आप पर्सेन्टेज निकालें और देखें कि पिछले 12 वर्षों में किसान की तस्वीर क्या है, तो आप पायेंगे 150·65 पर्सेन्ट Terms of trade are adverse of formers. यानी खेती करने वाले किसान की जो पैदावार है वह इस प्रकार से लुटाई की जा रही है। यह सारे आंकड़ों में नजर आने के बावजूद इस पर कुछ ध्यान नहीं दें तो इस प्रकार की लुटाई जनता ज्यादा दिन वर्दास्त करने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ अजीब तरह की हैं। जहां तक भूमि का सवाल है, भूमि और प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से हम और राज्यों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छी स्थति में थे। हमारे राज्य में देश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है और भूमि की जो उपलब्धता है उसके हिसाब से हम बहुत ज्यादा यहां पर फायदे में है, मुनाफे में है। लेकिन असल मुनाफा तब होगा जब उस भूमि से पैदावार लेने का काम किया जायेगा लेकिन हमने एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन में ग्रोथ जरूर की है लेकिन वहीं की है जहां पर इरीगेशन है। सभापति महोदय, इरिगेशन, इस राज्य में जो आप कह रहें कि 23 प्रतिशत हो रही हैं, सिंचाई जो हो रही है, 23 प्रतिशत हो रही है। यानि जिसमें आपने एक पानी भी पूरी फसल में नहीं दिया और उसको एरीगेटेड लैण्ड आप मानते हैं। उसको भी आप सही आधार मानें तो भी 77 पर्सेन्ट भूमि ड्राई लैण्ड है। इस राज्य की जो सूखी खेती है, सूखी खेती पर न कोई इस देश में कभी रिसर्च हुई, न कभी ध्यान दिया गया, न कभी इस राज्य में भी ध्यान दिया गया। जो इरिगेटेड लैण्ड डवलप हुआ, पाश्चात्य टैक्नोलॉजी को इस देश में बुलाकर उस को बरबाद करने जा रहे हैं। इसको भी देखना चाहिए। मैं एक आर्टीकल पढ़ रहा हूँ, एक पेपर पब्लिश हुआ अमेरिका का, जो केमिकल फर्टीलाइजर है वह जमीन को बरबाद कर रही है, उर्वरक शक्ति को बरबाद कर रहा है। कुछ समय के लिए उत्पादन जरूर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है क्योंकि जमीन के एलीमेंट एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए उत्पादन एक बार तो जरूर ज्यादा नजर आता है लेकिन शनैः-शनैः जमीन कड़ी होती चली जा रही है, जमीन में भुरभूरापन खत्म हो रहा है। यह हम स्वयं गांव में रोज देखते है। लेकिन इस देश में कम्पोस्ट के आविष्कार करने का कोई काम नहीं किया गया। केपिटल इन्टेन्सिटी इस देश में बढ़ाये जाओ, पूंजी लगाये जाओ चाहे योजना कभी पूरी होने का काम नहीं करे। सभापति महोदय, इस देश में खेती का उत्पादन, राज्य के और देश के खजाने को सबसे बड़ी पूंजी देने का काम करता है। वह सारा उत्पादन खेती से होता है। खेती पर हम जब तक ध्यान नहीं देंगें और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का हम अंधे होकर अनुसरण करते जायेंगे तो भला होने वाला नहीं है। हमारी ट्रेडिशनल खेती को भी साथ में हमें याद रखना होना खास करके उन परिस्थितियों में जब कि 77 पर्सेन्ट भूमि सूखी भूमि है। उस सूखी भूमि में जब तक हम कोई आविष्कार नहीं करेंगे। अब आप देखिये, सभापति महोदय, गरीब आदमी जो खाना खाता है, उस खाने की खुराक उसकी जमीन से पैदा नहीं हो रही

(श्री यदुनाथ सिंह)

है। अब पर केपिटा अवेलेबिलटी आप देखें तो देश में पर-केपिटा अवेलेबिलटी लोगों को हो कितनी रही है, कितना उपभोग हो रहा है, उपभोग की स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, उपभोग का पॉलियामेन्ट में एक पेपर पेश किया गया, यहां पर तो कोई इस तरह की सूचना मिलती नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं पांच मिनट और लेकर कहना चाहूँगा कि थोड़ा देखा जाय, इस साल पर केपिटा सीरियल्स है यानि 399·7 ग्राम। बीच में हमेशा ऊपर रही और इस साल आई है 392·0 जितनी आदमी को खुराक मिल रही थी आज उस खुराक से कम मिल रही है। लेकिन मैं जिस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता था वह यह है कि सूखे खेत में पैदावार होने वाली चीज हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब, खतरनाक मोड़ पर पहुँच चुकी है। उस ओर अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बुरी स्थिति हमारे सामने आने वाली है। अमीर लोग तो मांस खा लेंगे, अंडा खा लेंगे, और प्रोटीन के बहुत से तत्व ले लेंगे, बहुत से उनके पास साधन हैं, वह फल खा लेंगे गरीब आदमी का भोजन दाल है, 25 आदमी एक साथ आ जाते हैं तो 25 आदमियों को दाल में पानी डालकर गरीब आदमी रोटी खिला सकता है। उस दाल की हालत बहुत बुरी है। देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर दाल की ओर बहुत ज्यादा ध्यान अगर नहीं दिया गया तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा। सभापति महोदय, जहां 1956 में 70.7 ग्राम दाल मिलती थी वह आज 38·4 ग्राम हो गयी है, यानी कमी होती चली जा रही है। एक भी वर्ष ऐसा नहीं होगा जब बढ़ोत्तरी हुई हो दाल में, एक आधा ग्राम बढ़ गयी हो तो बढ़ गयी होगी। बाकी जो प्रोटीन गरीब आदमी का भोजन है। उस भोजन में कमी का काम हो रहा है। सभापति महोदय, अगर देश को बचाना है राष्ट्र को, देश की इकोनोमी को बचाना है तो केपिटल इन्टेन्सिटी कम से कम काम में लीजिये। अंधे होकर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को, वेस्टर्न इकानामी को देश में एप्लाई करने का काम नहीं करिए उनकी परिस्थिति में व हमारी परिस्थिति में अन्तर है। लेकिन किताबें हमको विदेशी लेखकों की पढ़ाई जाती हैं।

They are surplus of capital & deficit of labour.

हमारे यहां उल्टा हो रहा है। हमारे एक तरफ बेरोजगार ही बेरोजगार पड़े हैं, यानी बहुत से बेरोजगार बढ़े हैं। पैसों की भी कमी है। हमारे पास आदमी ज्यादा हैं, पैसा कम है। आपके आंकड़े बोलते हैं कि 462 लाख हमारे यहां लाइव रजिस्टर में लिखे हुए थे बेरोजगार लोग। लाइव रजिस्टर में जितने लोग आते हैं उनमें से आपने रोजगार दिया 18 हजार को कुल। यानी जब इतना बड़ा गैप बढ़ता चला जा रहा है तो इकानामिक की थ्योरी है, सफल फाइनेन्स नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है सर्वोच्च प्राथमिकता एम्प्लॉयमेन्ट को दी जाय। लेकिन एम्प्लॉयमेन्ट तो मिल नहीं

(श्री यदुनाथ सिंह)

रहा है, एम्प्लॉयमेन्ट की ग्रोथ रेट तो जीरो से भी नीचे है यानि जीरो पाइन्ट से भी नीचे है। एम्प्लायमेंट पर्सेन्ट पाइन्ट ज़ीरो प्रतिशत निकलता है और अन एम्प्लॉयमेन्ट की ग्रोथ रेट 15 पर्सेन्ट के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। इसलिए कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए यह मेरा कहना है वित्त मन्त्री महोदय से कि जो भी कारक ऐसे हैं, जो उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाय। खेती आपके यहां उत्पादन बढ़ा सकती है, खेती से नयी पूंजी का निर्माण होता है यह मेरी मान्यता है।दूसरी जगह नयी पूंजी का निर्माण नहीं होता है। रुपये बन जाते होंगे रुपया पूंजी नहीं है, माल पूंजी है। यानी पेन्सिल में आपको लकड़ी डालनी पड़ेगी तभी जाकर पेन्सिल निकलेगी, उस लकड़ी की कीमत पांच पैसे की जगह दो रुपया भले ही ले लें लेकिन नयी पूंजी नहीं हुई। यानि एक दाना डाल कर 100 दाने आप गेहूँ के खेत में पैदा करते हैं, तो जो पूंजी निर्माण करने का काम खेती में होता है उस सैक्टर पर आप ध्यान देने का काम नहीं करेंगे तो न तो राज्य का भला होने वाला है न देश का भला होना है। इतना ही कहते हुए, सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि सरकार अभी चेती है, चेत आने के बाद सरकार खेती पर लगने वाली पॉवर और इरिगेशन, और खेती के जितने भी कारक हैं उनमें पैसा ज्यादा देने की बातें कहें। इतना ही निवेदन करना चाहूँगा।

श्री सभापति : माननीय हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय सभापति जी, मुझे बहुत खेद इस बात का है कि राजस्थान आज़ सबसे पिछड़ रहा है। जो बजट बना है वह केवल मात्र उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो पहले से सक्षम और खुशहाल हैं। लेकिन जो लोग दबे और पिछड़े हुए हैं उनको इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, इस स्टेट में राजस्व मुख्य चीज है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, राजस्व मन्त्रीजी यहां हैं नहीं बात यह चल रही है कि मेरे क्षेत्र में मकान मालिकों ने या प्रभावशाली व्यक्तियों ने हजारों बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है या धान के मलबे से दबा रखा है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, उनको सजा नहीं दी जाती है और एक गरीब किसान को सजा दे दी जाती है। यह कानून केवल मात्र गरीबों के लिए है पूंजी-पतियों के लिए नहीं। सरकार इस कानून द्वारा पक्षपात कर रही है और उन लोगों की सहायता कर रही है जो चन्दा देते हैं चुनावों में, या उनके लिए खाने-पीने का इन्तजाम करते हैं उनको पुरज़ोर सहायता प्रदान करते हैं। माननीय सभापति जी, आप देखें उन्होंने सीलिंग की क्या व्यवस्था बना रखी है। उन्होंने सीलिंग का कानून ऐसा बनाया है कोटा जिले के लिये अलग, गंगानगर जिले के लिए अलग है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या कोटा, बूंदी, झालावाड़ अलग प्रदेश हैं? क्या गंगा-नगर अलग प्रदेश है? क्या आप उनको दो भागों में बांटना चाहते हो? क्या गंगानगर और कोटा के बीच आप विद्रोह खड़ा करना चाहते हैं? सरकार उनके बीच में बंदर बांट करना चाहती है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? इसके पीछे उद्देश्य क्या

(श्री हरीश शर्मा)

है ? इस दृष्टि से एक बात कहना चाहता हूँ, कि सरकार की मंशा है किस तरह से गरीबों को कुचला जाय, कुचलकर के उनको आश्वासन दिया जाय और आश्वासन देकर वोट लिये जायें । क्या वोट लेना ही इनका उद्देश्य है या गरीबों की सेवा सहायता करना भी इनका उद्देश्य है ।

अध्यक्ष महोदय, आज यह स्थिति चल रही है रोजाना सदन में मामले आ रहे हैं, पुलिस के । पुलिस की इतनी गम्भीर हालत है लेकिन जो कार्यवाही होती हैं केवल मात्र सिपाही और कान्सटेबल पर हो जाती है उसी को दोषी माना जाता है । मैं पूछना चाहता हूँ, सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी, आप किसी ऑफिस के अध्यक्ष हैं और आपका क्लर्क गड़बड़ी करता है, उसकी आपसे बराबर शिकायत की जाती है कि यह क्लर्क गड़बड़ी कर रहा है फिर भी आप उस पर अंकुश नहीं लगाते तो क्या आप दोषी नहीं हैं ? आप भी दोषी हैं । परिणामस्वरूप आज यह हो रहा है कि आज जितने उच्च अधिकारी पुलिस के अन्दर हैं, खूब मौज कर रहे हैं, भोग रहे हैं । दण्ड देते हैं छोटे पुलिस कर्मचारियों को । आज पुलिस के कर्मचारियों को न कोई सहायता मिलती है न अच्छा वेतन है ऊपर से दबाया और जाता है । सभापति महोदय, उनकी स्थिति खराब है । ऊपर के अधिकारी तो मिल कर तस्करी करते हैं । आज जैसलमेर, गंगानगर भवानी-मण्डी की तरफ छबड़ा क्षेत्र है, भवानी मण्डी में तो तस्करों का एक छत्र राज हो रहा है और समानान्तर सरकार चला रखी है । इनके ही झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के मैम्बर हैं उनको मारा, हाथ पैर काट दिये । वहां के कांग्रेस (आई) के मैम्बर हैं डिस्ट्रिक्ट के उनको मारा और कहा उनसे कि क्या करोगे हमारा, कौन हमारा क्या करेगा ? सभापतिजी, जो ऊपर तक के अधिकारियों तक रिश्वत देते हैं उनका कोई नहीं बिगाड़ेगा । जहां पर उनकी पिटाई हुयी वहां कांग्रेस का कार्यालय है । वहां उनका शस्त्रागार है लेकिन उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं की गयी । सारे राजस्थान में पुलिस के ऊपर के अधिकारियों की गलती से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुयी है । आज स्थिति ऐसी है तो मैं पूछना चाहूँगा क्या ऐसा कोई मन्त्री है जो गौरव के साथ दल के सदस्य, मेरा मतलब है महिला वर्ग से, को रात में कोटा की सड़कों पर पिक्चर देखने के लिये भेज सके ? आपमें इतनी हिम्मत अगर नहीं तो आपकी सरकार नहीं है । इतनी हिम्मत जो नहीं कर सकता है, जो मां बहिनों की इज्जत नहीं बचा सकता है उसको बजट बनाने का क्या अधिकार है ? कोई अधिकार नहीं, और न कोई फण्ड में अधिकार है ।

माननीय सभापति जी खनिज की बात आयी । मेरा क्षेत्र खनिज क्षेत्र है । वहां का कोटा स्टोन विधान सभा में भी लगा हुआ है, हिन्दुस्तान के हर रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म पर लगा हुआ है । हर आफिस में लगा हुआ है । लेकिन आज इस कोटा स्टोन ने रामगंज मंडी को इतना बिगाड़ दिया है कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने जब वहां का सर्वे किया तो पता लगा है कि गर्मी की हालत में रामगंज मंडी तहसील के गांवों में पीने का पानी नहीं है । कुएं सूख गये हैं, न तो उनसे फसल को पानी दे सकते हैं, न पानी पी सकते हैं । आज भी मेरे पास गांवों के लोग आये थे रो रहे थे । उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ कीजिए । हमें पानी नहीं मिल रहा । सभापति महोदय, यह बिल्कुल सच बात है । 10 साल के बाद अगर यही स्थिति रही तो रामगंज मण्डी क्षेत्र में पीने

(श्री हरीश शर्मा)

को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, एक बूंद पानी पी नहीं सकते । आज किसानों की क्या हालत है ? आपका यह 20 सूत्री कार्यक्रम है या फर्जी- वाड़ा है । किसानों को आप किस तरह सहायता देंगे जब आप गरीब आदमी को, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीने का पानी ही नहीं दे सकते । खान मालिक को चरा-गाहों पर, आम रास्तों पर मलवा डालने, आमोनियम डाई-आक्साइड डालने की छूट दे देते हो । आपके जो खनिज के प्लांट हैं उन्हें न कोई देखता है न वहां कोई आता है । आपको तो मालूम है, मंत्री महोदय, वहां का क्लाइमेट कैसा हो गया है, वहां का श्रमिक कैसे काम करता है । इसके दो कारण हैं, सभापति महोदय, अभी थोड़े दिन पहले एक खनिज का कानून तैयार किया उसके अनुसार रामगंज मण्डी क्षेत्र लीज के लिए जो दरख्वास्त 2.12.82 को डायरेक्टर माइन्स, उदयपुर ने स्वीकृति के लिए भेजी है वह यहां सेक्रेटेरियट में फाइलों में पड़ी है उसको मंजूर नहीं किया । ऐसी ही फाइलें भीलवाड़ा की भी थीं । परिणाम क्या हुआ, उन्होंने दुबारा नियम बना दिया कि इनकी लीज नहीं दी जायेगी । केवल स्वीकृति के के लिए पड़ी रही, तो यह गलती आफिस की थी न कि उन माइन्स लेने वालों की । भीलवाड़ा वालों के लिए लीज दे दी गयी । भीलवाड़ा के लोग क्या महान् हैं ? क्या वहां के ही आदमी हैं बाकी राजस्थान के लोग क्या पशु हैं ? या क्या बात है ? मैंने कहा था सरकार भीलवाड़ा जिले को छोड़ कर पूरे राजस्थान के निवासियों को पशु ही मानकर चलती है । उनके लिए कानून अलग होंगे, इनके कानून अलग हैं इस राज्य में दो कानून बन रहे हैं । जब तक एक कानून नहीं होगा, तब तक, माननीय सभा-पति महोदय, आपका बजट एक कानून में नहीं चल सकता है । अलग बजट में एक कानून सावधानीपूर्वक और कठोरता पूर्वक नहीं चला तो यह फेल हो जायेगा ।

आज मुझे बड़ी खुशी है वन मंत्री जी यहां बैठे हैं उनसे दो बातें जरूर कहना चाहूंगा । माननीय वन मंत्री जी, माउण्ट-आबू राजस्थान का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, वहां देलवाड़ा का मंदिर है । वह हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है, उसके पास ही सागवान के जंगल लगे हुए थे । आपको खबर लग गयी होगी, आप समझ गये होंगे, वह पूरा जंगल जला दिया गया और जलाकर लोग लकड़ी ले गये........

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पूरा जंगल नहीं जलाया........

श्री हरीश शर्मा : कुछ नहीं बचा, पूरा जला है । मेरे पास पूरी खबर है । एक बात मैं निवेदन करूंगा आपसे । मैं वही बात कहूंगा जो कन्फर्म हो जाती है, नहीं तो मैं असेम्बली में नहीं कहता । वह जलाया और लकड़ी काटकर ले गये । यही एक स्थान है उसको भी समाप्त करने जा रहे हैं । मेरे क्षेत्र की यह स्थिति है, माननीय सभापति जी आप की जाति के ही लोग रहते हैं, मेरे क्षेत्र में राणपुर, कोराबांस, ठोल्या, पंधाना, माडल्या पंचायत का पूरा एरिया जंगली

(श्री हरीश शर्मा)

एरिया है आप वहां एक बार जरूर गए थे। अगर अब आप वहां जाओ तो आपको मैदान मिलेगा, वहां जंगल नहीं हैं। रात दिन आपके लोग काट रहे हैं। एक मोहन लाल वर्मा डिप्टी रेंजर की शिकायत आपके पास है गांव वालों की। ठोल्या गांव के पास पशु बहुत हैं, उनके दो हजार रुपये एक बार में कट गए दण्ड या बंद कर दिया शिकायत आपके पास भेजते हैं, बेचारे अनपढ़ लोग हैं। वहां के सी. ए. एफ. ने सी. सी. एफ. को शिकायत भेजी लेकिन परिणाम ? शिकायत की कोई सुनवाई नहीं है। सभापति महोदय, मुझे क्षमा करें। मैंने एक बात अनुभव की है, इस राज में दो चीजें हों तो काम चलेगा या तो जेब में रुपया या गुलाम बने तब तो काम चलेगा नहीं तो नहीं होगा कितने ही हाथ जोड़ें कितना ही नियमानुसार काम करें उसको भगा देंगे। जेब में रुपया हो तो काम होगा। अगर रुपया जेब में नहीं हो, हाथ मजबूत हो तो काम हो जायेगा। इसी व्यवस्था से ही काम हो सकता है। आप कृपा करके सुधार कीजिए। आज नगरों का क्या हाल है ? वनों का क्या हाल है ? रावत भाटा और जवाहरसागर के मगरे समाप्त हो गए। उनके लिए आपने यहां वायदा किया था कि उनकी व्यवस्था का प्रबन्ध कर रहे हैं। क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ? कोटा में थर्मल प्लांट, जे. के., डी. सी. एम. से पर्यावरण खतम हो रहा है, कोटा काला होता जा रहा है। पर्यावरण के सुधार के लिए वन लगाने चाहिए लेकिन आपके वन कर्मचारी उनको उजाड़ रहे हैं, रात दिन उजाड़ रहे हैं। आपके लोग ईमानदार नहीं हैं। पहले एक ठेकेदार आया था, सर्किट हाऊस में ठहरा था, 6000 रु, सी.ए.एफ. ने लिए और रिपोर्ट करके आ गया। सभापति महोदय, यह ठेकेदार गया था या नहीं गया था, सर्किट हाऊस में ठहरा था या नहीं ठहरा था ? लेकिन आपने कह दिया छः हजार रुपये हो नहीं लिए। आज उसका ट्रान्सफर कर दिया गया। मैं मानता हूँ शिकायत की गयी, ट्रान्सफर जरूर कर दिया पर जंगल कटने बंद नहीं हुए। अगर जंगल की रक्षा नहीं की, वन मंत्री जी, तो आप पशुओं की रक्षा मनुष्य के जीवन की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आप स्वास्थ्य के दुश्मन हो रहे हैं। स्वास्थ्य का ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें वनों को महत्व न दिया गया हो।

आज वही वन उनके दुश्मन बन गये हैं। सभापति महोदय, मेरे गांव में जंगल हैं, मैं जंगल की एक लकड़ी ले नहीं सकता और बाहर के लोग ट्रक भर-भर कर रात दिन लकड़ी काटते हैं क्योंकि वे वन विभाग वालों को रुपया देते हैं। ट्रक भर कर लकड़ी ले जाते हैं। इस प्रकार वन को कब तक रोकेंगे आप ? ऐसे ही आपका शाहबाद क्षेत्र है, वहां पर ऐसा ही मामला चल रहा है। सीताबाड़ी क्षेत्र, कन्याधार क्षेत्र है, सारे क्षेत्र में अगर आप घूमें वन मन्त्री जी, तो आपका सौभाग्य होगा, आपको दर्शन भी होंगे। वह घना जंगल, वह, अरण्य वन आज समाप्त हो चुका है। कितना अनर्थ हुआ है। पिछले दिनों हमारी

(श्री हरीश शर्मा)

जिला परिषद् की मीटिंग हुई उसमें भी कहा, पेड़ कट रहे हैं, हरे पेड़ कट रहे हैं। आप हरे पेड़ लगाने का नाटक क्यों कर रहे हैं, जब आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते ? उनकी रक्षा तो कीजिये आप रक्षा करने की क्षमता आप में नहीं है।

माननीय सभापति जी, जो स्थिति वन में चल रही है वही स्थिति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पी. एच. ई. डी. में चल रही है। पी. एच. ई. डी. की स्थिति दयनीय है, माननीय सभापति जी। रामगंज-मंडी क्षेत्र के अन्दर पीने का पानी है नहीं किन्तु लाडपुरा तहसील और रामगंज मंडी क्षेत्र में जितने हैण्ड पम्प लगाये उनमें से 75 पर्सेन्ट हैण्ड पम्प बिल्कुल खराब हैं। कई हैण्ड पम्प इन्होंने लगाये, और अधूरे छोड़ दिये, तो आगे पानी कैसे निकलेगा ? गर्मी भयंकर है। कभी आपने उनको चैक किया नहीं, पानी नहीं निकलता उसका क्या कारण है ? माननीय सभापति जी, हैण्ड-पम्प लगाने मे पैसा खाया गया। अगर हैण्ड-पम्प लगाना जरूरी था, पेयजल उपलब्ध कराना जरूरी था तो क्यों नहीं कराया गया ? मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे। मैंने कई बार, सभापति जी, इस असेम्बली में, इस मामले को उठाया है और मंत्रीजी को लिख कर दिया है कि रामगंज मंडी में दो गांव हैं, खडीन और मोर्तापुरा खुर्द जहां का पानी एकदम खारा है। उस पानी से जमीनें खराब हो रही हैं, पैदावार तक नहीं हो रही है, गांव में कोई पैदावार नहीं है, गांव उजड़ रहे हैं। उस पानी को पीने से दांत पीले हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और बच्चे बहुत ही दुर्बल और निर्बल हो जाते हैं। किन्तु उस पानी को आपने आज तक टैस्ट नहीं कराया। वहां आज तक हैण्ड पम्प नहीं लगाया जिला परिषद के प्रस्ताव के बावजूद भी। आखिर इस बजट का उद्देश्य क्या है ? पेयजल नहीं है, सड़कें नहीं हैं, तो क्या है ? यही नहीं, सभापति जी, इनका सारा मामला खराब चल रहा है। जहां हमने स्कीम बनाई थी लाडपुरा तहसील की और रामगंज मंडी की, दस गांवों को, बीस गांवों को एक साथ जोड़ने की, वहां जनता राज खत्म होते ही कांग्रेस राज आते ही राजनैतिक भेदभाव के कारण उसको एक तरफ डाल दिया। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, राज किसी का भी हो जनता कायम रहेगी। पानी पिलाने में आपको कौनसा डर लगता है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे देख कर शर्माने की बात नहीं है। मुझे हरा नहीं सकता कोई वहां चाहे आप कुछ भी कर लीजिये, कितने ही नाटक कीजिए। उसका कारण एक ही है कि मेरे क्षेत्र में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो रिश्वत खा जाये। मेरे क्षेत्र में कोई गबन नहीं हो सकता। मैं इस आधार पर वहां खड़ा हूं। मेरे क्षेत्र में गरीब आदमी हैं। वह कोई अधिकारी के पास जायेगा तो इज्जत से उसको कुर्सी पर बैठायेगा, प्रेम से बात करेगा, वाजिब काम होगा, फटाक करेगा। वह उस क्षेत्र के लोगों की किस्मत है।

यही नहीं, सभापति महोदय, आपका जो समाज कल्याण विभाग है उसने वहां पर कुछ भी नहीं दिया। समाज कल्याण विभाग

(श्री हरीश शर्मा)

से छात्र जो एड्थ तक के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं उनको न तो समय पर छात्रवृत्ति मिल रही है, न ही उनके लिये सब डिविजन स्तर पर कोई छात्रावास हैं। छात्रावास भी हैं तो उनमें न पर्याप्त खाना है। उनके खाने को हजम किया जा रहा है। कितना अमानवीय है? 50 पैसे, 60 पैसे, 10 पैसे इस तरह अलग अगल माप दण्ड बना दिए। हर एक स्टूडेंट से 10-10, 15-15 की कटौती करके होस्टल सुपरिन्टेंडेंट खा रहा है। और न ड्रेस, न पुस्तकें। यह जो सारा सामान दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने जो कहा था कि समाज कल्याण विभाग एट्थ तक के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेगा और उनको नौकरी दिलायेगा, यह काम केवल मात्र कागजों तक सीमित रह गये। परिणामस्वरूप आज यह हो रहा है। आज तक समाज कल्याण विभाग ने किया है वह नकार गए आप कि कौनसे विभाग में रोस्टर प्रणाली से नियुक्ति की जा रही है? और कौन से विभाग में नहीं की जा रही। सभापति जी, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे खयाल से शायद ही एक दो पर्सेन्ट विभाग ऐसे हों जहां आज रोस्टर प्रणाली चालू हो। अन्यथा कहीं नहीं है। ऐसे छात्रों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, खुले आम। इस धोखाधड़ी को रोकने का आपके पास इंतजाम क्या है। कोई इन पर चैक नहीं, न कोई बैलेंस है। यही नहीं, माननीय सभापति जी, अभी हाल ही सभी माननीय सदस्यों को पता होगा, सरकार ने एक नयी योजना चालू की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मास्टर प्लान तैयार किया, पूरा मास्टर प्लान तैयार किया, सड़कें बनेंगी हर पंचायत हैडक्वार्टर पर। मैंने यहां के चीफ इंजीनियर से बातचीत की। मैंने पूछा, भाई, आखिर यह सड़कें कब तक बनेंगी। तो अन्त में परिणाम यह आया कि यह केवल मात्र दिखावा है इसलिए तकदीर से कोई काम चल जाय तो भगवान की मर्जी है, नहीं तो नहीं बनने वाली है। वित्त मंत्री जी, क्या अखबारों से खबर नहीं आयी क्या आपके पास? यह देखा नहीं क्या आपने? काम दिया और इसमें इन्होंने सड़कें बनाने का मास्टर प्लान दे दिया। आपने एक भी पुलिया, जिसकी वजह से सड़क बिल्कुल बेकार है, जोड़ी है? क्या छोटी-छोटी पुलियाएं आपने ली हैं। बिना छोटी पुलियाएं जोड़ने के जो आपके गांव हैं, कृषि उपज मंडी के या छोटी-छोटी सड़कें बिल्कुल बेकार हैं। बरसात में रास्ता बन्द हो जाता है। आखिर आप एक दो पुलियाएं जोड़ो। न तो पुलियाएं जोड़ते पुरानी, न जो सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं उनको ठीक कराते हैं। आजकल यह पी. डब्ल्यू. डी. में एक काम बहुत जोरों पर चल रहा है, माननीय सभापति जी, मैं उसका एक उदाहरण बताऊंगा, शानदार। इनके पी. डब्ल्यू. डी. में एक बहुत जोरदार कलाकार आदमी है। वह अभी ए. ई. एन. है, सब डिवीजन पी. डब्ल्यू. डी. में, उसने क्या किया? वह क्रय विक्रय संघ में देहरादून में सुपरवाइजर था और रिश्वत के बल पर यहां पर

(श्री हरीश शर्मा)

अपाइन्टमेंट हो गया, जे. ई. एन. की पोस्ट पर। जबकि अन्य सौ क्वालिफाइड व्यक्ति हैं जो डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर हैं. न उसके पास डिग्री है न डिप्लोमा है और यहां आकर जे. ई. एन. बन गया। जे. ई. एन. बन गया। डिग्री होल्डर सब पीछे रह गये, डिप्लोमा होल्डर सब पीछे रह गये। वह सब रो रहे हैं बेचारे। आवाज उठा रहे हैं और हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि यह अयोग्य है। सुपरवाइजर था, देहरादून से आ गया। प्रमाणपत्र दे दिया कि यह सुपरवाइजर है, यह योग्य नहीं है इस पद के लिये। फिर भी वह एक्स. ई. एन. बनने जा रहा है, केवल रिश्वत के बदले एक्स. ई. एन. बनाया जायगा। यह हाल पी. डब्ल्यू. डी. का है। किस तरह से चलायेंगे? मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। मैं उसके पूरे प्रमाण एक एक करके इकट्ठे करके लाया हूं। मैंने जब यहां स्थगन प्रस्ताव दिया, माननीय सभापति महोदय, देखिये आप रिश्वत में कितना बल है। स्थगन प्रस्ताव दिया तो सर्विस बुक ही गायब कर दी उसकी। एक्स. ई. एन. ने पत्र लिखा कि आप अपनी सर्विस बुक लाइये। तो सर्विस बुक ही नहीं मिल रही उसकी। आजकल इतने छोटे-छोटे कर्मचारियों का इतना जोर चल रहा है। यह पी. डब्ल्यू. डी. विभाग है या फर्जी विभाग है।

सभापति महोदय, यहां कल भी एक सवाल उठा था, कि रोडवेज बन्द हो रही है, बसें नहीं चल रही हैं कच्चे रास्तों की वजह से। इस मास्टर प्लान को आप जेब में मत रखिये, फाइल में बन्द मत रखिये, इसको तुरन्त लागू कीजिये. वित्त मंत्री जी, इसमें आप वित्त दीजिये, आपका कल्याण होगा, मजा आ जायगा, नाम हो जायगा आपका। इसके साथ ही, माननीय सभापति जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा आपको कि इस आर. एस. ई. बी., विद्युत मंडल का पुनर्गठन बहुत जरूरी है। इसमें कितने चीफ इंजीनियर हैं, अलग अलग उनकी क्या जिम्मेदारी है? यदि इसका पुनर्गठन नहीं किया गया तो धीरे-धीरे यह फेल हो जायेगा,। आज यह स्थिति है कि राजधानी सहित केवल चार पांच शहर ऐसे हैं जिनको 24 घंटे बिजली दी जा रही है और बाकी गांवों में, छोटे-छोटे कस्बों में बिजली नहीं दी जा रही है 24 घंटे, उनको यह कहते हैं कि कटौती चल रही है, क्या कटौती शहरों के लिये नहीं है? जहां किसान वर्ग रहता है, जहां खेती होती है, जहां बिजली का सही उपयोग है, जहां से पैदावार होती है, जहां से धन मिलता है, जहां से हमारा वित्त प्राप्त होता है?........

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सूर्य कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैठक का समय दो घंटे बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से आज की बैठक का समय सात बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री सूर्य कुमार : 6 बजे तक के लिये बढ़ाया जाय, 7.30 बजे उधर भी अटेन्ड करना है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं, नहीं, साढे सात बजे तो वहां पहुंचना है इसलिये आप 6 बजे तक बढ़ा दीजिये, । फिलहाल 6 बजे तक बढ़ा दीजिये, साहब ।

श्री सभापति : सात बजे तक के लिये ।

अनेक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री सभापति : सात बजे तक के लिये ।

विधेयक पर विचार
राजस्थान विनियोग
(संख्या 4) विधेयक, 1984.

श्री हरीश शर्मा : सभापति जी, आप देखिये, इस आर. एस. ई. बी. का, विद्युत मंडल का एक भी तार, एक भी खम्भा, एक भी मेज, एक भी कुर्सी, एक भी दरवाजा यह बतादें कि गिरवी नहीं रखा है ? इनकी कोई चीज ऐसी नहीं है। ये दिवालिया हैं दिवालिया, और दिवालियापन का मुख्य कारण यह है कि इनका कोई भी इंजीनियर यह बतादे कि मैं बिजली का पेमेंट देता हूं । सारे फोकट में बिजली जलाते हैं, एक भी पैसा नहीं देता । सबके यहां फोकट में आती है बिजली, दूसरा कारण और दिवालियेपन का, कोटा के जितने भी उद्योग हैं, सबके ऊपर बिजली के पैसे बाकी हैं, उनसे वसूल नहीं किये जाते हैं । लेकिन अगर एक किसान पर की रह जाय तो उसका कनेक्शन काट देंगे, बेचारा हाथ जोड़ता रहेगा, वह मर रहा है, "मेरी फसल नष्ट हो जायगी, मेरी खेतीबाड़ी नहीं होगी" लेकिन उसको माफ नहीं किया जायेगा । तो वह आपके फैक्ट्री वाले क्या देते हैं, मुझे यह बता दो आप ? ये उद्योगपति, ये जे. के. सिंघानिया, ये डी. सी. एम. लाला चरत राम भरतराम आप लोगों के क्या लगते हैं ? विद्युत मंत्रीजी, आज यहां हैं नहीं, लेकिन मुझे आप यह बतादो, आज कितने रुपये बाकी हैं उनकी तरफ मेरी हर फैक्ट्री वाले से बात हुई । करोड़ों रुपये बाकी हैं । लेकिन आज वह हमने नहीं लिये आज, माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करूंगा इस पक्ष के सब लोगों से । एक आन्दोलन चला हमारा कोटा जिले में कि जब तक बिजली का पैसा लाला, सिंघानिया नहीं चुकाते हम भी नहीं चुकायेंगे, आप कनेक्शन काटोगे तो हम युद्ध करेंगे, हम तो देने को तैयार हैं पहले उनसे वसूल करता नहीं कोई, और किसानों के गरीबों के कनेक्शन काट देते हैं । यह अन्याय है, इस अन्याय का मुकाबला सभी माननीय सदस्य करें । माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, इसका विरोध करें भयंकर । सभापति जी, इसका अगर पुनर्गठन नहीं किया आपने विद्युत मंडल का तो यह विद्युत मंडल बिलकुल बैठ जायगा । आज स्थिति ऐसी है। आज सवेरे खुद मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि अधिकारी मानते नहीं हैं मैं क्या करू । जिस मंत्री की अधिकारी नहीं मानते उसे मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, छोड़ देना चाहिये । इतना अपमान, जिसकी अधिकारी नहीं मानते तो बेशर्म होकर बैठे रहने से क्या फायदा । सम्मान हो तो खुद हट जाय ।

सभापति जी, इसके बाद एक महत्वपूर्ण मामला आता है, वह है सहकारिता । सहकारिता वह पूंजी है जिसके ऊपर हमारा

(श्री हरीश शर्मा)

ग्रामीण विकास और किसान का विकास, टिका हुआ है। किन्तु सहकारिता गबन में फंसी हुई है। अधिकतर सहकारिता में गबन घोटाले इतने जबर्दस्त हैं और गबन भी किस प्रकार के हो रहे हैं, माननीय सभापति जी। सहकारिता मंत्री जी नहीं आये हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा बिलकुल स्पष्ट शब्दों में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो आप ही को सुनने के लिए इतनी देर से बैठा हूँ।

श्री हरीश शर्मा : अगर आप में समाजवाद है, गरीबों के प्रति जरा भी दया है, उन किसानों को, जिन्होंने आपसे लोन लिया है, बाकायदा रसीद कटाई। मंत्री जी बोलेंगे। मैंने गबन किया है तो मेरे से वसूल करो आप, मेरे खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करा दो आप। है क्या इतनी हिम्मत आप में, है क्या, बता दो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : है अभी तक तो।

श्री हरीश शर्मा : नहीं कराई है अभी तक आपने। मैं कितनी बार चिल्ला चुका। यह बहुत गम्भीर बात है। है कहने से क्या होता है।........

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे में तो इतनी हिम्मत है। मैं तो आपकी इन सब बातों को मानता हूँ। आप तो धन्यवाद दे चुके हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपका किसान से क्या सम्बन्ध है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं, ललित किशोर जी, आपका ही सम्बन्ध है किसान से तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि संबंध आप ही ने कायम किये हैं।

श्री हरीश शर्मा : इतना घनघोर अन्याय है, माननीय सभापति जी। मैं जन प्रतिनिधि हूँ, मान लीजिए, मैंने गबन किया है तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे तो सरकारी कागज।........

श्री छीतरलाल आर्य : आपका तो कुर्सी से सम्बन्ध है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या कहा, फिर से कहो? मेरी समझ में नहीं आया। क्या कह रहे हो आप?

हरीश जी, आपको यह निवेदन करना चाहते हैं आप तो इनकी पार्टी में अनफिट हैं। आपके समाजवाद को कहां सुनने देंगे यह आपको।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, भाषण जारी रखें, और समाप्त कीजिए जल्दी।

(151)

श्री हरीश शर्मा : स्थिति इतनी भयंकर खराब हो गयी कि कई किसानों से फर्जी दस्तखत करा कर ले गये। उनकी कुर्कियां ही गयीं। घर बरबाद हो गये। उनके गाड़ी, बैल सब नीलाम हो गये। कुछ नहीं बचा....

[समय-समाप्ति-सूचक घण्टी]

वित्त मंत्री जी, इनको अच्छी तरह पता है। यही नहीं, इन्होंने जितने भी गोदाम, बनाये सब के सब टूट गये। आपने जो सहकारी गोदाम बनाये, सब फेल हो गये। आपने जो उपभोक्ता संघ खोले गांव में, वे तब तक सफल नहीं होंगे जब तक गांव में उनके काम में आने वाली चीजें वहां पर नहीं रखी जायेंगी। अगर आपने उपभोक्ताओं के लिए गांव में काम में आने वाली चीजें रखीं तो बहुत लाभदायक रहेंगे। उनमें आप सब चीजें रखें। लेकिन आज स्थिति यह है कि गांव के उपभोक्ता संघ में वही चीजें मिलती हैं जो शहरों में मिलती हैं। लिपिस्टिक पाउडर भी मिलते हैं वहां, कौन लगायेगा गांव में, बताओ आप ? किसके काम आयेगी ? यही नहीं, सभापति जी, मैं आप से एक प्रश्न करता हूं। क्या सहकारिता विभाग में कोई नियम है ? नियम, उप नियम, उप धारा है कि आप वहां अध्यक्ष को नॉमिनेट करते हो ? ऐसा नियम है क्या आपके सहकारिता में ? जहां पर आप सहकारिता में ऐसे नियम के द्वारा किसी बैंक के अध्यक्ष को नॉमिनेट कर सको ? ऐसा नियम है क्या कोई ? जब कि हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इसको हटाओ, दुबारा चुनाव कराओ। यह नहीं हो सकता। साफ नियम हैं आपके सहकारिता में। चुनाव होते हैं। चुनाव के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। आप करते हो नॉमिनेट का परिणाम क्या हुआ। बिना रजिस्ट्रार की अनुमति के सारा खर्चा उठा लिया। उनकी कारें, उनके इतने खर्चे के बावजूद सारे किसानों का पैसा कहां काम में आ रहा है और यही हुआ। 12 सहकारी बैंकों में आपने तीन बार विज्ञप्ति निकाली लिपिक पदों पर। फिर इन्टरव्यू नहीं लिये। बिना इन्टरव्यू लिये, पार्टी के लोगों को, रिश्तेदार को लगा लिया। ऐसे रिश्तेदारों को हटायें। ऐसे लोगों को तो हाथ ही नहीं लगाने दिया दूसरे बैंक वालों ने। वहां पर एस.-सी., एस. टी. के लोगों को नहीं लेकर अपने-अपने लोगों को भर दिया। आखिर आपके सारे नियम कहां हैं ?

उसके बाद मैं बात करता हूं पशु पालन की। सभापति महोदय, गांवों में आप जो पशु चिकित्सालय खोल रहे हैं, मैं आप से एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने जो बजट का प्रावधान रखा है, पशु चिकित्सालयों में सर्जरी का सामान, जांच करने की व्यवस्था और उसके साथ व्हीकल या कोई और व्यवस्था आपने की है ? न तो वहां सर्जरी का कोई सामान है, न पर्याप्त दवाइयां हैं। केवल हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा ?

यह व्यवस्था भी होनी चाहिए, अन्यथा गांवों में हॉस्पिटल खोलने से क्या फायदा ? आपका 20 सूत्री कार्यक्रम बिलकुल फेल हो जायेगा इसके बिना वह तो आप कर ही रहे हैं। आपने एक घोषणा की थी, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम पशु महाविद्यालय खोलेंगे। इसके

(श्री हरीश शर्मा)

लिए मैं कहता हूं कोटा में खोला जाय कोटा जितनी उपयुक्त जगह राजस्थान में और कोई नहीं है, क्योंकि कोटा में भौगोलिक स्थिति से, पेयजल और बिजली की दृष्टि से, सब जगह से, पशु पालन की दृष्टि से भी कोटा में पशु महाविद्यालय खुलना चाहिए, और कहीं नहीं इसके साथ ही मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इस सारी व्यवस्था के साथ ही, मानवीय आवश्यकताओं से जुड़ा है कृषि, सभापति जी, आज कोटा में कृषि के लिए न तो ऐसी गाड़ियां हैं जो दूसरी जगह हैं, मेरे क्षेत्र में कम से कम 15 गांव ऐसे हैं जहां जमीन सफेद थी, काली हो गयी। वहां पैदावार नहीं होती। उस जमीन को न तो ठीक किया जा रहा है, न जमीन को लाभ दिया जा रहा है। गांवों के देश में यह स्थिति रही तो आगे होगा क्या?

शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो बजट है, वित्त मंत्री जी, बहुत काम की बात रहेगी आपके लिए। आपको याद है, मेरा शुरू से शिक्षा का क्षेत्र रहा है, और आज शिक्षा, अध्ययन क्षेत्र की बात मैं देख रहा हूं, उससे मेरे मन को बड़ा आघात हो रहा है। सारे यहां के विद्यार्थी, जो पढ़ाये जा रहे हैं, आप बता दीजिए, उन विद्यार्थियों के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है? आज आप कॉमर्स कॉलेज में चले जाइये, जहां कॉपियां जंच रही हैं, उसको मालूम है कॉपी चैक करने वाला कौन है। नम्बर रखकर जेब में लेकर गया। वहां जाकर नम्बर दे रहे हैं। मैंने माननीय कल्ला साहब से निवेदन किया था, तरसों भी किया था, आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं नकल के सख्त खिलाफ हूं। मैंने कोटा कॉलेज में दो बार परीक्षा रुकवा दी नकल के खिलाफ होकर। मैं नकल नहीं करने दूंगा, दुबारा परीक्षा हुई और आज यहां लैक्चरर कर रहा है। उसके खिलाफ क्या किया आपने। विद्यार्थियों को बिगाड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के जीवन से खेल रहे हैं। विद्यार्थियों का जीवन बिगाड़ रहे हैं। कॉमर्स कॉलेज के अन्दर आप जाकर जांच करें तो लैक्चरर की जेब में आपको नम्बर लिखी हुई स्लिप मिलेगी। जबकि यह नियम के खिलाफ है। कोई लैक्चरर अपनी जेब में स्लिप लेकर नहीं जा सकता है। न रख सकता है जिसमें रोल नम्बर लिखे हों। नियम यहां तक है आपके कि एक लैक्चरर दूसरे लैक्चरर से बात नहीं कर सकता। एक लेक्चरर दूसरे लैक्चरर के पास उठकर नहीं जा सकता। लेकिन वहां तो ऐसा हो रहा है जैसे कोई हाट बाजार हो। एक लैक्चर ने दूसरे मिलने वाले लैक्चरर को नम्बर दिया कि मेरा मिलने वाला है इसको पास कर देना। माननीय, उनको चिट्ठी से नम्बर दिये जा रहे हैं। मान लीजिए, आपको कोई रिकमण्डेशन नहीं है, आपका कोई भाई, आपका कोई लड़का फर्स्ट डिवीजन है, इन्टैलिजैन्ट है, वह फेल हो जायेगा। उनको तो एक आध को फेल करना है, यह स्थिति चल रही है। इसको कौन करेगा? मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, इस बारे में विशेष ध्यान दें। यह पूरे राजस्थान का सवाल है। विद्यार्थियों के साथ चोट हो जायेगी। सभापति जी, शिक्षा में आज कोटा के लिए बहुत आवश्यक है कि कोटा में मेडिकल कॉलेज, एम. एस. डबल्यू, मैनेजमैण्ट का कालेज हो। इसको वित्त मंत्री जी अच्छी तरह समझते हैं और एक रेजीडेंट कॉलेज खुले तो उससे लाभ होगा। केवल

(श्री हरीश शर्मा)
कोटा को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ रखा गया है। यहां तक कि वहां संस्कृत कॉलेज भी नहीं खोला गया। राज्य सरकार का संस्कृत कॉलेज भी नहीं है वहां। संस्कृत भाषा का कोई अध्ययन नहीं वहां, आगे चलकर क्या स्थिति होगी कोटा की ? इस कोटा की उपेक्षा से कितना कुठाराघात किया है। जे.के. को तोड़ दिया, जे. के. की छंटनी की.। सी. ए. डी. मंत्री, बैद जी वहां आते हैं, कोटा में, कितना कबाड़ा करते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वह वहां जाते हैं मजदूरों से कहते हैं। छंटनी करने वालों से, बोलो, मार दिया जाय, या छोड़ दिया जाय, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाय ? यह नहीं कि तुम्हें लगा लिया जाये। बोलो और वहां अखबारों में मोटे-मोटे अक्षरों में छप जाता है कि तुम्हारे यहां सी. ए. डी चलेगी। कौनसी सी. ए. डी चलेगी ? आज तक कमीशन नहीं लगा पाये। आखिर यह धोखाधड़ी क्यों ? यह नाटक क्यों ? मेरे क्षेत्र की पहली दफा सिंचाई योजना बनी थी मेरे क्षेत्र में किन्तु आपने यह कहकर छोड़ दिया कि वाटर बोर्ड ने इजाजत नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, वाटर बोर्ड ने इजाजत नहीं दी, तो राणा प्रताप सागर के ऊपर आपने जो डैम बनाया वह पूछकर बनाया क्या आपसे, या सरकार से पूछकर बनाया गया। वह तो डैम पर डैम बनाये जा रहे हैं और पानी पर पानी लिये जा रहे हैं। और राजस्थान का हिस्सा छोड़ दो। यह आपकी कमजोरी है। यह कमजोरी आपको खा जायेगी, आपको ले डूबेगी। आपको नहीं पूरे राजस्थान को ले डूबेगी। इसके साथ-साथ इधर से उधर पाक नागरिकों का जो व्यापार चल रहा है अवैध रूप से, इतने पाक नागरिक बस गए हैं इस राजस्थान प्रदेश में कि, यह राजस्थान, आसाम बन जायेगा धीरे-धीरे. अगर इस पर रोक नहीं लगाई गयी। रोजाना अखबार वाले, हिन्दुस्तान के सारे अखबार वाले आजकल लिखने लग गये इसके बारे में, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो और यह ध्यान नहीं देना आपके लिए बहुत घातक बन जायेगा।

सभापति जी, देश का यह दुर्भाग्य मानिये कि हम लोगों ने पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया। पर्यावरण को महत्वहीन माना। पर्यावरण प्रदूषण आज जितना फैल रहा है, यहां टी. बी. और अन्य बीमारियां दिन पर दिन फैलती जा रही हैं। इसको रोकने के के लिए आपने कुछ किया क्या ? इस पर्यावरण को और इसके मूल को उग्र करने के लिए जिम्मेवार कौन है ? वहां पर मंगलम सीमेण्ट, बिड़ला की फैक्ट्री वह इसकी जिम्मेदार है। जे. के. जिसका नालों का पूरा पानी मीलों तक जा रहा है, वित्त मंत्री जी वह नाला वहां जाकर बहता है। उसमें से जो पानी पीता है वह मरेगा घुट-घुट कर मरेगा, अर्थात् एक तरह का स्लो पॉइजन है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री हरीश शर्मा : बस दो मिनट में समाप्त करता हूं। माननीय सभापति जी, पहले मैंने एक प्रश्न उद्योग के सम्बन्ध में दिया

(श्री हरीश शर्मा)

था, मैंने एक प्रश्न मंगलम सीमेन्ट के बारे में दिया था कि वहां का सीमेन्ट बिल्कुल एकदम खराब बन रहा है तो इन्होंने तथ्यों को घुमाकर इधर उधर कर दिया और वह स्थगित कर दिया, सदन में आज दिन तक नहीं आया, परिणाम यह हुआ कि मंगलम सीमेन्ट की सीमेन्ट मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं, इस भवन को बनाना चाहते हैं या कोई नया निर्माण कर रहे हो, अगर आपने वह मंगलम सीमेन्ट काम में ली तो आपका पैसा बेकार हो जायेगा। जहां वह मंगलम सीमेन्ट लगी वह गिर जायेगी, वहां हाउसिंग बोर्ड के मकान के मकान गिरे हैं। मैंने वह सीमेन्ट लेकर लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजी। आखिर वह आई. एस. आई. उस सीमेन्ट की जांच कराना चाहता है, मैंने कई बार उनसे निवेदन किया, वह टेस्ट हो नहीं कराने देता है। वह कहता है कि मैं लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कराऊंगा। आखिर क्या मंगलम सीमेन्ट वाले बिड़ला या सिंघानिया वाले यहां राज करते हैं या आपका राज है? पर सवाल यह है कि यह लोकतंत्र नहीं है यह पूंजीतंत्र है, सभापति महोदय। इस पूंजीतंत्र ने सारे देश की हालत बिगाड़ दी, गरीबों का शोषण कर डाला और जो पंचायत राज की स्कीम्स चल रही हैं, आप देखिये कि पंचायतों द्वारा जो छोटे छोटे स्कूल खोले गये हैं प्राइमरी स्कूल। अधिकतर में, आज भी विधान सभा में जवाब आया है, हायर सैकण्डरी स्कूलों के लिये बिल्डिंगें ही नहीं हैं। आज ही जवाब दिया है 190 स्कूल खोले गये थे जिनके लए बिल्डिंगें नहीं हैं, और उन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है न तो उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, न चपरासी हैं इसलिए कोई काम नहीं होता है न सफाई का न बच्चों को पानी वगैरह पिलाने का काम होता है और एक स्कीम है गोबर गैस प्लान्ट की जिसको देखने वाला कोई नहीं है और आज यह केवल नाम मात्र को रह गये हैं। ये फैल होते जा रहे हैं। इन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। और आपने बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की है वह स्वरोजगार योजना तो आप बाद में खोलना पहले आप अपने डिपार्टमेन्ट की जगह तो खोलिये।

सभापति जी, आखिरी बात है आर. पी. एस. सी. ने सलेक्ट कर भेजे हैं कि ये हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण लोग हैं इनको नौकरी में लिया जाय उनको नहीं लिया गया और एडहॉक और तदर्थ नियुक्तियां देते गये यहां जयपुर में। मैंने इसकी सूचना दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्वालिफिकेशन के आधार पर आर. पी. एस. सी. से सलेक्ट होकर आये लोग हैं उनको नौकरी नहीं दी गई अगर आपको स्व-रोजगार योजना चालू करनी है तो इस बात को तो रोको। आप अपने विभाग में तो नियुक्ति खोलते नहीं। कारागार विभाग ने जिस प्रकार से नाटक किया। कारागार विभाग ने एक बार तो विज्ञापन दे दिया कि इतने प्रहरियों की इतनी जगह खाली हैं, वहां 45 लोगों का पहले ही पैनल था, 45 लोग यहां आ गये और विभाग ने कहा कि यह विज्ञापन हमने नहीं दिया। यह पता नहीं किसने निकाला। सभापति महोदय, कितने आश्चर्य की बात है कि सरकार यह कहे कि यह विज्ञापन हमने नहीं निकाला।

185

(श्री हरीश शर्मा)

सरकार इस फर्जीवाड़े । का पता नहीं कर सकती यह कौन कर रहा है ? कौन फर्जी विज्ञापन दे रहा है ? सरकार चुप है । मैंने अखबार लाकर दोनों विज्ञापन बतलाये, एक में विज्ञापन था कि आप आइये यहां इन्टरव्यू देने और दूसरे में यह था कि नहीं हमने नहीं बुलाया आपको । तो आखिर यह बार-बार होता क्यों है ?

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आखिर मेरे काम की बात तो नहीं हुई । सूर्यकुमार जी यहां ही बैठे हैं इनको फेक्ट्स पता हैं, राणा प्रताप सागर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री हरीश शर्मा : कर रहा हूं यह, राणाप्रताप सागर चित्तौड़ से कितनी दूर है यह बता दें कि कोटा से कितनी दूर है, वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी है । लाइम स्टोन कितनी महत्वपूर्ण चीज है जो अपने पूरे देश में काम आती है उसका प्रोडक्शन कैसे होगा यह एक मोटी बात है । लेकिन वह तो नहीं कर रहे हैं ।

कुल मिलाकर बात यह है कि जिलों का पुनर्गठन होना चाहिए । बांरा जिला अलग बना दिया जाय और रावतभाटा को कोटा में मिला दिया जाय । तो पूरी समस्या हल हो जायेगी । लोग आपको कहेंगे कि बहुत अक्लमन्दी का काम किया । राणा प्रताप सागर को आप अकेला मत छोड़िये । ऐसे सवाई माधोपुर जिले की आपने एक तरफ डाल रखा है । यह कहां की बात है और, सभापति महोदय, आरक्षित क्षेत्र में पर्यटन विभाग का काम, पूरा काम यों ही डाल रखा है । बहुत बड़े आदमी के पास है । पर्यटन विभाग में यहां उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग आयेंगे । यहां मिलेंगी अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें और नक्शे, मार्गदर्शिकाएँ । हिन्दी में नहीं बनती । यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि पर्यटन विभाग में हिन्दी में किताबें नहीं मिलतीं । अंग्रेजी में मिलती हैं । अंग्रेजी में छपती हैं । जैसे यहां के लोग हिन्दी जानते नहीं । सभापति महोदय, कुल मिलाकर मेरा यह कहना है ऐसे ही यहां पर नर्सिंग कॉलेज हैं, पांच मेडिकल कॉलेज हैं राजस्थान में । नर्सिंग कालेज हैं, जो नर्सिंग कालेज हैं उनमें एडमिशन देने में क्या हो रहा है केवल मात्र लड़कियों को एडमिशन देते हैं, लड़कों को कोई नहीं देते हैं । तो लड़कों ने क्या गुनाह किया है ? यहां लड़कों को एडमिशन नहीं देंगे तो कम्पाउन्डर कहां से मिलेंगे अगर कम्पाउन्डर नहीं मिलेंगे तो आप गांव में क्या लगायेंगे ? मेडिकल कालेज तो आपके पांच हैं । उनके अन्दर पांच में भी आपके गांव में भी नहीं होते अभी तक यहां है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें । आपने बहुत समय ले लिया । दो मिनट का समय मांगा था दस मिनट ले लिये आपने उसके बाद में ।

श्री हरीश शर्मा : अच्छी बात है, सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ ।

श्री सभापति : दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री हरीश शर्मा : सभापति महोदय, वहां पांच बड़े मेडिकल कालेजों एवं नर्सिंग

(श्री हरीश शर्मा)

कालेज में सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं। मैंने कुछ दिनों पहले वहां पर जाकर देखा, वित्त मंत्री जी, आप वहां पर जाकर देखेंगे तो आप वहीं पर रह जायेंगे। वास्तव में यह हो क्या रहा है, मैंने देखा कि वहां पर शिलान्यास करने के कई पत्थर लगे हुए थे पुराने टाइम के। उस शिलान्यास के पत्थर को आप जाकर देखो, आपको बड़ा दुःख होगा कि मैंने शिलान्यास ही क्यों किया यहां। आपने लड़कों का एडमिशन बन्द कर रखा है। जबकि आजकल दो को एजूकेशन का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ लड़को को एडमिशन नहीं दिये जा रहे हैं। अगर नर्सिंग कालेज में लड़कों को एडमिशन नहीं मिले तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे, यह आप सोच लीजिये। नर्स गांव में जाती नहीं है। कितने आपके सब सेन्टर खाली पड़े हुए हैं कितनी केरला की ए. एन. एम० यहां पर आती हैं, वह गांव में नहीं जा पाती। सत्तापक्ष के एम. एल. एज. ने भी इसकी मांग की उसको भी आपने ठुकरा दिया। तो फिर आपका बजट किसके लिये है, यह तो बताओ? क्या केवल डालमिया, टाटा, बिडला के लिये हैं। श्रीमन् सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि राजस्थान का विकास करना है, तो पुनर्गठन करके इस पूंजीवाद को बिलकुल आग लगा दीजिये और किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिये ऐसी योजनाएं बनाकर दीजिए जिनसे उनको रोजगार मिल सके। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि कोटा जिले में अफीम का उद्योग लगाने की केन्द्र से मंजूरी ले लीजिए। आपको अच्छी तरह मालूम है, अगर कोटा जिले में अफीम का उद्योग लगाने की मंजूरी मिल गई तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। अफीम की कोटा जिले में कमी नहीं है। सभापति महोदय, मैं कुल मिला कर यही बात कहूंगा, यह सारा बजट गरीबों के लिये नहीं होकर केवल पूंजीपति और कुछ अच्छे प्रतिष्ठित लोगों के प्रावधानों की रक्षा के लिये है गरीब के लिए नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री विष्णु बजारी।

श्री विष्णु बजारी (ब्यावर) : आदरणीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री ने जो राजस्थान का बजट रखा उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

आदरणीय सभापति जी, हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम दिया वह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अन्दर पूरे भारत वर्ष की उन्नति मौजूद है। उस कार्यक्रम के अन्दर इर्रीगेशन, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, हैल्थ, इन्डस्ट्री और इसके अलावा जो जो खास हमारे देश के अन्दर जितने भी उत्पादन के कार्य हैं उन सब को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उनका लक्ष्य निर्धारित हुआ और उस लक्ष्य के लिये प्रत्येक राज्य को टार्गेट्स दिये गये और उन टार्गेट्स के अनुसार हमारे राजस्थान में बहुत जबर्दस्त एचीवमेन्ट्स हुआ और उसके अन्तर्गत पूरे भारत वर्ष में हमारा राजस्थान सर्वप्रथम राज्य घोषित हुआ और उसके लिये 28 चीजों के अन्दर जैसे जन-स्वास्थ्य के अन्दर हमारे देश की प्रधान मंत्री ने साढ़े सात करोड़ रुपया विशेष अनुदान के रूप में राजस्थान को दिया जिसका हमारे राजस्थान के अन्दर

(श्री विष्णु बाजरी)

पीने के पानी के अन्दर उपयोग और होगा और उससे अधिक हैण्ड पम्प खोदे जायेंगे ।

इसी प्रकार अन्य कई चीजों के अन्दर भी इस बीस सूत्रीय कार्यक्रम की उन्नति को देखते हुये भारत सरकार ने और भी कई मामलों के अन्दर विशेष अनुदान के रूप में हमारी राजस्थान सरकार को दिया है उसके लिये हमारे मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं ।

इसके साथ ही जैसा कि अभी मेरे से पूर्व हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जो पूरे भारत वर्ष का बजट था उन बजट के अन्दर घाटा दर्शाया गया और वह घाटे के आंकड़े भी दिये । इसी प्रकार से हमारा जो राजस्थान का बजट रखा गया उसके अन्दर जो घाटा दर्शाया गया, उनका भी आंकड़े दिये । तो मेरा आपसे निवेदन है सभापति महोदय, कि जहां पर उत्पादन होगा, जहां पर पर विकास होगा, वहां पर घाटा भी हो सकता है और अगर विकास नहीं होगा, विकास की योजना ही नहीं होगी तो वहां पर, अभी हमारे जैसे जनता पार्टी का राज था 1977 से लेकर के 80 तक उन सालों के बीच के अन्दर हमने यह देखा कि कोई भी ऐसी योजना, आज वो बड़े-बड़े भाषण भले ही दे दें उनके विरोधी दल के नेता या अन्य नेता बड़े-बड़े भाषण भले ही दे दें कि हमने यह किया, हमने वो किया । लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो कोई भी ऐसी योजना का नाम बतलायें कोई भी ऐसे बाँध का नाम बतलायें जो उनके समय के अन्दर उन्होंने स्थापित किया हो या उन्होंने बनाया हो, आज 1980....

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप बतायें इस साल मीडियम योजना सिंचाई की स्वीकार की हो तो ।

श्री विष्णु बजारी : बैठो तो सही आप । जब उनका नम्बर आये तो मेहरबानी करके बतलावें कि हमने उस पीरीयड के अन्दर कौनसा अणुबिजली घर बनाया या कौनसा और दूसरा बिजली घर, किसी तरह का थर्मल बिजली घर कोई बनाया हो या अन्य कोई बांध बनाया हो तो वह बतलाने का कष्ट करेंगे और उसके अगेन्स्ट के अन्दर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अजमेर जिले और जयपुर शहर के लिए एक योजना बिसलपुर योजना जो अंग्रेजों के जमाने के अन्दर आज से 45 साल पहले यह योजना बनी थी लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे शिवचरण जी माथुर को, हमारे वित्त मन्त्री जी को, मैं बहुत आभारी हूं उनका कि उन्होंने हिम्मत के साथ जबकि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, यह सब जानते हुए उसके उपरान्त हिम्मत करके उन्होंने बीसलपुर योजना के लिए काफी अच्छी राशि उन्होंने रखी है और इस वर्ष इस योजना का कार्य प्रारम्भ किया जायगा ऐसी घोषणा यहां सदन के अन्दर की है । इसके लिए सम्पूर्ण अजमेर जिला उनका आभारी है । इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जबकि आर्थिक स्थिति हमारी इतनी कमजोर है फिर भी राजस्थान के अन्दर 600 हेल्थ सेन्टर खोले गये हैं । इसी प्रकार से आर्थिक स्थिति कमजोर है फिर भी हमारे शिक्षा

(श्री विष्णु वजारी)

मन्त्री जी ने करीब 1500 स्कूल इस वर्ष खोलने की घोषणा उन्होंने की। खोल दी गई हैं। उनमें से अधिकांश स्कूलों को आदेश दे दिये गये हैं। इसी प्रकार से मान्यवर, अभी कल हमारे समाज कल्याण मन्त्री जी ने जो उनकी अनुदान की मांगें थी, उस समय उन्होंने अपनी मांगों के उत्तर के अन्दर बतलाया कि करीब 1 लाख पचास हजार लोगों को लाभान्वित करने जा रहे हैं और उन्होंने विभिन्न बातें बतला कर बतलाया कि किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत जो छोटे गरीब लोग हैं उनको किस प्रकार से लाभान्वित किया जाएगा और इस तरह से योजनायें हमारे समाज कल्याण मन्त्री जी ने बतलाई। तो मेरा आपसे निवेदन है सभापति महोदय, कि जिस प्रकार से हमारी सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, विकास कर रही है। जनता पार्टी का शासन था तब न कोई योजना थी न कोई विकास था। एक ढिंढोरा जरूर पीटा गया अन्त्योदय योजना का वह अन्त्योदय योजना भी लोगों ने कहा कि यह उनकी अन्तिम योजना थी। अन्त्योदय का नाम उन्होंने अन्तिम योजना रखी और वही जनता ने करके भी दिखा दिया कि उनके ढाई वर्ष के शासन के अन्दर, शासन तो जनता ने दिया था 5 वर्ष के लिए लेकिन आप देखेंगे कि उनकी आपसी लड़ाई, आपसी फूट के कारण उन्होंने ढाई साल के अन्दर अपना राज खो दिया। कितना निकम्मापन उन्होंने अपना साबित किया यह बात साफ जाहिर है और उसका इलाज किया हमारे भारतवर्ष की जनता ने, राजस्थान की जनता ने कि जो कुछ इन्होंने किया था उसको उन्हें भुगतना पड़ा और भुगतने का नतीजा यह हुआ कि आज थोड़ी संख्या के अन्दर वो चुनकर आये और आज विरोधी पक्ष के अन्दर बैठे हैं। भाषण देना बहुत आसान है, मान्यवर सभापति महोदय, आज विरोध पक्ष में बैठकर उपदेश भले ही, कितने झाड़ दें, कितने ही हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मुख्य मन्त्री हैं, और मन्त्रीगण हैं उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगा देवें यह बहुत आसान है लेकिन जिस समय स्वयं कुर्सी पर बैठे होते हैं, मन्त्री बनते हैं उस समय अगर उनको काम करने का मौका मिले और वह काम नहीं करें और उदाहरण क्या देवें कि साहब हमारा तो राज ढाई साल ही रहा, ढाई साल तो बहुत ज्यादा है। एक बादशाह हुआ था उसने एक दिन के अन्दर चमड़े के सिक्का चला दिये, एक दिन का राज उसको मिला था, सारे देश में उसने चमड़े का सिक्का चला दिया आपको ढाई वर्ष का राज मिला था, यदि आपको कुछ करना था, जिस प्रकार से हमें अच्छी तरह से याद है जिस समय ये लोग पहले भी विरोधी पक्ष में थे, इस तरह भाषण दिया करते थे और हम भाषण सुना करते कि हमारे सुखाड़ियाजी बड़ी कारों के अन्दर घूमते हैं, बड़े-बड़े बंगलों के अन्दर रहते हैं। हमारे जो नेतागण हैं वो फर्स्ट क्लास के अन्दर घूमते हैं तो मान्यवर महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इनका राज आया, मैं पूछना चाहता हू कि भैरोंसिंह जी उसी कार के अन्दर जिसमें सुखाड़ियाजी घूमते थे, क्या हमारे भैरोंसिहजी ने उस कार को छोड़ दिया ? क्या हमारे सुखाड़ियाजी जिस बंगले में रहते थे, क्या हमारे भैरोंसिह जी उस बंगले में नहीं रहे ? क्या जिस प्रकार से गार्ड हमारे सुखाड़िया जी के जमाने में लगती थी क्या भैरोंसिहजी के जमाने में नहीं लगती थी ? यह कहकर कि सुखाड़ियाजी के आगे और पीछे पुलिस की कारें चलती थी तो, मान्यवर महोदय, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं जब भैरोंसिहजी मुख्य मन्त्री बने तो क्या उनके आगे पीछे

(श्री विष्णु बजारी)

पुलिस की कारें नहीं चलती थी। मुझे याद है जनता पार्टी के शासन के जमाने में एक मन्त्री ने कहा था कि मैं मेरे मकान के आगे गार्ड नहीं रखूंगा और उसने कुछ दिन के लिए गार्ड हटा भी दी। लेकिन कुछ दिन के बाद में देखा गया कि वहां इतनी हालत खराब हो गई कि मजबूर होकर वापिस इनको गार्ड रखनी पड़ी। तो कहने के लिए, आदर्श रखने के लिए बहुत ज्यादा उपदेश देने के लिये तो बहुत कुछ है। दूसरों की थाली में तो घी सबको ज्यादा नजर आता ही है लेकिन मेरा आपसे कहना है कि उनका स्वयं का शासन आया था उस समय अगर वो चाहते तो आदर्श उपस्थित कर सकते थे। राज तो आना जाना है। राज आज तक किसी का कायम नहीं रहा। राज तो आयेगा और चला जायेगा और लेकिन अपने राज में जो व्यक्ति उदाहरण कायम करके चले जाते हैं उसका नाम अमर हो जाता है। आज महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं रहे। महात्मा गांधी को ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग गालियां देते थे। आज मैंने देखा इनका अधिवेशन बम्बई के अन्दर हुआ और उस अधिवेशन में फोटो हमने जब देखी तो बड़ा दुःख हुआ, उसी महात्मा गांधी की फोटो, उनके अधिवेशन की जो स्टेज बनाई गई थी उसके बीचोंबीच महात्मा गांधी की फोटो लगाई। क्यों ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी के नाम का उपयोग लेकर वोट बटोरते हैं उसी प्रकार से हम भी, इनको यह वहम था कि कांग्रेस के लोग महात्मा गाँधी की वजह से वोट बटोरते हैं। इनकी योजना थी कि हम भी इसी प्रकार से महात्मा गाँधी की····

श्री यदुनाथसिंह : सही बात है, × × × उसी के नाम से मौज कर रहे हैं।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : फोटो लगा करके भोली-भाली जनता को बहकावे में डालकर और हम इनसे वोट बटोर लें लेकिन यह भारत की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह भोली-भाली जनता जो राजस्थान की है और भारत की है, ये कितने ही ढोंग रच लें, कितनी ही पार्टी बदल लें, कितना ही अपने दलों के नाम परिवर्तन कर लें, अभी आपने देखा होगा इन दिनों के अखबार आपको पढ़ने को मिले होंगे और अखबारों के अन्दर देखा होगा, फिर वही स्थिति कायम करने जा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है कि × × × आज ये ही अटलबिहारी वाजपेयी इसको अपना नेता मानने को तैयार हो गये, सिर्फ किस लिये? कुर्सी के लिए। इनको शर्म आनी चाहिये कि कुर्सी के लिए जिस आदमी को × × ×.

श्री महाराम चौधरी : आपको क्या चिन्ता है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : और कहते थे कि इसके कारण हमारा जनता पार्टी का शासन खत्म हुआ आज उसके साथ वापस गठबन्धन कर रहे हैं। यही चन्द्रशेखर आर. एस. एस. को गोली देते थे, और आज वही चन्द्रशेखर....

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

को गाली देते थे और आज वही चन्द्र-शेखर....

(व्यवधान)

बड़ा दुःख होता है किस तरह का ये आपस में समझौता करते हैं ? यह इनका समझौता इस प्रकार से है और, सभापति महोदय।

भारत की जनता अच्छी तरह से जानती है, यह कितना भी गठबंधन करलें, एक बात मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, ये जिस प्रकार से गठबन्धन करना चाहते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और लोक दल में एक समझौता हुआ और उसका नाम भी रख करके उन्होंने एक दल बना लिया लेकिन बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि ऊपर तो कुर्सी के लिये यह दल बना लिया और यहां पर हमारे राजस्थान विधान सभा में दोनों ही दल अलग हैं। यह दोनों दल एक काहे के हैं, सभापति महोदय। इन्होंने तो यह समझौता सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिये और सिर्फ श्रीमती इन्दिरा गान्धी को हराने के लिये किया है। इनका तो सिर्फ उनको हराने के सिवा कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई ध्येय नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह विरोधी दल के सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह चाहे कितनी ही एकता की बातें करें, चाहे कितनी एकता का जामा पहन लें तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने काम हमारी राजस्थान सरकार ने पिछले चार साल में यहां पर राजस्थान में किए हैं उसके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो काम हुआ है उतना काम पहले राजस्थान में कभी नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि पूरे राजस्थान में जो इस प्रकार के काम विकास के इन पिछले चार सालों में हुए हैं मैं दाद देता हूं हमारे मुख्य मंत्री जी को कि हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं होते हुए भी हमारी सरकार ने इतनी स्कूलें खोलीं और इतने सब सैन्टर खोले और इतनी अदालतें और न्यायालय खोले गये और इस प्रकार हमारे यहां पर हैण्ड पम्प के काम अपने हाथ में लिए जैसे कि विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने एक बात कही कि पिछले सालों में राजस्थान में साढे चार हजार गांवों को शुद्ध पेय जल पीने के लिये गांवों को पहुंचाया गया और इन सालों में जो 1980 से लेकर आज तक साल है इनमें करीब 17 हजार गाँवों में पेय जल उपलब्ध शुद्ध पीने का पानी दिया गया। यह इतना बड़ा अचीवमैंट हमने किया है और ये कहते हैं कि इन्होंने अपने जनता शासन काल में सिर्फ ढाई साल में 21 सौ गांवों को ही पीने का पानी उपलब्ध

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

कराया ना ? तो इनको हिसाव से लगालो तो हमने दो साल में सात हजार से लेकर आठ हजार गांवों को पीने के पानी को उपलब्ध कराया तो 7-8 हजार के कम्पेरीजन में अगर ढाई साल में 21 सौ गांवों को पानी पीने का उपलब्ध करा भी दिया तो कौन सी बहादुरी कर दी। तो इस प्रकार से मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे हमारी राजस्थान सरकार ने कई कार्यक्रम राजस्थान में किए जिस प्रकार शहरों के अन्दर उन्होंने बड़े-बड़े आफिसरों को हर मोहल्ले के अन्दर भेजने का प्रशासन शहरों की ओर-कार्यक्रम दिया। इन्होंने तो उस कार्यक्रम का मखौल ही उड़ाया मा. सभापति महोदय, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लिए आज इस कार्यक्रम की इतनी जबरदस्त उपलब्धि कम से कम हमें हासिल हुई है। मैं कहता हूँ एक डेढ़ महीने के अन्दर जो कार्यक्रम चला उसमें हमने जो काम किये वह पिछले दो साल में नहीं हुए थे हमने इस डेढ़ महीने में ऐसे केसेज जो कि पिछले 50-50 साल से चल रहे थे, उन पुराने झगड़ों को हमने निपटाये और इस प्रकार से बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोगों के जो नियमन के काम वर्षों से नहीं होरहे थे उनको हजारों की तादाद में निपटा दिये गये। यह कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं कि आपने क्या किया पर मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया आप बतलाओ। पर, सभापति महोदय, यह अपने कार्यक्रम नहीं बतलायेंगे। यह तो क्या कहेंगे कि फलाचन्द इतने रुपये खा गया और फलाचन्द ने यह कर लिया या फलाचन्द ने बंगले बना लिये। भाई, बंगले बना लिये तो क्या हुआ। भैरोंसिंह जी ने बंगला बनाया है औरों ने भी बंगले बनाये हैं। जिनके पास पैसा होगा वह बंगले बनायेंगे और जैसी स्थिति होगी, पैसों की गुंजाइश होगी उस तरह के बंगले भी बनायेंगे। इसमें आपको क्या दुःख है।

लेकिन सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ब्यावर नगर में हमारे यहां पर पिछले चार साल में जो काम हुआ है उसमें एक तो पांच करोड़ रुपये लगा कर 220 के०वी० लाइन का ग्रिड स्टेशन बनाया गया है और इसके अलावा ब्यावर में पहले जो इण्डस्ट्रियल एस्टेट का एरिया नहीं था तो हमारी सरकार ने वहां पर इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया और उसके बाद में दो करोड़ रुपये लगाकर वहां पर उसको डवलप किया और वहां पर सड़कें, नालियां, पुल, वगैरह बनाये गये और वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है कि वहां पर आज विकास हो रहा है। इसके अलावा वहां पर एक ए०डी०जे० कोर्ट जो वहां की बहुत बड़ी आवश्यकता थी वह खोली गयी और उसकी आवश्यकता को देखते हुए वहां पर ब्यावर शहर में आपको यहां पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि यह सिर्फ हमारे वित्त मन्त्रीजी के ही स्पष्ट आदेश थे कि ब्यावर में ए.डी.जे. कोर्ट खोली जाय। इस ए.डी.जे. कोर्ट के खुल जाने से वहां पर हजारों लोग, सभापति महोदय, हमारे ब्यावर की आबादी एक लाख है और उसके आसपास की एक लाख की आबादी है, गांवों की इस प्रकार मेरे क्षेत्र

(162)

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

में सभापति महोदय, दो लाख लोगों की आबादी है वहां के लोगों को इस ए०डी०जे० कोर्ट के खुल जाने से बहुत लाभ हुआ। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने ढाई साल के जनता शासन में, वहाँ ब्यावर में क्या कराया। वहां पर आपने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह वहां पर ब्यावर शहर के लिये अनुसूचित जाति के लोगों के लिये दुकानें बनाने का कार्यक्रम भी है उस कार्यक्रम के अनुसार वहां पर दुकानें बनायी जा रही हैं और राजस्थान में इस साल में दो हजार दुकानें हमारे प्रदेश में बनेगी। ब्यावर में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये 25 दुकानें बना दी गयी हैं और उनको नियमित भी कर दी गयी हैं। आगे आने वाले वर्ष के लिये भी 25 दुकानें और बनाई जायेंगी जो लोगों को दी जायेंगी, इस प्रकार 50 दुकानें अनुसूचित जाति के लोगों के लिये बनाई गयी। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने ढाई साल में ब्यावर में एक दुकान तो क्या एक ईंट भी नहीं लगायी। तो मेरा यह निवेदन है कि वहां पर, सभापति महोदय, दो करोड़ रुपये की निम्बाज योजना भी चालू की गयी है जो कि ब्यावर के लिये है, इसी प्रकार 36 लाख रुपये लगाकर ब्यावर के लिये 250 हैण्ड पम्प शहर में लगाये गये। सभापति महोदय, वहां पर उस समय इतनी विकट समस्या थी पीने के पानी की कि मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्री जी को उन्होंने दस लाख रुपये इमीडियेटली निकाल कर ब्यावर की जनता जब पीने के पानी के लिये दुखी हो रही थी तो इन्होंने ब्यावर की जनता के लिये टैन्कर्स से पानी लाकर पिलाया और वहां की जनता को पीने का पानी सुलभ कराया। इसके अलावा यह बात तो सही है कि हमारे वित मन्त्रीजी कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, यह भी सही है कि अभी पिछले तीन चार साल से हमारे यहां पर लगातार अकाल पड़ रहा है तो हमारी सरकार ने गरीब अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की जनता के लिये, उनको जिन्दा रखने के लिये, सभापति महोदय, हमारी सरकार ने सौ करोड़ रुपये खर्च किया लेकिन इनको क्या है कहने को। कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि दो तोले की जबान है किसी का मखौल उड़ालो, आप चाहे जिसकी आलोचना कर लो, प्रत्यालोचना कर लो लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सौ करोड़ रुपये खर्च करना बहुत ही हिम्मत का काम है लेकिन हमारी सरकार ने किया और उस अकाल के अन्दर हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे-अच्छे काम किये। लेकिन इन्होंने अकाल के अन्दर क्या किया? इन्होंने अनाज की योजना बनायी और उसमें सड़कें बनायी। सभापति महोदय, वह सड़कें कैसी बनायीं कि यहां से मिट्टी उठाकर वहां डाल दी और वह मिट्टी हवा में उड़कर इधर उधर हो गयी और वहां जाकर देखें तो सड़क का नामों निशान ही नहीं। लेकिन हमारे यहां पर हमारी सरकार ने पिछले अकाल के अन्दर जो काम किया है उनके अन्दर सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर सड़कें बनायीं, पक्की सड़कें बनायीं और बान्ध बनाये और एनीकट बनाये। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सभापति महोदय, हमारे वित्त मन्त्रीजी ने जो यह बजट रखा है यह बहुत ही अच्छा बजट रखा है और यह बजट राजस्थान का विकास करने के लिये बहुत ही अच्छा बजट है।

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

सभापति महोदय, ये इसे बजट को देख कर कह रहे हैं कि यह चुनाव का बजट है यह विकास का बजट नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव का बजट है तो क्या हुआ। सभापति महोदय, यह हमारे नेता श्रीमती इन्दरा गांधी पर आरोप लगाते हैं कि यह चुनाव करा रहे हैं चुनाव हो रहे हैं दो महीने में चुनाव हो रहे हैं अरे, भाई एक दफा × × × बोलो, दो दफे × × × बोलो यह रोज-रोज क्यों × × × बोल रहे हो। यह इनकी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, सुन्दर सिंह भण्डारी कहते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, चरणसिंह कहते हैं कि चुनाव हो रहे हैं और चन्द्रशेखर कह रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं आज पिछले दो साल से लगातार चिल्ला रहे हैं। सभापति महोदय, चुनाव-चुनाव इसलिये कह रहे हैं कि अगर यह नहीं कहेंगे कि चुनाव हो रहे हैं तो इनके साथ आज जो 100 कार्यकर्ता हैं वह घटते-घटते पांच कार्यकर्ता रह जावेंगे। यह चुनाव के नाम से, चुनाव का हव्वा बताते हैं लेकिन सभापति महोदय, मैं इनके बारे में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे ब्यावर शहर में इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यह हालत है कि यह आपस में लड़ रहे हैं। और भाई हमारी पार्टी जो कि सत्ता में है अगर इनके कार्यकर्ता आपस में लड़े तो ठीक है कि कुर्सी के लिये लड़ाई है लेकिन आपके पास तो कुर्सी नहीं है फिर भी इनकी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। अब यह कहते हैं चुनाव में हम निपटेंगे, अबके चुनाव आने तो दो भाई, चुनाव तो होंगे ही। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकता बनाये रखने के लिये चुनाव-चुनाव करते हैं और हमें कहते हैं कि चुनाव में निपटेंगे। अबकी निपटेंगे तो, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि, सभापति, महोदय, अभी मन्डावा का चुनाव हुआ था इसमें यह सारे लोग एक होकर आये थे और इन्होंने पूरा ऐडी से लगाकर चोटी तक का जोर लगा लिया फिर भी क्या नतीजा हुआ। यह चुनाव में हारे और फिर इनकी क्या इज्जत रही। कहना आसान है अबकी आना-अबकी आना हम निपटेंगे, आप क्या निपटेंगे। चुनाव तो होंगे ही, 80 में हुए थे तो 85 में चुनाव तो होंगे ही और उसमें चुनाव तो लड़ेंगे ही। चुनाव तो सभी लड़ेंगे तब उस समय पता लग जायेगा, कि क्या होगा। सभापति महोदय, हजारों लोगों को यह कहेंगे कि यह आई०आर०डी०और डी०आर०डी० के मार्फत यह किया गया है। हमारी सरकार ने जो कार्यक्रम चलाये हैं इसमें जो हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम की योजना है उसके कार्यक्रम को लागू किया गया है, सभापति महोदय।

गांवों के अन्दर स्थिति यह है कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं जो योजना हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया है सभापति महोदय, उसके माध्यम से गांवों के अन्दर कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहा जिसके पास रहने के लिए मकान हमारी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया हो। कई माध्यमों से, कई स्कीमों से उनको कब्जा दे-देकर हजारों की तादाद में मकान बनाये हुए हैं। इनसे पूछो कि एक

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

भी मकान किसी का बनवाया। अगर यह कह दें कि हां, ढाई साल में बनाया है। हमने यह किया, वह किया अगर बनाया होता तो इनको वोट क्यों नहीं दिया वहां के लोगों ने। यह बात साफ जाहिर है कि अगर आप किसी की भलाई करोगे सभापति महोदय, तो आदमी सब कुछ भूल सकता है, लेकिन उस आदमी को नहीं भूल सकता जिसने उसके साथ भलाई की हो। इसलिए सभापति महोदय, मैं और अधिक नहीं कहता और कई मेरे साथी हैं बोलने के लिए। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने जिस हिम्मत के साथ और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और अन्य मंत्रियों ने जिस हिम्मत और सूझबूझ के साथ बजट में जो योजनायें रखी हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और राजस्थान की सम्पूर्ण जनता इसका स्वागत करती है। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं हर बार इसी बात को सोचता हूं कि आखिर हम 35-36 बजट पास करने के बाद भी अगर गरीब की स्थिति को नहीं सुधार पाये तो उसके पीछे कौन सी कमियां रह गई थी या हमारे बजट बनाते समय कौन से ऐसे लेकुना हैं कि जिनके कारण हम जिन्हें मदद देना चाहते थे वास्तव में उनको मदद नहीं पहुँची। मैंने पूर्व में भी यह बात कही थी जब देश आजाद हुआ उस समय 29.20 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे आज 36 बजट पास करने के बाद 56 प्रतिशत लोग इस देश के गरीब क्यों हुए ? इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे बजट को बनाने में लेकुना है, कहीं न कहीं हमारी मानसिक गुलामी है। मैं इस शब्द को किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, बड़े इत्मीनान से कह रहा हूं कि बजट बनाने वाले लोग सब उस गांव से आते हैं जिन्होंने कभी गरीबी के दर्शन नहीं किये, जिन्होंने कभी ठिठुरती हुई सर्दी नहीं देखी हो, जिसने बरसती हुई बरसात में अपने बच्चों को भीगते हुए नहीं देखा। इसलिए उनके दिमाग में हमेशा योजनायें बनती हैं उन अच्छे लोगों के लिए और बड़े लोगों के लिए। हमने कभी विचार नहीं किया कि वह आदिवासी, वह गरीब जो आज से कई बरसों पहले जंगल में बैठकर जंगल की पैदावार से अपना पेट पालता था, लेकिन लगातार कई वरसों के प्रयत्नों के बाद भी वह आज जंगल समाप्त हो गये और वह रोटी के लिए मोहताज होकर खड़ा हो गया। क्या हम यह विचार कर सकते हैं कि उस आदिवासी को जो जंगल के आधार पर अपनी जीविका चलाता था वही उसका एकमात्र साधन था, क्या यह राज्य सरकार अपने बजट को बनाते समय इस बात को ध्यान में रखेगी कि जैसे हम सरकार की जमीन को भी और किसान को देते हुए उसका मालिक बना कर खातेदारी अधिकार देते हैं क्या हमारी सरकार जिसको लोकतंत्रीय सरकार कहते हैं जनता की सरकार कहते हैं जो जनता के लिए है, जनता के हित के लिए बनी हुई सरकार है क्या वह सरकार इस प्रकार का कदम लेने के लिए तैयार है कि आज जितनी जंगलात की जमीन है जिसके कारण से इस देश को कोई आमदनी नहीं हो रही है केवल पांच-छः

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करोड़ की आमदनी होती है और उसके आधार पर हम 12 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अगर उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम यह विचार करने के लिए तैयार हैं कि जहाँ वह जंगलात की सारी जमीन जहाँ आदिवासी रहता है उसके खाते की जमीन कर दी जाये, और उसको यह जरूर कहा जाये कि उस स्थान पर जंगलात ही रहेगा, उस स्थान पर लकड़ी होगी उसकी जितनी पैदावार होगी उसका मालिक तू बनेगा। हमने आज दिन तक कभी इस बारे में विचार नहीं किया कि जो किसान अपने बाप-दादाओं के जमाने से लेकर आज दिन तक खेत में हल चलाते हुए अपने आप को उसमें खपा रहा है, लेकिन उसके झोंपड़े में कभी भी पट्टी नहीं पड़ी, उसके झोंपड़े वही घास-फूस के बने हैं, तेंदू के बने हैं कभी इस देश की लोकतंत्र के हिमायती लोगों ने जो लोकतंत्र के नाम पर लोगों का शोषण करके इस पद पर बैठकर के, लोगों का एक तरह से शोषण करके केवल अपने और अपने परिवार को पालने वाले लोग, केवल स्वार्थी लोगों ने कभी इस बारे में विचार नहीं किया कि आखिर इस गरीब को 35 साल की आजादी के बाद भी उसके घर में आज तक छप्पर पक्का क्यों नहीं बन सका ? उसके घर में जो दीपक पहले जलता था, तेल से, वही घासलेट का दीपक आज क्यों जल रहा है। आखिर 35 साल की आजादी का आनन्द उस आदमी को क्यों नहीं मिला, इसका क्या कारण है। इसका कारण है हमने उसको कभी भी उसको लाभ पहुंचाने के लिए अपने बजट को ध्यान में नहीं रखा, हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह किसान जिसकी जमीन में पूरी पैदावार नहीं होती है। क्या यह राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं कर सकती कि हम उसका लगान माफ कर देंगे, क्या हम लगान नहीं छोड़ सकते, क्या हम उसके बारे में कभी हमारा मानस आज से 50 साल बाद भी नहीं बनेगा, जिसकी वास्तव में आज जरूरत है कि हम उसकी मदद के लिए किस तरह से खड़े हैं। कभी हमने उस किसान के बारे में कभी विचार किया अपनी नीतियों को बनाते समय ? हमने नहीं किया, हमने विचार किया उन टाटा, बिड़ला के बारे में। हमने कहा कि हमारे देश की औद्योगिक प्रगति होगी। औद्योगिक प्रगति किस के आधार पर होगी। आज वास्तव में हिन्दुस्तान को, राजस्थान को औद्योगिक प्रगति, वह प्रगति नहीं चाहिए। आज चाहिए उन बेरोजगार हाथों को काम जो आज भी काम की तलाश में दर-दर की ठोकरें खाते हैं। कभी हमने यह विचार किया कि औद्योगिकरण के माध्यम से राजस्थान के लाखों करोड़ों लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे ? क्या हम इस बारे में विचार नहीं कर सकते कि हम अपनी योजनायें इस रूप में परिणित करें कि छोटे-छोटे उद्योग लगाएंगे, ऐसे कारखाने लगायेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा हाथ काम करेंगे। हां, हमने सीमेंट फैक्टरी लगाकर हम केवल पाँच करोड़पतियों को राजस्थान में जरूर पाल सकते हैं और हिन्दुस्तान के ही नहीं विश्व की होड़ में हमको आगे चलाना है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि उन टूटे हाथों को काम दे सकेंगे। क्या जिस तरह से आज हम मशी-

(गुलाबचन्द कटारिया)

नीकरण कर रहे हैं, कभी हमने विचार किया। हमने यह भी विचार किया, हमें ये बताया कि कम्प्यूटराइज करेंगे और कम्प्यूटराइज करने में केवल 20-25 एल.डी.सी. का काम, 50 एल.डी.सी. का काम एक मशीन कर के रख देगी। क्या यह हिन्दुस्थान के लिए उपयोगी है। क्या हिन्दुस्थान की अर्थनीति इसके आधार पर चलेगी? हिन्दुस्थान के लाखों लोगों को रोजगार देने की हमारी मंशा बनेगी क्या हम इस कम्प्यूटराइज के आधार पर हो सकता है हाउसिंग बोर्ड से सारे हिसाब को करने के लिए पांच कम्प्यूटर की मशीनें लगा देंगे और उन मशीनों के आधार पर वह सारे हिसाब चैक कर देंगे। हम बैंकों में कम्प्यूटर लगाकर उसके आधार पर देश का काम तो कर देंगे लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार कहां से मिलेगा। क्या हमने इस बारे में कभी विचार किया। हम एक ओर तो कहते हैं देश की बेरोजगारी, अगर उसको स्वाभिमानी का काम मुझे अपने घर में मिल जाता है तो मैं आप जैसे लोगों की गुलामी करने के लिए कभी नहीं आऊंगा। मैं आप लोगों की और सरकार की गुलामी के लिए मजबूर होकर आता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आय का साधन नहीं मेरे पास कमाने के कोई साधन नहीं हैं। लेकिन इसके बाद आप यह समझ करके बैठ जायं कि इसके आधार पर, मैं यह सोच रहा हूँ हम हमेशा पश्चिमी देशों की नकल करते जा रहे हैं। कभी एक क्षण रुककर यह विचार नहीं किया कि आखिर इस देश की जलवायु, इस देश की जनसंख्या, जमीन इस वास्ते माफिक है या नहीं। हम इसको देश पर थोपते जा रहे हैं। हममें कोई भी जाएगा विदेश घूम कर आएगा तो वहां से कोई न कोई नई चीज लाकर यहां थोपने का प्रयास करेगा। कभी हमने यह कोशिश की कि हमारी मिट्टी किस तरह की है, इस मिट्टी के आधार पर, यहाँ के वातावरण और यहां की प्रगति के आधार पर, यहां के लोगों के आधार पर हमें कौन सी चीज विकसित करनी चाहिए, जिसके कारण हम देश के काम को चला सकेंगे। आप यह बात जरूर कह रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, बड़े-बड़े डैम हमने बनाये, यह बात ठीक है कि आपने बड़े-बड़े डैम बनाये, उसकी अच्छाई को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन यदि राजस्थान में करोड़ों रुपये इतनी बड़ी योजनाओं को बनाने में 20-20 25-25 साल की सिलवर जुलियां मनाई हैं, अगर उसी पैसे को हम गांवों में छोटे-छोटे ऐनीकेट बनाने में इस पैसे का उपयोग करते, 10-15 साल तक यह प्रयत्न करते कि हर गांव से निकलने वाले पानी को वहीं बांधेंगे और उस गांव का पानी वहीं के लोगों को उपयोग करने के लिए देंगे। क्या पुराने जमाने के राजा-महाराजा कोई पागल थे जिन्होंने हर गांव के अन्दर छोटे-मोटे तालाब बनाये, बंधे बनाये, केवल इसलिए नहीं बनाये कि उससे सिंचाई होगी, लेकिन उसके साथ पानी की तह ऊपर आयेगी और उनको पानी मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हममें मानसिक गुलामी इतनी आ गई है कि हम कभी इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कभी इनको दोष देंगे, आप कभी हमको दोष देंगे, कभी हम आपको देंगे। लेकिन कभी किसी ने देव चारि किया राजस्थान के गरीब की आज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी क्या हालत है, आज हजारों लाखों बच्चों को बुखार में दो रुपये की दवाई के लिए भी तरसते हैं, मिलती नहीं है। उनका बाप दो रुपये की दवाई लाकर ऐनासिन की पुड़िया नहीं दे सकता। हां, यह बात जरूर है कि आपने बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई लोगों को यही दिखाने की कोशिश की कि हमने इस साल कोई टैक्स नहीं लगाया। यह क्या हमारी मानसिक बेइमानी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगर यह हमारी मानसिक बेइमानी नहीं है तो 1984 और '85 में कौन सी छाप लग गई थी कि सारे हिन्दुस्तान के राज्यों ने टैक्स नहीं लगाये। कौन सा जादू आ गया था, कौन सी प्रकृति की आप पर मेहरबानी हो गई कि केवल बिहार को छोड़कर और किसी राज्य ने अपने बजट में टैक्स नहीं लगाये। आप यह जानते हो हिन्दुस्तान की जनता गरीब है, आप जनते हो कि हिन्दुस्तान के वोटरों की नब्ज कहां है, इसलिए हिन्दुस्तान के वोट के भिखारियों ने हमेशा हिन्दुस्तान के वोट देने वाले जिनको हम वास्तव में इस देश का मालिक कहते हैं उनके साथ धोखा किया, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों न हो हर राजनैतिक पार्टी केवल इन बेसहारा लोगों को धोखा देकर केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए केवल कुछ लोगों को पालने के लिए, केवल अपना और अपने परिवार का जीवन अच्छा करने के लिए हमने यह सारी फौज खड़ी की है। मुझे यह बतायें कि आज किसी भी विभाग में इर्रीगेशन में 30 करोड़ का बजट लगता है तो चार एस. ई. की पोस्ट बढ़ जाती हैं, एक चीफ इंजीनियर बन जाता है। क्या इस हिन्दुस्तान की आर्थिक परिस्थिति और राजस्थान की आर्थिक परिस्थितियों में एक चीफ इंजीनियर क्या काम करने के लिए अयोग्य है।

क्या करता है चीफ इन्जीनियर ? हमारे यहां तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि जो जितना बड़ा अधिकारी वह उतना ही कम काम करता है। क्या यही देश के निर्माण का तरीका है ? अगर इसी को देश के निर्माण का आधार मान कर चलेंगे तो छोटे से छोटा बाबू होगा, उससे भी छोटा चपरासी होगा वह ज्यादा मेहनत करेगा। उससे बड़ा आफिसर होगा उससे कम मेहनत करेगा। उससे और बड़ा अधिकारी होगा केवल दस्तखत करने का काम करेगा और केवल अपने-अपने लोगों को पालने के अलावा और क्या करता है ? क्यों बढ़ाते हैं आप इतनी फौज को जब हिन्दुस्तान और राजस्थान की परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं हैं तो क्या एक क्षण के लिए आप यह विचार करने के लिए तैयार हैं कि हमारी परिस्थितियां इस बात के लिए लागू नहीं होतीं। आज हम रोजाना देखते हैं कि क्या आप और मेरे से छिपा हुआ है ? यह बात जरूर है कि आज के कानून के आधार पर हम बेइमान को बेइमान नहीं कह सकते या उसको बेइमान नहीं बता सकते या कानून के द्वारा उसको सजा नहीं दे सकते। इसका मतलब यह तो नहीं हो गया कि राजस्थान में बेइमान कोई नहीं है। क्या मैं यह पूछूं आपको कि राजस्थान में बेइमानों की गिनती कहां से प्रारम्भ करें। मुझे आज बड़े कठोर शब्दों में कहना पड़ेगा, मेरी ऐसी मान्यता है कि शायद लाखों में एकादि भी ढूंढें तो हमको ईमानदार नहीं

(श्री गुलाबचन्द्र कटारिया)

मिलेगा। चाहे वह चोर बड़ा होगा, चाहे वह चोर छोटा होगा। मैं आज यह कह सकता हूं कि एक आई. ए. एस. आफिसर को 2200 रुपये की तनख्वाह मिलती है, एक छोटे मोटे आफिसर को 1400 रुपये तनखा मिलती है। आज की इन परिस्थितियों में क्या वह अपना गुजारा जिस ढंग से आज गुजारता है कर सकता है? क्या आप और हम एम.एल.ए., एम. पी. और मिनिस्टर बने बैठे हैं कभी इस बात पर हमने विचारा कि जो साधन सुविधायें हमको मिलती हैं उन साधन सुविधाओं से हमने केवल 5 साल में और 10 साल में यह लखपति बनने की योजना कहां से ढूंढ निकाली? आखिर हम जो ऊपर के लोग हैं, जो इस देश को दिशा देने वाले लोग हैं, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हम में से हों चाहे आज हमारे आई.ए.एस. आफिसर हों या और कोई भी अधिकारी हों उन सबने मानो ऐसा सोचा है कि हमको केवल एक गारन्टी का कार्ड मिल गया है इस देश को लूटो, जिस ढंग से लूटा जा सकता हो उस ढंग से लूटो। मेरी यह मान्यता है कि आज हिन्दुस्तान का लूटना इस बेरहमी से चल रहा है आप छोटे से छोटे स्थान से चलिये अगर कहीं आफिस में कागज की रिम पड़ी होगी तो वह घर ले जायेगा। अगर किसी को पेन और स्याही मिल जाती है तो वह वहां से ले जायेगा। कोई तार बेच रहा है, कोई सीमेन्ट बेच रहा है, कोई ईंट और पत्थर बेच रहा है, कोई डामर में डामर नहीं मिला कर डामर के ड्रम के ड्रम जाकर के दूसरे स्टेट में बिक रहे हैं। क्या यह हमारी जानकारी में नहीं है? क्या हमारी जानकारी में यह भी बात नहीं है कि हमारे यहां एक्स. ई. एन. का टैक्स तय है। आज कोई भी काम कराओ तो उसको आज ढाई परसेन्ट का है—क्या आपकी और मेरी जानकारी में यह नहीं है? क्या आप और मैं कोई इस हिन्दुस्तान के बाहर रहते हैं? हमारी सबकी जानकारी में है कि आपके ए. ई. एन., जे. ई. एन. और जो भी आपके आफिसर्स हैं उनका बिलकुल तय परसेन्टेज है और उसी परसेन्टेज के आधार पर आज काम होता है। क्या आज भ्रष्टाचार के लिए आप यह कह सकते हैं कि हम आप पर आक्षेप लगा रहे हैं। मैं आप पर आक्षेप नहीं लगाता हूं। मुझे दुख इस बात का है कि आज जो जितना बड़ा बेइमान है वह उतनी ही बड़ी अपनी बात को रखता है कि दुनियां बेइमान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी आपने राजस्थान की इन सारी भयंकर परिस्थितियों में कभी इस बारे में विचार किया कि आखिर इस दिशा को बदला जा सकेगा या नहीं बदला जा सकेगा या हम और सब आप लोग मिलकर इस हिन्दुस्तान को एक ऐसा बेइमान देश बनाकर छोड़ देंगे जहां से इमानदार कहीं आपको नमूना तक नहीं मिलेगा।

आज पिछले 35 साल की आजादी के बाद और पिछले दस साल के बाद हमको ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में अगर कहीं ईमानदारी के दर्शन करने पड़ेंगे तो शायद पता नहीं वह किस कंदरा में बैठा मिलेगा। हममें से प्रत्येक का मानस इतना कमजोर, इतना निकम्मा बन गया है कि हम यह चाहते हैं कि केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने कभी आज दिन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तक हिन्दुस्तान की जो परिस्थिति थी हमने कभी उसको ध्यान में नहीं रखा। हमने 35 साल की आजादी के पहले यह तो सोचा था कि हम देश को बनायेंगे लेकिन आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके दिल को झकझोरना चाहता हूं कि 35 साल की आजादी के बाद हमने देश को बनाया है? हां, हमने सड़कें बनाई हैं, हां, हमने नालियां बनाई हैं, हमने सीमेंट के कुछ कारखाने खोले होंगे लेकिन हमने हिन्दुस्तान के इन्सान को नाली का एक कीड़ा बना करके रख दिया। कभी हमने इस बारे में विचार किया कि आखिर हमारी नीतियां हैं क्या? आखिर हम इन बजटों को क्यों पेश करते हैं? इन पुलिन्दों को रखने के लिए क्या है? इसका अर्थ क्या है? अगर हिन्दुस्तान का और राजस्थान का इन्सान नहीं बनेगा तो यह सब बिल्डिंग एक दिन धू धू कर जल जायेंगे, खतम हो जायेंगे, उस दिन हमको विचार करना पड़ेगा कि इन बच्चों का हम क्या करेंगे।

कई बार मन में ऐसा अजीब सा लगता है, मुझे यह लगता है कि आज वास्तव में क्या जरूरत है राजस्थान में हर स्थान पर चुनावों की अलग-अलग तारीखें निकलती जाती हैं। पंचायत के चुनाव कभी होंगे, नगरपालिकाओं के चुनाव कभी होंगे, प्रधान के चुनाव कभी होंगे, जिला प्रमुखों का चुनाव कभी होगा, एम. एल. ए. का चुनाव कभी होगा, एम.पी. का चुनाव कभी होगा। जैसे हिन्दुस्तान का खजाना इन चोरों को लूटने और बरबाद करने के लिए है। क्या हम ऐसा कानून नहीं बना सकते कि एक ही तारीख के दिन सरपंच का चुनाव होगा, एक ही तारीख के दिन नगरपालिका का चुनाव होगा, एक ही दिन एम. एल. ए. बनेगा, एक ही दिन एम. पी. बनेगा? अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो सारा का सारा भंग हो जाये और फिर से नये चुनाव किये जायें। कौन सी आफत पड़ जायेगी? लेकिन हमारा बेइमान मन बोलता है कि इसके सहारे वह जीतेगा उसके सहारे वह जीतेगा, इसके सहारे यह होगा। अगर वास्तव में, हम हिन्दुस्तान में यही तस्वीर लेकर के चल रहे हैं, आज आप विचार मत कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं लेकिन दस साल के बाद, पांच साल के बाद आपको इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम इन सारे बजटों के आधार पर, हमारे इन एप्रोप्रियेशन बिल के आधार पर हम इस राजस्थान को ले जाना कहां चाह रहे हैं? कहां ले जायेंगे हम? आखिर हमारे मन की इच्छा क्या है? आप ने कभी यह सोचा? हमने, कभी यह नहीं कहा कि आप टैक्स मत लगाइये। वास्तव में लोकतंत्रीय देश का तरीका तो यही होता है कि जो जितना बड़ा पूंजीपति और करोड़पति है उसके घर में से पैसा खींचा जाये और उस गरीब की झोंपड़ी तक उस पैसे को पहुंचाया जाये। क्या कभी आपने सोचा है कि इस तरह का हमने कभी किया? हमने आज दिन तक, मैं आज भी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में ऐसे कई लखपति और करोड़पति हैं जिनके अन्दर हमारे लगभग करोड़ों रुपये उनके पास टैक्स के बकाया हैं।

केवल मैंने एक उदयपुर जिले का मैंने आर० एस० ई० बी० को क्वेश्चन पूछा कि जिले का कितना पैसा बाकी है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि केवल अकेले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उदयपुर शहर में 1 करोड़ की बकाया है। अगर सारे राजस्थान का हिसाब लगाया जाये तो 48 करोड़ रुपया जैसा हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं। केवल आर० एस० ई० बी० का है। इसी तरह से आज टैक्स की जो स्थिति है, आप यह जरूर कहते हो कि टैक्स की चोरी निश्चित रूप से होगी क्योंकि वह जानता है सौ रुपये का सामान बेचेगा तो इस पर 4 परसेन्ट टैक्स है तो निश्चित रूप से 4 रुपये की इसमें कमाई होगी। 4 रुपये की बाजार में कम्पीटीशन करके उसकी कमाई नहीं करेगा वह टैक्स की चोरी कर रहा है। क्या आप इस टैक्स के बारे में हर आदमी यह नहीं कहता है कि हम बिक्री कर समाप्त करेंगे। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हम इस बिक्री कर को समाप्त नहीं कर सकते या बिक्री कर हमारा जितना आना चाहिए उतना भी नहीं आता है। आप और हम सब जानते हैं कि हर आदमी अपने सारे अकाउन्ट्स को बनाने के लिए दो हजार की तनख्वाह देकर एक मुनीम रखेगा, एक चार्टेड अकाउन्टेन्ट रखेगा। जो केवल इस प्रकार के अकाउन्ट्स को एडजस्ट करेगा कि वह टैक्स की चोरी मैक्सीमम कैसे कर सके। क्या यह सिस्टम आपसे छिपा हुआ है? उस पर भी हमारी यह मनः स्थिति क्यों नहीं बनती कि हमारा जहां माल बनेगा वहां उस पर उत्पादन शुल्क लगा देगें? चाहे वह माल महाराष्ट्र में बनेगा चाहे वह राजस्थान में बनेगा। लेकिन हमारे मन में कोई गुत्थी बंधी हुई है। यह हम नहीं चाहते कि किसी तरह से यह सारा काम हो।

आज दिन तक आपने यह नहीं सोचा कि हमारे कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आज राजस्थान खनिज की दृष्टि से जितना धनी है कभी इस बारे में विचार किया कि राजस्थान की इस खनिज सम्पदा का ज्यादा से ज्यादा कैसे दोहन करें कि जिसके कारण से हमारी आय के स्रोत बढ़े? क्या हमारे यहां आय के स्रोत इस खनिज के आधार पर नहीं बढ़ सकते हैं? हमारे यहां आय के स्रोत बढ़ाने के कई ऐसे आधार हैं लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करना चाहते क्योंकि हम किसी बड़े पूंजीपति को छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि वह हमको चुनाव में चन्दा देगा और उसी के पैसे की बदौलत हम लोग जीतकर आयेंगे और हम लोग यहां बड़ी हैकड़ी के साथ कहेंगे कि हम अपनी काबलियत पर जीतकर आये हैं। मुझे उस दिन प्रसन्नता बहुत होगी जिस दिन हिन्दुस्तान में आदमी अपनी काबलियत पर जीतकर आयेगा। दुर्भाग्य इस देश का 35 साल के बाद यह बना कि उसकी काबलियत तो एक कौने में रोती रहती है लेकिन आज इस राजनीति में चोर और बदमाश और उचक्के लोग हैं जो पैसे के बूते पर इन करोड़पति सेठों के आधार पर अपने चुनाव जीतकर आते हैं और हमारे यहां पर माननीय कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया। मैं यह चाहता हूं कि अगर आपने कुछ नहीं किया, हमने गलती की। आपके पास कानून है, आपके पास पुलिस है। क्या फिक्र है अगर दस लोगों को सजा मिलेगी और जेल में सड़कर मर जायेंगे तो कोई हिन्दुस्तान का दीवाला नहीं निकलेगा। कम से कम आगे आने वाली सन्तति तो यह सोचेगी कि हां सच्चाई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को सच कहा और झूठ को झूठ कहा। आज हम पिछले चार सालों से, पिछले 6 सालों से, मैं भी असेम्बली में हूं, हम प्रश्न पूछते हैं। हम एक बेइमानी को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे लोग मिल करके उसको ढ़क देते हैं उसको समाप्त कर देते हैं। अगर यही नीति रही और अगर इसी के आधार पर हम प्रयत्न करेंगे कि नहीं, हम राजस्थान के लोगों की गरीबी मिटायेंगे, राजस्थान के उन लोगों को हम किसी प्रकार की मदद देंगे. तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद यह हमारे मन को एक तरह से धोखा होगा हम कभी भी मन में यह विचार नहीं कर पाये; मुझे कई बार इस बात का बहुत अफसोस होता है कि क्या हमारी कोई गारन्टी है, एम.एल. ए. बनने की। अगर मान लो हम अच्छी नीति के चलने से अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो आसमान फटकर नहीं गिरेगा। धरती में नहीं धुसेंगे। भगवान ने दो हाथ दिये हैं, कम से कम कुछ करके रोटी तो खा सकेंगे। अगर एम.एल.ए. नहीं बनेंगे तो कौनसी आफत हो जायेगी?

लेकिन एम.एल.ए. बनने के चक्कर में हम कितने बेईमान और चोरों का साथ देकर उनको पालते हैं, आज आपको हमको पता नहीं है थाने बिकते हैं, आज तहसीलदार बिकता है, एस. डी. ओ. बिकता है, एक ट्रांसफर और एक डाक्टर का ट्रांसफर कराने के लिये चर्चायें होती हैं पैसा देकर ट्रांसफर हुआ है। यह बात हो सकती है कि व्यक्तिगत किसी पर लांछन नहीं है पर क्या इस बात को नकारा जा सकता है, क्या इस बात के लिये मना किया जा सकता है? यह बेइमानी नहीं है। अगर आप किसी आदमी से किसी को राज की नौकरी, एल.डी. सी. की नौकरी पर रखने के लिए कोई भी छोटे मोटे आदमी से लेकर अगर दो हजार रूपया दे देता है, जिस गरीब आदमी के पास दो पैसे भी नहीं हैं वह कहीं से कर्ज लेकर देगा। आप बी.एड. में एडमीशन लेने जाओ तो वहां पैसा देना पड़ता है। आज मेडिकल कालेज में एडमिशन के लिये लोगों से मिलकर अपने कागज ठीक कराने पड़ते हैं शिक्षा प्रणालियों में गलतियां होती हैं। अपने कागज के साथ कोई कभी एक ऐसा सिम्बल उसमें लिख देते हैं जिसके आधार पर हम एक-एक कदम आगे बढ़ते हैं, बेईमानी को रोकने के लिए। लेकिन बेईमान उसी के रास्ते से नये रास्ते ढूंढकर निकाल लेता है। क्या यह सारी स्थिति हम से छुपी हुई है। क्या हम यह माना सकते हैं, मेरी ऐसी मान्यता है कि यह बात हो सकती है कि हम इसलिए खुश हैं कि हम 35 साल से एम.एल. ए. बन गये हम इसलिए खुश हैं कि हम दो बार चुनकर आये, लेकिन अन्दर से हमारा मन इस बात के लिए कचोड़ता होगा कि हम राजस्थान के इस गरीब मुल्क को किस बेरहमी से लूट रहे हैं किस बेरहमी से इसको विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हो सकता है कि हम दस साल, बीस साल और जीयेंगे लेकिन कम से कम इस बात पर रहम करो। इस बात पर कभी विचार करो कि आखिर 35 वर्जट के बाद भी उस गरीब के घर में रोशनी क्यों नहीं आई, आखिर उस गरीब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ सका, कभी इस बारे में हमने विचार किया है क्या ? क्या हम उसके लिये छूट नहीं दे सकते और यह जितने भी बड़े करोड़पति सेठ हैं, अगर इनकी सम्पति को सीमा बांध करके आज अगर आप सीलिंग की सीमा बांध करके अधिक जमीन वाले से जमीन ले ली, तो मैं चाहूंगा अगर हिन्दुस्तान से गरीबी को मिटाना है, तो इन लोगों की धन दौलत सीमा से अधिक है उनके पास से किसी भी तरह से लेकर के आप उस गरीब की झोंपड़ी में किसी प्रकार से पहुंचाइये तब तो हम मानेंगे लोकतंत्र है, अन्यथा यह लगेगा कि एक दिन आपको वोट देने के लिये आप उसकी गरीबी का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। केवल आप उसकी मजबूरियों का लाभ उठा करके अपनी राजनैतिक रोटियों को आप सेंकते रहना। दस बीस बरस और सेंक लेना कोई चिन्ता की बात नहीं, लेकिन जिस गरीब के मन में यह आयेगा कि मेरा देश तो लुट गया है, मेरा देश तो चोर बदमाश लुच्चे लफंगों का देश बनकर खड़ा हो गया है। भ्रष्टाचार और बेइमानी की फौज बनकर इस देश में खड़ी हो गई है। उस समय विद्रोह करेगा, उस समय उसके मन में विद्रोह आयेगा कि अब इस तरह से काबू नहीं पाया जायेगा। आखिर हमने अंग्रेजों के खिलाफ 200 साल के बाद विद्रोह क्यों किया जब उसके आतताई जुल्म बढ़ते गये। अंग्रेज रेल लाया था, हमने तो रेल नहीं बनाई कोई यह कहें कि हमने रेल बनाई इस कारण से राज करेंगे, कोई यह कहे कि हमने हैण्ड पम्प लगाये, इसलिये राज करेंगे हमको वोट मिलेगा, मैं ऐसा मानूंगा, इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यह तो हर राज को करना है, उसका काम क्या है। उसको जनता ने चुना किसलिये हैं। क्या हक मारने के लिये तो नहीं चुना है। वह तो चुना इसलिये है कि वह अच्छे से अच्छा काम करे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा खजाना भरकर रखा जाता है उस अन्तिम दिन की इन्तजारी के लिये जिस दिन वोट पड़ेगा। उस दिन वह हैण्ड पम्प की मशीन जायेगी कि यह कितना मानस हमारा कमजोर हो गया ? हो सकता है आपको अच्छा लगता होगा, आप उसको लगाइये दो चार पांच साल और लेकिन एक न एक दिन आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर यह सारे बजट और सब कुछ पेश करने के बाद भी गरीब की स्थिति को हम क्यों नहीं सुधार पाये। आखिर हम इस तरह इन पूंजीपतियों को क्यों नहीं झकझोर पाये। मैं आज भी कहता हूं कि अगर आप अपना एकाउंट उठाकर देखेंगे तो इन पूंजीपतियों के पास दो सौ करोड़ रुपया लगभग राजस्थान का आज भी टैक्स का बाकी है आप वसूल करो, अगर दस रुपया, 50 रुपया एक आदिवासी पर बकाया होता है उसके माथे पर तो दो मन का पत्थर रखकर के उसको घोड़ी बना सकते हैं, यह जनतंत्र वाला देश है, और उस करोड़पति का जिस पर हमारा एक-एक दो-दो करोड़ रुपया बाकी है हम उसको घोड़ी नहीं बना सकते क्योंकि वह हमको दान दक्षिणा देता है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बारे में जरूर विचार करें अपने इन बजटों को रखने के लिये, यह तो रूटिन के बजट हैं जो 35 वरस से रखते चले आये हैं। आप इसमें कोई ऐसा आमूल-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चूल परिवर्तन करिये, जिससे उस गरीब को लगे वह बजट वास्तव में मेरा है, यह खजाना वास्तव में मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। उसके अन्दर आस्था पैदा करिये स्वाभिमान उसमें पैदा करिये, यह सबसिडी की जो खैरात बांटते हैं, इस सबसिडी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और बेइमान की गई है, क्या आप और मैं नहीं जानते ? आप और मैं दोनों ही जानते हैं। लेकिन चूंकि सबूत नहीं होने के कारण से बेइमान बचकर निकल जाता है। इस सबसिडी से आप आदमी को उसके पैरों पर खड़े करने की कोशिश करो, उसके आप बैसाखी की तरह पैर से थुम्बा मत बांधो, उसको खड़ा करने की कोशिश करो। हमारी नीति यह हो गई है कि केवल उसके पांव के थुम्बा बांध करो खड़ा करो उसको स्वाभिमान के साथ खड़ा होने दो, उन को दान दक्षिणा देकर उसके मानस को कमजोर मत करो, उसको निकम्मा और भिखमंगा मत बनाओ, उसके मन को इस बात की करो, मैं कई बार सोचता हूं कि आखिर हमारा मंत्री जाता है, यह कौन सी परिपाटी है इस लोकतंत्र में कि हमारा स्कूल का मासूम बच्चा जो पहली और दूसरी में पढ़ता है वह 12 बजे चिलमिलाती धूप में नेताजी को एक माला पहनाने के लिये भिखारी की तरह से एक हीन भावना लेकर खड़ा रहेगा। मैं चाहूंगा हिन्दुस्तान के बालक को स्वाभिमानी बालक होने दीजिये। अगर आप में गुण होगा तो आपके चरण चूम लेगा लेकिन आप कम से कम यह आदेश तो प्रसारित करो कि मासूम बच्चे अगर उनके स्कूल में कार्यक्रम होगा तब तो वह जरूर स्वागत के लिये दो मिनट खड़े रहेंगे लेकिन वे सड़क से गुजर रहे हैं इस कारण राजस्थान का वह मासूम बच्चा केवल नेता जी यहां आ रहे हैं, यह कौन से बड़े आसमान से टपक कर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है लेकिन वह मानसिक गुलामी उन राजा महाराजाओं के राज में पले होने के कारण हमारी वैसी की वैसी वृत्ति बन गई है। हमने कभी इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की, कभी भी यह नहीं सोचा कि इसको तोड़ा जा सकता है। कौनसी बड़ी बात हो जायेगी अगर चार मालायें कम पहिने तो। क्या हम छोटे हो जायेंगे, हमारा कोई एक फिट शरीर घट जायेगा लेकिन मुझे लगता है कि हम आखिर किन संस्कारों में पले हैं हम केवल उन गरीबों के नाम के आधार पर अपनी रोटी को सेंकना चाहते हैं। मन में उन गरीबों के लिये तड़पन नहीं है। अगर मन में तड़पन होती तो निश्चित रूप से हमारे क्रिया कलापों को बदलते। मैं चाहूंगा कि आने वाले बजट में हम से कोई भी व्यक्ति जो इस लोकतंत्र में जीत कर आता है वह अपने बजट को रखे। इस बात को सोचकर विचार करके रखे कि यह बजट केवल ऐसा नहीं हो कि उस साल दो करोड़ एक हजार दिया और इस साल दो करोड़ तीन हजार कर दो, इस साल इतना नहीं तो पांच छः करोड़ बढ़ा ही दो, यह कोई बजट होता है। अगर आन्ध्र प्रदेश के अन्दर अगर वहां के गरीब लोगों को गेहूं या चावल की सबसिडी देकर उनको दो रुपये किलो का चावल उपलब्ध कराया जा सकता है तो क्या राजस्थान के उस गरीब आदमी को जिसको खाने के लिये रोटी नहीं है क्या हम उसको सबसिडी देकर राजस्थान सरकार के खजाने से उसके बच्चों को पालने के लिये रोटी नहीं दे सकते ? ऐसी कौनसी बड़ी राशि दस करोड़ खर्च हो जायेंगे। एक बांध नहीं बनेगा

(174)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई चिन्ता की बात नहीं, एक हमारी सड़क नहीं बनेगी, लेकिन अगर उस गरीब के बच्चे को हमने सहारा दिया तो वह वह निश्चित रूप से इस देश में परिवर्तन लायेगा। मैं आपके माध्यम से फिर वित्तमंत्री जी को कहता हूं कि केवल चुनावी भुलावे कर के लोगों के मन को ठगने के लिये, गरीबी का नाजायज फायदा उठाने के लिये इस देश की राजनीति को लोकतंत्र की राजनीति कहकर मत चलाइये। कम से कम कृपा करके अपने इन सारे रवैयों को बदलिए और इसके आधार पर आप जब कभी भी इस बारे में विचार करें तो निश्चित इस बारे में विचार रखेंगे। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है इसके जरिये से वित्त मंत्री महोदय करीब 2500 करोड़ रुपया व्यय करने का अधिकार चाहते हैं। यह अधिकार चाहने से पहले वित्त मंत्री जी को यह सोचना चाहिये था कि पिछले साल जो हमने व्यय किया है उसमें कहां तक कितनी उपलब्धि की। सभापति महोदय, पिछले साल जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किये वह लक्ष्यों की पूर्ति हुई नहीं। इस आय-व्ययक जिसको हम देखते हैं तो इसमें जो लक्ष्य रखे हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति की बजाय घटोतरी सी हुई है। तो सभापति महोदय, यह घटोतरी क्यों हुई और यह घटोतरी हम यों देखते हैं कि जो बजट पेश करने की परम्परा अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है। उस समय अंग्रेजों के राज के समय जो प्रशासक थे उन्होंने यह बजट पेश करने का अप्रैल का महीना रखा था यह उन्होंने अपनी सुविधा से रखा होगा लेकिन अपने देश के अन्दर, हमारे यहां की जो भौगोलिक स्थिति है यहां की जो अपने विकास करने की किसानों की आर्थिक नीति है वह कृषि पर आधारित है। अगर कृषि पर आधारित हमारी आर्थिक नीति है तो उसको अगर हम मद्देनजर रखते तो परम्परा से दीपावली पर बजट पेश किया जाता या और सुविधाजनक समय सोचकर बजट पेश करने का कोई समय निश्चित करते जिससे हमारी आर्थिक नीति का कोई सुचारू रूप से संचालन होता। इसीलिये हमारा यह जो समय है अप्रैल का महीना एक ऐसा मास है जिस मास के अन्दर किसानों की पैदावार या तो कहीं कट रही है या कहीं पर कटकर खले के अन्दर आई है या कोई निकाल रहे हैं यानि इस समय किसान इस तरह से घिरा हुआ रहता है कि वह अपने यहां किसी तरह की सुचारू रूप से कोई राय प्रस्तुत नहीं कर सकता। सभापति महोदय, मैं इसी लिये यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे लक्ष्य, हमारी योजनायें, हमारी परियोजनायें, यह सब का आकंड़ा या संतुलन हम इस तरह पेश नहीं कर सकते और हम अन्दाजा भी सही नहीं लगा सकते। जिस काम को करना चाहते हैं, जिसकी भूमिका बान्धना चाहते हैं, उसका अगला कोई लक्ष्य नहीं दीखता और महसूस भी नहीं होता है कि हमारे पास में क्या चीज आने वाली है और उसका किस तरह से व्यय करेंगे। इसीलिये

(श्री महाराम चौधरी)

हमारे जो लक्ष्य हैं, योजनायें हैं, परियोजनायें हैं, उनमें अकसर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है और अब तक की योजनाओं से जिनको फायदा मिलना चाहिए था जिनको लक्ष्य की उपलब्धि मिलनी चाहिये वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं है। सभापति महोदय, जो यह बजट और योजनायें और परियोजनायें हैं, इसका असली लाभ है वह आज तक हमें प्रत्यक्ष रूप से जो देखने को मिलता है या तो नौकरशाही इसका फायदा उठाते हैं या जो नौकरशाही के पास मण्डराते रहते हैं या राजनैतिक लोगों के पास जो मंडराते रहते हैं उन्हीं को मिलता है। उनकी तरफ से जो जानकारी होती है कि किव शिकार हाथ में आये और नई योजना में जानकारी होती है तो उनके प्रपोजल बना कर फायदा उठाने की योजना बनाते हैं।

सभापति महोदय, जो हमारी योजनायें और उन योजनाओं के अन्दर योजना की जो असली लाभ यानि योजना बनाने से जो उत्पादन होना चाहिये वह उत्पादन तो नहीं हो रहा है और उत्पादन के बजाय इस तरह की जो योजना बन रही है उससे एक तरह से नुकसान हो रहा है। आजकल कृषि पर हमारी कोई योजना है, कृषि पर उपयोगी औजार उर्वरक इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ तकनीकी जितने साधन हैं, उर्वरक हैं, उसका इस्तेमाल का पहले नम्बर ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों को है. इसमें उनको वेलेन्स खुराक किस तरह से देनी चाहिये। यह चीज पूरी तरह से समझा नहीं सकने से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। सभापति महोदय, अगर उर्वरक की जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति का ह्रास होता है तो उसकी पूर्ति करने के लिये हम लोगों को जो हमारे जो पैतृक संसाधन हैं जैसे खाद है, मूत्र है, या मींगनियों की खाद है या कचरा है इसको यदि हम सही रूप से उपयोग करने की तरफ ज्यादा ध्यान दें और तकनीकी ज्ञान के साथ में मिलाकर योजना बनाई जाय तो किसानों को और ज्यादा फायदा हो सकता है लेकिन यह तो किया नहीं जाता है और इसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। थोड़ा बहुत जो कभी जो ध्यान दिया जाता है तो ध्यान का मिसयूज होता है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, कृषि अनुसन्धान जिस पर कृषि खाद वगैरा चीज आती हैं इन पर इस साल का लक्ष्य एक करोड़ सत्तावन लाख और सैंतालीस हजार व्यय करना है। इतने बड़े व्यय का वास्तव में किसको फायदा मिल रहा है और इसकी उपयोगिता कहां हो रही है और उपयोगिता हो रही है तो प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यह खर्चा खामख्वाह में काश्तकारों के नाम पर बेफिजूली में हो रहा है। सभापति महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आर्थिक विकास के नये आयाम में सन् 1984 में नये आयाम निकाले गये। पिछले जो आयाम आपने शुरू किये थे, उसमें कितनी राहत मिली और कितना फायदा उठाया इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जिसके जैसे जंचा वैसे कर लिया और उसका उसी प्रकार अर्थ निकाल लिया। ऊपर हैडिंग लगा दिया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के विकास के लिए और उसमें अपने नाम से योजना जोड़ दी। उस समय में योजना चालू हुई और इसका फायदा मिला या नहीं मिला इसकी तरफ आज तक किसी

(श्री महाराम चौधरी)

ने कोई ध्यान नहीं दिया है और फायदा मिल रहा है तो किसको मिल रहा है सभापति महोदय, फायदा उठाने वाले वे ही आदमी हैं जिन्होंने किसी तरह एक तरफ थोड़ा बहुत रास्ता देख लिया है और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स जो सर्विस में आ गए हैं या एम. ए. वगैरह हो गये हैं या एम. पी. वगैरह हो गये हैं तो इनके चारों तरफ मंडराने वाले लोग हैं वे फायदा उठा लेंगे। जिनको जानकारी नहीं है और मालूम नहीं है, मालूम के साथ में आजकल ऐसी प्रवृति बन गई है जैसे मेरा लड़का आर. ए. एस. या आई. ए. एस. हो गया है या दूसरे का लड़का आर. ए.एस, आई. ए. एस. हो गया है, वह मेरे से दूर जाने लग जायगा। उनको एक तरह की न्याय और समाज ही एक तरह का अलग बनने लग गया है। वह अपने पैतृक गांव को दिनोंदिन भूल रहा है। इसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जो यह सर्विस क्लास तैयार हो रही है या समृद्धवान जो हो रहे हैं वे भी अब उन लोगों के साथ उठते, बैठते, खाते पीते शर्माते हैं। उन्होंने अपने पास की अलग जात बनानी शुरू कर दी है। सभापति महोदय, इस तरह के जो कार्यक्रम चलाए जाएँ इन कार्यक्रमों को चलाने से पूर्व हमने पिछले साल और पिछले सालों के अन्दर 10–15 सालों से जो योजनायें चल रही हैं जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों से, उनको कितना प्रतिशत फायदा मिला इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान देने के लिये या उसकी जांच करने के लिये आगर हम किसी को लगायेंगे तो अफसर अफसर की बात ही कहेगा और उसको छिपाने का प्रयत्न करेगा।

सभापति महोदय, सन् 1959 में पंचायत राज संस्थानों के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने के लिए हमने पंचायत समितियां और जिला परिषद बनायीं और उससे गांव वालों में ऐसी भावना फैली कि और ऐसा अहसास हुआ कि हमारे यहां का प्रशासन हम चलायेंगे और हम हमारी उन्नति करेंगे लेकिन यह चीज जब सरकारी अफसरों ने देखी तो उनको जंचा कि ग्रामीण क्षेत्र वाले हमारे पर हावी होना चाहते हैं तो उन्होंने उस काम का मटियामेट कर दिया और जितने दोष थे या अवगुण थे उन गांव वालों पर छोड़ दिये। गांव वाले अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिये उन्होंने इन विकास के कार्यक्रमों को अपने गले उतारा नहीं और वास्तव में देखा जाय तो गांव वाले पढ़े लिखे तो नहीं हैं लेकिन गांव वाले अपना काम करने के लिए गुणे हुए हैं और उनमें सब तरह के गुण हैं। अपने काम को सुचारु रूप से करने के लिये उनको पैतृक ज्ञान हासिल है। अगर उनको स्वतन्त्र रूप से थोड़ी सी गाइडेन्स देकर नई चीजें सिखाते तो ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते थे। सभापति महोदय, लेकिन हो क्या रहा है, कृषि पर हमारा जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है वह बढ़ रहा है और किसानों के द्वारा जो धान पैदा किया जाता है उसका भाव दिनों दिन एक तरह से घट रहा है। वह एक तरह से घट रहा है और आने वाला टाइम ऐसा आ जायगा जिस दिन किसान का खेती की तरफ से उसका सारा अट्रेक्शन गिर जायगा क्योंकि जो पैदा करता है, उसका कुछ

(श्री महाराम चौधरी)

मिलता नहीं है और उसका फायदा दूसरे ही लोग उठा रहे हैं। सभापति महोदय, आज हालात क्या हैं किसान जब अपना धान तैयार करके बाजार में बेचने के लिये जाता है तो उसको मिलता क्या है ? आज खेती पर कीमत क्या लगती है ? मैं बाजरी का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस साल पूरे साल के अन्दर बाजरी 124–125 से लेगाकर काश्तकार की 100 रुपये तक बिक्री है। 4–5 साल से अबके बाजरी की पैदावार हुई है और बाजरी का 100 से लगाकर 124–125 तक का पैसा किसान को मिला है। परन्तु कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लगायें तो बाजरी का एक बीघा पर 50–60 रुपया उस पर खर्च हुआ है होटल व्यय। अब जो दूसरी मेहनत है उसको अगर जोड़ें तो वह नुकसान में ही रहेगा। यह तो अच्छी किस्म थी कि इस साल बाजारी की जमीन अंशूनी थी यानि 4–5 साल में खेती नहीं हो रही थी इसलिए उसमें उत्पादन शक्ति बढ़ी हुई थी इसलिये थोड़ा सा एवरेज अच्छा आया। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी योजना जो है वह नौकरशाही के द्वारा उसका प्रारूप बनाया जाता है। नौकरशाही यथार्थ रूप से जिस क्षेत्र का बिकास करना चाहती है उसका उनको ज्ञान नहीं होता है। सिर्फ बगलों में बैठे-बैठे या आफिस में चारों तरफ से सजाया-हुआ कमरा होता है उसमें बैठकर योजना बनाते हैं। आखिर जहां गांव में लू लग रही है और लोग बिखरे हुए रहते हैं उनको इसका ज्ञान नहीं होता है। उनका विकास यदि हम कमरे में बैठकर करना चाहते हैं तो यह बात स्वाभाविक नहीं है। इस तरह से योजनायें बनाते गये और बजट का जो पैसा है जनता की गाढ़ी कमाई का जिसकी उपयोगिता जनता को मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती है।

और वास्तव में यह पैसा ज्यादातर खर्च किसमें होता है ? या तो नौकरशाही की तनख्वाह के अन्दर या फर्नीचर फिक्सचर या आफिसेज, उनके क्लब वगैरह, ऐसे कामों में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है यानि जो आपकी वास्तविक योजना है उस योजना का तो काम बाद में शुरू करते हैं। सबसे पहले जाकर चाहे बिजली की योजना ले ली जाय, चाहे ईरिगेशन की योजना ले ली जाय, इन सभी योजनाओं के लिए सबसे पहले जाकर वह अपने क्वार्टर बनायेंगे, क्वार्टर बनाने के बाद अपने क्लब बनायेंगे, उसके बाद बच्चों के लिए बगीचे बनायेंगे यानि जो योजना का पैसा है उसका 50 पर्सेन्ट तो ऐसा खर्च हो जाता है जिससे कोई उत्पादन नहीं होता है। इसलिए, सभापति महोदय, अगर इस तरह के छोटे बांध या बड़े बांध, जिस तरह की योजनाएं क्रियान्वित करनी हैं, तो इन योजनाओं को पहले आप जंगल में रहकर सक्सेसफुल बनाकर उसके बाद अपनी छाती पर हाथ लगाकर अपने लिए यदि वो बना लें सुख से रहने के लिए क्वार्टर, यह बंगले बनायें तो वहां रहने वाले भी जिनको योजना उपयोग में लेनी है तो हम समझें कि वास्तव में इसका उपयोग होगा और फल मिलेगा। लेकिन यह तो नहीं करते और सबसे पहले अपनी सुविधाओं की बात करते हैं और, सभापति महोदय, जो काम 10 आदमियों से हो सकता है उस काम को

(178)

(श्री महाराम चौधरी)

करने के लिए एक आफिस सुपरिन्टेंडेन्ट वह देखता है कि 5 क्लर्कों की जगह बढ़ा दें, 5 क्लर्कों की जगह बढ़ा देंगे तो एक बाबू को और यू. डी. सी. बनने का मौका मिलेगा, एक आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बनने का मौका मिलेगा। इसी तरह से आफिसरों में होड़ लगी हुई है कि जितना आफिस का काम है वह कागजों में बढ़ायेंगे तो उतने ही ज्यादा आफिसर्स एन्गेज ज्यादा हो जाएंगे और हमको प्रमोशन का ज्यादा मौका मिल जायेगा। यानि चारों तरफ से नौकरशाही किसी तरह से किसी का पक्ष नहीं लगने देती है जहां जिधर जाओ, जिस तरफ जाओ, उस तरफ से ही देखने को मिलता है कि खाने की बात करती है। भ्रष्टाचार तो इस तरह से फैला हुआ है या यूं समझें कि अंग-अंग और नाल-नाल के अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। अगर हम इस भ्रष्टाचार को चाहते हैं कि कोई छोटा मोटा इन्जेक्शन लगा दें या छोटा मोटा कोई आपरेशन कर दें तो इससे भ्रष्टाचार मिटने की बहुत ही कम गुंजाइश है, इसका तो न अब कोई आपरेशन से काम चलेगा न इन्जेक्शन से काम चलेगा। अब इसका तो पोस्टमार्टम ...

श्री जयदेव प्रसाद इंदौरिया : मेजर आपरेशन करना पड़ेगा।

श्री महाराम चौधरी : मेजर आपरेशन से नहीं इसका तो कोई पोस्टमार्टम करें तभी जाकर काम चलेगा। सभापति महोदय, मैं इन योजनाओं के मामले में तो आपको निवेदन कर ही चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा बीच में कृषि के मामले में एक बात भूल गया कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारा जो तकनीकी ज्ञान है, उस तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ अगर हम हमारे जो स्थानीय गोबर है, मेंगनी हैं या जो स्थानीय खड्डी है, जिप्सम है, इन चीजों का उपयोग करना हम भूल गये हैं। क्योंकि हम यथार्थ की तरफ तो नहीं जा रहे हैं और अव्यवहारिकता की तरफ जा रहे हैं और हमारे तकनीशियन भी बाहर की चीज की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि दूसरे देश वालों ने क्या चीज नयी निकाली है उस चीज को तो वे अपनाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन ऐसी चीजें जो अपने यहां की भौगोलिक स्थिति में कामयाब नहीं होती हैं वह हमारे किसी काम की नहीं हैं, उनको अगर यथार्थ के रूप में कृषि विभाग में जो काम करने वाले तकनीशियन हैं उनको जो हमारे पूर्वज, बड़ेरे जो चीज काम में लेते आये हैं उनको भी अगर टैस्ट करके इस्तेमाल करें तो शायद हमारे उन उर्वरकों से ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि गाय का मूत है, गाय का मूत्र है, शुद्ध भाषा में बोलूं शायद मूत से न समझें तो इस गाय के मूत्र को फसल की बुआई के समय गेहूं और चने के अन्दर सुबह के टाइम में गाय के मूत्र को इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद में चने या गेहूं के अन्दर हम उसको मिला देते हैं और उसमें मिलाकर फिर छाया में 5–10 घण्टे रख देते हैं फिर उसको

(श्री महाराम चौधरी)

सेवण के अन्दर या कृषि के अन्दर बोयें तो उसके अन्दर एक तो उदाई नहीं लगेगी, दूसरे जितने एग्रोसेम जितना काम करते हैं या कल्चर जो उत्पादन जल्दी होने से और जर्मिनेशन में 100 पर्सेन्ट जर्मिनेशन होने के लिए जो कल्चर काम में लिया जाता है ये गाय का मूत्र एग्रोसेम और कल्चर इन दोनों के लिए काम आयेगा यानि सीड ट्रीटमेन्ट का हमारा काम करता है। यह सीड ट्रीटमेन्ट का भी काम करेगा और इसके साथ-साथ में सोयल ट्रीटमेन्ट का भी काम करेगा। इसको उन्होंने आज तक भी हमारा जो दुर्गापुरा फार्म है या और जहां लैबोरेट्री है उसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार का यदि पैसा लगे न टका लगे और उसके अन्दर टैस्ट करके पता लगा दें तो उसमें कोई पानी डालकर या कुछ उसमें और चीज डालकर उसको और उपयोगी बनाने पर और ज्यादा ध्यान दिया जाय तो और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आपकी जानकारी में जो ज्वार, बाजरी, मूंग, मोठ, तिल हैं उनको अगर घुनने से बचाने के लिए या कीड़ा लगने से बचाने के लिए यदि राख छानकर इस्तेमाल करें तो उससे 10-10 साल तक ग्वार, मूंग, मोठ बाजरी ये कतई नहीं सड़ेगी और उसके खाने से शरीर के अन्दर भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन आजकल वे विदेशी दवाइयां ला लाकर प्रदूषण बढ़ा रहे हैं यानि प्रदूषण खाने की चीज में बढ़ा रहे हैं। पानी में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। सभापति महोदय, बुद्धि का भी प्रदूषण बढ़ रहा है। चारों तरफ बुद्धि भी इस तरह की हो रही है जिससे मानसिक अस्थिरता का रहना और उसमें कई तरह के दिमाग के अन्दर चक्कर आना, यह बुद्धि प्रदूषण है। इस प्रदूषण से भी कई तरह की यह सब चीजें प्रदूषण बढ़ाने की चीज को प्रोत्साहन मिल रहा है इसी तरह कृषि मन्त्री महोदय सुन रहे हैं हमारा यहां बेकलू रेत है····

श्री सभापति : आपका ईंधन तो कम होता जा रहा है ईंधन का क्या करोगे ?

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, ईंधन जो हमारा कम हो रहा है उसकी आपने ठीक याद दिलायी। ईंधन के लिए मरुस्थल में वन विकास का····

श्री सभापति : कम्पोस्ट खाद गाय और भैंस के गोबर से बन नहीं सकती।

श्री महाराम चौधरी : नहीं, सभापति महोदय, ऐसा है कि इसकी तरफ आजकल लोगों का ध्यान ही मिट गया है और वास्तव में जो गांव वाले हैं····

श्री सभापति : विचार तो आपके बड़े मौलिक हैं और इनमें दम भी बातों में है लेकिन आज के युग में कहां व्यावहारिक बैठते हैं।

श्री महाराम चौधरी : इसलिए मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हम आसमान की तरफ ही उड़ रहे हैं अपनी जमीन पर क्या है। हमारे चारों तरफ क्या चीजें हैं उसकी तरफ भी हमको

(श्री महाराम चौधरी)

ध्यान देना चाहिए और उस ध्यान से मनन करके उसको हमको उपयोग में लेना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी भौगोलिक स्थिति के अन्दर उपलब्ध होती है उनका हमें उपयोग लेना चाहिए और जो खर्चीली भी बहुत कम है और प्रदूषण भी नहीं बढ़ायेगी। अब मरुस्थल में वन विकास की जो योजनाएं बना रहे हैं और इसमें कोई 5–7 तरह की योजनाओं का उन्होंने यहां पर इस तरह से जिक्र किया है, इसमें मरुस्थल में तो केवल वन विकास करना है तो आप पानी उपलब्ध करा दो, बाकी चीज काश्तकार अपने आप ही कर लेगा और काश्तकार ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देता आया है, जैसे खेजड़ी है, सभापति महोदय, खेजड़ी इतनी उपयोगी है जैसे आम के दरख्त पर आप 500 रुपये खर्च कर देते हैं और उसे 500 रुपये की जगह 400 रुपये रिटर्न नहीं मिल सकता है लेकिन यह खेजड़ी ऐसा दरख्त है जिस दरख्त को हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो तुलसी के रूप में मानते हैं यानि उसका सब तरह से उपयोग करते हैं और एक बड़ी खेजड़ी में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके आम के वृक्ष से वह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब उसका उपभोग शुरू से ही सुन लीजिए। अगर खेजड़ी के छोडे को घिसकर उबले हुए तेल के अन्दर मिलाकर किसी पुराने फोड़े फुन्सी पर लगा दें तो फोड़ा फुन्सी मिट जाता है और छोडा और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उस छोडे को बलीते में बालकर काम में ले लेते हैं तो, माननीय सभापति महोदय, उसकी लूंग को काम में ले लेते है, लूंग जलाने के बाद जो लकड़ी होती उसको ईंधन के काम में ले लेंगे और उस ईंधन से जलाई हुई····

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री जयदेव प्रसाद इंदौरिया : शास्त्रों में खेजड़ी को समी वृक्ष कहते हैं।

श्री महाराम चौधरी : तो, सभापति महोदय, जो इस तरह की खेजड़ी की लकड़ी से पकाया हुआ खाना बाजरी का सोगरा, खाटा कड्ढी यानि दूध और दूध पर जो मलाई आती है, सभापति महोदय, उसके स्वाद का तो कोई पार ही नहीं है और आजकल कोई गैस की तरफ चले जा रहे हैं, कोई स्टोव की तरफ चले जा रहे हैं कोई स्टोव फटता है, फटते ही कोई आदमी बस्ट होता है तो यह बराबर प्रकृति की ओर से हम देख रहे हैं आसमान की तरफ और····

श्री सभापति : आपके घर भी इण्डेन गैस पर ही खाना बनता होगा ?

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, वह देखा देखी तो करना ही पड़ता है। मैंने तो मांगी लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मेरे यहां अभी भी आज भी गैस नहीं है, वह गैस अपने बच्चे ले गये वह अपने काम में ले रहे हैं। मैं उसका उपयोग नहीं करता हूँ लेकिन वे उसका नहीं करते हैं स्टोव का कर रहे हैं। सभापति महोदय, यानि मेरे कहने का

(श्री महाराम चौधरी)

मतलब है कि इस खेजड़ी की लकड़ी से, पकाया हुआ खाना और दूध के अन्दर ऐसा बढ़िया स्वाद होता है और इसका ऐसा स्वादिष्ट होता है। और सभापति महोदय, परसराम मदेरणा साहब खीचड़ा भी खाते हैं इनको ये मालूम है कि स्टोव पर या गैस पर बनाया हुआ जो खीचड़ा है उसके स्वाद के अन्दर और बहुत से खाते हैं हम भी खाते हैं उसके स्वाद के अन्दर और आपके इस गांव में खेजडी के छोडे से पकायी हुई खीचड़ी के अन्दर रात दिन का फर्क होता है। उसमें सब तरह का विशेषण इस्तेमाल होगा। सभापति महोदय, मैं····

श्री सभापति : एक रोज बुलाइये सब माननीय सदस्यों को।

श्री महाराम चौधरी : आप हुक्म दें और सब माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं। आपको मैं आमंत्रित नहीं करूंगा, आपको स्वयं इसका अनुभव भी है। मैं माननीय सदस्यों को और सब कभी मेरे गांव आयें, खीर वास्ते में सबको आमंत्रित करता हूं और····

श्री सभापति : तो आपके प्रस्ताव की तरफ आकर्षित होंगे सब।

श्री महाराम चौधरी : मैं खीर छोटे भगोने में नहीं बनाऊंगा फिर वह खीर बनाऊंगा कड़ाही के अन्दर और फिर उसके अन्दर गावा घी, असली घी, आजकल जो आपकी डेयरी वाले केवल जो मिश्रण करके बेच, बांट रहे हैं, उस बांटे से भी एक तरह से समझिए कि वह भी प्रदूषण हो रहा है। कोई गाय या भैंस को प्रकृति से जो घास, चारा वगैरह मिलता है उसके दूध और घी का जो स्वाद है वह एक अलग ही तरह का है। सभापति महोदय, अब मैंने देखा, शायद घंटी दी नहीं है, बजायी नहीं है····

श्री सभापति : मैंने बजायी है।

श्री महाराम चौधरी : इसलिये मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने को अब, अपन ऊंचे जा रहे हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं, चले गये, और आसमान में जाते-जाते अपने को पीछे देख करके और अपनी जो प्रकृति की चीजें हैं उसको भी ध्यान में रख करके और उपयोग में लेना चाहिये। आने वाला जमाना ऐसा है, उस जमाने के अन्दर डीजल के भाव बढ़ रहे है पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और हमारे ऊंट छकड़ों को, बैल छकड़ों को उनको भूलते जा रहे हैं। आप यदि सही रूप देकर एक कुएं से पानी निकालने के लिये बिजली को जितना इस्तेमाल करते हैं उसकी कुल बिजली, जो गहरा कुआ है उसके लिये कह रहा हूं, जहां पानी की सतह ऊंची है उसके लिये नहीं कह रहा हूं उसमें साइकल्स खर्च होता होगा लेकिन धीरे-धीरे इसकी कीमतें घट रही हैं और हमारे बैल, ऊंट कमजोर होते जाते हैं। अगर इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो आनेवाले टाइम के अन्दर हमको डीजल और घासलेट मिलना बन्द हो जायेगा और आखिर हमको आकर वही बैल, छकड़े, ऊंट वगैरह उनकी तैयारी करनी पड़ जायेगी। जब उस वक्त के अन्दर हम उनको भूल जायेंगे, एक तरह से भूल जायेंगे और

(श्री महाराम चौधरी)

फिर किसी की निशानी नहीं मिलेगी। किसी को ये समझ में आयेगा कि खेड़ा, क्या होगा फिर भटकते फिरेंगे। अतः प्रकृति की तरफ और अपने यथार्थ की तरफ और जो ग्रामीण क्षेत्र की शुरू की ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उनको भी हम तैयार रखें और उनका भी उपयोग हम भूलें नहीं। हमारी शिक्षा है इसकी तरफ भी ध्यान दें, इसकी तरफ वे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हो क्या रहा है जो जितने भी ग्रामीण से सम्बंधित चाहे विभाग देख लीजिये, चाहे योजनाएँ देख लीजिये उन सबकी योजनाएँ यों ही हो रही हैं। सब का ध्यान लगा हुआ है अच्छे विभागों की तरफ। ये आबकारी विभाग, सैल्स टैक्स विभाग इस विभागों के अन्दर हमको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। कृषि के हैं, सहकारिता के हैं, मंत्रीजी बनाये गये, वे भी इग्नोर्ड मंत्री हैं, किसी को कृषि दे दिया, किसी को सहकारिता दे दिया जिसका उससे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसलिये ये इग्नोर्ड विभाग हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : राजस्थान में कृषि की ठेकेदारी आपके पास है क्या ?

श्री महाराम चौधरी : मैं तो आपको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाने का प्रयत्न करता हूं और ठेकेदारी तो ये किसी की है, क्या नहीं है थोड़ी बहुत शायद आपके पास भी होगी। मुंह से कुछ और निकल जायगा, आपकी तो ठेकेदारी है, समस्त आपका है और समस्त आपके लिये दिये चलते रहें। ये कृषि से आपको क्या लेना देना है आपको तो किसानों से कृषि कराई हुई है। आपने तो किसानों को हांका है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : और किसानों के दिमाग में पूरी तरह से जमी हुई है। ये आपसे पूरी तरह बदला लेंगे।

श्री सभापति : बातें समाप्त करें। आपने बहुतसमय ले लिया है।

श्री महाराम चौधरी : बदला लेंगे आपसे, धन्यवाद।

श्री सभापति : अब आप बातें समाप्त कीजिये। आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किये हैं, माननीय श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सभापतिजी, गत चार वर्षों से मैं यह प्रयत्न करता था कि वैधानिक दृष्टि से मुझे बोलने का अधिकार मिले लेकिन इन चार वर्षों में हमारे मुख्य सचेतक की तरफ से मेरा नाम आज तक आसन तक नहीं पहुंचाया गया और आज मैं इस बात की इंतजारी में था कि आप आसन पर विराजें तो मैं अपना वक्तव्य दे दूं और सत्य का उद्घाटन करने के लिये उपस्थित होऊं।

श्री सभापति : आप तो सम्भाषण शुरू कीजिये अपना।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, हर सरकार विकास का चिंतन

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

करती है लेकिन विकास और समस्या का कोई अन्त नहीं है। ये 20 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा की गयी। 20-सूत्री कार्यक्रम बास्तव में एक शोषित पीड़ित और निर्धन व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिये बहुत महत्व-पूर्ण कार्यक्रम है और हमें इस बात की खुशी भी है कि हमारा राजस्थान प्रदेश 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में दूसरे स्थान पर है। आप सुन लीजिये। मैं तो सत्य का उद्घाटन कर रहा हूँ। दूसरे नम्बर पर। लेकिन कुछ एक बिन्दु ऐसे हैं जिनमें हमने लक्ष्य से भी ज्यादा काम किया है उनमें हम एक नम्बर पर हैं। सारे देश में हम एक नम्बर पर क्यों नहीं आये यह आज राजस्थान की सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी के चिन्तन करने का विषय है और वो बिन्दु है नम्बर 13, सारी योजनाओं का आधार जो है वह बिन्दु नम्बर 13 है। बिन्दु नम्बर 13 में हम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके तो हमें इस पर नये सिरे से विचार करना पड़ेगा और ये विन्दु जो व्यक्ति संभालता है उसके सम्बंध में हमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि यदि इसमें हम कामयाब नहीं हुए तो हम चाहे कितनी भी प्रगति करें विकास करें, कितना भी उत्पादन करें लेकिन जनसंख्या बढ़ती जायेगी। जनसंख्या बढ़ती जायेगी तो जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं वह फायदा उतना हम उन तक नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिये मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ये बात मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जो विभाग है किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाय जो पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेवारी लेवे और जो सक्षम हो, कर्मठ हो और जो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो ऐसे व्यक्ति को देना चाहिये क्योंकि सारे 20-सूत्री कार्यक्रम का आधार यही है। तो जो राजस्थान में अभी श्रद्धेय बृज सुन्दर शर्मा जी जो हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, उपस्थित हैं। वित्त से उनको बहुत प्यार है। पहले भी वित्त मंत्री रहे है और उन्होंने अपने ज्ञान से राजस्थान को लाभ पहुँचाने के लिये एक कल्याणकारी बजट आपके सामने पेश किया परंतु ये है कि बजट में जो हम पास करते हैं उसकी क्रियान्विति कहां तक होती है? यह देखने की जिम्मेदारी आपकी है।

सभापति महोदय, हमने कल सब मांगें मंजूर कर दीं। अब आज आपने जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है उसको हम यदि मंजूर नहीं करेंगे तो आप पैसा बैंक से निकाल ही नहीं सकते। मुख्य काम आज है। लेकिन हमें यह विश्वास है और मैं यह आशा लेकर चलता हूं कि जिन-जिन मुद्दों में जो-जो राशि स्वीकृत की गई है उसका गुणावगुण के आधार पर सम-वितरण होना चाहिये। ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था। मैं आपकी जानकारी के लिये कहूं कि हम चार वर्ष से यहां बैठे हैं। मेरे रतनगढ़ क्षेत्र के अन्दर कितनी फीट सड़क आपने बनाई यह मुझे बता दें। और आप कुछ भी नहीं करो उसके बाद भी हम आपके बजट को पास करते हैं और सबसे ज्यादा जोर से हां कहने वाला मैं ही हूं और पौने 11 बजे आकर यहां बैठता हूं और 11 बजे रात को जाता हूं। उसके बाद यह हालत है कि चार साल में अरबों रुपये अपने राजस्थान की पी० डब्ल्यू० डी० को दिये और मेरे क्षेत्र के

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

अन्दर एक फुट भी सड़क तारकोल की नहीं बना सके। इसके बावजूद भी हमारी महानता देखिये, हमारा अनुशासन देखिये कि हम फिर इस बिल को पास करने में आपका सहयोग करेंगे और यही हालत बिजली विभाग की है। गत तीन वर्षों में बिजली विभाग ने मेरे क्षेत्र में एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया और विभाग के वहां के अधिकारियों ने आपको गलत रिपोर्ट दी कि गांवों में उजाला हो गया। इतने गांवों में उजाला कर दिया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर वहां सरकार ने घोषणा कर दी कि इतने गाँवों में उजाला कर दिया। गत तीन वर्षों में आपने कितने गांवों में उजाला किया है रतनगढ़ क्षेत्र में, आप मेरे को बतायें। एक भी गांव में उजाला नहीं किया और यह झूठे आंकड़े देकर हम जनता को तो धोखा दे ही रहे हैं स्वयं को भी हम धोखा दे रहे हैं। गांवों में उजाला तभी होगा। अभी ये लोटिये नही चलें तो इस सदन में अन्धेरा हो जाय। लोटिये चलने से ही उजाला हो रहा है। तो गांवों में लोटिये ही नहीं लगाये और गाँवों में आपने यह घोषित कर दिया कि गांवों में उजाला कर दिया। यह कैसा उजाला है? वह कोई अलग से थ्योरी निकाली है? हां, यह मैं जरूर कहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उस क्षेत्र के दक्षिणी भू-भाग में पानी, एकदम खारा है और, सभापति महोदय, आपको तो अनुभव है बिरहना पानी जिसको कहते हैं, पानी पीते ही पशु मर जायें और यदि धूप में आदमी जाये और पसीने में पानी पी ले तो उसको दस्त होने लग जायं उस क्षेत्र में माननीय परसराम जी मदेरणा ने शेखावाटी में एक एक गांव है बिराणियां जहां का पानी मीठा है वहां से उन्होंने नल-कूपों द्वारा और पाइप लाइन द्वारा इन 10-15 गांवों में पीने के पानी की योजना बनाई और उन 15 में से 5-7 गांवों में पानी आराम से मिल रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से श्री मदेरणाजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वास्तविक जो पीड़ा थी वो पहचानी। इस धन्यवाद के साथ-साथ एक उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने मेरे चूरू जिले के लिये यह रिपोर्ट दी है कि इस जिले में पानी गहरा है और गहरे के साथ खारा है। तो चूरू जिले में कोई भी कूप निर्माण के लिये राज्य सरकार से सहायता मिलना क्या कानूनन बन्द है? जब कुएं की इजाजत नहीं देते, पानी खारा है, गहरा है तो मैं यह चाहूंगा कि चूरू जिले को राजस्थान नहर से पीने का पानी दिलाने की जो उन्होंने घोषणा की है उसके लिये वो बधाई के पात्र हैं परन्तु साथ ही साथ धरती को भी पानी चाहिये यह मैं उनसे मांग करना चाहता हूं और उनके लिये कोई कठिन भी नहीं है। मदेरणा जी राजस्थान का लौह पुरुष हैं, उसमें समस्याओं से जूझने की ताकत है कर्मठता है और गरीबों के दिल तक पहुंचने की क्षमता भी है और वास्तविक किस जगह क्या समस्या है कहाँ किस चीज की जरूरत है उसको वहाँ, तक पहुंचाने की चेष्टा भी करते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान नहर से गंधेली साहवा योजना जो थी वह गत 17 अक्टूबर को संपूर्ण हो

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

गई और इस योजना को सफल करने में राजस्थान नहर के नहर मन्त्री चन्दनमल वैद ने जिस गति के साथ इस कार्य को किया है, उससे हमारे जिले को बहुत बड़ा लाभ मिला है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। 353 गांवों का पानी गंधेली साहवा योजना से उपलब्ध होगा, लेकिन सभापति महोदय, इसमें मेरा क्षेत्र नहीं आया, इन 353 गाँवों में मेरे क्षेत्र का एक भी गाँव नहीं। रतनगढ़, सुजानगढ़, डूंगरगढ़, सरदारशहर ये 4-5 तहसीलें ऐसी रह गई हैं जहां पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं। इसलिये मैं यह इस लौह पुरुष से मांग करता हूं कि यदि आप इस बात को ठान लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मदेरणा साहब इन चारों तहसीलों में पीने का पानी और इस धरती का भी पानी देंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अभी मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पढ़ा कि योजनाबद्ध तरीके से चिकित्सा और स्वास्थ्य के कार्य को गति दी जायेगी। सभापति महोदय, गति क्या हुई कि जो व्यवस्था आज तक मेरे क्षेत्र में उपलब्ध थी उसको बन्द कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : योजनाबद्ध तरीके से।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : और जिला कमेटियों में जो हमने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक-एक उपकेन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया था, हमारे जिले में 7 तहसीलें हैं, सात ही निर्वाचन क्षेत्र हैं, और सात ही उपकेन्द्र खोलने की हमने सिफारिश की थी। लेकिन जयपुर में आते ही 2-3 तहसीलों के जो बहुत प्रभावशाली एम० एल० ए० थे उनके वहां तो डिस्पेंसरियां 1-1 क्षेत्र में 4-4 खोल दीं और हमें सर्वथा वंचित रख दिया। तो इस ढंग से यहां पक्षपातपूर्ण और द्वेषपूर्ण कार्य हो रहा है उस पर मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी इच्छा भी थी कि आज 4 बजे मुख्य मन्त्री जी से मुलाकात करूं। मुझे चार वर्ष हो गये, मुझे मालूम नहीं कि इस विधान सभा में मुख्य मन्त्री जी का कक्ष कौनसा है। मैंने तो आज ही जाकर देखा कि यह मुख्यमंत्री का कक्ष है और आज ही गया और आज ही वो मिले नहीं। लेकिन यह हो गया कि कोई मुझे 12 महीने बाद भी पूछेगा कि मुख्यमन्त्री जी का कक्ष कौनसा है तो मैं बता सकता हूं कि यह कक्ष है। जो बात मुझे मुख्यमन्त्री महोदय से कहनी थी वह अधिकारियों को कहने से लाभ नहीं था इसलिए मैंने उनको कहा नहीं। मेरा जो मुख्य मुद्दा है वह आप सब लोग जानते हैं और पंडितजी, आपसे ज्यादा दयालू कोई होगा नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधान सभा में जब मैं चुन कर आया था तो शास्त्रों के हिसाब से यह नियम है कि कोई शुभ कार्य करे तो अपने से पूज्य व्यक्ति को अभिवादन करना चाहिए, ताकि उस कार्य में सफलता मिल सके। मैंने आसपास झांका तो कोई अवस्था में मेरे से कोई बड़ा नहीं लगा, मेरे पास ही जोशी जी हरिदेवजी बैठे थे, मेरे को यह भ्रम था कि शायद ये मुझसे बड़े हैं, पूछने पर मालूम हुआ कि वे भी अवस्था में मेरे से छोटे हैं। मेरे परम पूज्य, श्रद्धेय पंडितजी को सबसे पहले चरण स्पर्श करके इस विधान सभा में शपथ ग्रहण की। अब यह लास्ट बट वन

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

सत्र है, हो सकता है कि शायद अंतिम नहीं हो, अंतिम से पहला हो, अब ज्यादा और गुंजाइश नहीं है पंडित जी क्योंकि मैं तो मेरी कहूंगा। मैं कभी किसी दूसरे के बारे में नहीं कहता। मैं तो इसलिए पंडितजी को कह रहा हूं कि मेरी आस्था और श्रद्धा है। पंडितजी द्वारा जो प्रस्तुत जो आय व्ययक पत्रक है उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : राठौड़ साहब भी तो हैं।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : राठौड़ साहब से मुझे कुछ कहना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मैं उनके पास गया ही नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें। सात बजने में दो मिनट पहले खत्म करना है।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : आप कर दीजिये, मैं बैठ जाऊंगा। आप मुझे जब भी आदेश करेंगे मैं एक सैकिण्ड भी नहीं लगाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलो आप अभी तो।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : मैं दो बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। एक बात तो मैं यह कहूंगा, सभापति महोदय, कि आप इस बात से पूर्णतया भिज्ञ हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसी आबादी है, जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है और अंकन के अभाव में उनको वे सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं जो हम 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को मुहैया करना चाहते हैं। दूसरी, बात मैं विद्युत मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जल के स्रोत हैं, उस स्रोत से एक से अधिक गांवों को पानी वितरित कर रहे हैं तो उस स्रोत के अनुसार बिजली की कटौती नहीं की जाये। इसी निवेदन के साथ में आपको घन्टी बजाने के लिए कष्ट नहीं करने दूंगा, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : पांच मिनट और है आप बोलिये।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : आपने पहले तो इशारा कर दिया। सभापति महोदय, मैं तो अनुशासित व्यक्ति हूं,। मुझे तो आपने कहा जल्दी करो इसलिए मैं तो बैठ गया और अब बैठ गया तो मेरा लिंक टूट गया, अब लिंक टूटने के बाद इतना आनंद नहीं है।

श्री बाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आय के जो स्रोत थे, राजस्थान में असीम खनिज सम्पदा है। राजस्थान सरकार ने इस बार किसी प्रकार के नये कर नहीं रखे हैं। मेरी यह मान्यता है कि अपने सभी स्रोत को ठीक प्रकार से दोहन करें तो राजस्थान की शस्य श्यामला धरती में

(श्री दाऊदयाल जोशी)

इतनी शक्ति है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल खनिज दोहन यदि ईमानदारी से किया जाय तो राजस्थान में कोई करों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह सरकार किसी भी प्रकार से खनिज दोहन के कार्यक्रम में सफल नहीं रही है बल्कि प्रति वर्ष जो खनिज के आंकड़े बता रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, उनको निकालने में जो असमर्थता बढ़ती जा रही है उसके कारण राजस्थान निश्चित रूप से पिछड़ता चला जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यहां राजस्थान की धरती पर माइका है उसकी जो सन् 1979 के अन्दर 833 टन निकाली गई थी वह अब सन् 84 में घटकर 650 टन पर आ गयी। इस राजस्थान में पन्ना जैसी वस्तु इस राजस्थान की धरा में है परन्तु दुर्भाग्य है सन् 80 में तीन किलोग्राम आपने पन्ना निकाला था वह अब घटकर दो किलोग्राम हो गया। इस धरती में ग्रेफाइट है जो हमने राजस्थान में सन् 79 में 29 हजार टन निकाला था वह घटते-घटते ऊड़न छू हो गया सन् 84 में उसका एक भी टन नहीं निकलता है। इस धरती में गंधक है लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, माननीय खनिज मंत्री बड़े योग्य बताये जाते हैं, पुराने हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से केबिनेट के मंत्रियों से कि क्या राजस्थान में अब गंधक निकल रहा है? गंधक इस धरती में होते हुए भी नहीं निकल रहा है। इस धरती में लोहा बहुत है। माननीय वित्त मंत्री, जी आप ही के क्षेत्र के अन्दर, लाखेरी के अन्दर है। लेकिन क्या आपने कभी इसका सर्वे करवा कर देखा है? इस धरती में इतनी बड़ी तादाद में लोहा है लेकिन लोहा नहीं निकाला जा रहा है। इस धरती में मैंगनीज है, लेकिन नहीं निकाला जा रहा है। अगर ये सारी चीजें, अगर ये सब चीजें दोहन की जाय तो कोई कारण नहीं है कि राजस्थान में हम पिछड़ते चले जायें। राजस्थान सरकार अपनी खनिज सम्पदा को नहीं निकाल रही है। राजस्थान सरकार तो केन्द्रीय सरकार के विशिष्ठ योजना संगठन के तहत धन मिलता है उसका उपयोग नहीं कर सकी है। राजस्थान में पिछली बार विशिष्ठ योजना संगठन के तहत 13 योजनाएं स्वीकृत की गयी उनमें से 5 योजनाएं तो आज पुलिन्दे में बन्द पड़ी हुई है उन पर कोई किसी प्रकार का कार्य चालू नहीं हुआ, 4 में 60 से 70 प्रतिशत कार्य हुआ, तीन में 25 प्रतिशत हुआ और एक में 10 प्रतिशत। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बंधक मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या है, बन्धक मजदूरों की जनता राज्य इन बंधक मजदूरों को·······

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त कर दें अपने भाषण को।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक मिनट में तो बोल ही नहीं सकूंगा। मैं जल्दी से कह कर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7·00 बजे शुक्रवार दिनांक 20 अप्रैल, 1984 के म. पू. 11·00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 762 की परीक्षा समय विभाग चक्र

समान परीक्षा व्यवस्था उदयपुर जिला

समय विभाग चक्र कक्षा 9 से 11

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सत्र 80—81

तिथि एवं वार	समय 8 से 11 प्रातः कक्षा XI	समय मध्याह्न 11.30 से 2 बजे कक्षा IX एवम् X	समय सायंकाल 2.30 से 5.30 बजे कक्षा XI
1	2	3	4
	विषय	विषय	विषय
15-1-81 गुरुवार	हिन्दी अनिवार्य	अनिवार्य हिन्दी प्रथम प्रश्न-पत्र	नागरिक शास्त्र/ऐ. गणित/जीव विज्ञान/ कृषि विज्ञान/चित्रकला प्रथम प्रश्न-पत्र
16-1-81 शुक्रवार	अंग्रेजी अनिवार्य	अनिवार्य हिन्दी द्वितीय प्रश्न-पत्र	नागरिक शास्त्र/जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान ऐ. गणित /चित्रकला द्वितीय प्रश्न-पत्र
17-1-81 शनिवार	बहीखाता प्रथम प्रश्न-पत्र	अनिवार्य अंग्रेजी प्रथम प्रश्न-पत्र	भूगोल प्रथम प्रश्न-पत्र
20-1-81 मंगल.	बहीखाता द्वितीय प्रश्न-पत्र	अनिवार्य अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न-पत्र	भूगोल द्वितीय प्रश्न-पत्र

1	2	3	4
21-1-81 बुधवार	चित्रकला I व्यापार पद्धति प्रथम-प्रश्न-पत्र	सामान्य विज्ञान (कला, वाणिज्य एवम् ऐच्छिक गणित के छात्रों के लिए) जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान प्रथम प्रश्न-पत्र	संस्कृत प्रथम प्रश्न-पत्र
22-1-81 गुरुवार	चित्रकला II व्यापार पद्धति द्वितीय-प्रश्न-पत्र	प्रारम्भिक गणित (कला एवं वाणिज्य वर्ग) प्रारम्भिक गणित (जीव विज्ञान) ऐच्छिक गणित प्रथम प्रश्न-पत्र	संस्कृत द्वितीय प्रश्न-पत्र
23-1-81 शुक्रवार	वाणिज्यिक भूगोल/बैंकिंग प्रथम-पत्र, शीघ्रलिपि, टंकण (हिन्दी)	सामाजिक ज्ञान भूगोल/व्यापार पद्धति प्रथम प्रश्न-पत्र	अर्थशास्त्र/वाणिज्यिक अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्न-पत्र
24-1-81 शनिवार	वाणिज्यिक भूगोल/बैंकिंग द्वितीय प्रश्न-पत्र, शीघ्रलिपि, टंकण (अंग्रेजी)	ऐ. हिन्दी/सिन्धी/उर्दू/बहीखाता/भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न-पत्र	अर्थशास्त्र/वाणिज्यिक अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न-पत्र
27-1-81 मंगलवार	—	ऐ. हिन्दी/उर्दू/बहीखाता/भौतिक विज्ञान/ ऐ. सिन्धी द्वितीय प्रश्न-पत्र	(कक्षा IX व X) चित्रकला प्रथम प्रश्न-पत्र
28-1-81 बुधवार	चित्रकला द्वितीय प्रश्न-पत्र (कक्षा IX एवं X)	ऐ. गणित/जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान/ भूगोल/व्यापार पद्धति द्वितीय प्रश्न-पत्र	ऐ. संस्कृत प्रथम प्रश्न-पत्र

1	2	3	4
29-1-81 गुरुवार	ऐ. हिन्दी/उर्दू/सिन्धी/भौतिक विज्ञान/ शाक्य एवं उद्यान विज्ञान प्रथम प्रश्न-पत्र	अर्थशास्त्र/रसायन शास्त्र/गृह विज्ञान/ व्या. भूगोल/व्या. अर्थशास्त्र/बैंकिंग प्रथम प्रश्न-पत्र, टंकण, शीघ्रलिपि(हिन्दी)	उद्योग (सिलाई) कताई बुनाई/चित्रकला/ टाइप/लकड़ी का काम/फल एवं शाक उत्पादन सामान्य अभियान्त्रिकी
30-1-81 शुक्रवार	ऐ. हिन्दी/उर्दू/सिन्धी/भौतिक विज्ञान/शाक्य एवं उद्यान विज्ञान द्वितीय प्रश्न-पत्र	अर्थशास्त्र/रसायन शास्त्र/गृह विज्ञान/ व्या. भूगोल/व्या. अर्थशास्त्र/बैंकिंग द्वितीय प्रश्न-पत्र, टंकण, शीघ्रलिपि (अंग्रेजी)	तृतीय भाषा–संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/ मलयालम/गुजराती/ऐ. संस्कृत द्वितीय प्रश्न-पत्र
31-1-81 शनिवार	इतिहास/गृह विज्ञान/रसायन विज्ञान/ पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग प्रथम प्रश्न-पत्र	ना. शास्त्र प्रथम प्रश्न-पत्र	नागरिक शास्त्र द्वितीय प्रश्न-पत्र
2-2-81 सोमवार	इतिहास/गृह विज्ञान/रसायन विज्ञान/ पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग द्वितीय प्रश्न-पत्र	इतिहास (नवीं) इतिहास प्रथम प्रश्न-पत्र (दसवीं)	इतिहास द्वितीय प्रश्न-पत्र (कक्षा X)

अक्षय सिंह चौधरी
संयोजक एवं आचार्य
राजकीय गुरु गोविन्दसिंह
उच्च माध्यमिक विद्यालय,
उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था उदयपुर जिला

समय विभाग चक्र कक्षा 3 से 5

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा 1980-81

समय 2.30 से 5 बजे

15-1-81 गुरुवार	–	हिन्दी
16-1-81 शुक्रवार	–	सामाजिक ज्ञान
17-1-81 शनिवार	–	गणित
20-1-81 मंगलवार	–	सामान्य विज्ञान

अक्षयसिंह चौधरी
संयोजक एवं आचार्य
राजकीय गुरु गोविन्दसिंह उच्च
माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था उदयपुर जिला

समय विभाग चक्र कक्षा 6 से 8 समय 8 से 10.30 प्रातः

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा 1980-81

15-1-81 गुरुवार	–	हिन्दी प्रथम
16-1-81 शुक्रवार	–	हिन्दी द्वितीय
17-1-81 शनिवार	–	अंग्रेजी
20-1-81 मंगलवार	–	गणित प्रथम
21-1-81 बुधवार	–	गणित द्वितीय
22-1-81 गुरुवार	–	सामाजिक ज्ञान (इतिहास नागरिक शास्त्र)
23-1-81 शुक्रवार	–	सामाजिक ज्ञान (भूगोल)
24-1-81 शनिवार	–	सामान्य विज्ञान
27-1-81 मंगलवार	–	संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, गुजराती (तृ० भा०)
28-1-81 बुधवार	–	वाणिज्य और चित्रकला

अक्षयसिंह चौधरी
संयोजक एवं आचार्य
राजकीय गुरु गोविन्दसिंह उच्च
माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर

(192)

समान परीक्षा व्यवस्था उदयपुर जिला

समय विभाग कक्षा 9

वार्षिक परीक्षा सत्र 1980-81

दिन व दिनांक	विषय	समय
28-4-81 मंगलवार	अंग्रेजी अनिवार्य द्वितीय	3 से 5-30 पी. एम
29-4-81 बुधवार	हिन्दी अनिवार्य प्रथम	3 से 5-30 पी. एम
30-4-81 गुरुवार	हिन्दी अनिवार्य द्वितीय	7-30 से 10-00 ए. एम
1-5-81 शुक्रवार	सामान्य विज्ञान	7-30 से 10-00 ए. एम
2-5-81 शनिवार	प्रारम्भिक गणित	7-30 से 10-00 ए. एम
4-5-81 सोमवार	व्यापार पद्धति प्रथम	7-30 से 10-00 ए. एम
4-5-81 सोमवार	संस्कृत/उर्दू	10-30 से 1-00 पी. एम
5-5-81 मंगलवार	वही खाता प्रथम	7-30 से 10-00 ए. एम
6-5-81 बुधवार	वही खाता द्वितीय	7-30 से 10-00 ए. एम
7-5-81 गुरुवार	व्यापार पद्धति द्वितीय	7-30 से 10-00 ए. एम
8-5-81 शुक्रवार	व्यापारिक (भूगोल) व्यापारिक अर्थशास्त्र बैंकिग	7-30 से 10-00 ए. एम
9-5-81 शनिवार	व्या० (भूगोल) व्या० अर्थशास्त्र बैंकिग द्वितीय प्रश्न	7-30 से 10-00 ए एम
11-5-81 सोमवार	अंग्रेजी अनिवार्य प्रथम	7-30 से 10-00 ए एम

अक्षयसिंह चौधरी

संयोजक एवं आचार्य

राजकीय गुरु गोविन्दसिंह

उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था उदयपुर, जिला उदयपुर

समय विभाग चक्र/वार्षिक परीक्षा सन् 1980-81

कक्षा 3 से 5 .... समय-7-30 प्रातः से 10 बजे तक

दिनांक 27-4-81	सोमवार	गणित
दिनांक 28-4-81	मंगलवार	विज्ञान (यूनिशेफ स्कीम सहित)
दिनांक 29-4-81	बुधवार	हिन्दी
दिनांक 30-4-81	गुरुवार	सामाजिक ज्ञान

——

कक्षा 6 से 8 .... समय 11 बजे प्रातः से 1-30 तक

दिनांक 27-4-81	सोमवार	अंग्रेजी	,,
दिनांक 28-4-81	मंगलवार	गणित प्रथम	,,
दिनांक 29-4-81	बुधवार	गणित द्वितीय समय 11-00 प्रातः से 1-30 बजे तक।	
दिनांक 30-4-81	गुरुवार	हिन्दी प्रथम समय 10-30 प्रातः से 1 बजे तक	
दिनांक 1-5-81	शुक्रवार	हिन्दी द्वितीय	,,
दिनांक 2-5-81	शनिवार	सामाजिक ज्ञान प्रथम (भूगोल)	,,
दिनांक 4-5-81	सोमवार	सामाजिक ज्ञान द्वितीय (इतिहास नागरिक शास्त्र)	,,
दिनांक 5-5-81	मंगलवार	सामान्य विज्ञान (यूनिसेफ सहित)	,,
दिनांक 6-5-81	बुधवार	संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/गुजराती	,,
दिनांक 7-5-81	गुरुवार	वाणिज्य/चित्रकला	,,

सामान्य निर्देश:—

1. विभिन्न विषयों से सम्बन्धित प्रायोगिक परीक्षाओं अथवा मौखिक परीक्षाओं की व्यवस्था अपने स्तर पर सुविधानुसार पूरी कर सम्पन्न कराई जावें।
2. कक्षा 6-7-8 में कार्यानुभव एवं शा. शिक्षा की परीक्षा व्यवस्था विद्यालय अपने स्तर पर पाठ्यक्रमानुसार करावें। इनके प्रश्न पत्र नहीं पाये गये हैं।
3. निम्नांकित प्रश्न पत्रों में अपेक्षित सामग्री की पाठ्यक्रमानुसार व्यवस्था विद्यालय स्तर पर रखी जावे।

(१९५)

(1) भूगोल राजस्थान, भारत तथा संसार के मानचित्र।

(2) गणित अनिवार्य एवं ऐच्छिक ग्राफ पेपर।

4. निम्नांकित प्रश्न पत्रों की व्यवस्था विद्यालयों में ही कुछ विषय होने के कारण विद्यालय अपने स्तर पर ही करेंगे। अपने स्तर पर प्रश्न पत्र चक्रांकित कर समय से पूर्व तैयार करवा लेवें।

(1) ऐ. विषय- सिन्धी, गृह विज्ञान, अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकण तथा शीघ्रलिपि।

(2) तृतीय भाषा-मलयामय, गुजराती।

(3) उद्योग सामान्य अभियान्त्रिकी, चित्रकला, टंकण।

(4) कक्षा छठी से आठवीं तक की सिन्धी, गुजराती, गृहविज्ञान के प्रश्न पत्रों की व्यवस्था अपने स्तर पर ही करें। इन विषयों के प्रश्न पत्र नहीं छपाये गये हैं।

5. परीक्षा कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार सम्पन्न कराया जावे, चाहे राज्य सरकार द्वारा किसी दिन आकस्मिक रूप से अवकाश भी घोषित किया गया हो। अपने विद्यालय में जो विषय लागू हो रहे हैं, उनका समय विभाग चक्र विद्यालय प्रधान अंकित करवा लेवें।

जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर जिला

समय विभाग चक्र कक्षा 11

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सन् 1981-82

क्र.सं.	तिथि एवं वार	समय 11-00 से 2 बजे मध्यान्ह	सायंकाल 2-30 से 5-30 बजे
1	2	3	4
1.	29-12-81 मंगलवार	हिन्दी अनिवार्य	चित्रकला/प्रथम
2.	30-12-81 बुधवार	अंग्रेजी अनिवार्य	चित्रकला/व्यापार पद्धति/द्वितीय
3.	8-1-82, शुक्रवार	ना. शास्त्र/भौतिक विज्ञान शस्य एवं उद्यान विज्ञान प्रथम	संस्कृत/बही खाता प्रथम
4.	11-1-82 सोमवार	ना. शास्त्र/भौतिक विज्ञान शस्य एवं उद्यान विज्ञान द्वितीय	संस्कृत/द्वितीय

1	2	3
5. 12-1-82 मंगलवार	भूगोल/रसायन विज्ञान/ पशुपालन/प्रथम	अर्थशास्त्र/वाणिज्य अर्थ शास्त्र वाणिज्य भूगोल/बैंकिंग/टंकण (हिन्दी) प्रथम
6. 13-1-82 बुधवार	भूगोल/रसायन विज्ञान/ पशुपालन/द्वितीय	व्यापार पद्धति/प्रथम
7. 14-1-82 गुरुवार	ऐ. गणित/जीव विज्ञान/ कृषि विज्ञान/कृषि जीव विज्ञान/प्रथम	
8. 15-1-82 शुक्रवार	ऐ. गणित/(जीव विज्ञान) कृषि विज्ञान/कृषि जीव विज्ञान/द्वितीय	
9. 16-1-82 शनिवार	ऐ. हिन्दी/ऐ.उर्दू प्रथम	बही खाता द्वितीय
10. 17-1-82 रविवार	ऐ. हिन्दी/ऐ. उर्दू द्वितीय	इतिहास द्वितीय अर्थ-
11. 18-1-82 सोमवार	इतिहास प्रथम	शास्त्र/वाणिज्यिक अर्थ शास्त्र/वाणिज्यिक भूगोल/बैंकिंग/टंकण (अंग्रेजी) द्वितीय

(अक्षय सिंह चौधरी)
संयोजक
जिला समान परीक्षा योजना,
उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर जिला

समय विभाग चक्र कक्षा 9, 10
अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सत्र 1981-82

क्र. सं. तिथि एवं वार	समय 8-00 से 10-30 बजे प्रातः काल	समय 2-30 से 5 बजे दोपहर
1. 29-12-81 मंगलवार	अंग्रेजी अनिवार्य प्रथम	उद्योग/सिलाई/कताई-बुनाई/चित्रकला/टाइप लकड़ी का काम/फल शाक/उत्पादन/फल शाक परिरक्षण सामान्य अभियान्त्रिकी

196

1	2	3	4
2.	30-12-81 बुधवार	अंग्रेजी अनिवार्य द्वितीय	चित्रकला द्वितीय
3.	8-1-82 शुक्रवार	हिन्दी अनिवार्य प्रथम	ऐच्छिक संस्कृत प्रथम
4.	11-1-82 सोमवार	हिंदी अनिवार्य द्वितीय	सामाजिक ज्ञान/भूगोल/व्यापार पद्धति प्रथम
5.	12-1-82 मंगलवार	सामान्य विज्ञान (कला) वाणिज्य एवं ऐ. गणित के छात्रों के लिए) जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान प्रथम	चित्रकला प्रथम
6.	13-1-82 बुधवार	प्रा. गणित (कला, वाणिज्य एवं जीव विज्ञान के छात्रों के लिए) ऐ. गणित प्रथम	
7.	14-1-82 गुरुवार	ऐ. गणित/जीव विज्ञान/कृषि/व्यापार पद्धति/भूगोल द्वितीय	तृतीय भाषा संस्कृत/गुजराती/सिन्धी/उर्दू ऐ./संस्कृत द्वितीय/मलयालम
8.	15-1-82 शुक्रवार	ऐ. हिन्दी/ऐ. सिन्धी/ऐ.उर्दू भौतिक विज्ञान/बही खाता प्रथम	नागरिक शास्त्र प्रथम
9.	16-1-82 शनिवार	ऐ. हिन्दी/ऐ. सिन्धी/ऐ. उर्दू/भौतिक विज्ञान/बही खाता द्वितीय	नागरिक शास्त्र द्वितीय
10.	17-1-82 रविवार	अर्थशास्त्र/वा. अर्थशास्त्र/वा. भूगोल/बैंकिंग/टंकण/शीघ्रलिपि/गृह विज्ञान/रसायन विज्ञान प्रथम	इतिहास--प्रथम
11.	18-1-82 सोमवार	अर्थशास्त्र/वा. अर्थशास्त्र/वा. भूगोल/बैंकिंग/टंकण/शीघ्रलिपि/गृह विज्ञान/रसायन विज्ञान द्वितीय)	इतिहास–द्वितीय (केवल कक्षा 10 के लिए)

(अक्षय सिंह चौधरी)
संयोजक
जिला समान परीक्षा योजना, उदयपुर

197

जिला समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर (राजस्थान) सन् 1981-82

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा संशोधित समय विभाग चक्र

कक्षा–9वीं

क्र. सं.	दिनांक एवं वार	समय 11.30 से 2.00	2.30 से 5.00
1.	11-1-82 सोमवार	सामाजिक ज्ञान	अनिवार्य हिन्दी प्रथम
2.	12-1-82 मंगलवार	ऐ. हिन्दी/ऐ. उर्दू/गुजराती ऐ. सिन्धी प्रथम	अनिवार्य हिन्दी द्वि.
3.	13-1-82 बुधवार	ऐ. हिन्दी/ऐ. उर्दू/गुजराती/ ऐ. सिन्धी द्वितीय	अनिवार्य अंग्रेजी प्रथम
4.	14-1-82 गुरुवार	--	अंग्रेजी अनिवार्य द्वितीय
5.	15-1-82 शुक्रवार	व्यापार पद्धति/इतिहास प्रथम	भौतिक विज्ञान/ऐ. संस्कृत प्रथम
6.	16-1-82 शनिवार	व्यापार/पद्धति द्वितीय	भौतिक विज्ञान/ऐ. संस्कृत द्वितीय
7.	18-1-82 सोमवार	भूगोल प्रथम	रसायन वि./चित्रकला/ वहीखाता प्रथम
8.	19-1-82 मंगलवार	भूगोल द्वितीय	रसायन वि./चित्रकला/ बहीखाता द्वितीय
9.	20-1-82 बुधवार	अर्थशास्त्र/वाणिज्य अर्थस्शात्र/ वा. भूगोल/बैंकिंग/गृहविज्ञान प्रथम/हिन्दी/शीघ्रलिपि व टंकण	जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान ऐ. गणित/ना. शास्त्र प्रथम
10.	21-1-82 गुरुवार	अर्थशास्त्र/वाणिज्य अर्थशास्त्र वा. भूगोल/बैंकिंग/गृह विज्ञान द्वितीय एवं टंकण/शीघ्रलिपि अंग्रेजी	जीव विज्ञान/कृषि वि./ ऐ गणित/ना. शास्त्र प्रथम
11.	22-1-82 शुक्रवार	सामा. वि./(कला, वाणिज्य एवं ऐ. गणित वर्ग के लिए)	उद्योग सिलाई/कताई बुनाई चित्रकला/टाईप/ लकड़ी का काम/फल खग उत्पादन/फल साग परिरक्षण । सामान्य अभियान्त्रिकी ।
12.	23-1-82 शनिवार	प्रारम्भिक गणित (कला, वाणिज्य एवं जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान वर्ग के लिए)	तृतीय भाषा संस्कृत उर्दू मलयालय, सिन्धी/ गुजराती ।

कक्षा 10वीं (दसवीं)

क्रम. सं.	दिनांक व वार	समय प्रातः 8.00 से 10.30	मध्यान्ह 11.30 से 2.00
1.	11-1-82 सोमवार	सामाजिक ज्ञान	अनिवार्य हिन्दी प्रथम
2.	12-1-82 मंगलवार	प्रारंभिक गणित (कला, वाणिज्य, कृषि एवम् जीव विज्ञान वर्ग)	अनिवार्य हिन्दी द्वितीय
3.	13-1-82 बुधवार	चित्रकला द्वितीय	अनिवार्य अंग्रेजी प्रथम
4.	14-1-82 गुरुवार	ऐ. हिन्दी/ऐ. ऊर्दू/गुजराती/ऐ. सिन्धी प्रथम	अंग्रेजी अनिवार्य द्वितीय
5.	15-1-82 शुक्रवार	ऐ. हिन्दी/ऐ. उर्दू/ऐ. गुजराती/ऐ. सिन्धी द्वितीय	भौतिक विज्ञान/ऐ. संस्कृत प्रथम
6.	16-1-82 शनिवार	व्यापार पद्धति/इति. प्रथम	भौतिक विज्ञान/ऐ. संस्कृत
7.	18-1-82 सोमवार	—	रसायन विज्ञान/भूगोल प्रथम/व्यापार पद्धति द्वितीय
8.	19-1-82 मंगलवार	चित्रकला प्रथम	रसायन विज्ञान/एवं भूगोल द्वितीय/वहीखाता/प्रथम
9.	20-1-82 बुधवार	वहीखाता/इतिहास द्वि.	जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान/ऐ. गणित/नाग. शास्त्र प्रथम
10.	21-1-82 गुरुवार	अर्थशास्त्र/वाणिज्य/अर्थशास्त्र/वा. भूगोल/बैंकिंग/गृह विज्ञान प्रथम शीघ्रलिपि/टंकण हिन्दी	जीव विज्ञान कृषि वि./ऐ. गणित/नाग. शास्त्र द्वितीय
11.	22-1-82 शुक्रवार	अर्थशास्त्र/वा. अर्थशास्त्र/वा. भूगोल/बैंकिंग/गृह विज्ञानद्वितीय/शीघ्रलिपी टंकण अंग्रेजी	उद्योग सिलाई/कताई बुनाई/चित्रकला/टाइप/लकड़ी का काम/फल-साग/उत्पादन फलसाग परीक्षण/सामान्य अभिया.
12.	23-1-82 शनिवार	सामान्य वि. (कला, वाणिज्य एवं ऐ. गणित वर्ग)	तृतीय भाषा संस्कृत/उर्दू/मलयालम/सिन्धी/गुजराती

कक्षा 11वीं (ग्यारहवीं)

क्र. सं. दिनांक व वार	समय प्रातः 8.00 से 11.00	2.30 से 5.30 मध्यान्ह तक
1. 11-1-81 सोमवार	हिन्दी अनिवार्य	नागरिक शास्त्र प्रथम
2. 12-1-82 मंगलवार	अंग्रेजी अनिवार्य	नागरिक शास्त्र द्वि./
3. 13-1-82 बुधवार	प्रारम्भिक अर्थशास्त्र/ वा. अर्थशास्त्र/ वा. भूगोल/बैंकिंग/शस्य एवं उद्यान विज्ञान प्रथम एवं हिन्दी टंकण शीघ्रलिपि	जीव विज्ञान/कृषि वि./ कृषि जीव विज्ञान/ऐ. गणित प्रथम
4. 14-1-82 गुरुवार	प्रा. अर्थशास्त्र/वा. अर्थशास्त्र/वा. भूगोल/बैंकिंग/ शस्त्र एवं उद्यान वि. ति. अंग्रेजी टंकण शीघ्रलिपि	जीव विज्ञान/कृषि वि./कृषि जीव विज्ञान एवं ऐ. गणित द्वि.
5. 15-1-82 शुक्रवार	बहीखाता/पशुपालन तथा दुग्ध उद्योग/गृह विज्ञान प्रथम	भौतिक वि./ ऐ. संस्कृत प्रथम
6. 16-1-82 शनिवार	बहीखाता/पशुपालन तथा दुग्ध उद्योग/गृह विज्ञान द्वितीय	भौतिक वि./ऐ. संस्कृत द्वितीय
7. 18-1-82 सोमवार	व्यापार पद्धति/इति. प्रथम	रसायन वि./चित्रकला प्रथम
8. 19-1-82 मंगलवार	व्या. पद्धति/इति. द्वितीय	रसायन वि./चित्रकला द्वितीय
9. 20-1-82 बुधवार	ऐ. हिन्दी/ऐ. उर्दू/ऐ. सिन्धी/ऐ. गुजराती प्रथम	भूगोल प्रथम
10. 21-1-82 गुरुवार	ऐ. हिन्दी/ऐ. उर्दू/ ऐ. सिन्धी/ऐ. गुजराती द्वितीय	भूगोल द्वितीय

नोट:—शेष प्रश्न पत्र वितरण केन्द्रों को दिये जावेंगे जहां से सम्बन्धित विद्यालय 7-1-82 को प्राप्त करेंगे।

(अक्षयसिंह चौधरी)
संयोजक
समान परीक्षा, जिला उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था जिला उदयपुर

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सत्र 81-82

संशोधित समय विभाग चक्र 6 से 8

तिथि एवम् वार	समय 11.00 से 1.30 बजे मध्यान्ह
22-12-81	हिन्दी प्रथम
23-12-81	हिन्दी द्वितीय
24-12-81	अंग्रेजी
26-12-81	गणित प्रथम
27-12-81	सामाजिक ज्ञान प्रथम
30-12-81	सामाजिक ज्ञान द्वितीय
8-1-82	गणित द्वितीय
9-1-82	सामान्य विज्ञान/यूनिसेफ विज्ञान
11-1-82	तृतीय भाषा संस्कृत
12-1-82	चित्रकला/वाणिज्य
13-1-82	कार्यानुभव/उद्योग

समान परीक्षा व्यवस्था, जिला उदयपुर (राज.)

वार्षिक परीक्षा सन् 1981-82

समय विभाग चक्र कक्षा 9

क्र. सं.	दिनांक एवं वार	समय प्रातः 7.30 से 10 बजे	समय मध्यान्ह 10.30 से 1.00
1	2	3	4
1.	23-4-82 शुक्रवार	अंग्रेजी (अनिवार्य) प्रथम	
2.	24-4-82 शनिवार	अंग्रेजी (अनिवार्य) द्वितीय	

1	2	3	4
3.	26-4-82 सोमवार	हिन्दी (अनिवार्य) प्रथम	
4.	27-4-82 मंगलवार	हिन्दी (अनिवार्य) द्वितीय	
5.	28-4-82 बुधवार	सामान्य विज्ञान (कला, वाणिज्य एवं, ऐ. गणित के छात्रों के लिये) जीव वि./कृषि-विज्ञान-प्रथम	
6.	29-4-82 गुरुवार	प्रारम्भिक गणित (कला, वाणिज्य, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान के छात्रों के लिये) ऐ. गणित प्रथम	
7.	30-4-82 शुक्रवार	सामाजिक ज्ञान/भूगोल प्रथम/ व्यापार पद्धति प्रथम	
8.	1-5-82 शनिवार	तृ. भाषा संस्कृत/उर्दू/गुजराती/ सिन्धी/मलयालम/ऐ. संस्कृत प्रथम	
9.	3-5-82 सोमवार	भूगोल/ऐ. गणित/व्यापार पद्धति/ जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान-द्वितीय	चित्रकला प्रथम
10.	4-5-82 मंगलवार	ऐ. हिन्दी/सिन्धी/उर्दू/बहीखाता/ भौतिक विज्ञान प्रथम	चित्रकला द्वितीय
11.	5-5-82 बुधवार	ऐ. हिन्दी/सिन्धी/वही खाता/ भौतिक विज्ञान द्वितीय	ऐ. संस्कृत द्वितीय
12.	6-5-82 गुरुवार	अर्थशास्त्र/रसायन शास्त्र/गृह विज्ञान/ व्यापारिक भूगोल/व्यापारिक अर्थ शास्त्र/मुद्रा अधिकोषण प्रथम/ टंकण-शीघ्रलिपि हिन्दी	इतिहास

1	2	3	4
13.	7-5-82 शुक्रवार	अर्थशास्त्र/रसायन शास्त्र/ गृह विज्ञान/व्यापारिक भूगोल/ व्यापारिक अर्थशास्त्र/मुद्रा अधिकोषण-द्वितीय,/टंकण शीघ्र लिपि (अंग्रेजी)	नागरिक शास्त्र प्रथम
14.	8-5-82 शनिवार	नागरिक शास्त्र द्वितीय	उद्योग

अक्षयसिंह चौधरी
संयोजक एवं आचार्य
राज. गु. गो. उ. मा. विद्यालय,
उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था, जिला उदयपुर (राज.)

वार्षिक परीक्षा सन् 1981-82
संशोधित समय विभाग चक्र कक्षा नवम्

क्रम संख्या दिवस व दिनांक	पूर्वान्ह 10.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	अपरान्ह 3.00 बजे से सायं 5,30 बजे तक
1. बुधवार 5-5-82	अंग्रेजी अनिवार्य प्रथम	उद्योग
2. गुरुवार 6-5-82	अंग्रेजी द्वितीय (अनिवार्य)	चित्रकला प्रथम पत्र
3. शुक्रवार 7-5-82	हिन्दी (अनिवार्य) प्रथम पत्र	चित्रकला द्वितीय पत्र
4. शनिवार 8-5-82	हिन्दी (अनिवार्य) द्वि. पत्र	नागरिक शास्त्र प्रथम पत्र
5. सोमवार 10-5-82	सामान्य विज्ञान (कला, वाणिज्य तथा ऐच्छिक गणित छात्रों के लिए) जीव विज्ञान प्रथम पत्र/ कृषि विज्ञान प्रथम पत्र	नागरिक शास्त्र द्वितीय पत्र

1	2	3	4
6.	मंगलवार 11-5-82	प्रारम्भिक गणित (कला) वाणिज्य, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान के छात्रों के लिए ऐ. गणित प्रथम पत्र	ऐच्छिक संस्कृत प्रपत्र
7.	बुधवार 12-5-82	सामाजिक ज्ञान, भूगोल, प्रथम पत्र व्यापार पद्धति प्रथम पत्र	अर्थशास्त्र/गृह विज्ञान/ व्या. अर्थशास्त्र व्या भूगोल/मुद्रा अधिकोषण तथा विनिमय प्रथम पत्र/ टंकण शीघ्रलिपि हिन्दी र. विज्ञान प्रथम
8.	गुरुवार 13-5-82	संस्कृत/उर्दू/गुजराती/ सिन्धी/मलयालम-तृतीय भाषा ऐच्छिक संस्कृत द्वि. पत्र	अर्थशास्त्र/गृह विज्ञान/ व्या. अर्थशास्त्र व्या. भूगोल/रसायन विज्ञान, द्वितीय मुद्रा अधिकोषण तथा विनिमय द्वि. पत्र टंकण शीघ्रलिपि अंग्रेजी
9.	शुक्रवार 14-5-82	भूगोल द्वितीय पत्र, ऐ. गणित द्वितीय पत्र उर्दू/सिन्धी प्रथम पत्र, बहीखाता प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र	ऐच्छिक हिन्दी प्रथम पत्र, व्या. पद्धति द्वितीय पत्र जीव विज्ञान तथा कृषि विज्ञान भौतिक विज्ञान प्रथम
10.	शनिवार 15-5-82	ऐच्छिक हिन्दी/सिन्धी/उर्दू द्वितीय पत्र, बहीखाता द्वितीय पत्र, भौतिक विज्ञान द्वितीय पत्र	इतिहास।

यह संशोधित कार्यक्रम आयुक्त, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के परिपत्रांक शिविरा प/5827/1/81-82 विशेष, दिनांक 14-4-82 की अनुपालना में इस कार्यालय आदेशांक शिविरा-उदय/सीट-33/परीक्षा/82/83 दिनांक 20-4-82 के अनुसार अनुपालनार्थ प्रसारित किया जा रहा है।

(जगदम्बालाल उवावत)

दिनांक

अध्यक्ष, जिला समान परीक्षा व्यवस्था,
जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था, जिला उदयपुर
वार्षिक परीक्षा सत्र 1981-82

समय विभाग चक्र, कक्षा 6, 7, 8

(समय प्रातः 7.30 से 10.00 बजे तक)

क्र.सं.	तिथि एवम् वार		विषय एवम् प्रश्न-पत्र
1.	23-4-82	शुक्रवार	हिन्दी प्रथम
2.	24-482	शनिवार	हिन्दी द्वितीय
3.	26-4-82	सोमवार	अंग्रेजी
4.	27-4-82	मंगलवार	गणित प्रथम
5.	28-4-82	बुधवार	गणित द्वितीय
6.	29-4-82	गुरुवार	सामाजिक ज्ञान (भूगोल) प्रथम
7.	30-4-82	शुक्रवार	सामाजिक ज्ञान (इतिहास, नागरिक शास्त्र) द्वितीय
8.	1-5-82	शनिवार	सामान्य विज्ञान (यूनिसेफ विज्ञान)
9.	3-5-82	सोमवार	तृतीय भाषा संस्कृत (उर्दू)
10.	4-5-82	मंगलवार	चित्रकला /वाणिज्य
11.	5-5-82	बुधवार	कार्यानुभव /उद्योग

समय विभाग चक्र कक्षा 3, 4, 5

(समय प्रातः 10.30 से दोपहर 1.00)

क्र.सं.	तिथि एवम् वार		विषय एवम् प्रश्न-पत्र
1.	23-4-82	शुक्रवार	गणित
2.	24-4-82	शनिवार	विज्ञान (यूनिसेफ स्कीम सहित)
3.	26-4-82	सोमवार	हिन्दी
4.	27-4-82	मंगलवार	सामाजिक ज्ञान

नोट : पाठ्यक्रम में अंकित अंक विभाजन के अनुकूल मौखिक परीक्षा दिनांक 27.4.82 के बाद अपनी सुविधानुसार आयोजित कर लें।

(अक्षयसिह चौधरी)
संयोजक एवं आचार्य
रा. गु. गो. उ. मा. विद्यालय,
उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था, जिला उदयपुर

वार्षिक परीक्षा सन् 1981-82

संशोधित समय विभाग, चक्र 3 से 8 तक

दिवस व दिनांक		विषय व प्रश्न-पत्र कक्षा 6, 7 व 8 प्रातः 7.30 से 10.00	कक्षा 3, 4 व 5 प्रातः 10.30 से 1.00
1. बुधवार	5-5-82	हिन्दी प्रथम	गणित
2. गुरुवार	6-5-82	हिन्दी द्वितीय	विज्ञान (यूनिसेफ सहित हिन्दी)
3. शुक्रवार	7-5-82	अंग्रेजी	
4. शनिवार	8-5-82	गणित प्रथम	सामाजिक ज्ञान
5. सोमवार	10-5-82	गणित द्वितीय	
6. मंगलवार	11-5-82	सामाजिक ज्ञान (भूगोल) प्रथम	
7. बुधवार	12-5-82	सामाजिक ज्ञान (इतिहास व नागरिक शास्त्र) द्वितीय	
8. गुरुवार	13-5-82	सामान्य विज्ञान, (विज्ञान यूनिसेफ)	
9. शुक्रवार	14-5-82	तृतीय भाषा (संस्कृत व उर्दू)	
10. शनिवार	15-5-82	चित्रकला/वाणिज्य/गृह विज्ञान	

विशेष ज्ञातव्य : 1. यह संशोधित नियम विभाग चक्र आयुक्त, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर परिपत्र शिविरा : 5827/81-82/ (विशेष) दिनांक 14.4.82 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेशांक-निशिअ-उदय/सीट/33 /परीक्षा/82-83 दिनांक 20-4-82 के अनुसार अनुपालनार्थ प्रसारित किया जा रहा है।

2. उद्योग (कार्यानुभव) की परीक्षाएं संस्था प्रधान अन्य मौखिक व प्रायोगिक परीक्षाओं के अनुक्रम में अपनी सुविधानुसार 15-5-82 के पूर्व सम्पादित करा लेवें।

(जगदम्बालाल उदावत)
अध्यक्ष, जिला समान परीक्षा व्यवस्था
जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर

2006

समान परीक्षा व्यवस्था, जिला उदयपुर
संशोधित समय विभाग चक्र वार्षिक परीक्षा सत्र 81–82

परिपत्र

दिनांक 29-4-82 से बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा एवम् 19-5-82 को लोक सभा उप चुनाव के कारण वार्षिक परीक्षा के समय विभाग चक्र में निम्न प्रकार संशोधन किया जा रहा है। कृपया पूर्व में दिये गये समय विभाग चक्र में निम्न संशोधन के अनुसार परीक्षा सम्पन्न करावें।

दिनांक 23-4-82 से 28.4.82 तक कोई परिवर्तन नहीं।

दिनांक 29-4-82 के बजाय 10-5-82
,, 30-4-82 के बजाय 11-5-82
,, 1-5-82 के बजाय 12-5-82
,, 3-5-82 के बजाय 13-5-82
,, 4-5-82 के बजाय 14-5-82

दिनांक 5-5-82 से 8-5-82 तक की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

नोट : 1. सभी कक्षाओं की परीक्षा के समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।

2. मौखिक परीक्षा कक्षा 3 से 5 एवम् 6 से 8 की 28-4-82 से 4-5-82 तथा 6-5-82 से 15-5-82 की अवधि में सुविधानुसार अपने स्तर पर सम्पन्न करा लेवें।

3. प्रायोगिक परीक्षा कक्षा 9 की नोट 2 में दी गई अवधि में अथवा विद्यालय अपनी सुविधानुसार तिथियों में दिनांक 15-5-82 के पूर्व सम्पन्न करा लेवें।

इस समय विभाग चक्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संस्था प्रधान अपने स्तर पर नहीं करें एवम् परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथियों में ही सम्पन्न करें।

(अक्षयसिंह चौधरी)
संयोजक एवम् आचार्य
रा. गु. गो. उ. मा. विद्यालय,
उदयपुर (राज.)

समय विभाग-चक्र—सलूम्बर क्षेत्र
अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा सत्र–1982-83

क. सं.	दिनांक एवं वार	8.00 प्रातः से 11.00 प्रातः कक्षा XI
1.	9-12-82 गुरुवार	हिन्दी अनि०
2.	10.12-82 शुक्रवार	अंग्रेजी अनि०
3.	11-12-82 शनिवार	वि० हिन्दी, भौतिक वि०, शस्य एवं उद्यान विज्ञान, बहीखाता प्रथम
4.	13-12-82 सोमवार	वि० हिन्दी, भौ० वि०, शस्य एवं उद्यान विज्ञान, बहीखाता द्वितीय
5.	14-12-82 मंगलवार	भूगोल, रसायन विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग, व्या. प. प्रथम
6.	15-12-82 बुधवार	भूगोल, रसा. वि., पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग, व्या. प. द्वितीय
7.	16-12-82 गुरुवार	अर्थ शा., इतिहास, जी. वि., कृषि वि. ऐच्छिक गणित, वाणिज्य, भूगोल, चित्रकला, वाणिज्य, अर्थ शास्त्र, बैंकिग प्रथम
8.	17-12-82 शुक्रवार	अर्थ शा., इतिहास, जी. वि., कृषि वि. ऐच्छिक गणित, वाणिज्य, भूगोल, चित्रकला, वाणिज्य, अर्थ शास्त्र, बैंकिग द्वितीय
9.	18-12-82 शनिवार	नागरिक शास्त्र/संस्कृत-प्रथम
10.	20-12-82 सोमवार	ना. शा./संस्कृत द्वितीय

एम० एस० सुराणा
संयोजक
समान परीक्षा व्यवस्था केन्द्र, रा. उ. मा. वि., सलूम्बर

समय विभाग चक्र—सलूम्बर क्षेत्र
अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सत्र–1982-83

क्र० सं०	दिनांक एवं वार	11.30 प्रातः से 2.00 अपरान्ह		2.30 अपरान्ह से 5.00 सायं	
		X	IX	X	IX
1	2	3	4	5	6
1.	9-12-82 गुरुवार	हिन्दी (अनि.) I	हिन्दी (अनि.) I	प्रा० गणित (कला एवं वाणिज्य वर्ग) प्रा० गणित (जीव एवं कृषि वर्ग)	—
2.	10-12-82 शुक्रवार	हिन्दी (अनि.) II	हिन्दी (अनि.) II	—	प्रा० गणित (कला व वाणिज्य वर्ग) प्रा० गणित (जीव कृषि विज्ञान)
3.	11-12-82 शनिवार	अंग्रेजी (अनि.) I	अंग्रेजी (अनि.) II	संस्कृत (तृ० भा०) संस्कृत (ऐ०) I उर्दू (तृ० भा०)	
4.	13-12-82 सोमवार	अंग्रेजी (अनि.) II	अंग्रेजी (अनि.) II		संस्कृत (तृ. भा.) संस्कृत (ऐ.) I उर्दू (तृ. भा.)

1	2	3	4	5	6
5.	14-12-82 मंगलवार	सा० वि० (ऐ० गणित) सा० वि० (कला व वाणिज्य)	सा० वि० (ऐ० गणित) सा० वि० (कला व वाणिज्य)	उद्योग	—
6.	15-12-82 बुधवार	वि० हिन्दी I भौतिक विज्ञान I बहीखाता I	वि० हिन्दी I भौतिक विज्ञान I बहीखाता I	सामाजिक ज्ञान इतिहास I	नागरिक शास्त्र I
7.	16-12-82 गुरुवार	वि० हिन्दी II भौतिक विज्ञान II बहीखाता II	वि० हिन्दी II भौतिक विज्ञान II बहीखाता II	नागरिक शास्त्र I	सामाजिक ज्ञान I इतिहास संस्कृत (ऐ.) II
8.	17-12-82 शुक्रवार	भूगोल I रसायन विज्ञान I व्यापार पद्धति I	भूगोल I रसायन विज्ञान I व्यापार पद्धति I	इतिहास II संस्कृत (ऐ.) II	नागरिक शास्त्र II
9.	18-12-82 शनिवार	भूगोल II रसायन विज्ञान II व्यापार पद्धति II	भूगोल II रसायन विज्ञान II व्यापार पद्धति II	चित्रकला I	चित्रकला I

1	2	3	4	5	6
10.	20-12-82 सोमवार	प्रा० अर्थशास्त्र I जीव विज्ञान I कृषि विज्ञान I ऐ० गणित I वा० अर्थशास्त्र I वा. भूगोल I बैंकिंग I	प्रा० अर्थशास्त्र I जीव विज्ञान I कृषि विज्ञान I ऐ० गणित I वा० अर्थशास्त्र I वा० भूगोल I बैंकिंग I	नागरिक शास्त्र	उद्योग
11.	21-12-82 मंगलवार	प्रा० अर्थशास्त्र II जीव विज्ञान II कृषि विज्ञान II ऐ० गणित II वा० अर्थशास्त्र II वा० भूगोल II बैंकिंग II	प्रा० अर्थशास्त्र II जीव विज्ञान II कृषि विज्ञान II ऐ० गणित II वा० अर्थशास्त्र II. वा० भूगोल II बैंकिंग II	चित्रकला II	चित्रकला II

नोट :—(i) परीक्षा कार्यक्रम के मध्य असामयिक स्थिति में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश होने पर उस दिन की परीक्षायें परीक्षा समाप्ति के बाद वाले दिन से क्रमानुसार सम्पन्न की जावें ।

(ii) विज्ञान व कृषि वर्ग के अन्तर्गत जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षायें होती हैं, उन परीक्षाओं को शाला प्रधान अपनी सुविधानुसार परीक्षा के पूर्व अथवा पश्चात् सम्पन्न करा लेवें ।

एम० एस० सुराणा
संयोजक
समान परीक्षा व्यवस्था केन्द्र, रा. उ. मा. विद्यालय, सलूम्बर

210

समय विभाग-चक्र—सलूम्बर क्षेत्र

अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा सन् 1982-83

क्र. सं.	दिनांक एवं वार	11.30 प्रातः से 2.00 अपरान्ह III, IV, V	2.30 अपरान्ह से 5.00 सांय VI, VII, VIII
1	2	3	4
1.	9–12–82 गुरुवार	हिन्दी	हिन्दी I
2.	10–12–82 शुक्रवार	सामाजिक ज्ञान	हिन्दी II
3.	11–12–82 शनिवार	विज्ञान/विज्ञान यूनिसेफ	अंग्रेजी
4.	13–12–82 सोमवार	गणित	गणित I
5.	14–12–82 मंगलवार	—	गणित II
6.	15–12–82 बुधवार	—	सामाजिक ज्ञान I (भूगोल)
7.	16–12–82 गुरुवार	—	सामाजिक ज्ञान II (इतिहास व नागरिक शास्त्र)
8.	17–12–82 शुक्रवार	—	विज्ञान/विज्ञान यूनिसेफ
9.	18–12–82 शनिवार	—	उद्योग

1	2	3	4
10.	20–12–82 सोमवार	—	वाणिज्य/चित्रकला
11.	21–12–82 मंगलवार	—	संस्कृत

टिप्पणी—1. मौखिक परीक्षायें विद्यालय अपनी-अपनी सुविधा अनुसार आयोजित करेंगे।

2. परीक्षा कार्यक्रम के मध्य असामयिक स्थिति के केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा रेडियो पर अवकाश घोषित होने पर उस दिन की परीक्षायें, परीक्षा समाप्ति के बाद वाले दिन क्रमानुसार सम्पन्न की जावें।

एम० एस० सुराणा
संयोजक
समान परीक्षा व्यवस्था केन्द्र,
रा. उ. मा. वि. सलूम्बर

समय विभाग-चक्र— सलूम्बर क्षेत्र
वार्षिक परीक्षा सत्र 1982-83

क्र. सं.	दिनांक एवं वार	7.30 से 10.00 प्रातः IX	VI, VII, VIII	3.30 से 6.00 सायं IX	III, IV, V
1	2	3	4	5	6
1.	11–4–83 सोमवार	अंग्रेजी I (अनि.)	अंग्रेजी	उद्योग	—
2.	12–4–83 मंगलवार	अंग्रेजी II (अनि.)	हिन्दी I	संस्कृत (तृ. भा.) संस्कृत (ऐ.) I उर्दू (तृ. भा.)	—
3.	13–4–83 बुधवार	हिन्दी I (अनि.)	हिन्दी II	—	—
4.	15–4–83 शुक्रवार	हिन्दी II (अनि.)	विज्ञान/विज्ञान (यूनिसेफ)	सामाजिक ज्ञान	—
5.	16–4–83 शनिवार	सा. वि. (ऐ. गणित) सा. वि. (कला व वाणिज्य) I	वाणिज्य/चित्रकला	इतिहास I —	—
6.	18–4–83 सोमवार	प्रारम्भिक गणित (कला व वाणिज्य) प्रारम्भिक गणित (कृषि व जीव विज्ञानवर्ग)	गणित I	चित्रकला I	हिन्दी

1	2	3	4	5	6
7.	19–4–83 मंगलवार	विशेष हिन्दी I भौतिक विज्ञान I बहीखाता I	गणित II	संस्कृत (ऐ.) II	सामाजिक ज्ञान
8.	20–4–83 बुधवार	विशेष हिन्दी II भौतिक विज्ञान II बहीखाता II	सामाजिक ज्ञान I (भूगोल)	चित्रकला II	सामान्य विज्ञान/ विज्ञान(यूनिरोफ)
9.	22–4–83 शुक्रवार	भूगोल I रसायन विज्ञान I व्यापार पद्धति I	सामाजिक ज्ञान II (इतिहास व नागरिक शास्त्र)	—	गणित
10.	23–4–83 शनिवार	भूगोल II रसायन विज्ञान II व्यापार पद्धति II	भूगोल II रसायन विज्ञान II व्यापार पद्धति II	—	—
11.	26–4–83 सोमवार	प्रा. अर्थशास्त्र I जीव विज्ञान I ऐ. गणित I कृषि विज्ञान I वा. अर्थशास्त्र I वा. भूगोल I बैंकिंग I	उद्योग	नागरिक शास्त्र I	—

1	2	3	4	5	6
12.	27–4–83 मंगलवार	प्रा. अर्थशास्त्र II जीव विज्ञान II ऐ. गणित II कृषि विज्ञान II वा. अर्थशास्त्र II वा. भूगोल II बैंकिंग II	प्रा. अर्थशास्त्र II जीव विज्ञान II ऐ. गणित II कृषि विज्ञान II वा. अर्थशास्त्र II वा. भूगोल II बैंकिंग II	नागरिक शास्त्र II	—

नोट—(1) परीक्षा कार्यक्रम के मध्य असामयिक स्थिति में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश होने पर उस दिन की परीक्षायें, परीक्षा समाप्ति के बाद वाले दिन से क्रमानुसार सम्पन्न की जावें।

(2) विज्ञान व कृषि वर्ग के अन्तर्गत जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षायें होती हैं, उन परीक्षाओं को शाला प्रधान अपनी सुविधानुसार परीक्षा के पूर्व अथवा पश्चात् सम्पन्न करा लेवें।

(3) मौखिक परीक्षायें अपनी सुविधानुसार करा लेवें।

एम० एस० सुराणा
संयोजक
समान परीक्षा व्यवस्था केन्द्र, रा. उ. मा. विद्यालय सलूम्बर

215

समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र
संशोधित समय विभाग चक्र
अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा सत्र 1982-83

क्र. सं.	दिन व दिनांक	कक्षा 11वीं प्रातः 7.30 से 10.30	2.30 से 5.30
1	2	3	4
1.	13–12–82 सोमवार	अंग्रेजी अनिवार्य	
2.	14–12–82 मंगलवार	हिन्दी अनिवार्य	
3.	15–12–82 बुधवार	बहीखाता प्रथम, भूगोल प्रथम, जीव विज्ञान प्रथम, कृषि प्रथम	
4.	16–12–82 गुरुवार	बहीखाता द्वितीय, भूगोल द्वितीय, ऐच्छिक गणित प्रथम	
5.	17–12–82 शुक्रवार	व्या. पद्धति प्रथम, वि. हिन्दी प्रथम भौतिक विज्ञान प्रथम	
6.	18–12–82 शनिवार	व्या. पद्धति द्वितीय, वि. हिन्दी द्वितीय, भौतिक विज्ञान द्वितीय	
7.	20–12–82 सोमवार	इतिहास प्रथम, रसायन विज्ञान प्रथम	
8.	21–12–82 मंगलवार	इतिहास द्वितीय, रसायन विज्ञान द्वितीय	चित्रकला प्रथम
9.	23–12–82 गुरुवार	प्रा. मुद्रा अधि. प्रथम अ. शा. प्रथम (कला वर्ग) अ. शा. प्रथम (वा. वर्ग) व्या. भूगोल द्वितीय ऐ. गणित द्वितीय	चित्रकला द्वितीय

1	2	3	4
10.	31–12–82 बुधवार	प्रा. मुद्रा अधि. द्वितीय अ. शा. द्वितीय (कला वर्ग) अ. शा. द्वितीय (वा. वर्ग) व्या. भूगोल द्वितीय जीव विज्ञान द्वितीय कृषि द्वितीय	ऐ. संस्कृत प्रथम
11.	4–1–83 गुरुवार	नागरिक शास्त्र प्रथम	ऐ. संस्कृत द्वितीय
12.	5–1–83 शुक्रवार	नागरिक शास्त्र द्वितीय	

नोट :—(i) दिनांक 24–12–82 से 28–12–82 तक शीतकालीन अवकाश।

(ii) दिनांक 29 व 30 दिसम्बर, 82 शिक्षक संघों के अधिवेशन के शैक्षिक अवकाश

आनन्द बैरागी
संयोजक
समान परीक्षा व्यवस्था एवं प्रधानाध्यापक
उ. मा. वि. कुराबड़

समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र

समय विभाग-चक्र

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सत्र 1982–83

क.सं.	दिन व दिनांक	कक्षा Xth दसवीं		कक्षा IX नवीं	
		11 से 1.30 तक	2.30 से 5.00 तक	11 से 1.30 तक	2.30 से 5.00 तक
1	2	3	4	5	6
1.	13-12-82 सोमवार	—	सा. विज्ञान कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्ग	अंग्रेजी प्रथम	
2.	14-12-82 मंगलवार	—	—	अंग्रेजी अनि. द्वितीय	
3.	15-12-82 बुधवार	—	अंग्रेजी अनि. I	सा. विज्ञान (सभी वर्ग के लिए) जीव विज्ञान I , कृषि विज्ञान I	
4.	16-12-82 गुरुवार	—	हिन्दी अनि. I	हिन्दी अनि.	
5.	17-12-82 शुक्रवार	—	हिन्दी अनि. II	हिन्दी अनि. II	--

1	2	3	4	5	6
6.	18-12-82 शनिवार	चित्रकला I	अंग्रेजी अनि. II	गणित अनि. (कला, वाणिज्य, कृषि एवम् जीव विज्ञान) ऐ. गणित I	
7.	20-12-82 सोमवार	इतिहास I	प्रा. गणित (कला, वाणिज्य, विज्ञान) ऐ. गणित I	सा. ज्ञान भूगोल I , वहीखाता I	इतिहास
8.	21-12-82 मंगलवार	चित्रकला II	सा. ज्ञान, भूगोल I वहीखाता I	भूगोल II , वहीखाता II , भौ. विज्ञान I	चित्रकला I
9.	23-12-82 गुरुवार	ना. शास्त्र I	भूगोल II, वहीखाता II भौ. विज्ञान II	प्रा. मुद्रा अधि. I , अर्थशास्त्र I (कला, वाणिज्य) व्या. भूगोल I , भौ. विज्ञान II	चित्रकला II
10.	31-12-82 शुक्रवार	इतिहास II	रसायन शास्त्र I व्या. पद्धति I, ऐ. हिन्दी I	रसायन विज्ञान II व्या. पद्धति II ऐ. हिन्दी II	ना. शास्त्र I
11.	1-1-83 शनिवार	ना. शास्त्र II	रसायन शास्त्र II व्या. पद्धति II ऐ. हिन्दी II	ना. शास्त्र II	

1	2		3	4	5	6
12.	3-1-83	सोमवार	—	जीव विज्ञान कृषि विज्ञान		
13.	4-1-83	मंगलवार	संस्कृत तृ. भा. ऐ. संस्कृत I	प्रा. मुद्रा अधि. I अर्थशास्त्र I व्या. भूगोल I	प्रा. मुद्रा अधि. II कृषि विज्ञान II	
14.	5-1-83	बुधवार	ऐ. संस्कृत II	प्रा. मुद्रा अधि. II अर्थशास्त्र II व्या. भूगोल II ऐ. गणित II जीव विज्ञान II कृषि विज्ञान II	रसायन विज्ञान I व्या. पद्धति I ऐ. हिन्दी I	ऐ. संस्कृत II

नोट—(i) दिनांक 24-12-82 से 28-12-82 तक शीतकालीन अवकाश।
(ii) दिनांक 29-12-82 व 30-12-82 को शिक्षक संघों का अधिवेशनों का शैक्षिक अवकाश।

संयोजक एवं प्रधानाध्यापक
रा० उ० मा० वि० कुराबड़
समान परीक्षा व्यवस्था,
उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र

समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र
संशोधित समय विभाग-चक्र
अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सत्र 1982–83

कक्षा 6, 7 व 8 की परीक्षा 15–12–82 से प्रारम्भ होगी :

क्र.सं.	दिन व दिनांक		11.00 से 1.30 तक कक्षा 7	2.30 से 5.00 बजे तक कक्षा 6 व 8
1.	15–12–82	बुधवार	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2.	16–12–82	गुरुवार	हिन्दी प्रथम	हिन्दी प्रथम
3.	17–12–82	शुक्रवार	हिन्दी द्वितीय	हिन्दी द्वितीय
4.	18–12–82	शनिवार	गणित प्रथम	गणित प्रथम
5.	20–12–82	सोमवार	गणित द्वितीय	गणित द्वितीय
6.	21–12–82	मंगलवार	सामाजिक ज्ञान प्रथम (भूगोल)	सामाजिक ज्ञान प्रथम (भूगोल)
7.	23–12–82	गुरुवार	सा. ज्ञान द्वितीय (इति., ना. शास्त्र)	सा. ज्ञान, द्वितीय (इति., ना. शास्त्र)
8.	4–1–83	मंगलवार	सामान्य विज्ञान/यूनिसेफ	सामान्य विज्ञान/यूनिसेफ
9.	5–1–83	बुधवार	वाणिज्य/चित्रकला	वाणिज्य/चित्रकला
10.	31–12–82	शुक्रवार	संस्कृत	संस्कृत

कक्षा 3, 4 व 5 का समय विभाग चक्र—

क्र.सं.	दिन व दिनांक		समय 11.00 से 1.30 कक्षा 3, 4	समय 2.30 से 5.00 कक्षा 5
1.	20–12–82	सोमवार	हिन्दी	हिन्दी
2.	21–12–82	मंगलवार	गणित	गणित
3.	23–12–82	गुरुवार	सामाजिक ज्ञान	सामाजिक ज्ञान
4.	31–12–82	शुक्रवार	सामान्य विज्ञान/यूनिसेफ	सामान्य विज्ञान/यूनिसेफ

नोट :– मौखिक एवं उद्योग की परीक्षा अपने स्तर पर पूर्ण करें—

(i) दिनांक 24–12–82 से 28–12–82 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।

(ii) दिनांक 29 व 30–12–82 को शिक्षक संघ के अधिवेशन का शैक्षिक अवकाश।

आनन्द बैरागी
संयोजक
समान परीक्षा व्यवस्था एवं प्रधानाध्यापक
रा. उ. मा. विद्यालय, कुराबड़

समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र
समय विभाग चक्र

वार्षिक परीक्षा सत्र 1982–83

नोट :– 17 व 24 अप्रेल को रविवार व 14 अप्रेल को चेटीचण्ड, 21 अप्रेल राम-नवमी व 25 अप्रेल महावीर जयन्ती का अवकाश रहेगा ।

कक्षा 10 वीं

क्र.सं.	दिन व दिनांक	प्रात: 7.30 से 10 बजे	10.30 से 1.00 बजे
1	2	3	4
1.	11–4–83 सोमवार	अंग्रेजी प्रथम (अनिवार्य)	
2.	12–4–83 मंगलवार	अंग्रेजी द्वितीय (अनिवार्य)	
3.	13–4–83 बुधवार	हिन्दी अनिवार्य प्रथम	
4.	15–4–83 शुक्रवार	हिन्दी अनिवार्य द्वितीय	
5.	16–4–83 शनिवार	सामान्य विज्ञान (कला, वाणिज्य एवं ऐ. गणित के छात्रों के लिए) जीव विज्ञान प्रथम/ कृषि विज्ञान प्रथम	
6.	18–4–83 सोमवार	प्रारम्भिक गणित (कला, वाणिज्य, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान के लिए) ऐच्छिक गणित प्रथम	
7.	19–4–83 मंगलवार	सामाजिक ज्ञान/भूगोल प्रथम/ बहीखाता प्रथम	
8.	20–4–83 बुधवार	भूगोल द्वितीय/बहीखाता द्वितीय/भौतिक विज्ञान प्रथम	
9.	22–4–83 शुक्रवार	प्रा. मुद्रा अधि. प्रथम/ अर्थशास्त्र प्रथम कला वर्ग/ अर्थशास्त्र प्रथम वाणिज्य वर्ग व्या. भूगोल प्रथम/ भौतिक शास्त्र द्वितीय	चित्रकला प्रथम

1	2		3	4
10.	23–4–83	शनिवार	प्रा. मुद्रा अधि. द्वितीय/ अर्थशास्त्र कला वाणिज्य वर्ग/व्या. भूगोल द्वितीय/ऐ. गणित द्वितीय/ कृषि विज्ञान द्वितीय	चित्रकला द्वितीय
11.	26–4–83	मंगलवार	रसायन विज्ञान प्रथम/ व्या. पद्धति प्रथम/ ऐच्छिक हिन्दी प्रथम	तृतीय भाषा संस्कृत (उर्दू व गुजराती)
12.	27–4–83	बुधवार	ऐच्छिक हिन्दी द्वितीय/ रसायन विज्ञान द्वितीय व्यापार पद्धति द्वितीय	ना. शास्त्र प्रथम
13.	28–4–83	गुरुवार	इतिहास	संस्कृत ऐ. प्रथम
14.	29–4–83	शुक्रवार	ना. शास्त्र द्वितीय	संस्कृत ऐ. द्वितीय

आनन्द बैरागी
संयोजक
समान परीक्षा व्यवस्था एवं प्रधानाध्यापक
रा. उ. मा. वि. कुरावड़

समान परीक्षा व्यवस्था राजसमन्द क्षेत्र, जिला उदयपुर

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सत्र 1982-83
कार्यक्रम (कक्षा 9 व 10)

क्रमांक	दिन व दिनांक	प्रातः 8 से 10.30	प्रातः 11.00 से 1.30	अपराह्न 2.30 से साय 5.00 बजे तक	वि. विवरण
1	2	3	4	5	
1.	गुरुवार 9-12-82	—	—	अंग्रेजी अनि. प्रथम प्रश्न पत्र	
2.	शुक्रवार 10-12-82	—	—	अंग्रेजी अनि. द्वितीय प्रश्न पत्र	
3.	शनिवार 11-12-82	संस्कृत (तृ. भा.) ऐ. संस्कृत-प्रथम प्रश्न पत्र	—	हिन्दी अनिवार्य, प्रथम प्रश्न पत्र	
4.	सोमवार 13-12-82	उद्योग (काष्ठकला/सिलाई, कताई बुनाई)	—	हिन्दी अनिवार्य, द्वितीय प्रश्न पत्र	
5.	मंगलवार 14-12-82	अर्थशास्त्र (ऐ.) प्रथम प्रश्न पत्र	—	सामान्य विज्ञान (कला एवं वाणिज्य वर्ग तथा ऐच्छिक गणित के छात्रों के लिए)/जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान-प्रथम प्रश्न पत्र	
6.	बुधवार 15-12-82	अर्थशास्त्र (ऐ.) द्वितीय प्रश्न पत्र	—	प्रारम्भिक गणित (कला एवं वाणिज्य वर्ग तथा जीव विज्ञान के छात्रों के लिए)/ऐ. गणित-प्रथम प्रश्न पत्र ।	

1	2	3	4	5	6
7.	गुरुवार 16-12-82	चित्रकला प्रथम प्रश्न पत्र	—	ऐ. गणित/जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान (द्वितीय प्रश्न पत्र) व्यापार पद्धति/भूगोल (प्रथम प्रश्न पत्र)	
8.	शुक्रवार 17-12-82	चित्रकला द्वितीय प्रश्न पत्र	—	ऐ. हिन्दी/भौतिक विज्ञान/बहीखाता प्रथम-प्रश्न पत्र	
9.	शनिवार 18-12-82	—	—	ऐ. हिन्दी/भौतिक विज्ञान/बहीखाता-द्वितीय प्रश्न पत्र	
10.	सोमवार 20-12-82	—	ऐच्छिक संस्कृत-द्वि.प्र. प.	ना. शा./वाणि. अर्थशास्त्र/वाणि. भूगोल/मुद्रा अधि. (बैंकिंग)/टंकण/रसायन विज्ञान-प्रथम प्रश्न पत्र	
11.	मंगलवार 21-12-82	—	इतिहास (ऐ.) प्रथम प्रश्न पत्र	नागरिक शा./वाणि. अर्थ शा./वाणि. भूगोल/मुद्रा अधि. (बैंकिंग) टंकण/रसायन विज्ञान-द्वितीय प्रश्न पत्र	
12.	गुरुवार 23-12-82	—	इतिहास (ऐ.) द्वितीय प्रश्न पत्र (केवल कक्षा 10 के लिए)	व्यापार पद्धति/भूगोल-द्वितीय प्रश्न पत्र/सामाजिक ज्ञान (अनिवार्य)	

शंकर लाल कावड़िया
सचिव
समान परीक्षा व्यवस्था, राजसमन्द क्षेत्र
एवं
प्रधानाध्यापक, रा. उ. मा. वि. राजसमन्द

प्रेमसुख बीजावत
अध्यक्ष
समान परीक्षा व्यवस्था, राजसमन्द क्षेत्र
एवं
अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द

समान परीक्षा व्यवस्था, राजसमन्द क्षेत्र, जिला उदयपुर (राज.)

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सत्र 82-83

कार्यक्रम

(कक्षा 3, 4, 5 एवं 6, 7, 8 के लिए)

क्र. सं.	दिन व दिनांक	प्रातः 11.00 से 1·30 बजे तक कक्षा 6, 7, 8	सायं 2·30 से 5.00 बजे तक कक्षा 3, 4, 5
1.	गुरुवार 9-12-82	हिन्दी प्रथम प्रश्न पत्र	गणित
2.	शुक्रवार 10-12-82	अंग्रेजी	सामान्य विज्ञान/विज्ञान यूनिसेफ
3.	शनिवार 11-12-82	गणित प्रथम प्रश्न पत्र	सामाजिक ज्ञान
4.	सोमवार 13-12-82	गणित द्वितीय प्रश्न पत्र	हिन्दी
5.	मंगलवार 14-12-82	सामाजिक ज्ञान प्रथम (भूगोल)	—
6.	बुधवार 15-12-82	सामाजिक ज्ञान द्वितीय इतिहास एवं ना. शा.	—
7.	गुरुवार 16-12-82	सामान्य-विज्ञान/विज्ञान यूनिसेफ	—
8.	शुक्रवार 17-12-82	संस्कृत	—
9.	शनिवार 18-12-82	वाणिज्य ज्ञान/चित्रकला	—
10.	सोमवार 20-12-82	हिन्दी द्वितीय प्रश्न पत्र	—

विशेष :—

1. मौखिक परीक्षाएँ एवं कार्यानुभव की परीक्षाएँ प्रधानाध्यापक अपनी सुविधानुसार दिनांक 9-12-82 से 20-12-82 के मध्य सम्पन्न करें।
2. कक्षा 3 से 5 तक सामान्य विज्ञान/विज्ञान यूनिसेफ विषयों की मौखिक परीक्षाएँ भी होंगी।
3. मौखिक परीक्षा के प्रश्न पत्र पूर्व में ही तैयार करवा लिये जायें एवं उनकी एक प्रति कार्यालय फाइल में रखी जाय।

शंकर लाल कावड़िया
सचिव
समान परीक्षा व्यवस्था, राजसमन्द क्षेत्र
एवं प्र. अ. उ. मा. वि., राजसमन्द

प्रेम सुख बीजावत
अध्यक्ष
समान परीक्षा व्यवस्था, राजसमन्द
क्षेत्र एवं अतिरिक्त जिला
शि. अ., राजसमन्द

समान परीक्षा व्यवस्था, राजसमन्द क्षेत्र, जिला उदयपुर

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सन् 1982-83 ई.

कार्यक्रम (कक्षा 11 के लिये)

क्र. स.	दिन व दिनांक	प्रातः 11.00 से 2.00 बजे (अप.) तक	अपराह्न वि. वि. 2-30 से सायं 5.30 तक	
1	2	3	4	5
1.	गुरुवार 9-12-82	अंग्रेजी अनि.	—	
2.	शुक्रवार 10-12-82	हिन्दी अनि:	—	
3.	शनिवार 11-12-82	नागरिक शा. /भौतिक वि./ वहीखाता/शस्य व उद्यान वि./ प्रथम प्रश्न पत्र	—	
4.	सोमवार 13-12-82	नागरिक शास्त्र/भौतिक वि./ वही खाता/शस्य व उद्यान वि. द्वितीय प्रश्न पत्र	—	
5.	मंगलवार 14-12-82	ऐ. हिन्दी/रसायन वि./व्यापार पद्धति/पशुपालन/दुग्ध उद्योग प्रथम प्रश्न पत्र	—	
6.	बुधवार 15-12-82	ऐ. हिन्दी/रसायन वि./व्यापार प. पशुपालन/दुग्ध उद्योग द्वितीय प्रश्न पत्र	—	
7.	गुरुवार 16-12-82	भूगोल/ऐ. गणित/जीव वि. कृषि वि./कृषि जीव वि./ वाणिज्यिक अर्थ./वा. भूगोल मुद्रा अधिकोषण (बैंकिंग) टंकण-प्रथम प्रश्न पत्र	—	
8.	शुक्रवार 17-12-82	भूगोल/ऐ. गणित/जीव वि. कृषि वि./कृषि जीव वि./ वा. अर्थ./वाणिज्य भूगोल/ मुद्रा अधि. (बैंकिंग) टंकण- द्वितीय प्रश्न पत्र	—	

(228)

1	2	3	4
9.	शनिवार 18-12-82	इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र	ऐ. संस्कृत प्रथम प्रश्न प्रत्र
10.	सोमवार 20-12-82	इतिहास द्वितीय प्रश्न प्रत्र	ऐ. संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र
11.	मंगलवार 21-12-82	अर्थशास्त्र--प्रथम प्रश्न पत्र	चित्रकला प्रथम प्रश्न पत्र
12.	गुरुवार 23-12-82	अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र	चित्रकला द्वितीय प्रश्न प्रत्र

शंकर लाल कावडिया
सचिव

प्रेम सुख बीजावत
अध्यक्ष

समान परीक्षा व्यवस्था राजसमन्द क्षेत्र, जिला उदयपुर

वार्षिक परीक्षा सत्र 1982-83

कार्यक्रम कक्षा 6 से 8 व 3 से 5

क्र. सं	दिन व दिनांक	कक्षा 6 से 8 समय प्रात: 7.30 से 10.00 बजे	कक्षा 3 से 5 समय सायं 10.30 से 1.00
1	2	3	4
1.	सोमवार 11-4-83	हिन्दी प्रथम प्रश्न प्रत्र	गणित
2.	मंगलवार 12-4-83	हिन्दी द्वितीय प्रश्न पत्र	हिन्दी
3.	बुधवार 13-4-83	अंग्रेजी	सामाजिक ज्ञान
4.	शुक्रवार 15-4-83	गणित प्रथम प्रश्न पत्र	सामान्य विज्ञान/ विज्ञान यूनिसेफ
5.	शनिवार 16-4-83	गणित द्वितीय प्रश्न पत्र	
6.	सोमवार 18-4-83	सामाजिक ज्ञान प्रथम (भूगोल)	
7.	मंगलवार 19-4-83	सामाजिक ज्ञान द्वितीय (इतिहास)	
8.	बुधवार 20-4-83	सामान्य विज्ञान/विज्ञान यूनिसेफ	

(229)

1	2	3	4
9.	शुक्रवार 22-4-83	वाणिज्य ज्ञान/चित्रकला	
10.	शनिवार 23-4-83	संस्कृत (कक्षा 7 व 8) (कक्षा 6 में संस्कृत परीक्षा मौखिक होगी)	

निर्देश:–1. मौखिक परीक्षाएं एवं कार्यानुभव की परीक्षाएं दिनांक--11-4-83 से 27-4-83 के मध्य प्रधानाध्यापक अपनी सुविधानुसार सम्पन्न करें।

2. कक्षा 3 से 5 तक सामान्य विज्ञान, विज्ञान यूनिसेफ विषयों की मौखिक परीक्षा भी होगी।

3. मौखिक परीक्षा के लिये प्रश्न पत्र पूर्व में ही तैयार कर लिए जावें और उनकी एक प्रति कार्यालय फाइल में रखी जावे।

4. मौखिक परीक्षा के अंक विभाजन पूर्व में दिये जा चुके हैं।

शंकरलाल कावड़िया
सचिव
समान परीक्षा व्यवस्था राजसमन्द क्षेत्र
एवं प्र. अ. रा. उ. मा. वि.
राजसमन्द

प्रेमसुख बीजावत
अध्यक्ष
समान परीक्षा व्यवस्था राजसमन्द क्षेत्र
एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी,
राजसमन्द

समान परीक्षा व्यवस्था राजसमन्द क्षेत्र, जिला उदयपुर

वार्षिक परीक्षा सत्र 1982-83
कार्यक्रम कक्षा—9

क्र. सं.	दिन व दिनांक	समय प्रातः 7.30 से 10.00 बजे	समय सायं 3.00 से 5.30 बजे
1	2	3	4
1.	सोमवार दि. 11-4-83	अंग्रेजी प्रथम पत्र (अनिवार्य)	—
2.	मंगलवार 12-4-83	अंग्रेजी द्वितीय पत्र (अनिवार्य)	—
3.	बुधवार 13-4-83	हिन्दी प्रथम पत्र (अनिवार्य)	—संस्कृत (तृतीय भाषा) ऐच्छिक संस्कृत प्रथम पत्र

1	2	3	4
4.	शुक्रवार 15-4-83	हिन्दी द्वितीय पत्र (अनिवार्य)	उद्योग/काष्ठकला/सिलाई/कताई बुनाई
5.	शनिवार 16-4-83	सामान्य विज्ञान (कला एवं वाणि. वर्ग तथा ऐच्छिक गणित छात्रों के लिये) जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान प्रथम पत्र	—
6.	सोमवार 18-4-83	प्रा. गणित (कला एवं वाणिज्य वर्ग तथा जीव विज्ञान के छात्रों के लिये) ऐच्छिक गणित प्रथम पत्र	ऐ. संस्कृत-द्वितीय पत्र
7.	मंगलवार 19-4-83	ऐच्छिक गणित/जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान (द्वितीय पत्र) व्यापार पद्धति/भूगोल (प्रथम पत्र)	इतिहास
8.	बुधवार 20-4-83	सामाजिक ज्ञान (अनिवार्य) (व्यापार पद्धति/भूगोल (द्वितीय पत्र)	चित्रकला-प्रथम पत्र
9.	शुक्रवार 22-4-83	ऐ. हिन्दी/भौतिक विज्ञान/बही खाता (प्रथम पत्र)	चित्रकला-द्वितीय पत्र
10.	शनिवार 23-4-83	ऐ. हिन्दी/भौतिक वि./वहीखाता (द्वितीय पत्र)	—
11·	मंगलवार 26-4-83	नागरिक शास्त्र/वाणिज्य शास्त्र वाणिजीय भूगोल/मुद्रा अधिकोषण/टंकण/रसायन विज्ञान (प्रथम पत्र)	अर्थशास्त्र प्रथम पत्र
12.	बुधवार 27-4-83	नागरिक शास्त्र/वाणिज्य अर्थ./वाणिज्य भूगोल/मुद्रा अधिकोषण टंकण/रसायन विज्ञान (द्वितीय पत्र)	अर्थशास्त्र-द्वितीय पत्र

शंकर लाल कावड़िया
सचिव
समान परीक्षा व्यवस्था राजसमन्द क्षेत्र एवं प्र. अ. रा. उ. मा. वि., राजसमन्द

प्रेम सुख बोजावत
अध्यक्ष
समान परीक्षा व्यवस्था राजसमन्द क्षेत्र एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द

समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर नगर

समय विभाग चक्र
अर्द्ध वार्षिक परीक्षा 1982-83

तिथि एवं वार	समय 11 से 1.30 कक्षा IX	समय 2.30 से 5.00	समय 11.00 से 1.30 कक्षा X	समय 2.30 से 5.00
1	2	3	4	5
7-12-82 मंगलवार	हिन्दी अनिवार्य प्रथम			हिन्दी अनिवार्य प्रथम
8-12-82 बुधवार	हिन्दी अनिवार्य द्वितीय			हिन्दी अनिवार्य द्वितीय
9-12-82 गुरुवार	अंग्रेजी अनिवार्य प्रथम			अंग्रेजी अनिवार्य प्रथम
10-12-82 शुक्रवार	अंग्रेजी अनिवार्य द्वितीय			अंग्रेजी अनिवार्य द्वितीय
11-12-82 शनिवार	सामान्य विज्ञान (कला, वाणिज्य एवं ऐ. गणित के छात्रों के लिये) जीव विज्ञान प्रथम कृषि विज्ञान प्रथम			सामान्य विज्ञान (कला, वाणिज्य, ऐ. गणित वर्ग के लिये) जीव विज्ञान प्रथम कृषि विज्ञान प्रथम

231

1	2	3	4	5
13-12-82 सोमवार	प्रारम्भिक गणित (कला एवं वाणिज्य वर्ग) प्रारम्भिक गणित (जीव विज्ञान एवं कृषि वर्ग) ऐ. गणित प्रथम			प्रारम्भिक गणित (कला एवं वाणिज्य वर्ग) प्रारम्भिक गणित (जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान के छात्रों के लिये) ऐ. गणित प्रथम
14--12-82 मंगलवार	सामाजिक ज्ञान भूगोल प्रथम व्यापार पद्धति प्रथम			सामाजिक ज्ञान भूगोल व्यापार पद्धति प्रथम
15-12-82 बुधवार	भूगोल द्वितीय व्यापार पद्धति द्वितीय भौतिक विज्ञान प्रथम			भूगोल द्वितीय व्यापार पद्धति द्वितीय भौतिक विज्ञान प्रथम
16-12-82 गुरुवार	बहीखाता प्रथम ऐ. हिन्दी/उर्दू/सिन्धी प्रथम भौतिक विज्ञान द्वितीय	चित्रकला	इतिहास प्रथम	बहीखाता प्रथम ऐच्छिक हिन्दी प्रथम उर्दू प्रथम सिन्धी प्रथम भौतिक विज्ञान द्वितीय

1	2	3	4	5
17-12-82 शुक्रवार	बहीखाता द्वितीय ऐ. हिन्दी/उर्दू/सिन्धी द्वितीय रसायन विज्ञान प्रथम		चित्रकला प्रथम	बहीखाता द्वितीय ऐच्छिक हिन्दी द्वितीय उर्दू द्वितीय सिन्धी द्वितीय रसायन विज्ञान प्रथम
18-12-82 शनिवार	बैंकिंग प्रथम अर्थ शास्त्र प्रथम (कला वर्ग). अर्थशास्त्र प्रथम (वाणिज्य वर्ग) व्या. भूगोल प्रथम एवं ऐ. विज्ञान प्रथम टाइप हिन्दी शीघ्रलिपि (हिन्दी) रसायन विज्ञान द्वितीय	चित्रकला द्वितीय	चित्रकला द्वितीय	बैंकिंग प्रथम अर्थशास्त्र प्रथम (वाणिज्य वर्ग) अर्थशास्त्र प्रथम (कला वर्ग) व्या. भूगोल प्रथम गृह विज्ञान प्रथम टाइप (हिन्दी) शीघ्रलिपि (हिन्दी) रसायन विज्ञान द्वितीय
20-12-82 सोमवार	बैंकिंग द्वितीय अर्थशास्त्र द्वितीय (कला वर्ग)	ऐ. संस्कृत प्रथम	ऐ. संस्कृत प्रथम	बैंकिंग द्वितीय अर्थशास्त्र द्वितीय (वाणिज्य वर्ग)

1	2	3	4	5
	अर्थशास्त्र प्रथम (वाणिज्य वर्ग) व्या. भूगोल द्वितीय गृह विज्ञान द्वितीय टाइप (अंग्रेजी) (शीघ्र लिपि (अंग्रेजी) ऐच्छिक गणित द्वितीय जीव विज्ञान द्वितीय कृषि विज्ञान द्वितीय			अर्थशास्त्र द्वितीय (कला वर्ग) व्या. भूगोल द्वितीय गृह विज्ञान द्वितीय टाइप द्वितीय (अंग्रेजी) शीघ्रलिपि द्वितीय (अंग्रेजी) ऐ. गणित द्वितीय जीव विज्ञान द्वितीय कृषि विज्ञान द्वितीय
21-12-82 मंगलवार	नागरिक शास्त्र प्रथम	ऐ. संस्कृत द्वितीय तृतीय भाषा (संस्कृत/ उर्दू, मलयालम, सिन्धी)	ऐ. संस्कृत द्वितीय संस्कृत/उर्दू/सिन्धी मलयालम (तृतीय भाषा) इतिहास द्वितीय	नागरिक शास्त्र प्रथम नागरिक शास्त्र द्वितीय
23-12-82 गुरुवार	नागरिक शास्त्र द्वितीय	इतिहास		

नोट—कक्षा नवीं और दसवीं उद्योग विषय के प्रश्न पत्र दिनांक 7-12-82 सोमवार को 8.00 से 10.30 होगा।

अब्दुल वाजिद
संयोजक समान व्यवस्था एवं प्रधानाध्यापक
फ. उ. मा. वि. उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर नगर

समय विभाग चक्र कक्षा 6, 7, 8 का
अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सन् 1982-83

	6, 7, 8	8वीं	6, 7 वीं
तिथि एवं वार	8.00 से 10.30	11.00 से 1.30	2.30 से 5.00
13-12-82 गुरुवार	संस्कृत, उर्दू, सिन्धी	हिन्दी-प्रथम	हिन्दी-प्रथम
14-12-82 शुक्रवार		हिन्दी-द्वितीय	हिन्दी द्वितीय
15-12-82 शनिवार		अंग्रेजी	अंग्रेजी
16-12-82 सोमवार		गणित-प्रथम	गणित प्रथम
17-12-82 मंगलवार		गणित-द्वितीय	गणित-द्वितीय
18-12-82 बुधवार		सामाजिक ज्ञान प्रथम	सामाजिक ज्ञान प्र.
20-12-82 गुरुवार		सामाजिक ज्ञान द्वितीय	सामाजिक ज्ञान द्वि.
21-12-82 शुक्रवार		सामान्य विज्ञान	सामान्य विज्ञान
23-12-82 शनिवार	उद्योग	वाणिज्य, चित्रकला	वाणिज्य, चित्रकला

कक्षा 3, 4 एवं 5वीं का समय विभाग चक्र

	3, 4,		5 वीं
तिथि एवं वार	8.00 से 1.30	11.00 से 1.30	2.30 से 5.00
18-12-82 सोमवार	हिन्दी		हिन्दी
20-12-82 मंगलवार	गणित		गणित
21-12-82 बुधवार	सामाजिक ज्ञान		सामाजिक ज्ञान
23-12-82 गुरुवार	विज्ञान, विज्ञान यूनिसेफ		विज्ञान विज्ञान यूनिसेफ

नोट–मौखिक परीक्षा विद्यालय अपने स्तर पर पूर्ण करें।

अब्दुल वाजिद
संयोजक एवं प्रधानाध्यापक

समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर नगर

समय विभाग चक्र

कक्षा 9वीं

वार्षिक परीक्षा, 1983

तिथि एवं वार	7.00 से 9.30 प्रातः	10.30 से 1.00
1	2	3
11-4-83 सोमवार	हिन्दी अनिवार्य प्रथम	
12-4-83 मंगलवार	हिन्दी अनिवार्य द्वितीय	
13-4-83 बुधवार	अंग्रेजी अनिवार्य प्रथम	
15-4-83 शुक्रवार	अंग्रेजी अनिवार्य द्वितीय	
16-4-83 शनिवार	सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान प्रथम कृषि विज्ञान प्रथम	
18-4-83 सोमवार	प्रारम्भिक गणित ऐच्छिक गणित प्रथम	
19-4-83 मंगलवार	सामाजिक ज्ञान व्यापार पद्धति प्रथम भूगोल प्रथम	
20-4-83 बुधवार	भौतिक विज्ञान प्रथम व्यापार पद्धति द्वितीय भूगोल द्वितीय	
22-4-83 शुक्रवार	भौतिक विज्ञान प्रथम बहीखाता द्वितीय ऐ. हिन्दी, उर्दू, सिन्धी, प्रथम	चित्रकला प्रथम
23-4-83 शनिवार	रसायन विज्ञान प्रथम बहीखाता द्वितीय ऐच्छिक हिन्दी, सिन्धी द्वितीय उर्दू	

1	2	3
26-4-83 मंगलवार	रसायन विज्ञान द्वितीय बैंकिंग, अर्थ शास्त्र (वाणिज्य) चित्रकला द्वितीय व्या. भूगोल; गृह विज्ञान, अर्थ शास्त्र (कला)–प्रथम टंकण हिन्दी शीघ्र लिपि हिन्दी	
27-4-83 बुधवार	ऐ. गणित, कृषि विज्ञान जीव विज्ञान बैंकिंग, अर्थ शास्त्र (वाणिज्य), व्या. भूगोल, गृह विज्ञान; अर्थ शास्त्र (कला) द्वितीय टंकण अंग्रेजी शीघ्रलिपि, अंग्रेजी	ऐच्छिक संस्कृत प्रथम
28-4-83 गुरुवार	ऐ. संस्कृत; द्वितीय तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, मलयालम, सिन्धी)	नागरिक शास्त्र प्रथम
29-4-83 शुक्रवार	उद्योग	नागरिक शास्त्र द्वि.
30-4-83 शनिवार	इतिहास	

राधेश्याम मेहता

संयोजक एवं प्रधानाध्यापक

रा. फ. उ. मा. विद्यालय, उदयपुर

(238)

समान परीक्षा व्यवस्था, उदयपुर नगर

समय विभाग चक्र
वार्षिक परीक्षा, 1983

तिथि एवं वार	कक्षा 8वीं 7.00 से 9.30	कक्षा 7, 6 10.30 से 1.00
11-4-83 सोमवार	हिन्दी प्रथम	हिन्दी प्रथम
12-4-83 मंगलवार	हिन्दी द्वितीय	हिन्दी द्वितीय
13-4-83 बुधवार	अंग्रेजी	अंग्रेजी
15-4-83 शुक्रवार	गणित प्रथम	गणित प्रथम
16-4-83 शनिवार	गणित द्वितीय	गणित द्वितीय
18-4-83 सोमवार	सामाजिक ज्ञान प्रथम	सामाजिक ज्ञान प्रथम
19-4-83 मंगलवार	सामाजिक ज्ञान द्वितीय	सामाजिक ज्ञान द्वितीय
20-4-83 बुधवार	सामान्य विज्ञान	सामान्य विज्ञान
22-4-83 शुक्रवार	संस्कृत, उर्दू, सिन्धी	संस्कृत, उर्दू, सिन्धी
23-4-83 शनिवार	वाणिज्य, चित्रकला	वाणिज्य, चित्रकला
26-4-83 मंगलवार	उद्योग	

कक्षा 5, 4, एवं 3 का समय विभाग चक्र

तिथि एवं वार	कक्षा 5 7.00 से 9.30 तक	कक्षा 4 एवं 3 10.30 से 1.00
27-4-83 बुधवार	हिन्दी	हिन्दी
28-4-83 गुरुवार	गणित	गणित
29-4-83 शुक्रवार	सामाजिक ज्ञान	सामाजिक ज्ञान
30-4-83 शनिवार	सामान्य विज्ञान	सामान्य विज्ञान

नोट:—मौखिक परीक्षा विद्यालय अपने स्तर पर पूर्ण करें।

राधेश्याम मेहता
संयोजक एवं प्रधानाध्यापक
रा. फ. उ. मा. विद्यालय, उदयपुर

समान परीक्षा व्यवस्था वल्लभनगर क्षेत्र (उदयपुर)

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा सत्र 1982–83

समय विभाग चक्र—कक्षा 6 से 8 तक

क्र.सं.	तिथि एवं वार	समय 11.00 से 1.30 बजे	समय 2.30 से 5.00 बजे
1.	13-12-82 सोमवार	हिन्दी प्रथम	
2.	14-12-82 मंगलवार	हिन्दी द्वितीय	
3.	15-12-82 बुधवार	अंग्रेजी	
4.	16-12-82 गुरुवार	गणित प्रथम	
5.	17-12-82 शुक्रवार	गणित द्वितीय	
6.	18-12-82 शनिवार	सामाजिक ज्ञान प्रथम (भूगोल)	
7.	20-12-82 सोमवार	सामाजिक ज्ञान द्वितीय (इतिहास)	वाणिज्य
8.	21-12-82 मंगलवार	सामान्य विज्ञान/ यूनिसेफ विज्ञान	
9.	23-12-82 गुरुवार	तृतीय भाषा संस्कृत/उर्दू	उद्योग

हस्ताक्षर
संयोजक एवं प्रधानाध्यापक
भैरव रा. उ. मा. वि. भीण्डर

समय विभाग चक्र कक्षा 9 व 10

क.सं.	तिथि एवं वार	समय	
		प्रात: 8.00 से 10.30 बजे	सायं 2.30 से 5.00 बजे
1	2	3	4
1.	13-12-82 सोमवार	अंग्रेजी (अनि.) प्रथम	उद्योग
2.	14–12–82 मंगलवार	अंग्रेजी (अनि.) द्वितीय	अर्थशास्त्र/वा. अर्थशास्त्र/ बैंकिंग/सामान्य वि./वा. भूगोल (सभी प्रथम)
3.	15–12–82 बुधवार	हिन्दी (अनि.) प्रथम	ऐ. संस्कृत प्रथम (तृ.भा.) संस्कृत
4.	16–12–82 गुरुवार	हिन्दी (अनि.) द्वितीय	सामाजिक ज्ञान/भूगोल प्रथम/व्यापार पद्धति प्रथम
5.	17–12–82 शुक्रवार	सामान्य विज्ञान (कला, वाणिज्य एवं ऐ. गणित के छात्रों के लिए) जीव विज्ञान प्रथम/ कृषि विज्ञान प्रथम	इतिहास प्रथम
6.	18–12–82 शनिवार	प्रारम्भिक गणित (कला, वाणिज्य, जीव विज्ञान एवं रसायनविज्ञान ऐच्छिक गणित प्रथम	चित्रकला/ऐ. संस्कृत द्वितीय
7.	20–12–82 सोमवार	ऐच्छिक गणित/ जीव विज्ञान/व्यापार पद्धति/भूगोल/कृषि (सभी द्वितीय)	इतिहास II कक्षा 10 के लिए

1	2	3	4
8.	21–12–82 मंगलवार	ऐ. हिन्दी/भौ० विज्ञान बहीखाता, सभी प्रथम	अर्थशास्त्र/वा. अर्थशास्त्र बैंकिंग/वा. भूगोल रसायन वि. सभी द्वितीय
9.	22–12–82 बुधवार	ऐ. हिन्दी/भौतिक विज्ञान बहीखाता सभी द्वितीय	नागरिक शास्त्र द्वितीय 21.00 से 1.30 तक नाग. शास्त्र प्रथम 2.30 से 5.00 बजे तक

हस्ताक्षर
संयोजक एवं प्रधानाध्यापक,
भैरव रा० उ० मा० वि०, भीण्डर

समय विभाग-चक्र—कक्षा 11

क्र.सं.	तिथि व वार	समय 11 से 2 बजे	2.30 से 5.30 बजे
1	2	3	4
1.	13–12–82 सोमवार	हिन्दी अनिवार्य	—
2.	14–12–82 मंगलवार	अंग्रेजी अनिवार्य	संस्कृत ऐ. प्रथम
3.	15–12–82 बुधवार	ना० शा०, रसा० शा०, उद्यान विज्ञान, बहीखाता प्रथम,	—
4.	16–12–82 गुरुवार	ना० शा०, रसा० शा०, बहीखाता, उद्यान वि० द्वितीय	—

1	2	3	4
5.	17–12–82 शुक्रवार	भूगोल, भौ० वि०, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, व्या.पद्धति प्रथम	इतिहास प्रथम
6.	18–12–82 शनिवार	भूगोल, भौ० वि., पशुपालन, दुग्ध उद्योग, व्यापार पद्धति द्वितीय	इतिहास द्वितीय
7.	20–12–82 सोमवार	अर्थशास्त्र, वा० अर्थशास्त्र, वा० भूगोल, कृषि, बैंकिंग, टंकण, ऐ. गणित	संस्कृत द्वितीय
8.	21–12–82 मंगलवार	अर्थशास्त्र, वा० अर्थशास्त्र, वा० भूगोल, कृषि, बैंकिंग, टंकण, ऐ. गणित, जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान द्वितीय	ऐच्छिक हिन्दी प्रथम
9.	23–12–82 गुरुवार	ऐ० हिन्दी द्वितीय	चित्रकला द्वितीय
10.	29–12–82 बुधवार	चित्रकला प्रथम	

अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा—कक्षा 3 से 5

क. सं.	तिथि एवं वार	समय 2.30 से 5.00
1	2	3
1.	13–12–82 सोमवार	हिन्दी

1	2	3
2.	14–12–82 मंगलवार	गणित
3.	15–12–82 बुधवार	सामाजिक ज्ञान
4.	16–12–82 गुरुवार	सामान्य विज्ञान/ साहित्य

हस्ताक्षर
संयोजक एवं प्रधानाध्यापक
भैरव रा० उ० मा० वि०, भीण्डर

वार्षिक परीक्षा — 1983

समय विभाग चक्र

दिनांक व दिन	समय 7.30 से 12.00 बजे तक कक्षा 6 से 8 तक	समय 10.30 से 1.00 तक कक्षा 3 से 5	कक्षा 9
1	2		3
11–4–83 सोमवार	हिन्दी प्रथम	हिन्दी	हिन्दी अ. प्रथम
12–4–83 मंगलवार	हिन्दी द्वितीय	गणित	हिन्दी अ. द्वितीय
13–4–83 बुधवार	अंग्रेजी	सामाजिक ज्ञान	अंग्रेजी अ. प्रथम
15–4–83 शुक्रवार	गणित प्रथम	सा० विज्ञान	अंग्रेजी अ. द्वितीय
		कक्षा 9	
16–4–83 शनिवार	गणित द्वितीय	सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि-विज्ञान, प्रथम	
18–4–83 सोमवार	सा० ज्ञा० I (भूगोल)	प्रा. गणित, ऐ. गणित प्रथम	
19–4–83 मंगलवार	सा. ज्ञा. II (इति.+ना. शा.)	सामाजिक ज्ञान, भूगोल, व्या. पद्धति प्रथम	
20–4–83 बुधवार	सा. विज्ञान	ऐ. गणित, जीव वि., कृषि वि., व्या. पद्धति, भूगोल द्वितीय	

1	2	3
22-4-83 शुक्रवार	संस्कृत/उर्दू (7 व 8) कक्षा 9—इतिहास	ऐ. हिन्दी, भौ. वि., बहीखाता, सभी द्वितीय
23-4-83 शनिवार	चित्रकला/वाणिज्य	ऐ. हिन्दी, भौ. वि., बहीखाता सभी प्रथम
26-4-83 मंगलवार	9—तृतीय भाषा संस्कृत/उर्दू	अर्थशास्त्र, वा. अर्थशास्त्र, वा. भूगोल, रसा. वि., बैंकिंग, हिन्दी टंकण, प्रथम
27-4-83 बुधवार	9—उद्योग/सिलाई/कताई–बुनाई	अर्थशास्त्र, वा. अर्थशास्त्र, वा. भूगोल, रसा. वि., बैंकिंग, अंग्रेजी टंकण द्वितीय
28-4-83 गुरुवार	9–ऐच्छिक संस्कृत प्रथम	नागरिक शास्त्र प्रथम
29-4-83 शुक्रवार	9-ऐच्छिक संस्कृत द्वितीय	नागरिक शास्त्र द्वितीय

हस्ताक्षर

राधामोहन पुरोहित

संयोजक, समान परीक्षा व्यवस्था

वल्लभनगर क्षेत्र एवं प्र.अ.

भैरव उ. मा. वि. भीण्डर

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 763 की सूची व विवरण

अभियोग की सूची

क्र. सं.	अभियोग सं. व दिनांक	अनुज्ञाधारी के नौकर, उसका नाम व पता	कार्यवाही विवरण
1	2	3	4
1.	6/28–4–83	गोवर्धन पुत्र भंवरलाल दुकान नं. 6 विदेशी मदिरा अश्वनीकुमार एण्ड पार्टी	100/- जुर्माना
2.	7/1–5–83	ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल दे. म. दु. गंज, शंकरलाल एण्ड पार्टी	200-- जुर्माना
3.	8/1–5–83	लियाकतअली पुत्र हुसेनखां दे. म. दु. कहार मोहल्ला, शंकरलाल एण्ड पार्टी	200/- जुर्माना
4.	9/1–5–83	मिश्रकुमार पुत्र मंगूमल दे.म. दु. नं.3 अश्वनीकुमार एण्ड पार्टी	200/- जुर्माना
5.	10/1–5–83	गुलाम मोहम्मद पुत्र नन्नूखां दे.म.दु. उसरी गेट, शंकरलाल एण्ड पार्टी	200/- जुर्माना
6.	11/10–5–83	गोविन्द पुत्र मिचूंमल वि. म. दु. नं.13, मार्टिनलवृज अश्वनीकुमार एण्ड पार्टी	500/- जुर्माना
7.	22/23–6–83	शंकरलाल एण्ड पार्टी दे. म.दु. नं.3. खईलण्ड	1000/- जुर्माना
8.	23/23–6–83	शंकरलाल एण्ड पार्टी दे. म. दु. कहार मोह.	1000/- जुर्माना

1	2	3	4
9.	25/1–7–83	अश्वनीकुमार एण्ड पार्टी वि. म. दु. नं. 14	500/- जुर्माना
10.	26/1–7–83	अश्वनीकुमार एण्ड पार्टी वि. म. दु. नं. 5	500/- जुर्माना
11.	27/1–7–83	शंकरलाल एण्ड पार्टी दे. म. दु. गंज	101/- जुर्माना
12.	29/14-7-83	शंकरलाल एन्ड पार्टी दे.म.दु.लोहागल	101/- जुर्माना
13.	34/3–8–83	,, ,, ,,	101/- जुर्माना
14.	38/8–8–83	,, ,, खाईलाण्ड	101/- जुर्माना
15.	11/1–7–83	,, ,, भेरूखेडा	200/- जुर्माना
16.	12/1–7–83	अश्वनीकुमार एण्ड पार्टी वि. म. दु. नं. 13	500/- जुर्माना
17.	13/1–7–83	अश्वनीकुमार एण्ड पार्टी वि. म. दु. नं. 10	500/- जुर्माना
18.	27/31–8–83	अश्वनीकुमार एण्ड पार्टी वि. म. दु. नं. 5	101/- जुर्माना
19.	28/31–8–83	अश्वनीकुमार एण्ड पार्टी वि. म. दु. नं. 10	101/- जुर्माना
20.	41/15-12-83	शंकरलाल एण्ड पार्टी दे. म. दु. भेरूखेडा	101/- जुर्माना

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 766 की सूची व ब्यौरा

प्राप्त निविदाओं की सूची

1. ड्‌वी इंजिनियर्स, डेनवर यू० के.
2. इकोना ओए, फिनलैण्ड
3. जेकब इन्टर नेशनल, यू.एस.ए. व एन.आइ.डी.सी., नई दिल्ली
4. मेकोन इण्डिया लि., रांची
5. लेवेलिन इन्टर नेशनल, कनाडा
6. डा०ल्यूब्रिक कन्सलटेंट प्रा. लि., मद्रास
7. अपेक्स ज्योलोजिकल सर्विसेज प्रा. लि., बम्बई
8. मैं. लुरगी केमी वेस्ट जर्मनी व लुरगी इण्डिया क. प्रा. लि., दिल्ली
9. वोल्डर एसोसिएट, यू. के., इंग्लैण्ड
10. टेलर वुडरो मैनेजमेंट एण्ड इंजि. क. लि., इंग्लैण्ड
11. ज्योमिन रूमानिया व जेनिथ ओवरसिज प्रा. लि., नई दिल्ली
12. सेसा गोवा लि., गोवा
13. इंजिनियर्स इन्टर नेशनल इण्डिया प्रा. लि., नागपुर एवं रजि. इन्टर नेशनल डोनर्स ग्रोव
14. डवलपमेन्ट कन्सलटेन्ट प्रा. लि., कलकत्ता
15. केमेरा ओय व ओटू कम्पू ओय, फिनलैण्ड
16. जिम्पेक्स मिनरल्स लि., गांधी धाम
    मेटलजीकल कन्टसन क., चीन
17. रॉक केनार्ड एवं लेपवर्थ यू. के. एवं हक कन्सलटेन्ट, जयपुर
18. एस.एन.सी., कनाडा व हम फ्री एण्ड ग्लैसगो, बम्बई
19. प्रोजेक्ट्स डवलपमेन्ट इण्डिया, सिन्दरी,
    एन. एम. डी. सी., हैदराबाद
20. सोफरा माईन्स फ्रांस व इन्जिनियर्स इण्डिया लि., नई दिल्ली
21. सी.एम.पी.डी.आई., रांची
22. रिंस वर्न कन्सलटिंग वेस्ट जर्मनी
23. एम.सी. वर्गीस चेयरमेन्ट इन्टरनेशनल कन्सलटेन्ट क., मद्रास

पायलट प्लान्ट की कार्यक्षमता का मासिक विवरण

माह	वर्ष	निम्न श्रेणी रॉक फास्फेट काम में लिया गया (मैट्रिक टन)	उच्च श्रेणी के रॉक फास्फेट की प्राप्ति (मैट्रिक टन)
दिसम्बर	1982	1532.78	604.48
जनवरी	1983	1236.04	601.67
फरवरी	1983	2138.13	1096.93
मार्च	1983	2269.82	817.43
अप्रेल	1983	674.26	324.32
मई	1983	1131.96	306.66
जून	1983	1526.30	536.92
जुलाई	1983	1486.54	518.46
अगस्त	1983	588.42	20.78
सितम्बर	1983	979.32	524.80
अक्टूबर	1983	1067.40	512.14
नवम्बर	1983	814.20	340.54
दिसम्बर	1983	1175.16	645.56
जनवरी	1984	1602.86	603.58
फरवरी	1984	1268.02	342.40
मार्च	1984	1513.76	406.98
		21004.97	8203.65

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

आदिवासी लड़के/लड़कियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की योजना

780. श्री मालाराम (खेतड़ी) :

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम द्वारा निदेशालय प्राविधिक शिक्षा राजस्थान को माईनिंग मेट, माईनिंग ब्लास्टर व अन्य तकनीकी कर्मचारियों के रूप में आदिवासी लड़के/लड़कियों को प्रशिक्षण देने की योजना प्रस्तावित की गई थी ?

(2) यदि हां, तो यह योजना क्या है और उसके अनुसार अभी तक कितने आदिवासी प्रशिक्षित कराये जा चुके हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला प्रमुख चित्तौड़गढ़ द्वारा की गई यात्राएं

781. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख श्री विक्रमसिंह के चुने जाने के पश्चात् उन्होंने दिसम्बर 1983 तक कितना यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्ता उठाया ? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जिला प्रमुखों को दी गई कार के पैट्रोल का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख ने अब तक प्रतिमाह कार में पैट्रोल पर कितना रुपया व्यय किया तथा कार प्रतिमाह कितना किलोमीटर चली ? कृपया प्रतिमाह के हिसाब से विवरण माह दिसम्बर 1983तक का सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला-प्रमुख चित्तौड़गढ़ द्वारा माह अगस्त 1983 तक दैनिक भत्ते के रूप में 3590/- रु. उठाये गये हैं, जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । माह सितम्बर, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक का दैनिक भत्ता अभी नहीं उठाया गया है ।

(2) जी नहीं । कार उपलब्ध कराये जाने की तिथि से प्रतिमाह पैट्रोल पर किया गया व्यय एवं कार जितनी किलोमीटर चली है, उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 781/पं० रा० मं० के भाग (1) से सम्बन्धित सूची

क्र. सं.	नाम माह	दैनिक भत्ते की उठाई गई राशि	
1	2	3	
1.	जनवरी 1982	160.00	
2.	फरवरी ,,	90.00	
3.	मार्च ,,	150.00	जिला परिषद चित्तौड़गढ़
4.	अप्रेल ,,	130.00	की जीप द्वारा यात्रायें
5.	मई ,,	125.00	की गई।
6.	जून ,,	125.00	
7.	जुलाई ,,	95.00	
8.	अगस्त ,,	95.00	
9.	सितम्बर ,,	205.00	
10.	अक्टूबर ,,	110.00	
11.	नवम्बर ,,	145.00	
12.	दिसम्बर ,,	170.00	
13.	जनवरी 1983	180.00	जिला परिषद चित्तौड़गढ़
14.	फरवरी ,,	150.00	की कार द्वारा यात्रायें की
15.	मार्च ,,	140.00	गई।
16.	अप्रेल ,,	240.00	
17.	मई ,,	380.00	
18.	जून ,,	360.00	
19.	जुलाई ,,	240.00	
20.	अगस्त ,,	300.00	
21.	सितम्बर	दैनिक भत्ते की	
22.	अक्टूबर	राशि नहीं उठाई गई है।	
23.	नवम्बर	,,	
24.	दिसम्बर	,,	
	योग	3590/-	

। तारांकित प्रश्न संख्या 781/पं.रा.म. के भाग (2) से सम्बन्धित सूची

क्र. सं.	नाम माह		पैट्रोल पर व्यय की गई राशि	किलोमीटर
1	2		3	3
1.	सितम्बर	1982	2592.63	4272
2.	अक्टूबर	,,	2094.67	2648
3.	नवम्बर	,,	3339.00	4139
4.	दिसम्बर	,,	3681.98	4467
5.	जनवरी	1983	3827.24	4575
6.	फरवरी	,,	3207.97	4046
7.	मार्च	,,	3141.60	3813
8.	अप्रेल	,,	3662.92	3949
9.	मई	,,	4222.55	4892
10.	जून	,,	3936.39	4108
11.	जुलाई	,,	2212.30	2568
12.	अगस्त	,,	2568.65	2708
13.	सितम्बर	,,	3086.00	3063
14.	अक्टूबर	,,	3857.40	4311
15.	नवम्बर	,,	2639.65	2768
16.	दिसम्बर	,,	2965.65	3171
		योग	51,036.60	59498

बीकानेर के ग्राम जयमलसर में भूमिहीन व्यक्तियों को भू-आवंटन

782. **श्री देवीसिंह भाटी** : (कोलायत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बीकानेर के ग्राम जयमलसर में किन-किन व्यक्तियों को भूमिहीन श्रेणी में भू-आवंटन किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि भू-आवंटन नियम के अन्तर्गत भू-आवंटन गांव के मूल निवासी व भूमिहीन को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए ?

(3) क्या यह भी सही है कि भू-आवंटन नियम 15 के अन्तर्गत 50% भूमि प्रथम वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है ? क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है वे गांव जयमलसर में स्थाई रूप से निवास करते हुए भूमि काश्त कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार उक्त नियम विरुद्ध तथा गलत सबूत देने के कारण उनका आवंटन निरस्त कर आवंटन अधिकारी तथा आवंटियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कई आवंटियों की तरफ से भूमि के खातेदारी अधिकार देने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र निरस्त कर आवंटियों द्वारा बेचान की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील बीकानेर का ग्राम जयमलसर सम्वत् 2027 से पूर्व उपनिवेशन क्षेत्र था। 2027 के बाद आवंटियों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। कुल आवंटी 365 में से 220 ग्राम जयमलसर के मूल निवासी हैं तथा 145 समीपस्थ ग्रामों के निवासी हैं। नियम विरुद्ध आवंटन में 29 आवंटियों के आवंटन निरस्त कर दिये गये हैं व 31 आवंटन में प्राप्त शिकायतों पर जांच की जा रही है, जांच के परिणाम पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) राजस्व अभियान के अंतर्गत प्राप्त 278 प्रार्थना पत्रों के आधार पर आवंटियों को खातेदारी अधिकार दिए गये हैं। गैर कानूनी बेचान करने का तथ्य राज्य सरकार के ध्यान में लाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

सूची ग्राम जयमलसर के आवंटियों
जिनको आवंटन किया गया

क्र.सं.	नाम आवंटिती मय वल्दियत	जाति	सकूनत	खातेदार या गैरखातेदार	बेचान या खारिज
1	2	3	4	5	6
1.	लक्ष्मीनारायण/नरसिंहदास	स्वामी	बीकानेर	—	खारिज
2.	भंवरलाल/इन्द्रमल बैगानी	बैगाणी	बीकानेर	—	खारिज
3.	हीरालाल/केवलचन्द	बैद्य	बीकानेर	—	,,
4.	करणीदान/सेखरचन्द्र	सेठिया	बीकानेर	—	,,
5.	जगदेव/मुरलीधर	सुनार	,,	खातेदार	,,
6.	पूनमचन्द/फतेहचन्द	सुनार	,,	—	,,
7.	मेघराज/छगनलाल	लूणिया	,,	—	,,
8.	भंवरलाल/पानमल	सेठिया	,,	गैरखातेदार	,,
9.	जेठाराम/इसरराम	माली	,,	खातेदार	बेचान
10.	शेसकरण/रामनारायण	माली	,,	—	खारिज
11.	किसनी/राधूराम	साध	जयमलसर	खातेदार	—
12.	तुलछीदास/भूरदास	साध	,,	खातेदार	—
13.	रामचन्द्र/मेघराज	महाजन	,,	,,	—
14.	भभूताराम/पन्नाराम	सुथार	,,	,,	—
15.	भेराराम/चूनाराम	आचार्य	,,	,,	—
16.	पन्नाराम/बख्ताराम	मेघवाल	,,	,,	—
17.	बनेसिंह/मोतीसिंह	राजपूत	,,	,,	—
18.	करणीसिंह/पनेसिंह	राजपूत	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6
19.	करणीसिंह/लालसिंह	राजपूत	जयमलसर	खातेदार	—
20.	जेठूसिंह/अर्जुनसिंह	राजपूत	,,	,,	—
21.	गोपालसिंह/अर्जुनसिंह	राजपूत	,,	,,	—
22.	मोहनसिंह/जीवराजसिंह	राजपूत	,,	,,	—
23.	बद्रीदास/जमनादास	साध	,,	,,	—
24.	हरीसिंह/विजयसिंह	राजपूत	,,	,,	—
25.	भंवरसिंह/अखेसिंह	राजपूत	,,	,,	—
26.	प्रयागदास/उदादास	साध	,,	,,	—
27.	भोजा/अना	नायक	,,	,,	—
28.	परमाराम/मंगलाराम	मेघवाल	,,	,,	—
29.	खेमला/काशी	मेघवाल	,,	,,	खारिज
30.	अगरसिंह/जीवराजसिंह	राजपूत	,,	,,	—
31.	प्रभुदयाल/सोहनलाल	महाजन	,,	,,	—
32.	सुमेरसिंह/फूससिंह	राजपूत	कोटडा	,,	—
33.	हीरा/शिवनाथसिंह	राजपूत	जयमलसर	,,	—
34.	चान्दाराम/कानाराम	मेघवाल	,,	,,	—
35.	भीयाराम/कानाराम	मेघवाल	,,	,,	—
36.	कोयली/दूलाराम	मेघवाल	,,	,,	—
37.	पूनमचन्द/ईसरराम	मेघवाल	,,	,,	—
38.	सूरजाराम/मोतीराम	मेघवाल	,,	,,	खारिज/दुरुस्ती
39.	करणीसिंह/गोरीसिंह	राजपूत	बीकानेर	खातेदार	—
40.	दलीपसिंह/विशालसिंह	राजपूत	,,	,,	—
41.	सुरजनसिंह/जोरीसिंह	राजपूत	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6
42.	गणपतसिंह/अड़पालसिंह	राजपूत	बीकानेर	खातेदार	—
43.	उमरावसिंह/धोकलसिंह	यादव	,,	,,	—
44.	नारायणसिंह/जोरीसिंह	राजपूत	,,	,,	—
45.	सुशीला/लालचन्द	पुरोहित	,,	,,	—
46.	दिलीपसिंह/शिवनाथसिंह	राजपूत	,,	,,	बेचान
47.	रणवीरसिंह/शिवनाथसिंह	राजपूत	,,	,,	—
48.	मोहनलाल/मंगलचन्द	ब्राह्मण	,,	,,	—
49.	प्रहलाददास/जेठादास उर्फ चुनदास	साध	जयमलसर	,,	—
50.	रामेश्वर/घमंडीराम	सुनार	बीकानेर	,,	—
51.	छोटूदास/जमनादास	साध	जयमलसर	,,	—
52.	सुन्दर/भगवानाराम	नाई	जयमलसर	,,	—
53.	नरपतसिंह/विजनसिंह	राजपूत	जयमलसर	,,	—
54.	आसाराम/रेखचन्द	सुनार	बीकानेर	,,	बेचान
55.	रूपसिंह/मोडसिंह	राजपूत	जयमलसर	,,	—
56.	सोहनलाल/माणकचन्द पिसरान शिवनारायण	महाजन	जयमलसर	,,	—
57.	मेघसिंह/हरिसिंह	राजपूत	जयमलसर	,,	—
58.	चिरंजीलाल/सत्यनारायण	सुनार	बीकानेर	गैरखातेदार	—
59.	रामकिसन/घेवरचन्द	सुनार	बीकानेर	,,	—
60.	पुरखाराम/अनाराम	मेघवाल	जयमलसर	खातेदार	बेचान
61.	गोपीकिसन/शिवप्रताप	भूतड़ा	जयमलसर	,,	—
62.	लक्ष्मीनारायण/लालचन्द	स्वर्णकार	बीकानेर	,,	खारिज

1	2	3	4	5	6
63.	आत्माराम/परसराम	ब्राह्मण	बीकानेर	गैरखातेदार	—
64.	मूणदास/रामदास	साध	जयमलसर	खातेदार	—
65.	केलाराम/जेठाराम	आचार्य	,,	,,	—
66.	हीराराम/जालूराम	मेघवाल	,,	,,	—
67.	मोडाराम/मेहताराम	,,	,,	,,	—
68.	वस्ताराम/हुक्माराम	,,	,,	,,	—
69.	पूनाराम/मेहताराम	,,	,,	,,	—
70.	धर्माराम/मोडाराम	,,	,,	,,	—
71.	मोडाराम/हुक्माराम	,,	,,	,,	—
72.	चान्दाराम/मोडाराम	,,	,,	,,	बेचान आंशिक
73.	देवाराम/मोडाराम	,,	,,	,,	—
74.	निछुराम/वस्ताराम	,,	,,	,,	—
75.	बद्रीनारायण/शिवप्रसाद	भूतड़ा	,,	,,	—
76.	गोपालराम/शिवप्रताप	भूतड़ा	,,	,,	—
77.	चान्दरतन/शिवरतन	पेडीवाल	,,	,,	—
78.	ताजा/दला	दमासी	,,	,,	—
79.	पेमु/पन्नाराम	सुथार	,,	,,	—
80.	घनश्याम/लूणचन्द	ब्राह्मण	,,	,,	—
81.	भंवरसिंह/मोतीसिंह	राजपूत	,,	,,	—
82.	अनाराम/भीखाराम	मेघवाल	,,	,,	—
83.	डूंगरसिंह/किशोरसिंह	राजपूत	,,	,,	बेचान
84.	आईदान/नत्थूराम	नायक	,,	,,	—
85.	धमडाराम/धन्नाराम	नायक	,,	,,	—

(258)

1	2	3	4	5	6
86.	बक्साराम/भगाराम	नायक	जयमलसर	खातेदार	—
87.	जसराज/बद्रीनारायण पिसरान श्रीराम	बाहेती	,,	,,	—
88.	चान्दाराम/शेराराम	सांसी	,,	,,	—
89.	छगनदास/गोविन्ददास	साध	,,	,,	—
90.	हरिकिसन/हुकमाराम	ब्राह्मण	,,	,,	—
91.	पन्नाराम/शेराराम	सांसी	,,	,,	—
92.	शैतानसिंह/कानसिंह	राजपूत	,,	,,	बेचान
93.	कल्याणसिंह/सुगनसिंह	राजपूत	,,	,,	—
94.	केसाराम/अनाराम	नायक	,,	,,	बेचान
95.	गोपीकिसन/लूणाराम	ब्राह्मण	,,	,,	—
96.	बचनसिंह/भंवरसिंह	राजपूत	,,	,,	—
97.	रुकनदीन/ताजूखां	दमामी	,,	,,	—
98.	घूड़ाराम/भेराराम	मेघवाल	,,	,,	बेचान
99.	रुघाराम/देवाराम	सुथार	,,	,,	—
100.	पदमा/गुलाराम	मेघवाल	,,	,,	—
101.	सुखाराम/हीराराम	मेघवाल	,,	,,	—
102.	शैतानसिंह/छोगसिंह	राजपूत	,,	,,	बेचान आंशिक
103.	दुलाराम/नैनूराम	नायक	,,	,,	—
104.	दीना/दयाराम	मेघवाल	,,	,,	बेचान
105.	मोहनराम/हल्दीराम	मेघवाल	,,	,,	—
106.	अगरू/मोडा	आचार्य	,,	,,	बेचान
107.	भेराराम/रणजीताराम	गुरड़ा	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6
108.	कोडाराम/भेराराम	गुरड़ा	जयमलसर	खातेदार	—
109.	भोजराजसिंह/छोगसिंह	राजपूत	,,	,,	—
110.	शंकरलाल/रामूराम	मेघवाल	,,	,,	—
111.	तिलोकचन्द/मकाराम	ब्राह्मण	,,	,,	बेचान आंशिक
112.	सोहनलाल/मकाराम	ब्राह्मण	,,	,,	—
113.	सत्यनारायण/दुलीचन्द	ब्राह्मण	बीकानेर	,,	बेचान
114.	धन्नादास/जमनादास	साध	जयमलसर	,,	—
115.	मलूकदास/भूरदास	साध	जयमलसर	,,	—
116.	सोहनदास/धर्मदास	साध	बीकानेर	,,	बक्शीश
117.	रतनलाल/मकाराम	ब्राह्मण	जयमलसर	,,	बेचान आंशिक
118.	अखाराम/जालूराम	मेघवाल	,,	,,	—
119.	मुकनाराम/जालूराम	,,	,,	,,	—
120.	ज्ञानाराम/हुक्माराम	,,	,,	,,	—
121.	चेतलाराम/नारायणदास	,,	,,	,,	—
122.	सुखदेवा/अमीचन्द	,,	,,	,,	बेचान
123.	मोहनराम/पन्नाराम	नायक	डाईयां	,,	खारिज
124.	लालदास/सरजूदास	साध	जयमलसर	खातेदार	—
125.	सलाराम/गोरखाराम	मेघवाल	कोडमदेसर	,,	बेचान
126.	अर्जन/हीराराम	,,	जयमलसर	,,	—
127.	अर्जन/दुलाराम	,,	,,	,,	—
128.	तुलछाराम/दुलाराम	,,	,,	,,	—
129.	हरदास/अनाराम	,,	,,	,,	—
130.	भादूसिंह/पोकरसिंह	राजपूत	बीकानेर	खातेदार	—

260

1	2	3	4	5	
131.	छोटूलाल/सूरजमल	माली	बीकानेर	खातेदार	खारिज
132.	शंकरलाल/गौरीशंकर	भादाणी	,,	,,	—
133.	सांवरमल/रामेश्वरमल	सुथार	,,	गैरखातेदार	—
134.	रामनारायण/रूपाराम	कुम्हार	,,	खातेदार	—
135.	हनुमान/रावतराम	,,	,,	गैरखातेदार	—
136.	मंगतुराम/दानाराम	,,	,,	—	खारिज
137.	भींयाराम/दानाराम	,,	,,	गैरखातेदार	—
138.	टीकूराम/रतूराम	,,	,,	,,	—
139.	ठाकरराम/बीजाराम	,,	,,	,,	—
140.	मनीराम/हरचन्द	,,	,,	खातेदार	—
141.	हनुमानप्रसाद/गिरधारीलाल	पेडीवाल	,,	गैरखातेदार	—
142.	बुलाकीदास/किसनगोपाल	महेश्वरी	,,	,,	—
143.	भंवरलाल/शंकरलाल	भादाणी	,,	,,	—
144.	बनवारीलाल/लिखराम	धानक	,,	,,	—
145.	डूंगरमल/लेखराम	धानक	,,	,,	—
146.	लक्ष्मीनारायण/गोकुलचन्द	ब्राह्मण	,,	,,	—
147.	रामचन्द्रसिंह/हीरसिंह	राजपूत	,,	खातेदार	—
148.	शंकरलाल/सूरजमल	माली	,,	—	खारिज
149.	मनोहरलाल/टीलाराम	खत्री	,,	खातेदार	—
150.	गोपीचन्द/बेलूराम	खत्री	,,	गैरखातेदार	—
151.	मोहनलाल/तुलछीराम	सुनार	,,	,,	खारिज से भाल
152.	जगदीशसिंह/सरदारसिंह	खत्री	,,	,,	खारिज
153.	शकुंतला/गंगाराम	जाट	,,	खातेदार	—
154.	मानकोर/गंगाराम	जाट	,,	,,	—

(261)

1	2	3	4	5	6
155.	वर्दीचन्द/शिखरचन्द	सेठिया	बीकानेर	—	खारिज
156.	धनराज/छोटूमल	खजान्ची	,,	--	,,
157.	धनराज/सीमरथमल	कोठारी	,,	—	खारिज
158.	इन्द्रकुमार/माणकचन्द	डागा	,,	गैरखातेदार	खारिज से भाग
159.	गंगाशाह/नन्दकिसोर	प्रधान	,,	,,	,,
160.	हीराराम/मोडाराम	नाई	जयमलसर	खातेदार	—
161.	मूणदास/रामदास	साध	,,	,,	—
162.	केगाराम/जेठाराम	आचार्य	,,	,,	वेचान
163.	हीराराम/जालूराम	मेघवाल	,,	,,	—
164.	मोडाराम/मेहताराम	,,	,,	,,	—
165.	बस्ताराम/हुक्माराम	,,	,,	,,	—
166.	पूसाराम/महताराम	,,	,,	,,	—
167.	मोहनराम/आसूराम	आचार्य	,,	,,	वेचान
168.	सूखाराम/पेमाराम	नायक	,,	,,	वेचान
169.	भेराराम/अनाराम	नायक	,,	,,	वेचान आंशिक
170.	तरुण/शम्भूदयाल	सक्सेना	बीकानेर	,,	—
171.	श्रीचन्द/छोटूलाल	ब्राह्मण	,,	,,	वेचान
172.	रामचन्द्र/शिखरचन्द	वैद्य	,,	,,	खारिज
173.	जुगलकिशोर/पुरुषोत्तम	ओझा	,,	खातेदार	वेचान
174.	दोलतराम/भंवरलाल	सुनार	,,	,,	,,
175.	कानूराम/शिवप्रताप	सुनार	,,	,,	,,
176.	कन्हैयालाल/रामगोपाल	सुनार	,,	,,	,,

1	2	3	5	4	6
177.	लक्ष्मीचन्द/चेतनदास	सुनार	बीकानेर	खातेदार	बेचान आंशिक
178.	बृजलाल/रामगोपाल	सुनार	,,	,,	—
179.	लालचन्द/नानूराम	माली	,,	,,	खारिज
180.	सुशीला/जयकिसन	पुरोहित	,,	खातेदार	—
181.	नारायणी/गणेशदास	ब्राह्मण	,,	गैरखातेदार	—
182.	मीरा/अर्जनराम	जाट	,,	,,	—
183.	पीरामराम/अर्जनराम	जाट	,,	,,	—
184.	हीराराम/नारायणराम	जाट	,,	खातेदार	—
185.	बीरबल/हरनन्द	जाट	,,	गैरखातेदार	—
186.	दूलाराम/नारायणराम	जाट	,,	खातेदार	—
187.	मेघाराम/खेमाराम	जाट	,,	गैरखातेदार	—
188.	मालाराम/तुलछाराम	जाट	,,	,,	—
189.	रामलाल/तुलछाराम	जाट	,,	खातेदार	—
190.	जुगराम/तोलराम	डांगा	,,	—	—
191.	भंवरलाल/चेतनदास	सेठिया	,,	—	खारिज
192.	रतनलाल/बन्सीलाल	नाहटा	,,	—	,,
193.	केसरीचन्द/चेतनदास	डांगा	,,	—	,,
194.	रंगराजमल/लखपतमल	कोठारी	,,	—	,,
195.	हरिराम/हनुमानराम	छींपा	,,	खातेदार	—
196.	पुसाराम/छोगाराम	,,	,,	,,	बेचान आंशिक
197.	हेमाराम/जीयाराम	,,	,,	,,	खारिज से भाल
198.	रामलाल/खेमाराम	,,	,,	,,	बेचान
199.	भंवरलाल/दीपचन्द	कोठारी	,,	—	खारिज

(263)

1	2	3	4	5	6
200.	लोहोरीराम/नन्दलाल	परासर	बीकानेर	—	—
201.	सूर्यगोपाल/मदनगोपाल	ब्राह्मण	,,	—	—
202.	कृष्णगोपाल/गोविन्दराम	,,	,,	—	—
203.	परसराम/बालकराम	,,	,,	सीलिंग खातेदार	—
204.	मुरलीधर/कुशालजी	जागा	,,	,,	—
205.	अखाराम/जोगाराम	मेघवाल	जयमलसर	गैरखातेदार	—
206.	केदारदास/लिखमदास	साध	,,	खातेदार	बेचान
207.	विद्यादेवी/चौरूलाल	ब्राह्मण	,,	,,	—
208.	ईसर/अणदाराम	आचार्य	,,	,,	—
209.	मोहनराम/आसाराम	,,	,,	,,	—
210.	मूलसिंह/बहादुरसिंह	राजपूत	,,	,,	—
211.	आसूसिंह/अर्जनसिंह	,,	,,	,,	—
212.	बालाराम/रामूराम	मेघवाल	,,	,,	—
213.	जयकिसन/मगनलाल	ब्राह्मण	,,	गैरखातेदार	—
214.	जयप्रकाश/सूरजकरण	,,	,,	,,	—
215.	मगनलाल/गोरधनराम	,,	,,	,,	—
216.	सुशीला/अमरचन्द	,,	,,	खातेदार	—
217.	किशनो/गंगाबिसन	,,	,,	,,	—
218.	भोगा/काना	जाट	,,	,,	—
219.	सीताराम/श्योलाल	,,	,,	,,	—
220,	रामनिवास/हेमचन्द	—	,,	,,	—
221.	बिरजाराम/गोरधन	—	,,	,,	.

1	2	3	4	5	6
222.	प्रहलाद/चोखा	—	जयमलसर	खातेदार	—
223.	अमृतलाल/मेहरचन्द	खत्री	,,	,,	—
224.	भादर/लखू	—	,,	,,	—
225.	एलम/कालू	—	,,	,,	—
226.	घनश्याम/सुगनचन्द	पेड़ीवाल	,,	,,	—
227.	बालचन्द/सीताराम	,,	,,	,,	—
228.	रामनारायण/सीताराम	,,	,,	,,	—
229.	बृजमोहन/चौथमल	,,	,,	,,	—
230.	भंवरलाल/गोपालराम	भूतड़ा	,,	,,	—
231.	बद्रीदास/जमनादास	साध	,,	,,	—
232.	बुधाराम/जीयाराम	लुहार	,,	गैरखातेदार	—
233.	जीयाराम/मेघाराम	सुनार	,,	,,	—
234.	मोहनराम/माधोराम	,,	,,	,,	—
235.	सालूराम/शोभाराम	सांसी	,,	,,	—
236.	आसाराम/रामप्रताप	सोनी	बीकानेर	खातेदार	—
237.	सुखनराज/मोहनलाल	पांचोली	,,	,,	बेचान
238.	छोटी/गंगाराम	ब्राह्मण	,,	,,	—
239.	प्रभूराम/बदराराम	,,	,,	गैरखातेदार	—
240.	मोहनराम/जयराम	,,	,,	,,	—
241.	भीखा/रेवतराम	नाई	,,	,,	—
242.	प्रीतमसिंह/केसरीसिंह	राजपूत	,,	खातेदार	—

1	2	3	4	5	6
243.	किसनसिंह/राजकुमारसिंह	राजपूत	बीकानेर	खातेदार	—
244.	मालसिंह/चन्द्रसिंह	,,	,,	,,	—
245.	शिवपालसिंह/चन्द्रसिंह	,,	,,	,,	—
246.	भेरूसिंह/हिम्मतसिंह	,,	,,	,,	—
247.	सुमेरसिंह/बहादुरसिंह	,,	,,	,,	—
248.	ओमप्रकाश/वस्ताराम	मेघवाल	जयमलसर	गैरखातेदार	—
249.	भोजराज/बालचन्द	चमड़िया	बीकानेर	खातेदार	—
250.	किशोरीलाल/भूराराम	कुम्हार	,,	गैरखातेदार	—
251.	रामपत/लखू	—	जयमलसर	खातेदार	—
252.	फूससिंह/मघसिंह	राजपूत	,,	गैरखातेदार	—
253.	रामकिसन/गोमदराम	मेघवाल	,,	खातेदार	—
254.	पाबूराम/जोगाराम	,,	,,	,,	—
255.	मोतीराम/पन्नाराम	सांसी	,,	,,	—
256.	मोतीसिंह/मानसिंह	राजपूत	,,	,,	—
257.	गजसिंह/बंसीसिंह	,,	,,	गैरखातेदार	—
258.	बिसनसिंह/जसवन्तसिंह	,,	,,	खातेदार	—
259.	मोहनराम/देवाराम	मेघवाल	,,	,,	—
260.	छैगाराम/मोटाराम	,,	,,	,,	बेचान
261.	बालाराम/हरजीराम	,,	,,	,,	—
262.	साहूराम/शेराराम	सांसी	,,	,,	—
263.	कुम्भाराम/भीखाराम	नायक	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6
264.	गेकेखां/गायड़ खां	दमामी	जसमलसर	खातेदार	--
265.	पारमदास/रामदास	साध	,,	,,	----
266.	भंवरलाल/बद्रीनारायण	पेड़ीवाल	,,	,,	---
267.	भीखे खां/गायड खां	दमामी	,,	,,	----
268.	हुसन खां/भीखे खां	दमामी	,,	,,	बेचान
269.	भैरुदान/छोगमल	राठी	जयमलसर	गैरखातेदार	- --
270.	शिवकिसन/रामप्रताप	,,	,,	खातेदार	---
271.	सोहनसिंह/खिवसिंह	राजपूत	,,	,,	—
272.	गोविन्दसिंह/मानसिंह	,,	,,	,,	—
273.	नारायणसिंह/मानसिंह	,,	,,	,,	—
274.	भंवरसिंह/अमरसिंह	,,	,,	,,	- —
275.	भंवरसिंह/मानसिंह	,,	,,	गैरखातेदार	---
276.	सुमेरसिंह/चन्द्रसिंह	,,	,,	खातेदार	---
277.	मघाराम/पोकरराम	मेघवाल	,,	,,	—
278.	बनाराम/मेहताराम	,,	,,	,,	---
279.	बालाराम/कुम्भाराम	,,	,,	,,	बेचान
280.	गोपीराम/पूरणाराम	,,	,,	,,	--
281.	मघाराम/घमंडाराम	नायक	,,	,,	—
282.	हुसैन खां/गायड़ खां	दमामी	,,	,,	--
283.	शिखरचंद/छोटूलाल	शर्मा	,,	,,	बेचान

1	2	3	4	5	6
284.	करणदास/कोडादास	साध	जयमलसर	खातेदार	—
285.	पूनमखां/ताजूखां	दमामी	,,	,,	—
286.	भागीदास/रामदास	साध	,,	,,	—
287.	रामचन्द्र/चम्पालाल	भंगी	,,	,,	—
288.	सुन्दरलाल/भगवानाराम	नाई	,,	,,	—
289.	सोहनदास/जमनादास	साध	,,	,,	—
290.	पूनमदास/सुगनदास	,,	,,	,,	—
291.	छगनदास/सीतादास	,,	,,	,,	—
292.	मूलदास/भीमदास	,,	,,	,,	—
293.	रामेश्वरदास/भीमदास	,,	,,	,,	—
294.	हरुराम/अमराराम	सुथार	,,	,,	—
295.	मेघराज/हेमराज	राठी	,,	,,	—
296.	भूवराराम/लालूराम	नायक	,,	गैरखातेदार	—
297.	अमरपाल/जगन्नाथ	शर्मा	बीकानेर	,,	—
298.	जवरसिंह/समेलसिंह	राजपूत	,,	,,	—
299.	करणीसिंह/भूवरसिंह	,,	,,	,,	—
300.	भैरूसिंह/सोहनसिंह	,,	,,	खातेदार	बेचान आंशिक
301.	साजनराम/रतनाराम	जाट	,,	,,	—
302.	किसनलाल/रामचन्द्र	ब्राह्मण	,,	गैरखातेदार	—

1	2	3	4	5	6
303.	हड़मान/बगड़ावत	बिश्नोई	मुकाम	खातेदार	—
304.	हीराराम/पुरखाराम	जाट	साथुना	,,	—
305.	अम्बालाल/माणकचन्द	ब्राह्मण	बीकानेर	,,	—
306.	भगवानसिंह/नारायणसिंह	राजपूत	,,	गैरखातेदार	—
307.	इन्द्रसिंह/बख्तावरसिंह	,,	,,	खातेदार	बेचान
308.	घीसूदान/गणेशदान	चारण	,,	गैरखातेदार	—
309.	मांगीनाथ/धूलनाथ	सिद्ध	,,	,,	—
310.	किसनलाल, रामचन्द्र	ब्राह्मण	,,	,,	—
311.	पूनमचन्द/सीताराम	सुथार	,,	,,	—
312.	रामूराम/लिक्ष्मणराम	कुम्हार	,,	,,	खारिज (पायत)
313.	कानीराम/फूसाराम	,,	नापासर	—	—
314.	कालूराम/लक्ष्मणराम	,,	बीकानेर	—	—
315.	भींवसिंह/केसरीसिंह	राजपूत	,,	खातेदार	—
316.	भींवसिंह/हमीरसिंह	,,	,,	,,	—
317.	रामचन्द्र/कुम्भाराम	सुथार	,,	,,	बेचान
318.	भगवानाराम/फूसाराम	कुम्हार	नापासर	गैरखातेदार	—
319.	भगवानाराम/कुम्भाराम	मेघवाल	बीकानेर	,,	—
320.	लालमोहम्मद/नजीरदीन	मुसलमान	,,	खातेदार	बेचान
321.	भंवरलाल/पानमल	कोठारी	,,	गैरखातेदार	खारिज से बहाल

1	2	3	4	5	6
322.	वेदप्रकाश/मूलचन्द	जाट	झूंझनूं	खातेदार	—
323.	मूलचन्द/ओंकारराम	,,	,,	,,	—
324.	साऊखां/नसीरखां	मुसलमान	करमीसर	,,	—
325.	कालूखां/नसीरखां	,,	,,	,,	—
326.	रामेश्वर/मघाराम	जाट	कोडमदेसर	,,	—
327.	घनश्याम/प्रहलाद	ब्राह्मण	गंगाशहर	,,	—
328.	रामदास/बागदास	साध	डाईयां	गैरखातेदार	—
329.	मोहनराम/पन्नाराम	नायक	,,	,,	—
330.	हुक्माराम/नत्थूराम	जाट	करमीसर	,,	—
331.	हीराराम/कानाराम	नाई	भीनासर	,,	—
332.	छोटूदास/चूनदास	साध	जयमलसर	खातेदार	—
333.	भागीदास/चूनदास	,,	,,	,,	—
334.	अमरदास/कोडादास	,,	,,	,,	—
335.	लालचन्द/लूणाराम	ब्राह्मण	,,	,,	—
336.	शिवनारायण/लूणाराम	,,	,,	,,	—
337.	भंवरसिंह/सत्यनारायणसिंह	राजपूत	बीकानेर	,,	—
338.	राजेन्द्रसिंह/मोहनसिंह	,,	,,	,,	—
339.	बाबूलाल/बालचन्द	पेड़ीवाल	जयमलसर	,,	—
340.	बालचन्द/भंवरलाल	,,	,,	,,	—
341.	करणप्रयाग/रामनारायण	,,	,,	,,	—
342.	गोविन्दराम/शिवनारायण	,,	,,	,,	—
343.	बालमुकुन्द/सुगनचन्द	,,	,,	,,	—
344.	अणन्तलाल/सुगनचन्द	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6
345.	चम्पालाल/रामकिसन	पेडीवाल	जयमलसर	खातेदार	—
346.	बुलाकीचन्द/काशीराम	,,	,,	,,	—
347.	श्रीराम/पन्नालाल	,,	,,	,,	—
348.	ओमसिंह/करणीसिंह	राजपूत	,,	,,	—
349.	छोगाराम/मोटाराम	मेघवाल	,,	,,	—
350.	किस्तूराराम/तुलछाराम	,,	,,	,,	—
351.	लिक्षमण/किस्तूराराम	,,	,,	,,	—
352.	रुधाराम/खेमाराम	,,	,,	,,	—
353.	विश्वनाथ/मोतीलाल	ब्राह्मण	बीकानेर	,,	—
354.	ब्रजमोहनसिंह/शैतानसिंह	राजपूत	जयमलसर	,,	—
355.	प्रेमसिंह/शैतानसिंह	,,	,,	,,	—
356.	भंवरदास/हरूदास	साध	,,	गैरखातेदार	—
357.	बंजरण/जगन्नाथ	तापड़िया	,,	खातेदार	—
358.	बुलाकीदास/रामगोपाल	महाजन	,,	,,	—
359.	किशोरसिंह/चन्द्रसिंह	राजपूत	,,	,,	—
360.	सोहनलाल/आसाराम	आचार्य	,,	,,	बेचान
361.	नन्दलाल/भेरूदान	ब्राह्मण	बीकानेर	,,	—
362.	लाभचन्द/हेमराज	महाजन	जयमलसर	,,	—
363.	किसनाराम/पन्नाराम	सांसी	,,	,,	—
364.	रामूराम/पन्नाराम	सांसी	,,	,,	—
365.	बजरंग/बीरबल	सुथार	बीकानेर	गैरखातेदार	—

बांसवाड़ा तहसील के उच्च प्राथमिक विद्यालय

783. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले की बांसवाड़ा तहसील में कुल कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्तमान में हैं ?

(2) क्या उक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियमानुसार शिक्षक उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त तहसील के क्रमोन्नत हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम झरनिया में वर्ष 1983-84 में कितने शिक्षक अध्यापन कार्य करा रहे हैं ?

(4) क्या उक्त स्कूल के उच्च प्राथमिक होने से अब तक मात्र एक ही शिक्षक है ? यदि हां, तो और शिक्षक किन कारणों से नहीं लगाये गये ? अब तक कब लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) कुल 31 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। (5 छात्राएँ उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 26 छात्र उच्च प्राथमिक विद्यालय)

(2) केवल तीन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। कमी विकास विभाग द्वारा अध्यापक न लगा सकने के कारण है।

(3) उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम झरनिया वर्ष 1983-84 में क्रमोन्नत हुआ था। उक्त विद्यालय में वर्तमान में केवल एक प्रधानाध्यापक कार्यरत है।

(4) जी हां, जिस वर्ष में विद्यालय क्रमोन्नत होता है उस वर्ष पंचायत विभाग के अध्यापक ही कार्यरत रहते हैं। विकास विभाग को अध्यापक नियुक्त करने हेतु लिखा गया था। पदों को शीघ्र भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

ग्राम पंचायत सारंगपुरा (कानोड) में सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

784. श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर)–क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत सारंगपुरा (कानोड) पंचायत समिति भीण्डर, जिला-उदयपुर में अनियमितताओं की कितनी शिकायतें सरकार और जिला प्रशासन को प्राप्त हुई हैं ?

(2) शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि जाँच की गई, तो कृपया जाँच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी शिकायत है कि सरपंच द्वारा कार्यवाही रजिस्टर से 29-8-1982, 5-9-1982 की कार्यवाही का रिकार्ड फाड़ कर जाली कार्यवाही जोड़ी गई है ?

(4) क्या यह भी शिकायत है कि पंचायत द्वारा दिये गए आवासीय भू-खण्ड के पट्टों पर काट-छाँट करके दूसरों के नाम दर्ज कर दिये हैं ?

उत्तर

(1) अनियमितताओं की चार शिकायतें सरकार एवं जिला प्रशासन को प्राप्त हुई हैं।

(2) शिकायतों की प्राथमिक जांच जिलाधीश, उदयपुर द्वारा तहसीलदार बल्लभनगर से कराई गयी तथा राज्य सरकार के आदेश से विस्तृत जांच उप-जिलाधीश, बल्लभनगर द्वारा की गई। ' जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रश्न की प्राप्ति पर विकास अधिकारी से रिकार्ड का अवलोकन कराने पर पाया गया कि दिनांक 29-8-82 की कार्यवाही यथावत अंकित है। दिनांक 5-9-82 की कोई कार्यवाही, कार्यवाही रजिस्टर में अंकित नहीं है। दिनांक 12-9-82 की बैठक में कोरम ने दिनांक 5-9-82 की कार्यवाही अंकित नहीं होना जाहिर किया है।

(4) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न की प्राप्ति पर विकास अधिकारी द्वारा रिकार्ड का अवलोकन कराने पर कुछ पट्टों में काट-फांस होना प्रकट हुआ है जिसकी पूर्ण जांच विकास अधिकारी द्वारा की जा रही है।

प्रश्न संख्या 784 की रिपोर्ट

भाग (2) से सम्बन्धित

जांच रिपोर्ट

जांच प्रतिवेदन उप-जिलाधीश, बल्लभनगर

अनवान	बनाम
कागजात आमदा सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्थान, जयपुर ।	श्री नारायण दास ऐक्स सारंगपुरा (का०)

विषय :—निर्मित आरोपों की जांच ।

उपरोक्त विधेयक श्री नारायण दास के विरुद्ध आरोपों की जांच हेतु कागजात प्राप्त होने पर यह पत्रावली तरतीव पाई है । आरोपों का विवरण निम्नांकित है :—

1. दिनांक 21-11-76 को पंचायत की रोकड़ में पोते सिलक को दिनांक 9-1-77 तक सेविंग खाते में जमा नहीं कराया ।

2. पंचायत की एक साथ दो रसीद बुकें चला रखी हैं एवं दिनांक 18-6-76 से 14-11-76 की अवधि में दोनों रसीद बुकों का उपयोग किया ।

3. पंचायत की आय को समय पर जमा नहीं किया जाकर राशि का दुरुपयोग किया ।

4. दिनांक 19-12-76 से 21-12-76 तक की आय 63/- रुपया जांच दिनांक 9-1-77 तक पंचायत की रोकड़ में जमा नहीं कर राशि का गबन किया । इस प्रकार सरपंच श्री नारायण दास ने पंचायत की राशि का दुरुपयोग किया एवं अनियमित कार्य कर पद का दुरुपयोग किया ।

श्री नारायण ने जवाब में आरोप वार इस प्रकार पेश किया है—

आरोप नम्बर–1

ग्राम सीड में स्कूल व कुई का काम चल रहा था जिससे यह रकम चुकारे हेतु जरूरत होने से पोस्ट आफिस में जमा नहीं कराई गई थी ।

आरोप नम्बर–2

ग्राम पंचायत आकोला, राजपुरा व सारंगपुरा में एक ही बात के सचिव पद पर होने से बात निरीक्षण पहली रसीद बुक कागजों में ही दबी रह जाने और तत्समय नहीं मिलने से दूसरी रसीद बुक चालू की गई थी जो पंचायत के प्रस्ताव से जारी की गई और उसके बाद कागजों में से वह पहली बुक मिली थी।

आरोप नम्बर–3

रकम का कुल उपयोग नही किया।

आरोप नम्बर–4

आरोपित रकम 63/- रुपया पंचायत के कैश बुक पाना 29 पर जमा है। मैंने कोई गबन नही किया यह रकम राशनकार्ड की होने से इकट्ठे जमा की गई है आरोप व श्री नारायण दास के जवाब के आधार पर निम्नांकित जांच प्रतिवेदन आरोपवार दिया जाता है :–

(1) हालांकि 20-11-76 को पंचायत की रोकड़ में पोते सिलक को सेविंग खाते में जमा कराना चाहिए था लेकिन श्री नारायण दास ने ग्राम सीड में स्कूल व कुई का काम चल रहा था जिसमें यह रकम चुकारे हेतु जरूरत होने से पोस्ट आफिस में जमा नहीं कराना प्रकट किया है। सरपंच का यह जवाब उचित प्रतीत होता है और श्री नारायणदास द्वारा रकम का मिसएप्रोप्रियेशन करना प्रमाणित नहीं होता है इसलिए यह आरोप श्री नारायण दास के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

(2) श्री नारायण दास ने दो रसीद बुकें चलाना स्वीकार किया है, हालांकि दो रसीद बुकें नहीं चलाना चाहिए था, इसमें श्री नारायण दास की गलती अवश्य हुई है किन्तु उसने अपने जवाब में 3 पंचायतों का एक ही सचिव होने व एक रसीद बुक उपलब्ध नहीं होने से पंचायत के प्रस्ताव से दूसरी रसीद बुक चलाना अंकित किया है और दोनों ही रसीद बुकों की रकम का दुरुपयोग करना प्रमाणित नहीं होता है इसलिए यह आरोप भी श्री नारायणदास के विरुद्ध सिद्ध नहीं होता है।

(3) पंचायत की रकम को समय पर जमा करना चाहिए था समय पर जमा नहीं करने से पंचायत के ब्याज का नुकसान अवश्य हुआ है किन्तु पंचायत की राशि का दुरुपयोग करना प्रमाणित नहीं होने से यह आरोप भी श्री नारायण दास के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

(4) दिनांक 19-12-76 से 21-12-76 तक की आय के 63/- रुपये जांच दिनांक 9-1-77 तक पंचायत की रोकड़ में जमा नहीं कर राशि का गबन किया है श्री नारायणदास का कहना है कि यह रकम राशनकार्ड की होने से इकट्ठी कैश बुक पाना 29 पर जमा है किन्तु इसकी ताइद में कैश बुक पेश कर इत्मीनान नहीं कराया गया है इसलिए यह आरोप श्री नारायणदास के विरुद्ध प्रमाणित होता है।

तहसील बहरोड़ के ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

786. श्री सुजानसिंह (बहरोड़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार तहसील बहरोड़ में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न ग्रामों की हरिजन बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है—1. कायसा, 2. कोहराना 3. जखराना 4. घीलोठ 5. शाहजहाँपुर 6. हमीदपुर 7. खोहर 8. बसई 9. दोसौद 10. श्रीयानी 11. डूमरोली 12. माजरी कलां 13. मांढन 14. परतापुर 15. जैतपुर 16. हुडिया कलां।

(2) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

(2) वर्ष 1983-84 में तहसील बहरोड़ के ग्राम मांढन में दो हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष वर्णित गांवों की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु अभी कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इन ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण सम्बन्धित सरपंच द्वारा आवेदन/अनुबन्ध पत्र प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए किया जा सकेगा।

लालसोट तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

788. श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लालसोट तहसील के स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) लालसोट तहसील के बचे हुए गांवों में बिजली कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी व अब तक स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मण्डल ने लालसोट तहसील में 132 के. वी. स्टेशन बनाने का सर्वे करके स्वीकृति के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त स्टेशन का कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट के 85 ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु एक योजना वर्ष 1983-84 में स्वीकृत की जा चुकी है। योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का है। ग्रामों का विद्युतीकरण वार्षिक योजना मद में राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित धनराशि पर निर्भर करेगा।

(276)

(ऊर्जामंत्री)

(2) उपरोक्त स्वीकृत योजना के गावों के विद्युतीकरण के पश्चात् पंचायत समिति लालसोट के शेष ग्रामोंके विद्युतीकरण हेतु योजना बनाने के प्रयास किये जावेंगे। सभी क्षेत्रों का एक साथ विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं।

पंचायत समिति अन्ता के प्राथमिक विद्यालय

789. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी)

श्री बालचन्द्र आर्य (डग)—क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय कहाँ-कहाँ हैं ?

(2) क्या अधिकतर विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नहीं हैं ? और न ही उन स्कूलों में कोई हैण्ड पम्प है ?

(3) क्या ऐसे विद्यालयों में बच्चे अपने हाथों से पानी भर कर लाते हैं तथा अन्य कार्य करते हैं ? यदि हां, तो सरकार नन्हें विद्यार्थियों को उक्त संकट से बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) अन्ता में कुल 103 प्राथमिक विद्यालय हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। पानी की व्यवस्था अंश-कालीन कर्मचारी, मजदूर या सम्बन्धित पंचायत द्वारा करवाई जाती है। कुछ स्थानों पर विद्यार्थी स्वयं पानी लाते हैं।

तारांकित प्रश्न सं० 789 के भाग (1)
से सम्बन्धित सूची

क्रम संख्या	उन ग्रामों के नाम जहां प्राथमिक विद्यालय हैं
1	2
1.	बालाखेड़ा
2.	तामखेड़ा
3.	बरावदी
4.	बमूलिया जोगिया
5.	काचरी
6.	देवपुरा
7.	नागदा की झोंपड़ियां
8.	सोरखण्ड कक्ष
9.	बिजोरा
10.	अलीपुरा
11.	रूपपुरा
12.	रायपुरिया
13.	पलसावा
14.	धतूरिया
15.	घोड़ीगांव
16.	सोरखण्ड खुर्द
17.	मूण्डला
18.	टारडीखेड़ा

1	2
19.	सरकन्या
20.	टारडा
21.	डावरी काकानी
22.	बूंदी
23.	मांडपुर
24.	खजूरा खुर्द
25.	पचेक खुर्द
26.	पलापका
27.	बडवा छात्र
28.	बड़वा छात्र
29.	खजूरना कला
30.	नियाना
31.	मौलजी
32.	ठीकरिया
33.	जयनगर
34.	चहेड़िया
35.	अमलसरा
36.	हुगारी
37.	मानपुरा
38.	गोविन्दपुरा
39.	धांकड़खेड़ी

(279)

1	2
40.	मोरा जेडी
41.	आमा की झेपा
42.	गुलाबपुरा
43.	लिम्राड़ी
44.	केवड़ा
45.	गोपाकपुरा
46.	कल्याणपुरा
47.	खान की झेपा
48.	हनुमत खेड़ा
49.	बावड़ी खेड़ा
50.	सीसवाली I
51.	सीसवाली II
52.	सीसवाली कन्या
53.	रायथल
54.	मूण्डली
55.	पाककखेड़ा
56.	भैरूपुरा
57.	कनाडा
58.	सौनक
59.	पटपड़ा
60.	ग्रीनाल

1	2
61.	बोरदा
62.	चूहपुरा
63.	छमपुरा
64.	गोदावरी
65.	कालूपुरा
66.	धूमरखेड़ी
67.	अलोदा तनकी
68.	कन्या बोहरा
69.	भोज्याहेड़ी
70.	भखगढ़
71.	हिंगानिया
72.	पाडलिया
73.	विशनपुरा
74.	बालापुरा
75.	ईसरपुरा
76.	रीझिया
77.	गटेडिगा
78.	खानपुरिया
79.	कूण्डवा
80.	बालून्दा
81.	सीकलिया
82.	खतपुरिया
83.	जड़ावदिया

1	2
84.	महुवा
85.	रामपुरा भगवान
86.	कन्या बमोरी कलां
87.	छात्र बमोरी कलां
88.	रावलजाकड़
89.	रेनगढ़
90.	हरसोली
91.	गुदरावनी
92.	जारेला
93.	भगवानपुरा
94.	झारवा
95.	बल्देवपुरा
96.	मूण्डवा
97.	तिखोद
98.	चैनपुरिया
99.	मूण्डला
100.	माण्डपुर
101.	पचेल खुर्द
102.	खजूरना खुर्द
103.	पापड़ली

ग्राम पवाना (कोटपूतली) में लाइमस्टोन की दी गई लीज

790. श्री सी.पी. जोशी(नाथद्वारा): क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे---

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 24-3-1975 को ग्राम पवाना, तहसील कोटपूतली (जयपुर) में प्रधान खनिज रियायत नियम, 1960 के अन्तर्गत श्री नन्दलाल अग्रवाल के पक्ष में लाइम स्टोन की एक लीज दो वर्ष में सीमेंट प्लांट लगाने की शर्त पर स्वीकृत हुई थी पर प्लांट नही लगाने से दिनांक 29-7-1978 को पट्टा खण्डित कर दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि पट्टा खण्डन के इस आदेश के विरुद्ध पट्टाधारी द्वारा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट में वाद प्रस्तुत करने पर अक्टूबर 1983 में सरकार की ओर से कम्प्रोमाइज डिक्री पास कराकर श्री अग्रवाल के पक्ष में 32.32 हैक्टर क्षेत्र प्रधान खनिज के रूप में रु. 400/- प्रतिवर्ष के रेन्ट पर पट्टा जारी कर दिया गया ?

(3) कृपया कम्प्रोमाइज हेतु सरकार की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र और न्यायालय की ओर से दिये गए आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हाँ ।

(2) न्यायालय अपर व्यवहार न्यायाधीश जयपुर नगर क्रम 5 के कम्प्रोमाइज डिक्री आदेश की पालना में श्री नन्दलाल अग्रवाल के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र 604.34 हैक्टर्स में से 32.37 हैक्टर्स क्षेत्र रखते हुए शेष क्षेत्र अध्यार्पित किया । रखे हुए क्षेत्र 32.37 हैक्टर्स का स्थिर भाटक वर्तमान में प्रचलित रुपये 25/- प्रति हैक्टर की दर से 809.25 वसूली योग्य है ।

(3) सरकार की ओर से न्यायालय में कम्प्रोमाइज हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं न्यायालय के आदेश की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "क" और "ख" संलग्न है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 790 का परिशिष्ट

परिशिष्ट-"क"

न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज
जयपुर नगर, जयपुर

वाद सं० 215/81

नन्दलाल अग्रवाल बनाम् 1. यूनियन आफ इण्डिया एवं
2. राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी.
बाबत वाद में समझौता

श्रीमान् जी,

उपरोक्त वाद वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न शर्तों पर आपसी समझौता करने पर विचारणीय है—

1. यह कि प्रतिवादी नम्बर एक आदेश दिनांक 16-6-80 एवं प्रतिवादी नम्बर 2 के आदेश दिनांक 27-7-78 एवं 29-7-78 बाबत वर्णित क्षेत्र मद संख्या 2, वाद-पत्र जिसके कि विरुद्ध वाद-पत्र दाखिल किया गया है को प्रभाव में न लावें।

2. यह कि वादी अपने खनन पट्टा क्षेत्र 604.34 हैक्टर्स में से केवल 32.37 है० क्षेत्र रखेगा एवं शेष बचा हुआ क्षेत्र प्रतिवादीगण नम्बर 2 किसी भी अन्य पार्टियों को अनुदान करने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

3. यह कि वादी अपने कुल लीज होल्ड क्षेत्र 604.34 हैक्टर्स में से 32.37 है० क्षेत्र अलावा अन्य अनुबन्ध जो लीज डीड में वर्णित हैं वे निम्न शर्तों पर रखेगा—

"आवंटित क्षेत्र से प्राप्त किए गए लाइम स्टोन खनिज का सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज को सप्लाई करने हेतु अथवा यह खनिज जिस भी उद्योग में काम में आवे उस उद्योग के लिए विक्रय कर सकेंगे और इस सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर रायल्टी असेसमेन्ट किया जा सकेगा।"

4. यह कि वादी प्रतिवादीगण द्वारा जारी आदेशानुसार आवंटित क्षेत्र में खनन् कार्य करने का अधिकारी होगा।

5. यह कि वादी अपने द्वारा पेश की गई निगरानी नम्बर प० 1(253)/82/खान-4 दिनांक 29-3-82 जो कि प्रतिवादी नम्बर 1 के समक्ष इस क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत है जो निरस्त समझी जावेगी।

6. यह कि खर्चा मुकदमा वादी प्रतिवादी अपना-अपना वहन करेंगे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त शर्तों को संलग्न करते हुए वादी का दावा डिगरी फरमावें तथा उक्त शर्तों को डिगरी परचे में शामिल करवाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण,

जयपुर, दिनांक 4-6-83

ह० शंकरलाल अग्रवाल
नन्दलाल अग्रवाल, जरिये मुख्तार
आम शंकरलाल अग्रवाल—वादी

2. ह० बृजमोहन शर्मा,
सक्षम अधिकारी
(बी० एम० शर्मा),
खनिज अभियन्ता,
जयपुर।

हस्ताक्षर
श्यामलाल सबनानी,
अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक,
जयपुर।

परिशिष्ट "ख"

प्रमाणित प्रतिलिपि डिक्री न्यायालय ए० सी० जे० 5 जयपुर नगर किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नम्बर 130/83

नाम पक्षकारान नन्दलाल बनाम् यूनियन आफ इण्डिया तारीख फ़ैसला दिनांक 13-10-83

सील अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 5 जयपुर नगर, जयपुर।

डिक्री मुकदमा इस्तक्षाई

(ओ. 20 रूल्स 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत श्री भीमसेन लेखरा, आर०जे०एस०, मुकाम जयपुर नगर व अलजाम अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5.

नन्दलाल पुत्र गुलजारीलाल जाति अग्रवाल नि० माउण्डा, जि० सीकर	बनाम्	1. यूनियन ऑफ इण्डिया जरिये सचिव खान एवं इस्पात सचिवालय, नई दिल्ली. 2. राजस्थान सरकार जरिए सचिव, खनिज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर एवं जिलाधीश, जयपुर।

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 130/83

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कतई रू-ब-रू श्री भीमसेन लेखरा आर० जे० एस० बहाजरी अशोक मेहता एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री श्यामलाल सबनानी मिनजानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण हस्ब राजीनामा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :—

1. यह कि प्रतिवादी नं० 1 का आदेश दिनांक 16-6-80 एवं प्रतिवादी नं० 2 के आदेश दिनांक 27-7-78 एवं 29-7-78 बाबत वर्णित क्षेत्र मद सं० 2 वाद-पत्र जिनके कि विरुद्ध वाद-पत्र दाखिल किया गया है को प्रभाव में न लावें।

(286)

2. यह कि वादी अपने खनन् पट्टा क्षेत्र 604.34 हैक्टर में से केवल 32.37 हैक्टर क्षेत्र रखेगा एवं शेष बचा हुआ क्षेत्र प्रतिवादीगण नं० 2 किसी भी पार्टियों को अनुदान करने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

3. यह कि वादी अपने कुल लीज होल्ड क्षेत्र 604.34 हैक्टर में से 32.37 हैक्टर क्षेत्र अलावा अन्य अनुबन्ध जो लीज डीड में वर्णित है, निम्न शर्तों पर रखेगा :–

"आवंटित क्षेत्र से प्राप्त किए गए लाइमस्टोन खनिज का सीमेंट इण्डस्ट्रीज को सप्लाई करने हेतु अथवा यह खनिज जिस भी उद्योग में काम में आये उस उद्योग के लिए विक्रय करसकेंगे और इससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर रायल्टी असेसमेन्ट किया जा सकेगा।

4. यह कि वादी अपने द्वारा पेश की गई निगरानी नं० 1 (253)/82/खान-2, दिनांक 29-3-82 जो कि प्रतिवादी नं०-1 के समक्ष इस क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत है को निरस्त समझी जावेगी।

5. यह कि वादी प्रतिवादीगण द्वारा जारी आदेशानुसार आवंटित क्षेत्र में खनन् कार्य करने का अधिकारी होगा।

खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

ह० (भीमसेन लखेरा)
अपर सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5
जयपुर नगर, जयपुर।

मकराना नगर में निरवाली नाडी तक कटान

791. श्री अब्दुल रहमान चौधरी (मकराना)

श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना नगर में बाई-पास से निरवाली नाडी तक कटान का रास्ता खसरा नम्बर 611 में से खुलवाने के लिए मकराना के वार्ड नम्बर 13 की जनता से तहसीलदार परवतसर, उपखण्ड अधिकारी, परवतसर व जिलाधीश महोदय, नागौर को दरख्वास्त प्राप्त हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार ने रास्ता खुलवाने के लिए खसरा नम्बर 611 के आदेश दिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार के उपरोक्त आदेश के बावजूद खसरा नम्बर 611 पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपखण्ड अधिकारी परबतसर के आदेशों पर खसरा नम्बर 611 की बजाय खसरा नम्बर 612 को तोड़ा गया है ? यदि हां, तो खसरा नम्बर 611 का अतिक्रमण हटाने बाबत सरकार क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अतिक्रमण नियमानुसार 15-11-83 को हटा दिया गया है। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही चल रही है।

(4) जी नहीं। उपखण्ड अधिकारी परवतसर ने अपनी मौजूदगी में खसरा नम्बर 611 पर किये गए अतिक्रमण को हटवाया है।

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 776 की शर्तें

परिशिष्ट "क"

Programme of the Ashram Schools

The idea behind the four type of schools is that the pupils who are to be benefitted are provided with free lodging and boarding alongwith basic training in some crafts under constant supervision and guidence of trained personnel with the sprit of service and cooperation. The general principles for the organisation of Ashram schools are—

1. **Each Ashram School should have a hostel attached to it.**
2. The school to which children of he Ashram will be sent should be a part of the institution of Ashram. The Ashram schools is will be started by a Voluntary Agency where there is no primary school of any department within a radius of three miles of the Ashram School.
3. In the initial stages arrangements for teaching simple crafts like kitchen gardening, spinning & weaving poultry farming etc. should be made. Agriculture should be the main craft.
4. The Ashram should have at least 25 pupils.
5. The school should be developed into first grade primary school during the course of next 4 to 5 years according to the policy and curriculum of the education or Social Welfare Departments.
6. The pupils of the Ashram should be recruited from the neighbouring villages in addition to local children who will only imparted education in the schools.
7. The admission of children to the Ashram school should be restricted to children between ages of 7 to 9 years if they are to be admitted to the first standard of the school

and upto the age of 10 years if they are to be admitted to higher standard.

8. In case there are both girls and boys in the Ashram two separate units will be kept for the boys and girls and women teachers should be made incharge of the girls section. In such cases preference may be given where husband and wife both *are willing to serve as teachers. The Ashram should have a* farm of about 5 bighas with well, two cows, a pair of bullocks, agricultural implements, etc. The scale of expenditure for each school will be as follows :—

Recurring :

1.	Instructor (1)	75—140
2.	Teacher (one)	50—75
3.	Class IV Servants (3)	25—1—40
4.	Cook (one)	40 Fixed.
5.	Chowkidar (one)	25-1-40
6.	Scavenger (one)	25-1-40

(With usual other allowances sanctioned by the State Government for similar categories of employees)

7. Office expenses.
8. Accommodation.
9. Cost of raw material.
10. Uniform and Mid-day meal.
11. Food and Clothing etc.
12. Provided for the Social Welfare Department for other inmates.

Non-Recurring :

1. Furniture and equipments.
2. Utensils, Radio Sets,

3. Materials, Costs etc.
4. Machines, tools, equipments for crafts etc.
5. Building.
6. Purchase of bullocks, agricultural land etc.

The Voluntary Agencies which will run Ashram School will be sanctioned grant-in-aid on the above approved item and the aid would be limited to approved percentage of the Agencies concerned. In case of non-recurring items, cent percent grant-in-aid will be granted.

The Voluntary Agencies should submit the monthly progress reports of the Ashram Schools to the concerned officer of Social Welfare Department.

TERMS AND CONDITIONS REGULATING THE GRANT IN AID TO VOLUNTARY AGENCIES WHICH WILL RUN ASHRAM SCHOOLS

1. The management of the Ashram Schools shall utilise the grants for the specific purpose for which they have been sanctioned.

2. The management shall conduct the Ashram School in accordance with the policy of the Government and orders and instructions issued from time to time in this behalf by the Government (in the Social Welfare Deptt., or Education Department).

3. The management shall maintain separate accounts of the Ashram School in such forms as may be prescribed by the Government or Director, Social Welfare Department, and shall get them audited by the registered auditor and should forward audited statement of accounts to the Director, Social Welfare Department soon after financial year is over.

4. The management shall keep Ashram school open to Scheduled Tribes of that area.

5. The management shall keep Ashram School open to boys of other communities also in the school section of that area.

6. The management shall keep Ashram School open for inspections to the officers of the Social Welfare Deptt., and Education Department at all reasonable times.

7. The management shall be bound to submit periodical reports and accounts prescribed and to supply such further information promptly as may be required from time to time by the Director of Social Welfare Department or the Director of Education or two Panchayat Samities.

8. The management shall not change location of Ashram Schools without the previous sanction of the Govt. or Director, Social Welfare Department.

9. The management shall appoint as for as possible qualified persons in the Ashram Schools.

10. The grant in aid sanctioned by the Govt., for construction of building, the stock. live stock and other equipments will be governed as follows :—

(a) In case the Agency ceases to function :

(1) The building and the land on which it is constructed will be government property.

(2) The staff, equipments and educational facilities will by properly handed over to concerning departments.

(3) The land of the farm and other landed property connected with the Ashram Schools will be Govt., property.

(4) The management shall execute a bond in this respect to the Government that they will abide by the conditions referred to above.

(b) (1) The payment of advance for the expenditure of next 3 months will be provisional and shall not exceed to the estimated expenditure of 3 months to each school and shall be subject to adjustment before any further advance is sanctioned by the Director, Social Welfare Department (or Officer authorised in this behalf by him) subject to submission of utilisation certificate in respect of previous advances.

(2) Amount remaining un-utilised will be refunded to Government on or before the 31st March every year.

(3) The advance of grant in aid shall be subject to the conditions that the voluntary agencies shall complete the work for which advance grant in aid are paid (Non-Recurring) before the end of March of the financial year at the latest to run the School and Ashram. Temporary arrangements may continue till building constructed and equipped.

(4) The grant in case of construction of building will only be released on the submission of plan and estimate of the building to be constructed by the P.W.D. Authorities not below the rank of Asstt. Engineer of the District concerned.

(5) The Director, Social Welfare who is authorised to sanction an advance grant in aid to such voluntary agencies shall obtain an undertaking from the managements of the Ashram Schools or Voluntary Agencies to the effect that agencies agree to these conditions before the advance grants are sanctioned by him.

(6) If the Voluntary Agency is already running a school and Ashram School is added, the grant will be limited to Ashram facilities only.

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ० 7(1)(35)अनु०/सक/76-77/56206 जयपुर दिनांक 16/8/79

ओर से—उप-शासन सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

वास्ते— निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय—स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले आश्रम स्कूलों के बजट पैटर्न में परिवर्तन

महोदय,

निर्देशानुसार वर्तमान अनुदानित आश्रम स्कूलों के बजट पैटर्न को दिनांक 1-4-1979 से संलग्न तालिका के अनुसार परिवर्तित करने के राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब नवीन वार्षिक बजट पैटर्न के अनुसार कुल आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय (25 छात्रों के आश्रम स्कूल पर) 75900 रु० (अक्षरे पिचेतर हजार नौ सौ रुपये मात्र) तक का होगा। प्रतिवर्ष नवीनीकरण करते समय अनावर्तक आइटम्स पर अनुदान नहीं दिया जावेगा जब तक कि इसके लिए विशेष स्वीकृति न हो।

प्रशिक्षक एवं अध्यापक के लिए परिवर्तित वेतन शृंखलायें जो बजट पैटर्न में स्वीकृत की गई हैं उनके अनुसार वेतन का भुगतान तभी किया जा सकेगा जबकि उनकी योग्यता नीचे लिखे अनुसार होगी—

नाम पद	आवश्यक योग्यता
1. प्रशिक्षक	1. **नई भर्ती के लिए—**
	मैट्रिक मय उद्योग प्रशिक्षण के प्रमाण-पत्र के।
	वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मचारी के लिए—
	5 वर्ष का अनुभव तथा मैट्रिक के समकक्ष योग्यता।

(295)

नाम पद	आवश्यक योग्यता
2. अध्यापक	I. नई भर्ती के लिए— प्रतिशत मैट्रिक्यूलेट (अर्थात् हाई स्कूल अथवा सैकण्डरी मय बी० एस० टी० सी० ट्रेण्ड)
	II. वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए— पाँच वर्ष का अनुभवी अध्यापक जिसकी योग्यता मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी के समकक्ष हो।

इस नवीन बजट पैटर्न के आधार पर जो व्यय होगा उसे निम्नांकित बजट शीर्षक से वहन किया जावेगा—

228—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

गा–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण

(ख) अनुसूचित जातियों का कल्याण

(ग) अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

II–अन्धे कल्याणकारी योजनायें—

III–शिक्षा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता

सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहायतार्थ (आयोजना भिन्न व्यय)

यह स्वीकृति वित्त विभाग (व्यय–I) की अनुमति जो इनके आई०डी० संख्या 3322 दिनांक 28-6-79/4-7-79 द्वारा दी गई है, के आधार पर प्रसारित की जाती है।

भवदीय

हस्ताक्षर

उप-शासन सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

दिनांक 1-4-1979 से लागू किया गया 25 आवासियों के अनुदानित आश्रम स्कूलों का परिवर्तित वार्षिक बजट पैटर्न

क्रम सं.	खर्च का मद	दिनांक 1-4-70 से 31-3-79 तक की अवधि के लिए स्वीकृत वेतन श्रृंखला	वर्तमान वार्षिक रकम	दिनांक 1-4-79 से स्वीकृत परिवर्तित वेतन श्रृंखला	परिवर्तित वार्षिक रकम
1	2	3	4	5	6
1.	**कर्मचारी का वेतन**—				
	(अ) प्रशिक्षक (1)	(110-5-160-8-200-10-230)	1320	(355-10-415-15-550-20-570)	4260
	(ब) अध्यापक (1)	(100-5-140-8-180)	1200	(355-10-415-15-550-20-570)	4260
	(स) च०श्रे०क० (4)	(60-1-65-2-85)	2880	(240-3-270-4-290)	11520
	(द) अंशकालीन स्वीपर (1)	(30 रुपये प्रतिमाह फिक्स्ड)	360	(45 रु० प्रतिमाह फिक्स्ड)	540
		योग-एक	5760		20580

1	2	3	4	5	6
2.	अलाउन्स एण्ड ओनरेरिया—				
	(अ) महंगाई भत्ता	—	2640	—	—
	(ब) यात्रा भत्ता	—	300	—	400
	(स) मेडिकल चार्जेज	—	560	—	750
		योग—2	3500		1150
3.	अन्य खर्च (क) कार्यालय खर्च				
	(I) डाक-तार खर्च	—	200	—	300
	(II) रोशनी पानी	—	200	—	300
	(III) लिवरिज	—	150	—	220
	हार्ट एण्ड कोल्ड वेदर चार्जेज		100	—	150
	(ख) बुक्स एण्ड पीरियोडिकल्स		350	—	500
			1000		1470

1	2	3	4	5	6
	(ब) अन्य खर्च—				
	(I) भवन किराया 150 रु. प्रतिमाह की दर से	—	1800	—	1800
	(II) भोजन, वस्त्र, किताबें आदि 60 रुपये प्रतिमाह की दर से दस माह के लिए	—	10000 दर 40 रु. प्रतिमाह	—	15000 बाल रश्मि के 140 छात्रों के आश्रम स्कूल के लिए दर 60 रु. प्रतिमाह 24000 रु. नई दर से स्वीकृत योग्य है।
	(III) कच्चे माल की खरीद (i) लेखन सामग्री (स्टेशनरी व प्रिंटिंग)	—	1500	—	2000
			200	—	300
	(ii) अन्य छोटे खर्च वार्षिक उत्सव पारितोषिक वितरण		500	—	600
			योग– 14000		19700

1	2	3	4	5	6
	(स) अनावर्तक व्यय—				
	I फर्नीचर फिक्चर्स, खाटें दरी, कम्बल, दीवार घड़ी अन्य सरअंजाम की खरीद		3000	—	3000
	II बर्तन, रेडियो सैट, इन्डोर एण्ड आउटडोर गेम्स की खरीद		1000	—	1000
	III मशीन, औजार एवं अन्य सरअंजामों की खरीद (विभिन्न क्राफ्टों के लिए)		3000	—	3000
	IV गाय की खरीद एवं उसका रखाव		1000	—	1000
	V आश्रम स्कूल भवन का निर्माण अथवा खरीद अथवा परिवर्तन		25000	—	25000
		योग—	33000		33000
		महायोग—	57260		75900

हस्ताक्षर
उप-शासन सचिव

299

Government of Rajasthan

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

No. F. 7(1) (1) Aid/SWD/82-83/62849 Dated, the 15-9-1982

From : Deputy Secretary to the Govt.,
Social Welfare Department,
Rajasthan, JAIPUR.

To : The Director,
Social Welfare Department,
Rajasthan, Jaipur.

Sub. : Increase in Grants for fooding, clothing, bedding etc. and scholarship.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to increase the existing rates of scholarship and grants per student/inmate per month in accordance with the statement enclosed herewith. Increased rate will take effect from 1-4-82 or the first date of academic session 1982-83, which-ever is applicable.

The expenditure would be met under the respective sub-heads under major head "288-Social Security & Welfare" whereunder additional funds for meeting the enhanced expenditure would be provided either by re-appropriation of savings or supplementary grants.

This issues with the concurrence of Finance (Exp. II) Department vide their I. D. No. 3630/FD (E-II)/82, dated 14-9-82.

Yours faithfully,
(S. D. Shaktawat)
Dy. Secretary to the Govt.,

No. F. 7(1)(1) Aid/SWD/82-83/62850-914 Dated, the 15-9-82.

Copy forwarded to :

1. Secretary to the Government, Social Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
2. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

3. Sr. Accounts Officer, Social Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
4. All Dy. Directors, Headquarter.
5. All Assistant Directors/Distt. Probation & Social Welfare Officers, SWD.
6. Finance (Exp. II) Department, Rajasthan, Jaipur for information & necessary action.

Sd./—
Dy. Secretary to the Government,
Social Welfare Department,
Rajasthan, Jaipur.

Statement showing the Schemewise Existing and Revised Rates as per the Announcement made by the Finance Minister

Sr. No.	Scheme	Present rate per student/inmate per month	Revised Rates per student/inmate per month	With effect from
1	2	3	4	5
		(In Rupees only)		
1.	Hostels :—			
	Class VI to VII	80.00	100.00	Academic Session
	Class IX to XI	85.00	106.00	,,
2.	Aided Ashram School	60.00	75.00	,,
3.	Pre-matric Scholarship for SC/ST Students—			
	Class VI to VIII	10.00	12.50	,,
	Class IX to XI	20.00	25.00	,,
4.	Destitute Homes	76.50	95.00	1-4-1982

Sd/-
(D. S. Shaktawat)
Deputy Secretary to the Government,
Social Welfare Department,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 984 का आदेश

कार्यालय कलक्टर, सीकर

संख्या 462/71/राजस्व दिनांक 10-2-65

1. सब डिविजनल ऑफिसर समस्त

2. तहसीलदार समस्त

विषय—चारागाह घोषित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग—इस कार्यालय का एन्डोर्समेन्ट संख्या 2026–35/आर. ए. दिनांक 10-9-62

उपरोक्त विषय में राजस्व "ख" विभाग के पत्र संख्या एफ. 4 (1)32/राज/ख/62, दिनाँक 5-2-65 की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ भेजकर लेख है कि चरागाह--घोषित करने का कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण करवाना चाहिए। इस कार्य की प्रगति की सूचना इस कार्यालय को हर मास की 5 तारीख वांछित प्रोफार्मा तक में प्राप्त होनी चाहिए।

हस्ताक्षर

अतिरिक्त कलेक्टर, सीकर

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 986 की सूचना

परिशिष्ट "क"

ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्य पर रायल्टी की वसूली का विवरण

क्र.सं.	ठेकेदार का नाम	खनिज की मात्रा	खनिज का नाम व क्षेत्र	अवधि	प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कन्हैयालाल	750 टन	चुनाई पत्थर अंधेरी देवरी माता	5-8-81 से 4-10-81	781.00
2.	श्री घीसासिंह	1000 टन	,, ,, अंधेरी देवरी	5-8-81 से 4-10-81	1039.00
3.	श्री जी.आर. बिल्डर्स	1050 टन	,, ,, लयरिया	5-8-81 से 4-10-81	1079.00
4.	श्री सीमेन्ट प्रा. लि.	500 टन	,, ,, मुडोती	15-9-81 से 15-11-81	522.00
5.	श्री सीमेन्ट प्रा, लि.	500 टन	,, ,, ,,	5-1-82 से 15-3-82	523.00
6.	श्री नवलसिंह	300 टन	,, ,, ,,	6-1-82 से 5-1-82	323.00
7.	श्री नवलसिंह	500 टन	,, ,, ,,	6-3-82 से 2-5-82	532.00
8.	श्री सीमेन्ट प्रा. लि.	2000 टन	,, ,, ,,	15-3-82 से 30-5-82	2050.00
9.	श्री बोथरा कन्स्ट्रक्शन कं.	1000 टन	,, ,, लूलवा	24-4-82 से 27-7-82	1068.00

1	2	3	4	5	6
10.	श्री नवलसिंह	600 टन	चुनाई पत्थर मुण्डोती	4-5-82 से 3-8-82	629.00
11.	श्री सीमेन्ट प्रा. लि.	2000 टन	,, अंधेरी देवरीमाता	21-5-82 से 20-4-82	2050.00
12.	श्री सीमेन्ट प्रा. लि.	5000 टन	,, अंधेरी माता	17-8-82 से 16-12-82	5086.00
13.	मैसर्स बोथरा कंस्ट्रक्शन कं.	2500 टन	,, लूलवा	8-9-82 से 7-12-82	2543.50
14.	श्री सीमेन्ट प्रा. लि.	10000 टन	,, अंधेरी देवरीमाता	6-12-82 से 5-6-83	10203.00
15.	,, ,,	15000 टन	,, लूलवा	25-3-83 से 24-6-83	15000.00
16.	,, ,,	10000 टन	,, ,,	21-7-83 से 20-10-83	10000.00
17.	,, ,,	10000 टन	,, ,,	3-10-83 से 2-2-84	10000.00
18.	श्री जय ट्रासपोर्ट कं.	2650 टन	,, पाखरियावास	6-1-84 से 5-3-84	3975.00
19.	श्री सीमेन्ट प्रा. लि.	10000 टन	,, लूलवा	14-2-84 से 13-4-84	15000.00
20.	विभागीय नाका, ब्यावर पर खनिज बजरी की रायल्टी जो वसूल की गई।	6312 टन	बजरी, रास बावरा क्षेत्र, जिला पाली	फरवरी 1983 से मार्च, 84	12144.00
				कुल योग रुपये	94,547.50

(305)

परिशिष्ट–"ख"

श्री सीमेन्ट फैक्ट्री से प्राप्त रायल्टी राशि का माहवारी विवरण प्रपत्र

क्र.सं.	माह	खनिज की मात्रा	रायल्टी की राशि
1	2	3	4
1.	जनवरी 1981	1000 टन	750/-
	फरवरी 1981 से नवम्बर 1981	निल	निल
	दिसम्बर 1981	400/- टन	300/-
2.	जनवरी 1982 से मार्च 1982	निल	निल
	अप्रेल 1982	4000 टन	3000/-
	मई 1982 से जून 1982	निल	निल
	जुलाई 1982	2000 टन	1500/-
	अगस्त 1982 से अक्टूबर 1982	निल	निल
	नवम्बर 1982	2000 टन	1500/-
	दिसम्बर 1982	4000 टन	3000/-
3.	जनवरी 1983	निल	निल
	फरवरी 1983	4000 टन	3000/-

1	2	3	4
	मार्च 1983 से मई 1983	निल	निल
	जून 1983	5000 टन	3750/-
	जुलाई 1983 से अगस्त 1983	निल	निल
	सितम्बर 1983	2000 टन	1500/-
	अक्टूबर 1983	निल	निल
	नवम्बर 1983	6000 टन	4000/-
	दिसम्बर 1983	4000 टन	3000/-
4.	जनवरी एवं फरवरी 1984	निल	निल
	मार्च 1984	5000 टन	3750/-
		कुल योग	29,050/–

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 991 की उद्घोषणा व सूची

कार्यालय उपजिलाधीश, टोंक

क्रमांक 1130-32 **आवंटन** दिनांक 24-10-81

उद्घोषणा-पत्र

यह उद्घोषणा-पत्र कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के अन्तर्गत जारी किया जाकर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंचायत मेंदवास के ग्राम निम्न अंकित तहसील टोंक में रकबा 320) बीघा में पेटा काश्त कृषि भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। अतः जो व्यक्ति कृषि कार्य हेतु उपलब्ध भूमि के आवंटन प्रार्थना-पत्र देना चाहें वह उचित प्रपत्र पर इस उद्घोषणा पत्र के प्रकाशन की तिथि से 7 दिन के अन्दर-अन्दर या भू-आवंटन तिथि तक निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। जो सिवायचक भूमि आवंटन योग्य उपलब्ध है उसकी सूची सम्बन्धित पंचायत, पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय में घोषणा-पत्र के प्रकाशन की तिथि से देखी जा सकती है।

आज दिनांक 24–10–81 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षर
उपजिलाधीश, टोंक

क्रमांक /आवंटन/84 दिनांक

प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिलाधीश महोदय, टोंक
2. तहसीलदार टोंक को 4 प्रति भेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दें एवं उक्त पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर अन्य प्रतियों को चस्पा कर तामिली रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवावें।
3. सरपंच ग्राम पंचाय मेंदवास द्वारा तहसीलदार, टोंक
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा

मेंदवास–– 170)
अमीनपुरा––150)
————
320

हस्ताक्षर
उपजिलाधीश, टोंक

कार्यालय उपजिलाधीश, टोंक, (राजस्थान)

क्रमांक **/आवंटन/** दिनांक

उद्घोषणा-पत्र

यह उद्घोषणा-पत्र कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम / के अन्तर्गत जारी किया जाकर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंचायत मेंदवास के ग्राम निम्न तहसील टोंक में पेटा काश्त रकबा 270) बीघा में पेटा काश्त कृषि भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है । अतः जो व्यक्ति कृषि कार्य हेतु उपलब्ध भूमि के आवंटन प्रार्थना-पत्र देना चाहें वह उचित प्रपत्र पर इस उद्घोषणा पत्र के प्रकाशन की तिथि से 7 दिन के अन्दर-अन्दर या भू-आवंटन तिथि तक निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर दें । जो सिवायचक भूमि आवंटन योग्य उपलब्ध है उसकी सूची सम्बन्धित पंचायत, पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय में घोषणा-पत्र के प्रकाशन की तिथि से देखी जा सकती है ।

आज दिनांक 4-10-82 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालग द्वारा जारी किया गया ।

हस्ताक्षर
उपजिलाधीश, टोंक

क्रमांक 1401-4 **/आवंटन/84** दिनांक 4-10-82

प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. जिलाधीश महोदय, टोंक
2. तहसीलदार टोंक को 4 प्रति भेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दें एवं उक्त पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर अन्य प्रतियों को चस्पा कर तामिली रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवावें ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत मेंदवास द्वारा तहसीलदार टोंक
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा

मेंदवास—150)
अमीनपुरा—120)

हस्ताक्षर
उपजिलाधीश, टोंक

सूची पटवार मण्डल मेंहदवास संवत् 2038 की ग्राम मेंदवास की पैनल्टी
सूची का फैसला 22-2-84

क्र.सं.	मि.नं.	नाम अतिक्रमी	ख.न.	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	लगान तर लगान	गुना	पैनल्टी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1244/44	हीरा पुत्र मांगीलाल कीर	2055	2		6.50	दो गुना	26.00
2.	1245/84	लादू पुत्र रामस्वरूप कीर	2055	2		,,	—	26.00
3.	1246/84	किशनलाल पुत्र श्योकरण कीर	2055	1		,,	—	13.00
4.	1247/84	रामचन्द्रा पुत्र श्योकरण कीर	2055	3		,,	—	39.00
5.	1248/84	छोटू खां पुत्र रमजान हरनाथ पुत्र	2116	3		,,	,,	39.00
6.	1249/84	छोटू पुत्र गोविन्दा कीर	2055	6		,,	—	78.00
7.	1250/84	रामफूल पुत्र रामचन्द्रा कीर	2055	3		,,	—	39.00

(309)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	1251	हीरा पुत्र रामचन्द्रा कीर	2055	3		6.50	—	39.00
9.	1252	नारानण पुत्र रामचन्द्र कीर	2055	2		,,	—	26.00
10.	1253	प्रह्लादी बेवा ईसर कीर	2055	3		,,	—	39.00
11.	1254	छीतर पुत्र मुंगला कीर	2055	4		,,	—	52.00
12.	1255	छीतर पुत्र रूपा कीर	2055	5		,,	—	65.00
13.	1256	नानू पुत्र रामचन्द्र कीर	2055	3		,,	—	39.00
14.	1257	पन्ना पुत्र नानगा कीर	2055	3		,,	—	
			2017	2		,,	—	65.00
15.	1258	रामपाल पुत्र बजरगा कीर	2055	5		,,	—	67.00
16.	1259	नन्दा पुत्र चन्दरा कीर	2055	3	10	,,	—	45.00
17.	1260	ग्यारसा पुत्र चन्दरा कीर	2055	3	10	,,	—	45.00
18.	1261	प्रेम पुत्र लादू कीर	2055	3		,,	—	39.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	1262	रामस्वरूप पुत्र सखा कीर	2055	1		6.50	—	13.00
20.	1263	रामदेवा पुत्र लखमा बैरवा	2117	2		,,	—	26.00
21.	1264	मुन्ना पुत्र छोटे खां मु.	2117	2		,,	—	26.00
22.	1265	लाडला पुत्र भूरा हरिजन	2117	2		,,	—	26.00
23.	1266	प्रभू पुत्र भूरा हरिजन	2117	2		,,	—	26.00
24.	1267	सावूदीन पुत्र चून्दा खाँ	2117	—	18			
					3	,,	—	13.00
25.	1268	काना पुत्र भोलू माली	2117	1	8	,,	—	18.20
26.	1269	बुन्दू खाँ पुत्र रहीमन	2117	2	—	,,	—	26.00
27.	1170	गंगाराम पुत्र देवा धोबी	2117	2	12	,,	—	33.80
28.	1271	भैरव पुत्र गोपी धोबी	2117	2	8	,,	—	31.20
29.	1272	केशर वेवा घासी कीर	2117	2	8	,,	—	39.00

311

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	1273	छीतर पुत्र कालू बैरवा	2117	3	4	6.50	—	41.60
31.	1274	लक्ष्मी बेवा कालू बैरवा	2117	3	4	,,	—	41.60
32.	1275	रामचन्द्रा पुत्र भूरा कीर	2117	—	15	,,	—	9.76
33.	1276	मोती, रामनारायण पुत्र सुखा कीर	2117	2	10	,,	—	32.50
34.	1277	रामनारायण, प्रताप पि. मांगीलाल कीर	2055	4	5	,,	—	107.26
35.	1278	नानू पुत्र मंगला कीर	2055	3	5	,,	—	42.26
36.	1279	हरनाथ पुत्र रामस्वरूप कीर	2055	1	—	,,	—	13.00
37.	1280	हीरा पुत्र छीतर कीर	2117	2	—	,,	—	26.00
38.	1281	बदाम बेवा रामपाल हरिजन	2055	3	—	,,	—	39.00
39.	1282	नानु पुत्र श्योकरण कीर	2055	3	—	,,	—	39.00
40.	1283	रामपाल पुत्र ओंकार कीर	2055	2	—	,,	—	52.00
			2117	2				
41.	1284	कजोड़ पुत्र लखमा बैरवा	2117	2	—	,,	—	26.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	1285	छोटेखाँ पुत्र नियाज मो० खाँ	2117	2	—	6.50	—	26.00
43.	1286	बाबू पुत्र भूरा हरिजन	2117	2	—	,,	,,	26.00
44.	1287	मुन्ना खां पुत्र बुन्दू खाँ	2117	2	—	,,	—	26.00
45.	1288	मथुरा बेवा रामदेवा कुमार	2117	2	—	,,	—	26.00
46.	1289	चन्दरा पुत्र रूपा कीर	2117	3	4	,,	—	41.00
47.	1290	गोरां बेवा रुग्गा कीर	2055	2	—	,,	—	26.00
48.	1291	नानगा पुत्र चन्दरा कीर	2055	2	—	,,	—	26.00
49.	1292	गोपी पुत्र रूपा कीर	2055	8	—	,,	—	104.00
50.	1293	रमेश पुत्र भूरा हरिजन	2055	3	—	,,	—	39.00
51.	1294	इब्राहीम पुत्र बशीर मो०	2055	3	—	,,	—	39.00
52.	1295	सुन्दरा पुत्र छीतर बैंरवा	2055	2	12	,,	—	33.80
53.	1296	ईस्माइल पुत्र बशीर मो०	2055	3	—	,,	—	39.00

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 992 का ब्यौरा

वर्ष 1983-84 में कुओं का पंजीकरण एवं गांवों के विद्युतीकरण के जिलेवार अनुमानित आंकड़ों का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम		कुएँ	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	11	13	525	583
2.	अलवर	59	60	568	664
3.	बांसवाड़ा	44	45	150	153
4.	बाड़मेर	60	62	79	107
5.	भरतपुर	52	52	430	364
6.	भीलवाड़ा	101	146	350	545
7.	बीकानेर	45	36	—	—
8.	बून्दी	45	52	330	413
9.	चित्तौड़गढ़	58	62	630	1004
10.	चूरु	43	51	20	20
11.	धौलपुर	35	35	180	125
12.	डूंगरपुर	22	27	35	151
13.	जयपुर	108	127	1389	1472*

*नोट :–उपरोक्त आंकड़ों में जिला जयपुर की कोटपूतली सहकारी ग्रामीण विद्युतीकरण समिति द्वारा किये गये विद्युतीकृत ग्राम एवं ऊर्जीकृत कुओं के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

1	2	3	4	5	6
14.	जैसलमेर	—	2	—	—
15.	जालौर	30	30	335	370
16.	झालावाड़	24	24	385	463
17.	झुन्झुनू	8	9	734	788
18.	जोधपुर	57	76	195	278
19.	कोटा	90	97	205	272
20.	नागौर	61	68	1038	1046
21.	पाली	13	14	1175	1135
22.	सवाईमाधोपुर	38	35	907	805
23.	सीकर	—	—	863	806
24.	सिरोही	6	6	135	179
25.	श्रीगंगानगर	70	78	100	275
26.	टोंक	44	46	137	137
27.	उदयपुर	31	31	105	536
	योग	1155	1284	11000	12691

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न 998 की सूची

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

1 जनवरी, 1982 से विभिन्न विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों की संख्या :

1.	समाजशास्त्र	1
2.	इतिहास एवं पुरातत्व	4
3.	राजनीतिशास्त्र	4
4.	अर्थशास्त्र	3
5.	मनोविज्ञान	3
6.	विधिशास्त्र	2
7.	दर्शन	5
8.	शिक्षा	1
9.	गृहविज्ञान	1
10.	भूगोल	3
11.	साहित्य एवं भाषा .विज्ञान	5
12.	वाणिज्य	1
13.	भौतिकी	1
14.	रसायन	1
15.	प्राणीविज्ञान	1
16.	वनस्पति	2
17.	कृषि एवं पशुपालन	2
18.	संगीत	1
19.	अभियांत्रिक	2
20.	पत्रकारिता	1
	योग	44 पुस्तकें

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

1 जनवरी, 1982 से अब तक प्रकाशित पुस्तकों की सूची

1. ईसाई दर्शन : इतिहास और सिद्धान्त	योहन फाइस
2. विट्गन्सटाइन	डा० राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे
3. उपन्यास के पक्ष	अनु० राजुल भार्गव
4. राजनय : सिद्धान्त एवं व्यवहार	डा० एम. पी. राय
5. राजस्थान की मुद्राएँ एवं उनका प्रबन्ध	डा. वसन्त मोघे, चन्द्रमोहन माथुर
6. प्रायोगिकी के प्राणी विज्ञान-2	डा० सिल्वेस्टर जानसन
7. केन्ज गाइड	अनु. सी. एस. बरला
8. पादप कृमि विज्ञान	डा० गोपालस्वरूप
9. संगीत शास्त्र पराग	गोविन्दराजुरकर
10. भेड़पालन के मूल तत्व	डा० बी. आर. चौधरी
11. शिक्षा में मनोविज्ञान	हंसराज भाटिया
12. प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह	डा० श्रीराम गोयल
13. सोवियत संघ का नया संविधान	चन्द्रसिंह नेनावटी
14. विपणन अनुसंधान	डा० प्रेमकुमार श्रीवास्तव
15. अपभ्रंश भाषा का व्याकरण और साहित्य	डा० रामगोपाल शर्मा
16. जोधपुर राज्य का इतिहास	शिवदत्तदान बारहट
17. मानवीय ज्ञान (अनु,)	डा० प्रकाश श्रीवास्तव
18. प्रमुख पाश्चात्य दार्शनिक	डा० डी. आर. जाटव
19. ब्रायोफाईटा	के. आर. बाफना

(318)

20. अधिवास भूगोल	लक्ष्मीनारायण शर्मा
21. मुस्लिम विधि	के. पी. शर्मा
22. मानसून एशिया	डा० एच. एम. सक्सैना
23. बालमनोविज्ञान	डा० प्रफुल्ल एन० दवे बी० एन० रायजादा
24. मजदूरी नीति और सामाजिक सुरक्षा	सुन्दरलाल यादव
25. राजनीतिक समाजशास्त्र	डा० धर्मवीर
26. शैली विज्ञान और पाश्चात्य एवं भारतीय साहित्य शास्त्र	डा० राघव प्रकाश
27. भारत में समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य की स्थिति	प्रो० सच्चिदानन्द सिन्हा
28. अजलीय विलायक	एम. के. शर्मा एवं आर. सी. पाल
29. क्वान्टम सिद्धान्त	पारसमल अग्रवाल
30. गृह भौतिकी परिशिष्ट	डा० एम. जी. भाटवाडेकर
31. मजदूरी संदाय अधिनियम	प्रदीप पालीवाल
32. आधुनिक भारत में सामाजिक समस्याएँ	एच. एस. बडिया
33. प्राचीन भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था	डा० जी. एस. पी. मिश्र
34. कार्ल गुस्ताव यंग : विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान	भवानी शंकर उपाध्याय
35. उष्ट्र प्रबन्ध : पोषण, प्रजनन तथा रोग	डा० जी. एस. राठौड़
36. कालीदास की बिम्ब योजना	अमलेश गुप्ता

37. बैंकिंग विधि एवं व्यवहार	डा० बी. पी. शर्मा
	प्रो० एम. एल. वर्मा
	प्रो० एच. आर. वर्मा
38. माथुरी पंच लक्षणी	पं० बदरीनाथ शुक्ल
39. पत्रकारिता सन्दर्भ ज्ञानकोष	याकूब अली खाँ
40. गाँधी चिन्तन : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	प्रतिभा जैन
41. यांत्रिक इन्जिनियरिंग पदार्थ	टहिल मंधनानी
42. शक्ति संयंत्र अभियान्त्रिकी	आर. एम. अग्रवाल
43. संस्कृत नाटक के त्रासदीय तत्व	गायत्री पंवार
44. भारतीय संविधान और राजनीति	एस. एन. जैन

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1001 की सूची

टोंक जिले के ऐसे विद्यालयों की सूची जिनमें भवन की कमी है।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	
(राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय)		
1.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालपुरा	
2.	,,	लाम्बाहूर्तासिंह
3.	,,	देवली
4.	,,	दूनी
5.	,,	दसोब
6.	,,	उनियारा
7.	,,	निवाई
8.	,,	झिलाई
(राजकीय माध्यमिक विद्यालय)		
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय,	पीपलू
2.	,,	छान
3.	,,	लावा
4.	,,	टोरडी
5.	,,	आवा
6.	,,	निवारिया
7.	,,	घाड
8.	,,	खरेड़ा

क. सं.	विद्यालय का नाम	
9.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	पंवालिया
10.	,,	पचाला
11.	,,	राहोली
12.	,,	मूण्डिया

(राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय)

1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय,	कोहना, टोंक
2.	,,	मेंहदीबाग
3.	,,	सिटी नं. 2, टोंक
4.	,,	बमोर
5.	,,	मेंहदवास
6.	,,	सोनवा
7.	,,	साखना
8.	,,	डोडवाडी
9.	,,	राजपुरा
10.	,,	आदर्श निवाई
11.	,,	नवीन निवाई
12.	,,	रजवास
13.	,,	पहाड़ी
14.	,,	आदर्श देवली
15.	,,	गुराई
16.	,,	सांवतगढ़

(322)

क. सं.	विद्यालय का नाम	
17.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय,	चादली
18.	,,	औद्योगिक टोडा
19.	,,	महला टोडा
20.	,,	आदर्श उनियारा
21.	,,	चौरू
22.	,,	ककोड़
23.	,,	सोप

(राजकीय प्राथमिक विद्यालय)

1.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय,	सिटी 3, टोंक
2.	,,	सिटी नं० 5, टोंक
3.	,,	न्यूतखता, टोंक
4.	,,	टाउन नं० 1, मालपुरा
5.	,,	4, मालपुरा
6.	,,	झालरा, मालपुरा
7.	,,	टाउन नं० 1, देवली
8.	,,	टाउन नं० 2, देवली
9.	,,	दार्णा जमात, निवाई
10.	,,	नवलाबास, निवाई
11.	,,	रिफ्यूजी, निवाई
12.	,,	टाउन नं० 2, निवाई

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	
13,	राजकीय प्राथमिक विद्यालय,	टाउन नं० 2 व 3, टोडा
14.	,,	नवीन उनियारा
15.	,,	टाउन नं० 1, उनियारा

(टोंक जिले के उन बालिका विद्यालयों की सूची जिनमें भवन की कमी है)

1.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोंक	
2.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, उनियारा	
3.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, टोडारायसिंह	
4.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय,	कोहना, टोंक
5.	,,	न्यू टोंक
6.	,,	सिटी 4, टोंक
7.	,,	मालपुरा
8.	,,	मालपुरा वार्ड नं० 5
9.	,,	उनियारा
10.	,,	निवाई

(324)

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न सं० 1005 की सूची

राज्य में चलाई जा रही समन्वित बाल विकास परियोजनाओं की सूची

क्रम संख्या	नाम ब्लाक जहां समन्वित बाल विकास परियोजना चलाई जा रही है	जिला
1	2	3
1.	गढ़ी	बांसवाड़ा
2.	कुशलगढ़	,,
3.	घाटोल	,,
4.	तलवाड़ा	,,
5.	पिण्डवाड़ा	सिरोही
6.	रेवर	,,
7.	आबूरोड़	,,
8.	छोड़ी सादड़ी	चित्तौड़गढ़
9.	प्रतापगढ़	,,
10.	छबड़ा	कोटा
11.	शाहबाद	,,
12.	किशनगंज	,,
13.	गंगापुर सिटी	सवाईमाधोपुर

325

1	2	3
14.	टोडाभीम	सवाईमाधोपुर
15.	मावीती	,,
16.	धौलपुर	धौलपुर
17.	राजसमन्द	उदयपुर
18.	आडोल	,,
19.	सलुम्बर	,,
20.	कोटड़ा	,,
21.	सराड़ा	,,
22.	खेरवाड़ा	,,
23.	गोगुन्दा	,,
24.	चाकसू	जयपुर
25.	जयपुर प्रथम	,,
26.	जयपुर द्वितीय	,,
27.	राजगढ़	अलवर
28.	चौहटन	बाड़मेर
29.	सिवाना	,,
30.	माण्डलगढ़	भीलवाड़ा
31.	अलीगढ़	टोंक
32.	आहोर	जालोर
33.	डूंगरपुर	डूंगरपुर

1	2	3
34.	सागवाड़ा	डूंगरपुर
35.	सीमलवाड़ा	,,
36.	आसपुर	,,
37.	बिछीवाड़ा	,,
38.	फलौदी	जोधपुर
39.	शेरगढ़	,,
40.	जोधपुर	,,
41.	बाली	पाली
42.	जैतारण	,,
43.	रूपवास	भरतपुर
44.	डीग	,,
45.	डेगाना	नागौर

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1007 की सूची

परिशिष्ट–"क"

सूची (निगम को प्रेषित दुकानों हेतु)

क्र.सं.	नाम प्रार्थी मय पिता एवं जाति एवं पता	आयु व्यवसाय	आय वार्षिक
1.	2.	3	4
1.	श्री कल्याण/मांगीलाल, 1क 16	चूना पत्थर मजदूरी	3600/-
2.	रामदीन/श्रवण, 1/253	,,	2400/-
3.	पुखराज/भंवरलाल 1/424	साइकिल रिपेयर	4800/-
4.	खुशीराम/मूलचन्द, 2/1005	पान की दुकान	3000/-
5.	रामदीन/मोहनलाल भाभी, 6/1081	राज० सेवा	3600/-
6.	निवाराम/मोहनलाल भाभी, 6/1081	मजदूरी	3600/-
7.	मुरलीबाई/दुगाराम वार्डन 6	,,	1200/-
8.	निम्बा/आखाराम ,,	,,	1800/-
9.	नारायण/नाथू 6/125	मूंज वाण का कार्य	2400/-
10.	अमरसिंह/गोरधन 6/357	प्रिंटिंग	3600/-
11.	भीमसिंह/गोपालसिंह 6/357	मोची कार्य	3000/-
12.	कल्लू/बाबूलाल ,,	,,	4800/-
13.	किशनी/पन्ना 12/138	पेन्शनर	720/-
14.	श्रीमती शान्ति/रूपनाथ 12/-	हैल्पर	1800/-

1	2	3	4
15.	श्री कालू प्रसाद/प्रताप धानका 12/75	दर्जी कार्य	600/-
16.	श्री मांगीलाल/रामदयाल वार्ड नं. 12	बिजली कार्य	3600/-
17.	नाथूलाल/मोतीलाल वार्ड नं. 98	मजदूरी	3600/-
18.	विजयप्रकाश/भूरामल ,, /57	खेती दुकान	3000/-
19.	मोहनलाल/घीसालाल वार्ड नं. 12/94	मजदूरी	2400/-
20.	लक्ष्मीनारायण/किशनजी 12/63	पेन्टर	3000/-
21.	श्रीकिशन/गोविन्दराम 12/82	,,	4500/-
22.	पदमसिंह/सुआ 13/132	दर्जी दुकान	1800/
23.	किशनलाल/रामचन्द्र वार्ड नं. 13/132	मजदूरी	1800/-
24.	कैलाशचन्द/बुदाराम 13/381	बैण्ड कार्य	2000/-
25.	बुद्दालाल/कन्हैयालाल 13/974	दुकान	1800/-
26.	गिरीश/जसवन्तहंस 13/949	मजदूरी	3000/-
27.	लक्ष्मीचन्द/रामलाल 13/935	दुकान	5000/-
28.	जसवन्तसिंह/नाथूसिंह 14/182	पुताई कार्य	2000/-
29.	टीकमचन्द/मोहनलाल 14/	घड़ी सुधार	2000/-
30.	नेलराम/बाबूलाल 14/314	मजदूरी	2000/-
31.	शिवकुमार/गंगाराम 14/	,,	2000/-
32.	राजेन्द्रप्रसाद/चिरंजीलाल 14/183	,,	3000/-

1	2	3	4
33.	चेतनलाल/नथ्थीलाल 14/184	मजदूरी	2500/-
34.	माधोप्रसाद/नाथूलाल 14/648	,,	2500/-
35.	जवाहरलाल घूरेराम 14/1093	,,	4000/-
36.	राजकुमार/प्रभातीलाल 14/769	,,	3000/-
37.	किशनलाल/चन्द्र 14/580	पेन्शन	3000/-
38.	यज्ञदत्त/नाथूलाल कोली, 14/748	साइकिल दुकान	3000/-
39.	मूलचन्द/गोविन्दराम 14/223	साइकिल दुकान मरम्मत	3000/-
40.	बृजमोहन/लल्लू 14/953	,, ,,	3000/-
41.	बाबूलाल/श्यामलाल 14/659	,, ,,	3500/-
42.	वन्शीलाल/माँगीलाल 15/20	भूमिहीन मजदूर	2000/-
43.	प्रेमकुमार/छीतरमल कोली 15/252	मजदूर	2000/-
44.	फूलचन्द/दुलीचन्द 19	बीडी बनाना	2000/-
45.	राजकुमार/भेरू कोली 19/1267	मजदूरी	3500/-
46.	मनोजकुमार/वीरममल कोली 19/1370	चाय की दुकान	3000/-
47.	धन्नासिह/लालूराम कोली 19/1534	साइकिल मरम्मत	3000/-
48.	दिलीपसिह/शोभासिह 19/1565	मजदूरी	2500/-
49.	बसन्तकुमार/बुदाराम 21/-	,,	1800/-

1	2	3	4
50.	राधेश्याम/आशाराम सांसी 25/338	मजदूरी	1800/-
51.	चन्द्रमोहन/दौलतराम 26/1285	बीडी बनाना	3500/-
52.	ओमप्रकाश/उम्मेददास 26/1276	परचूनी दुकान	2500/-
53.	हुक्मसिंह/शोभाराम 26/1288	नमकीन दुकान	3000/-
54.	सीताराम/भंवरदास 26/-	साइकिल मरम्मत	3000/-
55.	जबरीदास/गरीबदास 26/-	,,	3000/-
56.	ठाकुरलाल/प्रहलाद 26/1260	बिजली दुकान	3000/-
57.	देवेन्द्रसिंह/निरंजनसिंह 26/-	,,	3000/-
58.	सुरेन्द्रलाल/कन्हैयालाल 26/-	संगीत	5000/-
59.	विनोदकुमार/इन्द्रसिंह 26/-	मजदूरी	5000/-
60.	प्रभुदयाल/रतीराम 26/1321	गर्बिस	5000/-
61.	प्रभुदयाल/रतीराम 26/1321	,,	5000/-
62.	प्रभु/धन्ना 26/1151	कारीगर	4020/-
63.	मदनलाल/रामभरोसे 28/12	मोची कार्य	2000/-
64.	श्रीमती शकुन्तला/मदनलाल, जनता कॉलोनी, वार्ड नं. 28, पहाड़गंज	मजदूरी	2000/-
65.	पुरखाराम/हुक्माराम 28/3	,,	2000/-
66.	तेजपाल/लखमा 29/157	मोची कार्य	2000/-

1	2	3	4
67.	घीसाराम/परसराम 29/138	मोची कार्य	800/-
68.	राजाराम/शांखाराम धानका 30/300	मजदूरी	1950/-
69.	अशोक/किशनचन्द 31/67	,,	2000/-
70.	कैलाश/गुलाबचन्द 31/289	,,	1800/-
71.	हरीशकुमार/किशनलाल 31/289	,,	1800/-
72.	गणपत/मादूजी 32/190	मोची कार्य	3000/-
73.	पन्नालाल/सुजाराम 33/1152	मजदूरी	1500/-
74.	हीरालाल/बीजाराम 33/926	,,	1500/-
75.	सुगनीदेवी/श्रवणलाल 33/1112	,,	1200/-
76.	पूनमचन्द/बुदालाल रेगर 33/871	सिलाई दुकान	3000/-
77.	शोभागमल/सुआलाल 33/821	मजदूरी	3000/-
78.	माधोदास/— 33/723	पेन्शन	2500/-
79.	ताराचन्द/ईश्वर 33/723	जूते बनाना	4000/-
80.	भंवरलाल/माधोराम 34/449	,,	3000/-
81.	भंवरलाल/लादू 35/314	पुताई कार्य	2000/-
82.	भागचन्द/मंगलचंद 35/315	मजदूरी	2000/-
83.	ओमप्रकाश/भंवरलाल 35/521	मोची कार्य	2400/-
84.	श्रीमती लक्ष्मीबाई/जमनालाल 39/होली दड़ा	धोबी कार्य	2400/-

1	2	3	4
85.	दिनेशकुमार/अजमेरीलाल 43/3041	मजदूरी	2000/-
86.	अजय/फकीरचन्द 43/371	,,	2000/-
87.	राजेश/सोहनदास 43/309	,,	900/-
88.	यतेन्द्र/अजमेरीलाल 43/304	,,	900/-
89.	गिरधारीलाल/भूरा 43/556	,,	2000/-
90.	राजू/फकीरचन्द 43/371	,,	2000/-
91.	भगवन्त/गोपीदास 30/184	मोची का कार्य	2000/-
92.	ओमप्रकाश/गिरधारीलाल 43/556	कबाड़ी कार्य	1500/-
93.	खेमचन्द/कल्ला /43/	मजदूरी	3000/-
94.	अशोककुमार/निर्मलचन्द 43/386	,,	3000/-
95.	कांजीलाल/प्रभूलाल 43/473	नौकरी	2460/-
96.	गोपाल/राधेश्याम 44/15	,,	2400/-
97.	लालू/बीया बन्जारा 45/काटड़ा गांव	कंघी व्यवसाय	3000/-
98.	रामेश्वरलाल/परसराम भाभी 45	मजदूरी	2500/-
99.	बलबरसिंह/महाराम	,,	2500/-

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम

2, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर–1

क्रमांक एफ. (   ) रा.अ.जा.वि.स.नि./83/4510-36   दिनांक 26-10-83

जिलाधीश—(समस्त)

विषय :—अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन।

महोदय,

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की इस योजना को राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को पूरे राजस्थान में 2000 दुकानों का आवंटन करने का प्रावधान है। ये दुकानें शहरी क्षेत्रों में ही बनाई जावेंगी तथा दुकानें उपलब्ध कराने का काम समस्त म्युनिसिपैलिटी, यू.आई.टी. अथवा प्राधिकरण का होगा। इस विषय में सचिव, स्थानीय निकाय विभाग से वार्ता की गई है तथा सभी म्युनिसिपैलिटी, यू.आई.टी. को लिख दिया गया है कि वे इस प्रकार की कितनी दुकानें उपलब्ध करा सकेंगे। कुछ जिलों से दुकानों की संख्या की जानकारी भी प्राप्त हो गई है। आपसे निवेदन है कि आपके जिले की म्युनिसिपैलिटी व यू.आई.टी. की इस योजना के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देवें तथा इस कार्य को शीघ्र ही सम्पन्न करवाने में इस निगम की सहायता करें।

इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. दुकानों का आकार 10-10 फिट तक का हो सकता है तथा इसके ऊपर कुल लागत 10,000 रु. अथवा इससे कम होनी चाहिये।
2. 10,000 रुपये की लागत में से 50 प्रतिशत की राशि का अधिकतम 5,000 रु. अनुदान के रूप में व अधिकतम 2,000 रु. मार्जिन मनी ऋण के रूप में तथा शेष राशि राजस्थान बैंक के द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जावेगी।

334

3. बिन्दु संख्या 1 में दिये गये आकार की दुकानों में बिजली फिटिंग आदि की व्यवस्था भी इसी राशि में सम्मिलित है तथा ये दुकानें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अलग से किसी स्थान पर नहीं दी जाकर अन्य दुकानें जो कि सामान्य योजना के अन्तर्गत बनाई जा रही हैं, उनमें से ही होंगी ।

पात्रता :

अनुसूचित जाति के निम्न व्यक्ति दुकानें आवंटन के पात्र होंगे :—

1. प्रार्थी अनुसूचित जाति का हो ।

2. उसी चयनित नगरपालिका/परिषद् का स्थाई निवासी हो जहाँ दुकान का निर्माण किया गया है ।

3. परिवार की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 6,000/- रुपये से कम हो ।

4. प्रार्थी के पास दुकान/व्यवसाय के लिये कोई दुकान या मकान नहीं हो ।

5. प्रार्थी जो दुकान/व्यवसाय चला रहा है अथवा जिसके चलाने के लिये उसे किसी वर्केबिल योजना में आर्थिक सहायता दी गई है तथा उसे चलाने के लिए दुकान का आवंटन आवश्यक है ।

6. प्रार्थना-पत्र पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति के ऐसे बेरोजगार युवक जिन्हें निगम की अन्य योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया हो ।

दुकान बन जाने के पश्चात् पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को इसका आवंटन किया जावेगा । निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् इनका सत्यापन किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा । सही पाये प्रार्थना-पत्रों में से लाटरी डालकर निम्नलिखित समिति के समक्ष दुकानें आवंटित की जावेंगी :—

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम ।

2. अतिरिक्त जिलाधीश विकास ।

3. नगर परिषद्/पालिका अथवा प्राधिकरण के सचिव, आयुक्त या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी ।

4. जिला प्रबन्धक, राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम/सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग।

5. जिला या नगरपालिका क्षेत्र का सम्बन्धित अनुसूचित जाति का विधायक।

आबंटन की मुख्य शर्तें :—

1. आवंटित दुकानों का उपयोग आवंटी स्वयं अथवा उसका उत्तराधिकारी निजी दुकान/व्यवसाय चलाने हेतु करेगा।

2. ऐसी दुकानें न तो किराये पर दी जा सकेंगी और न किसी को हस्तान्तरित की जावेंगी।

3. आवंटी को दुकान की आवश्यकता नहीं होने पर दुकान निगम को वापिस देनी होगी।

4. शर्तों की पालना नहीं करने पर आवंटन निरस्त किया जावेगा।

उपरोक्त योजना के अनुसार दुकानें बनवाने के लिए आवश्यक धनराशि निम्न लिखित प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी :—

आपके जिले के लिये दुकानों की जो संख्या प्रस्तावित की गई है वह परिशिष्ट I के अनुसार है। इस संख्या की आधी दुकानें बनाने हेतु रिवाल्विग फण्ड आप द्वारा आपके मुख्यालय पर स्थित बैंक ऑफ राजस्थान की शाखा में रखा जावेगा। यह एक रिवाल्विग फण्ड के तौर पर होगा। यह आप द्वारा तय किया जावेगा कि जिले में दुकानें किस-किस शहर/कस्बे में नगर पालिका/परिषद् द्वारा या नगर विकास न्यास द्वारा निर्मित की जानी है। प्रस्तावित रिवाल्विग फण्ड से राशि निर्माण कार्य हेतु स्टेजेज में आप द्वारा निकाली जावेगी। इस सम्बन्ध में नगरपालिका/परिषद्/नगर विकास न्यास में तय की गई दुकानों की संख्या व निर्माण के स्टेज को देखते हुए आप द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जावेगा। यह कार्य आप जिले के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष होने के नाते सम्पन्न करेंगे।

इस समक्ष रिवाल्विग फण्ड हेतु 50 प्रतिशत राशि आपको हस्तान्तरित की जा रही है। इस हस्तान्तरित राशि की उपयोगिता को देखते हुए निगम द्वारा आपको 50 प्रतिशत राशि बाद में हस्तान्तरित की जावेगी। अपने जिले में आप यह निश्चित करेंगे कि किस-किस नगरपालिका/परिषद् एवं नगर विकास न्यास को किस मात्रा में दुकानें तैयार करनी हैं एवं उसी अनुपात में धनराशि जिले के रिवाल्विग फण्ड से उन स्थानों के स्थानीय मुख्यालय से नजदीक से नजदीक की बैंक ऑफ राजस्थान की शाखा में एक छोटी रिवाल्विग फण्ड बनाने हेतु स्थानान्तरित की जावेगी।

दुकानों के निर्माण होने के बाद दुकानों का आवंटन किया जावेगा तथा योजना के अनुसार लाभान्वित बैंक को आवश्यक प्रपत्र भर कर देंगे। इन प्रार्थना-पत्रों के आधार पर बैंक मार्जिन मनी ऋण व बैंक ऋण उपलब्ध करावेगा जो राशि निगम के रिवाल्विंग फण्ड में वापस जमा हो जावेगी। मार्जिन मनी ऋण एवं बैंक ऋण वसूली बैंक द्वारा की जावेगी तथा वसूल की गई राशि निगम के मार्जिन मनी ऋण खाते में एवं बैंक के स्वयं के खाते में जमा की जावेगी।

निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त 2000 दुकानों का आवंटन 26 जनवरी, 1984 तक कर लिया जावेगा। जिसके लिए सचिव, स्थानीय निकाय विभाग ने भी अनुमोदित किया है तथा उनके द्वारा यह विश्वास दिलाया गया है कि राजस्थान के सभी नगर-परिषदों/पालिकाओं तथा नगर विकास न्यास कुल 2000 दुकानें निर्धारित समय तक उपलब्ध करायेंगे। आपसे निवेदन है कि अपने जिले के नगर विकास न्यास तथा सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग से समय-समय पर योजना की प्रगति की जानकारी लेकर इसके शीघ्र क्रियान्वयन में सहयोग करें।

भवदीय

हस्ताक्षर,

प्रबन्ध निदेशक।

क्रमांक एफ ( ) रा.अ.जा.वि.स.नि./83/4510-80 दिनांक 26-10-83

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
2. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ राजस्थान, जनता कॉलोनी, जयपुर।
3. जिला प्रबन्धक, अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम (सहायक निदेशक) समाज कल्याण विभाग..............................समस्त
4. समस्त सम्बन्धित नगरपालिका/परिषद्/नगर विकास न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण...........................

हस्ताक्षर

महा-प्रबन्धक।

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1011 की तालिका

तालिका "ब"

कार्य का नाम :—उच्च शक्ति हाईड्रोली लाइम बाइन्डर की सप्लाई हेतु निम्नलिखित पार्टियों ने उपरोक्त कार्य के लिए टेन्डर दिये:—

1.	मैसर्स जे० के० इन्डस्ट्रीज	कोटा
2.	,, एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज	,,
3.	,, गोविन्द सिलिमेन्ट	,,
4.	,, कोटा सिलिमेन्ट	,,
5.	,, इन्डस्ट्रीयल सप्लाई हाउस	,,
6.	,, कांकरानी केमीकल्स	,,
7.	,, अग्रवाल इन्डस्ट्रीज	,,
8.	,, अग्रवाल लाईम बाइन्डर	,,
9.	,, रिंग ऐन्टरप्राईजेज	,,
10.	,, राजावत ऐन्टरप्राईजेज	,,
11.	,, आनन्द इन्डस्ट्रीज	,,

परिशिष्ट—15
अतारांकित प्रश्न संख्या 1012 की तालिका
तालिका "अ"

क्र० सं०	रॉ मेटेरियल का नाम	मात्रा	फर्म का नाम	दर	रकम	कार्य पूरा करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	जिप्सम	14.875	मैसर्स सैम इण्डिया	260/-	3867.50	14-7-82 से 13-8-82
2.	पोजोलान	103.51	,, ,,	220/-	22772.20	14-7-82 से 13-9-82
3.	लाइम	101.88	,, ,,	225/-	22923.00	14-7-82 से 13-9-82
4.	पोजोलान	199.91	,, रेड रोज इण्डिया	220/-	43980.00	21-8-82 से 20-9-82
5.	जिप्सम	14.59	,, विनोद बिल्डर्स	260/-	3793.40	8-12-82 से 25-12-82
6.	लाइम	211.905	,, रेड रोज इण्डिया	225/-	47678.62	27-8-82 से 28-9-82
7.	जिप्सम	27.155	,, ,,	260/-	7060.30	30-10-82 से 14-11-82

1	2	3	4	5	6	7
8.	पोजोलान	158.85	मैसर्स रेड रोज इण्डिया	220/-	34947.00	30-10-82 से 29-11-82
9.	लाइम	322.335	,, ,,	225/-	72525.37	30-10-82 से 29-11-82
10.	जिप्सम	15.00	,, ,,	260/-	7631.00	21-8-82 के 20-9-82
11.	पोजोलान	262.765	,, शमीम स्टोन सप्लायर्स	220/-	57808.00	8-12-82 से 7-1-83
12.	लाइम	324.38	,, विनोद बिल्डर्स	225/-	72985.00	9-12-82 से 22-1-83

(340)

परिशिष्ट--16

अतारांकित प्रश्न संख्या 1013 की सूची

गत दो वर्षों में निलम्बित किये गये, उनमें से पुनः सेवा में लिये गये, सेवा पृथक् किये गये व जाँच विचाराधीन वाले परिचालकों की वर्षवार व आगारवार सूची

क्रम संख्या	परिचालक का नाम	क्या पुनः ड्यूटी पर लिया गया ?	क्या सेवा पृथक् किया गया ?	क्या जाँच विचाराधीन है ?
1	2	3	4	5
1982 उदयपुर आगार				
1.	श्री लोकपालसिंह	हाँ	नहीं	हाँ
2.	,, नारायण लाल	नहीं	हाँ	×
3.	,, तेजकरण सोनी	,,	,,	×
4.	,, केशरसिंह	,,	,,	×
5.	,, माधवलाल	,,	,,	×
6.	,, प्रहलाद सोनी	हाँ	नहीं	हाँ
7.	,, गिरधारीलाल	,,	,,	हाँ
8.	,, गोकुलचन्द	नहीं	हाँ	×
9.	,, रामेश्वरसिंह	,,	,,	×
10.	,, नरसिंगराम	हाँ	नहीं	हाँ
11.	,, अशोक जैन	नहीं	हाँ	×
12.	,, कान्हूराम	,,	,,	×
13.	,, ओमप्रकाश शर्मा	हाँ	नहीं	हाँ

1	2	3	4	5
14.	श्री छगनलाल	नहीं	हां	×
15.	,, चम्पालाल जाट	हां	नहीं	हां
16.	,, भोजराज शर्मा	नहीं	हां	×
17.	,, सज्जनसिंह	,,	हां	×
18.	,, प्रहलाद कुमार	हां	नहीं	हां
19.	,, ताराशंकर	,,	,,	,,
20.	,, शान्तीलाल	नहीं	हां	×
21.	,, अंकेसिंह	हां	नही	हां
22.	,, मो० इब्राहिम	नहीं	हां	×
23.	,, रामगोपाल	,,	,,	×
24.	,, भोजराज	,,	,,	×
25.	,, गोपालसिंह	हां	नहीं	हां
26.	,, मनोहरलाल	नहीं	हां	×
27.	,, नरेन्द्र कुमार	,,	,,	×
28.	,, भंवरसिंह	,,	,,	×
29.	,, दीपक आसवानी	,,	,,	×
30.	,, आजाद हुसैन	हां	नहीं	हां
31.	,, रामकिशन	नहीं	हां	[illegible]
32.	,, मूलसिंह	,,	,,	[illegible]
33.	,, शान्तीलाल	,,	,,	×
34.	,, जमनालाल	,,	,,	×

1	2	3	4	5
35.	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	नहीं	हां	×
36.	,, भंवरलाल	,,	,,	×
37.	,, चन्द्रप्रकाश व्यास	,,	,,	×
38.	,, शरीफ मोहम्मद	हां	नहीं	हां
39.	,, नारायण प्रकाश	नहीं	हां	×
40.	,, ओंकारसिंह	हां	नहीं	नहीं
41.	,, यूसुफ अली	नहीं	हां	×
42.	,, कन्हैयालाल अहीर	हां	नहीं	हां
43.	,, मो० हनीफ	,,	,,	,,
44.	,, ओनारसिंह	नहीं	हां	,,
45.	,, काशीनाथ	,,	,,	×
46.	,, अब्दुल गफार	,,	,,	×
47.	,, गनी मोहम्मद	,,	,,	×
48.	,, डालचन्द मेघवाल	,,	,,	×
49.	,, डायालाल	,,	,,	×
50.	,, भंवरलाल तेली	हां	नहीं	हां
51.	,, कन्हैयालाल ढेनवाल	,,	,,	,,
52.	,, भवानीशंकर जोशी	नहीं	हां	×
53.	,, भंवरलाल	,,	नहीं	हां
54.	,, धर्मीचन्द	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
55.	श्री सुदर्शनसिंह राणावत	हां	नहीं	हां
56.	,, लालसिंह भाटी	,,	,,	,,
57.	,, रामचन्द्र दाहिमा	,,	,,	नहीं
58.	,, रामचन्द्र मून्दड़ा	नहीं	हां	×
59.	,, नवनीत भाटिया	हां	नहीं	नहीं
60.	,, अवन्तीलाल	,,	,,	,,
61.	,, गोरधनसिंह	,,	,,	,,
62.	,, अभयसिंह	,,	,,	,,
63.	,, अमरसिंह राणावत	,,	,,	,,
64.	,, छोटूलाल त्रिवेदी	नहीं	हां	×
65.	,, रामचन्द्र	,,	,,	×
66.	,, ब्रजरमा बिल्लू	,,	,,	×
67.	,, बाबूलाल गहलोत	हां	नहीं	हां
68.	,, उदयसिंह	,,	,,	,,
69.	,, असरार मोहम्मद	,,	,,	नहीं
70.	,, प्रभूलाल सुबालका	,,	,,	हां
71.	,, थानसिंह	,,	,,	,,
72.	,, रामचन्द्र शर्मा	,,	,,	नहीं
73.	,, नाथूसिंह झाला	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
1983 उदयपुर आगार				
1.	श्री रूपलाल कामलिया	हां	नहीं	हां
2.	,, गोरधनसिंह	नहीं	हां	×
3.	,, दाऊदयाल	हां	नहीं	हां
4.	,, रतनलाल टांक	नहीं	हाँ	×
5.	,, कैलाशचंद्र सोलंकी	,,	,,	×
6.	,, रमेश बाबू	,,	,,	×
7.	,, रामचन्द्र	,,	,,	×
8.	,, ओंकारसिंह	हाँ	नहीं	—
9.	,, जयसिंह	,,	,,	—
10.	,, जमाल मो०	—	—	हाँ
11.	,, गौरीशंकर	हां	नही	हां
12.	,, लक्ष्मणसिंह झाला	,,	,,	नहीं
13.	,, बाबूलाल गहलोत	,,	,,	,,
14.	,, अभयसिंह	,,	,,	,,
15.	,, नरेन्द्रकुमार जैन	—	हाँ	,,
16.	,, जगदीशचन्द्र महात्मा	नहीं	,,	×
17.	,, शंकरसिंह	हाँ	नहीं	हाँ
18.	,, खेमराज मेघवाल	नही	हाँ	×
19.	,, रमेशबाबू शर्मा	,,	हाँ	×

1	2	3	4	5
20.	श्री मदनलाल	×	×	हाँ
21.	,, मो० हनीफ	×	×	,,
22.	,, ताराशंकर	हाँ	नहीं	,,
23.	,, महेश पालीवाल	×	×	,,
24.	,, रामेश्वर त्रिवेदी	हाँ	नहीं	नहीं
25.	,, नाथूसिंह	नहीं	हाँ	×
26.	,, शंकरलाल	हाँ	नहीं	हाँ
27.	,, रूपलाल	नहीं	हाँ	×
28.	,, आजाद हुसैन	×	×	हाँ
29.	,, तेजसिंह	×	×	,,
30.	,, अमरसिंह	हाँ	नहीं	,,
31.	,, सत्यनारायण	,,	,,	,,
32.	,, कन्हैयालाल	×	×	,,
33.	,, शरीफ मो०	×	×	,,
34.	,, गुलाबसिंह	×	×	,,
35.	,, सुरेशचन्द्र	×	×	,,
36.	,, धर्मचन्द	×	×	,,
37.	,, लक्ष्मीनारायण	×	×	,,

1	2	3	4	5
1982 बाँसवाड़ा आगार				
1.	श्री प्रभूलाल रेवारी	नहीं	हाँ	×
2.	,, ज्ञानेश्वर सनाढ्य	,,	,,	×
3.	,, तुलसीराम	,,	,,	×
4.	,, रमेशचन्द्र टेलर	,,	,,	×
5.	,, बीरसिंह	,,	,,	×
6.	,, प्रेमकिशोर	हाँ	नहीं	हाँ
7.	,, मदनलाल	नहीं	हाँ	×
8.	,, बजरंगसिंह	,,	,,	×
9.	,, रामजीराम	,,	,,	×
10.	,, रामनारायण	हाँ	नहीं	हाँ
11.	,, बाबूलाल जैन	नहीं	हाँ	×
12.	,, जोधसिंह	,,	,,	×
13.	,, राधेश्याम मेनारिया	,,	,,	×
14.	,, माणकचन्द	,,	,,	×
15.	,, कमला शंकर	,,	,,	×
16.	,, सूरजप्रकाश	हाँ	नहीं	नहीं
17.	,, मोहनलाल	,,	,,	हाँ
18.	,, रामावतार	नहीं	हाँ	×
19.	,, रामगोपाल	हाँ	नहीं	हाँ

1	2	3	4	5
20.	श्री रतनलाल ओड़	नहीं	हां	×
21.	,, नरपतसिंह	,,	,,	×
22.	,, जगदीश नाई	,,	,,	×
23.	,, रामबाबू	हां	नहीं	नहीं
24.	,, बृजमोहन बासी	,,	,,	हां
25.	,, अमराराम	,,	,,	हां
26.	,, गंगासिंह	,,	,,	नहीं
27.	,, ऋषभलाल	,,	,,	,,
28.	,, ओगड़राम	,,	,,	हां
29.	,, अ० मजीद III	,,	×	,,
30.	,, रमेश उपाध्याय	,,	नहीं	नहीं
31.	,, कालूराम पाटीदार	,,	,,	,,
32.	,, ज्ञानचन्द्र जैन	,,	,,	हां
33.	,, दलपतराम	,,	,,	,,
34.	,, नन्दराम	,,	,,	,,
35.	,, धूलशंकर शर्मा	,,	,,	नहीं

1983 बांसवाड़ा आगार

1.	श्री श्रवणसिंह	हां	नहीं	नहीं
2.	,, गोरधनलाल	,,	,,	,,
3.	,, रामसिंह	,,	,,	हां

1	2	3	4	5
4.	श्री तोलाराम	हां	नही	नहीं
5.	,, रघुवीरसिंह	नहीं	हां	×
6.	,, सम्पतलाल वर्मा	,,	,,	×
7.	,, विक्रमसिंह	×	×	हां
8.	,, रमेश उपाध्याय	हां	नहीं	नहीं
9.	,, रतनलाल	×	×	हां
10.	,, रामनारायण	×	×	,,
11.	,, तोलाराम	हां	नहीं	नहीं
12.	,, गुलाबसिंह	×	×	हां
13.	,, रामचरण	×	×	,,
14.	,, निर्भयसिंह	×	×	,,
15.	,, सुखाराम	हां	नहीं	,,
16.	,, नजीमखां	×	×	,,
17.	,, पवनकुमार	×	×	,,
18.	,, रामनारायण	×	×	,,

1982 चित्तौड़ आगार

1.	श्री नाहनसिंह	नहीं	हां	×
2.	,, शम्भूसिंह	हां	नहीं	हां
3.	,, बंशीलाल	,,	,,	नहीं
4.	,, हीरालाल	,,	,,	हां

1	2	3	4	5
5.	श्री सत्यनारायण	हाँ	नहीं	नहीं
6.	,, भंवरलाल	नहीं	हाँ	×
7.	,, रामकरणसिंह	,,	,,	×
8.	,, अभयसिंह	,,	,,	×
9.	,, रामस्वरूप	,,	,,	×
10.	,, रामचन्द्र	,,	,,	×
11.	,, बसन्तकुमार	,,	,,	×
12.	,, मदनसिंह	,,	,,	×
13.	,, शिवपाल	,,	,,	×
14.	,, राधेश्याम गर्ग	हाँ	—	हाँ
15.	,, शम्भूसिंह	,,	नहीं	हाँ
16.	,, अब्दुल गनी	,,	,,	नहीं
17.	,, डालूराम धाकड़	नहीं	हाँ	×
18.	,, मालीराम यादव	हाँ	नहीं	नहीं
19.	,, किस्तूरचन्द्र जैन	×	×	हाँ
20.	,, कैलाशचन्द्र	नहीं	हाँ	×
21.	,, लक्ष्मीनारायण	,,	,,	नहीं
22.	,, रामसिंह	,,	,,	×
23.	,, कन्हैयालाल	हाँ	नहीं	हाँ
24.	,, राजेन्द्रसिंह	नहीं	हाँ	×

1	2	3	4	5
25.	श्री मूलसिंह	हाँ	नहीं	हाँ
26.	,, अब्दुल रशीद शेख	,,	,,	नहीं
27.	,, सुरेन्द्रकुमार मेहता	,,	,,	,,
28.	,, मदनसिंह	,,	,,	,,
29.	,, लटरूलाल जाट	नहीं	हाँ	×
30.	,, प्रकाशचन्द्र व्यास	हाँ	नहीं	हाँ
31.	,, गोविन्दसिंह	,,	,,	नहीं
32.	,, जयसिंह सिसोदिया	,,	,,	हाँ
33.	,, नन्दलाल शर्मा	,,	,,	,,
34.	,, सत्यनारायण स्वर्णकार	×	×	,,
35.	,, सूरजनारायण ओझा	हाँ	नहीं	नहीं
36.	,, नरपतसिंह	,,	,,	,,
37.	,, मो० रफीक	,,	,,	,,
38.	,, अर्जुनलाल	,,	,,	हाँ
39.	,, नानूराम	,,	,,	,,
40.	,, मालीराम यादव	,,	,,	नहीं
41.	,, केसरसिंह राजावत	,,	,,	हाँ
42.	,, राधेश्याम गर्ग	×	×	,,
43.	,, रामलाल डाङ	हाँ	नहीं	नहीं
44.	,, कन्हैयालाल	नहीं	हाँ	×

1	2	3	4	5
1983 चित्तौड़ आगार				
1.	श्री कन्हैयालाल	नहीं	हाँ	×
2.	,, शिवलाल शर्मा	हाँ	नहीं	हाँ
3.	,, बसंतीलाल	,,	,,	,,
4.	,, श्यामलाल	नहीं	हाँ	×
5.	,, प्रेमपालसिंह	×	×	हाँ
6.	,, रामकरणसिंह	हाँ	नही	नही
7.	,, जयसिंह सिसोदिया	नहीं	हाँ	×
8.	,, भगवानसिंह	हाँ	नहीं	हाँ
9.	,, रतीराम	×	×	,,
10.	,, सुरेन्द्रकुमार व्यास	नहीं	हाँ	×
11.	,, पूरणप्रकाश	,,	,,	×
12.	,, मो० उमर	हाँ	नहीं	नहीं
13.	,, अनवर अली	नहीं	हाँ	×
14.	,, सुमतिलाल	हाँ	नहीं	नहीं
15.	,, केदारमल न्याती	×	×	हाँ
16.	,, नारायणलाल	नहीं	हाँ	×
17.	,, रिषभलाल	हाँ	नहीं	नहीं
18.	,, मुंशीलाल सोलंकी	नहीं	हाँ	×
19.	,, किशन दयाल	×	×	हाँ

1	2	3	4	5
20.	श्री अकबर खां	×	×	हाँ
21.	,, रामनिवास	हाँ	नहीं	,,
22.	,, दिनेशकुमार	×	×	,,
23.	,, मूलसिंह	×	×	,,
24.	,, आलोकप्रसाद	×	×	,,
25.	,, राधेश्याम	×	×	,,
26.	,, गोपालसिंह	×	×	,,
27.	,, अनवर अली	नहीं	हाँ	×
28.	,, हेमन्तकुमार	×	×	हाँ

1982 डूंगरपुर आगार

1.	श्री इन्द्रसिंह	नहीं	हाँ	×
2.	,, शम्भूलाल	हाँ	नहीं	हाँ
3.	,, शंकरलाल आचार्य	नहीं	हाँ	×
4.	,, अब्दुल मजीद	हां	नहीं	हां
5.	,, सुरेशचन्द्र सुथार	हां	नही	नहीं
6.	,, वल्लभराम	नहीं	हां	×
7.	,, जगदीश पटेल	,,	,,	×
8.	,, महीपालसिंह	,,	,,	×
9.	,, सुरेशचन्द्र जोशी	हाँ	नहीं	नहीं
10.	,, बीरबलराम	नहीं	हां	×

1	2	3	4	5
11.	श्री मनोहरलाल	हां	नहीं	नहीं
12.	,, माधवलाल	नहीं	हां	×
13,	,, केसरीसिंह	,,	,,	×
14.	,, रमणलाल	,,	,,	×
15.	,, मगनलाल	,,	,,	×
16.	,, शंकरलाल जाट	,,	,,	×
17.	,, नाथूलाल	,,	,,	×
18.	,, पृथ्वीसिंह	हां	नहीं	×
19.	,, शंकरलाल आचार्य	नहीं	हां	×
20.	,, बाबूलाल	,,	,,	×
21.	,, राजेन्द्रसिंह	,,	,,	×
22.	,, ओमप्रकाशसिंह	,,	,,	×
23.	,, मूलसिंह	,,	,,	×
24.	,, पन्नालाल	हां	नहीं	×
25.	,, शेरदत्तसिंह	,,	,,	,,
26.	,, रसिकलाल	,,	,,	,,
27.	,, लालचन्द्र	नहीं	हां	×
28.	,, हरीसिंह	,,	,,	×
29.	,, जगदीश वैष्णव	हां	नहीं	नहीं
30.	,, रणजीतसिंह	नहीं	हां	×

(354)

1		2	3	4	5
31.	श्री	प्रवीणसिंह	नहीं	हां	×
32.	,,	भंवरलाल	हां	नहीं	नहीं
33.	,,	सूर्यलाल	,,	,,	,,
34.	,,	सुखलाल पाटीदार	नहीं	हां	×
35.	,,	रमेशचन्द्र	,,	,,	×
36.	,,	सुरेश जोशी	,,	,,	×
37.	,,	मिस्साराम	हां	नहीं	नहीं
38.	,,	नाथूसिंह	,,	,,	,,
39.	,,	पृथ्वीसिंह	नहीं	हां	×
40.	,,	नरेन्द्रकुमार	,,	,,	×
41.	,,	शम्भूलाल	,,	,,	×
42.	,,	अम्बालाल	,,	,,	×
43.	,,	राजेन्द्रसिंह	,,	,,	×
44.	,,	खादरमल	हां	नहीं	नहीं
45.	,,	नरेन्द्रकुमार जैन	नहीं	हां	×
46.	,,	मुन्नीलाल खटीक	,,	,,	×
47.	,,	बस्तीराम	,,	,,	×
48.	,,	बिजयलाल	,,	,,	×
49.	,,	मो० अयूब	×	×	हां
50.	,,	मणीलाल पाण्ड्या	नहीं	हां	×

1	2	3	4	5
51.	श्री अहमद हुसैन	नहीं	हाँ	×
52.	,, प्रकाशचन्द्र त्रिवेदी	हाँ	नही	हाँ
53.	,, कालूराम	×	×	,,

1983 डूंगरपुर आगार

1.	श्री अम्बालाल	हाँ	नहीं	हाँ
2.	,, वंशीलाल	,,	,,	,,
3.	,, सत्यनारायण	,,	,,	,,
4.	,, रसिकलाल	नहीं	हाँ	×
5.	,, रामेश्वरलाल	हाँ	नहीं	नहीं
6.	,, सुरेशचन्द्र	,,	,,	,,
7.	,, खूबसिंह	नहीं	हाँ	×
8.	,, खादरमल	हाँ	नहीं	हाँ
9.	,, दीपक आसवानी	नहीं	हाँ	×
10.	,, अब्दुल मजीद	×	×	हाँ
11.	,, सूर्यलाल	×	×	,,
12.	,, सुरेशचन्द्र	हाँ	नहीं	,,
13.	,, बद्रीनाथ	नहीं	हाँ	×
14.	,, रसिकलाल	,,	,,	×
15.	,, भंवरलाल	हाँ	नहीं	हाँ
16.	,, हेमाराम	×	×	,,

(356)

1	2	3	4	5
17.	श्री वशीर खाँ	नहीं	हाँ	×
18.	,, रामेश्वर यादव	×	×	हाँ
19.	,, अकिल अहमद	हाँ	नहीं	नहीं
20.	,, अम्बालाल	×	×	हाँ
21.	,, देवाराम	×	×	,,
22.	,, रामकरण सिंह	×	×	,,
23.	,, रामेश्वर यादव	×	×	,,

1982 जयपुर आगार

1.	श्री मोहम्मद इकबाल	हाँ	—	—
2.	,, मन्भीराम	—	हाँ	—
3.	,, केसवदेव	—	—	हाँ
4.	,, गजानन्द	—	हाँ	—
5.	,, सुरेन्द्र	हाँ	—	—
6.	,, सीताराम	—	हाँ	—
7.	,, मोहम्मद इब्राहिम	—	,,	—
8.	,, परमानन्द	—	,,	—
9.	,, नाथूलाल	—	—	हाँ
10.	,, देवीशंकर	—	—	,,
11.	,, बालमुकन्द	—	—	,,
12.	,, मोतीलाल	—	—	,,

1	2	3	4	5
13.	श्री राजेन्द्रसिंह	हाँ	—	—
14.	,, रामावतार	,,	—	—
15.	,, जयलाल	—	हाँ	—
16.	,, जगदीशप्रसाद	—	,,	—
17.	,, ओमप्रकाश	हाँ	—	हाँ
18.	,, ओमप्रकाश	—	हाँ	—
19.	,, कैलाश	हाँ	—	—
20.	,, कैलाश मीणा	,,	—	—
21.	,, कमलसिंह	,,	—	—
22.	,, गोपाल	—	—	हाँ
23.	,, रामनिवास	—	हाँ	—
24.	,, भजनलाल	—	,,	—
25.	,, महावीरसिंह	—	—	हाँ
26.	,, लल्लूराम	हाँ	—	हाँ
27.	,, ब्रजमोहन	—	—	हाँ
28.	,, महावीर	,,	—	—
29.	,, रामकरण	,,	—	हाँ
30.	,, सत्यनारायण	,,	—	,,
31.	,, नानूराम	,,	—	,,
32.	,, केदारनाथ	,,	—	,,
33.	,, गंगाराम	—	—	,,

1	2	3	4	5
34.	श्री गोविन्दनारायण	—	—	हां
35.	,, मदनमोहन	हाँ	—	—
36.	,, रामबाबू	,,	—	—
37.	,, महेन्द्रसिंह	—	हाँ	—
38.	,, कृष्णगोपाल	हाँ	—	—
39.	,, रामनारायण	,,	—	—
40.	,, ओमप्रकाश	—	हां	—
41.	,, ओमप्रकाश	हाँ	—	—
42.	,, शिवनाथ	—	हाँ	—
43.	,, पदमसिंह	हाँ	—	—
44.	,, फैयाज मोहम्मद	,,	—	—
45.	,, सूर्यदत्त	—	हाँ	—
46.	,, रामनिवास	हाँ	—	—
47.	,, ग्यारसीलाल	,,	—	—
48.	,, गबरू खान	,,	—	—
49.	,, अशोककुमार	,,	—	—
50.	,, जनकसिंह	,,	—	—
51.	,, बाबूलाल	—	हाँ	—
52.	,, मोहनराम	हाँ	—	—
53.	,, रमाकान्त	—	—	हाँ
54.	,, रमेशचन्द	हाँ	—	—

1	2	3	4	5
55.	श्री रामप्रसाद	हां	—	—
56.	,, सत्यनारायण	—	हां	—
57.	,, कैलाशचन्द्र	—	हां	—
58.	,, कपूरचन्द	—	—	हां
59.	,, श्यामसुन्दर	हां	—	—
60.	,, मूलचन्द	—	—	हां

1983 जयपुर आगार

1.	श्री लालचन्द	—	—	हां
2.	,, कैलाशचन्द्र	—	—	,,
3.	,, नाथूसिंह	हां	—	—
4.	,, धर्मसिंह	—	हां	—
5.	,, ओमप्रकाश	—	—	हां
6.	,, रामावतार	—	—	,,
7.	,, सुरेशदत्त	—	—	,,
8.	,, छोगालाल	—	—	,,
9.	,, वेदप्रकाश	—	हां	—
10.	,, रविन्द्रकुमार	—	—	हां
11.	,, बद्रीलाल	हां	—	—
12.	,, भोमसिंह	—	—	हां
13.	,, बलबीरसिंह	—	हां	—
14.	,, कजोड़मल	—	,,	—

1	2	3	4	5
15.	श्री उसमान अहमद	—	हाँ	—
16.	,, रमेशचन्द्र	—	,,	—
17.	,, मनोहरलाल	—	,,	—
18.	,, महावीरप्रसाद	—	,,	—
19.	,, गोपाल	—	—	हाँ
20.	,, रविकुमार	—	—	,,
21.	,, अशोककुमार	—	—	,,
22.	,, मोहनलाल	—	—	,,
23.	,, रामलाल	—	—	,,
24.	,, गिरधारीलाल	—	—	,,
25.	,, भीमसिंह	—	—	,,
26.	,, सूरजमल	—	—	,,
27.	,, रघुनाथसिंह	—	—	,,
28.	,, जगराम	—	—	,,
29.	,, सीताराम	—	—	,,
30.	,, रामकरण	—	—	,,
31.	,, रूपसिंह	—	—	,,
32.	,, रघुराजसिंह	—	—	,,
33.	,, भागीरथमल	—	—	,,
34.	,, बबलू खान	—	—	,,
35.	,, रामबाबू	—	—	,,

1		2	3	4	5
36.	श्री	लक्ष्मणदास	हां	—	—
37.	,,	देशराजसिंह	—	—	हां
38.	,,	शंकरलाल	हां	—	[illegible]
39.	,,	उम्मेदसिंह	—	—	[illegible]
40.	,,	शिवनाथसिंह	—	—	,,
41.	,,	उमेश मुदगल	—	—	,,

1982 नगर वाहन सेवा आगार

1		2	3	4	5
1.	श्री	मिथलेश कुमार	हां	—	—
2.	,,	किशनचन्द सिन्धी	—	हां	—
3.	,,	अमरसिंह	—	—	—
4.	,,	कन्हैयालाल	हां	—	—
5.	,,	राधेश्याम	—	—	हां
6.	,,	रामगोपाल	—	हां	—
7.	,,	राजेन्द्रप्रसाद	—	,,	—
8.	,,	रामजीलाल	—	—	हां
9.	,,	कैलाश	—	—	,,
10.	,,	प्रहलाद	—	हां	—
11.	,,	द्वारकाप्रसाद	—	,,	—
12.	,,	मोतीलाल	—	,,	—
13.	,,	सुबुदीराम	हां	—	हां

1	2	3	4	5
14.	श्री महेशचन्द	—	हां	—
15.	,, पुरुषोत्तम	—	—	हां
16.	,, रामगोपाल	—	—	,,
17.	,, जयपाल	हां	—	—
18.	,, वीरेन्द्रसिंह	—	—	हां
19.	,, मोहरसिंह	हां	—	,,
20.	,, रामजीलाल	—	हां	—
21.	,, मिलापचन्द	हां	—	—
22.	,, भगवान्	,,	—	—
23.	,, माँगीलाल	—	—	हां
24.	,, अमरसिंह	हां	—	,,
25.	,, राजेन्द्रप्रसाद	,,	—	,,
26.	,, मोहनलाल	—	हां	—
27.	,, हरिनारायण	हां	—	हां
28.	,, ओमप्रकाश	,,	—	,,
29.	,, मिथलेश	—	हां	—
30.	,, डाँगेलाल	हां	—	हां
31.	,, तेजसिंह	,,	—	—
32.	,, शंकरलाल	,,	—	—
33.	,, सत्यवीर	,,	—	—
34.	,, कैलाशनाथ	,,	—	हां

1	2	3	4	5
35.	श्री जोगेन्द्रसिंह	हां	—	—
36.	,, रामकिशन	—	हां	—
37.	,, सूरजनारायण	—	,,	—
38.	,, मोखमसिंह	—	—	हां
39.	,, सीताराम	—	—	,,
40.	,, जयरूपराम	हां	—	,,
41.	,, शिवराजसिंह	,,	—	—
42.	,, ओमप्रकाश	—	—	हां
43.	,, मिरराज	—	—	,,
44.	,, रमेशकुमार	—	—	,,
45.	,, चिमनसिंह	हां	—	—
46.	,, हरिनारायण	,,	—	—
47.	,, कालूराम	—	हां	—
48.	,, रामजीतसिंह	हां	—	—
49.	,, रामनिवास	,,	—	हां
50.	,, लाभसिंह	,,	—	—
51.	,, बनवारीलाल	—	हां	—
52.	,, भीवाराम	—	,,	—
53.	,, जगन्नाथप्रसाद	हां	—	—
54.	,, कैलाशचन्द	,,	—	—
55.	,, प्रेमराज	—	—	हां

1	2	3	4	6
56.	श्री मदनलाल	—	हां	—
67.	,, रामदेवसिंह	—	—	हां
58.	,, बनेसिंह	हां	—	,,
59.	,, मुरारीलाल	—	—	,,
60.	,, मुरारीलाल	—	—	हां
61.	,, हमीदउल्लाह	हां	—	,,
62.	,, विजयसिंह	—	हां	—
63.	,, ओमप्रकाश	—	—	हां
64.	,, किशोरप्रसाद	हां	—	,,
65.	,, अरविन्द	—	हां	—
66.	,, ओमप्रकाश	—	—	हां
67.	,, फिरोतीलाल	—	हां	—
68.	,, वीरेन्द्रसिंह	—	—	हां
69.	,, श्रीनिवास	—	हां	—
70.	,, परसराम	हां	—	—
71.	,, जगदीश	—	हां	—
72.	,, दिनेशकुमार	हां	—	—
73.	,, हुकमीराम	,,	—	—
74.	,, प्रहलादकुमार	—	हां	—
75.	,, कैलाशचन्द	—	—	हां
76.	,, छीतरमल	हां	—	—

1	2	3	4	5
77.	श्री सुरेशचन्द	—	हां	—
78.	,, ओमप्रकाश	—	—	हां

1983 नगर वाहन सेवा आगार

1	2	3	4	5
1.	श्री मुन्नालाल	हां	—	हां
2.	,, रामजीलाल	—	हां	—
3.	,, मधाराम	—	,,	—
4.	,, रामधन रैगर	—	—	हां
5.	,, भंवरलाल शर्मा	—	हां	—
6.	,, तेजसिंह	—	,,	—
7.	,, सुगनसिंह	—	,,	—
8.	,, चौथमल	हां	—	—
9.	,, बाबूलाल	,,	—	हां
10.	,, सीताराम	,,	—	—
11.	,, रामजीलाल	,,	—	—
12.	,, ताराचन्द	,,	—	हां
13.	,, राधेश्याम शर्मा	—	—	,,
14.	,, भगवान शर्मा	—	—	,,
15.	,, भैरूलाल	—	—	,,
16.	,, ओमप्रकाश डंगायच	—	हां	—
17.	,, विष्णु	—	—	हां
18.	,, ओमप्रकाश	हां	—	—

1	2	3	4	5
19.	श्री बृजबिहारी	—	हाँ	—
20.	श्री ओमप्रकाश	हाँ	—	—
21.	,, नारायण	—	हाँ	—
22.	,, शंकरलाल	—	,,	—
23.	,, जगन्नाथ	हाँ	—	—
24.	,, शंकरलाल	—	हाँ	—
25.	,, प्रभातीलाल	हां	—	—
26.	,, गणपतसिंह	—	—	हां
27.	,, भवानीसिंह	हाँ	—	हाँ
28.	,, श्रवणकुमार	—	हाँ	—
29.	,, बजरंगलाल	हाँ	—	—
30.	,, इन्द्रकुमार	---	—	हाँ
31.	,, नरेन्द्रकुमार	—	हाँ	—
32.	,, बाबूलाल	हां	—	हाँ
33.	,, शायरसिंह	—	हाँ	—
34.	,, रामस्वरूप	—	,,	—
35.	,, घनश्याम	हाँ	—	—
36.	,, गोपाल	—	—	हाँ
37.	,, राजपालसिंह	—	—	,,
38.	,, गोपाललाल	—	हाँ	—
39.	,, रामजीलाल	हाँ	—	—

1		2	3	4	5
40.	श्री	जोगेन्द्रसिंह	—	—	हाँ
41.	,,	कैलाशचन्द	—	—	,,
42.	,,	वीरेन्द्रसिंह	हाँ	—	,,
43.	,,	प्रभातीलाल	—	—	,,
44.	,,	शिवप्रकाश	हाँ	—	—
45.	,,	प्रेमप्रकाश	—	—	हाँ
46.	,,	अजीतसिंह	—	हाँ	—
47.	,,	ओमप्रकाश	—	—	हाँ
48.	,,	सोमदत्त	हाँ	—	—
49.	,,	शंकरपाल	—	—	हाँ
50.	,,	पुरुषोत्तम	—	—	,,
51.	,,	मोहरसिंह	—	—	,,
52.	,,	कैलाशचन्द	—	—	,,
53.	,,	जगदीश	हाँ	—	,,
54.	,,	जगन्नाथ	—	—	,,
55.	,,	ओमप्रकाश	—	—	,,
56.	,,	मूलचन्द	—	—	,,
57.	,,	राधेश्याम	हाँ	—	—
58.	,,	प्रदीपकुमार	—	—	हाँ
59.	,,	अतरसिंह	—	—	,,

368

1	2	3	4	5
वर्ष 1982 द्रुतगामी आगार				
1.	श्री रमेशचन्द	हाँ	—	हाँ
2.	,, भानूलाल	—	हाँ	—
3.	,, बाबूलाल	—	,,	—
4.	,, सुरेशचन्द	हाँ	—	हाँ
5.	,, रत्तीराम	,,	—	,,
6.	,, रामकरण	—	—	,,
7.	,, कैलाशचन्द	—	—	,,
8.	,, रामेश्वरदयाल	—	हाँ	—
9.	,, बनवारीलाल	हाँ	—	हाँ
10.	,, गौरीशंकर	—	हाँ	—
11.	,, मुरलीधर	हाँ	—	हाँ
12.	,, महेश स्वामी	—	हाँ	—
13.	,, लालचन्द	—	—	हाँ
14.	,, सुमति प्रकाश	हाँ	—	,,
15.	,, रघुवीर	—	हाँ	—
16.	,, विजयसिंह	—	—	हाँ
17.	,, दौलतसिंह	हाँ	—	,,
18.	,, भगवानसिंह	,,	—	,,
19.	,, मोहनलाल	—	—	,,
20.	,, भंवरलाल	—	—	,,

1	2	3	4	5
21.	श्री खेमचन्द	हाँ	—	हाँ
22.	,, मुरारीलाल	—	हाँ	—
23.	,, रामकल्याण	हाँ	—	हाँ
24.	,, पुरुषोत्तम	,,	—	,,
25.	,, रामरतन	,,	—	,,
26.	,, मोहनस्वरूप	,,	—	,,
27.	,, रविकुमार	,,	—	,,
28.	,, राजेन्द्रकुमार	,,	—	,,
29.	,, कृष्ण	—	हाँ	—
30.	,, पूरणसिंह	—	—	हाँ
31.	,, राधेश्याम	—	—	,,
32.	,, रामेश्वरदयाल	—	हाँ	—
33.	,, गिरधारीलाल	—	,,	—
34.	,, किशनाराम	—	—	हाँ
35.	,, बाबूलाल	—	—	,,
36.	,, रघुनन्दन	हाँ	—	,,
37.	,, शंकरलाल	—	—	,,
38.	,, बंशीधर	—	हाँ	—
39.	,, लालचन्द	—	,,	—
40.	,, रामनारायण	—	—	हाँ
41.	,, कन्हैयालाल	—	—	,,
42.	,, रामनारायण	—	—	,,
43.	,, बोधाराम	—	—	,,
44.	,, झाबरमल	—	हाँ	—
45.	,, सत्यनारायण	हाँ	—	हाँ

370

1	2	3	4	5
46.	श्री गोपाललाल	—	—	हाँ
47.	,, बलवन्तसिंह	—	—	,,
48.	,, सोनवीरसिंह	—	—	,,
49.	,, रामप्रसाद	—	—	,,
50.	,, जयसिंह	—	—	,,
51.	,, रामानन्द	—	—	,,
52.	,, मोहनलाल	—	—	,,
53.	,, दया किशन	—	—	,,
54.	,, दूलीचन्द	—	—	,,
55.	,, भानूलाल	—	—	,,
56.	,, सूर्यप्रकाश	—	—	,,
57.	,, राजवीरसिंह	हाँ	—	,,
58.	,, भगवानलाल	—	हाँ	—
59.	,, दौलतसिंह	—	—	हाँ
60.	,, नन्दकिशोर	—	—	,,
61.	,, सत्यनारायण	—	—	,,
62.	,, राजेन्द्र	—	हां	—
63.	,, अशोककुमार	—	—	हाँ
64.	,, राधेश्याम	—	—	,,
65.	,, नन्दकिशोर	—	—	,,
66.	,, रामगोपाल	—	—	,,
67.	,, रमेशचन्द	—	हां	—
68.	,, खबरदारसिंह	—	—	हाँ
69.	,, रामबाबू	—	हां	—

1		2	3	4	5
वर्ष 1983 द्रुतगामी आगार					
1.	श्री	नाथूलाल	—	—	हाँ
2.	,,	हनुमानसिंह	हाँ	—	,,
3.	,,	जगदीश II	—	—	,,
4.	,,	राधेलाल	—	—	,,
5.	,,	नरेन्द्रमोहन	हाँ	—	,,
6.	,,	सुभाष	—	—	,,
7.	,,	महेशचन्द	—	—	,,
8.	,,	रामगोपाल	—	—	,,
9.	,,	दीनदयाल	—	—	,,
10.	,,	पूरणसिंह II	—	हाँ	—
11.	,,	किशनलाल	—	—	हाँ
12.	,,	जयसिंह	—	—	,,
13.	,,	सुरेश	हाँ	—	,,
14.	,,	बहादुरराम	—	हाँ	—
15.	,,	सुलतान अहमद	—	—	हाँ
16.	,,	सत्यनारायण	—	—	,,
17.	,,	परशुराम	हाँ	—	—
18.	,,	नवलकिशोर	,,	—	हाँ
19.	,,	पुरुषोत्तम	—	—	,,
20.	,,	भंवरसिंह	—	—	,,
21.	,,	बाबूलाल	—	हाँ	—
22.	,,	प्रभातीलाल	हाँ	—	हाँ
23.	,,	किशनलाल	,,	—	,,
24.	,,	सत्यप्रकाश	—	—	,,
25.	,,	देशराज	—	—	,,

(372)

1	2	3	4	5
26.	श्री नाथूलाल	—	—	हाँ
27.	,, सीताराम	हाँ	—	,,
28.	,, लक्ष्मणस्वरूप	—	—	,,
29.	,, राजवीरसिंह	—	—	,,
30.	,, सत्यनारायण	—	—	,,
31.	,, रमेशकुमार	—	हाँ	—
32.	,, चन्द्रपाल	हाँ	—	हाँ
33.	,, परशुराम	—	हाँ	—
34.	,, अशोककुमार	—	—	हाँ
35.	,, खबरदारसिंह	हाँ	—	,,
36.	,, राधेलाल	—	—	,,
37.	,, महेन्द्रकुमार	—	—	,,
38.	,, रामबाबू	—	—	,,
39.	,, शंकरलाल	—	—	,,
40.	,, बाबूलाल	—	—	,,
41.	,, बनवारीलाल	—	—	,,
42.	,, सुलेमान खां	—	—	,,
43.	,, प्रेमचन्द	—	—	,,
44.	,, बद्रीलाल	—	—	,,
45.	,, रघुनन्दन	—	—	,,
46.	,, भगवानसहाय	—	हाँ	—
47.	,, मोहम्मद सद्दीक	—	—	हाँ
48.	,, राजवीरसिंह	—	—	,,
49.	,, कमलसिंह	—	—	,,
50.	,, बनेसिंह	—	—	,,

1	2	3	4	5
51.	श्री रतनचन्द	—	—	हाँ
52.	,, गोविन्द	—	हाँ	—

वर्ष 1982 हिण्डौन आगार

1	2	3	4	5
1.	श्री हीरालाल	—	हाँ	—
2.	,, हरपालसिंह	—	,,	—
3.	,, भरतलाल	हाँ	—	हाँ
4.	,, ओमप्रकाश	—	—	,,
5.	,, जौहरीलाल	—	हाँ	—
6.	,, जिन्शीराम	—	,,	—
7.	,, ईश्वरप्रसाद	—	,,	—
8.	,, प्रहलाद गुर्जर	—	,,	—
9.	,, अजयवीरसिंह	—	—	हाँ
10.	,, रामेश्वरप्रसाद	—	—	,,
11.	,, बसन्तीलाल	—	हाँ	—
12.	,, बृजकिशोर	—	,,	—
13.	,, रामअवतार	हाँ	—	—
14.	,, सुरेन्द्रसिंह	—	—	हाँ
15.	,, रामेश्वरप्रसाद	हाँ	—	,,
16.	,, प्रेमसिंह	—	—	,,
17.	,, हरिसिंह	—	—	,,
18.	,, नवलकिशोर	हाँ	—	,,
19.	,, भगवतीप्रसाद	—	—	,,
20.	,, शिवचरण	—	—	,,
21.	,, हंसराज	—	—	,,
22.	,, दीनदयाल शर्मा	—	—	,,

1	2	3	4	5
23.	श्री राधेश्याम	हां	—	—
24.	,, कैलाशचन्द	,,	—	—
25.	,, सुरेन्द्रसिंह	—	—	हां
26.	,, श्यामसुन्दर	—	—	,,
27.	,, रमेशकुमार	—	—	,,
28.	,, राजेन्द्रप्रसाद	—	—	,,
29.	,, कन्हैयालाल	—	हां	—
30.	,, कैलाशचन्द	—	—	हां
31.	,, गौरीशंकर	—	—	,,
32.	,, कैलाशप्रसाद	—	—	,,
33.	,, गोपाललाल	—	—	,,
34.	,, लक्ष्मणदास	—	हां	—
वर्ष 1983 हिण्डौन आगार				
1.	श्री राकेश	—	—	हां
2.	,, सूरजनदास	—	—	,,
3,	,, रामसहाय	—	—	,,
4.	,, बालमुकुन्द	—	—	,,
5.	,, रामेश्वरप्रसाद	हां	—	—
6.	,, लक्ष्मणसिंह	—	—	हां
7.	,, कैलाशचन्द	—	—	,,
8.	,, उमाशंकर	हां	—	,,
9.	,, प्रहलादकुमार	—	—	,,
10.	,, भगवानसहाय	हां	—	,,
11.	,, रामसहाय	—	—	,,
12.	,, बाबूलाल	—	हां	—

(575)

1	2	3	4	5
13.	श्री रामअवतार	—	हाँ	—
14.	,, सुरेशचन्द	—	—	हाँ
15.	,, राजेन्द्रसिंह	—	—	,,
16.	,, रामदयाल	—	—	,,
17.	,, मूलचन्द	—	—	,,
18.	,, सिकन्दरसिंह	—	—	,,
19.	,, लादूराम	—	—	,,
20.	,, चिमनसिंह	—	हाँ	—
21.	,, गौरीशंकर	हां	—	हां
22.	,, श्यामलाल गुप्ता	—	—	,,
23.	,, शिवराजसिंह	—	—	,,
24.	,, भगनलाल	—	—	,,

वर्ष 1982 उपनगरीय आगार

1	2	3	4	5
1.	श्री उमाचरण	—	हाँ	—
2.	,, महेन्द्रसिंह	—	हाँ	—
3.	,, कमलकिशोर	—	—	हाँ
4.	,, श्यामसुन्दर	—	हाँ	—
5.	,, रामअवतार	—	,,	—
6.	,, नाथूलाल	—	,,	—
7.	,, जानकीप्रसाद	—	—	हाँ
8.	,, द्वारकाप्रसाद	—	—	,,
9.	,, मोटूराम	—	हाँ	—
10.	,, सोहनलाल	हाँ	—	हाँ
11.	,, रामजीलाल	—	हाँ	—
12.	,, भागीरथ	हाँ	—	हां

1	2	3	4	5
13.	श्री वंशीलाल	—	—	हाँ
14.	,, ओमप्रकाश	—	—	,,
15.	,, सोहनसिंह	हाँ	—	,,
16	:, प्रकाश	—	—	,,
17.	,, रामबाबू	हाँ	—	—
18.	,, प्रेमचन्द	—	हाँ	—
19.	,, सीताराम	—	,,	—
20.	,, रामकिशोर	—	—	हाँ
21.	,, बद्रीनारायण	—	हाँ	—
22.	,, प्रभुलाल	—	—	हाँ
23.	,, मोहम्मद सद्दीक	हाँ	—	,,
24.	,, कमलेशकुमार	—	हाँ	—
25.	., जगमोहन कुमार	—	,,	—
26.	,, परमेश्वर दयाल	—	,,	—
27.	,, समेरसिंह	—	,,	—
28.	,, हरदमसिंह	हाँ	—	—
29.	,, मुकेशनारायण माथुर	,,	—	हाँ
30.	,, विजयकुमार	,,	—	,,
31.	,, मुरारीलाल	—	—	,,
32.	,, मनोहरीलाल	—	हाँ	—
33.	,, रामगोपाल	—	—	हाँ
34.	,, राजवीरसिंह	—	—	,,
35.	,, मालीराम	हां	—	,,
36.	,, विमलकुमार	—	हाँ	—
37.	,, प्रभुनारायण	हां	—	हाँ

1	2	3	4	5
38.	श्री ओमप्रकाश	—	—	हाँ
39.	,, कल्याणसहाय	—	—	,,
40.	,, परमालसिंह	—	—	,,
41.	,, कंचनकिशोर	—	—	,,
42.	,, पुरुषोत्तम	—	हाँ	—
43.	,, रामजीलाल	हाँ	—	हाँ
44.	,, विनोदकुमार	—	हाँ	—
45.	,, प्रहलाद गुप्ता	हाँ	—	हाँ
46.	,, मुरलीधर	—	हाँ	—
47.	,, प्रकाशचन्द	—	,,	—

वर्ष 1983 उपनगरीय आगार

1	2	3	4	5
1.	श्री रोशनलाल	हाँ	—	हाँ
2.	,, गोपाललाल	—	—	,,
3.	,, मनोहरलाल	—	—	,,
4.	,, गोकुलचन्द	—	—	,,
5.	,, ओमप्रकाश	—	—	,,
6.	,, मदनसिंह	—	—	,,
7.	,, महेन्द्रकुमार	—	—	,,
8.	,, गुलाबचन्द	हां	—	हां
9.	,, हनुमानलाल	—	—	,,
10.	,, विजयकुमार	—	—	,,
11.	,, कन्हैयालाल	—	हाँ	—
12.	,, प्रकाशचन्द	—	—	हाँ
13.	,, भगवानसिंह	—	—	,,
14.	,, मुकेशनारायण	—	—	,,

1	2	3	4	5
15.	श्री दुर्गाप्रसाद	—	—	हाँ
16.	,, रामजीलाल	—	—	,,
17.	,, महेन्द्रकुमार	—	—	,,
18.	,, नसरुद्दीन	—	—	,,
19.	,, भागीरथ	—	—	,,
20.	,, महेशचन्द	हाँ	—	,,
21.	,, बनेसिंह	—	—	,,
22.	,, मोहनलाल	हाँ	—	—
23.	,, अरदमसिंह	—	—	हाँ
24.	,, पूरणनारायण	हाँ	—	,,
25.	,, जगदीश	—	—	,,
26.	,, जगदीश नारायण	हाँ	—	,,
27.	,, रमेशचन्द	—	हां	—
28.	,, रमनलाल	—	—	हाँ
29.	,, रमेशचन्द	—	हाँ	—
30.	,, मनोजसिंह	—	—	हां
31.	,, राजवीरसिंह	—	हाँ	—
32.	,, बनवारीलाल	—	—	हां
33.	,, सुरेन्द्रसिंह	—	—	,,
34.	,, हनुमानलाल	—	—	,,

सीकर आगार–1982

1.	श्री कैलाशचन्द	×	हाँ	×
2.	,, भंवरसिंह	हाँ	×	हाँ
3.	,, कालूसिंह	×	×	×
4.	,, तुलसीराम	×	हाँ	×

1	2		3	4	5
5.	श्री	सुशीलकुमार	×	हां	×
6.	,,	फूलचन्द	×	,,	×
7.	,,	रेवतमल	×	,,	×
8.	,,	रामनारायण	×	,,	×
9.	,,	फूलचन्द	×	,,	×
10.	,,	गोपालसिंह	×	,,	×
11.	,,	लक्ष्मणसिंह	×	,,	×
12.	,,	राजकुमार	हां	×	हां
13.	,,	बाबूलाल	,,	×	,,
14.	,,	मंगलाराम	×	×	,,
15.	,,	राधाकिशन	हां	×	×
16.	,,	सूर्यभानसिंह	×	हां	×
17.	,,	जगदीशप्रसाद	हां	×	हां
18.	,,	सुरेन्द्रकुमार	×	हां	×
19.	,,	मोहम्मद सलीम	हां	×	हां
20.	,,	भंवरसिंह	×	×	,,
21.	,,	भंवरलाल	हां	×	,,
22.	,,	कमलसिंह	×	हां	×
23.	,,	रमेशकुमार	×	हां	×
24.	,,	जगन्नाथप्रसाद	हां	×	×
25.	,,	गौरीशंकर	×	×	हां
26.	,,	सत्यनारायण	×	×	,,

1	2	3	4	5

वर्ष 1983

1.	श्री दीपचन्द	हां	×	हां
2.	,, लाल बुरडक	×	हां	×
3.	,, शोकत अली	हां	×	हां
4.	,, शेराराम	×	हां	×
5.	,, गंगाराम	×	,,	×
6.	,, बीरबलसिंह	×	,,	×
7.	,, हरीमोहन	×	×	हां
8.	,, भीवाराम	×	हां	×
9.	,, अमृतलाल	हां	×	×
10.	,, हरफूलसिंह	,,	×	×
11.	,, भंवरलाल	×	हां	×
12.	,, भंवरसिंह	×	×	हां
13.	,, मोहनसिंह	×	×	,,

1982 खेतड़ी आगार

1.	श्री धर्मवीरसिंह	×	हां	×
2.	,, लादूराम	हां	×	हां
3.	,, रामजीलाल	×	हां	×
4.	,, विक्रमसिंह	×	×	हां
5.	,, मांगेराम	×	हां	×
6.	,, विद्याधर	×	,,	×
7.	,, सरदारसिंह	×	,,	×
8.	,, बजरंगलाल	×	,,	×
9.	,, रणजीतसिंह	हां	×	हां

1		2	3	4	5
10.	श्री	बनवारीलाल	×	×	हाँ।
11.	,,	सेडूराम	×	×	,,।
12.	,,	रिछपालसिंह	×	हाँ	×
13.	,,	राजेन्द्रसिंह	×	,,	×
14.	,,	प्रकाशचन्द	×	,,	×
15.	,,	रामेश्वरलाल	हाँ	×	हाँ
16.	,,	रघुवीरप्रसाद	×	हाँ	×
17.	,,	बाबूलाल	×	,,	×
18.	,,	सुमेरसिंह	×	,,	×
19.	,,	धर्मपाल	×	×	हाँ
20.	,,	महेन्द्रकुमार	×	हाँ	×

वर्ष 1983

1.	श्री	रामस्वरूप	×	×	हाँ
2.	,,	सुरेशचन्द	×	हाँ	×
3.	,,	कमलेश	हाँ	×	हाँ
4.	,,	ईश्वरसिंह	×	हाँ	×
5.	,,	लीलाधर	×	,,	हाँ।
6.	,,	फूलचन्द	×	×	,,।
7.	,,	भूपसिंह	×	हाँ	×
8.	,,	अशोककुमार	×	×	हाँ
9.	,,	यादराम	×	×	,,।
10.	,,	भोमाराम	हाँ	×	,,
				वर्ष 1984 में बहाल किया गया।	
11.	,,	बनवारीलाल	×	हाँ	×
12.	,,	बाबूलाल	×	×	हाँ

(382)

1	2	3	4	5
13.	श्री रामजीतसिंह	×	हां	×
14.	,, रामजीलाल	×	×	हाँ
15.	,, सुरजभानसिंह	×	×	,,

झुन्झुनू आगार–1982

1.	श्री देवेन्द्रकुमार	×	हां	×
2.	,, ईशबखाँ	×	,,	×
3.	,, छोटेलाल	×	,,	×
4.	,, किशोरचन्द	×	,,	×
5.	,, रघुरामसिंह	×	,,	×
6.	,, सुरेशकुमार	×	,,	×
7.	,, जसवन्तसिंह	×	,,	×
8.	,, महेन्द्रसिंह	×	,,	×
9.	,, नोरंगसिंह	×	,,	×
10.	,, रामगोपाल	×	,,	×
11.	,, फूलचन्द	×	,,	×
12.	,, प्रतापसिंह	×	,,	×
13.	,, रणवीरसिंह	×	,,	×
14.	,, करणसिंह	×	,,	×
15.	,, बलवीरसिंह	×	,,	×
16.	,, लालसिंह	हां	×	हां
17.	,, सीताराम	×	हां	×
18.	,, जगदीशकुमार	×	,,	×
19.	,, तेजाराम	×	,,	.
20.	,, राजेन्द्रसिंह	×	,,	×
21.	,, महीपालसिंह	×	,,	×

1	2	3	4	5
22.	श्री मूलचन्द	×	हां	×
23.	,, शंकरलाल	हां	×	हां
24.	,, लक्ष्मण नाई	×	हां	×
25.	,, रतीराम	×	,,	×
26.	,, विद्याधर	हां	×	हां
			वर्ष 1984 में बहाल किया गया ।	
27.	,, फूलसिंह	×	हां	×
28.	,, रामेश्वरदयाल	×	,,	×
29.	,, सुभाषचन्द	×	,,	×
30.	,, मोटाराम	×	,,	×
31.	,, विद्याधरसिंह	×	,,	×
32.	,, ईश्वरसिंह	×	,,	×
33.	,, रामावतार	हां	×	हां
34.	,, पितरामसिंह	×	हां	×
35.	,, जसवन्तसिंह	×	×	हां
36.	,, नत्थूराम	×	हां	×
37.	,, फूलचन्द	×	हां	×
38.	,, रणवीरसिंह	हां	×	×
			वर्ष 1984 में बहाल किया गया ।	
39.	,, श्रीराम	×	×	हां
40.	,, बनवारीलाल	×	हां	×
41.	,, प्रीतमसिंह	हां	×	×
			वर्ष 1984 में बहाल किया गया ।	

1	2		3	4	5
वर्ष 1983					
1.	श्री	लादूराम	×	×	हाँ
2.	,,	बजरंगलाल	हां	×	×
3.	,,	नरेन्द्रसिंह	×	×	हाँ
4.	,,	लक्ष्मण नाई	×	हाँ	×
5.	,,	अ० हुसैन	हाँ	×	हाँ
6.	,,	मूलचन्द	,,	×	×
7.	,,	राजेन्द्रकुमार	×	हाँ	×
8.	,,	अमरसिंह	×	×	हाँ
9.	,,	महेन्द्रसिंह	हां	×	×
10.	,,	ओंकारमल	,,	×	हाँ
11.	,,	गुरुदयालसिंह	×	हाँ	×
12.	,,	ओमप्रकाश	×	×	हाँ
13.	,,	रणजीतसिंह	हाँ	×	,,
14.	,,	नन्दलाल	,,	×	,,
15.	,,	हरफूलसिंह	,,	×	,,
				वर्ष 1984 में बहाल किया गया।	
16.	,,	दीनदयाल	×	हां	×
17.	,,	बुद्धूराम	×	,,	×
18.	,,	फूलचन्द	हां	×	×
				वर्ष 1984 में बहाल किया गया।	
19.	,,	प्रतापसिंह	×	×	हाँ
20.	,,	महेन्द्रसिंह	हां	×	,,
				वर्ष 1984 में बहाल किया गया।	
21.	,,	इन्द्रनारायण	×	×	हाँ

1	2	3	4	5
कोटा आगार—1982				
1.	श्री नन्दलाल	हाँ	×	×
2.	,, महेश चौधरी	×	हां	×
3.	,, पदमचन्द जैन	×	,,	×
4.	,, विमलकुमार	×	,,	×
5.	,, बृजमोहन शर्मा	हां	×	×
6.	,, सुशीलकुमार	,,	×	×
7.	,, महेन्द्रकुमार	×	×	हाँ
8.	,, रामस्वरूप	×	हाँ	×
9.	,, अब्दुल वहीद	×	,,	×
10.	,, गजानन्द	×	,,	×
11.	,, रामस्वरूप तृतीय	×	×	हां
12.	,, खलील मोहम्मद	हाँ	×	×
13.	,, मोहनलाल	×	हाँ	×
14.	,, मनमोहन	×	,,	×
15.	,, प्रमोदकुमार	×	×	हाँ
16.	,, रघुवीरसिंह	×	हाँ	×
17.	,, महावीर	×	×	हाँ
18.	,, राजेश चौहान	हाँ	×	×
19.	,, रहीश अहमद	,,	×	×
20.	,, मोहनलाल	×	हाँ	×
21.	,, कैलाश	×	,,	×
22.	,, मूलचन्द	हाँ	×	×
23.	,, रामेश्वर	×	हाँ	×
24.	,, मोहनलाल	×	,,	×

(386)

1		2	3	4	5
25.	श्री	विष्णु शर्मा	हाँ	×	×
26.	,,	बहादुरसिंह	,,	×	×
27.	,,	बलदेवसिंह	×	हाँ	×
28.	,,	रामरतन पारीक	हाँ	×	×
29.	,,	सत्तार मोहम्मद	,,	×	×
30.	,,	सुरेन्द्र विजय	,,	×	×
31.	,,	रमेशचन्द	×	हाँ	×
32.	,,	गोपाललाल	हाँ	×	×
33.	,,	मोहनलाल	,,	×	×
34.	,,	जगदीश	,,	×	×
35.	,,	किशनचन्द	,,	×	×
36.	,,	अब्दुल अजीज	,,	×	×
37.	,,	विजेन्द्र चौधरी	,,	×	×
38.	,,	श्रवणलाल	,,	×	×
39.	,,	बालचन्द मीणा	×	×	हाँ
40.	,,	रामनरेश	हाँ	×	×
41.	,,	महीपालसिंह	हाँ	×	×
42.	,,	नवरतनमल	×	×	हाँ
43.	,,	पूरणमल	हाँ	×	×
44.	,,	पुरुषोतम	×	हाँ	×
45.	,,	महेन्द्र वैष्णव	×	×	हाँ
46.	,,	मोहम्मद इस्माइल	×	×	,,
47.	,,	छीतरलाल	हाँ	×	×
48.	,,	बाबूलाल	,,	×	×
49.	,,	फूलचन्द	,,	×	×

1		2	3	4	5
50.	श्री	हरीशचन्द	हां	×	×
51.	,,	रामप्रकाश	×	हाँ	×
52.	,,	अब्दुल हकीम	×	×	हाँ
53.	,,	चन्द्रशेखर प्रथम	हाँ	×	×
54.	,,	सुरेश पारीक	×	हाँ	×
55.	,,	भीधाराम	हाँ	×	×
56.	,,	श्यामबिहारी	,,	×	×
57.	,,	अभयकुमार	,,	×	×
58.	,,	प्रहलादराम	,,	×	×
59.	,,	कन्हैयालाल	,,	×	×
60.	,,	रमेशबाबू	×	हाँ	×
61.	,,	किशनलाल	×	,,	×
62.	,,	चन्द्रशेखर	हाँ	×	×
63.	,,	विक्रमसिंह	,,	×	×
64.	,,	श्रवणलाल	×	×	हाँ
65.	,,	फैजा उल्ला खाँ	×	हाँ	×
66.	,,	असफाक अहमद पठान	×	×	हाँ
67.	,,	बाबूलाल	हाँ	×	×
68.	,,	सौभागमल	,,	×	×
69.	,,	विक्रमसिंह	×	हाँ	×
70.	,,	सूरजमल	हाँ	×	×
71.	,,	चम्पालाल	हाँ	×	×
72.	,,	राजेन्द्रकुमार	,,	×	×
73.	,,	सुरेन्द्रसिंह	,,	×	×
74.	,,	गोविन्दराम	×	×	हाँ

(388)

1	2	3	4	7
75.	श्री भगवानसिंह	हां	×	×
76.	,, गुलाबचन्द	×	×	हां
77.	,, मनोहर गोस्वामी	×	×	,,

वर्ष 1983

1	2	3	4	7
1.	श्री सीताराम	हां	×	×
2.	,, मोहसीन परवीन	,,	×	×
3.	,, सुरेश स्वामी	,,	×	×
4.	,, बजरंगलाल	,,	×	×
5.	,, भंवरलाल	,,	×	×
6.	,, नन्दकिशोर	,,	×	×
7.	,, रामस्वरूप	×	हां	×
8.	,, छीतरलाल	हां	×	×
9.	,, अशोककुमार	×	×	हां
10.	,, ओंकारलाल	×	हां	×
11.	,, रामकिशोर	हां	×	×
12.	,, पदमसिंह	×	हां	×
13.	,, विजेन्द्र चौधरी	हां	×	×
14.	,, रामप्रसाद	,,	×	×
15.	,, भंवरलाल	×	हां	×
16.	,, विश्वेशरदयाल	हाँ	×	×
17.	,, मो० अतीक	,,	×	×
18.	,, रमेशचन्द	×	×	हां
19.	,, मोहनलाल	×	×	,,
20.	,, राजेन्द्रकुमार	हां	×	×

1	2	3	4	5
21.	श्री रमेशकुमार	×	×	हां
22.	,, माधवलाल	हां	×	×
23.	,, सुरेश पोरेवाल	,,	×	×
24.	,, महावीर	×	हाँ	×
25.	,, मुरारीलाल	×	×	हां
26.	,, घनश्याम	×	×	,,
27.	,, लालूराम	×	×	,,
28.	,, रईश अहमद	×	×	,,
29.	,, नानगराम	हाँ	×	×
30.	,, बाबूलाल	×	×	हाँ
31.	,, ओमप्रकाश	×	×	हां
32.	,, हकीकत	×	×	,,
33.	,, मनोहर	×	×	,,
34.	,, रामचन्दर	×	×	,,
35.	,, बाबूलाल	×	×	,,
36.	,, कन्हैयालाल	हां	×	×
37.	,, अभयकुमार	×	×	हां
38.	,, घनश्याम	हाँ	×	×
39.	,, लीलाराम	×	×	हां
40.	,, मो० युनूस	×	×	,,
41.	,, रामरतन	हाँ	×	×
42.	,, रामनरेश	,,	×	×

बूंदी आगार–1982

1.	श्री भंवरलाल	×	हाँ	×
2.	,, बाबूलाल मीणा	हाँ	×	×

1		2	3	4	5
3.	श्री	केशरसिंह	हाँ	×	×
4.	,,	कैलाश स्वर्णकार	×	हाँ	×
5.	,,	नरवरसिंह	हां	×	×
6.	,,	मोतीलाल	×	हाँ	×
7.	,,	सतपाल	×	,,	×
8.	,,	हितेन्द्रसिंह	×	,,	×
9.	,,	महावीर	×	×	हाँ
10.	,,	गोपाललाल	×	हाँ	×
11.	,,	मोहनलाल	हाँ	×	×
12.	,,	भोलाशंकर	,,	×	×
13.	,,	शम्भूदयाल	×	×	हाँ
14.	,,	चन्द्रशेखर	हाँ	×	×
15.	,,	बनेसिंह	,,	×	×
16.	,,	मूलगिरी	×	हां	×
17.	,,	पन्नालाल	हां	×	×
18.	,,	रामप्रसाद	,,	×	×
19.	,,	बाबूलाल	×	हाँ	×
20.	,,	सुकवित हुसैन	×	×	×
21.	,,	माँगीलाल	हाँ	×	×
22.	,,	सुभाष	,,	×	×
23.	,,	महावीरप्रसाद	×	×	हाँ
24.	,,	अब्दुल गफार	×	हां	×
25.	,,	चम्पालाल	हां	×	×
26.	,,	कैलाश स्वर्णकार	×	हाँ	×
27.	,,	बजरंगलाल	हां	×	×

1	2	3	4	5
28.	श्री वहीद खां	×	हां	×
29.	,, चतरसिंह	×	,,	×
30.	,, ताज मोहम्मद	×	,,	×
31.	,, निरंजनसिंह	×		×
32.	,, कल्याणसहाय	×	,,	×
33.	,, भगवानसिंह	हां	×	×
34.	,, राधेश्याम	,,	×	×
35.	,, पदमकुमार	×	×	हां
36.	,, रामस्वरूप शर्मा	×	×	,,
37.	,, राजेन्द्रसिंह	×	×	,,
38.	,, भोलाशंकर	हां	×	×
39.	,, विरेन्द्रसिंह,	,,	×	×
40.	,, रूपसिंह	,,	×	×
41.	,, विमलकुमार	×	हां	×
42.	,, खलील अहमद	हां	×	×
43.	,, ओंकारनाथ	,,	×	×
44.	,, मूलचन्द	,,	×	×
45.	,, कैलाशचन्द	×	×	हां

वर्ष 1983

1.	श्री मो० इसाक	×	हां	×
2.	,, प्रेमचन्द	×	,,	×
3.	,, मनोहरलाल	हां	×	×
4.	,, महेश शुक्ला	,,	×	×
5.	,, छीतरलाल	,,	,,	×
6.	,, जमाल खां	,,	×	×

(392)

1	2	3	4	5
7.	श्री जगदीशप्रसाद	हां	×	×
8.	,, दुर्गाप्रसाद	,,	×	×
9.	,, बालमुकुन्द	,,	×	×
10.	,, कन्हैयालाल	,,	×	×
11.	,, महीपालसिंह	,,	×	×
12.	,, बजरंगलाल	,,	×	×
13.	,, सत्यनारायण	,,	×	×
14.	,, प्रहलाद जाट	,,	×	×
15.	,, जफरसिंह	,,	×	×
16.	,, रामहेत	,,	×	×
17.	,, मदनसिंह	×	×	हां
18.	,, पूरणमल	×	×	,,
19.	,, किशनलाल	×	×	,,
20.	,, राधेश्याम	×	×	,,
21.	,, गिरीश कुमार	×	×	,,
22.	,, दिनेश परिहार	×	×	,,
23.	,, लाटसिंह	×	×	,,
24.	,, जटाशंकर	×	×	,,
25.	,, गोपालसिंह	×	×	,,
26.	,, बाबूलाल	×	×	,,

झालावाड़ आगार–1982

1.	श्री बरकत खां	×	×	हां
2.	,, राजेन्द्रकुमार	हां	×	×
3.	,, कर्णसिंह	×	हां	×

1	2	3	4	5
4.	श्री अन्जनीकुमार	×	हाँ	×
5.	,, सत्यनारायण	×	,,	×
6.	,, हरीलाल	×	,,	×
7.	,, जगदीश	×	,,	×
8.	,, भगवानसहाय	हाँ	×	×
9.	,, जगदीश राठौड़	×	हाँ	×
10.	,, अनिलकुमार	×	,,	×
11.	,, प्रेमचन्द	हाँ	×	×
12.	,, शिवराम	×	हाँ	×
13.	,, गोविन्दराम	हाँ	×	×
14.	,, जगवीरसिंह	,,	×	×
15.	,, राजेन्द्रसिंह	,,	×	×
16.	,, बजरंगलाल	,,	×	×
17.	,, रामलाल	×	×	हाँ
18.	,, भूरालाल	×	×	,,
19.	,, जटाशंकर	हाँ	×	×
20.	,, छोटूलाल	,,	×	×
21.	,, सत्यनारायण	×	हां	×
22.	,, गिरीशचन्द	×	,,	×
23.	,, रमेश पंवार	×	×	हाँ
24.	,, लादूलाल	हाँ	×	×
25.	,, अ० रफीक	×	हाँ	×
26.	,, रामप्रसाद	×	,,	×
27.	,, मो० असरफ खां	हां	×	×
28.	,, सतीशचन्द	×	हाँ	×

1	2	3	4	5
29.	श्री अशोककुमार	हां	×	×
30.	,, ताराचन्द	×	हाँ	×
31.	,, अ० हनीफ	×	,,	×
32.	,, दीपचन्द	×	,,	×
33.	,, तेजमल	×	,,	×
34.	,, पन्नालाल	×	,,	×
35.	,, देवेन्द्रकुमार	×	,,	×
36.	,, दिनेशकुमार	×	×	हाँ
37.	,, मुन्नालाल	×	×	,,
38.	,, बजरंगलाल	×	हाँ	×
39.	,, लीलाराम	हाँ	×	×
40.	,, ईश्वरलाल	,,	×	×
41.	,, ब्रह्मप्रकाश	×	×	हां
42.	,, ओमप्रकाश	हां	×	×
43.	,, भंवरलाल	×	×	हां
44.	,, अ० हमीद	हां	×	×
45.	,, भंवरसिंह	,,	×	×
46.	,, रामस्वरूप	×	×	हाँ
47.	,, छीतरलाल	×	×	,,
48.	,, श्रवणलाल	×	हाँ	×
49.	,, महफज़ अली	हाँ	×	×
50.	,, यासन शाह	×	हाँ	×
51.	,, राजेन्द्रसिंह	×	×	हाँ
52.	,, सूरजमल	×	हां	×
53.	,, अ० रफीक	×	×	हां

1	2	3	4	5
वर्ष 1983				
1.	श्री अ० वहीद	हां	×	×
2.	,, लज्जाशंकर	×	×	हां
3.	,, द्वारकाप्रसाद	×	×	[illegible]
4.	,, रूपनारायण	×	हां	×
5.	,, फतेराम चौधरी	×	×	हां
6.	,, कैलाशचन्द	×	हां	×
7.	,, भंवरलाल	×	×	हां
8.	,, रामचन्द्र	हां	×	×
9.	,, नन्दलाल	,,	×	×
10.	,, इशाक मोहम्मद	×	×	हां
11.	,, ज्ञानचन्द	×	×	,,
12.	,, अ० अजीज	हां	×	×
13.	,, महावीरप्रसाद	×	×	हां
14.	,, रामगोपाल	×	×	,,
15.	,, रामदास	×	×	,,
16.	,, रमेश बावर	×	×	,,
17.	,, यशवन्तसिंह	हां	×	×
18.	,, सत्यनारायण	×	×	हां
19.	,, निजामुदीन	हां	×	×
20.	,, हसमत हुसैन	×	×	हां
21.	,, सौभागमल	×	×	,,
22.	,, अशोककुमार	हां	×	×
23.	,, मो० अहमद युसुफ	×	×	हां
24.	,, मो० इस्लाम	×	×	,,

1	2	3	4	5
25.	श्री चन्द्रमोहन	×	×	हां
26.	,, भंवरलाल शर्मा	हां	×	×
27.	,, भंवरलाल द्वितीय	×	×	हां

टोंक आगार–1982

1	2	3	4	5
1.	श्री रामावतार	×	हां	×
2.	,, रामसिंह	×	,,	×
3.	,, मो० इरशाद	×	×	हां
4.	,, प्रहलाद पारीक	हां	×	×
5.	,, द्वारकाप्रसाद	,,	×	×
6.	,, भंवरलाल	,,	×	×
7.	,, रामनिवास	×	×	हां
8.	,, रामावतार जोशी	हां	×	×
9.	,, उस्मान गनी	,,	×	×
10.	,, दुर्गालाल	×	हां	×
11.	,, रामखिलाड़ी	×	,,	×
12.	,, रामवतार चौहान	×	×	हां
13.	,, रघुनाथसिंह	हां	×	×
14.	,, नन्दकिशोर	,,	×	×
15.	,, विमलेशकुमार	,,	×	×
16.	,, लखमाराम	×	×	हां
17.	,, ओमप्रकाश	हां	×	×
18.	,, हनुमानप्रसाद	,,	×	×
19.	,, बाबूलाल	,,	×	×
20.	,, सम्पतलाल	×	×	हां

1	2	3	4	5
21.	श्री बनवारीलाल	×	हाँ	×
22.	,, प्रहलाद तेली	हाँ	×	×
23.	,, घनश्याम शर्मा	,,	×	हाँ
24.	,, जगदीश कुम्हार	×	×	,,
25.	,, घनश्याम शर्मा प्रथम	हाँ	×	,,
26.	,, राजसिंह	×	हाँ	×
27.	,, धर्मवीरसिंह	हाँ	×	×
28.	,, मूलसिंह	×	×	हाँ
29.	,, सुजानसिंह	×	हाँ	×
30.	,, बृजमोहन	हाँ	×	×
31.	,, बैजनाथ	,,	×	×
32.	,, शिशुपालसिंह	,,	×	×
33.	,, रामलाल	,,	×	×
34.	,, पुरुषोत्तम शर्मा	,,	×	×
35.	,, रमेशचन्द	,,	×	×
36.	,, चतुर्भुज	,,	×	×

वर्ष 1983

1.	श्री छीतरसिंह	हाँ	×	×
2.	,, कजोड़मल	×	हाँ	×
3.	,, प्यारेलाल	×	×	हाँ
4.	,, सुरेशचन्द	हाँ	×	×
5.	,, रमेशचन्द	×	×	हाँ
6.	,, प्रहलादनारायण	हाँ	×	×
7.	,, नरवरसिंह	हाँ	×	×
8.	,, इकरामुदीन	×	हाँ	×

३९८

1	2	3	4	5
9.	श्री तेजसिंह	हां	×	×
10.	,, वनवारीलाल	×	×	हां
11.	,, सुशीलकुमार	×	×	,,
12.	,, गोपाललाल	×	×	,,
13.	,, जलालुदीन	×	हां	×
14.	,, किशनलाल	×	×	हां
15.	,, मो० रईस	हां	×	×
16.	,, मोतीलाल	×	×	हां
17.	,, रामसिंह	×	×	,,
18.	,, चम्पालाल	×	×	,,
19.	,, हनुमानप्रसाद	×	×	,,

वर्ष 1982 जोधपुर आगार

1.	श्री रमेशचन्द	हाँ	—	—
2.	,, भंवरसिंह	हाँ	—	हाँ
3.	,, केसाराम	—	हाँ	—
4.	, भगवानसहाय	हाँ	—	—
5.	,, चन्दनसिंह	—	हाँ	—
6.	,, आदुराम	—	,,	—
7.	,, पन्नेसिंह	हाँ	—	—
8.	,, जगदीश	,,	—	—
9.	,, मगनसिंह	—	हाँ	—
10.	,, दारासिंह	—	,,	—
11.	,, सुगनसिंह	हां	—	—
12.	,, पुष्पदास	,,	—	—

1		2	3	4	5
13.	श्री	बजरंगलाल	,,	—	—
14.	,,	घीसाराम	,,	—	—
15.	,,	सज्जनराम	,,	—	—
16.	,,	बलदेवसिंह	—	हाँ	—
17.	,,	रतनसिंह	—	,,	—
18.	,,	केशवदत्त	हाँ	—	—
19.	,,	रफीक मो०	—	हाँ	—
20.	,,	किशनाराम	—	,,	—
21.	,,	गजेन्द्रकुमार	हाँ	—	—
22.	,,	चिमनलाल	—	हाँ	—
23.	,,	रामपाल	हाँ	—	—
24.	,,	प्रेमसिंह	—	हाँ	—
25.	,,	अमरसिंह	—	,,	—
26.	,,	वंशीलाल	हाँ	—	हाँ
27.	,,	रमेशचन्द	,,	—	—
28.	,,	विश्वनाथसिंह	,,	—	हाँ
29.	,,	रमेशकुमार	—	—	,,
30.	,,	लक्ष्मणसिंह	—	हाँ	—
31.	,,	मनोहर देवड़ा	—	हाँ	—
32.	,,	जयरूपराम	—	,,	—
33.	,,	बजरंगसिंह	—	,,	—
34.	,,	कल्याणमल	हाँ	—	—
35.	,,	अ० हकीम	—	हाँ	—
36.	,,	जयसिंह	हाँ	—	हाँ
37.	,,	किशोरसिंह	—	हाँ	—
38.	,,	महेन्द्रकुमार	—	,,	—

(५८०)

1	2	3	4	5
39.	श्री भंवरसिंह	—	—	हाँ
40.	,, रामेश्वरलाल	—	हाँ	—
41.	,, छत्तरसिंह	हाँ	—	—

वर्ष 1983 जोधपुर आगार

1	2	3	4	5
1.	श्री बाबूलाल	—	हां	—
2.	,, शम्भूदयाल	हाँ	—	—
3.	,, रामनारायण	—	हाँ	—
4.	,, सुखराम	—	,,	—
5.	,, बक्साराम	—	,,	—
6.	,, नित्यानन्द	—	,,	—
7.	,, शैतानसिंह	—	,,	—
8.	,, सखाराम	हाँ	—	हां
9.	,, पुनमसिंह	,,	—	—
10.	,, पुखाराम	,,	—	हां
11.	,, लालसिंह रत्नु	,,	—	—
12.	,, बाबूलाल	,,	—	—
13.	,, चैनसिंह	—	—	हाँ
14.	,, जुगलदास	हाँ	—	—
15.	,, रामपाल	,,	—	हां
16.	,, रामेश्वरदयाल	,,	—	—
17.	,, केवलराम	,,	—	—
18.	,, नगाराम	—	—	हां
19.	,, सुजाराम	—	हां	—
20.	,, सुरेश पारीक	—	—	हाँ
21.	,, केशवदत्त	हाँ	—	—

1		2	3	4	5
22.	श्री	माणकचन्द	—	हां	—
23.	,,	जोरसिंह	—	,,	—
24.	,,	सुरेश	हां	—	हां
25.	,,	नरेन्द्रसिंह	—	—	,,
26.	,,	हुब्बलाल	—	—	,,
27.	,,	कल्याणमल	हां	—	,,
28.	,,	सोहनलाल	—	हां	—
29.	,,	नैनसिंह	हां	—	हां
30.	,,	कल्याणसिंह	—	हां	—
31.	,,	केवलदास	हां	—	हां
32.	,,	रामसिंह	—	—	,,
33.	,,	भंवरसिंह	—	—	,,
34.	,,	साकित अली	—	हां	—
35.	,,	भेमसिंह	हां	—	हां
36.	,,	महेशचन्द	—	हां	—
37.	,,	जयसिंह	—	—	हां
38.	,,	जसवन्तसिंह	—	—	,,
39.	,,	भंवरलाल	—	हां	—

वर्ष 1982 आबूरोड आगार

1.	श्री	रामकुमार	हां	—	हां
2.	,,	गिरधारीसिंह	,,	—	—
3.	,,	रतनसिंह	,,	—	हां
4.	,,	रणजीतसिंह कुमार	,,	—	—
5.	,,	भीमसिंह	—	हां	—

1	2	3	4	5
6.	श्री केसरसिंह	हां	—	—
7.	,, रतनसिंह	—	हां	—
8.	,, सवाईसिंह	हां	—	—
9.	,, मोहनलाल	—	—	हां
10.	,, हिम्मतसिंह द०	—	हां	—
11.	,, भवानीसिंह	—	,,	—
12.	,, मो० हनीफ	हाँ	—	—
13.	,, मदनलाल	—	हां	—
14.	,, हरीसिंह	हां	—	—
15.	,, हंसमुख	—	हां	—
16.	,, रमेश	हाँ	—	—
17.	,, नरपतसिंह	—	हां	—
18.	,, हिम्मतसिंह	हां	—	हाँ
19.	,, आनन्दकुमार	हां	—	—
20.	,, गिरीशकुमार	,,	—	हां
21.	,, रामसिंह	—	हाँ	—
22.	,, श्यामसिंह	हाँ	—	हाँ
23.	,, लालसिंह	—	हां	—
24.	,, दुर्गासिंह	हां	—	—
25.	,, जीवनलाल	—	हाँ	—
26.	,, जगमालसिंह	हां	—	—

1983 आबूरोड आगार

1.	श्री सोहनसिंह	—	हां	—
2.	,, रामसिंह	हाँ	—	हाँ
3.	,, सफी मो०	,,	—	—

1	2	3	4	5
4.	श्री राधेश्याम	हाँ	—	—
5.	,, यासीन खाँ	,,	—	—
6.	,, मो० हुसैन	—	हाँ	—
7.	,, पन्नेसिंह	—	,,	—
8.	,, जब्बरसिंह	हाँ	—	हाँ
9.	,, हरीप्रसाद	,,	—	,,
10.	,, बृजमोहन	,,	—	,,
11.	,, युनुस खाँ	,,	—	—
12.	,, मित्र सैन	,,	—	—
13.	,, बाबूलाल	—	हाँ	—
14.	,, दलपतसिंह	—	,,	—
15.	,, चम्पालाल	—	—	हाँ
16.	,, कल्याणमल	—	—	,,

वर्ष 1982 सिरोही आगार

1.	श्री भंवरसिंह	हाँ	—	हाँ
2.	,, जगदीशचन्द्र	—	हाँ	—
3.	,, रफीक मोहम्मद	हाँ	—	हाँ
4.	,, भगवानसिंह	—	हाँ	—
5.	,, छोगाराम	हाँ	—	—
6.	,, लक्षमणराम	—	हाँ	—
7.	,, चौथमल	—	,,	—
8.	,, डूंगरसिंह	—	,,	—
9.	,, महेन्द्रकुमार	हाँ	—	—
10.	,, सावलंराम	,,	—	—

(४०४)

1		2	3	4	5
11.	श्री	गजेन्द्रकुमार	—	हां	—
12.	,,	बक्साराम	—	—	हां
13.	,,	भगवानसिंह	—	हां	—
14.	,,	मुरारीदान	—	,,	—
15.	,,	करणीदान	हां	—	हां
16.	,,	रामचन्द्र	,,	—	—
17.	,,	नारायणसिंह	—	हां	—
18.	,,	लक्ष्मणसिंह	—	,,	—
19.	,,	अमरसिंह	हां	—	—
20.	,,	रूपदास	—	हां	—
21.	,,	खेमसिंह	—	,,	—
22.	,,	शम्भूसिंह	—	,,	—
23.	,,	देवीशंकर	हां	—	—
24.	,,	धन्नाराम	—	हां	—
25.	,,	रमा भारती	हां	—	—
26.	,,	प्रभुलाल	,,	—	—
वर्ष 1983					
27.	श्री	पीरबक्स	हां	—	—
28.	,,	बाबूलाल	,,	—	—
29.	,,	सांवलराम	—	हां	—
30.	,,	सोमाराम	—	,,	—
31.	,,	भंवरसिंह	—	,,	—
32.	,,	सज्जनसिंह	—	—	हां
33.	,,	जव्वरसिंह	हां	—	—
34.	,,	किस्तूरचन्द	—	हां	—

1.	2	3	4	5
35.	श्री नारायणसिंह	—	हाँ	—
36.	,, भीखनाथ	—	,,	—
37.	,, चेतनप्रकाश	हाँ	—	—
38.	,, देवशंकर	,,	—	—
39.	,, राधारमण	,,	—	—
40.	,, भवानीसिंह	—	हाँ	—
41.	,, माणकचन्द	—	—	हाँ
42.	,, गजेसिंह	—	हाँ	—
43.	,, हरिराम	—	,,	—
44.	,, रमेश	—	—	हाँ
45.	,, देवाराम	—	—	,,
46.	,, देवेन्द्रसिंह	—	हाँ	—
47.	,, डूंगरसिंह	—	—	हाँ
48.	,, सोहनलाल	—	—	,,
49.	,, रामचन्द्रन	हाँ	—	हाँ
50.	,, हरिसिंह	—	—	,,
51.	,, किशोरसिंह	—	—	,,

वर्ष 1982 फलोदी आगार

1.	श्री प्रभूदान	हाँ	—	—
2.	,, रमेशकुमार	,,	—	—
3.	,, कालूराम	,,	—	—
4.	,, पुखराज	—	हाँ	—
5.	,, कुम्भराम	—	,,	—
6.	,, राजेन्द्र	हाँ	—	—
7.	,, नन्दकिशोर	हाँ	—	हाँ

1	2	3	4	5
8.	श्री जबरसिंह	हां	—	—
9.	,, कैलाश	—	हाँ	—
10.	,, लूणसिंह	—	,,	—
11.	,, सोनाराम	—	,,	—
12.	,, घनश्याम	—	,,	—
13.	,, हनुमानाराम	—	,,	—
14.	,, मोहनलाल	हाँ	—	—
15.	,, आवडदान	—	हाँ	—
16.	,, हरनारायण	हाँ	—	—
17.	,, भंवरसिंह	—	हाँ	—
18.	,, भागीरथ	—	,,	—
19.	,, रमेशकुमार	—	,,	—
20.	,, भंवरसिंह	—	,,	—
21.	,, रामेश्वर दयाल	हाँ	—	—
22.	,, ओमप्रकाश	,,	—	—
23.	,, हरीसिंह	,,	—	—
24.	,, श्यामलाल	—	हाँ	—
25.	,, जसवन्तसिंह	हाँ	—	—
26.	,, लक्ष्मणसिंह	—	—	हां
27.	,, मोहनलाल	हाँ	—	—

वर्ष 1983

1.	श्री हरीसिंह	—	हाँ	—
2.	,, यासीन	—	,,	—
3.	,, कालूराम	—	,,	—
4.	,, प्रकाश	—	,,	—

1	2	3	4	5
5.	श्री जगदीश	—	हां	—
6.	,, पोकाराम	—	—	हां
7.	,, भंवरसिंह	—	—	,,
8.	,, शैतानसिंह	—	—	,,
9.	,, रामनिवास	—	—	,,
10.	,, खोर्वासिंह	—	हां	—
11.	,, नाहरसिंह	हां	—	हां
12.	,, लक्ष्मणसिंह	,,	—	—
13.	,, स्वतन्त्रकुमार	हां	—	हां
14.	,, प्रभुदान	—	—	हां

वर्ष 1982 बाड़मेर आगार

1	2	3	4	5
1.	श्री भंवरलाल तृतीय	हां	—	हां
2.	,, मंगलाराम	—	हां	—
3.	,, देवरसिंह	—	,,	—
4.	,, हठेसिंह	—	,,	—
5.	,, धर्मपाल	हां	—	—
6.	,, शंकरलाल	,,	—	—
7.	,, शेरसिंह	—	हां	—
8.	,, बाबूलाल	—	,,	—
9.	,, हवीबखां	हां	—	—
10.	,, किशनचन्द	—	हां	—
11.	,, चिन्तामनदास	हां	—	—
12.	,, जगदीश	,,	—	—
13.	,, रघुनाथ	—	हां	—

1	2	3	4	5
14.	श्री हनुमानसिंह	हां	—	—
15.	,, शंकरलाल	—	—	हां
16.	,, पिताम्बरदास	—	हां	—
17.	,, उत्तरमाराम	—	,,	—
18.	,, नाहरसिंह	हां	—	—
19.	,, अशोक	—	—	हां
20.	,, खियाराम	—	हां	—
21.	,, रूपाराम I	—	,,	—
22.	,, सोनाराम तृतीय	हां	—	—
23.	,, अणदाराम	—	हां	—
24.	,, कल्याणसिंह	—	,,	—
25.	,, मंगलाराम	—	,,	—
26.	,, बुद्धसिंह	—	,,	—
27.	,, हरीसिंह	—	,,	—
28.	,, मोटाराम	हाँ	—	—
29.	,, पुनमाराम	—	हां	—
30.	,, देवीलाल	—	,,	—
31.	,, भगतसिंह	हां	—	—
32.	,, भंवरलाल	—	हां	—

वर्ष 1983

1.	श्री दुर्गासिंह	—	—	हां
2.	,, कानाराम	—	हाँ	—
3.	,, जगदीशप्रसाद	हां	—	—
4.	,, नाथूसिंह	—	—	हां

1	2	3	4	5
5.	श्री हनुमानसिंह	—	हाँ	—
6.	,, रामेप्रसाद	—	—	हाँ
7.	,, भीमाराम	—	हाँ	—
8.	,, भगवानाराम	—	—	हाँ
9.	,, रूपाराम	हाँ	—	—
10.	,, तुलसीराम	—	हाँ	—
11.	,, पदमाराम	हाँ	—	—
12.	,, हरलाल	—	हाँ	—
13.	,, मो० रजाक	—	,,	—
14.	,, कन्हैयालाल	—	—	हाँ
15.	,, प्रकाशचन्द	—	हाँ	—
16.	,, चम्पालाल	—	—	हाँ
17.	,, गुमाराम	—	—	,,
18.	,, गोपालदान	हाँ	—	—

वर्ष 1982 जालौर आगार

1.	श्री मांगीलाल	—	हाँ	—
2.	,, सांवताराम	हाँ	—	—
3.	,, लीलमचन्द	—	हाँ	—
4.	,, पुष्पेन्द्रसिंह	—	,,	—
5.	,, नित्यानन्द	हाँ	—	हाँ
6.	,, नेमीचन्द	हाँ	—	—
7.	,, माधोराम	,,	—	—
8.	,, धनश्याम वैष्णव	—	हाँ	—
9.	,, खीवसिंह	हाँ	—	—
10.	,, रामनिवास	,,	—	—

1	2	3	4	5
11.	श्री माणकराम	हां	—	—
12.	,, प्रभुगिरी	—	हाँ	—
13.	,, तुलसीराम	हाँ	—	—
14.	,, राजूराम	—	हाँ	—
15.	,, बाबूलाल	हाँ	—	—
16.	,, भभूतलाल	—	—	—
17.	,, नित्यानन्द	—	हाँ	—
18.	,, वासुदेव	हाँ	—	—
19.	,, किसनाराम	—	हाँ	—
20.	,, गणपतसिंह	—	,,	—
21.	,, विजयसिंह	—	,,	—
22.	,, गणपतसिंह	—	,,	—
23.	,, गिरधारीराम	—	,,	—
24.	,, कानाराम	हाँ	—	—
25.	,, माधोराम	—	हाँ	—
26.	,, नठाघाराम	हाँ	—	—
27.	,, झालाराम	,,	—	—
28.	,, अनवर अली	—	हाँ	—
29.	,, श्रवणसिंह	—	—	हाँ
30.	,, बद्रीलाल	—	हाँ	—
31.	,, तुलसीराम	—	,,	—
32.	,, मो० यासीन	—	—	हाँ
33.	,, नारायणसिंह	—	हाँ	—
34.	,, झाराराम	हाँ	—	—

1	2	3	4	5
35.	श्री बाबूलाल	—	हाँ	—
36.	,, नित्यानन्द	—	,,	—

वर्ष 1983

1	2	3	4	5
1.	श्री मो० यासीन	—	हाँ	—
2.	,, आदूराम	—	,,	—
3.	,, झुझारसिंह	—	,,	—
4.	,, रामेश्वरलाल	—	,,	—
5.	,, भंवरसिंह	हाँ	—	—
6.	,, हनुमान प्रजापत	—	—	हाँ
7.	,, बाबूराम	—	हाँ	—
8.	,, देवीसिंह	—	,,	—
9.	,, शान्तिलाल	—	,,	—
10.	,, रामनिवास	हाँ	—	—
11.	,, गणेशराम	हाँ	—	—
12.	,, अर्जुनसिंह	,,	—	—
13.	,, देवेन्द्रसिंह	,,	—	हाँ
14.	,, माणकराम	,,	—	,,
15.	,, हीरालाल	—	हाँ	—
16	,, शंकरसिंह	—	—	हाँ
17.	,, अमृतलाल	—	—	,,
18.	,, गणपतसिंह	—	हाँ	—
19.	,, सोनाराम	—	,,	—
20.	,, मूलसिंह	हाँ	—	—
21.	,, भीखनाथ	हाँ	हाँ	—
22.	,, हुकमसिंह	—	—	हाँ
23.	,, अमरसिंह	हाँ	—	—

1	2	3	4	5
वर्ष 1982 बीकानेर आगार				
1.	श्री कृष्णकुमार	—	—	हां
2.	,, सत्यवीरभान	हां	—	—
3,	,, रामदयाल	,,	—	—
4.	,, भामराज	—	हां	—
5.	,, मूलाराम	—	,,	—
6.	,, रामगोपाल	हां	—	—
7.	,, रामकरण	—	—	हां
8.	,, दिलीपसिंह	हां	—	—
9.	,, भंवरलाल	—	हां	—
10.	,, भंवरलाल	—	,,	—
11.	,, बीरवलराम	—	,,	—
12.	,, लाखाराम	—	,,	—
13.	,, अणदाराम	—	,,	—
14.	,, लियाकत खान	—	,,	—
15.	,, देवीसिंह	हां	—	—
16.	,, श्याममुन्दर	,,	—	—
17.	,, सत्यनारायण	—	हां	—
18.	,, रमेशसिंह	—	,,	—
19.	,, भीखाराम	हां	—	—
30.	,, पूर्णचन्द	,,	—	—
21.	,, बलाकारसिंह	—	,,	—
22.	,, रामकुमार	—	,,	—
23.	,, किशन	हां	—	—
24.	,, नागरमल	,,	—	—

1	2	3	4	5
25.	श्री विनोदकुमार	—	हां	—
26.	,, मघाराम	—	,,	—
27.	,, जगदीश	हां	—	—
28.	,, गणेशदान	,,	—	—
29.	,, गोरधनसिंह	—	हां	—
30.	,, ओ० पी० सोनी	हां	—	—
31.	,, सूबेसिंह	,,	—	—
32.	,, सत्यवीर	,,	—	—
33.	,, कृष्ण	,,	—	—
34.	,, गगनकुमार	,,	—	—
35.	,, जयसिंह	—	हां	—
36.	,, ओ० पी० जोशी	हां	—	—
37.	,, राजेन्द्रकुमार	—	—	हां
38.	,, कृष्णकुमार	हां	—	—
39.	,, महावीरसिंह	—	हां	—
40.	,, सुरेन्द्र प्रताप	हां	—	—
41.	,, नानगराम	—	हां	—
42.	,, अरविन्दकुमार	हां	—	—
43.	,, रामनिवास	—	हां	—
44.	,, पृथ्वीसिंह	हां	—	—
45.	,, नानूराम	,,	—	—
46.	,, मलकीतसिंह	—	हां	—
47.	,, पूनाराम	—	,,	—

1	2	3	4	5
वर्ष 1983 बीकानेर आगार				
1.	श्री लूणसिंह	—	—	हां
2.	,, पप्पूलाल	—	हां	—
3.	,, रामेश्वर	हां	—	—
4.	,, बलारसिंह	—	हां	—
5.	,, महावीरसिंह	—	,,	—
6.	,, श्यामसिंह	—	,,	—
7.	,, सत्यनारायण स्वामी	—	,,	—
8.	,, वी० पी० भार्गव	हां	—	—
9.	,, नरसीराम	,,	—	—
10.	,, नरेन्द्रकुमार	—	—	हां
11.	,, लोकपालसिंह	हां	—	—
12.	,, भगवान गिरी	,,	—	—
13.	,, दिनेशचन्द्र	—	हां	—
14.	,, ओमपालसिंह	—	,,	—
15.	,, धर्मचन्द	—	—	हां
16.	,, मोहनलाल	हां	—	—
17.	,, हरिशचन्द्र	—	—	हां
18.	,, हरपालसिंह	—	—	,,
19.	,, शौकत अली	—	—	,,
20.	,, सुखदेवसिंह	—	हां	हां
21.	,, नरपतसिंह	—	—	,,
22.	,, श्रीलाल	—	हां	—
23.	,I गोपीकिशन	—	—	हां
24.	,, भंवरलाल	—	—	,,

1	2	3	4	5
25.	श्री अनवर अली	—	—	हाँ
26.	,, ओ०पी० सोनी	—	—	,,
27.	,, पृथ्वीसिंह	—	—	,,
28.	,, भागचन्द	—	—	,,
29.	,, किशोरकुमार	—	—	,,
30.	,, मनीराम	हाँ	—	—
31.	,, रामसिंह	—	हाँ	—
32.	,, ओ०पी० जोशी	हाँ	—	—
33.	,, सत्यनारायण	—	—	हाँ
34.	,, गिरधारीलाल	—	हाँ	—
35.	,, मोहनसिंह	हाँ	—	—
36.	,, रामरख	—	—	हाँ
37.	,, लालचन्द	—	—	,,
38.	,, गणेश	हाँ	—	—

वर्ष 1982-83 गंगानगर आगार

1.	श्री भालसिंह	—	हाँ	—
2.	,, बलकौरसिंह	—	,,	—
3.	,, सुभानसिंह	—	,,	—
4.	,, शिवरामसिंह	—	,,	—
5.	,, सौदागरसिंह	—	,,	—
6.	,, सुगनसिंह	—	—	हाँ
7.	,, भंवरलाल	—	हाँ	—
8.	,, कुन्नीलाल	—	,,	—
9.	,, कृष्णलाल	—	—	हाँ
10.	,, लालाराम	—	हाँ	—

1	2	3	4	5
11.	श्री मखनसिंह	—	—	हाँ
12.	,, सुरजीतसिंह	—	—	,,
13.	,, बख्तानसिंह	हाँ	—	—
14.	,, गुरदीपसिंह III	,,	—	—
15.	,, सुभाष बेदी	,,	—	—
16.	,, हरीनारायण	—	हाँ	—
17.	,, सुरेन्द्रसिंह	—	—	हां
18.	,, सिहराम	—	—	,,
19.	,, करनैलसिंह	—	हाँ	—
20.	,, कल्याणसिंह	हाँ	—	—
21.	,, मोहनसिंह	हाँ	—	—
22.	,, ओमप्रकाश	—	हाँ	—
23.	,, पवनकुमार II	—	,,	—
24.	,, पाखरसिंह	हाँ	—	—
25.	,, सुखमन्दरसिंह	,,	—	—
26.	,, सुरेन्द्रसिंह III	—	हाँ	—
27.	,, विद्याधर	हाँ	—	—
28.	,, सूरतसिंह	—	—	हाँ
29.	,, हरीकिशन	—	हाँ	—
30.	,, प्रहलादकुमार	—	—	हां
31.	,, श्यामलाल	—	—	,,
32.	,, रामेश्वरलाल	—	हाँ	—
33.	,, भूपराम	हाँ	—	—
34.	,, गुरबचनसिंह	—	—	हाँ
35.	,, काजूराम	हाँ	—	—

1	2	3	4	5
36.	श्री ईश्वर	—	हाँ	—
37.	,, लक्ष्मणदास	हाँ	—	—
38.	,, सुरजीतसिंह	,,	—	—
39.	,, राजेन्द्र	,,	—	—
40.	,, जगदीशराय	,,	—	—
41.	,, जसन्द्रिसिंह	—	हाँ	—
42.	,, सतपाल	—	,,	—
43.	,, मनोहरलाल	—	—	हाँ
44.	,, चन्द्रप्रकाश	—	हाँ	—
45.	,, केवलकृष्ण	—	,,	—
46.	,, अर्जुनराम	—	,,	—
47.	,, इन्द्रसिंह	—	,,	हाँ
48.	,, पवनकुमार II	हाँ	,,	—
49.	,, सोमदत्त	,,	,,	—
50.	,, नक्षत्रसिंह	—	हाँ	—
51.	,, ओम त्याग	—	,,	—
52.	,, रमेश	हां	—	—
53.	,, बलवानसिंह	,,	—	—
54.	,, अरविन्दकुमार	—	—	हाँ
55.	,, सीताराम	—	हां	—
56.	,, अविनाश	हाँ	—	—
57.	,, धनीराम	—	—	हाँ
58.	,, मदनलाल	—	—	हाँ
59.	,, कशमीरसिंह	हाँ	—	—
60.	,, महेन्द्रसिंह	,,	—	—

(418)

1	2	3	4	5
61.	श्री देसराज	हाँ	—	—
62.	,, रामदेवसिंह	,,	—	—
63.	,, महेन्द्र	—	—	हाँ
64.	,, वजीरचन्द	हाँ	—	—
65.	,, नन्दराम	—	—	हाँ
66.	,, बीरबलराम	—	—	,,
67.	,, बाबूलाल	हाँ	—	—
68.	,, प्रहलाद	—	—	हाँ
69.	,, शेरसिंह	—	—	,,
70.	,, धर्मपाल	—	हाँ	—
71.	,, मदानलाल II	—	,,	—
72.	,, रामस्वरूप	—	,,	—
73.	,, गुरबक्खसिंह	—	,,	—
74.	,, राजेन्द्र	—	,,	—
75.	,, रेवतराम	—	,,	—
76.	,, महावीर	—	,,	—
77.	,, राजाराम	—	,,	—
78.	,, अनन्त	—	,,	—
79.	,, ओम	—	,,	—
80.	,, मेहरचन्द	—	,,	—
81.	,, मूलासिंह	—	,,	—
82.	,, मोहन	—	,,	—
83.	,, रूल्दूसिंह	—	,,	—
84.	,, रामकुमार	—	,,	—

1	2	3	4	5
85.	श्री हरपालसिंह	—	हाँ	—
86.	,, भीमाराम	—	,,	—
87.	,, कृष्ण	—	,,	—
88.	,, भजनसिंह	—	,,	—
89.	,, रमेश	—	,,	—

वर्ष 1982 सरदारशहर आगार

1.	श्री रामेश्वरलाल	—	—	हाँ
2.	,, शिवजीराम	—	—	,,
3.	,, प्रतापसिंह I	—	—	,,
4.	,, ओंकारसिंह	—	—	,,
5.	,, जयसिंह	—	—	,,
6.	,, भगवतप्रसाद	—	—	,,
7.	,, विद्याधर	—	हाँ	—
8.	,, रूपचन्द	—	,,	—
9.	,, बालूसिंह	—	,,	—
10.	,, श्यामसुन्दर	—	,,	—
11.	,, जगदीश	हाँ	—	—
12.	,, हरदत्तसिंह	,,	—	—
13.	,, सोहनसिंह	,,	—	—
14.	,, बाबूलाल	—	हाँ	—
15.	,, रमेशचन्द	हाँ	—	हां
16.	,, मूलसिंह	—	हाँ	—
17.	,, हरिसिंह	हाँ	—	हाँ
18.	,, अत्तरसिंह	,,	—	,,

(420)

1	2	3	4	5
19.	श्री केशरसिंह	हां	—	हां
20.	,, भोपालसिंह	—	हाँ	—
21.	,, प्रेमसिंह	हाँ	—	हाँ
22.	,, ओमप्रकाश	,,	—	—
23.	,, इब्राहम खाँ	,,	—	—
24.	,, प्रीतमसिंह	,,	—	हाँ
25.	,, ओमप्रकाश	—	हाँ	—
26.	,, दयानन्द	—	हाँ	—
27.	,, मुरलीधर	—	,,	—
28.	,, ओमप्रकाश	—	,,	—
29.	,, रामगोपाल	—	,,	—
30.	,, जगवीरसिंह	—	,,	—
31.	,, नरसाराम	—	,,	—
32.	,, अमीसिंह	हाँ	—	—
33.	,, सुरेन्द्रसिंह	—	हाँ	—
34.	,, ज्वालाप्रसाद	—	,,	—
35.	,, जयसिंह	—	,,	—
36.	,, शेरसिंह	—	,,	—
37.	,, दयाराम	हाँ	—	—
38.	,, दलीपचन्द	—	हाँ	—
39.	,, मंशाराम	—	,,	—
40.	,, अमीचन्द	—	,,	—
41.	,, लालचन्द	हाँ	—	हाँ

1	2	3	4	5
वर्ष 1983 सरदारशहर आगार				
1.	श्री जगतसिंह	—	—	हां
2.	,, नन्दलाल	—	—	,,
3.	,, भंवरलाल	—	—	,,
4.	,, ईश्वरलाल	—	—	,,
5.	,, मलकीतसिंह	—	—	,,
6.	,, मोहनलाल	—	—	,,
7.	,, श्रीलाल	—	—	,,
8.	,, प्रतापसिंह II	—	—	,,
9.	,, महेन्द्रसिंह	—	—	,,
10.	,, कुरडाराम	हां	—	—
11.	,, राजेन्द्रसिंह	,,	—	—
12.	,, हमीद अली	,,	—	—
13.	,, वीरसिंह	—	हां	—
14.	,, जगदीशप्रसाद	हां	—	—
15.	,, मदनलाल	,,	—	हां
16.	,, भंवरलाल	—	हां	—
17.	,, नरपतसिंह	हां	—	हां
18.	,, शिवकरणसिंह	—	हां	—
19.	,, नन्दलाल	—	—	हां
20.	,, इब्राहीम खां	हां	—	—
21.	,, भंवरलाल	—	—	हां
22.	,, पूर्णचन्द	हां	—	,,
23.	,, शान्तिस्वरूप	,,	—	,,
24.	,, दिनेशकुलार	,,	—	,,

422

1	2	3	4	5
वर्ष 1982 हनुमानगढ़ आगार				
1.	श्री भोजराजसिंह	—	—	हाँ
2.	,, लक्ष्मीनारायण	—	—	,,
3.	,, महावीरसिंह	—	—	,,
4.	,, विद्याधर	—	—	,,
5.	,, त्रिलोकसिंह	—	—	,,
6.	,, बृजमोहन	—	—	,,
7.	,, छगनलाल	—	—	,,
8.	,, मामचन्द	—	—	,,
9.	,, धर्मपालसिंह	—	हाँ	—
10.	,, बहादुरसिंह	—	—	हाँ
11.	,, सुखदेवसिंह	—	—	,,
12.	,, दामोदर	—	—	,,
13.	,, हरपालसिंह	—	—	,,
14.	,, अमरसिंह	—	—	,,
15.	,, बृजेशकुमार	—	—	,,
16.	,, कर्णसिंह II	—	—	,,
17.	,, देवचन्द	हाँ	—	—
18.	,, केशुराम	—	—	हाँ
19.	,, मेरूदान	—	—	,,
20.	,, ईश्वरदयाल	—	—	,,
21.	,, भंवरलाल III	—	—	,,
22.	,, साधुराम	—	—	,,
23.	,, लालसिंह	—	—	,,

1		2	3	4	5
24.	श्री	परमानन्द	—	—	हां
25.	,,	सुखदेवसिंह III	—	—	,,
26.	,,	भागीरथराम	—	—	,,
27.	,,	रामजीलाल	—	—	,,
28.	,,	सत्यवीरसिंह	—	—	,,
29.	,,	अजमेरसिंह	—	—	,,
30.	,,	देवीलाल I	—	—	,,
31.	,,	रतनसिंह	—	हां	—
32.	,,	बहादुरसिंह	—	—	हां
33.	,,	दामोदरप्रसाद	—	—	,,
34.	,,	हरीसिंह II	—	हां	—
35.	,,	हनुमानप्रसाद	—	—	हां
36.	,,	राजकुमार	—	—	,,
37.	,,	मोहरसिंह	हां	—	—
38.	,,	साधुराम	—	—	हां
39.	,,	लालसिंह	—	—	,,
40.	,,	संतोषसिंह	—	हां	—
41.	,,	महावीरप्रसाद	—	,,	—
42.	,,	सत्यवीरसिंह	—	—	हां
43.	,,	धन्नाराम	हां	—	—
44.	,,	अवरसिंह	—	—	हां
45.	,,	जगदीश	हां	—	—
46.	,,	अनूपसिंह	—	—	हां
47.	,,	महादेवप्रसाद	—	—	,,

(424)

1	2	3	4	5
48.	श्री केशुसिंह	—	—	हाँ
49.	,, ओमप्रकाश	हाँ	—	—
50.	,, वीरबलराम	—	—	हां

वर्ष 1983 हनुमानगढ़ आगार

1.	श्री विजयकुमार	—	—	हाँ
2.	,, हवासिंह	—	—	,,
3.	,, किशनलाल	हाँ	—	,,
4.	,, प्रेमसिंह	—	—	,,
5.	,, बाबुलाल	—	—	,,
6.	,, रघुनाथसिंह	—	—	,,
7.	,, मदरसिंह	—	—	,,
8.	,, कुडाराम	हाँ	—	—
9.	,, त्रिलोकसिंह	—	—	हाँ
10.	,, महेन्द्रसिंह	हां	—	—

1982 ब्यावर आगार

1.	श्री महीपालसिंह	—	हां	—
2.	,, भोपालसिंह	—	—	हाँ
3.	,, महावीरसिंह	—	हां	—
4.	,, जाकिर हुसैन	हाँ	—	—
5.	,, ओमप्रकाश टेलर	—	हां	—
6.	,, रामरतन	—	,,	—
7.	,, अभयकुमार	—	,,	—
8.	,, रोहिताशसिंह	हाँ	—	—

1		2	3	4	5
9.	श्री	सोहनलाल	—	—	हाँ
10.	,,	दामोदरसिंह	—	हाँ	—
11.	,,	राजकुमार टांक	हाँ	—	हाँ
12.	,,	कन्हैयालाल	,,	—	,,
13.	,,	जगदीशप्रसाद	,,	—	,,
14.	,,	कुन्दनचन्द	—	हाँ	—
15.	,,	शंकरलाल	—	,,	—
16.	,,	कालूसिंह	—	,,	—
17.	,,	शिवराजसिंह	—	,,	—
18.	,,	अशरफ काठात	हाँ	—	—
19.	,,	मोहम्मद शफी	—	—	हाँ
20.	,,	राजेन्द्र पारीक	—	—	,,
21.	,,	मोहब्बतलाल	—	हाँ	—
22.	,,	सुरेन्द्र वोहरा	—	—	हाँ
23.	,,	रामनिवास	—	हाँ	—
24.	,,	शिवराम	—	हाँ	—
25.	,,	सुरेशचन्द्र	—	,,	—
26.	,,	केशवसिंह	—	,,	—
27.	,,	कन्हैयालाल रेगर	—	,,	—
28.	,,	दाऊसिंह	—	,,	—
29.	,,	विजयसिंह	—	,,	—
30.	,,	अजीतसिंह	—	—	हाँ
31.	,,	बलदेवसिंह	हाँ	—	,,
32.	,,	श्यामलाल	—	हाँ	—

1		2	3	4	5
33.	श्री	चाँदमल	—	हाँ	—
34.	,,	रामकरण	—	,,	—
35.	,,	समुन्द्रसिंह	—	,,	—
36.	,,	मन्नाराम	—	—	हाँ
37.	,,	रघुवीरसिंह	हाँ	—	—
38.	,,	कालूसिंह	—	हाँ	—
39.	,,	मल्लूराम	—	हाँ	—
40.	,,	मदनलाल	—	,,	—
41.	,,	कुशलसिंह	हाँ	—	—
42.	,,	दीपसिंह	,,	—	हाँ
43.	,,	रूपकिशोर	,,	—	,,
44.	,,	सुखराम	—	हाँ	—
45.	,,	दीपसिंह	हाँ	—	हाँ
46.	,,	शायर मोहम्मद	—	—	,,

ब्यावर आगार 1983

1.	श्री	प्रकाशचन्द	हाँ	—	हाँ
2.	,,	मोहनसिंह	—	हाँ	—
3.	,,	राजकुमार	हाँ	—	हाँ
4.	,,	पुरुषोत्तम	—	हाँ	—
5.	,,	कन्हैयालाल बरोल	—	,,	—
6.	,,	जगदीशचन्द	—	,,	—
7.	,,	करणसिंह	—	,,	—
8.	,,	मोहनलाल	हाँ	—	हाँ
9.	,,	रामकुमार दधीच	—	हाँ	—

1	2	3	4	7
10.	श्री रणजीतराम	हाँ	—	हाँ
11.	,, मन्नाराम	—	—	हाँ
12.	,, हिम्मतसिंह	—	—	,,
13.	,, महेन्द्र भाटी	—	—	,,
14.	,, रामनिवास माली	—	—	,,
15.	,, ताराचन्द सिन्धी	हाँ	—	—
16.	,, मोहनलाल माली	—	हाँ	—

1982 नागौर आगार

1	2	3	4	7
1.	श्री मुन्नीराम	—	हाँ	—
2.	,, सोहनलाल मोर्य	—	,,	—
3.	,, हीरासिंह	—	,,	—
4.	,, अल्लानूर	हाँ	—	—
5.	,, मनफूलसिंह	—	हाँ	—
6.	,, गणपतलाल सोनी	हाँ	—	हाँ
7.	,, सीताराम	—	हाँ	—
8.	,, माँगीलाल	—	,,	—
9.	,, भागीरथ स्वामी	—	,,	—
10.	,, जयशंकर	हाँ	—	—
11.	,, रामदेव मेघवाल	—	—	हाँ
12.	,, रामलाल	हाँ	—	—
13.	,, महेशकुमार	,,	—	—
14.	,, तुलछाराम	—	हाँ	—
15.	,, सहीराम	—	,,	—
16.	,, रामनिबास	हाँ	—	—

1		2	3	4	5
17.	श्री	रामनिवास चांगल	हां	—	हां
18.	,,	रामनारायण	—	हां	—
19.	,,	भंवरलाल	—	,,	—
20.	,,	कानाराम	—	,,	—
21.	,,	लक्ष्मणराम	—	,,	—
22.	,,	बजरंगसिंह	—	,,	—
23.	,,	जवरीलाल	—	,,	—
24.	,,	प्रहलाद सोनी	—	,,	—
25.	,,	हरीराम	—	,,	—
26.	,,	घनश्याम शर्मा	—	,,	—
27.	,,	पुरुषोत्तम	—	—	हां
28.	,,	झंवरसिंह	—	हां	—
29.	,,	भंवरसिंह	हां	—	हां
30.	,,	सम्पतराज	—	हां	—
31.	,,	अर्जुनराम	—	,,	—
32.	,,	नारायणसिंह	—	,,	—
33.	,,	गणपतलाल सोनी	—	—	हां
34.	,,	अभयसिंह	—	हां	—
35.	,,	शम्भूराम	—	,,	—
36.	,,	हरिराम	हां	—	—
37.	,,	पालसिंह	—	हां	—
38.	,,	भंवरसिंह चौधरी	—	,,	—
39.	,,	शान्तीलाल	—	,,	—
40.	,,	दयालराम	—	—	हां
41.	,,	हीरासिंह	—	हां	—

1	2	3	4	5
42.	श्री छाजुराम	हां		हां
43.	,, मोहनाराम	—	हां	—
44.	,, चोखाराम	—	—	हां
45.	,, मेवाराम	—	हां	—
46.	,, सुखराम	—	,,	—
47.	,, सुल्तानसिंह	हां	—	—
48.	,, लादूराम	,,	—	हां
49.	,, नाथूलाल खाती	—	हां	—
50.	,, बंगालीराम	हां	—	हां
51.	,, जगदीश देतवाल	—	—	हां
52.	,, शेराराम	—	हां	—
53.	,, ओमप्रकाश	—	,,	—
54.	,, सीताराम टांक	—	—	हां
55.	,, अल्लानूर	—	हां	—
56.	,, भगवानसहाय	—	,,	—
57.	,, केसाराम	—	—	हां
58.	,, श्यामसुन्दर	—	हां	—
59.	,, सत्यवीरसिंह	—	[illegible]	—
60.	,, सोहनसिंह	—	,,	—
61.	,, भंवरसिंह चोहान	—	,,	—
62.	,, हनुमानाराम	—	,,	—
63.	,, बजरंगलाल	—	,,	—
64.	,, छोटूराम	हां	—	हां
65.	,, सुखराम	—	हां	—

1	2	3	4	5

1983 नागौर आगार

1.	श्री	मुन्नू खाँ	—	हाँ	—
2.	,,	आत्माराम	—	हाँ	—
3.	,,	रामलाल जाट	—	,,	—
4.	,,	मोहनलाल कुमावत	हाँ	—	हाँ
5.	,,	अर्जुनराम	—	—	,,
6.	,,	मंगीलाल	—	हाँ	—
7.	,,	भंवरलाल भाट	—	—	हाँ
8.	,,	नाथूसिंह	—	हाँ	—
9.	,,	भंवरसिंह	हाँ	—	हाँ
10.	,,	चुनाराम	,,	—	,,
11.	,,	हनुमानसिंह	—	—	,,
12.	,,	नरपतसिंह	—	—	,,
13.	,,	चोखाराम	—	—	,,
14.	,,	मोहनलाल	—	—	,,
15.	,,	बनवारीलाल	—	—	,,

वर्ष 1982 अजमेर आगार

1.	श्री	गोविन्दकुलार	—	हां	—
2.	,,	खेमाराम	—	,,	—
3.	,,	सुगनसिंह	—	,,	—
4.	,,	बनवारीलाल	—	,,	—
5	,,	बनवारीलाल	—	—	हां
6.	,,	सोहनलाल	—	हां	—

1	2	3	4	5
7.	श्री सोमप्रकाश	हां	—	हां
8.	,, हेमचन्द्र शर्मा	—	हां	—
9.	,, शिशंकर अग्रवाल	—	,,	—
10.	,, महेश अरोड़ा	—	हां	—
11.	,, महावीरनाथ	—	,,	—
12.	,, चौथमल	—	—	हां
13.	,, गुमानसिंह	—	हां	—
14.	,, राजेन्द्रकुमार शर्मा	हां	—	हां
15.	,, भरतसिंह	—	हां	—
16.	,, मदनमोहन खण्डेलवाल	—	,,	—
17.	,, नरेन्द्रसिंह	—	,,	—
18.	,, दुलाराम	—	,,	—
19.	,, राजेन्द्रप्रसाद	—	,,	—
20.	,, अमरचन्द	—	,,	—
21.	,, शशीकुमार	हां	—	—
22.	,, भरतसिंह	—	हां	—
23.	,, कल्याणसिंह	—	,,	—
24.	,, श्यामलाल चांवला	—	,,	—
25.	,, नन्दलाल कालेर	हां	—	—
26.	,, जीवणराम	—	हां	—
27.	,, गोविन्दकुमार मोदी	—	—	हां
28.	,, तेजकुमार	—	हां	—
29.	,, भंवरसिंह सोलंकी	—	,,	—
30.	,, सम्पतकुमार	—	,,	—

1	2	3	4	5
31.	श्री लाखनसिंह	—	हां	—
32.	,, मंगेजदान	—	—	हां
33.	,, विरेन्द्रसिंह	—	हां	—
34.	,, श्यामदास	हां	—	—
35.	,, जगमोहन गोयल	—	हां	—
36.	,, भगवतीप्रसाद	—	,,	—
37.	,, प्रकाश डेविड	—	—	हां
38.	,, बलवीरसिंह	—	हां	—
39.	,, नरपतसिंह	हां	—	हां
40.	,, कमलेशकुमार	—	—	,,
41.	,, भंवरलाल कुम्हार	—	हां	—
42.	,, जगदीश चौधरी	—	,,	—
43.	,, राम अवतार सोनी	हां	—	हां
44.	,, मनोहरसिंह	,,	—	,,
45.	,, जगदीश वैष्णव	,,	—	,,
46.	,, अशोक माथुर	,,	—	,,
47.	,, त्रिलोकचन्द पाराशर	हां	—	—
48.	,, नाथू सिंह	,,	—	,,
49.	,, दिमानसिंह	,,	—	,,
50.	,, मनोहरसिंह	,,	—	,,
51.	,, चम्पालाल	,,	—	,,
52.	,, अनिल जैन	,,	—	,,
53.	,, कंवरलाल	,,	—	,,
54.	,, सुरेशप्रकाश	—	हां	—

1	2	3	4	5
55.	श्री अशोक व्यास	—	—	हां
56.	,, लक्ष्मीनारायण	हां	—	,,
57.	,, नारायणसिंह	—	—	,,
58.	,, द्वारकाप्रसाद	हां	—	,,
59.	,, सुरेशचन्द्र शर्मा	—	हां	—
60.	,, सोहनलाल सामरिया	हां	—	हां
61.	,, मदनमोहन पारीक	—	हां	—
62.	,, राधेश्यामं शर्मा	हां	—	हां
63.	,, अब्दुल रसीद	—	हां	—
64.	,, रामनिवास सैनी	—		—
65.	,, कृष्णगोपाल	—	—	हां
66.	,, रामरतन महावर	हां	—	,,
67.	,, मोहम्मद उमर टॉक	,,	—	,,
68.	,, सीताराम सोलीवाल	,,	—	,,
69.	,, गोपालस्वरूप मित्तल	—	—	,,
70.	,, कनककुमार	हां	—	,,
71.	,, बजरंगलाल चौधरी	,,	—	,,
72.	,, राधेश्याम वर्मा	,,	—	,,
73.	,, बीरबलसिंह	—	हां	—
74.	,, चम्पालाल	—	,,	—
75.	,, हनुमान गहलोत	—	—	हां
76.	,, भागीरथसिंह	—	—	,,
77.	,, प्रकाश मेहरात	—	हां	—
78.	,, बद्रीप्रसाद	हां	—	—

1	2	3	4	5
79.	श्री रूपसिंह भाटी	—	हां	—
80.	,, मुकेशचन्द शर्मा	—	,,	—
81.	,, महेशकुमार	हाँ	—	हां
82.	,, गौरीशंकर तिवाड़ी	,,	—	,,
83.	,, रामलाल मीणा	,,	—	,,
84.	,, इन्द्रजीतसिंह	—	—	,,
85.	,, हीरालाल	हाँ	—	,,
86.	,, मोहम्मद रमजान	हाँ	—	हाँ
87.	,, राजेन्द्रप्रसाद शर्मा	—	हां	—
88.	,, भरतसिंह	हां	—	हाँ

वर्ष 1982 अजमेर आगार

1.	श्री कजोड़मल	हां	—	हाँ
2.	,, मोहनमाल मौर्य	—	हाँ	—
3.	,, मनोहरसिंह	हाँ	—	हाँ
4.	,, नवाबसिंह	—	हाँ	—
5.	,, भागीरथ वर्मा	हाँ	—	हां
6.	,, सीताराम सोलीवाल	—	हाँ	—
7.	,, अशोक माथुर	—	—	हां
8.	,, द्वारकाप्रसाद	हाँ	—	हाँ
9.	,, हनुमानाराम	,,	—	,,
10.	,, अनिल कालरा	—	हाँ	—
11.	,, राजेन्द्रप्रसाद	—	,,	—
12.	,, रूड़मल सैनी	हाँ	—	हाँ
13.	,, रामबाबू	,,	—	,,

435

1	2	3	4	5
14.	श्री राजाराम	हाँ	—	हाँ
15.	,, चम्पालाल	,,	—	,,
16.	,, मालचन्द	—	—	,,
17.	,, पूनमचन्द	हां	—	,,
18.	,, रामेश्वरलाल	,,	—	,,
19.	,, जसवन्तसिंह	—	हां	—
20.	,, नानकराम	—	,,	—
21.	,, रूपचन्द लखारा	हाँ	—	हाँ
22.	,, रामपाल शर्मा	,,	—	,,
23.	,, अनिल तिवाड़ी	,,	—	,,
24.	,, चम्पालाल शर्मा	—	हाँ	—
25.	,, माधवलाल जाट	—	,,	—
26.	,, लक्ष्मणसिंह वर्मा	—	,,	—
27.	,, अशोककुमार	—	—	हाँ
28.	,, दिमानसिंह	हाँ	—	हाँ
29.	,, मदनसिंह कानावत	—	—	,,
30.	,, मनोजकुमार	हां	—	,,
31.	,, करणसिंह	,,	—	,,
32.	,, नाथूसिंह	,,	—	,,
33.	,, गणपतलाल	,,	—	,,
34.	,, चौथमल	—	—	,,
35.	,, हनुमानसिंह	हाँ	—	,,
36.	,, जुगलकिशोर	—	—	,,
37.	,, मुकेशकुमार	हाँ	—	,,
38.	,, बाबूसिंह उदावत	—	—	,,

1	2	3	4	5
वर्ष 1982 भीलवाड़ा आगार				
1.	श्री नरसिंहराम	—	हाँ	—
2.	,, झावरमल भाटी	—	,,	—
3.	,, मीठालाल	—	,,	—
4.	,, जवाहरसिंह	—	,,	—
5.	,, जगदीश डाड	हाँ	—	हाँ
6.	,, शिवप्रसाद	—	हाँ	—
7.	,, ढगलाराम	—	,,	—
8.	,, विनोदचन्द	—	,,	—
9.	,, अब्दुल कदीर	—	,,	—
10.	,, मदनलाल शर्मा	—	,,	—
11.	,, गोरधनराम	—	,,	—
12.	,, रामप्रसाद	—	,,	—
13.	,, भैरूलाल	—	,,	—
14.	,, इकबाल हुसैन	—	,,	—
15.	,, बाघसिंह	—	,,	—
16.	,, हीराराम	—	,,	—
17.	,, बालूसिंह	—	,,	—
18.	,, मोहम्मद हनीफ	—	,,	—
19.	,, गंगाराम	—	,,	—
20.	,, रामनिवास	—	,,	—
21.	,, लीलाधर शर्मा	हाँ	—	हाँ
22.	,, सुरेश जोशी	—	हाँ	—
23.	,, नरेन्द्रकुमार	—	,,	—

1		2	3	4	5
24.	श्री	गोपाल कंसारा	—	हाँ	—
25.	,,	गिरीराजसिंह	हाँ	—	हाँ
26.	,,	भैरूलाल II	—	हाँ	—
27.	,,	महीपालसिंह	—	,,	—
28.	,,	रुस्तम मोहम्मद	—	,,	—
29.	,,	करणसिंह	—	,,	—
30.	,,	मदनलाल शर्मा	हाँ	—	हाँ
31.	,,	रामप्रताप	—	हाँ	—
32.	,,	भगवतसिंह	—	,,	—
33.	,,	राधेश्याम	—	,,	—
34.	,,	रमेशचन्द	—	,,	—
35.	,,	मोहनलाल	हाँ	—	हाँ
36.	,,	आबिद हुसैन	—	हाँ	—
37.	,,	भंवरसिंह	—	—	हाँ
38.	,,	जमालुद्दीन	हाँ	—	,,
39.	,,	राजेन्द्रपालसिंह	—	हाँ	—
40.	,,	शफी मोहम्मद	हाँ	—	हाँ
41.	,,	कैलाशचन्द्र	—	हाँ	—
42.	,,	शिवसिंह	हाँ	—	हाँ
43.	,,	गोडूराम	,,	—	,,
44.	,,	नारायणसिंह	—	हाँ	—
45.	,,	मोहम्मद शब्बीर	—	,,	—
46.	,,	हीरालाल	हाँ	—	हाँ
47.	,,	दशरथसिंह	—	हाँ	—
48.	,,	राजेन्द्रप्रसाद	हाँ	—	हाँ

५३८

1	2	3	4	5
49.	श्री माधवलाल	—	हाँ	—
50.	,, प्रभूसिंह	—	,,	—
51.	,, हनुमानसिंह	—	,,	—
52.	,, ब्रह्मदत्त शर्मा	—	,,	—
53.	,, नाथूलाल	हां	—	हाँ
54.	,, गिरीराजसिंह II	—	हाँ	—
55.	,, मोहम्मद असलम	हां	—	हां
56.	,, रामनिवास	,,	—	,,
57.	,, सत्यनारायण धाबाई	—	हाँ	—
58.	,, कैलाश अनाणी	—	,,	—
59.	,, हीरालाल	—	,,	—
60.	,, नारायणसिंह II	हाँ	—	हाँ
61.	,, सुरेन्द्रसिंह	—	हाँ	—
62.	,, शंकरलाल	—	,,	—
63.	,, मोहम्मद हकीम	—	,,	—
64.	,, मनीराम	—	,,	—
65.	,, हरीप्रसाद सैन	—	,,	—
66.	,, मोहम्मद कुरेशी	—	,,	—
67.	,, कैलाश आचार्य	—	,,	—
68.	,, भंवरसिंह	—	,,	—
69.	,, कन्हैयालाल	—	,,	—
70.	,, उत्तमचन्द	हां	—	हाँ
71.	,, स्वरूपसिंह	—	हाँ	—
72.	,, तेजसिंह	हां	—	हां
73.	,, ख्वाजा हुसैन	,,	—	,,

1	2	3	4	5
74.	श्री इन्द्रचन्द	—	हां	—
75.	,, देवकीनन्दन	—	,,	—
76.	,, सुरेश मून्दड़ा	—	,,	—
77.	,, लक्ष्मणसिंह	हां	—	हां
78.	,, गणपतसिंह	हां	—	,,
79.	,, अजीज रहमान	—	हां	—
80.	,, कन्हैयालाल	हां	—	हां
81.	,, रमेशचन्द्र शर्मा	,,	—	,,

वर्ष 1983 भीलवाड़ा आगार

1.	श्री कैलाश स्वर्णकार	—	हां	—
2.	,, युसुफ अली	हां	—	हां
3.	,, सांवरलाल	,,	—	,,
4.	,, भंवरलाल सैन	,,	—	,,
5.	,, अर्जुनसिंह	,,	—	,,
6.	,, श्दामलाल सैन	,,	—	,,
7.	,, नाथूसिंह	,,	—	,,
8.	,, इकबाल हुसैन	—	हां	—
9.	,, जगदीश चौधरी	—	,,	—
10.	,, मुश्ताक मोहम्मद	—	,,	—
11.	,, मोहम्मद हकीम	हां	—	हां
12.	,, गोपालसिंह खीडिया	,,	—	,,
13.	,, लक्ष्मणलाल कारी	,,	—	,,
14.	,, हरिनारादण जोशी	—	हां	—
15.	,, जवाहरसिंह	—	,,	—

४४०

1		2	3	4	5
16.	श्री	रतनलाल चौधरी	—	—	हाँ
17.	,,	रामस्वरूप रूणीवाल	—	—	,,
18.	,,	माधोलाल धाकड़	—	—	,,
19.	,,	अब्दुल कदीर	—	हां	—
20.	,,	लालसिंह	हाँ	—	हाँ
21.	,,	रिखबचन्द	,,	—	,,
22.	,,	विरभदेव गुर्जर	—	—	,,
23.	,,	बनवारीलाल	—	हाँ	—

अलवर—1982

1.	श्री	सुभाषचन्द	हाँ	×	×
2.	,,	रामखिलाड़ी	×	हाँ	×
3.	,,	पहलवानसिंह	×	,,	×
4.	,,	रामलाल	×	,,	×
5.	,,	सुरेशचन्द	×	×	हाँ
6.	,,	प्रकाशकुमार	हाँ	×	×
7.	,,	फूलचन्द	×	हाँ	×
8.	,,	सुमतचन्द	हाँ	×	×
9.	,,	सुबेसिंह	,,	×	×
10.	,,	उम्मेदसिंह	×	हाँ	×
11.	,,	नरेन्द्र	×	,,	×
12.	,,	सुखराम	×	,,	×
13.	,,	राधेश्याम	हाँ	×	×
14.	,,	सूबे खाँ	×	हाँ	×
15.	,,	नवलसिंह	हाँ	×	×

1	2	3	4	5
16.	श्री नन्दलाल	×	×	हाँ
17.	,, रामकृष्ण	×	×	,,
18.	,, रामकिशोर	×	×	,,
19.	,, सन्तलाल	×	×	,,
20.	,, रामनिवास	×	×	,,
21.	,, रमेशचन्द	×	×	,,
22.	,, सोदानसिंह	हाँ	×	×
23.	,, रामेश्वर	,,	×	×
24.	,, श्योदान खाँ	,,	×	×
25.	,, ओमप्रकाश	×	हाँ	×
26.	,, ओमप्रकाश	हाँ	×	×
27.	,, नत्थूराम	×	हाँ	×
28.	,, रामकरण	हाँ	×	×
29.	,, प्रकाशकुमार	,,	×	×
30.	,, सुधीरकुमार	,,	×	×
31.	,, सुरेशसिंह	,,	×	×
32.	,, प्रकाशचन्द	,,	×	×
33.	,, सुशीलकुमार	,,	×	×
34.	,, प्रहलादसिंह	,,	×	×
35.	,, स्वरूपकुमार	,,	×	×
36.	,, विजेन्द्रकुमार	,,	×	×
37.	,, राजेन्द्रकुमार	,,	×	×
38.	,, रिद्धाराम	,,	×	×
39.	,, रामगोपाल	,,	×	×
40.	,, हुकमचन्द	,,	×	×

1	2	3	4	5
41.	श्री अमरसिंह	हाँ	×	×
42.	,, हरगोविन्द	,,	×	×
43.	,, शंकरसिंह	,,	×	×
44.	,, कैलाशचन्द	,,	×	×
45.	,, पूरणमल	,,	×	×
46.	,, महेशचन्द	,,	×	×
47.	,, कन्हैयालाल	,,	×	×
48.	,, कबूलचन्द	,,	×	×
49.	,, बृजकिशोर	,,	×	×
50.	,, घनश्याम	×	हाँ	×
51.	,, शिवकुमार	×	,,	×
52.	,, मदनलाल	हां	×	×
53.	,, छोटूराम	×	हाँ	×
54.	,, साहिबसिंह	हां	×	×
55.	,, सुरजीतसिंह	×	हाँ	×
56.	,, सुभाष	×	×	हाँ

वर्ष 1983

1.	श्री रामकुमार	हाँ	×	×
2.	,, श्यामसिंह	,,	×	×
3.	,, सुगनसिंह	,,	×	×
4.	,, बक्साराम	×	हाँ	×
5.	,, मुकेशकुमार	×	,,	×
6.	,, रामप्रसाद	×	,,	×

1	2	3	4	5
7.	श्री भवानीशंकर	हां	×	×
8.	,, कन्हैयालाल	,,	×	×
9.	,, किशनचन्द	×	×	हां
10.	,, बालकिशन	×	हां	×
11.	,, राधामोहन	हां	×	×
12.	,, श्रवणकुमार	×	हां	×
13.	,, कपूरचन्द	हां	×	×
14.	,, छाजूसिंह	,,	×	×
15.	,, चन्दराम	,,	×	×
16.	,, पुष्पेन्द्रकुमार	×	हां	×
17.	,, करतारसिंह	हां	×	×
18.	,, बालकृष्ण	×	हां	×
19.	,, शिवराम	×	×	हां
20.	,, त्रिलोकसिंह	हां	×	×
21.	,, धर्मचन्द	×	हां	×
22.	,, ईश्वरप्रसाद	×	×	हां
23.	,, कैलाशचन्द	×	×	[illegible]
24.	,, जगदीश जैन	×	×	[illegible]
25.	,, दाउद खां	×	×	[illegible]
26.	,, दीनदयाल	×	×	[illegible]
27.	,, नन्हे खां	हां	×	×
28.	,, प्रकाशचन्द	×	×	हां
29.	,, कजोड़सिंह	×	हां	×
30.	,, वेदप्रकाश	×	×	हां

1	2	3	4	5
31.	श्री सत्यप्रकाश	×	×	हां
32.	,, रामगोपाल	×	×	,,
33.	,, शिवचरणसिंह	हां	×	×
34.	,, फजरू खां	×	×	हां
35.	,, दिनेशकुमार	×	×	,,
36.	,, जुम्मे खां	×	×	,,

भरतपुर आगार–1982

1.	श्री करतारसिंह	हां	×	×
2.	,, रामसिंह	,,	×	×
3.	,, किशोरसिंह	,,	×	×
4.	,, हरदमसिंह	,,	×	×
5.	,, ओमेन्द्रसिंह	,,	×	×
6.	,, श्रीभगवान	,,	×	×
7.	,, उमरावसिंह	,,	×	×
8.	,, विश्वनाथसिंह	,,	×	×
9.	,, नारायणसिंह	×	हां	×
10.	,, रणवीरसिंह	×	×	हां
11.	,, मोतीसिंह	×	×	,,
12.	,, रणवीरसिंह	×	×	,,
13.	,, राजेन्द्र	×	हां	×
14.	,, प्रकाश मिश्रा	×	,,	×
15.	,, चरणसिंह	×	,,	×
16.	,, जयप्रकाश	×	,,	×
17.	,, हरीओम	×	,,	×

1	2	3	4	5
18.	श्री लक्ष्मीनारायण	×	हां	×
19.	,, भरतलाल	×	,,	×
20.	,, माणकचन्द	×	,,	×
21.	,, फूलसिंह	×	,,	×
22.	,, रामलाल	×	,,	×
23.	,, शिवकुमार	×	,,	×
24.	,, वीरनारायण	×	,,	×
25.	,, विजयसिंह	×	,,	×
26.	,, चन्दसिंह	हां	×	×
27.	,, गिर्राजप्रसाद	×	हां	×
28.	,, रामावतार	×	,,	×
29.	,, नरेन्द्रकिशोर	हां	×	×
30.	,, रामशरण	,,	×	×
31.	,, गोपालराम	×	हां	×
32.	,, भूदेवप्रसाद	×	,,	×
33.	,, हाकिमसिंह	हां	×	×
34.	,, बलवीरसिंह	,,	×	×
35.	,, रामकिशन	,,	×	×
36.	,, बाबूलाल	,,	×	×
37.	,, मोहनसिंह	×	हां	×

वर्ष 1983

1.	श्री देवीराम	×	हां	×
2.	,, कैलाशचन्द	×	×	हां
3.	,, दिनेशचन्द	×	हां	×

1		2	3	4	5
4.	श्री	अशोककुमार	×	हाँ	×
5.	,,	कुशालसिंह	हां	×	×
6.	,,	ओमप्रकाश	,,	×	×
7.	,,	चन्द्रप्रकाश	,,	×	×
8.	,,	जगदीशप्रसाद	×	हाँ	×
9.	,,	महावीरसिंह	हां	×	×
10.	,,	पदमसिंह	×	हाँ	×
11.	,,	तुलसीराम	×	,,	×
12.	,,	झुन्नीलाल	×	×	हाँ
13.	,,	पूर्णचन्द	हां	×	×
14.	,,	महेन्द्रसिंह	,,	×	×
15.	,,	श्यामलाल	,,	×	×
16.	,,	मानसिंह	,,	×	×
17.	,,	अब्दुल रहीम	×	हाँ	×
18.	,,	जगदीश	×	,,	×
19.	,,	मोहनलाल	×	,,	×
20.	,,	सुगनीराम	हां	×	×
21.	,,	सुरेशचन्द	,,	×	×
22.	,,	रेवतीलाल	,,	×	×
23.	,,	रामावतार	×	हां	×
24.	,,	गोकुलचन्द	हाँ	×	×
25.	,,	दीवानसिंह	,,	×	×
26.	,,	रामचरण	,,	×	×
27.	,,	श्योजीराम	×	हां	×

1	2	3	4	5
28.	श्री कोशलेशकुमार	×	×	हां
29.	,, मदनलाल	हां	×	×
30.	,, ताराचन्द	×	हां	×
31.	,, करतारसिंह	हां	×	×
32.	,, दयाराम	×	हां	×
33.	,, विजेन्द्रसिंह	×	,,	×
34.	,, बालकिशन	हां	×	×
35.	,, शेख बदरूदीन	,,	×	×
36.	,, बिशनचन्द	×	हां	×
37.	,, मक्खनसिंह	×	,,	×
38.	,, हम्बीरसिंह	×	,,	×
39.	,, जगनसिंह	हां	×	×
40.	,, ओमप्रकाश	×	हां	×
41.	,, रमेशचन्द	×	,,	×
42.	,, मुरारीलाल	×	,,	×
43.	,, गोपालसिंह	हां	×	×
44.	,, हरीसिंह	,,	×	×
45.	,, खेमचन्द	×	हां	×
46.	,, लोकेन्द्रनाथ	×	,,	×
47.	,, मोड़राम	×	,,	×
48.	,, नवलकिशोर	हां	×	×
49.	,, तेजवीरसिंह	,,	×	×
50.	,, दुलीचन्द	,,	×	×
51.	,, श्यामलाल	,,	×	×
52.	,, खेमचन्द	×	हां	×

1	2	3	4	5
कोटपूतली आगार 1982				
1.	श्री टेकाराम	हां	×	हां
2.	,, राजेन्द्रसिंह	×	हां	×
3.	,, रमाकान्त	×	,,	×
4.	,, विजयसिंह	हां	×	हां
5.	,, किशनसिंह	,,	हां	×
6.	,, चन्द्रभान	×	हां	×
7.	,, गोपाललाल	×	,,	×
8.	,, राजेशकुमार	×	,,	×
9.	,, मनोहरलाल	×	,,	×
10.	,, रामेश्वरदयाल	हां	×	हां
11.	,, पतराम	×	हां	×
12.	,, प्यारेलाल	×	,,	×
13.	,, विजयसिंह	हां	×	हां
14.	,, चन्द्रसिंह	×	हां	×
15.	,, रामचरण	हां	×	हां
16.	,, धर्मचन्द	×	हां	×
17.	,, दाताराम	×	,,	×
18.	,, भागीरथमल	×	,,	×
19.	,, प्रकाशचन्द	हां	×	हां
20.	,, केदारनाथ	×	हां	×
21.	,, हरीसिंह	×	,,	×
22.	,, भगवानस्वरूप	हां	×	हां
23.	,, मुरारीलाल	,,	×	,,

1	2	3	4	5
24.	श्री चन्द्रभान	हाँ	×	हाँ
25.	,, बंशीलाल	×	हाँ	×
26.	,, छीतरमल	×	,,	×
27.	,, रेवड़मल	×	,,	×
28.	,, ओमप्रकाश	हाँ	×	हाँ
29.	,, दीनू खाँ	,,	×	,,
30.	,, लालसिंह	,,	×	,,
31.	,, नाथूलाल	×	हाँ	×
32.	,, सुरेशचन्द	×	,,	×
33.	,, महेशचन्द	हाँ	×	हां
34.	,, राम यादव	×	हाँ	×
35.	,, रामेश्वरलाल	हाँ	×	हाँ
36.	,, रूड़मल	,,	×	,,
37.	,, श्रीलाल	×	हाँ	×
38.	,, दिलीपसिंह	हाँ	×	हाँ
39.	,, ओमप्रकाश	,,	×	,,
40.	,, राधेलाल	,,	×	,,
41.	,, प्रकाशचन्द	×	हाँ	×
42.	,, रमेशचन्द	×	,,	×
43.	,, रामानन्द	×	,,	×
44.	,, हीरालाल	हाँ	×	हाँ
45.	,, सम्पत खां	×	हाँ	×
46.	,, ओमप्रकाश	हाँ	×	हाँ
47.	,, जतनसिंह	×	हां	×
48.	,, सुमेरसिंह	×	,,	×

(६१०)

1		2	3	4	5
49.	श्री	सुरजीतसिंह	हाँ	×	हाँ
50.	,,	रतनसिंह	×	हाँ	×
51.	,,	हेतराम	हाँ	×	हाँ
52.	,,	केदारनाथ	×	हाँ	×
53.	,,	आसीन खाँ	हाँ	×	हाँ

वर्ष 1983

1.	श्री	हरीचरणसिंह	×	हां	×
2.	,,	झावरमल	हां	×	हाँ
3.	,,	गुलाबसिंह	×	हां	×
4.	,,	जगदीशप्रसाद	हाँ	×	हाँ
5.	,,	लक्ष्मणप्रसाद	×	×	,,
6.	,,	रामेश्वरदयाल	×	हाँ	×
7.	,,	लीलाराम	×	,,	×
8.	,,	खेमचन्द	हाँ	×	हाँ
9.	,,	महेन्द्रकुमार	×	×	,,
10.	,,	रविराम	×	हां	×
11.	,,	महावीरप्रसाद	हाँ	×	हाँ
12.	,,	गुरुदयालसिंह	×	हाँ	×
13.	,,	हुकमसिंह	हां	×	हां
14.	,,	पूरणचन्द	×	हाँ	×
15.	,,	चरणसिंह	हां	×	हाँ
16.	,,	आनन्दीलाल	×	हां	×
17.	,,	रणवीरसिंह	हाँ	×	हाँ

(४५१)

1	2	3	4	5
18.	श्री खेमचन्द	,,	×	हाँ
19.	,, बहादुरमल	,,	×	,,
20.	,, रौजेखां	×	हां	×
21.	,, रामवतार	×	हाँ	×
22.	,, श्यामलाल	हां	×	हाँ
23.	,, किशोरसिंह	,,	×	,,
24.	,, रामकिशन	×	हाँ	×
25.	,, ख्यालीराम	,,	,,	×
26.	,, फूलचन्द	हाँ	×	×
27.	,, रतनसिंह	,,	×	×
28.	,, किशोरीलाल	,,	×	हाँ
29.	,, सुरेशचन्द	×	हां	×
30.	,, विरेन्द्रसिंह	×	,,	×
31.	,, रामचरण	×	,,	×
32.	,, झावरमल	×	,,	×
33.	,, रामनिवास	×	,,	×
34.	,, सुवालाल	×	,,	×
35	,, प्रेमसिंह	×	×	हाँ
36.	,, श्यामलाल	×	×	,,
37.	,, लक्ष्मण मीणा	×	हाँ	×
38.	,, छाजूराम	×	×	हां
39.	,, शान्तिलाल	हाँ	×	,,
40.	,, भगवानसहाय	×	×	,,
14.	,, लक्ष्मणसिंह	×	×	,,

1	2	3	4	5
42.	श्री रामगोपाल	×	×	हां
43.	,, प्रीतमसिंह	×	हां	×
44.	,, रमेशसिंह	×	×	हां
45.	,, महेशकुमार	हां	×	,,
46.	,, राधाकिशन	×	×	,,
47.	,, हीरालाल	×	×	,,

धौलपुर आगार–1982

1	2	3	4	5
1.	श्री कृष्णपालसिंह	×	हां	×
2.	,, हनुमानप्रसाद	हां	×	×
3.	,, सुभाषचन्द	×	हां	×
4.	,, राजेन्द्रप्रसाद	×	,,	×
5.	,, सुरेशचन्द	×	,,	×
6.	,, भगवानसिंह	×	,,	×
7.	,, रामगोपाल	हां	×	×
8.	,, चिमनलाल	,,	×	×
9.	,, राधेश्याम	×	हां	×
10.	,, खूबचन्द	हां	×	हां
11.	,, पूरणमल	,,	×	,,
12.	,, कमलेशकुमार	×	×	,,
13.	,, रामभजन	हां	×	,,
14.	,, बद्रीप्रसाद	,,	×	,,
15.	,, वीर्यसिंह	,,	×	,,
16.	,, हरीलाल	,,	×	,,

1	2	3	4	5
17.	श्री प्रेमनारायण	हाँ	×	हाँ
18.	,, हरसहाय	,,	×	×

वर्ष 1983

1	2	3	4	5
1.	श्री राजनलाल	हां	×	हां
2.	,, सुरेशचन्द	,,	×	,,
3.	,, विनोदसिंह	×	हाँ	×
4.	,, ओंकारसिंह	×	,,	×
5.	,, सावरमल	×	,,	×
6.	,, प्रेमनारायण	×	,,	×
7.	,, पूरणमल	×	,,	×
8.	,, हरीलाल	×	×	हाँ
9.	,, रामवीरसिंह	हाँ	×	,,
10.	,, गोविन्दसिंह	×	×	,,
11,	,, सुरेशसिंह	×	×	,,
12.	,, रामवतार	×	हाँ	×
13.	,, लक्ष्मणप्रसाद	×	×	हाँ
14.	,, रामभजन	×	×	,,
15.	,, सुरेन्द्रसिंह	हाँ	×	×
16.	,, रजनीकान्त	,,	×	,,
17.	,, राजेन्द्रप्रसाद	,,	×	हाँ
18.	,, रामदीन	,,	×	,,
19.	,, मुखत्यारसिंह	×	हां	×

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 1014 की सूचना

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कुल कार्यरत	भरे गये	
			अनु० जाति	जनजाति
1.	अधिकारी वर्ग	320	13	6
2.	लेखा वर्ग	322	2	1
3.	मंत्रालय वर्ग	1270	188	116
4.	यातायात वर्ग	5828	312	136
5.	तकनीकी वर्ग	7116	331	115

नोट : क्रम संख्या 4 व 5 में निहित परिचालकों एवं चालकों सम्बन्धित सूचना वर्ष 1982-83 के आँकड़ों पर आधारित है।

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 का प्रतिवेदन

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार (L.L. & P.G.) जयपुर वर्ष 1982-83

प्रस्तावना :

1. कार्य व्यवस्थापक	श्री वाई. एन. भार्गव
2. भण्डार अधीक्षक	श्री गोपालेश्वर दयाल शर्मा
3. उप-भण्डार निरीक्षक	श्री अजीमुद्दीन
4. उप-भण्डार निरीक्षक	श्री महेन्द्रसिंह गौड़
5. भौतिक सत्यापनकर्त्ता	श्री हुकमचन्द यादव
6. भौतिक सत्यापनकर्त्ता	श्री भंवरलाल वर्मा
7. भौतिक सत्यापनकर्त्ता	श्री नारायण लाल शर्मा
(अवधि 7-6-83 से	तक)

8. **भण्डार में सामान की स्थिति**—लीलैण्ड व पी. जी. स्टोर में सामान की कमी व बेसी की स्टॉक वैरीफिकेशन शीट साथ में संलग्न है।

9. लीलैण्ड ग्रुप में जो सामान अधिक पाया गया उसकी राशि 0.50 रुपये है।

   पी. जी. ग्रुप में जो सामान अधिक पाया गया उसकी राशि 1.15 रुपये हैं।

   पी. जी. ग्रुप में जो सामान कम पाया गया उसकी राशि 2.22 रु. है।

10. **स्थानीय क्रय**—स्वीकृति राशि 60,000 वार्षिक है।

    क्रय माह अप्रेल, 1983 से जुलाई, 1983 तक का मानचित्र संलग्न है।

11. माह अप्रेल, 1983 के केन्द्रीय भण्डार से जारी किये गये सामान का मिलान जी.आर.एस. से करने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

12. माह अप्रेल, 1983 की जी.आर.एस. से लेजर मिलान करने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।

13. लोन पर किसी प्रकार का सामान नहीं दिया गया है ।

14. चोरी गबन का कोई मामला नहीं पाया गया ।

विशेषः--कार सैक्शन के लिए जो सामान स्थानीय क्रय किया जाता है उसे केवल जी.आर.एस. मात्र में ही चढ़ाकर वही सामान एस.आर.एस. से काम सैक्शन को जारी कर दिया जाता है इसके खाते उपलब्ध नहीं हैं तथा न ही बिन-कार्ड उपलब्ध हैं जबकि स्थानीय क्रय के सामान को खातों में जमा करना अति-आवश्यक है । पूर्व में भी वर्ष 1981 सितम्बर में भौतिक सत्यापन के दौरान अंकेक्षण दल के द्वारा कार सैक्शन के स्थानीय क्रय के सामान को भण्डार लेजर व बिन कार्ड दोनों में ही इन्द्राज न होने का एतराज जाहिर कर कार्य व्यवस्थापक (लि.) जयपुर को भविष्य में खाते खोलने हेतु निर्देशार्थ श्रीमान् को आडिट रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था । अतः पुनः इस बार निवेदन है कि कार्य व्यवस्थापक को पत्र लिखकर शीघ्र खाते खोलने के निर्देश दिलावें ।

हस्ताक्षर

(एस० सी० यादव)

स्टोर वैरीफायर

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन टूल रूम केन्द्रीय कार्यशाला लीलैण्ड, जयपुर वर्ष 1983–84

1. प्रस्तावना :

कार्यशाला प्रभारी	श्री वाई. एन. भार्गव, कार्य व्यवस्थापक योजना
भण्डार अधीक्षक	श्री गोपालेश्वर दयाल
टूल रूम प्रभारी	श्री बाबूलाल शर्मा, यांत्रिक प्रथम श्रेणी

2. भौतिक सत्यापन दल :

भण्डार संस्थापक	श्री विश्वनाथ शर्मा
कनिष्ठ लेखाकार	कोई नहीं

3. सत्यापन अवधि :

सत्यापन का कार्य दिनांक 25-2-84 से प्रारम्भ करके दिनांक 2-3-84 को समाप्त किया गया है।

4. टूल रूम के सामान की स्थिति :

सत्यापन के समय टूल रूम में टूल आदि की स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई है—

(1) सत्यापन के दौरान टूल रूम में संधारित खातों की शेष मात्रा में कम मात्रा में टूल पाये गये हैं जिसका पूर्ण धन 1264.57 रुपया है। कम मात्रा में पाये गये टूल आदि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रतिवेदन के साथ दो पत्रों में संलग्न है।

(2) सत्यापन के समय टूल रूम में संधारित खातों की शेष मात्रा से अधिक मात्रा में टूल आदि पाये गये हैं जिनका पूर्ण धन 1493.73 रुपया है।

अधिक मात्रा में पाये गये टूल आदि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रतिवेदन के साथ दो पत्रों में संलग्न है।

(3) कम एवं अधिक मात्रा में पाये गये टूल आदि का समायोजन सत्यापन दल द्वारा सम्बन्धित खातों में कर दिया गया है।

(4) कम एवं अधिक मात्रा में पाये गये टूल आदि के हेतु श्री बाबूलाल शर्मा यांत्रिक प्रथम श्रेणी टूल रूम प्रभारी के रूप में पूर्ण उत्तरदायी है।

5. टूल रूम में लेजरों की स्थिति :

सत्यापन के समय में टूल रूम में संधारित लेजरों की स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई है---

(1) मुख्यालय के आदेशानुसार टूल रूम द्वारा वर्ष 1983-84 के हेतु नये लेजर दिनांक 1-4-83 से प्रारम्भ किये गये हैं जिनमें गत वर्ष के लेजरों का अन्तिम शेष स्थानान्तरण किया गया है परन्तु शेष मात्रा का स्थानान्तरण करने के पश्चात् नियमानुसार कार्यशाला प्रभारी से प्रमाणित नहीं कराया गया है।

(2) संधारित खातों में टूल आदि का मूल्य नहीं दर्शाया गया है जो एक मुख्यालयों के आदेशों की अवहेलना है। मूल्य न दर्शाने के क्रम में सत्यापन दल द्वारा टूल रूम प्रभारी से पूछा गया तो उसने प्राप्त चालानों पर मूल्य सूची प्राप्त न होना बताया है। भविष्य में चालानों पर मूल्य सूची भिजवाने की व्यवस्था कराना आवश्यक है।

(3) टूल रूम द्वारा लेजरों पर मुख्यालय से प्राप्त लेजर फोलियो नम्बर अंकित नहीं किये गए हैं परन्तु स्वयं अपने लेजर फोलियो अंकित किए हैं।

(4) कार्यशाला प्रभारी जी एवं भण्डार अधीक्षक जी द्वारा टूल रूम के खातों एवं सामान का निरीक्षण नहीं किया जाता है।

6. प्राप्त चालानों के जी० आर० एस० के मिलान की स्थिति :

टूल रूम प्रभारी द्वारा टूल आदि की प्राप्ति के चालानों से नियमानुसार जी. आर. एस. नहीं बनाई जाती है जो नियमानुसार उचित नहीं है। जी.आर.-एस. नहीं बनाये जाने के कारण सत्यापन दल चालानों का मिलान जी.आर. एस. से नहीं कर सका।

7. जी. आर. एस. के लेजर पोस्टिंग के मिलान की स्थिति :

टूल रूम प्रभारी द्वारा प्राप्त सामानों के चालानों की जी. आर. एस. न बनाकर चालानों के द्वारा ही खातों में सामान की प्राप्ति अंकित की जाती है जो नियमानुसार उचित नहीं है। जी. आर. एस. न बनाये जाने के कारण लेजर पोस्टिंग का मिलान सत्यापन दल लेजरों से नहीं कर सका है।

8. प्राप्त सामान के चालानों से लेजर पोस्टिग के मिलान की स्थिति :

सत्यापक दल द्वारा दिनाँक 6-4-84 से 25-3-84 तक की अवधि में प्राप्त टूल के चालानों से लेजर पोस्टिग का मिलान किया गया है।

(1) दिनांक 8-8-83 को चालान संख्या 221 के द्वारा स्पेनर सैट लिलैण्ड व टाटा के जमा कराये गए थे परन्तु टूल रूम प्रभारी द्वारा सम्बन्धित खातों में अंकन नहीं किया गया है।

(2) दिनांक 27-4-83 को चालान संख्या 418308 के द्वारा एक नम्बर 114 × 3116 का जमा कराया गया था परन्तु टूल रूम प्रभारी द्वारा एक नम्बर से लेजर फोलियो नम्बर 7 टी. पी. 1 तथा 47 टी. पी. 1 अंकित किये गये इस प्रकार से एक स्पेनर अधिक अंकित किया गया है।

(3) दिनाँक 28-4-83 को चालान संख्या 418308 के द्वारा कार्यशाला से टूल जमा कराये गए थे परन्तु चालान में क्रमांक 4 एवं 5 पर अंकित टूलों की मात्रा नहीं दर्शाई गई है परन्तु टूल रूम प्रभारी द्वारा दोनों का अंकन एक-एक नम्बर से खातों में किया है।

(4) दिनांक 9-2-84 को चालान संख्या 418159 के द्वारा एक नम्बर रिंग स्पेनर 14 × 15 का जमा कराया गया था परन्तु उक्त स्पेनर का अंकन लेजर में नहीं किया गया है।

(5) दिनांक 18-2-84 को चालान संख्या 244841 के द्वारा डी०ई०स्पेनर 1/4 × 5116 के 2 नम्बर जमा कराये गए थे परन्तु लेजर फोलियो नम्बर 4 टी.पी. 1 पर मात्र एक नम्बर का अंकन किया गया है इस प्रकार से 1 नम्बर स्पेनर का है।

उपरोक्त अनियमितताओं के हेतु टूल रूम प्रभारी से पूछा जाना आवश्यक है।

9. एस.आर.एस. से लेजर पोस्टिग से मिलान की स्थिति :

सत्यापन दल द्वारा दिनांक 6-4-83 से 24-2-84 तक एस. आर. एस. से लेजर पोस्टिग का मिलान किया गया है। मिलान करने पर अग्रलिखित अनियमिततायें पाई गई हैं :—

(1) दिनांक 22-4-83 को एस.आर.एस. संख्या 205012 के द्वारा रिंग स्पेनर सैट एक सैट जारी किया गया था परन्तु लेजर में अंकन नहीं किया गया है।

(2) दिनांक 27-4-83 को एक वालडाई एस.आर.एस. संख्या 204782 के द्वारा जारी की गई थी परन्तु लेजर में पोस्टिंग डाई Assorted साइज में लेजर फोलियो नम्बर 166 टी.पी. 1 में की गई है।

(3) दिनांक 29-4-83 को एस.आर.एस. संख्या 221607 पर अंकित क्रमांक 5 पर रिंग स्पेनर 1/2 × 9116 पर एन.ए. दिया है उसके पश्चात् एस.आर.एस. पर लेजर फोलियो नंबर 49 टी.पी. 1 में अंकित करने पर लेजर फोलियो नम्बर 94 टी.पी. 1 में अंकन किया गया है।

(4) दिनांक 11-5-83 को एस.आर.एस. संख्या 171675 के द्वारा रिंग स्पेनर सैट एक सेट पाने का जारी किया गया था परन्तु लेजर में अंकन नहीं किया गया है।

(5) दिनांक 15-7-83 को एस.आर.एस. संख्या 050467 के द्वारा साकिट 318 का एक नम्बर जारी किया गया था परन्तु लेजर में अंकन नहीं किया गया है।

(6) दिनांक 8-8-83 को एस. आर. एस. संख्या 475593 के द्वारा रिंग स्पेनर 2 सैट तथा फिक्स स्पेनर सैट 2 सैट जारी किये गये थे परन्तु लेजर में अंकन नहीं किया गया है।

(7) दिनांक 11-10-83 को एस.आर.एस. संख्या 281479 के द्वारा जैक राड सहित एक नम्बर जारी किया गया था परन्तु लेजर में पोस्टिंग नहीं की गई है।

(8) दिनांक 3-12-83 को एस.आर.एस. संख्या 035818 पर क्रमांक 1, 2 तथा 6 से 10 के टूल पर एन.ए. का अंकन किया गया था परन्तु बाद में उसकी काट कर सम्बन्धित लेजरों में सामान की पोस्टिंग कर दी है।

(9) दिनांक 2-2-84 को एस.आर.एस. संख्या 930044 के द्वारा रिंग स्पेनर 8-9 का एक नम्बर जारी किया गया था परन्तु लेजर पोस्टिंग नहीं की गई है।

(10) दिनांक 17-9-83 को एस.आई. सी. सं० 416360 के द्वारा साकिट 1/4 × 5116 का एक नम्बर जमा किया गया गया था परन्तु लेजर में पोस्टिंग नहीं की गई है।

10. टूल रूम की स्थिति :

टूल रूम में एक यांत्रिक प्रथम श्रेणी कार्यरत है जिनको कार्यशाला से सम्बन्धित अन्य शाखाओं के कार्य का भी उत्तरदायित्व दिया हुआ है जिसके कारण टूल रूम का कार्य नियमानुसार नहीं हो पाता है। टूल रूम ने बिन ब्लाकों की अत्यधिक कमी है जिसके कारण टूल आदि अव्यवस्थित दशा में पड़े रहते हैं एवं समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। टूल रूम के हेतु व्यवस्था बिन ब्लाकों की शीघ्र कराना आवश्यक है।

टूल रूम प्रभारी से अन्य शाखाओं के कार्य अन्य कर्मचारियों को दिलाया जाना आवश्यक है जिससे टूल रूम का कार्य नियमानुसार समापन हो सके।

11. अप्रयोगिक दशा के टूल की स्थिति :

टूल रूम में कुछ टूल इस प्रकार के उपलब्ध हैं जो एक लम्बे समय से कार्य में नहीं आये हैं तथा न आने की सम्भावना है इस प्रकार के टूल की सूची श्रीमान् कार्य व्यवस्थापक से प्राप्त केन्द्रीय भण्डार में जमा कराये जाने की व्यवस्था कराना आवश्यक है।

12. कर्मचारियों को जारी टूल की स्थिति :

टूल रूम द्वारा निगम कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा लोन पर टूल आदि प्राप्त किये थे जिनको नियमानुसार पुनः टूल रूम में जमा कराया जाना चाहिए था परन्तु एक लम्बी अवधि व्यतीत होने पर भी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा टूल जमा नहीं कराये हैं।

इस प्रकार के कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "इ" पर प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

संलग्न सूची में अंकित कर्मचारियों से टूल आदि जमा कराने अथवा कटौती की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

13. त्रिपाल एवं रस्सों की स्थिति :

टूल रूम में त्रिपाल एवं रस्सा आदि अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है जो कार्य में नहीं आ रहे हैं तथा भविष्य में खराब होने की सम्भावना है।

अतः उक्त त्रिपाल आदि को सम्भागीय अथवा केन्द्रीय भण्डार में जमा कराया जाना आवश्यक है जिससे उक्त सामान खराब न हो।

14. विचार-विमर्श करने वाले अधिकारी का नाम :

श्री मोहनसिंह गढवाल
सहायक यान्त्रिक अभियन्ता,
केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर

हस्ताक्षर
(विश्वनाथ शर्मा)
भण्डार सत्यापक
मुख्यालय, जयपुर

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन टूल रूम केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर वर्ष अक्टूबर, 1973 से अप्रेल, 1983 तक

श्रीमान् लेखाधिकारी, स्टोर एवं लेजर के आदेश संख्या 967 दिनांक 15-3-83 के क्रम में टूल रूम केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर का भौतिक सत्यापन किया गया। उस समय निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे—

1	2	3
1.	कार्य व्यवस्थापक (योजना)	सर्वश्री एस.एम. लोंकर 9-8-73 से 23-6-74 तक श्री एस. पी. टण्डन 27-6-77 से 24-7-78 तक श्री आई. ओ. कैसलस 24-7-78 से 31-11-78 तक श्री आर. एस. नवल 15-11-78 से 5-1-81 तक श्री आई.बी.सिह 3-1-81 से लगातार
2.	संभाग यान्त्रिक अभियन्ता	श्री के. सी. माथुर 16–7–74 से 5–2–76 श्री पी. एन. कुलश्रेष्ठ 14–2–76 से 19–4–76 5–3–77 से 7–9–78 श्री एस. के. गोयल 10–8–79 से 29–7–81 श्री बी. एल. गुप्ता अगस्त, 81 से जनवरी, 82 श्री ए. के. खन्ना फरवरी, 82 से अक्टूबर, 82 श्री बी. एल. गुप्ता नवम्बर, 82 से लगातार

(2464)

1	2	3
3.	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	श्री नारायणसिंह चौहान (स. या. अ.)
		श्री बी.एल. गुप्ता (ट्रेनिंग) ,,
		श्री एस. पी. मंगल ,,
		श्री एस. एन. आसोपा ,,
		श्री एस. के. गोयल ,,
		श्री नरेश माथुर (कनिष्ठ अभियंता)
		श्री एस. एम. बसक ,,
		श्री ए. बी. सिंह ,,
		श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा ,,
		श्री बी. आर. रूलानिया स. या. अभि. 81 से लगातार
4.	वरिष्ठ कार्यदेशक/कनिष्ठ कार्यदेशक	श्री चम्पालाल शर्मा (वरिष्ठ कार्यदेशक)
		श्री बाबूलाल शर्मा ,,
		श्री गोपालसिंह (क. कार्यदेशक) 1977 से लगातार
		श्री नानकचन्द (क. कार्यदेशक) 1977 से 1978 तक व 1982 से लगातार

5. टूल रूम में कार्यरत कर्मचारी—

श्री मोतीसिंह प्रथम श्रेणी	1978 से 1979 तक
श्री चन्द्र शेखर चार्जमैन	1978 से 1979 तक
श्री आर. के दिनकर एस.एस.आई.	1976 से 1978 तक
श्री राधेश्याम शर्मा ,,	1977 से 1978 तक
श्री ललितकिशोर अरोड़ा ,,	1974 से 1975 तक
श्री प्रेम कच्छावाहा चार्ज०	1977 से 1978 तक
श्री राधेश्याम II के. का. जयपुर	1973 से 1975 तक

श्री रमेश शर्मा ग्रेड–2 हिण्डौन आगार	1974 से 1976 तक
श्री भगवतस्वरूप कनिष्ठ कार्य०	1973 से 1975 तक
श्री टीकमचन्द टर्नर 2	1976 से 1978 तक
श्री भैरूसिंह ,,	1976 से 1978 तक
श्री चेतनस्वरूप ,,	1977 से 1978 तक
श्री परितोषसिंह ,,	1977 से 1978 तक
संभाग कार्यशाला, जोधपुर	
माँगीलाल प्रथम टर्नर	1970 से लगातार
श्री श्यामसिंह टर्नर 2	1976 से लगातार
श्री अशोककुमार भोगावत टर्नर 2	1977 से लगातार
6. भौतिक सत्यापनकर्त्ता	श्री एम. डी. शर्मा
7. कनिष्ठ लेखाकार	श्री नारायणप्रसाद शर्मा
8. वरिष्ठ लिपिक	श्री भंवरलाल वर्मा
9. भौतिक सत्यापन अवधि	16-3-83 से 26-3-83 31-3-83 से 15-4-83

10. टूल रूम की सामान्य स्थिति :

(1) भौतिक सत्यापन दल ने आकर दिनांक 16-3-83 को जब टूल रूम का निरीक्षण किया तो पाया कि सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है तथा अक्टूबर, 73 से आज तक केवल मात्र टूल रूम में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा केवल सोक रजिस्टर दो खोल रखे हैं तथा जो सामान जनरल स्टोर केन्द्रीय कार्यशाला से प्राप्त किया जाता है उसे अगर वास्तविक दस किस्म का सामान है तो उसका इन्द्राज एक ही पेज पर कर दिया जाता है जिससे वास्तविक सामान का पता नहीं चल सकता है।

(2) दल ने यह चाहा कि इस टूल रूम के स्टोर इस्यू चालान जो जनरल ग्रुप से सामान प्राप्ति के थे तथा एस. आर. एस. जो सामान जारी करने की थी। अक्टूबर, 73 से स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जावे जिससे कि वास्तविक सामान की शोर्टेज व एक्सेस की जानकारी मालूम पड़ सके। किन्तु आवश्यक कागजात देखने पर मालूम पड़ता है कि

1973 से जून 1977 तक के एस. आई. सी. व 1973 से नवम्बर, 1976 तक की एस. आर. एस. गायब हैं जिससे यह वास्तविक स्थिति मालूम नहीं पड़ सकती है कि कितना सामान कम है या ज्यादा है।

(3) टूल से अपने पत्र स्पेशल नं० 2 दिनांक 17-5-83 के द्वारा लेखाधिकारी लेजर को यह भी वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए यहाँ के उच्चाधिकारी को अवगत कराया तथा अपने स्पेशल पत्र संख्या 3 दिनांक 21-3-83 के द्वारा लेखाधिकारी लेजर को सूचित करते हुए दल ने ग्राउण्ड बैलेंस पर टूल रूम का सत्यापन किया तथा दिनांक 20-3-83 तक आवश्यक कागजातों पर नम्बरिंग का कार्य किया जिससे गायब रिकार्ड की जानकारी मिल सके।

(4) ग्राउण्ड बैलेंस भौतिक सत्यापन करते हुए दल ने 630 किस्म के आईटम की सूची बनाई तथा उपरोक्त सामान का इन्द्राज अपने हाथ से पाँच स्टॉक रजिस्टर में किया जिससे कि भविष्य में कार्य सुचारू रूप से चल सके।

(5) मौके पर दल को एस.आई.सी./एस.आर.एस. व स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य पत्रावलियाँ जो भी टूल रूम से सम्बन्धित थीं उनको दल ने सीरियल नम्बर लगाकर टूल रूम कर्मचारियों के सम्मुख उन्हीं को मौके पर सौंप दी हैं जिससे वे अपना 1973 से अब तक के सामान की स्टॉक एन्ट्री करके पुराने रिकॉर्ड को पूरा कर सकें। जो कागजात दल को मिले उन का अवलोकन परिशिष्ट-अ पर करें।

(6) दल ने जो टूल रूम में ग्राउण्ड बैलेंस के आधार पर जो लिस्ट बनाई है जिसमें कि 630 किस्म का सामान है उसका करीबन 50 किस्म का सामान दो या तीन बार रिपीट हो चुका है क्योंकि जो सामान सर्विसेबिल यूज्ड था उसको की दल ने नये स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया है। उसका अवलोकन परिशिष्ट-बी पर करें।

(7) टूल रूम में रोजमर्रा की पंजिका में दल ने दिनांक 24-3-83 को 2 कॉलम और बढ़ाये हैं जिससे सामान जमा कराते समय जमा कराने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर व सामान प्राप्त करने वाले भण्डार कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है।

(8) दल ने दिनांक 5-4-83 को टूल रूम में कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश दिये कि जो कर्मचारी प्रथम व द्वितीय पारी में आवेगा वो रोजाना

अपने हस्ताक्षर मय पद पूरे नाम के रोजाना सामान जारी व प्राप्ति पंजिका में दर्ज करेगा जिससे भविष्य में यह मालूम पड़ सके कि कौन कर्मचारी ड्यूटी पर थे ।

(9) टूल रूम भण्डार में कमी या बेसी का जब ही मालूम पड़ सकता है जबकि अक्टूबर 73 से पूर्ण सामान प्राप्ति चालान को स्टॉक में इन्द्राज कराया जाये तथा जो सामान कर्मचारियों को जारी किया गया है उसका स्टॉक रजिस्टर में जारी दर्शाया जावे चूँकि यह कार्य 10 वर्ष पुराना है अतः काफी समय लग सकता है जबकि यह कार्य यहाँ के कर्मचारियों द्वारा ही किया जा सकता है । अतः इसको पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये जावें ।

(10) सामान की कमी व अधिक की जिम्मेवारी दल ने पूर्ण रूप से टूल रूम में काम करने वाले प्रतिवेदन क्रमांक 5 पर कार्यरत कर्मचारियों पर डाली है क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड गायब होने की सूचना किसी भी उच्चाधिकारी को नहीं दी तथा शुरू से ही रिकार्ड सही ढंग से मैनटेन नहीं किया अगर रिकॉर्ड मैनटेन करना नहीं जानते थे तो इसकी भी सूचना किसी उच्चाधिकारी को देनी चाहिये थी जिससे कि समय पर और कोई प्रबन्ध किया जाता ।

11. एक वर्ष से काम में न आने वाले सामान का विवरण :

(ए) परिशिष्ट-बी पर दर्शायी गई लिस्ट के सीरियल नम्बर 524 पर अंकित सामान आठ साल से काम में नहीं आ रहा है तथा भविष्य में भी इन्चेज साइज होने के कारण कार्य में नहीं आ सकता ।

(ब) परिशिष्ट-बी पर दर्शायी गई लिस्ट के सीरियल नम्बर 552 पर अंकित सामान 1977 से काम में नहीं आ रहा है जबकि यह सामान रिजेक्ट है तथा इसे स्थानीय खरीद किया गया है ।

12. स्थानीय क्रय :

(ए) परिशिष्ट-बी पर दर्शायी गई लिस्ट के क्रमांक नम्बर 90 पर ग्राइंडिग व्हील सफेद 11 नम्बर स्टॉक में होते हुए भी दिनांक 9-3-83 बिल नम्बर 4360 को एम. एस. जैन हार्डवेयर, अजमेर से दो नम्बर 41/- के हिसाब से कुल 82/- के खरीदे गये ।

(ब) परिशिष्ट-बी पर दर्शायी गई लिस्ट पर क्रमांक संख्या 94 पर पार्टिंग व्हील नम्बर 4/38 देहली से स्थानीय खरीद किया गया था जबकि इसकी एक्सपायर्ड डेट जून, 1982 में ही खत्म हो चुकी है परन्तु ये आज भी भण्डार में पड़ा हुआ है। चूँकि दल को वास्तव में यह जानकारी नहीं मिल सकी कि यह कब खरीदा हुआ है तथा इसकी कीमत क्या है। क्योंकि इसके मूल कागजात गायब हैं व सही ढंग से रिकॉर्ड मेंनटेन नहीं है।

13. लेजर पोस्टिंग :

दल ने यह पाया कि यहाँ पर लेजर सही ढंग से मेंनटेन नहीं किये जा रहे हैं फिर भी यहां पर एस. आई. सी. उपलब्ध हैं उनका मिलान करने के लिए मूल एस. आई. सी. केन्द्रीय भण्डार, जयपुर जी. एम. ग्रुप से 1973 से मार्च, 1976 तक तथा जी. एम. ग्रुप केन्द्रीय भण्डार, अजमेर से अप्रैल, 76 से अब तक के एस. आइ. सी. अपने स्पेशल पत्र क्रमांक 4 एवं 5 दिनांक 22-3-83 को सम्बन्धित स्टोर इन्चार्ज को सूचित करते हुए अपना मूल रिकार्ड अपने दल को भेजने हेतु कहा तथा दल ने अपना एक प्रतिनिधि भी जयपुर केन्द्रीय भण्डार में रिकार्ड लाने के लिए भेजा परन्तु उसे रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया व आज दिनांक 15-4-83 तक भी रिकार्ड नहीं भेजा गया है न ही केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर जी. एस. ग्रुप से रिकार्ड उपलब्ध करवाया गया है तथा न ही इन्होंने उपरोक्त पत्र का जवाब दल को प्रेषित किया है अतः दल ने इसकी जिम्मेवारी श्री चौथमल शर्मा, एस.आई. केन्द्रीय भण्डार, जयपुर व श्री ललित कुमार अरोड़ा, एस. एस. आई. केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर पर डाली है क्योंकि उपरोक्त रिकार्ड दल को नहीं मिलने से रिकन्सीलिशन का काम कतई नहीं हो सका जबकि श्री अरोड़ा एस. एस. आई. को दल के द्वारा मौखिक रूप से कई बार कहा गया है।

14. चोरी गबन के मामले का विवरण :

इस सम्बन्ध में दल ने संभाग यान्त्रिक अभियन्ता, केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर को अपने पत्र स्पेशल क्रमांक 12 दिनांक .4-4-83 के द्वारा अवगत कराया था कि अगर ऐसा कोई केस दस साल की अवधि में हुआ है तो दल को अवगत कराया जावे परन्तु उनके द्वारा दल को अवगत नहीं कराने पर यह अनुमान नहीं लगाया गया कि ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

15. पुराने उतारे गये पार्ट्स का लेखा-जोखा :

पुराना सामान यहाँ चालान के द्वारा आर. एण्ड डी. विभाग में जमा कराया जाता है परन्तु इसका स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया जाता है। भविष्य में दल ने टूल रूम के कर्मचारियों को पुराने सामान का लेखा-जोखा कराने के लिए पाबंद कर दिया गया है।

16. रिपोर्ट डिसकस करने वाले अधिकारी का नाम व पद :

श्री बी. एल. गुप्ता, संभाग यान्त्रिक अभियन्ता, केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर।

17. विशेष विवरण :

(ए) टूल रूम के अन्दर दल ने करीबन 630 किस्म के सामान का भौतिक सत्यापन किया है अतः इसको ठीक ढंग से चलाने के लिए एक एस.एस. आई. या चार्जमैन को लगाया जावे जिससे कि कार्य सुचारू रूप से चल सके।

(बी) टूल रूम में जो सामान काफी मात्रा में पड़ा हुआ है जैसे कि डिवाइट्स व स्पेनर्स इत्यादि जैसे सामान को केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार, जी. एस. ग्रुप में जमा कराया जावे जिसमें कि यहाँ के स्टॉक पर कंट्रोल किया जा सके।

(सी) कार्यशाला में कर्मचारियों को दिये गये उनके नाम पर टूल उनके सम्बन्धित खाते में हस्ताक्षर कराते समय टूल देने वाले कर्मचारी व संबंधित अधिकारी के भी होना अति आवश्यक है तथा जमा कराते समय भी।

(डी) टूल रूम में सामान रखने के लिये एक छोटे बिन ब्लॉक की आवश्यकता और है जिससे कि सामान सही व ठीक ढंग से रखा जा सके।

(ई) दल ने टूल रूम में कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य में रिकार्ड को सही मैन्टेन करने के लिये मौके पर निर्देश दिये हैं तथा एस. आई. सी. नम्बर 240/360 दिनांक 21-3-83 की रिसीव्ड एन्ट्री करके तथा एस. आर. एस. नम्बर 165688 दिनाँक 24-3-83 की सम्बन्धित खातों में जारी एन्ट्री करके बतला दी गई है।

(एफ) दल ने वर्तमान में कार्यरत श्री मांगीलाल टर्नर प्रथम, श्री श्यामसिंह टर्नर द्वितीय व श्री अशोक कुमार भोगावत टर्नर द्वितीय पर कार्य को सुचारू रूप से न चलाने की तथा रिकॉर्ड पूर्ण नहीं मिलाने पर इसके लिये उच्चाधिकारियों को समय पर सूचित न करने के लिए ज्यादा दोषी माना है क्योंकि उपरोक्त तीनों व्यक्ति काफी लम्बे समय से टूल रूम में कार्यरत हैं तथा इनको रिकार्ड सम्बन्धी पूर्ण जानकारी होनी चाहिये थी।

(जी) उपरोक्त तथ्यों के अलावा दल ने टूल रूम में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा दिनाक 18-3-83 को दरखास्त को मध्य नजर रखते हुये देखा एवं पाया कि कभी-कभी कनिष्ठ कार्यदेशक मशीन शॉप भी टूल सम्बन्धित सामान वर्कशॉप कर्मचारियों को टूल रूम से जारी करते हैं जबकि टूल रूम सम्बन्धित कर्मचारी छुट्टी व अन्य कार्य से अवकाश पर रहते हैं।

हस्ताक्षर

(एम० डी० शर्मा)

भौतिक सत्यापनकर्त्ता

हस्ताक्षर

(बी. एल. वर्मा)

वरिष्ठ लिपिक

दिनांक 15-4-83

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार, जनरल ग्रुप वर्ष 1982-83

प्रस्तावना :

1. कार्य व्यवस्थापक (लि.)	श्री वाई. एन. भार्गव
भण्डार अधीक्षक	श्री गोपालेश्वर दयाल शर्मा 24-7-82 से लगातार
भण्डार निरीक्षक	श्री रामकुमार सिंह पूर्व से 24-7-82 तक
उप-भण्डार निरीक्षक	1. श्री बी. एल. गुप्ता पूर्व से 24-7-82 तक 2. श्री जी. एम. सिंगोदिया 25-7-82 से 10-6-83 तक 3. श्री रतीराम यादव 11-6-83 से लगातार
यान्त्रिक द्वितीय श्रेणी	श्री गिरराज बिहारी पारीक वर्ष 1981 से लगातार
स्टोर-कीपर	1. श्री गोपालदास 2. श्री विनोद कुमार
2. भौतिक सत्यापनकर्ता कनिष्ठ लेखाकार	श्री विश्वनाथ शर्मा
3. सत्यापन अवधि	26-7-83 से 25-8-83

4. भण्डार की स्थिति :

भौतिक सत्यापन के दौरान भण्डार में सामान व्यवस्थित दशा में पाया गया सत्यापन के दौरान भण्डार में 231.10 रु. का सामान कम पाया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

भौतिक सत्यापन के दौरान भण्डार में 1280.50 रु. का सामान अधिक पाया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

भण्डार-कक्ष में कम व अधिक मात्रा में पाये गये सामान का समायोजन सम्बन्धित खातों में कर दिया गया है।

सामान कम व अधिक मात्रा में पाये जाने के लिए भण्डार कक्ष में कार्यरत उप-भण्डार निरीक्षक समान रूप से उत्तरदायी हैं।

5. ऑइल एवं लुब्रीकेन्ट की स्थिति :

भौतिक सत्यापन के दौरान ऑइल एवं लुब्रीकेन्ट खातों की मात्रा के अनुसार सही पाया गया।

6. लैजर पोस्टिंग :

जनरल ग्रुप की लैंजर पोस्टिंग का कार्य श्री गिरराज बिहारी पारीक यान्त्रिक द्वितीय श्रेणी द्वारा सम्पन्न किया जाता है भौतिक सत्यापन के समय पूर्ण पाई गई।

7. सत्यापन के समय चुने गये माह :

भौतिक सत्यापन के समय जनरल ग्रुप का रिकॉर्ड निम्न प्रकार से निरीक्षण किया गया।

1. स्टोर इस्यू चालानों से जी. आर. एस. का मिलान दिनांक 1-4-82 से 11-8-83 तक का किया गया।
2. जी. आर. एस. से लैंजर पोस्टिंग का मिलान दिनांक 1-4-82 से 20-8-83 तक का किया गया।
3. एस. आर. एस. से लैंजर पोस्टिंग का मिलान माह फरवरी सन् 1983 की समस्त एस. आर. एस. का किया गया।

8. स्थानीय क्रय :

भौतिक सत्यापन के दौरान निरीक्षण करने पर पाया गया कि स्थानीय बाजार से अत्यधिक रूप से की जा रही है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्थानीय बाजार से ऐसा भी सामान क्रय किया गया है जो क्रय करने के दिनांक को ग्रुप के खातों में शेष मात्रा में उपलब्ध था। फिर भी सामान स्थानीय बाजार से क्रय किया गया है। इस सम्बन्ध में भण्डार अधीक्षक से पूछा गया तो उसने बताया कि उत्पादन एवं कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये किया गया है।

इस सम्बन्ध मे नियमानुसार भविष्य के हेतु पाबन्द किया जावे।

9. लेजर पोस्टिंग में पाई गई अनियमिततायें :

1. लैजरों में सामान का मूल्यांकन नहीं किया गया है जिसका होना मुख्यालय के आदेशानुसार आवश्यक है।

2. जी. आर. एस. के पोस्टिंग करते समय पोस्टिंग करने वाले लैजरों में सामान कहाँ से प्राप्त हुआ है पूर्ण तरह से नहीं लिखते हैं जिससे सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर स्थानीय बाजार से सामान जो आता है उस फर्म का नाम न दर्शा कर मात्र एल. पी. सप्लायर के खाने में लिख देते हैं जो नियमानुसार गलत है। इस सम्बन्ध में पोस्टिंग करने वाले कर्मचारियों को निर्देशित किया जावे कि भविष्य में सप्लायर का पूर्ण विवरण खातों में लिखा जाये।

3. केन्दीय भण्डार से प्राप्त सामान की जी. आर. एस. की पोस्टिंग करते समय भी पूर्ण विवरण न लिखकर मात्र सी. एस. लिख दिया जाता है जो भी साफ प्रतीत नहीं होता है।

4. निरीक्षण के समय लैजरों में पाया गया कि ग्रुप इन्चार्ज द्वारा सामान की जी. आर. एस. प्राप्त न करके सामान इस्यू कर दिया जाता है। जी. आर. एस. बाद में प्राप्त की जाती है जो एक गलत प्रथा है अतः इस सम्बन्ध में ग्रुप इन्चार्ज को भविष्य के हेतु पाबन्द किया जावे कि वह बिना जी. आर. एस. प्राप्त किये सामान इस्यू न करें।

निरीक्षण के समय पाया गया कि जी.आर.एस. बनाने के बाद सामान जी.आर. एस. में से काट दिया जाता है तथा उस सामान की पोस्टिंग लैजरों में नहीं की जाती है। उदाहरण के तौर पर दिनांक 28-5-82 को जी. आर. एस. संख्या 211 दिनांक 30-8-82 को जी. आर. एस. संख्या 604।

दिनांक 30-6-82 को जी. आर. एस. संख्या 361 के द्वारा स्थानीय बाजार से एक रियर हव चकनट स्पेन क्रय किया गया था जिसका अंकन भण्डार के लैजर पृष्ठ संख्या 45 जी. एस. 11 पर किया गया परन्तु बाद में लेजर में नोट दिया गया है कि यह सामान फर्म को वापिस दे दिया गया है। नोट में चालान एवं गेट पास का हवाला नहीं दिया गया है। जो एक गलत प्रथा है। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण श्रीमान् कार्य व्यवस्थापकजी एवं भण्डार अधीक्षकजी से प्राप्त किया जावे कि ऐसी अनियमितता किन परिस्थितियों में की गई है।

दिनाँक 13-10-82 को जी. आर. एस. संख्या 94 बनाई गई है परन्तु लैजर पोस्टिंग नहीं की गई है तथा पोस्टिंग न करने का नोट सम्बन्धित जी. आर. एस. में दिया गया है जो नियमानुसार उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में श्रीमान् भण्डार अधीक्षकजी से पूछा जाना आवश्यक है कि ऐसा किन परिस्थितियोंवश किया गया है।

दिनाक 25-10-82 को जी. आर. एस. संख्या 762 पर स्थानीय क्रय के बिल संख्या 67193 के सामान की बनाई गई है परन्तु लैजर में पोस्टिंग नहीं की गई है तथा जी. आर. एस. से आइटम काट दिये गये हैं। उक्त जी. आर. एस. को बन्द करने के बाद पुनः अंकन किया गया है।

दिनाँक 29-7-82 को केन्द्रीय भण्डार से प्राप्त सामान की जी.आर.एस. एक पृथक् बुक से बनाई गई है जिसका क्रमांक 211752 है जबकि उक्त दिनांक को भण्डार कक्ष में चालू बुक का क्रमांक 194826 था। अन्य जी.आर.एस. पर क्रमांक 47 ए अंकित किया गया है। केन्द्रीय भण्डार के चालान का क्रमाँक एस. आई. सी. 7 जी. एस. दिनांक 8-4-82 है। इस प्रकार से चालान की जी. आर. एस. करीबन तीन माह बाद बनाई गई है जो पूर्ण रूप से नियमानुसार नहीं है। इस सम्बन्ध में श्रीमान् भण्डार अधीक्षक से पूछा जाना आवश्यक है।

भण्डार कक्ष में वर्ष 1982-83 में चालानों व जी. आर. एस. की फाइल व्यवस्थित स्थिति में नहीं पाई गई है। इस सम्बन्ध में भविष्य के हेतु भण्डार कर्मचारियों को पाबन्द किया जावे।

10. चालानों से जी. आर. एस. का मिलान :

दिनांक 12-5-82 को जी. आर. एस. संख्या 135 पर क्रमांक 13 पर नट बोल्ट 1½ × 1.4(पाँच केजी) बाद में पैन द्वारा अंकित किये गये हैं जो भण्डार के लैजर फोलियो 106 जी. एस. पर अंकित किये गये हैं।

11. जी. आर. एस. से लैजर का मिलान :

(1) जी. आर. एस. संख्या 211 दिनांक 28-5-83 को क्रमांक 3 एवं 6 पर अंकित सामान काट दिया गया है।

(2) जी. आर. एस. संख्या 604 दिनांक 30-8-82 को क्रमांक 1, 4 एवं 5 पर अंकित सामान काट दिया गया है।

(3) दिनांक 13-10-82 को जी. आर. एस. संख्या 94 बनाई गई है परन्तु लैजर में पोस्टिंग नहीं की गई है तथा जी. आर. एस. पर टिप्पणी दी गई है।

(4) जी. आर. एस. संख्या 762 दिनांक 25-10-82 की स्थानीय खरीद के बिल संख्या 97193 की बनाई गई है परन्तु बाद में आइटम जी. आर. एस. से काट दिये गये हैं तथा लैजर पोस्टिंग नहीं की गई है।

उपरोक्त अनियमितताओं के हेतु श्रीमान् भण्डार अधीक्षक से पूछा जाना आवश्यक है ऐसा किन परिस्थितियों वश हुआ है।

12. एस. आर. एस. से लैजर पोस्टिंग का मिलान :

दिनांक माह फरवरी, 1983 को एस. आर. एस. की पोस्टिंग का मिलान लैजरों से किया गया जिसमें निम्न अनियमिततायें पाई गई —

(1) दिनांक 4-2-82 को इण्डेंट संख्या 142523 के द्वारा स्टाफ कार संख्या RNB 8910 के हेतु इन्जिन आइल 15 लीटर तथा गियर आइल 10 लीटर इस्यू किया गया है जो अत्यधिक मात्रा में है।

(2) दिनांक 8-2-83 को इण्डेंट संख्या 142808 के द्वारा वाहन संख्या 2996 पर Door Handle 3 नम्बर इस्यू करना दर्शाया गया है जो उचित नहीं है। वाहनों में मात्र दो हैण्डल लगते हैं।

उप घटनाओं के सम्बन्ध में श्रीमान् कार्य व्यवस्थापक से ज्ञात किया जावे कि इस प्रकार किन कारणोंवश किया गया है ।

13. विशेष विवरण :

यांत्रिक भण्डार के जनरल ग्रुप में सामान आदि रखने के लिए पूर्ण स्थान न होने के कारण बहुत-सा सामान बाहर पड़ा रहता है जो नियमानुसार उचित नहीं है । इस प्रकार से बारिस में सामान भीग कर प्रयोग हेतु नहीं रहता है ।

भण्डार कक्ष में एम. एस. सीट, प्लाईवुड, बस सीट आदि के रखने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सारा सामान कार्यशाला में ही पड़ा रहता है जिससे वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता है ।

14. प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करने वाले अधिकारी :

1. श्रीमान् भण्डार अधीक्षक जी
   केन्द्रीय कार्यशाला लीलैण्ड, जयपुर ।
2. श्रीमान् कार्य व्यवस्थापक जी लीलैण्ड,
   केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर ।

हस्ताक्षर

(विश्वनाथ शर्मा)

भौतिक सत्यापनकर्त्ता

मुख्यालय, जयपुर ।

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 1021 की सूची

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 पं० के भाग (1) व (2) से सम्बन्धित सूची

पंचायत समिति केशवरायपाटन के अधीन ग्राम पंचायतों को दिये गये अनुदान का विवरण

क्र०सं०	नाम ग्राम पंचायत	दिये गये अनुदान का विवरण 80-81	81-82	82-83	83-84	कार्यों का विवरण जिन पर राशि व्यय की गई है
1	2	3	4	5	6	7
1.	चितावा	6805-12	6805-12	6805-12	10287-00	पंचायत भवन, गडली प्रकाश कूप, पाटोलिया रास्ता, दुरूस्ती ।
2.	मुनगर	6531-84	6531-84	6531-84	7503-75	कूप मरम्मत, रास्ता दुरूस्ती, भीलानी मीठा व लाखे
3.	मीया	5779-20	5779-20	5779-20	7089-75	कन्या शाला, मीया, मीया दवाखाना, शाला माधोराजपुरा कूप मीया ।

(478)

1	2	3	4	5	6	7
4.	रडी	5046-72	5046-72	5046-72	7690-50	शाला हथानपुर, चडी पादडा ।
5.	लैसरदा	6776-00	6776-00	6776-00	8611-00	पंचायत भवन, लैसरदा एवं प्रकाश व्यवस्था ।
6.	माईजा	5969-60	5969-60	6969-60	7294-50	पंचायत भवन, साईजा, रोशनी व रास्ता दुरूस्ती ।
7.	करवाला	4907-84	4907-84	4907-84	6189-75	शाला छौडदा व करवाला निर्माण ।
8.	जैथल	4493-44	4493-44	4493-44	5879-44	कन्या शाला जैथल व रास्ता दुरूस्ती पर व्यय ।
9.	करवाला को झो.	4558-40	4558-40	4558-40	5717-25	शाला मैनोली कोडक्या, बालाजी एवं करवाला की झो० पर व्यय ।
10.	गैडोली	4522-56	4522-56	4522-56	5744-25	कन्या शाला गडोली, पंचायत भवन गेडोली कूप झाडोल ।
11.	फोलाई	5678-40	5678-40	5678-40	6030-00	शीला जगन्नाथपुरा, गोठडा, रास्ता मरम्मत, कूप मरम्मत ।
12.	रैवारपुरा	4473-28	4473-28	4473-28	5611-50	शाला प्रापडली, खेडिया दर्जन, पचीपला ।
13.	नौताडा	5136-32	5135-32	5136-32	6306-75	शाला मालकपुरा, पुलिया लक्ष्मीपुरा, औषधालय भवन, नौताड़ा ।

1	2	3	4	5	6	7
14.	बोरदा का छि.	4343-36	4243-36	4343-36	6088-50	शाला बोरदा कोछियान, नाला निर्माण रास्ता दुरूस्ती ।
15.	हिंगोनिया	6009-36	5268-48	5268-48	5757-75	शाला काली-तलाई, एवं नया गांव ।
16.	चरडाना	5300-40	4200-00	4200-00	5379-75	शाला चरडाना, बरनिया बाझडली रास्ता दुरूस्त ।
17.	बलकासा	5931-52	4009-60	4009-60	5667-50	शाला बलकोसा, वोरदामा, रास्ता दुरूस्ती पर व्यय ।
18.	जलोदा	4724-16	4724-16	4724-16	5676-75	पंचायत भवन, जलोदा व रास्ता दुरूस्वी ।
19.	अरनोठा	6227-20	6227-20	6227-20	8664-75	कन्याशाला अरनोठा, औषधालय दरनेठा, रोशनी श्रीपुरा कूप निर्माण, रास्ता दुरूस्ती, शेष राशि खुरजा पर व्यय की जावेगी ।
20.	सारसला	7073-92	5596-80	6596-80	8419-50	पंचायत भवन, सारसला, शाला बालोद व रास्ता दुरूस्ती ।
21.	रोटेदा	6447-84	5503-68	5503-68	8649-00	रास्ता दुरूस्ती, तालाब मरम्मत, पंचायत भवन, शाला रोटेदा, देवली, कूप मरम्मत पर व्यय ।
22.	घाटू का बराना	4995-20	4995-20	4995-20	6765-75	शाला झपायता, घाटू का बराना और झपायता कूप ।

1	2	3	4	5	6	7
23.	देईखेड़ा	6560-96	6560-96	6560-96	7994-75	पंचायत भवन, देईखेड़ा, शीलाकोटा कूप, कोटा खुर्द, देईखेड़ा ।
24.	जालीजी का बाग	4903-36	4903-36	4903-36	6360-75	रास्ता दुरूस्ती, शाला भवन पर व्यय की जावेगी ।
25.	लवान	6336-96	6336-96	6336-96	8203-50	पंचायत भवन, लवान, आयुर्वेदिक भवन, लवान ।
26.	उतराना	6366-08	6366-08	6366-08	8115-75	शाला, उतराना व काकला ।
27.	मखावदा	2293-76	2293-76	2293-76	3940-00	कूप माडगवार व कूप सखावदा ।
28.	पापडी	6359-36	6359-36	6359-36	9609-75	पंचायत भवन, पापड़ी व कूप पापड़ी ।
29.	बसवाड़ा	3848-32	3848-32	3848-32	5001-75	शाला, करीरियाँ बसवाड़ा, रास्ता दुरुस्ती ।
30.	माखीदा	5078-08	5078-08	5078-08	6374-25	पंचायत भवन, माखीदा, शाला बगली ।
31.	बडखेड़ा	6451-20	6451-20	6451-20	7994-00	पंचायत भवन, बड़ाखेड़ा, तीन खुरजा, बड़ाखेड़ा ।
32.	आजेन्दा	4940-32	4940-32	4695-04	6986-26	शाला बायाखेड़ा, शाला कोडक्या आजन्दा कूप बायाखेड़ा व रास्ता दुरूस्ती पर व्यय ।